चतुर्दश माला, खंड 5, अंक 8

FOR REFFRNCE ONLY.

शुक्रवार, 10 दिसम्बर, 2004
19 अग्रहायण, 1926 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

तीसरा सत्र
(चौदहवीं लोक सभा)

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'
Acc No ...57...
Dated ...21/7/05...

(खंड 5 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

आनन्द बी. कुलकर्णी
संयुक्त सचिव

नत्थू सिंह
मुख्य सम्पादक

वन्दना त्रिवेदी
वरिष्ठ सम्पादक

आर.एल. रैना
सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय-सूची

[चतुर्दश माला, खंड 5, तीसरा सत्र, 2004/1926 (शक)]

अंक 8, शुक्रवार, 10 दिसम्बर, 2004/19 अग्रहायण, 1926 (शक)

विषय	कॉलम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 141 से 144, 146	1–32
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 145 और 147 से 160	32–57
अतारांकित प्रश्न संख्या 1610 से 1813	57–355
सभा पटल पर रखे गए पत्र	355–383
सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति	
पहला प्रतिवेदन	383
खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति	
तीसरा प्रतिवेदन	383–384
रेल संबंधी स्थायी समिति	
चौथा प्रतिवेदन	384
मंत्री द्वारा वक्तव्य	
शेयर बाजार घोटाला संबंधी संयुक्त संसदीय समिति की सिफारिशों के अनुसरण में की-गई-कार्यवाही से संबंधित तीसरा प्रगति प्रतिवेदन	
श्री पी. चिदम्बरम	384–385
सभा का कार्य	385–390
समिति के लिए निर्वाचन	
नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1955 के अधीन गठित केन्द्रीय समन्वय समिति	394
विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में	394–398
सदस्यों द्वारा निवेदन	
(एक) बिहार के नालंदा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के सूखा प्रभावित क्षेत्रों में भुखमरी के बारे में	399–401
(दो) पाकिस्तानी जेलों में बंद भारतीय मछुआरों की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित किए जाने के बारे में	407–408

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय	कॉलम
(तीन) बिहार में दरभंगा स्थित इलाहाबाद बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय को बंद किए जाने और इसका मुजफ्फरपुर बिहार स्थित बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय के साथ विलय किए जाने के कारण पैदा हुए असंतोष के बारे में	409–410
(चार) आतंकवादी गतिविधियों में वृद्धि को देखते हुए जम्मू-कश्मीर में सैनिकों की तैनाती में कमी करने के निर्णय की समीक्षा के बारे में	410–412
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	
(एक) अफीम उत्पादन क्षेत्रों में अफीम कृषकों के सामने आ रही कठिनाईयों से उत्पन्न स्थिति	424
श्री दुष्यंत सिंह	424, 426–430
श्री पी. चिदम्बरम	424–426, 534–436
श्री श्रीचन्द कृपलानी	430–433
श्री शैलेन्द्र कुमार	433–434
(दो) जीवन बीमा निगम और साधारण बीमा निगम द्वारा विकास अधिकारियों और क्षेत्र कर्मचारियों (फील्ड स्टाफ) की आय, सेवा शर्तें और हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले विभिन्न नियमों के कार्यान्वयन से उत्पन्न स्थिति	438–450
श्री चन्द्रकान्त खैरे	438, 440–443
श्री पी. चिदम्बरम	438–440, 448–450
श्री बसुदेव आचार्य	444–445
श्री पी.के. वासुदेवन नायर	445–446
श्री रतिलाल कालिदास वर्मा	446
श्री मोहन सिंह	447
श्री हरिभाऊ राठौड़	447
श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील	447
सरकारी विधेयक—पुरःस्थापित	450–452
(एक) भारत का राज्य संप्रतीक (अनुचित प्रयोग प्रतिषेध) विधेयक, 2004	450–451
(दो) विशेष अधिकरण (अनुपूरक उपबंध) निरसन विधेयक, 2004	452
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के तीसरे प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव	453
गैर-सरकारी सदस्यों का संकल्प, कृषि और कर्मकारों के लिए राहत उपाय—*जारी*	454–500
श्री पी.के. वासुदेवन नायर	454–460
श्री खारबेल स्वाईं	460–465
श्री रामजीलाल सुमन	465–469

विषय		कॉलम
	श्री एस.के. खारवेनथन	469–471
	श्री पी. करूणाकरन	471–474
	श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी	474–477
	प्रो. रासा सिंह रावत	477–480
	श्री सीताराम सिंह	480–484
	प्रो. एम. रामदास	484–487
	श्रीमती सी.एस. सुजाता	487–488
	श्री भंवर सिंह डांगावास	488
	श्री पी.सी. थामस	489–492
	श्री रामदास आठवले	492–494
	डा. रामकृष्ण कुसमरिया	494–496
	डा. के.एस. मनोज	497–498
	डा. चिन्ता मोहन	498–500
अनुबंध-I		
	तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	501
	अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	502–508
अनुबंध-II		
	तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	509–510
	अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	509–510

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री सोमनाथ चटर्जी

उपाध्यक्ष

श्री चरणजीत सिंह अटवाल

सभापति तालिका

श्री पवन कुमार बंसल

श्री गिरिधर गमांग

श्रीमती सुमित्रा महाजन

श्री अजय माकन

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय

श्री बालासाहिब विखे पाटील

श्री वरकला राधाकृष्णन

श्री अर्जुन सेठी

ले. कर्नल (सेवानिवृत्त) मानवेन्द्र शाह

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव

महासचिव

श्री गुरदीप चन्द मलहोत्रा

लोक सभा

शुक्रवार, 10 दिसम्बर, 2004/19 अग्रहायण, 1926 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*]

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप प्रश्न काल शुरू होने से पहले शोर मचा सकते हैं।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): जी नहीं।

अध्यक्ष महोदय: सहयोग के लिए धन्यवाद।

प्रश्न सं. 141—श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख।

अपराह्न 11.01 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

वस्त्र उद्योग में अनुसंधान और विकास

***141. श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख:** क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वस्त्र उद्योग की रीढ़ अनुसंधान और विकास का कार्य समाप्त होता जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा वस्त्र अनुसंधान संघों को बढ़ावा देने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ताकि उद्योग गतिशील बना रहे?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला): (क) से (ग) एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) वस्त्र अनुसंधान संघ (टीआरए) उद्योग संवर्द्धित निजी निकाय है, जिनकी स्थापना और संवर्द्धन उस क्षेत्र के संबंधित वस्त्र उद्योग द्वारा अनुसंधान करने और उन्हें परामर्श, परीक्षण प्रशिक्षण और अनुसंधान आदि सहित विभिन्न सेवाएं प्रदान करने के लिए किया गया है। तथापि उनके गठन से ही, सरकार उन्हें उनके बने रहने और अनुसंधान परियोजनाएं चलाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती रही है। पिछले पांच वर्षों की अवधि अर्थात 1999 से 2004 के दौरान, उन्हें बनाए रखने के लिए कुल 8862 लाख रुपए प्रदान किए गए हैं। फिर भी वस्त्र अनुसंधान संघों को वित्तीय रूप से स्वतंत्र बनने के लिए उन्हें उनके अनुसंधान व विकास संबंधी क्रियाकलापों में पूर्ण स्वायत्तता देकर प्रोत्साहित करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा, उन्हें ''संगठित वस्त्र मिलों के लिए ऋण पुनर्निर्माण पैकेज'' के तहत उनके ऋणभार का पुनर्गठन करने के लाभ लेने के लिए वस्त्र एककों की तकनीकी व्यवहार्यता का मूल्यांकन करने के लिए इस मंत्रालय द्वारा प्रमुख एजेंसी के रूप में नामित किया गया है।

***श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख:** महोदय, वस्त्र उद्योग को घाटा उठाना पड़ रहा है क्योंकि इस क्षेत्र में कोई व्यापक अनुसंधान नहीं हुआ है। कृषि के बाद यह एक प्रमुख उद्योग है। इस क्षेत्र में लगभग चार करोड़ कामगार कार्य कर रहे हैं। इस क्षेत्र में भारी मात्रा में निर्यात होता है। चूंकि यह एक बड़ा उद्योग है इसके कई सहायक उद्योग हैं। परन्तु सरकार ने पिछले पांच वर्षों में इस क्षेत्र में अनुसंधान पर केवल 68 करोड़ रुपये ही खर्च किए हैं। यदि अन्य देशों की तरह हम भी इस क्षेत्र में अनुसंधान पर अधिक राशि खर्च करते हैं तो इस क्षेत्र का तेजी से विकास होगा। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि पिछले पांच वर्षों के दौरान कितनी वस्त्र मिलें बन्द की गई हैं और इन मिलों को चालू करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

अध्यक्ष महोदय: आपका प्रश्न क्या है?

[हिन्दी]

श्री शंकर सिंह वाघेला: महोदय, टेक्सटाइल्स की प्राईवेट ऐसोसिएशन्स की अपनी आर्गनाइजेशन रही। धीर-धीरे उन्होंने सरकार से मदद ली तो सैलरी, इलैक्ट्रिसिटी नीड्स और आने-जाने में ही सारा खर्चा होने लगा। रिसर्च तो एक साइड रह गई, उन्होंने उसे अपनी आटोनामी के हिसाब से बनाया। लेकिन उनको तनख्वाह, ट्रैवलिंग ऐलाउंस, इलेक्ट्रिसिटी बिल आदि सरकार के जिम्मे आने लगा। इसीलिए वर्ष 2003 में हमने एक नई कमेटी बनाई। उसकी

*मूलत: मराठी में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

रिकमैंडेशन है कि ऐसोसिएशन अपना रिसर्च और खर्च अपने आप खर्च करे। सरकार उसमें से धीर-धीरे दस प्रतिशत के हिसाब से पैसा देना कम करेगी ताकि वे आने वाले समय में इंडीपैंडैंटली रन करें। अगर वे अच्छा रिसर्च करेंगे तो सरकार उनको और भी सुविधा और मदद देने के बारे में सोच सकती है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया दूसरा अनुपूरक प्रश्न पूछें।

***श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख:** अध्यक्ष महोदय, मैंने विशेषरूप से यह पूछा है कि पिछले पांच वर्षों में कितनी वस्त्र मिलें बन्द की गई हैं। मुम्बई, सोलापुर, अम्बरनाथ तथा अन्य स्थानों की तरह गुजरात तथा महाराष्ट्र में कई वस्त्र मिलों को बंद कर दिया गया है। इन मिलों को शुरू करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न काल के दौरान इसकी अनुमति कैसे दी जा सकती है?

[हिन्दी]

श्री शंकर सिंह वाघेला: अध्यक्ष महोदय, इसमें आठ हैं। *...(व्यवधान)* ए टी आर ए, आई जे आई आर ए, एस ए एस एम आर ए, एम टी आर ए, डब्ल्यू आर ए, एन आई टी आर ए तथा एस आई टी आर ए आदि जूट्स भी इसमें हैं। 1999 में नान-प्लान में 900 लाख रुपये थे जबकि प्लान में 662 लाख रुपये थे। इसी तरह 2001-2002 में 1000 थे। धीरे-धीरे नान-प्लान की राशि बढ़ती गई और प्लान की राशि कम होती गई। लेकिन हमने पूरी कोशिश की है। इससे हमारी रिसर्च में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे भी हो, रिसर्च एंड डैवलपमैंट को आगे बढ़ाना है। उनकी जो भी एक्सपैक्टेशन्स होंगी, सरकार उस संबंध में प्रयास करेगी और पूरा समर्थन देगी।

प्रो. रासा सिंह रावत: अध्यक्ष महोदय, में आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूं कि प्रत्येक उद्योग में अनुसंधान और विकास का अत्यधिक महत्व होता है। भारत के बारे में कहा जाता है कि एक समय ऐसा था जब हिन्दुस्तान के कपड़ों को सारी दुनिया में प्रसिद्धि प्राप्त थी।

ढाका की मलमल का तो इतिहास के अंदर वर्णन आता है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उसकी विशिष्टता को प्राप्त करने के लिए और अन्य देशों के वस्त्र उद्योग की तुलना में भारत के वस्त्र उद्योग को उत्तरोत्तर प्रगति के पथ पर अधिक समुन्नत करने के लिए क्या सरकार स्वयं के अनुसंधान संस्थान स्थापित करने का इरादा नहीं रखती है? अगर नहीं तो इसका क्या कारण है?

श्री शंकर सिंह वाघेला: ढाका में जिस समय मलमल थी, तब रिसर्च एंड डैवलपमैंट नहीं था। तब रिसर्च एंड डैवलपमैंट उस समय का होगा। यह सब एसोसिएशन की ओर से बनाये हुए संस्थान हैं। गवर्नमैंट ने समय-समय पर बहुत मदद की है। अभी मदद सैलरी देने तक रह गई है, यानी कि सैलरी देने की जिम्मेदारी सरकार की है। एम्पलाईज वहां के होंगे। इसका तो कोई मतलब नहीं है। जो एक्सपोर्ट की बात है, इसमें कुछ टैक्सटाइल मिनिस्ट्री की ओर से रिसर्च ऐंड डैवलपमैंट होगा, ऐसा नहीं है। इन सबको हम सपोर्ट करते हैं। टैक्सटाइल का एक्सपोर्ट का सवाल दूसरे प्रश्न में आएगा, उसमें मैं आपको आगे बताऊंगा। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा। अब मैं श्री बालासोवरी वल्लभनेनी को बोलने का अवसर देता हूं। वह एक नए सदस्य हैं।

*...(व्यवधान)**

श्री बालासोवरी वल्लभनेनी: मैं माननीय वस्त्र मंत्री से जानना चाहूंगा कि क्या भारत सरकार द्वारा 15,000 करोड़ रुपये की वस्त्र पुनर्गठन निधि शुरू की गई थी और वस्त्र क्षेत्र का पुनरुद्धार करने के लिए धनराशि संस्वीकृत करने के लिए आई डी बी आई तथा 'सिडबी' को मुख्य एजेन्सी के रूप में नियुक्त किया गया था। यदि हां, तो क्या यह सच है कि आई डी बी आई तथा सिडबी पुनरुद्धार हेतु प्रस्तावित मिलों के प्रोमोटरों से स्वीकृति हेतु आवेदन से पहले अपनी पुरानी बकाया राशि चुकाने के लिए कह रही हैं?

अध्यक्ष महोदय: मैं आपकी प्रशंसा करता हूं।

[हिन्दी]

श्री शंकर सिंह वाघेला: अध्यक्ष महोदय, यह इससे संबंधित नहीं है। लेकिन प्राइस का मामला है, इसलिए मैं इनको धन्यवाद देता हूं। आपने जो भी प्रश्न पूछा है, यह दूसरे प्रश्न में आएगा, जिसमें टफ्स स्कीम है, जैसे टीसीआईडीएस है। इसमें और भी सरकार ने विकास के लिए एक्सपोर्ट के लिए कोशिश की है। इनका प्रश्न इससे संबंधित नहीं है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया उनकी मदद करें क्योंकि वह एक नए सदस्य हैं। कृपया इन्हें कुछ सूचना भेजें। अब मैं श्री मोहन रावले को बोलने के लिए आमंत्रित करता हूं।

[हिन्दी]

आप चुप बैठे हैं, इसीलिए आज मौका मिला है।

*मूलत: मराठी में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री मोहन रावले: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जो टैक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन हैं, मुम्बई में टैक्सटाइल मिलें जो मेरे क्षेत्र में हैं, एनटीसी की 25 में से 18 मिलें जो मेरे क्षेत्र में हैं, वे डिलेपिडेटेड कंडीशन में हैं। उनका आधुनिकीकरण किया जाना है, ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं आशा करता हूं कि यह आपके कारण नहीं है।

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले: हम उनको रिवाइव करना चाहते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या उनके माडरनाइजेशन के लिए कोई पैकेज बना है और उसकी डिटेल्स क्या हैं? क्या उस पर रिसर्च हुई है?

श्री शंकर सिंह वाघेला: ये दोनों गलत सवाल हैं। यह इंडस्ट्री टैक्सटाइल की पहले बहुत महत्वपूर्ण थी। रिसर्च एंड डैवलपमेंट का बहुत महत्व है, जैसे इजीरा, शशमीरा है। आज टैक्सटाइल मिले बैंद हैं। उनमें 1800 करोड़ रुपये सरकार ने बॉंड लेकर वी.आर.एस. देकर सब मजदूरों को दी हैं। बाकी जो एन.टी.सी. की मिलें हैं, इनके बारे में पूरा सोचकर जहां भी माडरनाइजेशन के लिए मदद करनी होगी, वह भारत सरकार जरूर करेगी। जो मिलें रिवाइव होंगी, उनको हम जरूर करेंगे। वह प्रोसैस चालू है। किसी मिल को लास-मेकिंग में नहीं जाने देंगे और प्राफिट मेंकिंग में हम मिलों को कराएंगे तथा कोई भी लेबर बिना वी.आर.एस. के अलग नहीं होगा, इसकी जिम्मेदारी हमारी होगी।

[अनुवाद]

डा. सुजान चक्रवर्ती: महोदय, भारतीय जूट उद्योग अनुसंधान एसोसिएशन (आई जे आई आर ए) जूट अनुसंधान तथा जूट विविधता में देश का एक अत्यंत प्रमुख संगठन है। वर्तमान संदर्भ तथा पर्यावरण अनुकूलता के संदर्भ में, जूट की मांग बढ़ रही है और इसीलिए इस मांग को पूरा करने के लिए हमारे पास उचित योजनाएं होनी चाहिए। मैं महसूस करता हूं कि इस प्रयोजनार्थ आई जे आई आर ए को आगे लाया जाना चाहिए। मेरा प्रश्न तो यह है कि क्या इस संबंध में सरकार का कोई प्रस्ताव है क्योंकि निदेशक तथा अन्य लोग संभवत: दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। मैं जानना चाहूंगा कि क्या मंत्रालय देश के हित में उचित कदम उठाएगा।

[हिन्दी]

श्री शंकर सिंह वाघेला: जहां तक इजीरा का सवाल है, वह पूरे जूट के मिल ओनर्स या उसमें चेयरमैन या डायरेक्टर्स रहते हैं, अगर वे रिजोल्यूशन करके भारत सरकार को देते हैं तो हम सीएसआईआर के नीचे पूरे इजीरा को ले जाएंगे और जितनी भी फाइनेंशियल चिंता करनी होगी, यह भारत सरकार करेगी। वहां से एक रिजोल्यूशन पास कराकर आप हमें दे दें। हमें इंडीपेंडेंटली चिंता जरूर है कि बंगाल, बिहार और आंध्र प्रदेश में जहां जूट मिल्स हैं, इसमें 'इजरा' हम इस्तेमाल करना चाहते हैं। हम फाइनेंस भी करना चाहते हैं, जिससे वे अच्छे ढंग से चलें। यदि और आधुनिकीकरण करना चाहते हैं तो सीएसआईआर के लिए रिजोल्यूशन करके दें, तो हम टेकओवर करेंगे।

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा: मंत्री जी गुजरात से हैं। वह भी जानते हैं कि एक समय अहमदाबाद को मानचेस्टर कहते थे। लेकिन अब वहां पर प्राइवेट और एनटीसी की मिलें बंद हैं। क्या सरकार छोटी-मोटी मिल्स को अनुसंधान केन्द्र द्वारा कुछ विशेष पैकेज देने जा रही है, ताकि वे आगे बढ़ सकें?

श्री शंकर सिंह वाघेला: रिसर्च एंड डवलपमेंट मिलों को चालू करने के लिए नहीं है। रिसर्च एंड डवलपमेंट आने वाले दिनों में प्रतिस्पर्धा और घरेलू बाजार में अच्छी चीज ग्राहक को मिले, इसलिए है। एनटीसी की जो मिलें बंद हैं, उनको चालू करने का सवाल नहीं है, लेकिन जो मिलें लास मेकिंग हैं, उनका आधुनिकीकरण करके या पैसे देकर उनको प्राफिट मेकिंग बनाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह अनुसंधान से संबंधित मामला है। कृपया इससे संबंधित प्रश्न पूछें।

श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील, मुझे विश्वास है कि आप अनुसंधान का संदर्भ देंगे।

श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील: अध्यक्ष महोदय, मुम्बई में लम्बी हड़तालों के कारण यहां से वस्त्र मिलें खत्म होती जा रही हैं। उन श्रमिकों, जिन्हें अपने आवास स्थलों को जाना पड़ा है, ने कुछ सहकारी सोसाइटियां बनाई हैं और वे छोटी मिलें चला रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय: पाटील जी, इसका इससे कोई संबंध नहीं है।

श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील: महोदय, मैं उसी पर आ रहा हूं।

उनके संबंध में जो वापस चली गयी हैं और जिन्होंने लघु स्तर पर उद्योग शुरू किए हैं, क्या उनकी उत्पादन लागत को कम करने के लिए अनुसंधान और विकास किया गया है? क्या कोई

ऐसा बाजार संबंधी अनुसंधान किया गया है जो सुनिश्चित करे कि वे अपने उत्पाद मुम्बई जाने की बजाय अपने स्थलों के बाजारों में बेचकर पैसा कमा सकें?

[हिन्दी]

श्री शंकर सिंह वाघेला: यह जो जितने भी 'साइजेज' हैं, वे प्राइवेट आर्गेनाइजेशन से मिले हुए हैं। उसमें अगर कोई स्पेशल प्रपोजल भेजेंगे तो हम कहेंगे कि वे मदद करें। भारत सरकार सिर्फ पैसा देती है। अगर ऐसी रिसर्च के लिए प्रपोजल आएगा तो हम कहेंगे कि इनकी मदद करनी है।

[अनुवाद]

श्री पी.सी. थामस: महोदय, कई आधुनिक निजी उद्योगों की अपनी अनुसंधान तथा आधुनिकीकरण सुविधाएं हैं और वे अपने उपकरणों को अद्यतन करते रहते हैं। जहां तक आई टी सी का सवाल है—आप पहले ही एक पहलू पर उत्तर दे चुके हैं—क्या एन टी सी का और विकास करने के लिए सभी राज्य, विशेष रूप से केरल जैसे राज्यों, जहां ऐसा कोई उद्यान नहीं हैं, में कुछ वस्त्र उद्यानों अथवा परिधान उद्यानों को बढ़ावा देने के लिए एक अलग खण्ड बनाना संभव है?

अध्यक्ष महोदय: यह प्रश्न वस्त्र उद्योग में अनुसंधान और विकास से संबंधित है। आप उद्योगों की ओर रुख कर रहे हैं।

मंत्री जी, केवल पहले भाग का ही उत्तर दें।

[हिन्दी]

श्री शंकर सिंह वाघेला: एनटीसी का इसमें कोई सवाल नहीं आता है। लेकिन रिसर्च होगा, उसमें प्राइवेट मिल आनर्स वाले करते हैं, उनकी एसोसिएशन भी करती है, भारत सरकार उसमें नहीं है। दूसरे सवाल का जवाब मैं नहीं दे सकता, क्योंकि स्पीकर साहब ने उसके लिए मना किया है। लेकिन जो दूसरा तारांकित प्रश्न आएगा, उसमें अपैरल्स के बारे में, एटीडीसीज के बारे में और टीयूएफएस के बारे में जरूर बताऊंगा।

निर्यात के लिए नया बाजार

*142. **श्री वाई.जी. महाजन:**
श्री काशीराम राणा:

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार वस्त्र, हथकरघा और हस्तशिल्प वस्तुओं के निर्यात हेतु नए बाजारों की तलाश करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गत वर्ष के दौरान कुछ विशिष्ट वस्तुओं के निर्यात हेतु किसी नए बाजार की तलाश की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) सरकार द्वारा वस्त्र, हथकरघा और हस्तशिल्प वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(च) सरकार को ये कदम उठाने के बाद कितनी सफलता मिली है?

[अनुवाद]

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला): (क) से (च) एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) भारत के वस्त्र उत्पाद, हथकरघा और हस्तशिल्प सहित एक सौ से अधिक देशों को निर्यात किए जाते हैं। तथापि, संयुक्त राज्य अमरीका, यूरोपीय संघ के सदस्य देशों, संयुक्त अरब अमीरात, कनाडा, बांग्लादेश, सऊदी अरब, कोरिया गणराज्य, रूस, जापान तथा हांगकांग चीन हमारे वस्त्र सामानों के 10 शीर्ष आयातक देश हैं। सरकार के निर्यात संवर्धन प्रयास अमरीका तथा यूरोपीय संघ जैसे प्रमुख आयातक देशों में भारतीय वस्त्रों की गहनता से उपस्थिति के लिए तथा साथ ही लैटिन अमरीका, अफ्रीका, सीआईएस क्षेत्र, आशियन देशों, आस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड में नए निर्यात स्थलों का पता लगाने के लिए किए जाते हैं।

(ग) और (घ) दस निर्यात संवर्धन परिषदें, पटसन विनिर्माण विकास परिषद तथा कयर बोर्ड नियमित रूप से बाजार प्रेरित निर्यात संवर्धन कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं; तथा इसके अतिरिक्त, सरकार ने इन देशों के साथ वस्त्र व्यापार के विकास के लिए ट्यूनिशिया, मोरक्को, मारिशस आदि जैसे देशों में उच्च स्तरीय वस्त्र प्रतिनिधिमंडल भी बढ़ाए हैं।

(ङ) सरकार हथकरघा और हस्तशिल्प सहित वस्त्र निर्यात के संवर्धन के लिए अनेक उपाय कर रही है, जिनमें से कुछ निम्नलिखित हैं:

(1) निर्यात संवर्धन परिषदें विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों के परामर्श से विदेशी प्रदर्शनियों/मेलों में सहभागिता, विक्रेता-क्रेता बैठकें आयोजित करने, विदेशों में प्रचार,

व्यापार शिष्टमंडल प्रायोजित करने जैसे निर्यात संवर्धन क्रियाकलाप करती आ रही हैं।

(2) हस्तशिल्प निर्यात के संवर्धन के लिए विकास आयुक्त हस्तशिल्प का कार्यालय "निर्यात संवर्धन" योजना कार्यान्वित करता है जिसमें निर्यात योग्य उत्पादों के विकास एवं संवर्धन बाजारों का पता लगाने, मेलों और प्रदर्शनियों में प्रतिभागिता, विदेशों में प्रचार आदि की परिकल्पना की गई है। अन्य संवर्धनात्मक कदमों में भारतीय हस्तशिल्प एवं उपहार, मेला/कालीन एक्स्पो का आयोजन तथा ग्रेटर-नोएडा, इंडिया एक्सपोजिशन मार्ट की स्थापना शामिल है ताकि विदेशी क्रेताओं के लिए 24 घंटे विपणन की दुकानों की व्यवस्था रहे।

(3) हथकरघा उत्पादों के निर्यात को गति देने के लिए "हथकरघा निर्यात योजना" नामक एक योजना कार्यान्वित की जा रही है, इस योजना में राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय हथकरघा निगमों, शीर्ष सहकारी समितियों, प्राथमिक हथकरघा बुनकर सहकारी समितियों तथा निर्यात योग्य हथकरघा उत्पादों के विकास के लिए निजी हथकरघा निर्यातकों जैसी हथकरघा एजेंसियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने, उनके उत्पादों का प्रचार एवं अंतर्राष्ट्रीय विपणन करने और मूल्य संवर्द्धन/गुणवत्ता नियंत्रण एककों की स्थापना करने की परिकल्पना की गई है। इस योजना के तहत हथकरघा निर्यात संवर्धन परिषद (एचईपीसी), हथकरघा निगमों एवं शीर्ष सहकारी समितियों का संघ (आकाश) आदि को अंतर्राष्ट्रीय मेलों/प्रदर्शनियों/क्रेता-विक्रेता बैठकों में उनके सदस्यों की सहभागिता आयोजित करने के लिए भी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

(4) बाजार पहुंच पहल योजना के तहत देश और उत्पादन पर विशेष जोर देते हुए मध्यमकालीन निर्यात संवर्धन प्रयासों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त, विदेश में व्यापार मेलों में प्रतिभागिता के लिए बाजार विकास सहायता तथा यदि निर्यातक लैटिन अमरीका, अफ्रीका, सीआईएस क्षेत्र, आसियान देश, आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे चार प्रमुख क्षेत्रों में से किसी एक देश की यात्रा करते हों तो उनके लिए यात्रा अनुदान भी उपलब्ध है।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने भारत के वस्त्र उद्योग की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए पहल की है, कुछ महत्वपूर्ण पहलें हैं:

(1) सरकार ने लघु उद्योग क्षेत्र से सिलेसिलाये परिधानों के बुनाई क्षेत्र को अनारक्षित कर दिया है। साथ ही सरकार ने निटेड क्षेत्र के लिए लघु उद्योग क्षेत्र के निवेश की सीमा को बढ़ाकर 5 करोड़ रु. कर दिया है।

(2) इस क्षेत्र के आधुनिकीकरण तथा उन्नयन को सुगम बनाने के लिए दिनांक 1.4.1999 से प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टीयूएफएस) लागू कर दी गयी है।

(3) टीयूएफएस के अंतर्गत शामिल बुनाई, प्रसंस्करण और परिधान मशीनों को 50 प्रतिशत की दर पर बढ़े हुए मूल्यह्रास की सुविधा प्रदान की गयी है। राजकोषीय नीतिगत उपायों से मशीनों की लागत भी कम कर दी गई है। इससे आधुनिकीकरण को और प्रोत्साहन मिलेगा।

(4) फैब्रिक उत्पादन को प्रतिस्पर्द्धी बनाने की दृष्टि से शटलरहित करघों पर सीमा शुल्क को 15% से 5% कर दिया गया है।

(5) राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (निफ्ट) की छह शाखाएं और अपैरल प्रशिक्षण एवं डिजायन केंद्र (ए टी डी सी) डिजायन, व्यापार और विपणन के क्षेत्र में वस्त्र उद्योग, विशेषकर अपैरल की कुशल कारीगरों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न पाठ्यक्रम एवं कार्यक्रम चला रहे हैं।

(6) पारि-परीक्षण प्रयोगशालाओं के माध्यम से सुविधाएं तैयार की गई हैं ताकि निर्यातक आयातक देशों की आवश्यकताओं के अनुरूप परिधानों/वस्त्रों का पूर्व-परीक्षण करवा सकें।

(7) सरकार ने विकास संभावित केन्द्रों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अपैरल विनिर्माण एककों की स्थापना पर बल देने और निर्यात को गति देने के लिए "अपैरल पार्क निर्यात योजना" नामक एक केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजना शुरू की गई है।

(8) प्रमुख वस्त्र केन्द्रों में आधारभूत सुविधाओं को उन्नत बनाने के लिए वस्त्र आधारभूत विकास केन्द्र योजना (टीसीआईडीएस) शुरू की गई है।

(च) वाणिज्यक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएंडएस) के आंकड़ों के अनुसार, वस्त्र निर्यात ने वर्ष 2002-03 में 15.3% तथा 2003-04 में 6.0% की वृद्धि दर्ज की है। अप्रैल-जून, 2004 की अवधि के दौरान वस्त्र निर्यात पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 3035.5 मिलियन अमरीकी डालर के हुए थे, अर्थात् 6.5% की वृद्धि दर्ज की है।

[हिन्दी]

श्री वाई.जी. महाजन: अध्यक्ष महोदय, भारत में कपड़ा उद्योग सबसे पुराना और अच्छा है। लेकिन इस क्षेत्र में कुछ ही दिनों के

श्री संतोष गंगवार: माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्न हस्तशिल्प और हथकरघा वस्तुओं के निर्यात से संबंधित है। उत्तर प्रदेश में जरी जरदोई का काम बहुत होता है। इसके निर्यात में मुख्य कड़ी वह होता है, जो उत्पादक होता है वह एक यूनिट, व्यक्ति होता है, उस परिवार में जिस का काम होता है उसकी ओर क्या ध्यान दिया गया है? आपने उत्तर में नहीं बताया है।

इस समय जरी और जरदोजी के कार्य में लाखों परिवार लगे हुये हैं। इस कार्य को बढ़ावा देने के लिये और खासकर उत्तर प्रदेश से यह सुझाव आया था कि एक्सपोर्ट प्रमोशन कौंसिल द्वारा एक यूनिट रुहेलखंड हाट बनाया जाये जिससे बिचौलिये लाभ न उठा सकें। एक आम आदमी घर में इस काम को तैयार करता है और उसे बेचता है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उसे अधिक से अधिक लाभ मिले, इसके लिये क्या सरकार कोई योजना बनायेगी?

श्री शंकर सिंह वाघेला: अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य उत्तर प्रदेश के हैंडलूम्स के बारे में चिन्ता करते हैं, यह बहुत अच्छी बात है। भारत सरकार के माध्यम से दीनदयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना, हैंडलूम्स एक्सपोर्ट योजना, मार्केटिंग प्रमोशन प्रोग्राम, डिजाइन-डैवलेपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम, इंटिग्रेटेड हैंडलूम ट्रेनिंग प्रोग्राम, मिल गेट प्राइस स्कीम, वीवर्स वैलफेयर स्कीम, बुनकर बीमा योजना, इंपलीमेंटेशन आफ हैंडलूम्स, 10 परसेंट रिबेट आन हैंडलूम्स प्रोडक्ट योजनायें चल रही हैं। हम आज भी कोशिश कर रहे हैं कि वीवर्स भूखे न मरें, सुईसाइड न करें, इसके लिये हैंडलूम इंडस्ट्री को इनसेंटिव दे रहे हैं तथा आने वाले बजटरी प्रोपोजल में स्पेशल रिबेट हो सके जो एक साल तक मिले। इन स्कीम्स को इंपलीमेंट करने में प्राब्लम आ न पाये, इसलिये स्कीम को तीन महीने में रिव्यु कर रहे हैं। अगर कोई कमी होगी तो हम उसे पूरा करने की कोशिश करेंगे।

श्री विजय कृष्ण: अध्यक्ष महोदय, बिहार में भागलपुर खादी वस्त्र और हैंडलूम का बड़ा केन्द्र है इसके अलावा मधुबनी, गया, बिहार शरीफ और मानपुर भी यह कार्य के लिये जाने जाते हैं। इन क्षेत्रों में उत्पादन करने वाले हथकरघा बुनकरों को अपना सामान कम कीमत पर बेचना पड़ता है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार के पास ऐसी कोई विशेष कार्य योजना है जिससे भागलपुर के टसर और मधुबनी के खादी बुनकरों को उचित दाम मिल सके?

श्री शंकर सिंह वाघेला: अध्यक्ष जी, खादी का मामला खादी डेवलेपमेंट बोर्ड देखेगा। लेकिन में इतना जरूर कहूंगा कि अगर ग्राहक मार्किट में कोई चीज मांगता है और यदि उसे वह चीज नहीं दे सकते तो डिमांड और सप्लाई के हिसाब से नहीं हो पायेगा।

जहां तक भागलपुर या बनारस का सवाल है, भारत सरकार और राज्य सरकारों के माध्यम से जो स्कीम्स हैं, उनके इम्पलीमेंटेशन से कुछ प्राब्लम आ सकती है। ग्राहक की मांग के अनुसार माल मिलना चाहिये। ऐसा न हो कि वह पुरानी दुनिया में चलते रहें और बाद में टैक्सटाइल्स या बुनकरों को कोई प्राब्लम हो। हम इसे रिवाइव करने जा रहे हैं। यदि उसमें कोई प्राब्लम है तो हम किस तरह आक्सीजन देते रहेंगे। यदि माननीय सदस्य भागलपुर के बारे में लिखकर देंगे तो हम उसके लिये स्पेशल चिन्ता करेंगे।

श्रीमती कृष्णा तीरथ: अध्यक्ष जी, हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट के बारे में बहुत सी बातें कही गईं लेकिन जो महिलायें इन क्षेत्रों में काम करती हैं, उनके बारे में कुछ नहीं कहा गया। दिल्ली में ही नहीं बल्कि भारत के कई राज्यों में मैंने देखा है कि कितना ज्यादा काम करती हैं। क्या माननीय मंत्री जी के पास ऐसी कोई स्कीम है जिसके अंतर्गत महिलाओं को इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाये ताकि वे अपना लूम घर पर लगा सकें जिससे सोशियली और इनकोनोमिकली स्टैंड मिल सके? दूसरे हाट बाजार ऐसे हों जहां वे अपने माल बनाकर सीधे बेच सकें ताकि बिचौलियों को लाभ न हो? क्या माननीय मंत्री जी के पास ऐसी योजना है, यदि हां, तो बतायें?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह बहुत अच्छा प्रश्न है!

[हिन्दी]

श्री शंकर सिंह वाघेला: माननीय अध्यक्ष जी, यह बहुत अच्छा क्वैश्चन है। महिलाओं की हम लोगों को चिन्ता करनी चाहिये थी लेकिन माननीय सदस्य को मैं बधाई देता हूं कि वे महिलाओं के बारे में कह रही हैं। उसके लिए बधाई जो रेट आफ इंटरेस्ट का सवाल है, वह हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन महिलाओं के हिसाब से अगर कोई कोआपरेटिव सोसाइटीज हैं तो इनका रेट आफ इंटरेस्ट कैसे कम होकर चार-पांच परसेन्ट तक हो, उसके बारे में आप हमें करिये तो उसके बारे में भारत सरकार महिलाओं के हिसाब से विशेष रूप से उनकी चिंता करेगी, ताकि वे अपने कोआपरेटिव के हिसाब से चलें।

दूसरा जो आपने जो हाट के बारे में कहा तो जहां भी महिलाओं का मामला आता है, उनकी मैं विशेष रूप से चिंता करता हूं। इनमें कोई बहन बिहार से आती है, कोई गुजरात से आती है, कोई राजस्थान से आती है। इन्हें हाट में जगह मिले। लेकिन हाट टैक्सटाइल मिनिस्ट्री के अंडर नहीं है। लेकिन फिर भी हम और हाट बढ़ाने जा रहे हैं। जैसे निफ्ट बढ़ाने जा रहे हैं, वैसे ही हाट भी बढ़ाने जा रहे हैं। हम दिल्ली के बगल में एक हाट

बढ़ाने जा रहे हैं। इसके अलावा हाट और ज्यादा बढ़ें, कम से कम दिल्ली में जो इनका प्रैशर है, वह कम हो। प्रगति मैदान में जो ट्रेड सैन्टर है, वहां ज्यादा ट्रैड फेयर्स लगें, उसका भी हम प्रयास करते हैं। लेकिन छोटी महिलाओं के लिए दिल्ली हाट है। इसलिए और हाट बढ़ाने की हम चिंता करते हैं। इसलिए इस साल हमने 29 अर्बन हाट सैंक्शन किये हैं। ...*(व्यवधान)*

श्रीमती कृष्णा तीरथः ऐसा कीजिए कि इनसे किराया न लिया जाए।

श्री शंकर सिंह वाघेलाः बिना किराये तो काम नहीं होगा, लेकिन उनके लिए रहने की सुविधा के बारे में हम सोच सकते हैं, ताकि उन्हें वहीं पर रहने की अच्छी जगह मिले, इसकी चिंता हम जरूर करेंगे और मैं समझता हूं कि वीवर्स और आर्टिजन का इसमें डायरेक्ट पार्टिसिपेशन हो। इस साल हमने 29 अर्बन हाट सैक्शन किये हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः श्री हेमलाल मुर्मू-उपस्थित नहीं हैं।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमारः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जिस प्रकार से विश्व बाजार में प्रतिस्पर्धा है, उस हिसाब से कुछ प्रदेशों में जैसे कताई मिले हैं। खास तौर से उत्तर प्रदेश के बनारस में साड़ी का उद्योग है, भदोही में कालीन का उद्योग है, आज से सारे उद्योग संकट के दौर से गुजर रहे हैं। आज विश्व बाजार में बहुत कंपटिशन है। इन बाजारों को स्थापित करने के लिए और इन्हें प्रोत्साहित करने के लिए आप क्या ग्रेडर नोएडा में अनुसंधान के लिए कोई संयंत्र स्थापित करेंगे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः कृपया एक जैसे प्रश्न न पूछें। ये बिल्कुल एक जैसे अनुपूरक प्रश्न हैं।

[हिन्दी]

श्री शंकर सिंह वाघेलाः ग्रेटर नोएडा और गुड़गांव में हम एक ऐसा वर्ल्ड ट्रेड सैन्टर डेवलप करने जा रहे हैं, जो 24 घंटे चले। एक्सपोर्ट और स्माल स्केल इंडस्ट्रीज, छोटे वीवर्स या हमारे जो काटेज इंडस्ट्रीज हैं, इनमें बहुत कंट्राडिक्शन है। अगर एक्सपोर्ट बढ़ाना है तो एस.एस.आई. और काटेज इंडस्ट्रीज का इसमें कोई मतलब नहीं है, सिवाय इसके कि इन्हें हैंडीक्राफ्ट्स बनाया जाए, अगर हांडीक्राफ्ट्स बनाना जरूरी है तो अलग बता है। लेकिन कम्पिटिशन के जमाने में अमरीका और चीन में इतने बड़े-बड़े इंडस्ट्रीज हैं कि इनमें हिंदुस्तान के स्माल स्केल इंडस्ट्रीज कहीं खत्म हो जायेंगे। इसलिए आने वाले दिनों में ज्यादा एक्सपोर्ट के लिए हमें बहुत बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेज चाहिए। हमारे जो काटेज और स्माल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, वे हैंडीक्राफ्ट्स के हिसाब से नमूने बन जायेंगे। आने वाले समय में इस कंपिटिशन में यह कहां खड़े रहेंगे, सरकार उन्हें चाहे कितना भी रुपया दे, फिर भी इनके खड़े रहने में प्राब्लम होगी। मोर प्रोडक्शन, मोर एक्सपोर्ट, यह प्रोडक्शन कम्पिटिशन में ज्यादा नहीं चलेगा। लेकिन आपने जो एक्सपोर्ट के बारे में कहा, वह एक्सपोर्ट की बात नहीं है। यहां डोमैस्टिक मार्केट में हम जरूर इनको सहयोग देंगे।

[अनुवाद]

मारीशस के साथ दोहरे कराधान का परिवर्जन संबंधी संधि

***143. श्री किन्जरपु येरननायडुः** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और मारीशस के बीच दोहरे कराधान का परिवर्जन करने संबंधी संधि (डीटीएटी) अभी भी अस्तित्व में है; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार का निवेश को बढ़ावा देने हेतु डीटीएटी का बातचीत शुरू करने का कोई प्रस्ताव है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): (क) जी, हां।

(ख) उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः आपका अनुपूरक प्रश्न क्या है? मंत्री जी आपसे सहमत हैं।

श्री किन्जरपु येरननायडुः महोदय, मंत्री जी ने अस्पष्ट उत्तर दिया है। यह तो कोई उत्तर नहीं हुआ। केन्द्र सरकार अन्य देशों के साथ दोहरा कराधान बचाव समझौता (डबल टैक्सेशन अवाइडेंस एग्रीमेंट) करती है ताकि विदेशी पूंजी और तकनीक का आगम हो। इस समझौते का मुख्य उद्देश्य आय के एक ही स्रोत पर दोहरे कराधान के कारण होने वाली परेशानियों को कम करना है।

अध्यक्ष महोदयः वह आपसे सहमत हैं।

श्री किन्जरपु येरननायडु: दोहरा कराधान बचाव समझौते के मद्देनजर, भारत में मारीशस के रास्ते धन शोधन की गयी राशि आ रही है। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा कि यह सुनिश्चित कैसे होगा कि निगरानी करने वाले विनियम हों ताकि धनशोधन की राशि, मादक पदार्थों के व्यापार से अर्जित राशि या अवैध तरीके से अर्जित धन वास्तविक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की राशि में शामिल न हो जाए। ऐसे समझौते के अन्तर्गत मंत्री महोदय इसे कैसे रोकेंगे? माननीय मंत्री से मैं यह जानना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय: मुख्य प्रश्न से यह प्रश्न नहीं उठता है।

श्री पी. चिदम्बरम: यह प्रश्न मारीशस से आने वाले निवेश से संबंधित है जो डी टी ए टी के अन्तर्गत है। माननीय सदस्य ने आशंका व्यक्त की है कि क्या यह समझौता अमल में है। मैंने स्पष्ट रूप से कहा था कि यह समझौता अमल में है।

धन शोधन एक बिल्कुल अलग विषय है इसके लिए संसद ने धन शोधन निरोधक अधिनियम नामक अधिनियम अधिनियमित किया हुआ है।

इस अधिनियम के अन्तर्गत नियम बनाए गए हैं। एफ आई यू भारत को अधिसूचित किया गया है और हम धनशोधन निरोधक अधिनियम के अन्तर्गत धनशोधन का सामना करेंगे। विदेशी स्रोतों से प्राप्त होने वाले निवेशों को धनशोधन से प्राप्त पैसा घोषित नहीं किया जा सकता है। यह भारत में परियोजनायें, स्टाक मार्किट और उद्यमों से निवेश के रूप में आ रहा है। यह निश्चय ही धनशोधन से प्राप्त पैसा नहीं है।

अध्यक्ष महोदय: आपने यह पूछा और मंत्री महोदय ने इसका जवाब 'हां' दिया।

श्री किन्जरपु येरननायडु: समाचारपत्रों में खबरें छपी हैं। मैं निवेश के खिलाफ नहीं हूं किन्तु कुछ लोग भारत में कर देकर लाने की बजाए मारीशस के रास्ते पैसा ला रहे हैं और कर से बच रहे हैं जो अन्तत: देश के लिए घाटे की स्थिति है। मैं जानना चाहूंगा कि इस समझौते के शुरू होने से आज तक मारीशस के रास्ते कितनी राशि आयी है और बरास्ता मारीशस कितना प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आ रहा है?

अध्यक्ष महोदय: यह प्रश्न मुख्य प्रश्न से पैदा नहीं होता है। मुझे खेद है।

श्री पी. चिदम्बरम : मैं आपको आंकड़े बताऊंगा। वर्ष 1991 से मारीशस से हमें आठ बिलियन 713 मिलियन डालर प्राप्त हुए हैं। भारतीय रुपये में 418 (मिलियन) रुपए मारीशस के रास्ते आये हैं।

अध्यक्ष महोदय: श्री सुनील खां, मुख्य प्रश्न से जुड़ा हुआ प्रश्न ही पूछिए, कुछ और मत पूछिए। आपका इस संबंध में कोई प्रश्न है?

श्री सुनील खां: महोदय, राजग सरकार ने अपने शासनकाल में, माननीय सदस्य ने भी यह प्रश्न पूछा था, मारीशस के रास्ते आने वाले धन के कारण सरकारी कोष को 3000 करोड़ रु. का नुकसान हुआ था। इसमें लिप्त व्यक्ति तत्कालीन वित्त मंत्री का एक संबंधी था। मैं माननीय वित्त मंत्री से जानना चाहूंगा कि क्या यह सच है अथवा नहीं।

श्री पी. चिदम्बरम: महोदय, मैं किसी अंदाजा लगाने वाले प्रश्न या आरोप का उत्तर नहीं दे सकता हूं। मैं इतना ही कहूंगा कि इस संधि पर 1983 में हस्ताक्षर किए गए थे। तब से यह संधि लागू है। सरकार द्वारा परिचालित कतिपय परिपत्रों को उच्च न्यायालय और उसके बाद उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गयी थी। उच्चतम न्यायालय ने 13 अप्रैल, 2000 के परिपत्र की वैधता को उचित ठहराया। इस संधि में दोहरा कराधान से बचाव की व्यवस्था है और यदि निवेशक मारीशस के रास्ते संधि के प्रावधानों का लाभ उठाता है तो आज की स्थिति के अनुसार यह कानून के अनुकूल है।

अध्यक्ष महोदय: श्री सुबोध मोहिते, मैं नहीं जानता कि आप क्या अनुपूरक प्रश्न पूछेंगे! कृपया मूल प्रश्न को ध्यान में रखते हुए उससे संबंधित अनुपूरक पूछिए।

श्री सुबोध मोहिते: महोदय, यह संधि 1983 से लागू है।

[हिन्दी]

पिछले कुछ सालों में ऐसी कई ट्रीटीज का मिसयूज हुआ है।

[अनुवाद]

इस संधि का लाभ उठाते हुए कई कागजी और माध्यम मात्र कंपनियों ने या तो भारत या मारीशस में कर लाभ उठाया है। आयकर विभाग ने इस राशि की वसूली के लिए पहले ही नोटिस दिया है। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा कि दोहरा कराधान बचाव संधि के दुरूपयोग अथवा उल्लंघन के कितने मामले लम्बित हैं; इसमें कितनी राशि अंतर्ग्रस्त हैं, जांच की स्थिति क्या है और कितनी राशि वसूली गयी है।

श्री पी. चिदम्बरम: इस प्रश्न का कोई आधार नहीं है कतिपय निर्धारित अधिकारियों ने कुछ विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा किए गए कतिपय निवेशों के इस आधार पर संधि का लाभ नहीं दिया कि वे आवास आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते हैं। भारत सरकार

ने यह स्पष्ट करते हुए कि आवास आवश्यकताएं कैसे निर्धारित होंगी, 13 अप्रैल 2000 को परिपत्र जारी किया था। इस परिपत्र को चुनौती दी गयी थी और उच्चतम न्यायालय ने उस परिपत्र को उचित ठहराया था। अब, इस निर्णय को लागू करने और परिपत्र के अनुसार आवास आवश्यकता निर्धारित करने के लिए सभी निर्धारित अधिकारी बाध्य हैं। मैं नहीं सोचता हूं कि यह बताना संभव है कि कोई दुरूपयोग हुआ है। यदि किसी व्यक्ति के पास आवास अर्हता नहीं है जैसा कि परिपत्र में स्पष्ट किया गया है और उच्चतम न्यायालय द्वारा उचित ठहराया गया है, तो उसे इस संधि का लाभ नहीं मिलेगा।

अध्यक्ष महोदय: यही दुरुपयोग होता है तो कानून में इसके लिए प्रक्रियाएं हैं। श्री खारबेल स्वाईं, कृपया प्रश्न और उत्तर दोनों का ध्यान रखिए।

श्री खारबेल स्वाईं: महोदय, विगत में, डीटीए संधि के दुरूपयोग के संबंध में कई आरोप लगाए गए हैं। इस नियम के दुरूपयोग से बचने के लिए विगत में भारत सरकार ने मारीशस सरकार के साथ कई दौरे की बातचीत की है। इन बातचीत के क्या नतीजे रहे हैं?

क्या वर्तमान सरकार अब ऐसे कदम उठा रही है ताकि मारीशस में न्यूनतम प्रदत्त पूंजी वाली सहायक कंपनियां भारत में कर चुकाने से बच न सकें? यदि दोहरा कराधान बचाव संधि नहीं होती तो कंपनियों ने भारत सरकार को कितना कर दिया होता?

अध्यक्ष महोदय: यह पूर्णत: अनावश्यक है। आपको प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है।

श्री खारबेल स्वाईं: इसमें गलत क्या है?

अध्यक्ष महोदय: मैंने आपको अनुमति दी है।

श्री खारबेल स्वाईं: किन्तु इसमें गलत क्या है?

अध्यक्ष महोदय: हमेशा विवाद में मत पड़िए।

श्री खारबेल स्वाईं: महोदय, विवाद का कोई सवाल ही नहीं है।

अध्यक्ष महोदय: माननीय मंत्री को उत्तर देने दीजिए।

श्री खारबेल स्वाईं: महोदय, मैं माननीय मंत्री से एक प्रश्न पूछ रहा हूं। किन्तु आप स्वयं कह रहे हैं कि उन्हें इसका उत्तर नहीं देना चाहिए। यह अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण है।

अध्यक्ष महोदय: हां, यह दुर्भाग्यपूर्ण है।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: आप बोलते रहिए किन्तु ये कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। केवल माननीय मंत्री का उत्तर सम्मिलित किया जाएगा।

श्री पी. चिदम्बरम: महोदय, यह संधि 1983 में हुई थी। अब चूंकि उदारीकरण 1991 में शुरू हुआ, मारीशस के रास्ते निवेश प्राप्त हो रहे हैं। अब हमारे पास एक आदर्श डी टी ए ए है और इस आदर्श के अनुसार नए डी टी ए ए किए जा रहे हैं। निश्चय ही मारीशस संधि आदर्श डी टी ए ए से भिन्न है। हम चाहते हैं कि मारीशस संधि को आदर्श डी टी ए ए प्रावधानों के अनुरूप बनाने के लिए संधि के कुछ पहलुओं पर मारीशस के साथ पुनर्विचार करना चाहेंगे। किन्तु यह पूरी तरह आर्थिक मुद्दा नहीं है। इसके राजनीतिक परिणाम हैं और राजनयिक परिणाम हैं। हमने मारीशस से विनम्रतापूर्वक कहा है कि हम उचित समय पर इनमें से कुछ प्रावधानों पर पुनर्विचार करना चाहेंगे। लेकिन इस संधि की समीक्षा करने के लिए कोई औपचारिक वार्ता नहीं की गयी है। हम विदेश मंत्रालय से परामर्श कर रहे हैं। हम मारीशस के साथ अपने अच्छे संबंधों और इन वार्ताओं को आरंभ करने की अड़चनों को ध्यान में रखते हुए इस विषय पर सावधानीपूर्वक आगे बढ़ सकते हैं।

श्री गुरूदास दासगुप्त: क्या माननीय वित्त मंत्री चारों और व्याप्त इन संदेहों और शिकायतों को ध्यान में रखकर बचाव संधि की समीक्षा के प्रश्न की जांच करने के लिए सहमत होंगे कि उस प्रायद्वीप में कुछ फर्जी कंपनियां स्थित हैं, जिनके पास केवल एक साइन बोर्ड होता है ताकि वे इस संधि का लाभ प्राप्त कर सकें? यह अब महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि यह हमेशा महसूस किया जाता रहा है कि भारत से काला धन मारीशस जाता है और फिर मारीशस के रास्ते वापस भारत आ जाता है ताकि इसे व्हाइट मनी बनाया जा सके। इसके मद्देनजर, मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या आप इस संधि की समीक्षा कराने के लिए भी सहमत होंगे। इसके साथ-साथ, क्या आप इस शिकायत की जांच करेंगे कि क्या वहां पर फर्जी कंपनियां हैं?

अध्यक्ष महोदय: आप पहले ही प्रश्न पूछ चुके हैं।

श्री पी. चिदम्बरम: माननीय सदस्य ने कहा है कि समय-समय पर विभिन्न संदेह व्यक्त किये जाते रहे हैं। लेकिन ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं मिला है कि भारतीय धन मारीशस के माध्यम से

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री किन्जरपु येरननायडु: दोहरा कराधान बचाव समझौते के मद्देनजर, भारत में मारीशस के रास्ते धन शोधन की गयी राशि आ रही है। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा कि यह सुनिश्चित कैसे होगा कि निगरानी करने वाले विनियम हों ताकि धनशोधन की राशि, मादक पदार्थों के व्यापार से अर्जित राशि या अवैध तरीके से अर्जित धन वास्तविक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की राशि में शामिल न हो जाए। ऐसे समझौते के अन्तर्गत मंत्री महोदय इसे कैसे रोकेंगे? माननीय मंत्री से मैं यह जानना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय: मुख्य प्रश्न से यह प्रश्न नहीं उठता है।

श्री पी. चिदम्बरम: यह प्रश्न मारीशस से आने वाले निवेश से संबंधित है जो डी टी ए टी के अन्तर्गत है। माननीय सदस्य ने आशंका व्यक्त की है कि क्या यह समझौता अमल में है। मैंने स्पष्ट रूप से कहा था कि यह समझौता अमल में है।

धन शोधन एक बिल्कुल अलग विषय है इसके लिए संसद ने धन शोधन निरोधक अधिनियम नामक अधिनियम अधिनियमित किया हुआ है।

इस अधिनियम के अन्तर्गत नियम बनाए गए हैं। एफ आई यू भारत को अधिसूचित किया गया है और हम धनशोधन निरोधक अधिनियम के अन्तर्गत धनशोधन का सामना करेंगे। विदेशी स्रोतों से प्राप्त होने वाले निवेशों को धनशोधन से प्राप्त पैसा घोषित नहीं किया जा सकता है। यह भारत में परियोजनायें, स्टाक मार्किट और उद्यमों से निवेश के रूप में आ रहा है। यह निश्चय ही धनशोधन से प्राप्त पैसा नहीं है।

अध्यक्ष महोदय: आपने यह पूछा और मंत्री महोदय ने इसका जवाब 'हां' दिया।

श्री किन्जरपु येरननायडु: समाचारपत्रों में खबरें छपी हैं। मैं निवेश के खिलाफ नहीं हूं किन्तु कुछ लोग भारत में कर देकर लाने की बजाए मारीशस के रास्ते पैसा ला रहे हैं और कर से बच रहे हैं जो अन्तत: देश के लिए घाटे की स्थिति है। मैं जानना चाहूंगा कि इस समझौते के शुरू होने से आज तक मारीशस के रास्ते कितनी राशि आयी है और बरास्ता मारीशस कितना प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आ रहा है?

अध्यक्ष महोदय: यह प्रश्न मुख्य प्रश्न से पैदा नहीं होता है। मुझे खेद है।

श्री पी. चिदम्बरम : मैं आपको आंकड़े बताऊंगा। वर्ष 1991 से मारीशस से हमें आठ बिलियन 713 मिलियन डालर प्राप्त हुए हैं। भारतीय रुपये में 418 (मिलियन) रुपए मारीशस के रास्ते आये हैं।

अध्यक्ष महोदय: श्री सुनील खां, मुख्य प्रश्न से जुड़ा हुआ प्रश्न ही पूछिए, कुछ और मत पूछिए। आपका इस संबंध में कोई प्रश्न है?

श्री सुनील खां: महोदय, राजग सरकार ने अपने शासनकाल में, माननीय सदस्य ने भी यह प्रश्न पूछा था, मारीशस के रास्ते आने वाले धन के कारण सरकारी कोष को 3000 करोड़ रु. का नुकसान हुआ था। इसमें लिप्त व्यक्ति तत्कालीन वित्त मंत्री का एक संबंधी था। मैं माननीय वित्त मंत्री से जानना चाहूंगा कि क्या यह सच है अथवा नहीं।

श्री पी. चिदम्बरम: महोदय, मैं किसी अंदाजा लगाने वाले प्रश्न या आरोप का उत्तर नहीं दे सकता हूं। मैं इतना ही कहूंगा कि इस संधि पर 1983 में हस्ताक्षर किए गए थे। तब से यह संधि लागू है। सरकार द्वारा परिचालित कतिपय परिपत्रों को उच्च न्यायालय और उसके बाद उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गयी थी। उच्चतम न्यायालय ने 13 अप्रैल, 2000 के परिपत्र की वैधता को उचित ठहराया। इस संधि में दोहरा कराधान से बचाव की व्यवस्था है और यदि निवेशक मारीशस के रास्ते संधि के प्रावधानों का लाभ उठाता है तो आज की स्थिति के अनुसार यह कानून के अनुकूल है।

अध्यक्ष महोदय: श्री सुबोध मोहिते, मैं नहीं जानता कि आप क्या अनुपूरक प्रश्न पूछेंगे! कृपया मूल प्रश्न को ध्यान में रखते हुए उससे संबंधित अनुपूरक पूछिए।

श्री सुबोध मोहिते: महोदय, यह संधि 1983 से लागू है।

[हिन्दी]

पिछले कुछ सालों में ऐसी कई ट्रीटीज का मिसयूज हुआ है।

[अनुवाद]

इस संधि का लाभ उठाते हुए कई कागजी और माध्यम मात्र कंपनियों ने या तो भारत या मारीशस में कर लाभ उठाया है। आयकर विभाग ने इस राशि की वसूली के लिए पहले ही नोटिस दिया है। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा कि दोहरा कराधान बचाव संधि के दुरूपयोग अथवा उल्लंघन के कितने मामले लम्बित हैं; इसमें कितनी राशि अंतर्ग्रस्त हैं, जांच की स्थिति क्या है और कितनी राशि वसूली गयी है।

श्री पी. चिदम्बरम: इस प्रश्न का कोई आधार नहीं है कतिपय निर्धारित अधिकारियों ने कुछ विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा किए गए कतिपय निवेशों के इस आधार पर संधि का लाभ नहीं दिया कि वे आवास आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते हैं। भारत सरकार

ने यह स्पष्ट करते हुए कि आवास आवश्यकताएं कैसे निर्धारित होंगी, 13 अप्रैल 2000 को परिपत्र जारी किया था। इस परिपत्र को चुनौती दी गयी थी और उच्चतम न्यायालय ने उस परिपत्र को उचित ठहराया था। अब, इस निर्णय को लागू करने और परिपत्र के अनुसार आवास आवश्यकता निर्धारित करने के लिए सभी निर्धारित अधिकारी बाध्य हैं। मैं नहीं सोचता हूं कि यह बताना संभव है कि कोई दुरूपयोग हुआ है। यदि किसी व्यक्ति के पास आवास अर्हता नहीं है जैसा कि परिपत्र में स्पष्ट किया गया है और उच्चतम न्यायालय द्वारा उचित ठहराया गया है, तो उसे इस संधि का लाभ नहीं मिलेगा।

अध्यक्ष महोदय: यही दुरुपयोग होता है तो कानून में इसके लिए प्रक्रियाएं हैं। श्री खारबेल स्वाईं, कृपया प्रश्न और उत्तर दोनों का ध्यान रखिए।

श्री खारबेल स्वाईं: महोदय, विगत में, डीटीए संधि के दुरूपयोग के संबंध में कई आरोप लगाए गए हैं। इस नियम के दुरूपयोग से बचने के लिए विगत में भारत सरकार ने मारीशस सरकार के साथ कई दौरे की बातचीत की है। इन बातचीत के क्या नतीजे रहे हैं?

क्या वर्तमान सरकार अब ऐसे कदम उठा रही है ताकि मारीशस में न्यूनतम प्रदत्त पूंजी वाली सहायक कंपनियां भारत में कर चुकाने से बच न सकें? यदि दोहरा कराधान बचाव संधि नहीं होती तो कंपनियों ने भारत सरकार को कितना कर दिया होता?

अध्यक्ष महोदय: यह पूर्णत: अनावश्यक है। आपको प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है।

श्री खारबेल स्वाईं: इसमें गलत क्या है?

अध्यक्ष महोदय: मैंने आपको अनुमति दी है।

श्री खारबेल स्वाईं: किन्तु इसमें गलत क्या है?

अध्यक्ष महोदय: हमेशा विवाद में मत पड़िए।

श्री खारबेल स्वाईं: महोदय, विवाद का कोई सवाल ही नहीं है।

अध्यक्ष महोदय: माननीय मंत्री को उत्तर देने दीजिए।

श्री खारबेल स्वाईं: महोदय, मैं माननीय मंत्री से एक प्रश्न पूछ रहा हूं। किन्तु आप स्वयं कह रहे हैं कि उन्हें इसका उत्तर नहीं देना चाहिए। यह अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण है।

अध्यक्ष महोदय: हां, यह दुर्भाग्यपूर्ण है।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: आप बोलते रहिए किन्तु ये कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। केवल माननीय मंत्री का उत्तर सम्मिलित किया जाएगा।

श्री पी. चिदम्बरम: महोदय, यह संधि 1983 में हुई थी। अब चूंकि उदारीकरण 1991 में शुरू हुआ, मारीशस के रास्ते निवेश प्राप्त हो रहे हैं। अब हमारे पास एक आदर्श डी टी ए ए है और इस आदर्श के अनुसार नए डी टी ए ए किए जा रहे हैं। निश्चय ही मारीशस संधि आदर्श डी टी ए ए से भिन्न है। हम चाहते हैं कि मारीशस संधि को आदर्श डी टी ए ए प्रावधानों के अनुरूप बनाने के लिए संधि के कुछ पहलुओं पर मारीशस के साथ पुनर्विचार करना चाहेंगे। किन्तु यह पूरी तरह आर्थिक मुद्दा नहीं है। इसके राजनीतिक परिणाम हैं और राजनयिक परिणाम हैं। हमने मारीशस से विनम्रतापूर्वक कहा है कि हम उचित समय पर इनमें से कुछ प्रावधानों पर पुनर्विचार करना चाहेंगे। लेकिन इस संधि की समीक्षा करने के लिए कोई औपचारिक वार्ता नहीं की गयी है। हम विदेश मंत्रालय से परामर्श कर रहे हैं। हम मारीशस के साथ अपने अच्छे संबंधों और इन वार्ताओं को आरंभ करने की अड़चनों को ध्यान में रखते हुए इस विषय पर सावधानीपूर्वक आगे बढ़ सकते हैं।

श्री गुरूदास दासगुप्त: क्या माननीय वित्त मंत्री चारों और व्याप्त इन संदेहों और शिकायतों को ध्यान में रखकर बचाव संधि की समीक्षा के प्रश्न की जांच करने के लिए सहमत होंगे कि उस प्रायद्वीप में कुछ फर्जी कंपनियां स्थित हैं, जिनके पास केवल एक साइन बोर्ड होता है ताकि वे इस संधि का लाभ प्राप्त कर सकें? यह अब महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि यह हमेशा महसूस किया जाता रहा है कि भारत से काला धन मारीशस जाता है और फिर मारीशस के रास्ते वापस भारत आ जाता है ताकि इसे व्हाइट मनी बनाया जा सके। इसके मद्देनजर, मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या आप इस संधि की समीक्षा कराने के लिए भी सहमत होंगे। इसके साथ-साथ, क्या आप इस शिकायत की जांच करेंगे कि क्या वहां पर फर्जी कंपनियां हैं?

अध्यक्ष महोदय: आप पहले ही प्रश्न पूछ चुके हैं।

श्री पी. चिदम्बरम: माननीय सदस्य ने कहा है कि समय-समय पर विभिन्न संदेह व्यक्त किये जाते रहे हैं। लेकिन ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं मिला है कि भारतीय धन मारीशस के माध्यम से

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

नकली कंपनियों को भेजा जा रहा है। अधिकांश निवेश वास्तविक निवेशकों और विश्वभर में फैली वास्तविक कंपनियों से होता है जो मारीशस संधि का लाभ उठाती हैं और मारीशस के रास्ते आती हैं। यह गैर-कानूनी नहीं है। यह पूरी तरह तरह से मान्य है। यदि ऐसा कोई विशेष मामला आया है कि भारतीय धन को पहले मारीशस ले जाया गया और फिर दुबारा मारीशस के रास्ते भारत वापस लाया गया तो निश्चित रूप से हम कार्यवाही करेंगे। लेकिन जैसा कि मैंने कहा ऐसा मामले का कोई ठोस सबूत नहीं है। इसके अतिरिक्त मारीशस ने अपने कानूनों में हाल ही में संशोधन किया है जिनके तहत वे ऐसी कंपनी को पंजीकरण की अनुमति नहीं देते जिसके प्रधान मालिक भारत आधारित अथवा भारतीय निवासी है। मारीशस इसकी अनुमति नहीं देता।

तीसरे, पिछले बजट में, हमने शेयरों के लेन-देन में दीर्घकालिक पूंजीगत लाभों को समाप्त कर दिया है। इसलिए, भारतीय निवेशकों के लिए दीर्घकालिक पूंजीगत लाभों को समाप्त करके मारीशस रूट का अधिकांश लाभ वास्तव में प्राप्त किया जा रहा है।

[हिन्दी]

डा. पी.पी. कोया: माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि

[अनुवाद]

यह देखने में आया है कि मारीशस रूट बहुत आसान बन गया है और इसलिए लोग इस मारीशस दोहरी कराधान बचाव संधि के बारे में बातचीत कर रहे हैं। मैं माननीय मंत्री जी से एक बहुत ही सटीक प्रश्न पूछना चाहूंगा: क्या सरकार की कोई योजना इस संधि का विस्तार अन्य देशों में करने की है ताकि इस मारीशस रूट के भार को कम किया जा सके?

श्री पी. चिदम्बरम: महोदय, साइप्रस, माल्टा, संयुक्त अरब अमीरात, इंडोनेशिया, जाम्बिया, थाईलैंड, तनजानिया और सीरिया जैसे कई अनेक देशों में कुछ संधियां वस्तुत: पहले से ही अस्तित्व में हैं।

हमारी इस संधि के ऐसे ही प्रावधानों को किसी अन्य देश में लागू करे की कोई योजना नहीं है। अब हमारे पास डी.टी.ए.ए. माडल है। संधियों पर वार्ता इसी डी.टी.ए.ए. माडल के आधार पर की जा रही है। लेकिन यह संभव है कि भविष्य में कुछ देशों के साथ संधियां, मारीशस संधि के कुछ तत्व अथवा अन्य देशों के साथ संधियां पलिक्षित हो सकती हैं। लेकिन यह उस देश के साथ हमारे वर्तमान मूल्यांकन और उस देश से होने वाले निवेश के अवसरों पर निर्भर होगा।

मुद्रास्फीति दर

*144. श्री प्रभुनाथ सिंह:
श्री मोहन सिंह:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2004-05 में मुद्रास्फीति की औसत संभावित दर कितनी और उसका आर्थिक वृद्धि दर पर क्या प्रभाव पड़ेगा;

(ख) रिजर्व बैंक के अनुमान के अनुसार इस अवधि के दौरान भारत की संभावित आर्थिक वृद्धि दर कितनी होगी तथा पिछले वर्षों की तुलना में उसमें कितने प्रतिशत की कमी आएगी;

(ग) इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या यह सच है कि भारतीय रिवर्ज बैंक ने बढ़ती मुद्रास्फीति को रोकने के लिए 11 सितम्बर, 2004 को बैंकों के नकद जमा अनुपात (सीआरआर) में वृद्धि की है;

(ङ) यदि हां, तो क्या इन उपायों से बढ़ती मुद्रास्फीति को नियंत्रित किया जा सका है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) बाजार में अनुमानित कितना फालतू धन है तथा यह कहां से और कैसे आया है और सरकार इस फालतू धन को समाप्त करने हेतु क्या कदम उठा रही है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): (क) से (च) एक विवरण सभा-पटल पर प्रस्तुत है।

विवरण

(क) भारतीय रिजर्व बैंक ने 26 अक्तूबर, 2004 को जारी वार्षिक नीति की अपनी मध्यावधि समीक्षा में यह मानते हुए कि इसके बाद कोई बड़ा आपूर्ति आघात नहीं होगा और नकदी परिस्थितियां नियंत्रण में रहेंगी, को थोक मूल्य सूचकांक में मुद्रास्फीति को बिन्दु-दर-बिन्दु आधार पर 2004-05 के अंत में लगभग 6.5 प्रतिशत पर (इससे पूर्व में अनुमानित 5.0 प्रतिशत की तुलना में) रखा है। तथापि, इसका आर्थिक वृद्धि पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ेगा।

(ख) और (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी मध्यावधि समीक्षा में वर्ष 2004-05 में वास्तविक स.घ.उ. की वृद्धि को मई, 2004 में प्रत्याशित 6.5 से 7.0 प्रतिशत की तुलना में 6.0 से 6.5 प्रतिशत के दायरे में रखा है। यह संशोधन देश के कुछ भागों में

अल्प बारिश होने के कारण और इससे खरीफ की पैदावार पर संभावित प्रतिकूल प्रभाव पड़ने तथा स.घ.उ. पर उच्च तेल कीमतों का प्रतिकूल प्रभाव पड़ने के कारण किया गया है।

(घ) जी, हां। गैर-मुद्रास्फीति सुधारों के भाग के रूप में और प्रणाली में पहले से विद्यमान नकदी पर निगरानी रखने के लिए भारतीय रिवर्ज बैंक ने 11 सितम्बर, 2004 को नकद जमा अनुपात (सीआरआर) को 4.50 प्रतिशत से दो चरणों अर्थात् 18 सितम्बर, 2004 को 4.75 प्रतिशत तक और फिर 23 अक्तूबर, 2004 से 5.00 प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया है।

(ङ) सरकार द्वारा विभिन्न राजकोषीय और मौद्रिक उपायों और 15 नवम्बर, 2004 से पेट्रोल के दामों में कमी करने के फलस्वरूप, थोक मूल्य सूचकांक में बिन्दु-दर-बिन्दु मुद्रास्फीति 28 अगस्त, 2004 को समाप्त सप्ताह में 8.7 प्रतिशत के उच्च स्तर से कम होकर 20 नवम्बर 2004 को समाप्त सप्ताह में 7.3 प्रतिशत हो गई है।

(च) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि अप्रैल, 2004 में नकदी का आधिक्य 81,000 करोड़ रु. से घटकर 8 दिसम्बर, 2004 को लगभग 68,000 करोड़ रह गया। यह नकदी का आधिक्य सुदृढ़ पूंजीगत अन्तर्प्रवाहों के कारण हुआ है। भारतीय रिजर्व बैंक प्रणाली में फालतू धन को कम करने के अनेक उपाय कर रहा है। इन उपायों में बाजार स्थिरीकरण योजना (एमएसएस) के जरिए 50,389 करोड़ रुपए (8 दिसम्बर, 2004 तक) का अवशोषण करना, नकदी समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अधीन रिवर्स रिपो आपरेशन और नकद जमा अनुपात में वृद्धि हुई जिसने लगभग 9,000 करोड़ रु. को अवशोषित किया।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि थोक मूल्य सूचकांक जुलाई, 2004 को समाप्त होने वाले सप्ताह के दौरान, उससे पिछले सप्ताह के 6.52 प्रतिशत से बढ़कर 7.51 प्रतिशत हो गया। यह पिछले साढ़े तीन वर्षों के दौरान सर्वाधिक है। रा.ज.ग. सरकार के दौरान मुद्रास्फीति को 4 प्रतिशत से 4.5 प्रतिशत तक नियंत्रित रखा गया था, परन्तु थोक मूल्य सूचकांक में बिन्दुवार परिवर्तन के द्वारा मापे जो पर पता चलता है कि अगस्त, 2004 के अन्तिम सप्ताह के दौरान मुद्रास्फीति की दर 4.5 प्रतिशत से बढ़कर 8.37 प्रतिशत के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। यद्यपि, यह अक्तूबर, 2004 में घटकर 7.1 प्रतिशत रह गई, परन्तु तब भी अप्रैल, 2004 में 4.32 प्रतिशत से काफी अधिक थी।

महोदय, तेल आयात बिल 9.21 बिलियन डालर से बढ़कर 14.54 बिलियन डालर हो गया। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: प्लीज प्रभुनाथ सिंह जी, प्रश्न पूछिए।

श्री प्रभुनाथ सिंह: अध्यक्ष महोदय, यह तो मैं प्रश्न की भूमिका बता रहा हूं। आगे प्रश्न पूछूंगा।

महोदय, बाद में तेल आयात बिल 25.34 बिलियन डालर से बढ़कर ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप माननीय मंत्री जी को केवल जानकारी दे रहे हैं। कृपया सटीक प्रश्न पूछिए।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह: सर, जो मैं बता रहा हूं, उनके जवाब के बारे में बता रहा हूं। मैं आगे जाकर प्रश्न पूछूंगा।

मैं समझता हूं कि मुद्रास्फीति आयातित है तथा विश्व बाजार में किसी भी अनुकूल कीमत का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ेगा।

महोदय, मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि वैश्विक तेल की कीमतें कम होने का एवं खाद तथा नकदी फसलों की बेहतर पैदावार की आशा को देखते हुए, वर्ष 2004-05 के शेष महीनों के दौरान पूर्व अनुमान की तुलना में प्रत्याशित मुद्रास्फीति क्या होगी और सकल घरेलू उत्पाद में कितनी अनुमानित वृद्धि की आशा है तथा इसे कैसे प्राप्त किया जाएगा, यह मैं विस्तार में जानना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय: प्रभुनाथ सिंह जी, आपने तीन सप्लीमेंट्री एक ही प्रश्न में पूछ लिए।

[अनुवाद]

श्री. पी. चिदम्बरम: महोदय, यह कहना ठीक नहीं है कि मुद्रास्फीति पहली बार इस संख्या पर पहुंची है। कल इस सभा में हमने विस्तृत चर्चा की थी और मैंने ये सभी आंकड़े प्रस्तुत किए थे। उदाहरण के लिए, वर्ष 2000-01 में, रा.ज.ग. सरकार के शासन के मध्य में, लगातार (22 सप्ताह तक, डब्ल्यू.पी.आई. बिन्दु दर बिन्दु मुद्रास्फीति सात प्रतिशत से अधिक थी। वस्तुत:, यह 8.8 प्रतिशत तक पहुंच गयी और इसी स्तर पर 15 जनवरी 2001 से 12 फरवरी 2001 के बीच समाप्त होने वाले सप्ताहों तक बनी रही। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि इससे यह पता लग जाएगा कि आज क्यों इतनी अधिक मुद्रास्फीति है। माननीय मंत्री जी ने ठीक

ही कहा कि यह एक आयातित मुद्रास्फीति है, मैं इसे पेट्रो-स्फीति कहूंगा। कच्चे तेल की सत्तर प्रतिशत आवश्यकता की पूर्ति आयात से की जाती है। गत कुछ सप्ताहों में कच्चे तेल के मूल्य बहुत अधिक रहे हैं। वस्तुत:, यदि माननीय सदस्य, जो कल मैंने कहा था, उसे स्मरण करें, तो वर्ष 2003-04 में कच्चे तेल का औसत मूल्य 27 डालर 96 सैन्ट प्रति बैरल था और वर्ष 2004-05 में यह औसत मूल्य 37 डालर 60 सैन्ट प्रति बैरल है। इसमें 40 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यहां इस बात के संकेत हैं कि कच्चे तेल के मूल्य कम हो रहे हैं। हम दिन-प्रतिदिन इसी दिलासा के साथ जी रहे हैं। प्रात:काल मैं कम मूल्य देखता हूं तो शाम बीतने पर मैं कच्चे तेल के मूल्य को बढ़ा हुआ पाता हूं।

उदाहरण के लिए, कल सुबह, मूल्य कम हुए लेकिन शाम को मूल्य बढ़ाने शुरू हो गया। यह वस्तुत: आयातित मुद्रास्फीति है जैसा कि माननीय मंत्री ने ठीक ही कहा है। मुद्रास्फीति पर भारतीय रिवर्ज बैंक का दृष्टिकोण यह है कि हम लगभग 6.5 प्रतिशत तक औसत मुद्रास्फीति को ला सकते हैं। लेकिन मैं आपको यह बता दूं कि कुछ अन्य कई वर्ष ऐसे भी रहे हैं जिनमें अन्य कारणों से मुद्रास्फीति अधिक रही। उदाहरण के लिए, वर्ष 2000-01 में, औसत मुद्रास्फीति 7.1 प्रतिशत थी। लेकिन हम मूल्यों को कम करने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि यदि कुछ नये और अवांछित बाह्य कारण न रहें तो समझो सबसे खराब समय बीत गया है और यदि तेल के मूल्य कम हुए तो डब्ल्यू.पी.आई. बिन्दु-दर-बिन्दु मुद्रास्फीति भी कम होगी।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूं कि जब तक तेल, इस्पात और गैस ईंधन आदि वस्तुओं की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में उतार-चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी, तब तक इसका देश की मुद्रास्फीति पर प्रभाव पड़ेगा। अत: मुद्रास्फीति को रोकने हेतु क्या सरकार का विचार अनुमानित वृद्धि दर को प्राप्त करने के लिए, कोई नीतिगत परिवर्तन करने का है, यदि है तो कब तक है और नहीं तो क्यों, यह स्पष्ट बताने का कष्ट करें?

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम: महोदय, माननीय मंत्री जी ठीक कह रहे हैं। अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कुछ वस्तुओं के मूल्य चीन और भारत में उनकी मांग में अत्यधिक वृद्धि के कारण बढ़े हैं। भारत में धातु और इस्पात की मांग बढ़ी है क्योंकि गत तीन से चार महीनों में औद्योगिक गतिविधि में बहुत तेजी आई है। अखाद्य ऋण बहुत तेजी से बढ़ा है। निवेश भी बहुत अधिक बढ़ा है। मांग में वृद्धि हुई है। निर्यात 25 प्रतिशत तक बढ़ा है। इससे भी इन वस्तुओं की मांग में वृद्धि हुई है। मैं समझता हूं कि देश के लिए यह अच्छा है। इसका एकमात्र दुष्प्रभाव यह होगा कि थोड़े से समय में इससे मुद्रास्फीति संबंधी दबाव पड़ेगा। हम राजकोषीय और आर्थिक उपायों से मुद्रास्फीति के दबाव को कम करने का प्रयास कर रहे हैं। मैंने अपने उत्तर में किये गये सभी उपायों को उन सभी राजकोषीय और आर्थिक उपायों को सूचीबद्ध किया है। आम मुद्रास्फीति को कम करने के लिए उचित राजकोषीय और आर्थिक उपायों को जारी रखेंगे। मैं सभा को यह भरोसा दिलाता हूं कि यह मेरी बड़ी चिंता है। इस सरकार की यह सबसे बड़ी चिंता है। यदि तेल के दाम कम होंगे तो मैं समझता हूं कि डब्ल्यू.पी.आई. मुद्रास्फीति भी शीघ्र ही कम हो जायेगी।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह: अध्यक्ष महोदय, मुद्रास्फीति की दर जल्दी-जल्दी घटना एवं बढ़ना हमारे देश की अर्थव्यवस्था की अस्थिरता को प्रमाणित करता है। माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि नकदी का जो आधिक्य है, उसकी वजह से इनफ्लेशन रेट बड़ी तेजी से बढ़ा है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह फारेन लिक्वीडिटी एक्सेस है, इसे स्टेब्लाइज रखने के लिए भारत सरकार क्या कार्यवाही कर रही है, जिससे मुद्रास्फति की दर लगातार और जल्दी-जल्दी घटने-बढ़ने की रफ्तार को रोका जा सके?

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम: माननीय सदस्य एकदम सही कह रहे हैं। पिछले वित्तीय वर्ष में मुद्रास्फीति के उठान के संबंध में, मैं कहना चाहता हूं कि इसका एक कारण कम नकदीकरण की व्यवस्था थी। हमने पिछले वर्ष एम-3 के लिए 14 प्रतिशत का लक्ष्य निर्धारित किया था। लेकिन जब वर्ष समाप्त हुआ तो एम-3 की वृद्धि दर 16.6 प्रतिशत थी। वास्तव में जब इस सरकार ने सत्ता संभाली थी तो उस समय एम-3 की वृद्धि दर 16.6 प्रतिशत थी। हम एम-3 वृद्धि दर को 14 प्रतिशत रखने का प्रयत्न कर रहे हैं। फिलहाल यह वृद्धि दर 14 प्रतिशत रखने का प्रयत्न कर रहे हैं। फिलहाल यह वृद्धि दर 14 प्रतिशत से नीचे यानि 13.7 प्रतिशत है। मुझे पूरा विश्वास है कि यदि सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक कार्य करेंगे तो हम धनापूर्ति को 14 प्रतिशत बनाए रखेंगे। जैसाकि माननीय सदस्य ने ठीक ही कहा है कि यदि हम ऐसा कर पाते हैं तो इससे मुद्रास्फीति दर को कम किया जा सकता है।

श्री के.एस. राव: महोदय, माननीय मंत्री जो कह रहे हैं कि विश्व बाजार में पेट्रोल; धातुओं जैसी वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि के कारण मुद्रास्फीति हुई है, मैं इसे समझ सकता हूं। लेकिन खाद्य,

तिलहन, दालों, मक्का खाद्यान्नों इत्यादि जैसी वस्तुओं के संबंध में मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या तिलहन, खाद्यान्नों, मक्का, दालों इत्यादि जैसी वस्तुओं के आयात पर पाबंदी लगाएंगे। यदि हमारे किसानों को समय रहते यह बता दिया जाए कि फलां-फलां वस्तुओं की कमी हो सकती है, तो हमारे किसान इन वस्तुओं को प्रचुर मात्रा में उगा सकते हैं। इससे व्यापारी वर्ग को लाभ नहीं होता और किसान समुदाय को ठेस पहुंचती है। क्या वे मुद्रास्फीति के मद्देनजर पाबंदी जारी रखेंगे? उन्हें इसके बारे में चिंतित नहीं होना चाहिए।

श्री पी. चिदम्बरम: मैं आपका प्रश्न नहीं समझा। आयात से मुद्रास्फीति कम होगी। वास्तव में यदि आयात मूल्य कम होगा तो इससे मूल्य कम होंगे। हम अपने देश में तिलहन की कमी को पूरा करने के लिए तिलहन का आयात करते हैं। सीमा तक खाद्य तेल भी एक महत्वपूर्ण आवश्यक वस्तु है। यदि हमारे यहां खाद्य तेल की कमी होती है तो हमें तिलहन और खाद्य तेल दोनों का ही आयात करना पड़ेगा। ...*(व्यवधान)* मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे किसान शीघ्र ही खाद्य तेल के लिए आवाश्यक सभी खाद्य तेल और तिलहनों का उत्पादन करेंगे। लेकिन यह केवल एक रात में ही नहीं हो सकता। आज मांग और आपूर्ति में अंतर है। इसलिए आयात से मूल्यों में बढ़ोत्तरी पर रोक लगेगी। यदि मांग और आपूर्ति के बीच अंतर है तो हमें आयात करना चाहिए न कि आयात पर रोक लगानी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री हरिन पाठक: अध्यक्ष जी, मैं माननीय वित्त मंत्री जी से विशेष रूप से जानना चाहूंगा कि मुद्रास्फीति की दर, को जो घोषणा होती है, वह शुक्रवार के आसपास होती है। उस पद्धति पर देश में मूल्य वृद्धि के सन्दर्भ में, उसे ध्यान में रखते हुए मुद्रास्फीति की दर की घोषणा होती है, वह भी जो एवरेज भावों में वृद्धि होती है, उसे ध्यान में रखकर की जाती है। मैं उनसे यह जानना चाहता हूं कि उसके बाद जब सारे देश में आंकड़े आते हैं तो अक्चुअल रेट आफ इन्फ्लेशन क्या सरकार या आर.बी.आई. आम जनता के लिए या बाजार में रखती है, अगर है तो अक्चुअल रेल आफ इन्फ्लेशन की घोषणा कब होती है और कैसे होती है?

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम: मैं चाहता हूं कि माननीय सदस्य पूरी घोषणा पढ़ें। प्रत्येक तीसरे शुक्रवार को हम थोक मूल्य सूचकांक में हुई मुद्रास्फीति की घोषणा करते हैं। यह घोषणा का प्रथम पैराग्राफ है। शायद आपने भाषण का दूसरा पैराग्राफ नहीं पढ़ा है। दूसरे पैराग्राफ में जब सारी सूचना आ जाएगी तब तो सही आंकड़ों की घोषणा की जाएगी। वास्तव में इस सप्ताह सहित पिछले दो सप्ताहों में उदाहरण के लिए आप आज का समाचार-पत्र पढ़िए आपको पता चल जाएगा कि अंतिम रूप से तैयार किए आंकड़े अनंतिम रूप से तैयार किए आंकड़ों और सही किए गए आंकड़े से थोड़े से ही भिन्न है।

अध्यक्ष महोदय: इसलिए, कृपया भविष्य में दूसरा पैराग्राफ भी पढ़िएगा।

प्रश्न संख्या 145 श्री चन्द्रभूषण सिंह—उपस्थिति नहीं।

प्रश्न संख्या 146 श्री राम कृपाल यादव—उपस्थिति नहीं है।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव।

गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को ऋण

*146. **श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव:**
श्री राम कृपाल यादव:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार स्व-रोजगार योजनाओं के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों द्वारा लिए गए ऋण पर ब्याज दर, जो इस समय 12 प्रतिशत है, को कम करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अलग-अलग बैंक ऋणों पर अलग-अलग ब्याज दर वसूल करते हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों के लिए न्यूनतम स्लैब पर ब्याज की समान दर निर्धारित करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): (क) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ङ) जबकि सरकार स्वरोजगार योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को दिए जाने वाले ऋणों पर ब्याज दर का निर्धारिण नहीं करती है, ऐसे ऋणों को सुकर बनाने के लिए यह स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई), प्रधान मंत्री स्वरोजगार योजना (पीएमआरवाई)

तथा स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई) के अंतर्गत उन्हें पूंजी सब्सिडी प्रदान करती है। भारतीय रिजर्व बैंक के विद्यमान दिशानिर्देशों के अनुसार 2 लाख रुपए तक के ऋणों पर ब्याज दरें बैंक के विद्यमान दिशानिर्देशों के अनुसार 2 लाख रुपए तक के ऋणों पर ब्याज दरें बैंक के आधार प्राथमिक उधार दर (बीपीएलआर) से अधिक नहीं होनी चाहिएं तथा 2 लाख रुपए से अधिक के ऋणों के लिए ब्याज दर निर्धारित करने के लिए बैंक स्वतंत्र हैं। बैंकों द्वारा बीपीएलआर का निर्धारण निधियों की वास्तविक लागत, परिचालन व्यय, विनियामक अपेक्षाओं और लाभमार्जिन को पूरा करने के लिए न्यूनतम मार्जिन को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। वर्तमान में सरकारी क्षेत्र के बैंकों का बीपीएलआर 10 से 11.5 प्रतिशत वार्षिक के दायरे में है। इसके परिणामस्वरूप, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को दिए जाने वाले ऋणों पर ब्याज दरें अलग-अलग होती ही हैं। बैंक स्वरोजगार योजना के अंतर्गत संबंधित बैंक के बीपीएलआर से नीचे गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को उधार देते हैं। एसजीएसवाई, पीएमआरवाई तथा एसजेएसआरवाई को छोड़कर विभेदी ब्याज दर योजना तथा राष्ट्रीय स्कैवेंजर उन्मुक्ति एवं पुनर्वास योजना (एनएसएलआरएस) के अंतर्गत ब्याज की दर 4 प्रतिशत वार्षिक है।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: अध्यक्ष महोदय, जो जवाब आया है, इस प्रश्न के तीन भाग थे, उनमें से सिर्फ एक भाग का जवाब आया है। यह जवाब दिया गया है कि स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना में सरकार द्वारा बी.पी.एल. में गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों को दिये जाने वाले ऋण पर जो ब्याज दर है, उसे सरकार तय नहीं करती तो ठीक है, आर.बी.आई. की गाइडलाइन पर तय होता है। स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार प्रधानमंत्री रोजगार योजना और स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना के तहत जो पूंजी या सब्सिडी दी जाती है, उसमें कहा गया है कि दो लाख रुपये तक 10 प्रतिशत से लेकर 11.5 प्रतिशत पर ऋण दिया जाता है। मैं माननीय मंत्री जी से सीधे जानना चाहता हूं कि चूंकि एक लाख रुपये जो ग्रामीण बेरोजगार नौजवानों को प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत दो किश्तों में ऋण दिया जाता है, उस ऋण का यदि रेट आफ इंटरेस्ट 11 से 11.5 प्रतिशत और दो लाख से ऊपर होगा तब विभिन्न बैंकों का अलग-अलग रेट है तो मैं यह जानना चाहता हूं कि जो बड़े शहरों में हैं, वे यदि, गृह निर्माण के लिए या कार खरीदते हैं तो 6 से 8 प्रतिशत दर पर उनको लोन दिया जाता है। क्या इन बेरोजगार नौजवानों को भी एक स्लैब बनाकर समान दर निर्धारित करके उसी रेट पर ऋण मुहैया करने का कोई निर्णय सरकार लेगी या आर.बी.आई. को कोई गाइडलाइन इस प्रकार की देगी?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय मंत्री को उनकी बहादुरी के लिए जाना जाता है। कृपया दिए गए समय में संक्षिप्त उत्तर दें।

श्री पी. चिदम्बरम: महोदय, 2 लाख से कम ऋणों पर कोई सीधी ब्याज दर नहीं है। जैसा मैंने अपने उत्तर में कहा है। बैंकों द्वारा वसूली दर और जोखिम आकलन को ध्यान में रखते हुए ब्याज दर निर्धारित की जाती है। हम पूंजी राजसहायता देते हैं। उदाहरण के लिए वर्ष 2002-03 में प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत पूंजी राजसहायता के रूप में 152 करोड़ रुपए दिए गए हैं।

मध्याह्न 12.00 बजे

वर्ष 2003-2004 में यह 147 करोड़ रुपये था। वर्ष 2004-2005 में नवम्बर तक यह 104 करोड़ रुपये था। यह पूंजी राजसहायता है जो सरकार देती है और जो उधारकर्त्ता के लिए ब्याज की दर के भार को कम करती है।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्नकाल समाप्त हुआ। मैं माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने आज आपके सहयोग से पांच प्रश्न किये है। मुझे आशा है कि हम अगले सोमवार को छः प्रश्न कर पायेंगे।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

विदेशी बैंकों द्वारा निजी बैंकों को अपने स्वामित्व में लेना

***145. श्री चन्द्रभूषण सिंह: क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विदेशी बैंकों को भारतीय निजी बैंकों को अपने स्वामित्व में लेने की अनुमति दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को अपने प्रस्तावित कदम के विरोध में कोई अभ्यावेदन मिला है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या निर्णय लिया है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): (क) से (घ) 28 फरवरी, 2003 को की गई बजट घोषणा के अनुसरण में सरकार ने 5 मार्च, 2004 को एक अधिसूचना जारी की है जिसमें विदेशी

संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) के निवेश सहित गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश सीमा 49 प्रतिशत से बढ़ाकर 74 प्रतिशत कर दिया गया है। प्रेस अधिसूचना (डब्ल्युडब्ल्युडब्ल्यु. एसआईएडीआईपीपी.एनआईसी.इन/पोलिसी/चेन्जस.एचटीएम) (प्रेस नोट-2004, सीरीज-2) पर उपलब्ध है। पूर्वोक्त प्रेस नोट में यह भी स्पष्ट किया गया है कि फिलहाल बैंकिंग कंपनियों के मामले में मताधिकार (वोटिंग राइट्स) पर 10 प्रतिशत की सीमा है और अधिकतम सीमा में कोई परिवर्तन अंतिम नीतिगत निर्णयों तथा उपयुक्त संसदीय अनुमोदनों के पश्चात् ही किया जा सकता है। एफडीआई के प्रवाह को विनियमित करने और इस उद्देश्य के लिए खाका तैयार करने के उद्देश्य से भारतीय रिजर्व बैंक ने 2 जुलाई, 2004 को पब्लिक डोमेन में प्रारूप मार्गनिर्देश/चर्चा पत्र रखा है।

प्रत्यक्ष विदेशी-निवेश

*147. **श्री बृज किशोर त्रिपाठी:**
श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्यक्ष विदेशी-निवेश कितना था तथा चीन की तुलना में देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कितना प्राप्त हुआ;

(ख) क्या निवेश प्रस्तावों के अनुमोदन में विलम्ब के कारण विदेशी-निवेशक हतोत्साहित होते हैं;

(ग) यदि हां, तो सरकार ने विदेशी-निवेशकों को प्रोत्साहित करने के लिए विदेशी-निवेश मानदंडों को आसान बनाने हेतु क्या उपाय किए हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार प्रत्यक्ष विदेशी-निवेश को विशेष आर्थिक क्षेत्रों, भाण्डागारों, आधारभूत संरचना, पेंशन, खुदरा क्षेत्र आदि में अनुमति देने का है;

(ङ) यदि हां, तो सम्बन्धित क्षेत्रों में वर्तमान स्थिति/अनुमानित प्रत्यक्ष विदेशी-निवेश तथा संबंधित क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी-निवेश को खोलने को सही ठहराने का ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार को विभिन्न क्षेत्रों में, विशेष रूप से बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के विरोध का सामना करना पड़ा है;

(छ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है, और सरकार किन क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को सीमित करना चाहती है;

(ज) क्या सरकार ने उदारीकरण की नीति को ध्यान में रखते हुए संबंधित राज्यों में विदेशी-निवेश करने का लक्ष्य निर्धारित किया है; और

(झ) यदि हां, तो उपलब्धियों सहित गत तीन वर्षों का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) 2001-2002 में 6.13 बिलियन अमेरीकी डालर, 2002-2003 में 4.66 बिलियन अमेरिकी डालर और 2003-2004 में 4.67 बिलियन अमेरिकी डालर था।

संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन की विश्व निवेश रिपोर्ट, 2004 के अनुसार, चीन में एफडीआई 2001 में 46.88 बिलियन अमेरिकी डालर, 2002 में 52.74 बिलियन अमेरिकी डालर और 2003 में 53.50 बिलियन अमेरिकी डालर था।

(ख) और (ग) सरकार ने एक उदार तथा पारदर्शी नीति लागू की है जिसके तहत स्वत: मार्ग के माध्यम से अधिकांश क्षेत्रों/कार्यकलापों में 100 प्रतिशत तक एफडीआई की अनुमति है। स्वत: मार्ग के अधीन एफडीआई के लिए सरकार से पूर्व अनुमोदन लेने की आवश्यकता नहीं होती है। जिन मामलों में सरकार से पूर्व अनुमोदन लेना आवश्यक है उन पर विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड द्वारा एक समय-बद्ध तरीके से विचार किया जाता है।

(घ) और (ङ) वर्तमान नीति के तहत विशेष आर्थिक क्षेत्रों, मुक्त व्यापार और भंडारण क्षेत्रों में नगरों के विकास, सड़कों एवं राजमार्गों तथा पत्तनों व बंदरगाहों के निर्माण और अनुरक्षण, विद्युत जनित्रण, पारेषण और वितरण (परमाणु रिएक्टर संयंत्रों को छोड़कर) में 100 प्रतिशत तक एफडीआई की अनुमति है। पत्तन-बाह्य/बंधन-मुक्त (एक्स-पोर्ट/एक्स-बांडिड) भांडागार बिक्रियों सहित थोक आयात कार्य करने वाली ट्रेडिंग कंपनियों में 100 प्रतिशत तक एफडीआई की अनुमति है। पेंशन क्षेत्र में एफडीआई के संबंध में कोई नीतिगत निर्णय नहीं लिया गया है। खुदरा व्यापार में एफडीआई की अनुमति नहीं है।

एफडीआई आतिथेय अर्थव्यवस्था में वृहद्-आर्थिक वातावरण, वैश्वीय आर्थिक वातावरण, विदेशी निगमों की निगम रणनीति और एफडीआई हेतु अन्य प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्थाओं में आर्थिक वातावरण जैसे आंतरिक और बाहरी दोनों प्रकार के अनेक कारकों पर निर्भर करता है।

एफडीआई के लिए विभिन्न क्षेत्रों को खोलने के निर्णय में अन्य बातों के साथ-साथ आर्थिक विकास को बढ़ावा देने, निवेश

को प्रोत्साहित करने, प्रौद्योगिकी उन्नयन और अधिक प्रतिस्पर्धात्मकता के उद्देश्यों को ध्यान में रखा जाता है।

(च) और (छ) एफडीआई नीति की समीक्षा करना एक सतत प्रक्रिया है जिसके दौरान सरकार विभिन्न वर्गों द्वारा व्यक्त विचारों को ध्यान में रखती है।

(ज) और (झ) उदारीकृत अर्थव्यवस्था में निर्णय निवेशकों द्वारा उनके वाणिज्यिक अनुमानों के आधार पर लिए जाते हैं। एफडीआई के लिए राज्यवार लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जाते हैं।

आवास ऋण

***148. श्री गणेश प्रसाद सिंह:**
श्री सुकदेव पासवान:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की आवास ऋण पर ब्याज दर बढ़ाने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो केवल आवास ऋण पर ब्याज दर बढ़ाने के क्या कारण हैं जबकि दूसरे ऋणों पर ब्याज दर को कम किया जा रहा है;

(ग) क्या इस नीति से लोगों, विशेषकर मध्यम वर्ग के लोगों पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस प्रस्ताव की समीक्षा करने और आवास को बढ़ावा देने के एक उपाय के रूप में ब्याज दर को कम करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): (क) से (ङ) आवास ऋण सहित बैंको द्वारा दिए जाने वाले अग्रिमों पर ब्याज की दरों को सरकार विनियमित नहीं करती है। 2 लाख रुपए तक के छोटे ऋणों तथा निर्यात ऋण के एक भाग को छोड़कर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ब्याज दर को अविनियमित कर दिया गया है। क्रियाकलापों/ उधारकर्त्ताओं के अपने जोखिम समझ, निधियों की लागत, निधियों की उपलब्धता और अन्य वाणिज्यिक सोच-विचार के आधार पर बैंक अग्रिमों के अलग-अलग प्रकार के लिए अपनी उधार दरें तय करते हैं। इन्हें और समग्र समष्टि आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए कुछ बैंकों ने नवम्बर 2004 से आवास ऋणों पर अपनी ब्याज दरों को 25-75 आधार बिन्दुओं तक बढ़ा दिया है। साथ ही बैंकों ने विभिन्न प्रकार की सावधि जमाराशियों के लिए भी अपनी जमाराशि दरों को 25-50 आधार बिन्दुओं तक बढ़ा दिया है। आवास ऋणों पर ब्याज दर में साधारण वृद्धि से समान मासिक किस्तों (ईएमआई) में आंशिक वृद्धि होगी जिसका ग्राहकों पर बहुत कम असर पड़ेगा।

घटिया चाय का आयात

***149. श्रीमती मनोरमा माधवराज: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि भारत के अनेक चाय निर्यातक इंडोनेशिया और अन्य देशों से घटिया चाय का आयात करके "आर्थोडोक्स" चाय की किस्म के रूप में उसका पुन: निर्यात कर रहे हैं;

(ख) क्या लीबिया ने हाल ही में भारत से आई चाय की भारी खेप को घटिया चाय के रूप में अस्वीकार कर दिया है और यदि हां, तो क्या इस खेप के लिए उद्गम प्रमाण-पत्र (सर्टिफिकेट आफ ओरीजन) चाय बोर्ड के बजाय जोधपुर चैंबर आफ कामर्स द्वारा जारी किया गया था;

(ग) क्या सरकार भारत से चाय निर्यात के लिए चाय बोर्ड को एकमात्र निरीक्षण एजेंसी नियुक्त करने पर विचार करेगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) लीबिया को पुनर्निर्यात के लिए वियतनाम से कथित रूप से घटिया गुणवत्ता की चाय आयात करने का एक मामला हाल में ध्यान में आया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) चाय निर्यातों की गुणवत्ता पर उचित निगरानी सुनिश्चित कराने के लिए चाय बोर्ड ने चाय अधिनियम, 1953 के अंतर्गत कतिपय प्रावधानों और विनियमों का प्रस्ताव किया है। यह मामला विचाराधीन है।

बागवानी उत्पादों का निर्यात

***150. डा. रामकृष्ण कुसमरिया: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व बाजार में बागवानी उत्पादों के निर्यात में भारत का हिस्सा नगण्य है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2002, 2003 और 2004 में अभी तक निर्यात किए गए बागवानी उत्पादों का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है और यह निर्यात विश्व बाजार का कितना प्रतिशत है;

(ग) क्या सरकार का विचार बागवानी उत्पादों के निर्यात पर विशेष ध्यान देने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) और (ख) अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वर्ष पुस्तिका यूएन से उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार भारत का बागवानी उत्पादों के निर्यात में कैलेण्डर वर्ष 2000 और 2001 के लिए लगभग 1% है। वर्ष 2002, 2003 और 2004 के लिए इस प्रकार के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। तथापि, पिछले तीन वर्षों के दौरान बागवानी निर्यातों की कुल मात्रा और मूल्य इस प्रकार हैं:

मात्रा: मी. टन
मूल्य: करोड़ रुपए

2001-02		2002-03		2003-04		2004-05 (अप्रैल-जुलाई)	
मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1174892	2088.18	1357579	2293.68	1721105	2583.07	उपलब्ध नहीं	890.73

(स्रोत: डीजीसीआई एंड एस, कोलकाता)

(ग) और (घ) बागवानी उत्पादों के निर्यात में वृद्धि करने के लिए किए गए उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं:

(1) निर्यात के बोर्ड पर्यन्त नि:शुल्क (एफ ओ बी) मूल्य के 10% तक कृषि उत्पादों सहित चुनिंदा उत्पादों के निर्यातकों को परिवहन सहायता प्रदान करना जिसकी अधिकतम सीमा वायु भाड़े के 25% अथवा स्कीम के अंतर्गत निर्धारित विशिष्ट दर, जो भी कम हो, हैं;

(2) दिल्ली, चेन्नई, मुम्बई, बंगलौर, हैदराबाद और तिरूवनंतपुरम के हवाई अड्डों पर खराब होने वाली वस्तुओं के कार्गों को हैंडल करने के लिए सहायता और शीत भंडारण सुविधाऐं प्रदान की जा रही हैं;

(3) विभिन्न बागवानी उत्पादों के लिए देश के विभिन्न राज्यों में कृषि निर्यात जोन स्थापित किए जा रहे हैं;

(4) बाजार विकास, बुनियादी संरचना विकास, गुणवत्ता विकास और अनुसंधान तथा विकास की योजना स्कीमों के जरिए अधिकृत निर्यातकों को वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।

काली मिर्च का आयात

*151. **श्री चेंगरा सुरेन्द्रन:**
श्री पी.के. वासुदेवन नायर:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल सरकार ने घटिया किस्म की काली मिर्च और इलायची के आयात को रोकने के लिए आयात-निर्यात नीति में संशोधन करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में देश-वार, मात्रा-वार और मूल्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इलायची और काली मिर्च को भारतीय उत्पाद के साथ मिलाकर निर्यात किया जाता है;

(घ) क्या यह सच है कि घटिया किस्म के नारियल और नारियल उत्पादों का श्रीलंका द्वारा भारत में पाटन किया जा रहा है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(च) भारत सरकार अपने किसानों की सुरक्षा के लिए इस प्रकार के आयात निर्यात को रोकने पर विचार कर रही है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) जी, हां।

(ख) पिछले कुछ वर्षों के लिए मात्रा और मूल्य के रूप में काली मिर्च और इलायची के भारतीय आयात का देशवार ब्यौरा नीचे दिया गया है:

काली मिर्च

मात्रा टनों में
मूल्य करोड़ रुपये में

देश	2002-03		2003-04	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
वियतनाम	7013.9	48.89	5535.0	36.41
श्रीलंका	6099.0	57.05	4915.8	35.26
इंडोनेशिया	1529.7	12.19	3384.3	24.07
मलेशिया	55.6	0.36	123.2	0.69
थाईलैंड	124.6	0.60	99.1	0.50
सिंगापुर	45.0	0.44	90.3	0.87
ब्राजील	-	-	75.0	0.53
इक्वेडोर	-	-	56.0	0.37
अन्य	524.1	3.85	55.6	0.54
कुल	15391.8	123.38	14334.1	99.23

स्रोत: मसाला बोर्ड

इलायची (छोटी)

मात्रा टनों में
मूल्य करोड़ रुपये में

देश	2002-03		2003-04	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
ग्वाटेमाला	166.3	4.48	37.2	0.72
सिंगापुर	77.4	2.20	21.0	0.59
अन्य	79.2	1.90	1.2	0.06
कुल	322.9	8.58	59.4	1.37

स्रोत: मसाला बोर्ड

(ग) आयातित काली मिर्च के भारतीय काली मिर्च के रूप में निर्यात के दो मामलों की सूचना दी गयी है। संबंधित निर्यातकों के पंजीकरण प्रमाण-पत्र एक विनिर्दिष्ट अवधि के लिए रद्द कर दिए गए थे।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) आयातों को रोकने के लिए भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

(1) वर्ष 2002-03 से काली मिर्च और इलायची पर आयात शुल्क 35 प्रतिशत से बढ़ाकर 70 प्रतिशत कर दिया गया था।

(2) संवेदनशील वस्तुओं के आयात पर विदेश व्यापार महानिदेशालय के कार्यालय द्वारा निगरानी रखी जाती है।

(3) श्रीलंका से काली मिर्च के आयातों में हुई वृद्धि के मामले को अगस्त, 2004 में वाणिज्य सचिव स्तर की पिछली वार्ता में श्रीलंकाई प्राधिकारियों के साथ उठाया गया था।

(4) भारत-श्रीलंका व्यापार करार के अंतर्गत अधिमानों का लाभ प्राप्त करने के लिए उद्गम प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु भारत और श्रीलंकाई पक्ष की सरकारी एजेंसियों को प्राधिकृत किया गया है ताकि इस करार का दुरूपयोग रोका जा सके।

(5) नारियल विकास बोर्ड ने घरेलू बाजार में उपलब्ध विभिन्न नारियल उत्पादों की गुणवत्ता की जांच करने हेतु गुणवत्ता जांच प्रयोगशाला स्थापित करने की कार्रवाई शुरू की है जिससे घटिया गुणवत्ता/मिलावटी उत्पादों की बिक्री रुक जाएगी।

बैंकों में चोरी

***152. डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय:**
श्री एस.के. खारवेनथन:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत दो वर्षों के दौरान देश में, विशेषत: दिल्ली में राष्ट्रीयकृत बैंकों में लाकरों से चोरी और डाके की घटनाओं में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या यह भी सच है कि कुछ घटनाओं में बैंककर्मी भी लिप्त पाए गए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि गत दो वर्षों के दौरान लाकरों से चोरी की दो घटनाओं की सूचना प्राप्त हुई है, पहली घटना दिनांक 30.12.2003 को इलाहाबाद बैंक, वाणिज्यिक कृषि वित्त शाखा, लुधियाना में घटी और दूसरी घटना दिनांक 23 जुलाई, 2004 को पंजाब नैशनल बैंक, नारौजी नगर, नई दिल्ली में घटी। वर्ष 2002 में सरकारी क्षेत्र के बैंकों में लूटपाट का ब्यौरा निम्नानुसार है:

वर्ष	घटनाओं की संख्या	राशि (लाख रुपए में)
2002	106	619.11
2003	107	652.79
30 सितम्बर, 2004 तक	85	688.28

(ग) सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा कार्यान्वित किए गए सुरक्षा उपायों की भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर बुलाई जाने वाली राज्य स्तरीय सुरक्षा समिति की बैठकों में समीक्षा की जाती है। इन बैठकों में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों समेत बैंकरों तथा राज्य सरकार के पदाधिकारियों द्वारा भाग लेना अपेक्षित है। यह समिति राज्य में सुरक्षा के वातावरण की स्थिति की समीक्षा करती है, बैंक सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने के लिए आवश्यक उपाय सुझाती है तथा जब कभी भी और अधिक सुधार की आवश्यकता होती है, बैंकों को आवश्यक निर्देश दिए जाते हैं। बैंकों ने अपनी शाखाओं को जोखिम कारकों के आधार पर वर्गीकृत किया है और उसी के अनुसार सशत्र गार्डों की तैनाती की है, जहां कहीं भी आवश्यक हो सेंधरोधी उपकरण आदि स्थापित किए हैं। राज्य पुलिस द्वारा दिए गए सशत्र गार्डों द्वारा बैंक की शाखाओं पर पहरे के बारे में जब कभी भी कमी की सूचना प्राप्त होती है, राज्य स्तरीय सुरक्षा समिति पर्याप्त रूप से सशत्र गार्डों को दिए जाने तथा पुलिस की निगरानी बढ़ाने के बारे में पुलिस प्राधिकारियों से अनुरोध करती है।

दिल्ली में पंजाब नैशनल बैंक तथा लुधियाना में इलाहाबाद बैंक में घटी घटनाओं के बाद बैंकों ने अपने क्षेत्र कार्यकर्त्ताओं से सावधानी बरतने तथा सुरक्षा मानदण्डों के अनुपालन की सलाह दी है। उन्होंने असुरक्षित शाखाओं पर बाह्य सुरक्षा गार्डों को तैनात करने के लिए सुरक्षा एजेंसियों का पैनल भी बनाया है। सभी निरीक्षक अधिकारियों को अनुदेश भी दिए गए हैं कि वे यह सुनिश्चित करें कि शाखाएं परिचालन तथा लाकरों की संरक्षा के बारे में अनुदेशों का पूर्ण रूप से पालन करें।

(घ) से (च) पंजाब नैशनल बैंक ने सूचित किया है कि पुलिस जांच से स्टाफ के एक सदस्य के शामिल होने का पता चला है जिसे पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। उसे निलंबित कर दिया गया है तथा आवश्यक अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। लाकर में चोरी तथा लूटपाट की घटनाओं में स्टाफ के किसी अन्य सदस्य के शामिल होने की सूचना नहीं है।

[अनुवाद]

भारत का निर्यात

***153. श्री सुग्रीव सिंह:**
श्री सीताराम सिंह:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश की आयात/निर्यात की देश-वार मात्रा कितनी रही;

(ख) क्या सरकार ने गत छह महीनों के दौरान निर्यात में वृद्धि दर्ज की है;

(ग) यदि हां, तो विश्व व्यापार में भारत का इस समय हिस्सा कितना है तथा प्रत्येक वस्तु का निर्यात बढ़ाने के लिए क्या रणनीति अपनाई गई है;

(घ) क्या सरकार ने निर्यात में 20 प्रतिशत वृद्धि का लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ङ) यदि हां, तो इस वृद्धि में कौन से क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान होगा तथा निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(च) क्या उच्च ग्रेड वाले लोहे का निर्यात सीमित करने की पुरजोर मांग की गई है;

(छ) यदि हां, तो निर्यात का ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या उपाय किए गए हैं;

(ज) क्या अग्रिम लाइसेंसिंग योजना के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप निर्यात संवर्धन योजनाओं के उल्लंघन के मामलों में वृद्धि हुई है; और

(झ) यदि हां, तो ऐसे मामलों का ब्यौरा क्या है तथा ऐसे उल्लंघनों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्यात एवं आयात की देशवार मात्रा विवरण में दी गई है।

(ख) जी, हां। अप्रैल-अक्तूबर, 2004-05 के दौरान 40291.68 मिलियन अमरीकी डालर मूल्य के निर्यात हुए हैं जो अप्रैल-अक्तूबर, 2003-04 के दौरान हुए 32564.32 मिलियन अमरीकी डालर के स्तर से 23.73 प्रतिशत अधिक है।

(ग) से (ङ) डब्ल्यू टी ओ के विश्व व्यापार संबंधी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2003 में विश्व के पण्य वस्तुओं के व्यापार में भारत का हिस्सा 0.73 प्रतिशत रहा था। वर्ष 2004-05 के लिए 73.4 बिलियन अमरीकी डालर के समतुल्य 16 प्रतिशत का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जो पिछले दो वर्षों के लिए निर्धारित 12 प्रतिशत के लक्ष्य से अधिक है।

निर्यात का संवर्धन करना सरकार का एक सतत प्रयास है और अगले पांच वर्षों के भीतर विश्व के पण्य वस्तुओं के व्यापार में भारत के हिस्से को दोगुना करने और रोजगार सृजन पर जोर देने के दोहरे उद्देश्य के साथ दिनांक 31 अगस्त, 2004 को विदेश व्यापार नीति की घोषणा की गयी थी। निर्यातों को बढ़ाने के लिए अपनाई गयी मुख्य कार्यनीतियों में से कुछ इस प्रकार हैं—प्रक्रियाओं का सरलीकरण एवं सौदा लागतों में कमी करना; निर्यात उत्पादन में प्रयुक्त निविष्टियों पर सभी लेवियों तथा शुल्कों के भार को निष्प्रभावी करना; व्यापार आसूचना तथा पूछताछों के प्रचार-प्रसार के लिए एक इलैक्ट्रॉनिक प्लेटफार्म के माध्यम से विदेशों में वाणिज्यिक मिशनों को जोड़ना। कृषि, हथकरघा, हस्तशिल्प, रत्न एवं आभूषण तथा चर्म उत्पाद क्षेत्रों में जिनमें उच्च वृद्धि तथा रोजगार की संभावना है, के लिए कुछेक विशेष फोकस उपायों को अभिज्ञात किया गया है। इसके अलावा निर्यातों में उच्च वृद्धि हासिल करने वाले निर्यातकों के लिए ''टार्गेट प्लस'' स्कीम, दर्जाधारकों के लिए नया वर्गीकरण, मुक्त व्यापार भण्डारण जोनों की शुरूआत करना इत्यादि जैसी अनेक निर्यात संवर्धन स्कीमों की घोषणा की गयी है।

(च) और (छ) वर्तमान विदेश व्यापार नीति के अंतर्गत, उच्च ग्रेड के लौह अयस्क (64 प्रतिशत और अधिक लौह तत्व वाले) के निर्यात को एम एम टी सी के जरिए राज्य व्यापार प्रणाली के तहत इसके निर्यातों को विनियमित करके इस समय प्रतिबंधित किया गया है। इसके अलावा, बैलाडिला के उच्च ग्रेड के लौह अयस्क-जो उच्च श्रेणी का अयस्क है, के निर्यात पर मात्रात्मक प्रतिबंध लागू हैं। चालू वर्ष में उच्च ग्रेड के लौह अयस्क के निर्यात को प्रतिबंधित किया गया है ताकि केवल उच्च ग्रेड फाइन्स, जिसका भारत में कोई तैयार घरेलू बाजार नहीं है, का निर्यात किया जा सके जबकि उच्च ग्रेड लम्पी लौह अयस्क की बहुत अधिक घरेलू मांग है। चालू वर्ष में एम एम टी सी के जरिए उच्च ग्रेड के लौह अयस्क के निर्यात को भी जापानी तथा दक्षिण कोरियाई इस्पात मिलों के साथ दीर्घावधि करारों में अधिकतम मात्रा के लिए किए गए प्रावधान के बजाय न्यूनतम स्तर तक प्रतिबंधित किया गया है। पिछले दो वर्षों और सितम्बर, 2004 तक की अवधि के लिए उच्च ग्रेड के लम्प्स के निर्यात के आंकड़े निम्नानुसार हैं:

(मात्रा: मिलियन मी. टन में)

2002-03	2003-04	2004-05 (सितम्बर, 04)
3.65	3.01	1.63

(ज) और (झ) मात्रा आधारित अग्रिम लाइसेंस स्कीम 25 वर्ष से अधिक समय पहलू लागू की गयी थी और इसे निर्यात संवर्धन स्कीमों में सबसे अधिक कठोर समझा जाता है। इसका उपयोग विनिर्माता निर्यातकों के एक बड़े तबके द्वारा किया जाता है। इस स्कीम में निर्यातों के पूरा होने के बाद भी आयातित कच्ची सामग्री के हस्तांतरण की अनुमति नहीं है। उपर्युक्त की वजह से यह स्कीम कुल मिलाकर दुरुपयोग से मुक्त है। निर्यात दायित्व की अपेक्षा को पूरा न करने वाले निर्यातकों के लिए गैर-आनुपातिक आयातों पर ब्याज सहित सीमाशुल्कों का भुगतान करना अनिवार्य होता है।

विवरण

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
आर्थिक प्रभाग
क्षेत्र एवं देश-वार निर्यात एवं आयात: 2002-04

मिलियन अमरीकी डालर

	देश/क्षेत्र	निर्यात			%वृद्धि		आयात			%वृद्धि	
		2001-02	2002-03	2003-04	2002-2003	2003-04	2001-02	2002-03	2003-04	2002-03	2003-04
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	पश्चिमी यूरोप	10575.28	12557.89	15240.08	18.75	21.36	13433.42	15045.37	18161.84	12.00	20.71
(क)	ई यू देश	9845.89	11522.47	13816.54	17.03	19.91	10436.54	12541.71	14502.34	20.17	15.63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	बेल्जियम	1390.62	1661.84	1805.84	19.50	8.67	2763.00	3711.93	3893.70	34.34	4.90
2.	डेनमार्क	151.86	183.67	237.06	20.95	29.07	120.61	143.36	225.61	18.86	57.37
3.	फ्रांस	945.00	1074.09	1289.80	13.66	20.08	884.25	1094.18	1054.55	29.60	-3.62
4.	एफ आर जी	1788.36	2106.68	2522.39	17.80	19.73	2028.10	2404.53	2911.27	18.56	21.07
5.	ग्रीस	106.53	148.70	193.77	39.58	30.31	29,57	22.81	47.09	-22.84	106.41
6.	आयरलैंड	102.38	135.81	149.35	32.66	9.97	84.94	97.98	101.54	15.36	3.63
7.	इटली	1206.53	1357.08	1703.82	12.48	25.55	704.78	811.99	1070.21	15.21	31.80
8.	लक्समबर्ग	4.47	9.14	14.18	104.46	55.16	6.72	19.34	44.40	187.57	129.63
9.	नीदरलैंड	863.88	1047.91	1277.73	21.30	21.93	466.47	385.74	533.67	-17.31	38.35
10.	पुर्तगाल	147.84	162.12	166.45	9.65	2.67	14.00	14.96	13.87	6.83	-7.28
11.	स्पेन	677.21	810.49	991.48	19.68	22.33	168.78	177.12	258.74	4.94	46.08
12.	यूनाइटेड किंगडम	2160.87	2496.41	3033.24	15.53	21.50	2563.20	2777.01	3176.00	8.34	14.37
13.	आस्ट्रिया	76.33	81.11	103.61	6.26	27.74	77.82	164.21	201.69	111.02	22.82
14.	फिनलैंड	154.27	176.29	218.05	14.27	23.69	162.09	199.00	270.04	22.77	35.70
15.	स्वीडन	69.75	71.14	109.76	2.00	54.29	402.21	517.56	699.97	28.68	35.24
(ख)	शेष पश्चिम यूरोप	729.39	1035.42	1423.54	41.96	37.48	2996.88	2503.66	3659.49	-16.46	46.17
1.	नार्वे	54.30	70.83	75.91	30.44	7.18	47.98	96.95	265.34	102.08	173.68
2.	तुर्की	219.05	368.33	564.93	68.14	53.38	69.36	59.64	73.32	-14.01	22.94
3.	स्विटजरलैंड	409.10	382.72	445.17	-6.45	16.32	2870.75	2329.88	3308.53	-18.84	42.00
II.	पूर्वी यूरोप	286.60	333.20	523.09	16.26	56.99	210.29	295.82	367.18	40.67	24.12
1.	पोलैंड	108.31	105.64	132.46	-2.46	25.38	31.39	38.84	49.20	23.73	26.68
2.	हंगरी	46.70	48.26	91.60	3.36	89.80	23.92	20.61	27.32	-13.80	32.52
3.	चेक गणराज्य	41.08	57.42	86.29	39.77	50.27	38.63	85.48	111.83	121.38	30.83
III.	सीआईएस एवं बाल्टिक राज्य	970.49	919.15	1020.83	-5.29	11.06	736.54	842.52	1261.05	14.39	49.67
क.	रूस	798.18	704.00	708.68	-11.80	0.66	535.51	592.61	959.51	10.66	61.91
ख.	शेष सी आई एस देश	172.31	215.15	312.15	24.86	45.08	201.04	249.92	301.54	24.31	20.66
1.	कजाकिस्तान	45.70	46.88	69.96	2.58	49.23	7.39	12.73	9.26	72.14	-27.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.	यूक्रेन	81.05	93.70	109.05	15.61	16.38	166.88	194.96	235.00	16.83	20.54
IV.	एशिया तथा ओशिनिया	16888.90	22726.28	29408.08	34.56	29.40	15661.18	17937.77	26609.30	14.54	48.34
(क)	एस्कैप	11569.54	15764.51	20274.91	36.26	28.61	12707.19	14489.82	21645.31	14.03	49.38
1.	बंगलादेश	1002.18	1176.00	1646.08	17.34	39.97	59.12	62.05	62.24	4.96	0.30
2.	नेपाल	214.46	350.36	643.34	63.37	8362	355.94	281.76	272.00	-20.84	-3.46
3.	श्रीलंका	630.89	920.98	1320.39	45.98	43.37	67.38	90.83	194.45	34.80	114.10
4.	आस्ट्रेलिया	418.02	504.18	578.18	20.61	14.68	1306.10	1336.79	2620.43	2.35	96.02
5.	चीन जन.गण.	951.95	1975.48	2959.22	107.52	49.80	2036.39	2792.04	4048.35	37.11	45.00
6.	हांगकांग	2366.36	2613.33	3250.32	10.44	24.37	728.86	972.59	1492.57	33.44	53.46
7.	इंडोनशिया	533.71	826.06	1123.22	54.78	35.97	1036.81	1380.87	2096.25	33.18	51.81
8.	जापान	1510.44	1864.03	1714.34	23.41	-8.03	2146.44	1836.33	2642.26	-14.45	43.89
9.	कोरिया गणराज्य	471.37	644.85	762.16	36.80	18.19	1141.37	1522.01	2453.57	33.35	61.21
10.	मलेशिया	773.69	749.37	888.97	-3.14	18.63	1133.54	1465.42	2045.20	29.28	39.56
11.	सिंगापुर	972.31	1421.58	2116.54	46.21	48.89	1304.09	1434.81	2029.96	10.02	41.48
12.	थाईलैंड	633,13	711.20	827.43	12.33	16.34	423.09	397.00	608.96	-10.42	60.68
13.	पाकिस्तान	144.01	206.16	286.55	43.16	38.99	64.76	44.85	57.74	-30.74	28.75
(ख)	अन्य	5319.36	6961.77	9133.17	30.88	31.19	2953.99	3447.95	4963.99	16.72	43.97
1.	सऊदी अरब	826.43	940.74	1119.96	13.83	19.05	463.99	504.72	737.21	8.78	46.06
2.	संयुक्त अरब अमीरात	2491.79	3327.48	5079.98	33.54	52.67	915.09	956.99	2059.70	4.58	115.23
3.	इस्रायल	428.02	634.54	722.74	48.25	13.90	427.75	602.68	669.76	40.90	11.13
V.	अफ्रीका	2886.62	3028.31	3802.67	4.91	25.57	2608.71	3424.75	3185.88	31.28	-6.97
1.	मिस्र	462.73	298.24	365.44	-35.55	22.53	99.94	226.57	98.21	126.70	-56.66
2.	नाइजीरिया	563.14	499.08	564.68	-20.25	25.74	87.12	78.13	75.64	-10.32	-3.18
3.	दक्षिण अफ्रीका	352.94	483.98	534.42	37.13	10.42	1440.90	2093.48	1891.97	45.29	-9.63
VI.	अमेरिका	10108.80	12951.00	13391.76	28.12	3.40	4684.90	6046.04	6616.37	29.06	9.43
(क)	उत्तरी अमरीका	9098.17	11594.03	12219.71	27.43	5.40	3679.05	5009.87	5453.35	36.17	8.85
1.	कनाडा	584.82	698.27	759.74	19.40	8.80	529.43	566.29	590.73	6.96	4.32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.	यू एस ए	8513.34	10895.76	11459.97	27.98	5.18	3149.62	4443.58	4862.62	41.08	9.43
(ख)	लैटिन अमरीकी देश	956.00	1290.35	1124.88	34.97	-12.82	1004.83	1035.41	1162.48	3.04	12.27
1.	ब्राजील	219.01	479.03	273.28	118.73	-42.95	308.17	316.79	314.82	2.80	-0.62
2.	अर्जेंटीना	64.62	60.29	87.00	-6.70	44.31	436.00	404.14	523.90	-7.31	29.63
3.	मेक्सिको	237.45	261.55	261.91	10.15	0.14	62.24	65.52	73.85	5.28	12.72
(ग)	शेष अमरीका	54.64	66.62	47.17	21.92	-29.19	0.71	0.76	0.54	8.05	-29.16
1.	पनामा नहर क्षेत्र	18.67	9.08	3.20	-51.37	-64.76	0.00	0.03	0.53	-	1790.18
2.	प्यूर्टो रीको	6.67	6.66	26.43	-0.27	297.15	0.65	0.73	0.01	11.322	-98.80
3.	तुर्क तथा कैलकोस द्वीप	29.10	50.56	17.27	73.79	-65.84	0.05	0.01	0.00	-81.05	-100.00
	कुल योग	43826.72	52719.43	63454.56	20.29	20.36	51413.3	61412.14	77032.77	19.45	25.44

डी जी सी आई एंड एस के अनंतिम आंकड़ों के आधार पर आर्थिक प्रभाग, वाणिज्य मंत्रालय द्वारा संकलित।

गायब हो चुकी कंपनियां

*154. **श्री बी. विनोद कुमार:**
श्री राजेश पाठक:

क्या **कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि गत एक वर्ष के दौरान अनेक कंपनियां पब्लिक इश्यू के माध्यम से धनराशियां जुटाने के बाद गायब हो गई हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसी कंपनियों का तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस वर्ष अचानक गायब हुई कंपनियों की निगरानी के लिए किसी सतर्कता समिति का गठन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और समिति अपनी रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत करेगी;

(ङ) क्या सरकार ने ऐसी चूककर्ता कंपनियों को बंद करने और निवेशकों के हितों की सुरक्षा हेतु कोई कार्यवाही की है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कम्पनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रेम चन्द्र गुप्ता): (क) और (ख) लुप्त कंपनियों की पहचान करने के लिए अपनाये गए मानदंड निम्न प्रकार हैं:

(1) कंपनियां जिन्होंने स्टाक एक्सचेंज/कंपनी रजिस्ट्रारों की सूचीबद्ध अपेक्षाओं/दायर करने की आवश्यकताओं का क्रमश: दो वर्षों से अनुपालन नहीं किया है।

(2) एक्सचेंज को लंबी अवधि तक कंपनी से कोई पत्र व्यवहार प्राप्त नहीं हुआ है।

(3) स्टाक एक्सचेंज के निरीक्षण के समय दिये गये पंजीकृत कार्यालय के पते पर कंपनी का कोई कार्यालय स्थित न हो।

यह एक अपेक्षा है कि कंपनी को लुप्त मानने के लिए तीनों मानदंड होने चाहिए। विद्यमान मानदंड के आधार पर पिछले एक वर्ष के दौरान कोई कंपनी पब्लिक से पब्लिक इशू के माध्यम से धनराशि जुटाने के उपरांत लुप्त नहीं हुई है।

(ग) और (घ) सचिव, कंपनी कार्य मंत्रालय और अध्यक्ष, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) की सह-अध्यक्षता में अपचार/लुप्त कंपनियों और उनके संप्रवर्तकों से संबंधित मुद्दों और उनके विरुद्ध कार्रवाई की प्रक्रिया का अनुश्रवण करने के लिए एक समन्वय और अनुश्रवण समिति पहले से अस्तित्व में है। इस

समिति का कार्य निरन्तर प्रकृति का है। कंपनी कार्य मंत्रालय ने भी कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत लगाये गये सभी अभियोजनों और लुप्त कंपनियों और उनके निदेशकों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दायर/पंजीकृत करायी गयी सभी प्रथम सूचना रिपोर्टों का निकटता से अनुश्रवण करने के लिए अगस्त, 2004 में एक अनुश्रवण कमेटी का गठन किया है। यह समिति सचिव, कंपनी कार्य मंत्रालय व सेबी के अध्यक्ष की सह-अध्यक्षता में है और राज्य सरकारों के विभिन्न वरिष्ठ कर्मचारी और दिल्ली पुलिस के आयुक्त या उनके प्रतिनिधि इसमें शामिल हैं।

(ङ) और (च) लुप्त पायी गयी कंपनियों के विरुद्ध कार्रवाई उपरोक्त मानदंडों (क) और (ख) के अनुसार कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रासंगिक उपबंधों और भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत सरकार के द्वारा की जाती है। पिछले समय की ऐसी कार्रवाई में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित तथ्य भी शामिल हैं।

(1) लुप्त कंपनियों के विरुद्ध कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 63, 68 और 628 के अंतर्गत अभियोजन।

(2) सांविधिक विवरणी दायर न करने के लिए कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत अभियोजन।

(3) संप्रवर्तकों/निदेशकों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट।

[अनुवाद]

''सिंथेटिक वनीला'' का प्रयोग

*155. **श्री पी.सी. थामस:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ देशों ने ''सिंथेटिक वनीला'' के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है अथवा उसके प्रयोग को सीमित कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो उन देशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत का विचार ''सिंथेटिक वनीला'' के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या भारत अभी भी सिंथेटिक वनीला का उत्पादन कर रहा है; और

(च) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्पादित सिंथेटिक वनीला का ब्यौरा और मात्रा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) और (ख) सरकार को ऐसे किसी देश की जानकारी नहीं है जिसने सिंथेटिक वनीला (वैनिलिन) के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया हो अथवा उसके प्रयोग को सीमित कर दिया हो। अमरीका में यदि सिंथेटिक वनीला (वैनिलिन) का प्रयोग किया जाता है तो उस खाद्य उत्पाद जिसमें उसका प्रयोग किया गया है, के लेबल पर इसका उल्लेख करना होता है।

(ग) और (घ) भारत में सिंथेटिक वनीला के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) भारत सिंथेटिक वनीला का उत्पादन नहीं कर रहा है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

न्यायाधीशों की संख्या

*156. **डा. एम. जगन्नाथ:**
श्री कैलाश मेघवाल:

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ब्रिटेन, आस्ट्रेलिया और अमरीका की तुलना में भारत में 10 लाख की आबादी पर जिला न्यायालय और उच्च न्यायालय स्तर पर न्यायाधीशों की प्रतिशतता कितनी है;

(ख) क्या सरकार का विचार न्यायालयों में लंबित मामलों की भारी संख्या को देखते हुए न्यायाधीशों की संख्या की समीक्षा करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंसराज भारद्वाज): (क) भारत में विद्यमान न्यायाधीश संख्या प्रति दस लाख जनसंख्या पर 13 (लगभग) है। ग्यारहवें विधि आयोग की ''मेन पावर प्लानिंग इन ज्यूडिशियरी—ए ब्लू प्रिंट'' विषय पर 120वीं रिपोर्ट (जुलाई, 1987) में, अन्य बातों के साथ-साथ, यह मत व्यक्त किया गया था कि यू.के., आस्ट्रेलिया और यू.एस. में प्रति दस लाख जनसंख्या पर न्यायाधीशों की संख्या निम्नानुसार है:

यू.के.	—	50.9
आस्ट्रेलिया	—	41.6
यू.एस.	—	107.0

(ख) और (ग) विभिन्न उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या का अंतिम त्रैवार्षिक पुनर्विलोकन 2003 में किया गया था।

इसके परिणामस्वरूप, विभिन्न उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की विद्यमान संख्या को 655 से बढ़कर 749 करने का विनिश्चिय किया गया था।

अधीनस्थ न्यायपालिका के संबंध में, उच्चतम न्यायालय ने आल इंडिया जजेज एसोसिएशन और अन्य बनामा भारत संघ और अन्य के मामले में तारीख 21 मार्च, 2002 के अपने निर्णय में यह निदेश दिया है कि प्रति दस लाख व्यक्तियों पर 10.5 या 13 न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ाकर प्रति दस लाख व्यक्तियों पर 50 न्यायाधीश किए जाएं और इसे पांच वर्ष की अवधि के भीतर, संघ के विधि मंत्रालय द्वारा अवधारित और निदेशित की जाने वाली चरणबद्ध रीति में कार्यान्वित किया जाना चाहिए। केंद्रीय सरकार ने उच्चतम न्यायालय में यह अनुरोध करते हुए एक शपथपत्र फाइल किया है कि संघ राज्यक्षेत्रों में, जिनके लिए केंद्रीय सरकार प्रशासनिक रूप से उत्तरदायी है, न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कार्यभार और लंबित मामलों की संख्या के आधार पर अनुज्ञात की जाए। यह मामला न्यायाधीन है।

सभी राज्य सरकारें इस मामले में पक्षकार हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 235 के अधीन, राज्यों में अधीनस्थ न्यायपालिका के सदस्यों पर प्रशासनिक नियंत्रण संबंधित उच्च न्यायालय और राज्य सरकार में निहित होता है। तदनुसार, केंद्रीय सरकार ने सभी राज्य सरकारों से यह अनुरोध किया है कि वे उच्चतम न्यायालय के निदेश के अनुसार न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने के लिए और साथ ही न्यायिक अधिकारियों के रिक्त पदों को आवश्यकता के आधार पर भरने के लिए आवश्यक कार्रवाई करें।

विशेष आर्थिक क्षेत्र

***157. श्री चंद्रकांत खैरे:**
श्री परसुराम माझी:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछली सरकार द्वारा स्थापित विशेष आर्थिक क्षेत्र (जोन) में किए जा रहे कार्य की प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन क्षेत्रों में कार्य कब तक शुरू किया जाएगा;

(ग) क्या अनन्य रूप से जैव प्रौद्योगिकी पार्कों तथा भण्डागारों का विकास करने के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना किए जाने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो अब तक निर्मित कार्य योजना का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या विशेष आर्थिक क्षेत्र के लिए बुनियादी सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) और (ख) वर्ष 2000 में विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजैड के संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा घोषित नीति के अनुसार केन्द्र सरकार द्वारा किन्हीं नए विशेष आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना नहीं की जानी है। काण्डला और सूरत (गुजरात), सांताक्रुज (महाराष्ट्र), कोचीन (केरल), चेन्नई (तमिलनाडु), विशाखापत्तनम (आन्ध्र प्रदेश), फाल्टा (पश्चिम बंगाल) और नौएडा (उत्तर प्रदेश) में अवस्थित आठ कार्य कर रहे निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्रों को 2000-2003 के बीच विशेष आर्थिक क्षेत्रों में परिवर्तित किया गया था। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकारों के साथ अथवा राज्य सरकारों द्वारा निजी/संयुक्त क्षेत्र में स्थापना के लिए अनुमोदित 24 नए विशेष आर्थिक क्षेत्रों (31.3.2004 की स्थिति के अनुसार) में से साल्टलेक (मनीकंचन), इन्दौर और जयपुर के तीन विशेष आर्थिक क्षेत्रों ने कार्य करना शुरू कर दिया है और अन्य दो विशेष आर्थिक क्षेत्र अब प्रचालन के लिए तैयार हैं।

(ग) और (घ) जैव-सूचना विज्ञान सहित सूचना प्रौद्योगिकी के लिए एक विशेष आर्थिक क्षेत्र मैसर्स महिन्द्रा इंडस्ट्रियल पार्क लि. से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर चेन्नई के निकट महिन्द्रा सीटी में स्थापित करने के लिए हाल में अनुमोदित किया गया है। इसके अतिरिक्त, दिनांक 31.8.2004 को घोषित विदेश व्यापार नीति में जिसमें व्यापार करने और वेयरहाउसिंग पर ध्यान केन्द्रित करते हुए मुक्त व्यापार और वेयरहाउसिंग क्षेत्र स्थापित करने के लिए एक नीतिगत कार्यढांचे की व्यवस्था है।

(ङ) और (च) विद्यमान विशेष आर्थिक क्षेत्रों में बुनियादी संरचना को इन विशेष क्षेत्रों में नई इकाइयां स्थापित करने और मौजूदा इकाइयों के प्रचालन की आवश्यकताओं के आधार पर और विकसित किया जा रहा है।

भारत-पाक समझौता

***158. श्री इकबाल अहमद सरडगी:**
श्री प्रबोध पाण्डा:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय भारत और पाकिस्तान के बीच कितना व्यापार हो रहा है;

(ख) क्या भारत-पाकिस्तान के व्यापार में वर्ष 2003-04 में पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि हुई है;

(ग) यदि हां, तो व्यापार की सम्भाव्य क्षमता कितनी है और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(घ) क्या अगस्त, 2004 में व्यापार और आर्थिक सहयोग विषय पर भारत-पाक सरकारों के बीच दो दिवसीय सचिव स्तरीय वार्ता हुई थी;

(ङ) यदि हां, तो हस्ताक्षर किए गए समझौतों का ब्यौरा क्या है;

(च) क्या मंत्री महोदय ने हाल ही में पाकिस्तान का दौरा किया है; और

(छ) यदि हां, तो दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देने हेतु विचार-विमर्शों का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) अप्रैल-जुलाई, 2004 के दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय व्यापार इन चार महीनों में लगभग तिगुना हो गया है जो पिछले वित्त वर्ष की इस अवधि में हुए 64.41 मिलियन अमरीकी डालर की तुलना में बढ़कर 186.36 मिलियन अमरीकी डालर का हो गया है।

(ख) वर्ष 2002-03 के दौरान भारत-पाकिस्तान व्यापार 251.01 मिलियन अमरीकी डालर से बढ़कर 2003-04 के दौरान 344.29 मिलियन अमरीकी डालर का हो गया है जिसमें लगभग 40% की सकारात्मक वृद्धि प्रदर्शित होती है।

(ग) यदि सकारात्मक रुझान जारी रहता है तो वर्ष 2004-05 के दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच कुल व्यापार 500 मिलियन डालर को पार कर सकता है। दौरों के आदान-प्रदान तथा व्यापार मेलों एवं प्रदर्शनियों आदि में भागीदारी के जरिए व्यापारी दर व्यापारी बातचीत में भी स्पष्ट वृद्धि हुई है। पाकिस्तान और भारत दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र (साफ्टा) संबंधी करार पर हस्ताक्षरकर्ता देश में जिसे 1/1/2006 से लागू किया जाना है और इससे दोनों देशों के बीच आर्थिक कार्यकलापों में पर्याप्त वृद्धि होगी। पारस्परिक लाभ के लिए व्यापार से जुड़े मुद्दों का समाधान करने की दृष्टि से दोनों देशों के बीच इन मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के लिए भारत और पाकिस्तान के वाणिज्य सचिव स्तर पर एक संयुक्त अध्ययन दल गठित करने का प्रस्ताव है।

(घ) और (ङ) जी, हां। किंतु किसी समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं।

(च) और (छ) वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने 22-23 नवम्बर, 2004 को इस्लामाबाद में आयोजित दक्षेस वाणिज्य मंत्रियों की चौथी बैठक में भाग लिया था। इस बैठक में दक्षेस वाणिज्य मंत्रियों की तीसरी बैठक के बाद आर्थिक सहयोग में हुई प्रगति की समीक्षा की गई थी। इसमें क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग खासकर साफ्टा करार पर हस्ताक्षर और व्यापार सुविधाकारी उपायों अर्थात निवेश का संवर्धन एवं संरक्षण, दक्षेस विवाचन परिषद, दोहरे कराधान के परिहार और सीमाशुल्क सहयोग से संबंधित करारों के मसौदे के पाठ को तुरंत अंतिम रूप दिए जाने में हुई पर्याप्त प्रगति को संतोषजनक माना गया था। इस अवसर पर भारत और पाकिस्तान के वाणिज्य मंत्रियों ने दोनों देशों के बीच व्यापार के संवर्धन हेतु रूपरेखा तैयार करने के लिए अलग से बातचीत की थी। उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापार को बढ़ाने के लिए कार्यनीति तैयार करने हेतु दोनों देशों के वाणिज्य सचिव स्तर पर एक संयुक्त अध्यन दल गठित करने पर सहमति व्यक्त की थी।

विश्व विकास रिपोर्ट, 2005

***159. श्री बाडिगा रामकृष्ण:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व विकास रिपोर्ट, 2005 में निवेश माहौल के संबंध में भारत को चौथे स्थान पर रखा गया है जैसा कि 29 सितम्बर, 2004 के "टाइम्स आफ इंडिया" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) क्या इसमें कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कुछ मुख्य खामियों की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन खामियों को दूर करने के लिए क्या सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): (क) जी, नहीं। विश्व विकास रिपोर्ट (डब्ल्यूडीआर) 2005 में निवेश के माहौल के संबंध में देशों को कोई दर्जा नहीं दिया गया है।

(ख) और (ग) जी, नहीं। इसके विपरीत, विश्व विकास रिपोर्ट में यह सराहना की गयी है कि चीन और भारत ने हाल के वर्षों में प्रभावशाली ढंग से विकास किया है, गरीबी को काफी हद तक कम किया है और निवेश के माहौल में सुधार लाने की कार्यनीतियों के बारे में सीख दी है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

विदेशी ऋण

***160. श्री सुनिल कुमार महतो:**
श्री अधीर चौधरी:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत माह के अन्त तक विदेशी ऋण की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) देश के वित्तीय ढांचे पर विदेशी ऋण का कितना बोझ है और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान सरकार द्वारा कुल कितना ऋण लिया गया है;

(ग) आज की तिथि के अनुसार प्रति व्यक्ति विदेशी ऋण कितना है;

(घ) इन ऋणों के लिए प्रति वर्ष कितनी राशि का ब्याज और ऋण सेवा प्रभार के रूप में भुगतान किया जा रहा है; और

(ङ) देश के ऋणभार को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): (क) और (ख) उपलब्ध नवीनतम सूचना के अनुसार जून, 2004 के अंत में भारत का कुल विदेशी ऋण 112.6 बिलियन अमरीकी डालर था। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान, जून, 2004 तक भारत सरकार द्वारा जुटाए गए ऋणों के अधीन 86 मिलियन अमरीकी डालर की निवल निकासियां हुई हैं।

(ग) मार्च, 2004 के अंत में, प्रति व्यक्ति विदेशी ऋण का अनुमान लगभग 105 अमरीकी डालर या 4,556 रु. पर लगाया है।

(घ) पिछले पांच वर्षों के लिए कुल ऋण शोधन भुगतानों का ब्यौरा नीचे सारणी में दिया गया है।

सारणी: भारत के विदेशी ऋण शोधन भुगतान

(मिलियन अमरीकी डालर)

	(अप्रैल-मार्च)				
	1999-2000	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04 (अ)
1. मूल वापसी अदायगी	7,059	8,359	6,776	11,517	14,546
2. ब्याज अदायगी	4,484	4,462	4,086	3,564	6,403
3. कुल ऋण शोधन भुगतान (1+2)	11,543	12,821	10,862	15,081	20,949

अ: अनंतिम

(ङ) सरकार विवेकपूर्ण विदेशी ऋण प्रबन्धन नीतियों का पालन करती है जिनमें रियायतपूर्ण शर्तों पर और दीर्घावधिक परिपक्वताओं वाले कम खर्चीले स्रोतों से निधियां जुटाने पर बल, अल्पावधिक ऋण की निगरानी, उच्च लागत वाले ऋणों का पूर्व-भुगतान और ऋण-भिन्न सृजित पूंजीगत प्रवाहों को बढ़ावा देना शामिल है।

शिक्षा ऋण

1610. श्री चन्द्रभान सिंह: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार बैंक के माध्यम से बिना किसी संपार्श्विक जमा के विद्यार्थियों से शिक्षा ऋण देने की योजना का बड़े पैमाने पर प्रचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केवल सम्पन माता-पिता के बच्चे ही अपने माता-पिता की संपत्ति की जमानत के आधार पर शिक्षा ऋण का लाभ पा रहे हैं जबकि इसके विपरीत गरीब विद्यार्थियों को इस सुविधा से वंचित रखा जा रहा है क्योंकि उनके माता-पिता के पास ऋण हेतु जमानत के लिए कोई दुकान, कार्यालय या अन्य कोई संपत्ति नहीं है तथा ऐसी गारन्टी के अभाव में गरीब विद्यार्थी उच्च शिक्षा कैसे प्राप्त करेंगे; और

(घ) ऐसी गरीब किन्तु प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की शिक्षा ऋण देने की सरकार की योजना का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमणिक्कम): (क) से (घ) वर्ष 2004-05 की बजट घोषणा के अनुरूप, भारतीय बैंक संघ (आईबीए) ने सभी सदस्य बैंकों को 4 लाख रुपए तक ऋणों के लिए कोई भी प्रतिभूति न मांगने हेतु 31 अगस्त, 2004 को एक परिशोधित परिपत्र जारी किया है। 4 लाख से अधिक और 7.5 लाख रुपए तक के ऋणों के लिए एक उपयुक्त तृतीय पक्ष गारंटी के रूप में संपार्श्विक ली जाती है। 7.5 लाख रुपए से अधिक के ऋणों के लिए किस्तों की अदायगी हेतु समुचित मूल्य की संपार्श्विक प्रतिभूति अथवा उपयुक्त तृतीय पक्ष गारंटी और साथ ही छात्र की भावी आय का समनुदेशन लिया जाता है। यह योजना बैंकों को शैक्षिक ऋण योजना कार्यान्वित करने के लिए व्यापक दिशानिर्देशों का प्रावधान करती है और कार्यान्वयक बैंक को इसे ग्राहक के और अधिक अनुकूल बनाने के लिए छात्रों/अभिभावकों की सहूलियत के लिए परिवर्तन करने का विवेकाधिकार होगा। बैंकों को अपने वाणिज्यिक विवेक के आधार पर तथा अपने बोर्डों द्वारा यथा अनुमोदित, भारत में और विदेश में अध्ययन हेतु शैक्षिक ऋण की और अधिक राशि संस्वीकृत करने का विवेकाधिकार है। उक्त परिपत्र में बैंकों को यह अधिकार भी दिया गया है कि अत्यंत मेधावी/योग्य छात्रों को बिना संपार्श्विक के प्रोत्साहन दें। आईबीए ने सदस्य बैंकों को उपर्युक्त योजना के लिए समुचित प्रचार करने की सलाह भी दी है।

[अनुवाद]

विदेशी बैंक

1611. श्री महबूब जाहेदी: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार सरकारी क्षेत्र के बैंकों के समान विदेशी बैंकों को सुविधाएं प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत में विदेशी बैंकों को निजी बैंक का 10 प्रतिशत हिस्सा प्रतिवर्ष प्राप्त करने की अनुमति देने तथा 3-4 वर्षों के भीतर उन्हें प्रबंधन हेतु प्रशासनिक शक्तियों को नियंत्रित करने देने की भी सरकार की योजना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार की आगे की योजना निजी, सरकारी क्षेत्र और विदेशी बैंकों को समान स्तर पर लाने तथा बाद में 3-4 सरकारी क्षेत्र के बैंकों को भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धा करने हेतु एक समूह में बदलने की है; और

(च) यदि हां, तो क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों के विलय की प्रबल इच्छा को व्यक्त किया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमणिक्कम): (क) और (ख) 28 फरवरी, 2003 को की गई बजट घोषणा के अनुसरण में सरकार ने 5 मार्च, 2004 को एक अधिसूचना जारी की है जिसमें विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) के निवेश सहित गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश सीमा 49 प्रतिशत से बढ़ाकर 74 प्रतिशत कर दिया गया है। पूर्वोक्त प्रेस नोट में यह भी स्पष्ट किया गया है कि फिलहाल बैंकिंग कंपनियों के मामले में मताधिकार (वोटिंग राइट्स) पर 10 प्रतिशत की सीमा है और अधिकतम सीमा में कोई परिवर्तन अंतिम नीतिगत निर्णयों तथा उपयुक्त संसदीय अनुमोदनों के पश्चात् ही किया जा सकता है। एफडीआई के प्रवाह को विनियमित करने और इस उद्देश्य के लिए खाका तैयार करने के उद्देश्य से भारतीय रिजर्व बैंक ने 2 जुलाई, 2004 को पब्लिक डोमेन में प्रारूप मार्गनिर्देश/चर्चा-पत्र रखा है।

(ग) और (घ) वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) और (च) नई पहलों के भाग के रूप में, सरकारी क्षेत्र के बैंक वैश्विक स्तर पर अपनी प्रतिस्पर्धा बढ़ाने और बेहतर व्यवहार्यता के लिए एक रणनीति के रूप में समेकन का गंभीरता से मूल्यांकन कर रहे हैं। समेकन से फुटप्रिंट, मानवशक्ति और अन्य संसाधनों के संबंध में मितव्ययिता होगी। बड़े आकार के भारतीय बैंकों के होने से वे अर्थव्यवस्था के अंतर्राष्ट्रीयकरण से उत्पन्न प्रतिस्पर्धा का सामना करने में असमर्थ होंगे बड़े आकार के लिए बेहतर जोखिम प्रबंधन की भी आवश्यकता होती है। छोटे और कमजोर बैंक, अपने अल्प पूंजी पर्याप्त अनुपात और अधिक अनुपयोज्य आस्तियों के साथ सर्वांगीण जोखिम उठाते हैं। दक्षता बढ़ाने के लिए समेकन समय पर की गई प्रतिक्रिया है जिससे आय सृजन और देश के सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि होगी।

[हिन्दी]

औद्योगिक विकास केन्द्र

1612. श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में गत माह तक शुरू किए गए औद्योगिक विकास केन्द्रों की कुल संख्या कितनी है और इनमें से कितने महाराष्ट्र में खोले गए हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र में औद्योगिक विकास केन्द्रों को सरकार द्वारा कितनी धनराशि उपलब्ध करायी गयी है; और

(ग) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कितने औद्योगिक विकास केन्द्रों को खोलने का प्रस्ताव है और इसका स्थलवार ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) से (ग) औद्योगिक विकास केन्द्र योजना के अन्तर्गत 71 विकास केन्द्रों को स्थापित किया जाना था। इन सभी विकास केन्द्रों को मंजूरी प्रदान की गई है और इनमें से 46 विकास केन्द्रों ने प्लाटों/शेडों के आवंटन के साथ कार्य करना शुरू कर दिया है। 16 विकास केन्द्रों के मामले में भूमि अधिग्रहण कर ली गई है। शेष 9 विकास केन्द्रों में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया प्रगति पर है। महाराष्ट्र राज्य हेतु 5 विकास केन्द्र आवंटित किये गये हैं और पिछले तीन वर्षों के दौरान इन विकास केन्द्रों के लिए वर्षवार जारी की गई राशि निम्नानुसार है:

क्र.सं.	विकास केन्द्र का नाम	दसवीं योजना	
		2001-2002	2003-2004
	महाराष्ट्र		
1.	अकोला	–	–
2.	चन्द्रपुर	100	–
3.	धुले	80	200
4.	नांदेड़	60	90
5.	रत्नागिरी	–	–

वर्ष 2002-2003 में कोई केन्द्रीय सहायता जारी नहीं की गई थी।

इसके अतिरिक्त इन विकास केन्द्रों के क्रियान्वयन की स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

31 अक्तूबर, 2004 की स्थिति के अनुसार महाराष्ट्र में विकास केन्द्रों की भौतिक प्रगति

(लाख रुपये)

क्र.सं.	राज्य, विकास केन्द्र/जिले का नाम	अनुमोदन की तिथि	अधिग्रहित भूमि	विकसित किये गए प्लाट/शेड	आवंटित प्लाट/शेड	स्थापित इकाइयों की संख्या	इकाइयों द्वारा निवेश की गई पूंजी	सृजित रोजगार	टिप्पणी
1.	महाराष्ट्र (ख) अकोला (अकोला)	30.3.92	625.05 हेक्टेयर	533	509	58	9007	725	–
2.	चन्द्रपुर (चन्द्रपुर)	30.03.92	623.49 हेक्टेयर	34	13	–	–	–	–
3.	धुले (धुले)	30.03.92	707 हेक्टेयर	60	3	–	–	–	–
4.	नांदेड़ (नांदेड़)	11.12.97	645.81 हेक्टेयर	197	31	1	42710	52	–
5.	रत्नागिरी (रत्नागिरी)	30.03.92	–	–	–	–	–	–	–

31 अक्तूबर, 2004 की स्थिति के अनुसार विकास केन्द्रों की वित्तीय प्रगति

(लाख रुपये)

क्र.सं.	राज्य, विकास केन्द्र/ जिले का नाम	अनुमोदन की तिथि	अनुमोदित परियोजना लागत	केन्द्र द्वारा जारी की गई राशि	राज्य तथा इसकी एजेन्सियों द्वारा जारी की गई राशि	कुल व्यय
	महाराष्ट्र					
1.	अकोला (अकोला)	30.3.92	3479.90	1000.00	1500.00	2290.09
2.	चन्द्रपुर (चन्द्रपुर)	30.03.92	3107.52	815.00	732.25	1491.27
3.	धुले (धुले)	30.03.92	3172.00	780.00	800.00	1324.93
4.	नांदेड़ (नांदेड़)	11.12.97	4628.00	1000.00	976.03	1804.60
5.	रत्नागिरी (रत्नागिरी)	30.03.92	3232.27	440.00	200.00	580.86

शराब की तस्करी

1613. श्री महेश कनोडीया: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में शराब की तस्करी की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इसे रोकने के लिए कुछ ठोस कदम उठाने जा रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) के परिप्रेक्ष्य में शून्य।

[अनुवाद]

कृषि कर की तर्ज पर चाय पर कर

1614. श्रीमती मिनाती सेन: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार चाय पर प्रस्तावित 12.5% के स्थान पर 4% मूल्य वर्धित कर लगाने की अपनी सिफारिश पर विचार कर रही है क्योंकि चाय आम आदमी का पेय है;

(ख) क्या आय पर कर के समान चाय क्षेत्र में कर देयता हेतु राज्य सरकारों द्वारा कृषि कर को तार्किक बनाने का भी सुझाव दिया गया है;

(ग) क्या सरकार का परम्परागत चाय के उत्पादन पर शीघ्र ही प्रोत्साहन की घोषणा करने का विचार है ताकि निर्यात बढ़ाने के लिए प्रति वर्ष 20 मिलियन किलो तक परम्परागत चाय का उत्पादन बढ़ाने में उद्योग को समर्थ बनाया जा सके;

(घ) क्या बागान श्रम अधिनियम की समीक्षा की सिफारिश की गयी है; और

(ङ) क्या सरकार का विचार चाय बोर्ड के तत्वावधान में केन्या और श्रलंका के नमूने पर आधारित लघु उत्पादक विकास अभिकरण स्थापित करने का है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलैंगोवन): (क) चाय के लिए 4% वैट की दर निर्धारित करने के प्रस्ताव पर वैट संबंधी राज्य वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति की दिनांक 29 और 30 अप्रैल, 2003 को हुई बैठकों में विचार किया गया था, किंतु इस पर सहमति नहीं हो पायी थी। इस मामले को 16 और 17 सितम्बर, 2004 को आयोजित भारतीय चाय उद्योग के समक्ष चुनौतियों से संबंधित पणधारियों के सम्मेलन में की गयी सिफारिशों के आलोक में वैट संबंधी राज्य वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति में पुन: उठाया गया है।

(ख) पणधारियों के चाय संबंधी सम्मेलन में की गयी सिफारिशों में से एक सिफारिश यह थी कि राज्य सरकारों द्वारा कृषि आय कर को युक्तिसंगत बनाना था ताकि चाय क्षेत्र में देय अंतिम कर आय पर औसत करों के अनुरूप हो। उपलब्ध सूचना के अनुसार, कृषि आय कर को असम में 1.4.2004 में 45% से घटाकर 35% और पश्चिम बंगाल में 1.4.2003 से 45% से घटाकर 30% कर दिया गया है और तमिलनाडु कृषि आय कर अधिनियम, 1955 को 1.4.2004 से निरस्त कर दिया गया है। कृषि आयकर को युक्तिसंगत बनाए जाने के प्रस्ताव को केरल सरकार के साथ उठाया गया है।

(ग) चाय पर की गयी अतिरिक्त उत्पाद शुल्क की वसूली से सृजित विशेष निधि से वित्त पोषित की जाने वाली स्कीम में भारत में परम्परागत चाय के उत्पादन हेतु प्रोत्साहन दिए जाने की व्यवस्था है।

(घ) दिनांक 16 और 17 सितम्बर, 2004 को आयोजित भारतीय चाय उद्योग के समक्ष चुनौतियों संबंधी पणधारियों के सम्मेलन में की गयी सिफारिशों में से एक सिफारिश यह थी कि पिछले 50 वर्षों में बागान क्षेत्र में आए परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए बागान श्रम अधिनियम की समीक्षा की जाए और सभी पणधारियों के हितों को ध्यान में रखा जाए।

(ङ) पणधारियों के चाय संबंधी सम्मेलन में एक सिफारिश यह भी की गयी थी कि लघु उपजकर्ताओं और विनिर्माताओं को नियमित विस्तार और विपणन सहायता प्रदान करने के लिए, उनकी विशेष जरूरतों का ध्यान रखने हेतु चाय बोर्ड के तत्वावधान में एक विशेष कार्यक्रम शुरू किया जाए। इस सिफारिश के अनुसरण में, चाय बोर्ड ने अपने तत्वावधान में एक लघु उपजकर्ता विकास निदेशालय की स्थापना किए जाने का प्रस्ताव किया है।

बैंक आफ बड़ौदा द्वारा नए उद्योग को ऋण

1615. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान गुजरात में बैंक आफ बड़ौदा द्वारा नए उद्योगों को कितना ऋण दिया गया है;

(ख) उन उद्योगों की संख्या कितनी है जिन्हें ऋण की स्वीकृति के पश्चात् बैंक द्वारा ऋण का संवितरण नहीं किया गया;

(ग) ऋण संवितरित नहीं किए जाने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या अनिवासी भारतीय उद्योगपतियों ने गुजरात में अपने उद्योगों के लिए इस बैंक के माध्यम से आवेदन किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) पिछले तीन वर्ष के दौरान बैंक आफ बड़ौदा द्वारा 352 नए उद्योगों को कुल 484.06 करोड़ रुपए के ऋण दिए गए थे।

(ख) 7 उद्योगों को ऋण मंजूरी के पश्चात् बैंक द्वारा ऋण का संवितरण नहीं किया गया था।

(ग) शर्तों का अनुपालन न करना और अन्य बैंकों से सुविधाएं प्राप्त करना ऋण संवितरित नहीं किए जाने के कारण हैं।

(घ) बैंक आफ बड़ौदा के अनुसार, वे इस प्रकार के रिकार्ड नहीं रखते हैं।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

चूककर्ता कंपनियां

1616. श्री मिलिन्द देवरा: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के प्रति अपनी देनदारियों को पूरा करने में विफल रहने वाली चूककर्ता कंपनियों की संख्या कितनी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान इसमें राज्यवार कितनी राशि अंतर्ग्रस्त है;

(ग) क्या सेबी को इस तथ्य की जानकारी है;

(घ) यदि हां, तो क्या निवेशकों को नुकसान से बचाने के लिए तदनुसार जानकारी दी जाती है;

(ङ) क्या ऐसी कंपनियों द्वारा अपने शेयरों के मूल्यों को बढ़ाने की घटनाएं सरकार/सेबी के माध्यम में आई हैं; और

(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) से (च) उन वाद दायर खातों की संख्या जिनमें वसूली की जाने वाली राशि एक करोड़ रुपए और उससे अधिक है और जानबूझकर चूक करने वालों की वाद दायर खातों की संख्या जिनमें वसूली की जाने वाली राशि 25 लाख रुपए और उससे

अधिक है, क्रमश: विवरण I और II में दी गई है। तथापि, बैंकों में प्रचलित प्रथाओं और रीतिरिवाजों के अनुसार और वित्तीय संस्थाओं को शासित करने वाली संविधियों के उपबंधों और लोक वित्तीय संस्थान (विश्वसनीयता और गोपनीयता विषयक बाध्यता) अधिनियम, 1983 के उपबंधों के अनुरूप मांगी गई सूचना प्रकट नहीं की जा सकती।

विवरण I

भौगोलिक विस्तार के अनुसार वाद दायर मामले

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	रिकार्डों की सं.	मूल्य (लाख रु. में)
1	2	3	4
1.	महाराष्ट्र	2638	1,972.217.98
2.	दिल्ली	1097	981,531.23
3.	तमिलनाडु	1446	763,503.04
4.	आन्ध्र प्रदेश	821	429,088.20
5.	गुजरात	646	425,753.65
6.	पश्चिम बंगाल	668	367,691.82
7.	कर्नाटक	438	327,604.50
8.	उत्तर प्रदेश	320	195,137.66
9.	चंडीगढ़	173	186,277.39
10.	मध्य प्रदेश	230	160,665.03
11.	उड़ीसा	125	69,072.00
12.	राजस्थान	114	69,070.83
13.	केरल	206	67,806.87
14.	पंजाब	191	57,990.83
15.	हरियाणा	79	33,341.23
16.	बिहार	55	22,544.00
17.	असम	38	16,444.00
18.	झारखंड	27	8,611.00
19.	हिमाचल प्रदेश	11	6,085.07
20.	छत्तीसगढ़	21	5,874.00
21.	गोवा	13	4,681.00
22.	पांडिचेरी	9	2,973.00
23.	जम्मू-कश्मीर	8	2,296.00
24.	उत्तरांचल	3	582.00
25.	नागालैंड	4	510.00
26.	मेघालय	2	455.00
27.	अरुणाचल प्रदेश	2	449.00
28.	सिक्किम	1	329.00
29.	दमन	1	118.00
30.	मणिपुर	1	102.00
	कुल	9,388	6,198,805.33

विवरण II

भौगोलिक विस्तार के अनुसार 31 मार्च, 2004 की स्थिति के अनुसार 25 लाख रु. और उससे अधिक की राशि वाले वाद दायर खाते (जानबूझकर चूक करने वाले)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	रिकार्डों की सं.	मूल्य (लाख रु. में)
1	2	3	4
1.	महाराष्ट्र	558	341,804.87
2.	दिल्ली	243	229,755.03
3.	गुजरात	186	141,557.18
4.	तमिलनाडु	395	140,727.38
5.	आन्ध्र प्रदेश	274	78,880.96
6.	पश्चिम बंगाल	123	62,245.15
7.	कर्नाटक	179	47,462.85
8.	मध्य प्रदेश	97	42,476.00
9.	उत्तर प्रदेश	108	32,007.63
10.	चंडीगढ़	38	30,625.49

1	2	3	4
11.	केरल	141	23,950.00
12.	पंजाब	101	22,077,25
13.	राजस्थान	20	9,201.00
14.	बिहार	42	8,172.00
15.	हरियाणा	37	4,747.10
16.	उत्तरांचल	14	3018.00
17.	झारखंड	29	2,870.00
18.	छत्तीसगढ़	8	2,562.00
19.	उड़ीसा	21	2,516.00
20.	असम	11	1,126.00
21.	हिमाचल प्रदेश	6	1,023.00
22.	जम्मू-कश्मीर	4	652.00
23.	दमन	2	437.00
24.	मेघालय	2	256.00
25.	गोवा	4	235.00
26.	पांडिचेरी	3	229.00
27.	नागालैंड	1	37.00
	कुल	2,647	1,230,650.88

[हिन्दी]

उद्योगों संबंधी सांख्यिकी आंकड़े

1617. श्री सुनिल कुमार महतो: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में विशेषत: झारखण्ड और गुजरात में गत एक वर्ष के दौरान बंद पड़े छोटे, मझोले और बड़े उद्योगों की संख्या का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सामान्य तौर पर किस प्रकार के उद्योग बंदी का सामना करते हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) राज्य में निश्चित समय-सीमा के भीतर इन बंद उद्योगों को पुन: शुरू करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) से (ग) श्रम और रोजगार मंत्रालय के अधीन श्रम ब्यूरो, शिमला ऐसे औद्योगिकी एककों के बन्द होने से संबंधित सूचना एकत्र करता है जिन पर औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 लागू होता है। श्रम ब्यूरो के साथ उपलब्ध सूचना के अनुसार जनवरी से सितम्बर, 2004 तक की अवधि के दौरान 114 एकक (अनंतिम) बन्द किये गये थे। इनमें से 16 एकक गुजरात में तथा 3 एकक झारखंड में बन्द किये गये थे। वर्ष 2003 के दौरान उद्योगवार बन्द होने वाले उद्योगों में बुरी तरह से प्रभावित उद्योग समूह इंजीनियरिंग से संबंधित है उसके बाद वस्त्र तथा खाद्य उत्पाद आते हैं।

वर्ष 2001-2002 को संदर्भ वर्ष मानते हुए देश में नवंबर, 2002 से जून, 2003 तक की गई लघु उद्योग (एसएसआई) एककों की तीसरी गणना के अनुसार 8,87,427 एकक बन्द पाये गये थे जो लघु क्षेत्र में पंजीकृत थे। इनमें से गुजरात तथा झारखंड में बन्द किये गये एककों की संख्या क्रमश: 39,159 तथा 13,822 थी। तीसरी गणना में उद्योगवार बन्द होने संबंधी आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(घ) बंद पड़े औद्योगिक एककों को पुन: चालू करने का कार्य एकक विशेष से संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय के कार्यक्षेत्र में आता है। सरकार एक नीतिगत व्यवस्था उपलब्ध कराती है जो उद्योगों की वृद्धि और विकास में सुविधा प्रदान करती है और इसका पोषण करती है। सरकार ने देश में रुग्ण औद्योगिक एककों को पुन: चालू करने के लिए अनेक उपाय भी किए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देश, रुग्ण एककों का स्वस्थ एककों के साथ समामेलन, रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 के अधीन औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बीआईएफआर) की स्थापना आदि शामिल है। जहां संभव है बीआईएफआर के साथ पंजीकृत इन एककों के पुनरुज्जीवन के लिए पुनर्वास योजनाएं स्वीकृत की जाती हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ पूंजी की पुन: संरचना, प्रवर्तकों द्वारा निधियों का समावेश जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के एककों के लिए सरकारी सहायता शामिल है, अन्य कंपनियों के साथ विलय, प्रबन्धन में परिवर्तन, वित्तीय संस्थानों/बैंकों द्वारा राहत तथा रियायतें और देनदारियों के समय को पुन:निर्धारण करने के रूप में राज्य तथा केन्द्र सरकारों द्वारा राहत तथा रियायत सम्मिलित है।

[अनुवाद]

जीवन रक्षक दवाओं संबंधी विश्व व्यापार संगठन समझौता

1618. श्री मोहन रावले: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने एड्स तपेदिक और अन्य महामारियों का सामना करने के लिए जीवन रक्षक दवाओं के आयात हेतु भारत को अनुमति दिए जाने के लिए विश्व व्यापार संगठन के साथ एक सौदा किया है;

(ख) यदि हां, तो इस विश्व व्यापार संगठन सौदे का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन जीवन रक्षक दवाओं के शुल्क ढांचे पर निर्णय ले लिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) और (ख) ट्रिप्स करार एवं लोक स्वास्थ्य संबंधी दोहा घोषणा-पत्र में यह स्वीकार किया गया था कि ट्रिप्स करार के तहत सदस्यों को लोक स्वास्थ्य की सुरक्षा हेतु उपाय करने से नहीं रोका जाता है और न ही रोका जाना चाहिए। इसमें ट्रिप्स करार के प्रावधानों जिनमें इस प्रयोजनार्थ लोचशीलता की व्यवस्था की गई है, का पूर्ण उपयोग करने के लिए डब्ल्यू टी ओ सदस्यों के अधिकार की पुन: पुष्टि की गई थी। घोषणा-पत्र में यह स्वीकार किया गया था कि इन सुविधाओं में अनिवार्य लाइसेंस प्रदान करने के लिए प्रत्येक सदस्य का अधिकार तथा जिन आधारों पर ऐसा लाइसेंस प्रदान किया जाता है उन अधिकारों को निर्धारित करने की स्वतंत्रता, यह निर्धारित करने का अधिकार कि राष्ट्रीय आपातकाल अथवा अत्यंत तात्कालिकता की अन्य परिस्थितियों क्या हैं और बौद्धिक सम्पदा अधिकारों की समाप्ति हेतु खुद की प्रणाली निर्धारित करने की स्वतंत्रता शामिल है।

दोहा घोषणापत्र के पैराग्राफ 6 में ट्रिप्स करार के अंतर्गत अनिवार्य लाइसेंसिंग का कारगर उपयोग करने में भेषज क्षेत्र में अपर्याप्त अथवा कोई विनिर्माण क्षमता न रखने वाले डब्ल्यू टी ओ सदस्यों की कठिनाइयों को स्वीकार किया गया था तथा इस समस्या का शीघ्र समाधान निकालने के लिए ट्रिप्स परिषद को निर्देश दिए गए थे।

डब्ल्यू टी ओ की महापरिषद में ट्रिप्स करार एवं लोक स्वास्थ्य संबंधी दोहा घोषणा-पत्र के पैराग्राफ 6 में कार्यान्वयन हेतु 30 अगस्त, 2003 को एक निर्णय लिया था। इस निर्णय में किसी अनिवार्य लाइसेंस के अंतर्गत पेटेंटशुदा भेषज उत्पादों के विनिर्माण और ऐसे देशों को उनके निर्यात की अनुमति प्रदान की गई है जिनके पास भेषज क्षेत्र में सीमित अथवा कोई विनिर्माण क्षमता नहीं है। इस निर्णय से भेषज क्षेत्र में सीमित अथवा कोई विनिर्माण क्षमता न रखने वाले देश आसान कीमतों पर भेषज उत्पादों का आयात कर सकेंगे।

(ग) और (घ) दिनांक 01.03.2003 की भारत सरकार की अधिसूचना सं. 21/2002/सी.शु. के तहत (अधिसूचना की क्र.सं. 83 में) 126 जीवन रक्षक औषधियों/दवाईयों (अधिसूचना की सूची 4 के अनुसार) पर सीमाशुल्क शून्य है।

बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा सीमा शुल्क का अपवंचन

1619. श्री वी.के. दुग्मर: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आई.एम.एफ.एल. का निर्माण कर रही कुछ बहुराष्ट्रीय कंपनियां कम बीजक बनाना, सामान की सही घोषणा नहीं करना जैसी गतिविधियों में लिप्त हैं और सीमा शुल्क के करोड़ों रुपए का अपवंचन कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी कंपनीवार ब्यौरा क्या है;

(ग) सीमा शुल्क की वसूली के संबंध में इन कंपनियों के विरुद्ध की गयी कार्रवाई की अद्यतन स्थिति क्या है; और

(घ) इस मामले में की गयी कार्रवाई की प्रगति का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) जी, हां। ऐसा एक मामला दर्ज किया गया है।

(ख) डी.आर.आई., नई दिल्ली ने मै. सीग्राम मेनुफेक्चरिंग लि. गुड़गांव के विरुद्ध आई.एम.एफ.एल. के कम मूल्य के बीजक प्रस्तुत करने और माल की अनुचित घोषणा करने के लिए एक मामला दर्ज किया था। इस मामले में दिनांक 29.8.2003 को मूल आदेश सं. ए.के.आर./सी.सी./आई.सी.डी./टी.के.डी./45-46 के तहत आयुक्त सीमा शुल्क, आई.सी.डी., तुगलकाबाद द्वारा फरवरी 1995 से जून, 2002 की अवधि के लिए 39.96 करोड़ रुपए की राशि तक सीमा शुल्क की मांग की पुष्टि करते हुए न्याय निर्णयन दिया गया था।

(ग) इस पार्टी ने 9.75 करोड़ रुपए की राशि जमा करवा दी है और इसने उपर्युक्त आदेश के विरुद्ध के.उ.शु. से कर अपी.अधि. के समक्ष एक अपील दायर की है और यह लंबित है।

के.उ.शु. से. कर अपी.अधि. ने दिनांक 10.2.2004 के स्थगन आदेश सं. 138/04 एन.बी. (ए) के द्वारा पूर्व जमा करवाई जाने वाली 30.21 करोड़ रुपए की शेष राशि का अधित्याग कर दिया है।

(घ) के.उ.शु. से. कर अपी.अधि. से मामले के शीघ्र निपटान के लिए अनुरोध किया गया है।

[हिन्दी]

ग्रामीण क्षेत्रों में हैंड पंप

1620. श्रीमती कल्पना रमेश नरहिरे:
श्री अधीर चौधरी:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को प्रधानमंत्री पेयजल योजना के अंतर्गत महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्रों में हैंड पंप लगाने हेतु महाराष्ट्र सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्योरा क्या है;

(ग) इन प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति मिलने की संभावना है; और

(घ) धनराशि का कब तक आबंटन किए जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकांता पाटील): (क) से (घ) वर्ष 2004-05 के दौरान प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में 9000 हैण्ड पंप लगाने के लिए महाराष्ट्र सरकार से प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के अंतर्गत संपूर्ण लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने वर्ष 2004-05 के दौरान अन्य कार्यक्रम के अंतर्गत महाराष्ट्र में 6673 हैण्ड पंप लगाने पर विचार किया और अनुमोदित किया है। इस प्रयोजनार्थ राज्य को 2115.12 लाख रुपए आबंटित किए गए हैं और 1057.56 लाख रुपए की पहली किस्त रिलीज की जा चुकी है।

[अनुवाद]

भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का वक्तव्य

1621. श्री के.एस. राव:
श्रीमती किरण माहेश्वरी:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 28 अक्तूबर, 2004 के 'द हिन्दुस्तान टाइम्स' में आयल क्राइसिस लूमिंग लार्ज' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था यदि तेल की मूल्य वृद्धि के झटके को सहती है तो पेट्रोलियम उत्पादों की मूल्य वृद्धि का भारत के विकास की संभावनाओं पर बुरा असर पड़ेगा; और

(घ) यदि हां, तो इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस समस्या से निपटने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमणिक्कम): (क) और (ख) जी, हां। इस समाचार में, अन्य बातों के साथ-साथ, यह बताया गया है कि वित्तीय वर्ष, 2004-05 की शेष अवधि के लिए तेल कीमतें प्रति बैरल 50 डालर से अधिक रहीं, स.घ.उ. की वृद्धि में 1.5 प्रतिशतांक की कमी होगी और मुद्रास्फीति में 4.8 प्रतिशतांक की वृद्धि हो सकती है (अगर सरकार खुदरा तेल कीमतों पर नियंत्रण करने से गुरेज करती)। इसके साथ, यदि कच्चे तेल की कीमतों का औसत वित्तीय वर्ष 2005-06 में प्रति बैरल 60 डालर रहे, तो स.घ.उ. वृद्धि में 3 प्रतिशतांक की कमी होगी और मुद्रास्फीति में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभावों की वजह से 3.5 प्रतिशतांक की वृद्धि हो सकती है।

(ग) वर्ष 2004-05 के लिए वार्षिक नीति की मध्यावधि समीक्षा में, भारतीय रिजर्व बैंक ने यह मानते हुए कि उच्च और अनिश्चित तेल कीमतों और अंतर्राष्ट्रीय नकदी परिवेश में आकस्मिक परिवर्तनों के मिलेजुले नुकसानदेह जोखिम नियंत्रण में रहे हैं, वर्ष 2004-05 की समग्र स.घ.उ. वृद्धि को 6.5-7.0 प्रतिशत के पूर्व अनुमान की तुलना में 6.0 से 6.5 प्रतिशत की श्रेणी में रखा है।

(घ) मुद्रास्फीति पर नियंत्रण सरकार की कार्यसूची में उच्च स्थान पर रहा है। सरकार की मुद्रास्फीति विरोधी नीतियों में, कड़ा राजकोषीय और मौद्रिक अनुशासन, आवश्यक वस्तुओं के उत्पाद शुल्कों और आयात शुल्कों का युक्तिकरण शामिल है ताकि गरीबों पर अनावश्यक बोझ न पड़े, उदार टैरिफ और कारोबार नीतियों के माध्यम से संवेदनशील मदों का प्रभावी आपूर्ति-मांग प्रबंधन हो, और सार्वजनिक वितरण प्रणाली मजबूत हो। सरकार द्वारा मुद्रास्फीति नियंत्रण के लिए किए गए विशेष उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं:

* 15 जून, 2004 को सरकार ने चुनिंदा पेट्रोलियम उत्पादों पर उत्पाद शुल्क को घटा दिया ताकि तेल की बढ़ती

अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों के प्रभाव को कम करने के लिए उनकी घरेलू खुदरा कीमतों पर नियंत्रण रखा जा सके। उत्पाद शुल्क को पेट्रोल पर 30 प्रतिशत से घटाकर 26 प्रतिशत, स्पीड डीजल पर 14 प्रतिशत से घटाकर 11 प्रतिशत और रसोई गैस (एलपीजी) पर 16 प्रतिशत से घटाकर 8 प्रतिशत कर दिया गया।

* 18 अगस्त, 2004 को, सरकार ने वैश्विक तेल कीमतों में रिकार्ड वृद्धि के चलते अपनी घरेलू खुदरा कीमतों पर नियंत्रण रखने के लिए चुनिंदा पेट्रोलियम उत्पादों पर सीमाशुल्क और उत्पाद शुल्क में कटौती की। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस और मिट्टी के तेल प्रत्येक पर सीमाशुल्क में 5 प्रतिशतांक कटौती की जबकि उत्पाद शुल्क में पेट्रोल और डीजल, प्रत्येक पर 3 प्रतिशत और मिट्टी के तेल पर 4 प्रशितांक कटौती की गई है।

* 20 अगस्त, 2004 को, सरकार ने धातु और धातु उत्पादों में उच्च मुद्रास्फीति को रोकने के लिए गैर-मिश्रधातु वाले इस्पात और बेकार हो गए जहाजों पर सीमाशुल्क को क्रमश: 10 प्रतिशत और 15 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया। लौह और इस्पात के 'मेल्टिंग स्क्रैप' पर सीमाशुल्क में पूर्ण छूट दी गई है।

* प्रणाली में नकदी अवरोध को रोकने के लिए, 11 सितम्बर, 2004 को भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बैंकों द्वारा अनुरक्षण किए जाने वाले नकदी भंडार अनुपात (सीआरआर) में 50 आधार अंको की बढ़ोत्तरी करके उनकी मांग और सावधि देनदारियों को 5 प्रतिशत कर दिया है।

* खाद्य तेलों की कीमतों को नियंत्रित करने और इसे सुगमता से उपलब्ध कराने की मुहिम में, सरकार ने 16 सितम्बर, 2004 को कई वनस्पति तेलों में लगभग 50 डालर प्रति मीट्रिक टन की टैरिफ मूल्यों में कटौती की है।

* दिनांक 26 अक्तूबर, 2004 को घोषित वार्षिक नीति विवरण 2004-05 की मध्यावधिक समीक्षा में, सरकार ने 'रिवर्स रिपो दर' (अर्थात भारतीय रिजर्व बैंक में रखे बैंक फंडों पर सरकारी पेपर के प्रति चुकाई गई ब्याज दर) में 25 आधार बिन्दु से 4.75 प्रतिशत तक की वृद्धि की है।

चूंकि, अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल कीमतों में गिरावट हुई थी, इसलिए, तेल कंपनियों ने पेट्रोल की कीमतों में 15 नवम्बर, 2004 से 1.26 रु. प्रति लीटर की कटौती कर दी है।

[हिन्दी]

कर अपवंचन

1622. श्री रामदास आठवले: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 100 करोड़ रुपए से ज्यादा के केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क का अपवंचन करने वाली किन कंपनियों के विरुद्ध विभागीय एवं कानूनी कार्रवाई की जा रही है;

(ख) गत तीन वर्षों से ज्यादा समय से केन्द्रीय उत्पाद शुल्क स्वर्ण नियंत्रण अपील अधिकरण, उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय के समक्ष किन कंपनियों से संबंधित मामले लंबित पड़े हैं और आज की स्थिति के अनुसार इन मामलों की अद्यतन स्थिति क्या है; और

(ग) उक्त धनराशि की शीघ्रता से उगाही करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमणिक्कम): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

भारतीय निवेश केन्द्र के कर्मचारी

1623. श्रीमती किरण माहेश्वरी:
श्री के.एस. राव:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय निवेश केन्द्र में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार ने भारतीय निवेश केन्द्र को बंद करने का निर्णय लिया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार भारतीय निवेश केन्द्र में कर्मचारियों के हितों की रक्षा किस प्रकार करेगी?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमणिक्कम): (क) वर्तमान में, 73 कर्मचारी भारतीय निवेश केन्द्र (आईआईसी) में कार्यरत हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) आईआईसी ने परिवर्तित आर्थिक परिदृश्य के वर्तमान संदर्भ में अपनी प्रासंगिता खो दी है। भारतीय निवेश केन्द्र के कर्मचारियों के हित की संरक्षा हेतु उनके लिए केन्द्रीय सरकार के अतिशेष कर्मचारियों पर यथा प्रयोज्य स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना को अनुमोदित कर दिया गया है।

[हिन्दी]

हिमाचल ग्रामीण बैंक

1624. प्रो. चन्द्र कुमार:
श्री सुरेश चन्देल:
श्रीमती प्रतिभा सिंह:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक को हिमाचल प्रदेश में ग्रामीण बैंकों की स्थापना हेतु लाइसेंस जारी करने के लिए आवेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थल-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) इन बैंकों के कब तक चालू हो जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) से (घ) अमरोह (जिला हमीरपुर), चिंतपूर्णी (जिला ऊना), अम्ब (जिला ऊना) तथा घुमुआरविन (जिला बिलासपुर) में चार नई शाखाएं खोलने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक को हिमाचल ग्रामीण बैंक से 31 जुलाई, 2004 को राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के माध्यम से प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। पूर्वोक्त शाखाएं खोलने के लिए लाइसेंस जारी करने संबंधी अनुमोदन के बारे में 6 दिसम्बर, 2004 को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उसके क्षेत्रीय कार्यालय को बता दिया गया है।

बंद उद्योग को चालू करना

1625. श्री गिरिधारी यादव: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रत्येक राज्य में कार्य कर रहे उद्योगों की संख्या कितनी है;

(ख) इनमें से निजी उद्योग कितने हैं;

(ग) क्या किसी सरकारी या गैर-सरकारी संगठन ने बंद उद्योगों को चालू करने के लिए धनराशि उपलब्ध करायी है और गत दो वर्षों का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने प्रत्येक राज्य में छोटे उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए कोई प्रयास किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार को अपने प्रयासों में कितनी सफलता मिली है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) और (ख) वर्ष 2001-2002 के लिए केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा किए गए उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण के परिणामों के अनुसार, फैक्ट्रियों की राज्यवार संख्या तथा पूर्णत: निजी स्वामित्व वाली फैक्ट्रियों की संख्या संलग्न विवरण दी गई है।

(ग) सरकार एक नीति तंत्र मुहैया कराती है जो उद्योगों की वृद्धि व विकास में सुविधा प्रदान कर उन्हें तेज करती है। सरकार ने देश में रुग्ण औद्योगिक इकाइयों की पुन: स्थापना करने के लिए अनेक उपाय किए हैं, जिनमें अन्य उपायों के साथ-साथ ये शामिल हैं—भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों को दिशानिर्देश जारी करना, बीमार इकाइयों को स्वस्थ इकाइयों के साथ मिलाना, रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 के अधीन औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बीआईएफआर) की स्थापना करना, आदि।

(घ) और (ङ) जहां लघु उद्योगों के विकास की मुख्य जिम्मेदारी राज्य सरकारों/केन्द्र सरकार ने विभिन्न स्कीमों, जैसे कि एकीकृत अवसंरचनात्मक विकास, औद्योगिक उन्नयन, विपणन और उद्यमिता विकास का कार्यान्वयन करके लघु क्षेत्र के संवर्धन व मजबूतीकरण हेतु अनेक कदम उठाए हैं। इसके अलावा, प्रधानमंत्री ने 30 अगस्त, 2000 को लघु क्षेत्र के संवर्धन व विकास के लिए एक व्यापक नीति पैकेज की घोषणा की, ताकि घरेलू और वैश्विक, दोनों ही तौर पर, इस क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि की जा सके। इस नीति पैकेज में शामिल हैं, बढ़ाई गई राजकोषीय व ऋण सहायता, बेहतर ढांचागत व विपणन सुविधाएं तथा प्रौद्योगिकी उन्नयन हेतु प्रोत्साहन। इन प्रयासों के फलस्वरूप, लघु उद्योग क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा में टिके रहने हेतु लचीलेपन का परिचय दिया है क्योंकि इसने जो वृद्धि दर दर्ज की है, वह समग्र औद्योगिक वृद्धि से अधिक है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र का नाम	कारखानों की संख्या	पूर्ण निजी स्वामित्व वाले कारखानों की संख्या
1	2	3	4
1.	जम्मू-कश्मीर	348	318
2.	हिमाचल प्रदेश	500	477
3.	पंजाब	7249	7136
4.	चंडीगढ़ (केन्द्र शासित)	275	271
5.	उत्तरांचल	698	643
6.	हरियाणा	4437	4360
7.	दिल्ली	3416	3409
8.	राजस्थान	5279	5093
9.	उत्तर प्रदेश	9157	8934
10.	बिहार	1478	1403
11.	नागालैंड	117	114
12.	मणिपुर	61	56
13.	त्रिपुरा	240	236
14.	मेघालय	34	31
15.	असम	1422	1373
16.	पश्चिम बंगाल	6195	6002
17.	झारखंड	1430	1330
18.	उड़ीसा	1709	1613
19.	छत्तीसगढ़	1277	1154
20.	मध्य प्रदेश	3019	2931
21.	गुजरात	13950	13873
22.	दमन और दीव	1411	1411
23.	दादर और नागर हवेली	976	970
24.	महाराष्ट्र	17853	17284
25.	आन्ध्र प्रदेश	14238	14069
26.	कर्नाटक	6987	6815
27.	गोवा	506	495
28.	केरल	4812	4414
29.	तमिलनाडु	18912	18514
30.	पांडिचेरी	540	523
31.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	24	22
	अखिल भारत	128550	125274

टिप्पणियां:

(1) औद्योगिक इकाइयों से डाटा एकत्र करने की संदर्भगत अवधि 1 अप्रैल 2001 से 31 मार्च, 2002 के मध्य वित्तीय वर्ष की समाप्ति का कोई भी दिन होता है।

(2) उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण 2001-2002 पूरे देश में चलाया गया, सिवाए अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम और केन्द्र शासित क्षेत्र लक्षद्वीप।

(3) औद्योगिक इकाइयों की दृष्टि से इसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

(क) फैक्टरी अधिनियम, 1948 की धारा 2ड(i) और 2ड(ii) के तहत पंजीकृत ऐसी सभी फैक्टरियां, जिनमें पिछले बारह महीनों के किसी भी दिन पर, बिजली का प्रयोग करने वाली फैक्टरियों में 10 अथवा अधिक कामगार नियोजित रहे हों और बिजली का प्रयोग करने अथवा बिना बिजली चलने वाली वे फैक्टरियां जिनमें बीस अथवा अधिक कामगार नियोजित रहे हों;

(ख) बीड़ी और सिगार कामगार (रोजगार दशा) अधिनियम, 1966 के तहत पंजीकृत ऐसी बीड़ी और सिगार विनिर्माता इकाइयां, जिनमें बिजली का प्रयोग करने की दशा में दस अथवा अधिक कामगार तथा बिजली का प्रयोग करने या बिना बिजली के चलने की दशा में बीस अथवा अधिक कामगार नियोजित हो; और

(ग) कुछ विशेष सेवाएं और कार्यकलाप, जैसे कि कोल्ड स्टोरेज, जल आपूर्ति, मोटर वाहनों तथा अन्य उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं, जैसे कि घड़ियों आदि की मरम्मत।

पूर्वोत्तर में राजकोष से अनधिकृत निकासी

1626. श्री मणी कुमार सुब्बा: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 1996 से 2002 के दौरान पूर्वोत्तर के विभिन्न राजकोषों विशेषत: नौगांव, असम राजकोष से कई करोड़ रुपए की अनधिकृत निकासी के कई मामलों की सूचना मिली है;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक राजकोष से ऐसी अनियमितताओं वाली निकासी की संख्या कितनी है और इसका ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में कौन-कौन अधिकारी और अन्य व्यक्ति पकड़े गए हैं; और

(घ) उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) मामला पूरी तरह से संबंधित राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आता है।

विदेशी बीमा कंपनियां

1627. श्री बालेश्वर यादव: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार देश में स्वास्थ्य बीमा की स्थिति के मद्देनजर विदेशी बीमा कंपनियों को प्रोत्साहन देने हेतु किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा कब तक निर्णय की घोषणा किए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) से (ग) बीमा अधिनियम, 1938 में व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के समूह को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करने वाली विदेशी कम्पनियों सहित कम्पनियों को अधिमानिक बर्ताव का प्रावधान है। इस अधिनियम, के अधीन, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण से स्वास्थ्य बीमा संबंधी कारोबार करने के लिए कम्पनियों को पंजीकरण संबंधी प्रमाणपत्र देने के सम्बन्ध में अधिमान्यता देना अपेक्षित है, जो पूंजी संबंधी अपेक्षा तथा विदेशी इक्विटी भागीदारी की सीमाओं के अध्यधीन होगा।

कर्नाटक में एचडीएफसी बैंक की शाखाएं

1628. श्री अनंत कुमार हेगड़े: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न राज्यों में एचडीएफसी बैंक की शाखाओं की संख्या कितनी है;

(ख) क्या गत तीन वर्षों के दौरान एचडीएफसी ने कर्नाटक में नई शाखा खोली है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार वर्ष 2005-2006 के दौरान एचडीएफसी की नई शाखाएं खोलने का है; और

(ङ) यदि हां, तो ऐसा कब तक किए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार आवास विकास वित्त निगम (एचडीएफसी) के 30 सितम्बर, 2004 की स्थिति के अनुसार भारत में 180 कार्यालय थे।

(ख) और (ग) वर्तमान में एचडीएफसी के कर्नाटक में 8 कार्यालय हैं जिनमें से 4 कार्यालय पिछले तीन वर्षों में खोले गए थे। इनमें से दो बंगलौर में तथा गुलबर्ग एवं मंगलूर में एक-एक कार्यालय खोले गए थे।

(घ) और (ङ) एचडीएफसी में सरकार की कोई हिस्सेदारी नहीं है, इसलिए प्रश्न नहीं उठता।

पुन: वित्तपोषण सुविधाएं

1629. श्री जुएल ओराम: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नाबार्ड कृषि तथा गैर-कृषि प्रयोजनों के लिए सहकारी बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) को विभिन्न प्रकार की पुन: वित्तपोषण सुविधाएं दे रहा है; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान ऐसी सुविधाएं प्राप्त करने वाले सहकारी बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के नाम और संख्या कितनी है तथा इन बैंकों को राज्य-वार कितनी राशि प्रदान की गई?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) और (ख) जी, हां। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) अल्पावधि मौसमी कृषि परिचालनों, फसलों के विपणन, कुटीर, ग्रामीण और छोटे औद्योगिक सहकारी समितियों के उत्पादन एवं विपणन क्रियाकलापों, बीज तथा उर्वरक जैसी निवेश्य वस्तुओं तथा अन्य क्रियाकलापों के लिए सहकारी बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को पुनर्वित्त सुविधाएं प्रदान कर रहा है। पिछले तीन वर्ष के दौरान विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत पुनर्वित्त के संवितरण का

राज्य-वार, एजेंसी-वार ब्यौरा संलग्न विवरण I से III में दिया गया है।

विवरण I

राज्य सहकारी बैंकों (एस.सी.बी.) के संबंध में गत तीन वर्षों के लिए राज्य-वार पुनर्वित्त संवितरण को दर्शाने वाला विवरण

(लाख रुपये में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2001-02	2002-03	2003-04
1	2	3	4
दिल्ली	593	500	823
हरियाणा	3018	8292	6099
हिमाचल प्रदेश	4498	11148	15621
जम्मू-कश्मीर	249	749	0
पंजाब	6296	15901	21539
राजस्थान	3212	4052	3289
अरुणाचल प्रदेश	107	464	355
असम	159	70	43
मणिपुर	0	318	0
मेघालय	338	737	548
मिजोरम	604	1122	464
नागालैंड	96	190	75
बिहार	29	0	0
उड़ीसा	4051	4854	5068
पश्चिम बंगाल	5232	13811	29890
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	245	405	545
मध्य प्रदेश	4856	4175	1561
छत्तीसगढ़	495	713	537
उत्तर प्रदेश	555	6356	14740
उत्तरांचल	0	397	132
दादरा एवं नागर हवेली	0	0	1
गुजरात	13394	19539	10623
गोवा	1126	1707	179
महाराष्ट्र	33136	36866	19927
आन्ध्र प्रदेश	1716	8330	2330
कर्नाटक	6396	14712	13920
केरल	2429	1209	6718
पांडिचेरी	142	105	98
तमिलनाडु	15934	21652	17524
कुल	108906	178374	1736449

विवरण II

एससीएआरडीबी के संबंध में गत तीन वर्षों के लिए राज्य-वार पुनर्वित्त संवितरण को दर्शाने वाला विवरण

(लाख रुपये में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2001-02	2002-03	2003-04
1	2	3	4
हरियाणा	31868	38144	38393
हिमाचल प्रदेश	3676	4136	4752
जम्मू-कश्मीर	323	400	0
पंजाब	32032	32292	38486
राजस्थान	20318	18034	15900
त्रिपुरा	231	193	327
बिहार	0	0	653
उड़ीसा	600	1100	962
पश्चिम बंगाल	8548	10812	9150
मध्य प्रदेश	19298	26500	21526
छत्तीसगढ़	3004	4000	4028
उत्तर प्रदेश	67089	64255	62873
उत्तरांचल	0	2515	446
गुजरात	9180	7717	5624

1	2	3	4
महाराष्ट्र	0	0	0
आन्ध्र प्रदेश	16988	15750	4926
कर्नाटक	11393	11416	8000
केरल	30336	26466	22590
तमिलनाडु	18298	21621	15777
कुल	273182	285351	254413

विवरण III

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आर.आर.बी.) के संबंध में गत तीन वर्षों के लिए राज्य-वार पुनर्वित्त संवितरण को दर्शाने वाला विवरण

(लाख रुपये में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आर आर बी की संख्या	2001-02	2002-03	2003-04
1	2	3	4	5
हरियाणा	4	2361	555	1664
हिमाचल प्रदेश	2	446	828	848
जम्मू-कश्मीर	3	1028	187	210
पंजाब	5	1235	932	2707
राजस्थान	14	8862	6760	5967
अरुणाचल प्रदेश	1	158	226	356
असम	5	3987	4929	7311
मणिपुर	1	44	201	219
मेघालय	1	79	0	384
मिजोरम	1	345	464	1221
नागालैंड	1	13	14	27
त्रिपुरा	1	409	774	906
बिहार	16	5527	7483	9000
झारखंड	6	1529	1298	637
उड़ीसा	9	14939	16369	22641
पश्चिम बंगाल	9	8790	13562	15901
मध्य प्रदेश	19	5578	5443	5321
छत्तीसगढ़	5	1287	547	496
उत्तर प्रदेश	36	18263	40113	27176
उत्तरांचल	4	802	361	8
गुजरात	9	2910	1503	59
महाराष्ट्र	10	4349	3213	1445
आन्ध्र प्रदेश	16	17919	25646	30515
कर्नाटक	13	10961	12378	12319
केरल	2	2298	2141	2157
तमिलनाडु	3	3704	7936	9441
कुल	196	117823	153863	158936

विश्व बैंक के निदेश

1630. श्री रतिलाल कालीदास वर्मा: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व बैंक ने भारत को आर्थिक विकास की दर बढ़ाने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमिक्कम): (क) विश्व बैंक के पास भारत को अपने आर्थिक विकास की दर में तेजी लाने के लिए कहने के लिए कोई अधिदेश प्राप्त नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) भारत सरकार देश की जरूरतों और प्राथमिकताओं के आधार पर आर्थिक विकास की गति में तेजी लाने के लिए अपेक्षित उपाय करती है।

कुपोषण से मौतें

1631. श्री हंसराज जी. अहीर: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को बच्चों की कुपोषण से हुई मौतों की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किये जाने का प्रस्ताव है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकांता पाटील): (क) कुपोषण के कारण मरने वाले बच्चों की संख्या का ब्यौरा केन्द्र स्तर पर नहीं रखा जाता।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) भारत सरकार पोषण एवं स्वास्थ्य में सुधार के लिए, प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकास नियंत्रण कार्यक्रम, रोकथाम योग्य बीमारियों के विरुद्ध टीकाकरण, अतिसार बीमारियों के नियंत्रण के लिए ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी, काम के बदले अनाज कार्यक्रम, बी.पी.एल. जनसंख्या के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली, समेकित बाल विकास सेवा योजना, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का पोषण घटक, 51 जिलों में किशोरियों के लिए पोषण कार्यक्रम एवं राष्ट्रीय पोषण मिशन इत्यादि जैसी योजनाओं के माध्यम से, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से पोषण संबंधी कई कार्यक्रम चलाती रही है।

उपर्युक्त के अलावा, शहरी विकास मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय के विभिन्न गरीबी उन्मूलन, स्वच्छ पेय जल आपूर्ति; और स्वच्छता कार्यक्रम, बच्चों में पोषण की स्थिति सुधारने में और कुपोषण से होने वाली मृत्यु का खतरा कम करने में सहायक हैं।

कापार्ट

1632. श्री अनन्त नायक:
श्री रघुवीर सिंह कौशल:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कापार्ट द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो नौवीं तथा दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस संबंध में राज्य-वार हासिल उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके लिए क्या प्रयास किए गए हैं; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकांता पाटील): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) कापार्ट में राज्य-वार लक्ष्य निर्धारित करने की कोई व्यवस्था नहीं है क्योंकि यह परियोजना मोड में कार्य करता है। कापार्ट विभिन्न राज्यों के स्वैच्छिक संगठनों से आवश्यकता आधारित परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता हेतु प्रस्ताव प्राप्त करता है जिन पर उनकी योग्यता के आधार पर विचार किया जाता है। कापार्ट, कार्यशालाएं, सेमिनार आदि आयोजित करके उन क्षेत्रों से और अधिक संख्या में परियोजना प्रस्ताव सृजित करने का प्रयास करता है, जहां से कम संख्या में परियोजना प्रस्ताव प्राप्त होते हैं।

सकल घरेलू उत्पाद में सरकारी ऋण का प्रतिशत

1633. श्री रघुवीर सिंह कौशल: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत में सरकारी ऋण की स्थिति के संबंध में दिसम्बर, 2003 में जारी एशियाई विकास बैंक की रिपोर्ट पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि भारत का कुल सरकारी ऋण सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 75 प्रतिशत से अधिक है;

(ख) क्या सरकार का किसी योजना के अन्तर्गत सरकारी ऋण को कम करने के लिए कोई कदम उठाने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) गत दस वर्षों के दौरान सकल घरेलू उत्पाद तथा सरकारी ऋण का प्रतिशत-वार अनुपात क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) से (ग) एशियाई विकास बैंक ने सितम्बर, 2003 के अपने इंडिया इकोनोमिक बुलेटिन में सूचित किया है कि केन्द्र तथा राज्यों का संयुक्त सरकारी ऋण का स्तर स.घ.उ. का 75.5 प्रतिशत है। सरकार लोक ऋण के स्तर को कम करने हेतु, राजकोषीय दृढ़ीकरण की आवश्यकता के प्रति सचेत है तथा इस दिशा में कई कदम उठा रही है। सरकार द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण कदमों में, अन्य बातों के साथ-साथ, राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम, 2003 का अधिनियमन, वर्ष 2003-04 में 14,434 करोड़ रु. की उच्च कूपन वाली प्रतिभूतियों की वापसी

खरीद तथा 3753.56 मिलियन अमरीकी डालर के उच्च लागत विदेशी ऋणों की पूर्व-अदायगी शामिल है। एफआरबीएम अधिनियम के अन्तर्गत नियम केन्द्र सरकार को 2004-05 में स.घ.उ. के 9 प्रतिशत से अधिक की अतिरिक्त देयताएं (चालू विनिमय दर पर विदेशी ऋण सहित) तथा प्रत्येक उत्तरवर्ती वर्ष में स.घ.उ. के 9 प्रतिशत की सीमा में कम से कम एक प्रतिशतांक से क्रमिक कटौती को धारित करने का अधिदेश देते हैं।

केन्द्र सरकार ने राज्यों को उनके ऋण बोझ को कम करने में सहायता हेतु पहलें भी की हैं। इन पहलों में राज्यों को ऋणों पर ब्याज में कटौती तथा राज्यों के लिए उनके उच्च लागत ऋण को अतिरिक्त बाजार उधार तथा लघु बचत ऋणों के साथ अदलाबदली को सुकर बनाना शामिल है। उपरोक्त उपायों से केन्द्र तथा राज्यों के ऋणों के स्तर में कमी आने की आशा है।

(घ) गत दस वर्षों में स.घ.उ. के संयुक्त सरकारी ऋण तथा केन्द्र एवं राज्यों की देयताओं से अनुपात नीचे दिए गए हैं:

	ऋण/स.घ.उ. अनुपात
1995-96	58.0
1996-97	56.5
1997-98	58.6
1998-99	59.5
1999-00	62.0
2000-01	66.4
2001-02	71.4
2002-03	75.7
2003-04	76.7
2004-05	77.9

स्रोत: हैंडबुक आफ स्टेटिस्टिक्स आन द इंडियन इकानमी 2003-04, रिजर्व बैंक आफ इंडिया, से संकलित।

नाबार्ड द्वारा सड़कों का निर्माण

1634. श्री अधीर चौधरी: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के ठन राज्यों की संख्या कितनी है जहां ग्रामीण सड़कों के निर्माण से संबंधित अधिकांश कार्य नाबार्ड के अंतर्गत किया जा रहा है; और

(ख) क्या सरकार का ग्रामीण सड़कों का निर्माण कार्य नाबार्ड को सौंपने का प्रस्ताव है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकांता पाटील): (क) चूंकि ग्रामीण सड़क राज्य का विषय है, नीतियों एवं कार्यक्रमों का निर्णय राज्य सरकारों द्वारा लिया जाता है। राज्य सरकारें, ग्रामीण आधारभूत सुविधा विकास के लिए ऋण हेतु सीधे राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) से संपर्क करती हैं। नाबार्ड द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, मणिपुर और त्रिपुरा को छोड़कर अन्य सभी राज्य ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क निर्माण हेतु नाबार्ड के ग्रामीण आधारभूत सुविधा विकास कोष (आरआईडीएफ) के अंतर्गत अलग-अलग किस्तों में उनसे ऋण सहायता प्राप्त कर चुके हैं।

(ख) जी, नहीं। ग्रामीण सड़क राज्य का विषय है। केन्द्र सरकार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का वित्तपोषण कर रही है, जिसे राज्य सरकारों द्वारा शत-प्रतिशत केन्द्रीय प्रायोजित योजना के रूप में कार्यान्वित किया जाता है।

आयकर विवरणी के प्रोसेसिंग का निजीकरण

1635. श्री खीरेन रिजीजू: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार आयकर विवरणी प्रोसेसिंग कार्य निजी क्षेत्र को सौंपने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अब तक क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) से (ग) आयकर विभाग के अधिकारियों द्वारा आय की विवरणियों पर कार्रवाई की जाती है। तथापि, आयकर आयुक्तों को ऐसी आय की विवरणियों की डाटा प्रविष्टि को बाह्य स्रोत से कराने के लिए प्राधिकृत किया गया है जिनमें विवरणियों को दायर करने के चार माह के भीतर विवरणियों पर कार्रवाई पूरी करना सम्भव नहीं है, बशर्ते आंकड़ों की सुरक्षा एवं गोपनीयता सुनिश्चित की जाए।

प्रतिस्पर्धा आयोग

1636. प्रो. एम. रामदास: क्या कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रतिस्पर्धा आयोग की संरचना और कार्यों का ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रतिस्पर्धा आयोग तथा प्रस्तावित राष्ट्रीय उत्पादन प्रतिस्पर्धात्मक परिषद के उद्देश्यों तथा कार्यों में क्या अंतर है;

(ग) क्या इन दो निकायों के बीच समन्वय पहलुओं का निपटान करने के लिए कोई प्रणाली विद्यमान है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कम्पनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रेम चन्द्र गुप्ता): (क) प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के अनुसार भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) में केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष एवं अन्य सदस्य कम से कम दो एवं अधिक से अधिक दस होंगे। आयोग का कार्य, प्रतिस्पर्धा पर गलत प्रभाव डालने वाले कार्यों को समाप्त करना, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना तथा बनाये रखना, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना तथा अन्य प्रतिभागियों द्वारा भारतीय बाजार में किये जाने वाले व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना, होगा।

(ख) चूंकि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के अंतर्गत कार्यों को करने के लिए एक संवैधानिक निकाय है, राष्ट्रीय उत्पादन प्रतिस्पर्धात्मक परिषद (एनएमसीसी), सरकार को उद्योग एवं सेक्टर विशेष संबंधी पहल, जो भारतीय उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए आवश्यक हो सकता है, पर सलाह देगी।

(ग) और (घ) एनएमसीसी की भूमिका ऐसे उपायों का सुझाव देने के लिए है, जिससे भारतीय उद्योग के कार्यों का प्रबंधन इस प्रकार होगा कि यह वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनेगा, जबकि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग एक संवैधानिक बाजार विनियामक है जिसका कार्य, बाजार में विभिन्न प्रतिस्पर्धी सत्ताओं (इंटीटीज) के मध्य उचित व्यापार कार्य सुनिश्चित करना है। चूंकि एनएमसीसी एवं सीसीआई की भूमिकाएं अलग-अलग हैं, इस स्तर पर समन्वय के उपाय आवश्यक नहीं समझे जाते हैं।

बैंकिंग क्षेत्र का एकीकरण

1637. श्री धर्मेन्द्र प्रधान:
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार सार्क देशों के बैंकिंग क्षेत्र के एकीकरण पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में अन्य देशों से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इस संबंध में सभी सार्क देशों ने अपनी सहमति व्यक्त की है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमणिक्कम): (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रखी दी जाएगी।

लोकनायक जय प्रकाश नारायण निधि

1638. श्री देविदास पिंगले:
श्री मुन्शी राम:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने लोक नायक जय प्रकाश नारायण निधि स्थापित करने की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त निधि के माध्यम से वित्त-पोषण हेतु निर्धारित कृषि क्षेत्र की अन्य योजनाओं का योजना-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) उन विभिन्न घटकों के नाम क्या हैं जिनकी सहायता से नाबार्ड ने उक्त योजना तैयार की है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमणिक्कम): (क) से (घ) वर्ष 2004-05 के अंतरिम बजट में 3 फरवरी, 2004 को की गई घोषणा के परिणामस्वरूप, 31 मार्च, 2007 तक की तीन वर्ष की अवधि के लिए 50,000 करोड़ रु. के कारपस के साथ नाबार्ड में लोक नायाक जय प्रकाश नारायण निधि (एलएनजेपीएनएफ) स्थापित की गई थी। इसके परिचालन में आने के साथ ही ग्रामीण आधारिक विकास निधि (आरआईडीएफ) को बंद कर दिया गया था। तदनन्तर; 2004-05 के बजट में की गई घोषणा के साथ ही नाबार्ड में आरआईडीएफ-X के लिए 8000 करोड़ रु. के कारपस की स्थापना करके 8 जुलाई, 2004 को आरआईडीएफ-X को पुनरुज्जीवित किया गया था। निम्नलिखित

क्रियाकलाप में राज्य सरकारों द्वारा समर्थित परियोजनाएं आरआईडीएफ-X के अंतर्गत वित्तपोषण के लिए पात्र होंगी:

1. ग्रामीण सड़कें
2. ग्रामीण पुल
3. लघु सिंचाई परियोजनाएं/माइक्रो सिंचाई
4. मृदा संरक्षण
5. बाढ़ से सुरक्षा
6. जल-विभाजक विकास/जल-भराव क्षेत्रों का उद्धार
7. नालियां
8. वन विकास
9. बाजार प्रांगण/गोदाम/अपना अंडी, ग्रामीण हाट और अन्य विपणन ढांचा
10. शीतागार, विभिन्न निकासी बिन्दुओं पर सरकारी या संयुक्त उद्यम वाले शीतागार
11. बीज/कृषि/बागवानी/फार्म
12. वृक्षारोपण एवं बागवानी
13. जांच करने एवं प्रमाणित करने वाली प्रयोगशालाएं जैसे वर्गीकरण एवं प्रमाणीकरण तंत्र
14. सारे गांव के लिए सिंचाई के उद्देश्यों के लिए सामुदायिक सिंचाई कुआं
15. मछली पकड़ने के लिए हारबर/जेट्टी
16. नदी जल में मत्स्यपालन
17. पशुपालन
18. आधुनिक बूचड़खाना
19. मध्यम सिंचाई परियोजनाएं
20. लघु पनबिजली परियोजनाएं
21. पीने योग्य जल
22. विद्यालय भवन, तथा
23. जन स्वास्थ्य संस्थाएं।

[अनुवाद]

कृषि ऋण

1639. श्री दलपत सिंह परस्ते:
श्री आर.एल. जालप्पा:
श्री जुएल ओराम:
श्री जी. करूणाकर रेड्डी:
श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा:
श्री चन्द्रभूषण सिंह:
श्री सर्वे सत्यनारायण:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि किसान आत्महत्या कर रहे हैं चूंकि वे उर्वरक तथा बीज खरीदने हेतु लिये गए ऋण को चुका नहीं पा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान आत्महत्या करने वाले किसानों की राज्य-वार संख्या सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या किसानों द्वारा ऋण के तत्काल समापन/रद्द करने के लिए बार-बार मांग की गई है;

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) वर्ष 2004-05 के लिए कृषि ऋण के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है और बैंक-वार, राज्य-वार अब तक कितनी धनराशि किसानों को वितरित की गई है;

(च) क्या छोटे किसानों की तुलना में बड़े किसान कृषि ऋण का अधिक लाभ उठा रहे हैं;

(छ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ज) इस संबंध में तथा किसानों को बचाने के लिए सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) से (ज) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

आंध्र प्रदेश में किसानों को ऋण न देना

1640. श्री रायापति सांबासिवा राव: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ऐसा बताया गया है कि ''किसान-अनुकूल'' नीति के बावजूद सरकार ने आंध्र प्रदेश राज्य के 37 लाख से अधिक किसानों को छिट-पुट औपचारिकताओं के आधार पर बैंक ऋण देने से इंकार किया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान ऐसे किसानों की संख्या कितनी है जिन्हें बैंक ऋण देने से मना कर दिया गया है;

(ग) बैंकों से ऋण सुविधाएं प्रदान करने के लिए आंध्र प्रदेश के सभी प्रकार के किसानों की सहायता करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है; और

(घ) सरकार उन किसानों की कितनी आवश्यकता पूर्ण कर पाई है जिन्हें अब तक बैंक ऋण देने से इंकार कर दिया गया था?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) और (ख) आन्ध्र प्रदेश में एसएलबीसी के संयोजक के रूप में आन्ध्रा बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार ऐसी कोई रिपोर्ट उनके ध्यान में नहीं आई है।

(ग) और (घ) कृषि एवं इससे संबद्ध क्षेत्रों के ऋण प्रवाह बढ़ाने के लिए 18 जून, 2004 को भारत सरकार द्वारा की गई घोषणा के अनुसरण में आन्ध्र प्रदेश में बैंकों ने अन्य बातों के साथ-साथ चालू वर्ष के दौरान ऋण को 35.81 प्रतिशत तक बढ़ाने को शामिल करते हुए कई कदम उठाए हैं। यह ऋण प्रवाह गत वर्ष की तुलना में 30 प्रतिशत अधिक वृद्धि का लक्ष्य था। सितम्बर 2004 के अंत की स्थिति के अनुसार राज्य में कृषि क्रियाकलापों के लिए संवितरित कुल ऋण लगभग 18802 करोड़ रुपए थे। राज्य में 106.43 लाख कृषि जोतों में से बैंकों ने 30.9.2004 की स्थिति के अनुसार बैंक वित्त के लिए 86.09 लाख कृषि जोतों को शामिल किया है।

चालू वर्ष के खरीफ मौसम के दौरान बैंकों ने आन्ध्र प्रदेश में बैंक वित्त के लिए लगभग 7.96 लाख नए किसानों को शामिल किया है।

काश्तकारों को बैंक ऋण सुलभ कराने हेतु आन्ध्र प्रदेश में रिथु मित्रा ग्रुप्स (आरएमजी) नामक एक नई योजना का सूत्रपात किया गया है। राज्य में बैंकरों ने राज्य सरकार से अनुरोध किया है कि वे सभी पात्र किसानों को बैंक ऋण सुलभता के लिए पट्टादार पासपुक (राजस्व रिकार्ड) जारी करें।

कपास का मूल्य

1641. श्री वसुदेव आचार्य: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या घरेलू आपूर्ति की बढ़ोत्तरी तथा सस्ते वैश्विक मूल्यों से भारत में कपास के मूल्यों में कमी आ रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या कपास के दामों में कमी आने से भारतीय अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ेगा; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला): (क) घरेलू कपास कीमतें पहले बची हुई सामग्री, वर्तमान आपूर्ति, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाजारों में कपास की वर्तमान और भावी मांग सहित अनेक कारकों पर निर्भर करती हैं। यह सच है कि घरेलू कपास कीमतें भी कपास की अंतर्राष्ट्रीय मूल्य प्रवृत्तियों से प्रभावित होती है। वर्तमान में, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाजारों में कपास कीमतें उन कीमतों से कम हैं जो पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान बनी हुई थीं।

(ख) और (ग) जी, नहीं। भारत सरकार घरेलू बाजार में कपास की कीमतों की घटती हुई प्रवृत्ति को रोकने के लिए भारतीय कपास निगम (सीसीआई) द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य अभियानों का विस्तार कर प्रभावी उपाय कर रही है। सीसीआई को निदेश दिया गया है कि वे बिना किसी मात्रात्मक सीमा के, घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्यों पर बाजार से कपास खरीद करें।

औद्योगिक विकास दर

1642. श्री डी. विट्टल राव: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश की राज्य-वार तथा उद्योग-वार औद्योगिक विकास दर क्या है; और

(ख) चालू वर्ष के लिए औद्योगिक विकास दर के लिए राज्य-वार तथा उद्योग-वार निर्धारित लक्ष्य क्या हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन (सीएसओ) द्वारा प्रकाशित औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (औ.उ.सू. आधार वर्ष 1993-1994 = 100) के आंकड़ों के आधार पर पिछले तीन वर्षों की अवधि के दौरान देश की समग्र औद्योगिक विकास दर 2003-2004 में 7.0 प्रतिशत, 2002-2003 में 5.7 प्रतिशत, 2001-2002 में 2.7 प्रतिशत थी। अप्रैल-सितंबर, 2004 की अवधि के दौरान यह विकास दर 7.9 प्रतिशत थी जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में यह दर 6.2 प्रतिशत थी। उपरोक्त तीन वर्षों की अवधि के दौरान दो-अंकीय औद्योगिक वर्गीकरण स्तर के अनुसार देश की उद्योग-वार विकास दर संलग्न विवरण-पत्र में दी गई है। केन्द्रीय

सांख्यिकी संगठन केवल अखिल भारतीय स्तर पर ही औद्योगिक उत्पादन सूचकांक संबंधी आंकड़े संकलित एवं निर्गमित करता है केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन राज्यवार सूचना संकलित नहीं करता है।

(ख) अलग-अलग राज्यों अथवा विशिष्ट उद्योगों के लिए कोई लक्ष्य नियत नहीं किये गये हैं। दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002-2007) के लिए उद्योग क्षेत्र हेतु 10 प्रतिशत का लक्ष्य तय किया गया है।

विवरण

औद्योगिक उत्पादन की विकास दर: 2 अंकीय वर्गीकरण के अनुसार औद्योगिक उत्पादन सूचकांक आधार: 1993-1994 = 100

उद्योग समूह	भार	विकास दर (%) में					
		अप्रैल-मार्च				अप्रैल-सितम्बर	
		2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2003-04	2004-05
1	2	3	4	5	6	7	8
खाद्य उत्पाद	9.08	10.1	-1.6	11.0	-0.5	8.7	-6.3
शराब, तंबाकू और सम्बद्ध उत्पाद	2.38	4.3	12.2	27.9	8.5	13.9	8.4
सूती कपड़ा	5.52	2.9	-2.2	-2.7	-3.1	-7.1	7.8
ऊनी, रेशमी और मानव निर्मित रेशा कपड़ा	2.26	5.8	4.4	3.0	6.8	4.5	6.4
जूट और अन्य वनस्पति रेशा कपड़ा (सूती को छोड़कर)	0.59	0.8	-5.9	8.3	-4.2	2.4	-5.0
कपड़ा उत्पाद (पोषाक सहित)	2.54	4.0	2.4	14.4	-3.2	1.6	3.1
काष्ठ व काष्ठ उत्पाद; फर्नीचर एवं फिक्चर्स	2.70	2.9	-11.0	-17.6	6.8	11.3	-10.8
कागज एवं कागज उत्पाद तथा छपाई, प्रकाशन व सम्बद्ध उद्योग	2.65	-9.1	3.0	6.8	15.6	20.8	3.1
चमड़ा एवं चमड़ा व फर उत्पाद	1.14	10.7	5.3	-3.2	-3.9	-8.4	5.4
मूल रसायन एवं रसायन उत्पाद (पेट्रोलियम व कोयला उत्पादों को छोड़कर)	14.00	7.3	4.8	3.7	8.7	1.7	17.6
रबड़, प्लास्टिक, पेट्रोलियम तथा कोयला उत्पाद	5.73	11.8	11.1	5.5	4.5	0.4	3.2
गैर-धात्विक खनिज उत्पाद	4.40	-1.2	1.1	5.1	3.7	4.3	-0.4
मूल धातु तथा मिश्रित उद्योग	7.45	1.8	4.3	9.2	9.2	11.2	-0.5
धातु उत्पाद तथा हिस्से-पुर्जे-मशीनरी व उपकरण को छोड़कर	2.81	15.0	-10.0	6.4	3.7	0.6	6.5
मशीनरी तथा उपकरण परिवहन उपकरणों को छोड़कर	9.57	7.3	1.3	1.6	15.8	7.8	26.0

1	2	3	4	5	6	7	8
परिवहन उपकरण तथा हिस्से-पुर्जे	3.98	-2.0	6.8	14.6	17.0	22.3	1.4
अन्य विनिर्माणकारी उद्योग	2.56	11.6	8.9	0.1	7.7	8.1	15.4
खनन तथा उत्खनन (उप-जोड़)	10.47	2.8	1.2	5.8	5.2	4.2	4.9
विनिर्माणकारी (उप-जोड़)	79.36	5.3	2.9	6.0	7.4	6.7	8.2
विद्युत (उप-जोड़)	10.17	4.0	3.1	3.2	5.8	3.2	7.7
समग्र	100.00	5.0	2.7	5.7	7.0	6.2	7.9

स्रोत: केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन (सीएसओ)

उत्पाद शुल्क में छूट

1643. श्री जीवाभाई ए. पटेल: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात सरकार ने केन्द्र सरकार को 31 दिसम्बर, 2006 तक सभी जिलों को उत्पाद शुल्क में छूट देने के लिए कोई अभ्यावेदन दिए हैं;

(ख) क्या सरकार इस मामले पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो किस तारीख तक निर्णय लिए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) गुजरात के कच्छ जिले में नई इकाइयों की स्थापना वाणिज्यिक उत्पादन की शुरुआत के लिए उत्पाद शुल्क से छूट प्राप्त करने की पात्रता हेतु गुजरात सरकार ने केन्द्र सरकार से दिनांक 31 दिसम्बर, 2004 से 31 दिसम्बर, 2006 तक अवधि बढ़ाने हेतु अनुरोध करते हुए एक अभ्यावेदन दिया है।

(ख) और (ग) सरकार ने दिनांक 9 नवम्बर, 2004 की अधिसूचना सं. 55/2004-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, के तहत कच्छ में नई इकाइयों को स्थापित करने और वाणिज्यिक उत्पादन की शुरुआत करने की अवधि को दिनांक 31 दिसम्बर, 2004 से 31 दिसम्बर, 2005 तक बढ़ा दिया है।

[हिन्दी]

स्वजलधारा योजना

1644. श्री अवतार सिंह भडाना: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या स्वजलधारा ग्रामीण पेयजल परियोजना के कार्यान्वयन के लिए प्रत्येक राज्य के लिए कोई बजट सीमा निर्धारित की गई है;

(ख) ऐसी एक परियोजना की लागत की उच्चतम सीमा क्या है; और

(ग) वर्ष 2002 से 2004 के दौरान राष्ट्रीय स्वजलधारा योजना के अंतर्गत विभिन्न राज्यों को हुए लाभ का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्री (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह): (क) से (ग) जून, 2003 में स्वजलधारा के संबंध में जारी किए गए व्यापक दिशा-निर्देशों में स्वजलधारा परियोजनाओं के लिए भारत सरकार के ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के बजट प्रावधान का अधिकतम 20 प्रतिशत निर्धारित किया गया है। इसमें यह प्रावधान भी है कि स्वजलधारा के अंतर्गत राज्यों को प्रतिवर्ष उस वर्ष के लिए निर्धारित अंतर्राज्यीय त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम (एआरडब्ल्यूएसपी) आबंटन आनुपात के आधार पर निधियां आबंटित की जाएंगी।

जून, 2003 में जारी व्यापक दिशा-निर्देशों में एकल योजना की परियोजना लागत के संबंध में कोई उच्चतम सीमा निर्धारित नहीं है।

स्वजलधारा के अंतर्गत अब तक जारी की गई राशि दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

स्वजलधारा योजना के अंतर्गत निधियों की रिलीज की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार स्थिति
(25.1.12004 की स्थिति के अनुसार)

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	स्वजलधारा 2002-03 के अंतर्गत रिलीज की गई राशि	स्वजलधारा 2003-04 के अंतर्गत रिलीज की गई राशि	स्वजलधारा 2004-05 के अंतर्गत रिलीज की गई राशि
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	5670.53	808.00	1224.49
2.	अरुणाचल प्रदेश	–	223.71	—
3.	असम	370.12	377.30	—
4.	छत्तीसगढ़	131.5	–	232.58
5.	गुजरात	162.54	765.50	
6.	हरियाणा	10.98	117.12	–
7.	हिमाचल प्रदेश	335.79	340.11	–
8.	जम्मू-कश्मीर	–	748.95	1170.02
9.	झारखंड	–	178.01	–
10.	कर्नाटक	118.31	753.77	940.15
11.	केरल	272.84	252.02	–
12.	मध्य प्रदेश	264.49	420.27	–
13.	महाराष्ट्र	3843.86	1086.07	–
14.	मेघालय	–	–	139.59
15.	मिजोरम	–	–	34.67
16.	नागालैंड	–	65.11	–
17.	उड़ीसा	335.84	373.03	648.92
18.	पंजाब	–	156.89	263.33
19.	राजस्थान	274.52	1095.50	1902.91
20.	तमिलनाडु	1394.63	673.20	666.84
21.	त्रिपुरा	–	104.36	92.80
22.	उत्तर प्रदेश	569.42	766.46	1215.80
23.	उत्तरांचल	–	182.00	–

1	2	3	4	5
24.	पश्चिम बंगाल	23.88	471.50	–
25.	दादर और नागर हवेली	4.74	4.00	–
	कुल	13883.99	9962.94	9151.91

चाय का निर्यात

1645. श्री बची सिंह रावत "बचदा": क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू वित्तीय वर्ष में चाय के निर्यात के लिए निर्धारित लक्ष्य क्या है, क्या भारत से चाय के निर्यात में बढ़ोत्तरी हुई है;

(ख) क्या सरकार द्वारा भारतीय चाय के लिए विशेष रूप से पश्चिमी अफ्रीका तथा उत्तरी अमरीका में नए बाजार ढूंढने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) वर्ष 2004-05 के दौरान भारत से 200 मिलियन कि.ग्रा. चाय के निर्यात का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अप्रैल-अक्तूबर, 2004 की अवधि के दौरान पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में चाय के निर्यातों में 1.60 मिलियन कि.ग्रा. की वृद्धि हुई है।

(ख) और (ग) जी हां। भारतीय चाय के लिए नए बाजारों का पता लगाने के प्रयासों के एक भाग के रूप में विभिन्न नए बाजारों की संभावना का पता लगाने के लिए बाजार अनुसंधान अध्ययन किए गए हैं। पश्चिमी अफ्रीका और दक्षिण अमरीका सहित नए बाजारों में संभावना का पता लगाने के लिए चाय बोर्ड के संवर्धनात्मक क्रियाकलापों को तेज किया गया है।

[अनुवाद]

ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की निगरानी

1646. श्री कुलदीप बिश्नोई:
श्री वरकला राधाकृष्णन:
श्री निखिल कुमार चौधरी:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विभिन्न विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की निगरानी करने के लिए जिला स्तर की सतर्कता समिति बनाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन समितियों के कब तक कार्य शुरू करने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकांता पाटील): (क) से (ग) सतर्कता एवं निगरानी समितियों की भूमिका एवं कार्यों को और अधिक सक्रिय बनाने की दृष्टि से, ताकि ये मंत्रालय के कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की प्रभावी निगरानी का एक महत्वपूर्ण तंत्र बन सकें, हाल ही में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र एवं जिला स्तरों पर इन समितियों का पुनर्गठन किया गया है। माननीय संसद सदस्यों को पुनर्गठित सतर्कता एवं निगरानी समितियों में महत्वपूर्ण भूमिका सौंपी गई है। विस्तृत दिशा-निर्देश जिसमें इन पुनर्गठित समितियों की संरचना, भूमिका एवं कार्य दिए गए हैं। बैठकें आयोजित करने के निर्देश सभी संबंधित समितियों को जारी कर दिए गए हैं। यह निर्धारित किया गया है कि समिति की बैठकें तिमाही आधार पर कराई जाएं।

[हिन्दी]

एन.टी.सी. मिल कर्मचारियों को वी.आर.एस.

1647. श्री सर्वे सत्यनारायण: क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले कुछ समय में एन टी सी मिलें बन्द की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो अब तक बन्द की गई वस्त्र मिलों की स्थान-वार संख्या कितनी है;

(ग) क्या एन टी सी के कई कर्मचारियों ने मिलों के बन्द होने के कारण वी आर एस लेना पसन्द किया;

(घ) क्या रिटेल आउटलेटों/बिक्री केन्द्रों पर नियुक्त कर्मचारियों/सेल्समेनों को कपड़ों की आपूर्ति न होने के कारण न्यूनतम से भी कम मजदूरी दी जा रही है तथा इसके फलस्वरूप कोई प्रोत्साहन राशि नहीं दी जा रही है;

(ङ) क्या रिटेल आउटलेटों पर नियुक्त कर्मचारियों को यही सुविधा दी जा रही है तथा उन्हें उतनी ही राशि दी जाएगी यदि वे मिलों के बन्द होने के समय वी आर एस लेने वाले मिल के कर्मचारियों की तरह वी आर एस चुनते हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला): (क) से (ग) जी, हां, बी.आई.एफ.आर. द्वारा अनुमोदित योजना के अनुसार 66 एन.टी.सी. एकक गैर-अर्थक्षम एककों के रूप में अभिज्ञात किए गए थे और उन्हें बन्द किया जाना था। इनमें से 65 एकक पहले ही बंद कर दिए गए हैं। शेष एकक यथा-स्वदेशी काटन मिल, पांडिचेरी के संबंध में इस मिल को बंद करने की कार्रवाई चल रही है।

66 मिलों में से 36357 कर्मचारियों ने एमवीआरएस का लाभ ले लिया है। बंद की गई एनटीसी मिलों के नाम, उनका स्थान और इन मिलों में 15.11.2004 की स्थिति के अनुसार एमवीआरएस लेने वाले कर्मचारियों की संख्या दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(घ) जी नहीं। कर्मचारियों को समय-समय पर संबंधित राज्य सरकारों द्वारा जारी की गई न्यूनतम मजदूरी अधिनियम संबंधी अधिसूचना के अनुसार मजदूरी का भुगतान किया जा रहा है। प्रत्येक खुदरा दुकानों/बिक्री केन्द्रों को बिक्री के आधार पर प्रोत्साहन दिए जाते हैं।

(ङ) और (च) खुदरा दुकानों पर तैनात कर्मचारियों को निम्नलिखित ब्यौरे के अनुसार वीआरएस के लाभ दिए जाते हैं:

(1) की गई सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए 35 दिन की परिलब्धियां (मूल वेतन, महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता)।

(2) बाकी रह गई प्रत्येक वर्ष की सेवा के लिए 25 दिन की परिलब्धियां (मूल वेतन, महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता)।

(3) अंतिम पांच वर्षों के दौरान सर्वोत्तम निवल बिक्री के औसत के आधार पर खुदरा दुकान के कर्मचारियों के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन।

विवरण

बंद मिलों के नाम, उनकी अवस्थिति और एमवीआरएस लेने वाले कर्मचारियों की संख्या दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	मिलों का नाम	15.11.2004 की स्थिति के अनुसार एमवीआरएस लेने वाले कर्मचारियों की संख्या
1	2	3
1.	**एनटीसी (एपीकेकेएम) लि.**	
	आंध्र प्रदेश	
1.	अदोनी मिल्स, अदोनी	104
2.	नटराज मिल्स, निर्मल	59
3.	नेथा मिल्स, सिकन्दराबाद	126
4.	आजम जाही मिल्स, वारंगल	453
	कर्नाटक	
5.	एम.एस.के. मिल्स, गुलबर्गा	749
6.	मैसूर स्पि. एंड विविंग मिल्स, बैंगलोर (मिनर्वा मिल्स के साथ विलय)	-
2.	**एनटीसी (डीपीआर) लि.**	
	पंजाब	
7.	दयाल बाग, अमृतसर	505
8.	पानीपत वूलेन मिल्स, खरार	630
	राजस्थान	
9.	इडवार्ड मिल्स, ब्यावर	280
3.	**एनटीसी (गुजरात) लि.**	
	गुजरात	
10.	राजकोट मिल्स, अहमदाबाद	307
11.	पेटलाड मिल्स, पेटलाड	376
12.	न्यू मानिकचौक टेक्स मिल्स, अहमदाबाद	778
13.	विरंघम टेक्स मिल्स, विरंघम	732

1	2	3
14.	महालक्ष्मी टेक्स, मिल्स, भावनगर	725
15.	राजनगर-2, अहमदाबाद	838
16.	अहम, ज्यूपिटर मिल्स, अहमदाबाद	794
17.	हिमाद्री टेक्सटाइल मिल्स, अहमदाबाद	525
18.	जहांगीर टेक्स मिल्स; अहमदाबाद	1102
4.	**एनटीसी (एमएन) लि.**	
	महाराष्ट्र	
19.	कोहिनूर-3, मुंबई	16
20.	कोहिनूर-2, मुंबई	83
21.	इंदु नं. 4, मुंबई	592
22.	इंदु नं. 2, मुंबई	813
23.	इंदु नं. 3, मुंबई	490
24.	जैम मैन्यू. मिल्स, मुंबई	702
25.	श्री सीताराम मिल्स, मुंबई	292
26.	माडल मिल्स, नागपुर	1305
27.	आरएसआरजी मिल्स, अकोला	621
28.	विदर्भ मिल्स, अचलपुर	528
5.	**एनटीसी (एमपी) लि.**	
	मध्य प्रदेश	
29.	कल्याणमल मिल्स, इंदौर	1445
30.	स्वदेशी मिल्स, इंदौर	615
31.	हीरा मिल्स, उज्जैन	874
32.	इंदौर मालवा मिल्स, इंदौर	1807
	छत्तीसगढ़	
33.	बेंगलनागपुर काटन मिल्स, राजनंदगांव	1203
6.	**एनटीसी (एमएम) लि.**	
	महाराष्ट्र	
34.	भारत टेक्स. मिल्स, मुंबई	809
35.	दिग्विजय टेक्स. मिल्स, मुंबई	870
36.	एलिफिंस्टन स्पि एंड विविंग. मिल्स, मुंबई	702
37.	ज्युपिटर टेक्स, मिल्स, मुंबई	737
38.	मुंबई टेक्स, मिल्स, मुंबई	794
39.	न्यू हिन्द टेक्स मिल्स, मुंबई	875
40.	पोद्दार प्रोसेसर्स, मुंबई	431
41.	श्री मधुसूदन मिल्स, मुंबई	512
7.	**एनटीसी (डब्ल्यूबीएबीओ) लि.**	
	पश्चिम बंगाल	
42.	सैंट्रल काटन मिल्स, बेलूर	219
43.	एम बी टेक्स. मिल्स, कोसीबाजार	101
44.	बैंगल फाइन-2, कटागंज	46
45.	ज्योति विविंग फैक्ट्री, पाटीपुकुर	92
46.	श्री महालक्ष्मी मिल्स, पलटा	144
47.	बंगाश्री काटन मिल्स, सुखचार	64
48.	बंगाल लक्ष्मी काटन मिल्स, सेरामपुर	171
49.	रामपुरिया काटन मिल्स, रिसरा	194
50.	बंगाल फाइन एस एण्ड डब्ल्यू मिल्स-1, कोननगर	157
	बिहार	
51.	गया काटन मिल्स, बिहार	147
8.	**एनटीसी (यूपी) लि.**	
	उत्तर प्रदेश	
52.	अबर्टन मिल्स, कानपुर	979
53.	बिजली काटन मिल्स, हाथरस	109
54.	लक्ष्मीरत्तन काटन मिल्स, कानपुर	1131
55.	लार्ड कृष्णा टेक्स मिल्स, सहारनपुर	510
56.	मयूर मिल्स, कानपुर	1235
57.	न्यू विक्टोरिया मिल्स, कानपुर	1265
58.	राय बरेली टेक्स, मिल्स, राय बरेली	155

1	2	3
59.	श्री विक्रम काटन मिल्स, लखनऊ	470
60.	स्वदेशी काटन मिल्स, कानपुर	1106
9.	**एनटीसी (टीएन एण्ड पी) लि.**	
	तमिलनाडु	
61.	ओम पराशक्ति मिल्स, कोयम्बटूर	284
62.	कृष्णावेनी टेक्स मिल्स, कोयम्बटूर	223
63.	कालिसवरार "ए", कोयम्बटूर	216
64.	सोमसुन्दरम मिल्स, कोयम्बटूर	642
65.	बलरामवर्मा, सेनकोट्टाह	292
	पांडिचेरी	
66.	स्वदेशी काटन मिल्स, पांडिचेरी	206 बंद प्रक्रिया अधीन
	कुल	36357

[अनुवाद]

जिला गरीबी उपशमन योजना के लिए विश्व बैंक सहायता

1648. श्री एम. राजा मोहन रेड्डी: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व बैंक देश में "जिला गरीबी उपशमन" योजनाओं के लिए सहायता उपलब्ध कराता है;

(ख) यदि हां, तो योजना के तहत प्रत्येक राज्य में आने वाले जिलों का ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसे जिलों की पहचान के लिए क्या मानदण्ड निर्धारित किये गए हैं;

(घ) इस योजना के तहत लाने के लिए अधिक जिलों को शामिल करने हेतु उनके राज्यों से कितने अनुरोध प्राप्त हुए हैं; और

(ङ) अब तक विश्व बैंक द्वारा उपलब्ध करायी गई सहायता का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) जी, हां।

(ख) और (ङ) इस समय 5 जिला गरीबी उपशमन परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं: आंध्र प्रदेश जिला गरीबी-उपशमन उपाय परियोजना (आईडीए क्रेडिट 111 मिलियन अमरीकी डालर), आंध्र प्रदेश ग्रामीण गरीबी उपशमन परियोजना (आईडीए क्रेडिट 150 मिलियन अमरीकी डालर), छत्तीसगढ़ जिला ग्रामीण गरीबी-उपशमन परियोजना (आईडीए क्रेडिट 112.56 मिलियन अमरीकी डालर), मध्य प्रदेश जिला गरीबी-उपशमन उपाय परियोजना (आईडीए क्रेडिट 110.1 मिलियन अमरीकी डालर) और राजस्थान जिला गरीबी-उपशमन उपाय परियोजना (आईडीए क्रेडिट 100.5 मिलियन अमरीकी डालर)। ये योजनाएं आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सभी जिलों, मध्य प्रदेश के 14 जिलों और राजस्थान के 7 जिलों में चलाई जा रही हैं।

(ग) राज्य सरकार की तरजीह को ध्यान में रखने के साथ-साथ निर्धनता और मानव-विकास के संकेतक इन परियोजनाओं के अंतर्गत जिलों की पहचान करने के लिए मुख्य मापदंड हैं।

(घ) प्रत्येक राज्य में चुने गए जिलों की संख्या तय की गई ऋण राशियों और प्रति जिला सहायता की अपेक्षित मात्रा के बारे में राज्य सरकार, भारत सरकार और विश्व बैंक द्वारा किए गए संयुक्त मूल्यांकन पर निर्भर करती है। भारत सरकार ने अनुमोदित ऋण राशि के अन्दर और अधिक जिलों को शामिल करने की मांगों का समर्थन नहीं किया है क्योंकि इसका अर्थ यह होगा कि सभी जिलों को यथानुपात कम सहायता मिलेगी। प्रति जिला ऐसी अपेक्षाकृत कम राशि अत्यावश्यक न्यूनतम विकास उद्देश्यों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं होगी।

ग्रामीण क्षेत्रों में सफाई

1649. श्री जी.एम. सिद्दीश्वर:
श्री जी. करूणाकर रेड्डी:
श्री अनन्त नायक:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान और आज की तिथि तक केन्द्र सरकार को ग्रामीण क्षेत्रों के प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में सफाई हेतु केन्द्रीय सहायता के राज्यवार कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) राज्यवार और वर्षवार कितने प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गयी और सहायता प्रदान की गयी;

(ग) केन्द्रीय ग्रामीण सफाई कार्यक्रम के अन्तर्गत अलग-अलग परियोजनाओं के लिए कुल कितनी धनराशि का आबंटन किया गया और कितनी धनराशि का उपयोग किया गया;

(घ) ग्रामीण सफाई क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों के लिए कितनी राजसहायता प्रदान की गयी;

(ङ) क्या सरकार को कतिपय जिलों में समग्र सफाई अभियान के सम्बन्ध में गुजरात से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या गैर-सरकारी संगठन/स्वयंसेवी संगठन सूखा प्रवण क्षेत्रों/गांवों में कार्य कर रहे हैं; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कितनी धनराशि प्राप्त की गयी?

ग्रामीण विकास मंत्री (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह): (क) और (ख) केन्द्र द्वारा प्रायोजित, केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम (सी.आर.एस.पी.) के अंतर्गत भारत सरकार राज्य सरकारों को ग्रामीण स्वच्छता के क्षेत्र में सहायता प्रदान कर रही है। सी.आर.एस.पी. के अंतर्गत मांगजनित संपूर्ण स्वच्छता अभियान (टी.एस.सी.) परियोजनाओं को जिले को एक इकाई मानकर अनुमोदित किया जाता है। टी.एस.सी. परियोजनाओं को अनुमोदित करते समय अन्य मदों के साथ-साथ प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों के लिए शौचालय सुविधाएं भी अनुमोदित की जाती हैं। पिछले तीन सालों में और आदिनांक टी.एस.सी. परियोजनाओं के अंतर्गत अनुमोदन हेतु संघ सरकार को प्राप्त कुल प्रस्तावों, अनुमोदित प्रस्तावों की संख्या और प्रदत्त सहायता का राज्यवार तथा वर्ष-वार विवरण संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) अब तक अनुमोदित 426 टी.एस.सी. परियोजनाओं के लिए केन्द्र का कुल परिव्यय 2428.08 करोड़ रु. है, जिसमें से राज्यों को अब तक 797.66 करोड़ रु. की राशि रिलीज की जा चुकी है। गरीबी रेखा से नीचे (बी.पी.एल.) रह रहे व्यक्तिगत लाभार्थियों को घरेलू शौचालयों के निर्माण हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। यदि शौचालय की मूल लागत 625 रु. तक है तो भारत सरकार, राज्य सरकार और बी.पी.एल. लाभार्थियों के बीच निर्माण लागत का अनुपात 60:20:20 होता है और यदि मूल लागत 1000 रु. तक है तो यह अनुपात 30:30:40 होता है। यदि शौचालय की मूल लागत 1000 रु. से अधिक है तो कोई आर्थिक सहायता नहीं दी जाती।

(ङ) और (च) जी हां। टी.एस.सी. परियोजनाओं के अनुमोदन हेतु गुजरात सरकार से कुल 25 प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। इनमें से, 23 जिलों में टी.एस.सी. परियोजनाओं को अनुमोदित किया गया है। इन परियोजनाओं के लिए स्वीकृत की गई केन्द्रीय अंश की कुल राशि 141.80 करोड़ रु. है। इसके अतिरिक्त, बेसलाइन सर्वे कराने के लिए और परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए शेष दो जिलों के लिए 10 लाख रु. रिलीज किए गए हैं।

(छ) और (ज) टी.एस.सी. दिशानिर्देशों के अंतर्गत विभिन्न कार्यों के लिए टी.एस.सी. परियोजनाओं में गैर-सरकारी संगठनों और स्वैच्छिक संगठनों को नियुक्ति करने की अनुमति है। तथापि, उन्हें नियुक्त करने का निर्णय राज्यों में संबंधित परियोजना निष्पादन एजेंसियों द्वारा किया जाता है और भारत सरकार द्वारा इन गैर-सरकारी संगठनों और स्वैच्छिक संगठनों की नियुक्ति के बारे में कोई रिकार्ड नहीं रखा जाता।

विवरण

राज्य-वार और वर्ष-वार प्राप्त अनुमोदित प्रस्तावों और प्रदत्त सहायता का विवरण

(रु. लाख में)

क्र.सं.	राज्य	2001-2002			2002-2003			2003-2004			2004-2005			कुल		
		प्राप्त प्रस्ताव	अनुमोदित प्रस्ताव	प्रदत्त सहायता	प्राप्त प्रस्ताव	अनुमोदित प्रस्ताव	प्रदत्त सहायता	प्राप्त प्रस्ताव	अनुमोदित प्रस्ताव	प्रदत्त सहायता	प्राप्त प्रस्ताव	अनुमोदित प्रस्ताव	प्रदत्त सहायता	प्राप्त प्रस्ताव	अनुमोदित प्रस्ताव	प्रदत्त सहायता
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	आंध्र प्रदेश	6	6	2359.45	8	8	1600.87	4	4	4660.35	0	0	2672.16	18	18	11292.83
2.	अरुणाचल प्रदेश	2	2	52.80	0	0	0.00	0	0	0.00	9	0	0.00	11	2	52.80
3.	असम	8	8	410.38	0	0	0.00	3	3	199.31	9	0	0.00	20	11	609.69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4.	बिहार	5	5	2862.82	6	6	1548.70	0	0	0.00	12	0	0.00	23	11	4411.52
5.	छत्तीसगढ़	1	1	229.33	3	3	175.64	2	2	0.00	10	0	1000.17	16	6	1405.14
6.	दादर और नागर हवेली	0	0	3.15	1	1	3.15	0	0	0.00	0	0	0.00	1	1	6.30
7.	गोवा	0	0	0.00	0	0	0.00	1	1	0.00	1	0	124.67	2	1	124.67
8.	गुजरात	0	0	76.20	2	2	194.65	0	0	12.50	20	18	0.00	22	20	283.35
9.	हरियाणा	2	2	187.74	3	3	402.90	12	12	62.06	0	0	811.13	17	17	1463.83
10.	हिमाचल प्रदेश	1	1	55.41	5	5	79.29	0	0	0.00	4	0	0.00	10	6	134.70
11.	जम्मू-कश्मीर	0	0	0.00	2	2	0.00	10	10	76.48	0	0	964.73	12	12	1041.21
12.	झारखंड	2	2	856.58	2	2	223.87	0	0	284.61	16	0	0.00	20	4	1365.06
13.	कर्नाटक	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	24	0	221.99	24	0	221.99
14.	केरल	4	4	741.98	7	7	439.27	0	0	864.13	0	0	625.17	11	11	2670.55
15.	मध्य प्रदेश	1	1	404.86	9	9	718.10	30	30	4352.79	0	0	2124.62	40	40	7600.37
16.	महाराष्ट्र	0	0	305.14	11	11	591.37	13	13	725.05	0	0	3346.76	24	24	4968.32
17.	मणिपुर	0	0	0.00	3	3	0.00	0	0	103.56	0	0	0.00	3	3	103.56
18.	मेघालय	0	0	0.00	0	0	0.00	2	2	221.37	0	0	0.00	2	2	221.37
19.	मिजोरम	0	0	0.00	1	1	0.00	1	1	11.51	6	0	0.00	8	2	11.51
20.	नागालैंड	0	0	0.00	1	1	13.79	0	0	0.00	1	0	0.00	2	1	13.79
21.	उड़ीसा	2	2	925.46	10	10	1113.85	0	0	284.16	15	9	393.16	27	21	2716.63
22.	पांडिचेरी	1	1	47.42	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	47.42	1	1	94.84
23.	पंजाब	1	1	194.84	2	2	52.67	9	9	0.00	3	0	669.94	15	12	917.45
24.	राजस्थान	0	0	265.62	5	5	265.62	0	0	119.12	22	1	76.33	27	6	726.69
25.	सिक्किम	2	2	124.42	0	0	17.98	0	0	38.36	0	0	74.07	2	2	254.83
26.	तमिलनाडु	3	3	2375.72	12	12	2192.49	6	6	2768.98	0	0	1419.79	21	21	8756.98
27.	त्रिपुरा	3	3	364.63	0	0	249.56	0	0	819.21	0	0	253.66	3	3	1687.06
28.	उत्तर प्रदेश	16	16	2429.31	13	13	2272.40	29	29	3120.44	0	0	2045.27	58	58	9867.42
29.	उत्तरांचल	1	1	34.62	5	5	151.16	7	7	13.40	0	0	503.23	13	14	702.41
30.	पश्चिम बंगाल	4	4	2442.94	5	5	1528.88	3	3	1181.10	0	0	927.82	12	12	6080.74
	कुल	65	65	17750.82	116	116	13836.21	132	132	19918.49	152	28	18302.09	465	341	69807.61

रेशम कृषि मेला

1650. श्री एम. शिवन्ना: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय रेशम कीट पालन अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान (सी.एस.आर.टी.आई.) ने नवम्बर, 2004 के प्रथम सप्ताह के दौरान मैसूर में "रेशम कृषि मेला-2004" आयोजित किया था; और

(ख) यदि हां, तो मेले के उद्देश्य क्या थे और इस मेले के क्या परिणाम निकले?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला): (क) जी, हां। केन्द्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान (सी.एस.आर.टी.आई.) ने मैसूर में 16 नवम्बर, 2004 को रेशम कृषि मेला आयोजित किया।

(ख) इस मेले के उद्देश्य और परिणाम नीचे दिए गए हैं:

उद्देश्य:

(1) किसानों में जागरूकता पैदा करना।

(2) किसानों, वैज्ञानिकों और विस्तार स्टाफ में उचित सूचना प्राप्त करने तथा ज्ञान एवं अनुभवों को बांटने के लिए भागीदारी-दृष्टिकोण बढ़ाना।

(3) गुणवत्ता के द्विफसलीय कोये का निम्न लागत पर उत्पादन करने के प्रति लागत कम करने वाली उन्नत प्रौद्योगिकियों को लोकप्रिय बनाना।

परिणाम:

(1) इससे अनुभवों, विचारों और अवधारणाओं के आदान-प्रदान के लिए एक साझा मंच मिला। लगभग 1500 रेशम उत्पादक किसानों, जिनमें 250 महिला रेशम उत्पादन किसान, विभिन्न अनुसंधान संस्थानों के 200 वैज्ञानिक, नीति निर्माता, राज्य सरकारों के विस्तार अधिकारीगण, गुणवत्ता क्लब के सदस्यगण, रेशम उत्पादन इनपुट्स के विनिर्मातागण एवं वितरक शामिल हैं, ने इस मेले में भाग लिया और बातचीत की। इस मेले से उन्नत प्रजातियों के द्विफसलीय कोये की भारी मात्रा का उत्पादन करने के लिए भागीदारी तरीके से किसानों को करने में सहायता मिली।

(2) रेशम उत्पादन संबंधी प्रकाशन और सीडी और केंद्रीय रेशम बोर्ड द्वारा विकसित "स्फूर्ति" नामक शहतूती स्वास्थ्य पेय जारी किया गया।

(3) जिन प्रगतिशील किसानों ने द्विफसलीय रेशमकीट पालन में अपेक्षाकृत अधिक कोए की उपज प्राप्त की, उन्हें शुभकामनाएं दी गईं।

[हिन्दी]

सरकारी क्षेत्र के बैंकों का नकद जमा अनुपात

1651. श्री सूरज सिंह:
श्री बालासाहिब विखे पाटील:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के बैंकों और निजी बैंकों में नकद जमा अनुपात में भारी वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान निजी बैंकों में हुए कारोबार और आय का ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान निजी बैंकों और सरकारी क्षेत्र के बैंकों के जमा/ऋण अनुपात का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या बैंकों ने जमा दरों और ऋण दरों को 0.25% से 0.5% तक बढ़ाना शुरू कर दिया है;

(ङ) यदि हां, तो सरकार किस प्रकार इन्हें वर्तमान दर पर बनाए रखेगी;

(च) क्या निजी बैंक विभिन्न योजनाओं के माध्यम से ऋण प्रदान करके अधिक ग्राहक बनाने में जुटे हुए हैं और इस प्रकार वे इन्हें ऋणी बना रहे हैं;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ज) क्या सरकार का विचार निजी बैंकों की उन योजनाओं पर रोक लगाकर कार्रवाई करने का है जिनके अंतर्गत अधिक ब्याज दरों पर ऋण प्रदान किया जाता है; और

(झ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) से (ग) वर्ष 2002, 2003 तथा 2004 की 31 मार्च की स्थिति के अनुसार बकाया कुल जमा तथा कुल बैंक ऋण के आधार पर सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों के ऋण जमा

अनुपात का बैंक-वार ब्यौरा संलग्न विवरण I और II में दिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक के पास गत तीन वर्षों के दौरान निजी बैंकों की कुल बिक्री तथा आय के बारे में कोई सूचना नहीं है।

(घ) कुछ बैंकों ने हाल ही में अपनी जमा दरों को 25-50 आधार अंकों तक बढ़ाया है। अग्रिम के लिए कुछ बैंकों जैसे एसबीआई, आईसीआईसीआई तथा एचडीएफसी सावधि एवं अस्थाई श्रेणियों में आवास ऋण के लिए नवम्बर, 2004 से अपनी उधार दर 25-75 आधार अंक तक बढ़ाई है।

(ङ) अक्तूबर, 2004 को जारी की गई वर्ष 2004-05 के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की मध्यावधि समीक्षा के अनुसार ब्याज दर मुख्यत: मुद्रा स्फीति, वृद्धि, संभावना तथा निवेश मांग पर निर्भर करता है और सभी अन्य व्यष्टि आर्थिक उतार-चढाव में संभावित गतिविधियों का संज्ञान लिए बगैर, जो कि अप्रत्याशित घरेलू या बाह्य गतिविधियों के कारण अप्रत्याशित परिवर्तनों के अध्यधीन है, ब्याज दरों में जल्दी-जल्दी होने वाली गतिविधियों की भविष्यवाणी करना संभव नहीं है।

(च) से (झ) बैंक आवास तथा उपभोक्ता ऋण के लिए ऋणों में शीघ्र वृद्धि को ध्यान में रखते हुए अपने ग्राहकों को विभिन्न उत्पाद प्रदान करते रहे हैं। वर्ष 2004-05 के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की वार्षिक नीति की मध्यावधिक समीक्षा में आवास ऋणों के मामले में 50 प्रतिशत से 75 प्रतिशत तक तथा व्यक्तिगत ऋण और क्रेडिट कार्डों समेत उपभोक्ता ऋण के मामले में 100 प्रतिशत से 125 प्रतिशत जोखिम भार बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है।

विवरण I

सरकारी क्षेत्र के बैंकों का बैंक-वार ऋण-जमा अनुपात

(प्रतिशत)

31 मार्च के अनुसार

बैंक का नाम	2002	2003	2004*
1	2	3	4
इलाहाबाद बैंक	53.84	54.52	52.68
आन्ध्रा बैंक	54.54	55.56	59.83
बैंक आफ बड़ौदा	57.85	55.38	49.74
बैंक आफ इंडिया	63.62	63.94	63.06
बैंक आफ महाराष्ट्र	47.07	46.89	48.84
केनरा बैंक	53.47	57.49	57.57
सेंट्रल बैंक आफ इंडिया	51.76	51.17	46.17
कारपोरेशन बैंक	59.56	55.35	61.97
देना बैंक	56.50	57.15	56.68
इंडियन बैंक	51.62	51.16	53.73
इंडियन ओवरसीज बैंक	47.66	48.32	50.15
ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	53.23	57.29	58.58

1	2	3	4
पंजाब सिंध बैंक	47.61	49.93	48.91
पंजाब नैशनल बैंक	57.54	56.63	57.03
स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर	54.76	55.55	59.27
स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	52.64	50.31	52.15
भारतीय स्टेट बैंक	71.45	6.61	57.84
स्टेट बैंक आफ इंदौर	58.02	58.19	65.96
स्टेट बैंक आफ मैसूर	63.01	63.20	61.15
स्टेट बैंक आफ पटियाला	69.26	62.48	59.98
स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र	60.31	54.53	52.69
स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर	57.28	60.87	58.35
सिंडिकेट बैंक	52.67	50.80	46.74
यूको बैंक	51.11	55.92	56.18
यूनियन बैंक आफ इंडिया	56.95	60.93	62.25
युनाइटेड बैंक आफ इंडिया	41.33	39.60	38.81
विजया बैंक	44.28	48.55	53.91
सरकारी क्षेत्र के बैंक	58.51	56.38	55.63

*2004 के लिए आंकड़ा अनंतिम
स्रोत: बीएसआर-7 सर्वे मार्च 2002-2004

विवरण II

गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों का बैंक-वार ऋण-जमा अनुपात

(प्रतिशत)

31 मार्च की स्थिति के अनुसार

बैंक का नाम	2002	2003	2004*
1	2	3	4
बैंक आफ मदुरा लि.	12.34	●	●
बैंक आफ पंजाब लि.	59.88	50.80	66.61
बैंक आफ राजस्थान लि.	55.90	50.17	44.29
बनारस स्टेट बैंक लि.	23.57	26.20	*

1	2	3	4
भारत ओवरसीज बैंक लि.	47.55	55.31	59.43
कैथोलिक सिरियन बैंक लि.	44.97	49.75	57.14
सेंचुरियन बैंक लि.	66.33	60.02	62.68
सिटी यूनियन बैंक लि.	53.04	56.00	57.76
डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक लि.	82.01	95.69	77.65
धनलक्ष्मी बैंक लि.	60.10	56.03	57.91
फेडरल बैंक लि.	66.58	63.48	64.53
गणेश बैंक आफ कुरूंडवाड़ लि.	57.23	64.55	59.93
ग्लोबल ट्रस्ट बैंक लि.	67.38	61.19	54.85
एचडीएफसी बैंक लि.	40.63	53.75	57.59
आईसीआईसीआई बैंक लि.	202.71^	80.41	74.65
आईडीबीआई बैंक लि.	77.19	79.48	74.72
इंडसइंड बैंक लि.	86.82	65.28	63.53
आईएनजी वैश्य बैंक लि.	62.38	70.60	77.20
जम्मू एवं कश्मीर बैंक लि.	63.91	71.36	67.62
कर्नाटक बैंक लि.	52.99	52.51	55.68
करूर वैश्य बैंक लि.	67.12	72.19	77.30
कोटाक महिन्द्रा बैंक लि.	–	–	48.67
लक्ष्मी विलास बैंक लि.	68.33	69.17	66.79
लार्ड कृष्णा बैंक लि.	62.08	60.90	54.27
नैनिताल बैंक लि.	23.17	26.80	31.85
नेडुंगाडी बैंक लि.	60.98	67.98	#
रत्नाकर बैंक लि.	49.21	51.30	51.85
सांगली बैंक लि.	43.59	41.39	44.40
एसबीआई कमर्शियल एंड इंटरनेशनल बैंक लि.	56.37	50.85	48.58
साउथ इंडियन बैंक लि.	59.76	57.19	58.03

1	2	3	4
तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक लि.	50.94	51.35	52.92
यूनाइटेड वेस्टर्न बैंक लि.	67.00	68.90	70.92
यूटीआई बैंक लि.	58.37	51.42	55.08
गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंक	79.95	66.85	65.58

**2004 के लिए आंकड़ा अनंतिम

*बैंक आफ बड़ौदा के साथ विलय

#पंजाब नैशनल बैंक के साथ विलय

@आईसीआईसीआई बैंक के साथ विलय

^आईसीआईसीआई बैंक लि. के साथ आईसीआईसीआई के विलय के कारण

स्रोत: बीएसआर-7 सर्वे मार्च 2002-2004

[अनुवाद]

परती भूमि का विकास

1652. **श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी:**
श्री दुष्यंत सिंह:
श्री रमेन बर्मन:
श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील:
श्री सुनिल कुमार महतो:
श्री हरिकेवल प्रसाद:
श्री हितेन बर्मन:
श्री अधीर चौधरी:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राज्यवार कुल कितनी परती भूमि है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान उन राज्यों में परती भूमि के विकास के लिए क्या कदम उठाये गये हैं;

(ग) परती भूमि के विकास के लिए कितनी धनराशि की आवश्यकता है और सरकार ने इसके लिए कितनी धनराशि स्वीकृत की है;

(घ) क्या सरकार का विचार इस उद्देश्य के लिए गैर-सरकारी/निगमित क्षेत्र को शामिल करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार ने परती भूमि के विकास के लिए लोकनायक जयप्रकाश नारायण राष्ट्रीय मिशन निवेश संवर्द्धन योजना चलायी है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लिए कितनी धनराशि का आबंटन किया गया?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकांता पाटील): (क) राष्ट्रीय दूर संवेदी एजेंसी (एन.आर.एस.ए.), हैदराबाद के सहयोग से भूमि संसाधन विभाग द्वारा प्रकाशित 'बंजरभूमि संबंधी एटलस, 2000 (वेस्टलैण्ड एटलस, 2000)' के अनुसार देश में बंजरभूमि का कुल क्षेत्रफल 63.85 मिलियन हैक्टेयर है। बंजरभूमि का राज्य-वार ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है।

(ख) देश में बंजरभूमि/अवक्रमित भूमि को विकसित करने के लिए वाटरशेड विकास परियोजनाएं ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत भूमि संसाधन विभाग द्वारा तीन क्षेत्र विकास कार्यक्रमों, नामत: समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.डी.पी.), सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.) तथा मरुभूमि विकास कार्यक्रम (डी.डी.पी.) के अंतर्गत 5 वर्षों की अवधि के लिए स्वीकृत की जाती हैं। विभाग ने गत तीन वर्षों के दौरान राज्यों में उपर्युक्त कार्यक्रमों के अंतर्गत विभिन्न परियोजनाओं के लिए विवरण-II में दिए गए ब्यौरे के अनुसार 198656.13 लाख रुपये की राशि जारी की है। इन कार्यक्रमों के अंतर्गत मृदा तथा नमी संरक्षण संबंधी विभिन्न कार्यकलाप, जल संग्रहण, वनीकरण, चारागाह विकास आदि कार्य स्थानीय निवासियों के सक्रिय सहयोग से किए जाते हैं।

(ग) 63.85 मिलियन हैक्टेयर बंजरभूमि में से 51.049 मिलियन हैक्टेयर बंजरभूमि को विकसित किया जा सकता है। इसमें से भूमि संसाधन विभाग द्वारा 30.84 मिलियन हैक्टेयर बंजरभूमि को विकसित किया जाना है (शेष बंजरभूमि अन्य मंत्रालयों द्वारा विकसित की जा रही है)। 6000 रुपये प्रति हैक्टेयर के वर्तमान लागत मानदण्ड

पर विकसित करने के लिए कुल लागत 18,503.28 करोड़ रुपये बैठती है। भूमि संसाधन विभाग ने 19.41 मिलियन हैक्टेयर भूमि, जिसमें बंजरभूमि भी शामिल है, को वाटरशेड आधार पर विकसित करने के लिए समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.डी.पी.), सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.) तथा मरुभूमि विकास कार्यक्रम (डी.डी.पी.) के अंतर्गत 1.4.1995 से लेकर 31.03.2004 तक 3456.48 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की है।

(घ) और (ङ) भूमि राज्य का विषय है। अतः विकास संबंधी प्रयोजनों के लिए बंजरभूमि आबंटित करना संबंधित राज्यों की जिम्मेवारी है।

(च) और (छ) सरकार ने ऐसा कोई मिशन शुरू नहीं किया है।

विवरण I

भारत की राज्य-वार बंजरभूमि

(क्षेत्र वर्ग किलोमीटर में)

क्रम सं.	राज्य	शामिल किए गए जिलों की संख्या	शामिल किए गए जिलों का कुल भौगोलिक क्षेत्र	शामिल किए गए जिलों में बंजरभूमि का कुल क्षेत्र	कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में बंजरभूमि की प्रतिशतता
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	23	275068.00	51750.19	18.81
2.	अरुणाचल प्रदेश	13	83743.00	18326.25	21.88
3.	असम	23	78438.00	20019.17	25.52
4.	बिहार	55	173877.00	20997.55	12.08
5.	गोवा	02	3702.00	613.27	16.57
6.	गुजरात	25	196024.00	43021.28	21.95
7.	हरियाणा	19	44212.00	3733.98	8.45
8.	हिमाचल प्रदेश	12	55673.00	31659.00	56.87
9.	जम्मू-कश्मीर	14	222236.00	65444.24	64.55
10.	कर्नाटक	27	191791.00	20839.28	10.87
11.	केरल	14	38863.00	1448.18	3.73
12.	मध्य प्रदेश	62	443446.00	69713.75	15.72
13.	महाराष्ट्र	32	307690.00	53489.08	17.38
14.	मणिपुर	09	22327.00	12948.62	58.00
15.	मेघालय	07	22429.00	9904.38	44.16
16.	मिजोरम	03	21081.00	4071.68	19.31

1	2	3	4	5	6
17.	नागालैण्ड	07	16579.00	8404.10	50.69
18.	उड़ीसा	30	155707.00	31341.71	13.71
19.	पंजाब	17	50362.00	2228.40	4.42
20.	राजस्थान	32	342239.00	105639.11	30.87
21.	सिक्किम	04	7096.00	3569.58	50.30
22.	त्रिपुरा	04	10486.00	1276.03	12.17
23.	तमिलनाडु	29	130058.00	1276.03	17.70
24.	उत्तर प्रदेश	83	294411.00	38772.80	13.17
25.	पश्चिम बंगाल	18	88752.00	5718.48	6.44
26.	संघ राज्य क्षेत्र	20	10973.00	574.30	5.23
	योग	584	3287263.00	638518.31	20.17

स्रोत: एन.आर.एस.ए. बंजरभूमि एटलस, 2000 में निहित लैंड सैट थीमैटिक मैपर/आई.आर.एस./एल.आई.एस.एस. 2/3 डाटा से 1:50,000 के पैमाने पर तैयार किए गए बंजरभूमि के नक्शे।

टिप्पणी: जम्मू और कश्मीर में 1,20,849.00 वर्ग कि.मी. क्षेत्र के नक्शे तैयार नहीं किये गये हैं। अत: प्रतिशतता के परिकलन के लिए इस पर विचार नहीं किया गया है।

विवरण II

वर्ष 2001-02 से लेकर 2003-04 तक की अवधि के दौरान ग्रामीण विकास मंत्रालय के विभिन्न क्षेत्र विकास कार्यक्रमों (चल रही परियोजनाओं सहित) के अंतर्गत जारी की गई निधियां

(लाख रुपये में)

		जारी की गई निधियां			
क्र.सं.	राज्य का नाम	आई.डब्ल्यू.डी.पी.	डी.पी.ए.पी.	डी.डी.पी.	योग
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	6098.95	13859.39	2778.13	22736.47
2.	अरुणाचल प्रदेश	896.28	–	–	896.28
3.	असम	4790.03	–	–	4790.03
4.	बिहार	503.25	814.87	–	1318.12
5.	छत्तीसगढ़	2042.71	3629.01	–	5671.72

1	2	3	4	5	6
6.	गोवा	82.50	–	–	82.50
7.	गुजरात	4360.27	7801.58	11288.58	23450.43
8.	हरियाणा	809.25	–	5213.02	6022.27
9.	हिमाचल प्रदेश	3886.22	1217.09	2151.99	7255.30
10.	जम्मू-कश्मीर	783.89	941.94	2604.14	4329.97
11.	झारखण्ड	391.67	2647.97	–	3039.64
12.	कर्नाटक	4508.00	7574.56	4726.60	16809.16
13.	केरल	531.59	–	–	531.59
14.	महाराष्ट्र	2401.07	4788.54	–	7189.61
15.	मध्य प्रदेश	7980.78	14103.67	–	22084.45
16.	मणिपुर	1283.42	–	–	1283.42
17.	मेघालय	520.70	–	–	520.70
18.	मिजोरम	2250.51	–	–	2250.51
19.	नागालैण्ड	4771.56	–	–	4771.56
20.	उड़ीसा	3647.72	2917.12	–	6564.84
21.	पंजाब	172.05	–	–	172.05
22.	राजस्थान	3910.10	4605.42	26204.54	34720.06
23.	सिक्किम	824.98	–	–	824.98
24.	तमिलनाडु	3574.45	4326.01	–	7900.46
25.	त्रिपुरा	191.84	–	–	191.84
26.	उत्तर प्रदेश	4854.72	4121.70	–	8976.42
27.	उत्तरांचल	1005.50	1360.48	–	2365.98
28.	पश्चिम बंगाल	127.50	668.65	–	796.15
	अन्य	1000.00	73.62	36.00	1109.62
	योग	68201.51	75451.62	55003.00	198656.13

राज्यों पर केन्द्रीय ऋण की ब्याज दर

1653. श्री किरिप चालिहा:
श्री प्रकाशबापू वी. पाटिल:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग ने राज्यों द्वारा भुगतान किए जाने वाले सभी बकाया केन्द्रीय ऋणों की ब्याज दर को कम करने का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि केन्द्रीय ऋणों की ब्याज दर बाजार की ब्याज दर से काफी अधिक है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या सरकार ने योजना आयोग के सुझाव पर अंतिम निर्णय ले लिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) जी, हां।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) केन्द्रीय ऋणों पर ब्याज की दर जो उधारों की लागत, परिपक्वता असंतुलन, आदि सहित सभी संबद्ध घटकों को ध्यान में रखकर निर्धारित की जाती है, बजट घोषणा, 2004-05 के अनुपालन में 1 अप्रैल, 2004 से 10.5 प्रतिशत से घटाकर 9 प्रतिशत कर दी गई है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

अधीनस्थ न्यायालयों का कार्यकरण

1654. श्री उदय सिंह: क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिनांक 21 अक्तूबर, 2004 के 'स्टेट्समैन' में प्रकाशित समाचार के अनुसार सरकार ने देश के अधीनस्थ न्यायालयों के कार्यकरण पर चिंता प्रकट की है;

(ख) यदि हां, तो क्या अधीनस्थ न्यायालयों और उच्च न्यायालयों में मामलों की संख्या बढ़ती जा रही है और इसे रोकने के लिए कोई प्रभावी कदम नहीं उठाए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) देश में अधीनस्थ न्यायालयों के कार्यकरण में सुधार लाने के लिए क्या रणनीति अपनायी जाएगी?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. वेंकटपति): (क) मुख्यमंत्रियों और मुख्य न्यायमूर्तियों के सम्मेलन के, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री महोदय द्वारा 18 सितंबर, 2004 को किया गया था, दौरान, जैसा कि तारीख 21 अक्तूबर, 2004 को 'स्टेट्समैन' में रिपोर्ट किया गया है, माननीय प्रधानमंत्री, संघ के माननीय विधि मंत्री और भारत के माननीय मुख्य न्यायमूर्ति ने, अन्य बातों के साथ-साथ, देश में अधीनस्थ न्यायालयों में कार्यकरण में सुधार के प्रति चिंता व्यक्त की थी।

(ख) से (घ) न्यायालयों में मामलों के अधिक संख्या में लंबित रहने के कारणों में न्यायाधीशों की अपर्याप्त संख्या, न्यायाधीशों की रिक्तियों का न भरा जाना, वकीलों की हड़ताल, मामलों को बार-बार स्थगित किया जाना आदि सम्मिलित हैं।

सरकार, विभिन्न न्यायालयों में लंबित मामलों की स्थिति की सावधिक रूप से मानीटरी करती रही है। लंबित मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए किए गए उपायों में न्यायाधीशों के रिक्त पदों को समय से भरा जाना, न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करना, विधि के एकसमान प्रश्नों वाले मामलों को समूहबद्ध करना, विशेषज्ञ न्यायपीठों का गठन करना, नियमित अंतरालों पर लोक अदालतें आयोजित करना, बातचीत, मध्यस्थता और माध्यस्थम जैसे विवाद समाधान के वैकल्पिक ढंगों को प्रोत्साहन देना और केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरणों, राज्य प्रशासनिक अधिकरणों, आयकर अपील अधिकरणों जैसे विशेष अधिकरणों, कुटुंब न्यायालयों, श्रम न्यायालयों और त्वरित निपटान न्यायालयों आदि की स्थापना करना सम्मिलित है।

चाय उद्योगों में कार्यरत कामगार

1655. श्री जोवाकिम बखला: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पश्चिम बंगाल के चाय उद्योग में कार्यरत सभी मजदूरों को भविष्य निधि, उपदान और छुट्टी यात्रा रियायत की सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को किसी से मजदूरों की सेवानिवृत्ति के समय भविष्य निधि, उपदान का भुगतान न करने की कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान कुल कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं और प्रबंधन द्वारा मजदूरों को कुल कितनी धनराशि का भुगतान नहीं किया गया है और इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जाने का प्रस्ताव है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) और (ख) जी, हां। पश्चिम बंगाल में चाय बागानों के सभी पात्र कामगारों को भविष्य निधि एवं ग्रैच्युटी की सुविधाएं उपलब्ध हैं। एल टी सी का लाभ केवल स्टाफ के सदस्यों को मिलता है न कि आम कामगारों को।

(ग) और (घ) पश्चिम बंगाल की सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, 118 चाय बागानों ने कथित रूप से भविष्य निधि की लगभग 43.26 करोड़ रुपए की बकाया राशि के भुगतान में चूक की है। उत्तर बंगाल के चाय बागानों के कामगारों को भी ग्रैच्युटी का भुगतान न किए जाने की शिकायतें प्राप्त हुई थीं। ग्रैच्युटी के भुगतान न किए जाने के संबंध में प्राप्त शिकायतों की कुल संख्या लगभग 80 है। इनमें से 15 मामलों में वसूली प्रमाण-पत्र जारी कर दिए गए हैं।

[अनुवाद]

नमक उद्योग से जुड़े श्रमिक

1656. श्री पी.एस. गड़वी: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कितने साल्ट वर्क्स/उद्योग हैं और तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) संबंधित राज्यों में प्रत्येक साल्ट वर्क्स/उद्योग के अधीन भूमि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या प्रत्येक राज्य साल्ट वर्क्स में कार्यरत मजदूरों के रिकार्ड का रखरखाव कर रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) और (ख) साल्ट वर्क्स की संख्या और साल्ट वर्क्स के अधीन क्षेत्र के राज्य-वार ब्यौरे विवरण-I में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) जी, हां। साल्ट वर्क्स में कार्यरत मजदूरों के रिकार्ड का रखरखाव संबंधित राज्य सरकारों द्वारा किया जा रहा है। नमक आयुक्त के कार्यालय के अनुमान के अनुसार नमक उद्योग में रोजगार प्राप्त मजदूरों की संख्या विवरण-II में दी गई है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण I

साल्ट वर्क्स/उद्योग और साल्ट वर्क्स के अधीन भूमि के राज्यवार ब्यौरे

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	एककों की संख्या	क्षेत्र (एकड़ में)
1.	गुजरात	2767	361519
2.	तमिलनाडु	3502	49409
3.	राजस्थान	1729	77599
4.	आंध्र प्रदेश	1834	25662
5.	महाराष्ट्र	361	20847
6.	उड़ीसा	46	4560
7.	पश्चिम बंगाल	47	4203
8.	गोवा	55	221
9.	हिमाचल प्रदेश	1	130
10.	दीव और दमन	5	1774
	जोड़	10347	545924

विवरण II

नमक उद्योग में कार्यरत मजदूरों के राज्यवार ब्यौरे

क्र.सं.	राज्य का नाम	2001	2002	2003
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	10460	11046	14388
2.	गोवा	70	134	132
3.	गुजरात*	47886	55800	53900
4.	हिमाचल प्रदेश	50	50	50
5.	कर्नाटक	196	227	397

1	2	3	4	5
6.	महाराष्ट्र	7276	7526	2974
7.	उड़ीसा	528	249	748
8.	राजस्थान	16203	18969	12425
9.	तमिलनाडु	13990	14321	15083
10.	पश्चिम बंगाल	235	230	235
	जोड़	96894	108552	100332

*दमन और दीव सहित।

[हिन्दी]

समेकित पनधारा विकास कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.डी.पी.)

1657. श्री गिरधारी लाल भार्गव: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को राजस्थान सरकार से समेकित पनधारा विकास कार्यक्रम संबंधी कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में विलम्ब हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकांता पाटील): (क) से (घ) राज्य द्वारा प्रस्तुत की गई प्राथमिकता सूची तथा परियोजना स्वीकृति समिति, जिसमें राज्य सरकार के प्रतिनिधि भी शामिल थे, द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर वर्ष 2004-2005 में राजस्थान राज्य के लिए हरियाली के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अंतर्गत 45,000 हैक्टेयर बंजरभूमि क्षेत्र को विकसित करने हेतु 27.00 करोड़ रुपये की कुल लागत पर समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.डी.पी.) की 9 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं।

बुनकरों के लिए प्रशिक्षण योजना

1658. श्री भाल चन्द्र यादव: क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार बुनकरों को प्रशिक्षण प्रदान कराने के लिए कोई योजना तैयार करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) राज्यवार ऐसे कुल कितने प्रशिक्षण केन्द्र हैं और ये केन्द्र कहां-कहां स्थित हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला): (क) और (ख) भारत सरकार ने हथकरघा बुनकरों एवं कामगारों को तकनीकी प्रबंधकीय एवं विपणन में उनके कौशल उन्नयन हेतु प्रशिक्षण दिलाने के लिए दिसम्बर, 2003 से एकीकृत हथकरघा प्रशिक्षण परियोजना शुरू की है।

(ग) मास्टर बुनकरों द्वारा विभिन्न हथकरघा क्षेत्र में विकेन्द्रीकृत ढंग से प्रशिक्षण आयोजित किया जाता है, उसमें पुनश्चर्या पाठ्यक्रम हेतु बुनकरों को संबंधित बुनकर सेवा केन्द्र में भेजा जाता हैं। 25 बुनकर सेवा केन्द्रों की राज्यवार स्थिति निम्नवत् है:

क्र.सं.	राज्य का नाम	बुनकर सेवा केन्द्र का स्थान
1.	आन्ध्र प्रदेश	हैदराबाद, विजयवाड़ा
2.	असम	गुवाहाटी
3.	बिहार	भागलपुर
4.	दिल्ली	दिल्ली
5.	गुजरात	अहमदाबाद
6.	हरियाणा	पानीपत
7.	जम्मू-कश्मीर	श्रीनगर
8.	कर्नाटक	बंगलौर
9.	केरल	कन्नूर
10.	मध्य प्रदेश	इंदौर
11.	महाराष्ट्र	मुम्बई, नागपुर
12.	मणिपुर	इम्फाल
13.	उड़ीसा	भुवनेश्वर
14.	राजस्थान	जयपुर
15.	तमिलनाडु	चैन्नई, कांचीपुरम, सेलम
16.	त्रिपुरा	अगरतल्ला
17.	उत्तर प्रदेश	मेरठ, वाराणसी
18.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता
19.	छत्तीसगढ़	रायगढ़
20.	उत्तरांचल	चमोली

[अनुवाद]

रबड़ अनुसंधान संस्थान

1659. श्री वरकला राधाकृष्णन: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के अधीन सभी अनुसंधान संस्थानों को एफ.सी.एस. (फ्लैक्सिबल कोम्पलीमेन्टरी स्कीम) प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो रबड़ अनुसंधान संस्थान में वैज्ञानिकों को एफ.सी.एस. प्रदान करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) जी, नहीं। फ्लेक्सिबल काम्प्लीमेंटिंग स्कीम (एफसीएस) विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के अधीन सभी अनुसंधान संस्थानों पर लागू नहीं की गयी है।

(ख) और (ग) भारतीय रबड़ अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों पर एफ सी एस लागू करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

[अनुवाद]

सीमा शुल्क विभाग में कर्मचारीवृन्द का अभाव

1660. श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सीमा शुल्क विभाग कर्मचारीवृन्द की अत्यधिक कमी का सामना कर रहा है जिसके कारण वह कंटेनरों के माध्यम से विदेशों से आयातित लाइव सैल्ज का पता न लगा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाये हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) जी, हां। सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग में कर्मचारीवृन्द का अभाव है। तथापि, इस अभाव का कंटेनरों के माध्यम से विदेश से आयातित मेटल स्क्रेप में गोलों का पता न कर पाने से कोई सीधा संबंध नहीं है।

(ख) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड के अंतर्गत 01.07.2004 की स्थिति के अनुसार समूह ''क'', ''ख'', ''ग'' एवं ''घ'' में क्रमश: 2661, 14482, 36288 तथा 16742 की स्वीकृत संख्या के प्रति समूह ''क'' में 458 अधिकारियों, समूह ''ख'' में 1147 अधिकारियों, समूह ''ग'' में 7522 अधिकारियों तथा समूह ''घ'' में 2212 कर्मचारियों का अभाव है।

(ग) सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के क्षेत्रीय कार्यालयों में विभिन्न ग्रेडों में 1401 रिक्तियों के प्रति सीधी भर्ती की प्रक्रिया आम प्रक्रिया के रूप में शुरू की जा चुकी है।

मेटल स्क्रेप के आयात तथा जीवित गोलों इत्यादि का पता लगाने के संबंध में, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा आयात पर और प्रतिबंधों पर अलग कार्रवाई तथा मेटल स्क्रेप की विस्तृत जांच निर्धारित की गई है।

डेयरी क्षेत्र द्वारा विश्व व्यापार संगठन के साथ पुन: वार्ता करने का सुझाव

1661. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डेयरी उद्योग ने स्किम्ड मिल्क पाउडर और बटर आयल पर आयात शुल्क बढ़ाने हेतु विश्व व्यापार संगठन के साथ पुन: वार्ता करने की रणनीति सुझायी है;

(ख) यदि हां, तो डेयरी उद्योग द्वारा सुझायी गयी रणनीतियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार डेयरी उद्योग की रणनीतियों से किस सीमा तक सहमत है; और

(घ) घरेलू डेयरी क्षेत्र को बचाने के लिए रणनीति अपनाने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) से (घ) जी, हां। समय-समय पर प्राप्त ज्ञापनों और अभ्यावेदनों में बटर आयल के आयातों पर वचनबद्ध शुल्क 40 प्रतिशत के स्थान पर 75 प्रतिशत तक करने के बारे में पुन: वार्ता समेत डेयरी क्षेत्र के लिए अनेक उपायों का प्रस्ताव किया गया है और इन पर सरकार द्वारा विचार किया गया है। होल मिल्क पाउडर (डब्ल्यू एम पी) तथा स्किम्ड मिल्क पाउडर के आयातों पर वचनबद्ध शुल्क को 10,000 मी. टन प्रतिवर्ष के टैरिफ दर कोटे के साथ शून्य से बढ़ाकर 60 प्रतिशत तथा 0402.10 और 0402.21 की दोनों दो टैरिफ लाइनों पर लागू कोटा गत शुल्क

15 प्रतिशत कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, बटर आयल के आयातों पर शुल्क की लागू दर बढ़ाकर 40 प्रतिशत कर दी गयी है। पशुधन आयात अधिनियम में भी संशोधन किया गया है जिसमें डेयरी उत्पादों सहित अनेक पशुधन उत्पादों के आयातों पर स्वच्छता आयात अनुज्ञा पत्र की अपेक्षा की गयी है।

[हिन्दी]

महिला विकास बैंक

1662. श्री मनसुखभाई डी. वसावा:
श्री एम. अंजनकुमार यादव:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा महिला उद्यमियों के लिए विकास बैंक की स्थापना की गयी है अथवा किये जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

राजसहायता संबंधी रणनीति

1663. श्री बालासाहिब विखे पाटील: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार राजसहायता संबंधी रणनीति की समीक्षा करने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने एन.आई.पी.एफ.पी. की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) और (ख) राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम समाज के गरीबों और वास्तविक जरूरतमंदों तक राजसहायताओं को लक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस के अनुसरण में सरकार ने राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान (एनआईपीएफपी) को राजसहायताओं को लक्षित करने के उद्देश्य को पूरा करने के लिए एक खाका (ब्लूप्रिंट) तैयार करने के लिए कहा है।

(ग) और (घ) इस रिपोर्ट की एनआईपीएफपी द्वारा शीघ्र ही प्रस्तुत किए जाने की संभावना है।

परिधान निर्यात-संवर्धन परिषद् के अतिरिक्त कर्मचारी

1664. श्री लोनाप्पन नम्बाडन:
श्री अनन्त नायक:
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2003-04 और 2004-05 के दौरान आज की तिथि तक ऐपरल पार्क्स, फार एक्सपोर्ट्स एण्ड टेक्सटाइलस सेन्टर्स इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम (निर्यात और वस्त्र केन्द्र अवसंरचना विकास योजना परिधान पार्क) के अंतर्गत कितनी प्रगति की गई है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान ऐपरल पार्क योजना के अंतर्गत राज्यवार और स्थानवार कितनी परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की गयी;

(ग) क्या वस्त्र निर्यातकों को बांग्लादेश, चीन और पाकिस्तान जैसे कम मूल्य पर निर्यात करने वालों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने वस्त्र निर्यात को बढ़ाने व ऐपरल निर्यातकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए क्या कदम उठाये हैं;

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला): (क) सरकार ने वर्ष 2003-04 और 2004-05 के दौरान आज तक वस्त्र इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास केंद्र योजना (टीसीआईडी) के तहत 11 परियोजनाएं और "निर्यात के लिए अप्रैरल पार्क" योजना के अंतर्गत तीन परियोजनाएं स्वीकृत की हैं। ये अनुमोदित परियोजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। उपर्युक्त अवधि के दौरान विभिन्न अनुमोदित अपैरल पार्क परियोजनाओं के लिए 14.79 करोड़ रु. तथा विभिन्न अनुमोदित टीसीआईडी परियोजनाओं के लिए 11.95 करोड़ रु. की राशि की केंद्रीय अनुदान सहायता जारी की गई है।

(ख) निर्यात के लिए अपैरल पार्क योजना के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं के राज्य-वार ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

क्र.सं.	राज्य	स्थान	कुल परियोजना लागत	केंद्रीय हिस्सा
1.	मध्य प्रदेश	एसईजी, इंदौर	29.07	17.00
2.	राजस्थान	महल, जयपुर	27.10	17.00
3.	महाराष्ट्र	बुटीबोरी, नागपुर	16.20	13.15

(ग) जी हां।

(घ) बढ़ती हुई वैश्विक प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए घरेलू वस्त्र उद्योग को सुदृढ़ बनाने के वास्ते केन्द्रीय बजट 2004-05 में निम्नलिखित महत्वपूर्ण घोषणाएं की गयी हैं:

* टेक्सचराइज्ड यार्न, सिंथेटिक और कृत्रिम फाइबरों तथा सिंथेटिक और कृत्रिम फिलामेंट यार्न सहित पालिएस्टर फिलामेंट यार्न पर अनिवार्य उत्पाद शुल्क को छोड़कर समस्त मूल्य श्रृंखला को उत्पाद शुल्क के विकल्प से छूट दी गई है।

* वस्त्र और वस्त्र मदों (एटीएंडटी) पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क और अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (विशेष महत्व का सामान) अधिनियम को समाप्त कर दिया गया है।

* विभिन्न वस्त्र मशीनरी और कल-पुर्जों पर मूल सीमा शुल्क घटाकर 5% कर दिया गया है।

इसके अलावा, सरकार देश से वस्त्रों का निर्यात बढ़ाने के लिए समय-समय पर अनेक कदम उठाती रही है। उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण कदम निम्नलिखित हैं-

(1) सरकार ने लघु उद्योग क्षेत्र से सिलेसिलाये परिधानों के बुनाई क्षेत्र को अनारक्षित कर दिया है। साथ ही सरकार ने निटेड क्षेत्र के लिए लघु उद्योग क्षेत्र के निवेश की सीमा को बढ़ाकर 5 करोड़ रु. कर दिया है।

(2) इस क्षेत्र के आधुनिकीकरण तथा उन्नयन को सुगम बनाने के लिए दिनांक 1.4.1999 से प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टीयूएफएस) लागू कर दी गई है।

(3) टीयूएफएस के अंतर्गत शामिल बुनाई, प्रसंस्करण और परिधान मशीनों को 50 प्रतिशत की दर पर बढ़े हुए मूल्यह्रास की सुविधा प्रदान की गयी है। राजकोषीय नीतिगत उपायों से मशीनों की लागत भी कम कर दी गई है। इससे आधुनिकीकरण को और प्रोत्साहन मिलेगा।

(4) फैब्रिक उत्पादन को प्रतिस्पर्द्धी बनाने की दृष्टि से शटलरहित करघों पर सीमा शुल्क को 15% से 5% कर दिया गया है।

(5) राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (निफ्ट) की छह शाखाएं और अपैरल प्रशिक्षण एवं डिजायन केंद्र (ए टी डी सी) डिजायन, व्यापार और विपणन के क्षेत्र में वस्त्र उद्योग, विशेषकर अपैरल की कुशल कारीगरों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न पाठ्यक्रम एवं कार्यक्रम चला रहे हैं।

(6) पारि-परीक्षण प्रयोगशालाओं के माध्यम से सुविधाएं तैयार की गई हैं ताकि निर्यातक आयातक देशों की आवश्यकताओं के अनुरूप परिधानों/वस्त्रों का पूर्व-परीक्षण करवा सकें।

(7) सरकार ने विकास संभावित केन्द्रों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अपैरल विनिर्माण एककों की स्थापना पर बल देने और निर्यात को गति देने के लिए "अपैरल पार्क निर्यात योजना" नामक एक केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजना शुरू की गई है।

(8) प्रमुख वस्त्र केन्द्रों में आधारभूत सुविधाओं को उन्नत बनाने के लिए वस्त्र आधारभूत विकास केन्द्र योजना (टीसीआईडीएस) शुरू की गई है।

(9) निर्यात संवर्धन परिषदें विदेशों में प्रदर्शनियों/मेलों में प्रतिभागिता, विदेशों में बीएसएम के आयोजन, विदेश में भारतीय मिशन के परामर्श से व्यापार शिष्टमण्डलों को प्रायोजित करने जैसे निर्यात संवर्धन क्रियाकलाप करती रही हैं।

निर्यातकों की शिकायतों को दूर करने के लिए सचिव (वस्त्र) की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है। यह समिति आवधिक रूप से बैठकें करती है और निर्यातकों की शिकायतों के शीघ्र समाधान के लिए प्रयास किए जाते हैं।

सहकारी बैंकों को लाइसेंस

1665. श्री असादुद्दीन ओवेसी: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक को बैंकिंग व्यापार चलाये रखने के लिए बहु-राज्यीय सहकारिताओं को लाइसेंस जारी करने का अधिकार प्रदान किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस कदम से एमएससीएस एक्ट, 1984 के अधीन पंजीकृत 34 शहरी सहकारी बैंकों को जारी लाइसेंस की वैधता के बारे में उच्चतम न्यायालय के आदेश के परिणामस्वरूप उठे संदेहों के दूर होने की संभावना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ङ) इस कदम से जमाकर्ताओं को कितनी सुरक्षा मिलने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) और (ख) 24 सितम्बर, 2040 को प्रख्यापित बैंककारी विनियमन (संशोधन) एवं प्रकीर्ण उपबंध अध्यादेश, 2004 बहु राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002 के तहत पंजीकृत सहकारी बैंकों को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) के अंतर्गत लाया गया है तथा भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को बैंकिंग संबंधी कारोबार करने के लिए बहु राज्य सहकारी बैंकों को लाइसेंस जारी करने के लिए शक्ति प्रदान की गई है।

(ग) और (घ) जी, हां। उक्त अध्यादेश के माध्यम से किए गए संशोधन में यह प्रावधान है कि आरबीआई द्वारा बहु राज्य सहकारी समिति को संस्वीकृत प्रत्येक लाइसेंस, जो इस अध्यादेश के लागू होने की तारीख तक अस्तित्व में था, उसे वैध माना जाएगा तथा इसे सदा कानून के अनुसार वैधता की संस्वीकृति के लिए मान्य माना जाएगा।

(ङ) चूंकि, अब बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 का नियंत्रण बहु राज्य सहकारी बैंकों पर है, इसलिए, निक्षेप बीमा एवं प्रत्यय गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) अधिनियम में निर्धारित पात्रता की शर्तों को पूरा किया गया है तथा इस प्रकार अब बहु राज्य सहकारी बैंकों को डीआईसीजीसी कवर हेतु पात्र बना दिया गया है तथा इन बैंकों के जमाकर्ता डीआईसीजीसी अधिनियम, 1961 के उपबंध के अनुसार निक्षेप बीमा हेतु पात्र होंगे।

नई खाद्यान्न निर्यात नीति

1666. **श्री तुकाराम गंगाधर गदाख:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोई नई खाद्यान्न निर्यात नीति मंत्रालय के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या इस नयी नीति के अंतर्गत गैर-सरकारी निर्यातकों को खाद्यान्न वस्तुओं का निर्यात करने में प्रोत्साहन मिलेगा;

(घ) क्या खाद्यान्नों का निर्यात करना उचित है जबकि दूरवर्ती क्षेत्रों, गांवों और देश के कुछ भागों में अब भी खाद्यान्न का अभाव है और वहां अब भी भुखमरी से मौतें हो रही हैं;

(ङ) क्या इस नीति को अंतिम रूप देने से पहले पर्याप्त चर्चा, वाद-विवाद होगा; और

(च) तत्संबंधी ब्योरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) से (च) एक नई खाद्यान्न निर्यात नीति तैयार की जा रही है। इस पर भारत सरकार में अग्रिम स्तर पर विचार किया जा रहा है। इस स्कीम के तहत ब्योरों और प्रोत्साहनों को अभी अंतिम रूप दिया जाना बाकी है।

[हिन्दी]

फेरा के मामले

1667. **श्री एम. अंजनकुमार यादव:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1995 से आज की तिथि तक फेरा के मामलों में शामिल व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई को पूरा नहीं किया गया है जिसके कारण इनमें लिप्त व्यक्तियों को दंडित नहीं किया जा सका है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1995-2001 से फेरा के अंतर्गत कितने व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई पूरी नहीं की गयी है और प्रत्येक मामले में विलंब के कारण क्या हैं;

(ग) क्या सरकार द्वारा अनुचित विलंब के मामलों की समीक्षा किये जाने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और समीक्षा के पश्चात् क्या सुधार किए गये हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) फेरा मामलों में लिप्त सभी व्यक्तियों के विरुद्ध जांच, कानून के तहत 31.5.2002 तक कारण बताओ नोटिस जारी करके पूरी हो गई थी। 31.5.2002 तक यथा आवश्यकता न्यायालयों में मुकदमे भी चलाए गए थे।

(ख) सभी मामलों में जांच संबंधी कार्यवाहियां पूरी हो चुकी हैं। न्यायनिर्णयन और अभियोजन अर्द्ध-न्यायिक/न्यायिक कार्यवाहियां हैं जो निर्धारित प्रक्रिया के बाद ही पूरी होती हैं।

(ग) और (घ) सरकार, कारण बताओ नोटिस और अभियोजनों के लंबन की स्थिति की आवधिक रूप से समीक्षा करती रही है। सरकार ने 'कारण बताओ नोटिस' के शीघ्र निपटान के लिए अतिरिक्त न्यायनिर्णय अधिकारियों की नियुक्ति की है। जहां तक न्यायालय में दायर मुकदमों का संबंध है, सरकारी वकीलों, को अभियोजन मामलों के शीघ्र निपटान के लिए समय-समय पर सलाह दी जाती है। इन उपायों के परिणामस्वरूप लंबित पड़े कारण बताओ नोटिस की संख्या 1.6.2002 की स्थिति के अनुसार 15408 से घटकर 1.10.2004 की स्थिति के अनुसार 5419 हो गई है। इसी प्रकार, अभियोजन मामले भी 1.6.2002 की स्थिति के अनुसार 5654 से घटकर 1.10.2004 की स्थिति के अनुसार 4962 हो गए हैं।

[अनुवाद]

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का विनिवेश

1668. श्री कीर्ति वर्धन सिंह:
श्री अजय चक्रवर्ती:
श्री विजय कृष्ण:
श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार चालू पंचवर्षीय योजना में सरकारी क्षेत्र के कुछ उपक्रमों का विनिवेश करने का है;

(ख) यदि हां, तो सरकारी क्षेत्र के उन उपक्रमों के नाम क्या हैं जिनकी अब तक पहचान कर ली है तथा उनके नाम क्या हैं जिनका पहले ही विनिवेश किया जा चुका है;

(ग) क्या सरकार ने चालू पंचवर्षीय योजना हेतु निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु कोई योजना भी बनाई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इसकी वजह से प्रभावित होने वाले कर्मचारियों के हित के रक्षार्थ क्या कदम उठाए जाने के प्रस्ताव हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) सरकार की विनिवेश नीति का उल्लेख राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम में किया गया है और राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम के अनुरूप समय-समय पर समुचित निर्णय लिए जाते हैं।

(ख) वर्तमान में किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के विनिवेश का कोई मामला नहीं चल रहा है। चालू पंचवर्षीय योजना के दौरान अनुकूल बिक्री के जरिए विनिवेशित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम इस प्रकार हैं: 1. हिन्दुस्तान जिंक लि., 2. इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कार्पोरेशन लि., 3. भारतीय पर्यटन विकास निगम (दस होटल परिसंपत्तियां अर्थात (i) कोवलम अशोक बीच रिसार्ट, (ii) मनाली अशोक, (iii) खजुराहो अशोक, (iv) वाराणसी अशोक, (v) औरंगाबाद अशोक, (vi) कनिष्क, नई दिल्ली, (vii) इन्द्रप्रस्थ, नई दिल्ली, (viii) चण्डीगढ़ परियोजना, (ix) होटल रणजीत, नई दिल्ली, और (x) होटल एयरपोर्ट कोलकाता), 4. होटल कार्पोरेशन आफ इण्डिया लि. का संतूर होटल एयरपोर्ट मुम्बई और 5. जैसप एण्ड कंपनी लिमिटेड। बिक्री की पेशकश के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र के जिन उपक्रमों में सरकारी शेयरधारिता के अल्पांश भाग की बिक्री की गई थी वे इस प्रकार हैं: 1. आईबीपी लि., 2. भारतीय निकर्षण निगम लि., 3. गेल (इण्डिया) लि., 4. तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लि., तथा 5. नेशनल थर्मल पावर कार्पोरेशन लि.

(ग) और (घ) दसवीं पंचवर्षीय योजना में विनिवेश से योजना अवधि के दौरान औसत सकल घरेलू उत्पाद के 0.4 प्रतिशत के बराबर धनराशि जुटाने की परिकल्पना की गई है। लक्ष्य वार्षिक आधार पर तय किए जाते हैं। वर्ष 2004-05 के लिए 4000 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा गया है जिसकी तुलना में अब तक की उपलब्धि 2749 करोड़ रुपए है।

(ङ) कर्मचारियों के हित की सदैव पर्याप्त रक्षा की जाती है, जिसमें अनुकूल बिक्री के मामले, यदि कोई हो, भी शामिल है जिसके लिए अनुकूल साझीदार के साथ सम्पन्न शेयर धारक करार में उपयुक्त प्रावधान किए जाते हैं।

भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान

1669. श्रीमती सुमित्रा महाजन: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सभी छह भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थानों की वार्षिक बजट, पाठ्यक्रमों, विद्यार्थियों की संख्या और कार्य-निष्पादन रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान हथकरघा क्षेत्र में अपना भविष्य संवारने हेतु और अधिक युवाओं को प्रेरित करने में अभी भी सक्षम नहीं है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा उपरोक्त संस्थाओं के बेहतर कार्य-निष्पादन हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला): (क) इस समय 4 भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईएचटी), वाराणसी,

सेलम, गुवाहाटी एवं जोधपुर, केन्द्रीय क्षेत्र तथा 2 संस्थान नामत: श्री प्रगड़ कोटैय्या मेमोरियल भारतीय हथकरघा संस्थान, वैंकटगिरी तथा कर्नाटक हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान, गडग, राज्य क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। बजट, पाठ्यक्रम इत्यादि के विवरण निम्नवत हैं:

(1)	वर्ष 2004-05 के लिए संस्थान का बजट अनुमान 5.25 करोड़ रुपये है।	
(2)	आयोजित पाठ्यक्रम	(1) सभी संस्थानों में हथकरघा प्रौद्योगिकी में 3-वर्षीय पाठ्यक्रम।
		(2) भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान सेलम एवं वाराणसी में वस्त्र रसायन में $1^1/_2$ वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा।
(2)	विद्यार्थियों की संख्या	(1) 6 संस्थानों में हथकरघा प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा के लिए सीटों की संख्या 305 है और इसके लिए वर्ष 2004-05 के दौरान प्रवेश पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या 299 है। प्रवेश के लिए 4 अन्य विद्यार्थियों को प्रस्ताव भेजा गया है जो शीघ्र शामिल होंगे।
		(2) 2 संस्थानों में वस्त्र रसायन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के लिए सीटों की संख्या 20 है और इसके लिए वर्ष 2004-05 के दौरान प्रवेश पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या 20 है।
(4)	कार्य निष्पादन	ये संस्थान हथकरघा क्षेत्र सहित वस्त्र क्षेत्र की मांग को पूरा करने के लिए तकनीकी कुशल व्यवसायिक उपलब्ध करवा रहे हैं।

(ख) और (ग) भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान हथकरघा क्षेत्र में नवयुवकों को उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए आकर्षित कर रहे हैं। हथकरघा प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा में कुल 305 सीटों के लिए वर्ष 2004-05 के दौरान 299 विद्यार्थियों को प्रवेश दिया गया है। इसी प्रकार वस्त्र रसायन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के लिए कुल 20 पदों को भर लिया गया है। कुछ संस्थानों जैसे सेलम, वाराणसी, जोधपुर इत्यादि में विद्यार्थी प्रतीक्षा सूची में रखे गए हैं। तथापि, वे प्रवेश नहीं पा सके क्योंकि संबंधित संस्थानों में सभी सीटें भरी हुई हैं।

(घ) भारत सरकार ने केन्द्रीय क्षेत्र में संस्थानों के कार्य निष्पादन में सुधार लाने हेतु समय-समय पर कार्यवाही की है। कुछ की गई कार्यवाही इस प्रकार हैं:

(1) संस्थानों को अपेक्षित मशीनों, उपकरणों एवं आवश्यक अवसंरचना से सुसज्जित/उन्नयन किया गया है।

(2) उद्योग के आवश्यक परिवर्तन के साथ पाठयचर्या को समान करके उनका उन्नयन।

(3) उद्योग में अद्यतन प्रवृत्तियों एवं विकास के लिए विद्यार्थियों के ज्ञान को बढ़ाने हेतु गैस्ट फैकल्टी आमंत्रित करने हेतु प्रावधान बनाया गया है।

(4) अद्यतन प्रौद्योगिकी इत्यादि के प्रयोग हेतु देश के विभिन्न भागों में उत्पादित उत्पादों के व्यापक किस्मों के प्रदर्शन हेतु विद्यार्थियों के लिए अखिल भारतीय शैक्षणिक दौरा/तकनीकी दौरा आयोजित करना।

(5) फैकल्टी का प्रशिक्षण।

(6) बेहतर रोजगार अवसर प्रदान करने एवं व्यापक प्रचार हेतु भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा एक नियोजन विवरणिका भी मुद्रित की गई है।

[अनुवाद]

चरोत्तर नागरिक को-आपरेटिव बैंक

1670. श्री टेकलाल महतो: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि गुजरात का चरोत्तर नागरिक को-आपरेटिव बैंक वसूल न किए जा सकने वाले ऋण की भारी धनराशि जारी करने की वजह से दिवालिया हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उन लोगों की संख्या कितनी है जिनका हाथ उक्त बैंक के दिवालिया होने में रहा है; और

(घ) सरकार द्वारा उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गयी है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) और (ख) चरोत्तर नागरिक सहकारी बैंक लि. की वित्तीय स्थिति, खासकर इसकी चल निधि में मार्च, 2001 के बाद गिरावट के लक्षण दिखने लगे और मार्च, 2001 में माधवपुरा मर्केंटाइल को-आपरेटिव बैंक के संकट के परिणामस्वरूप सहकारी बैंकिंग क्षेत्र में जमाराशियों की बड़े पैमाने पर निकासी के परिणामस्वरूप चलनिधि मुख्य रूप से प्रभावित हुई थी। बैंक के बोर्ड द्वारा अवधारणीय एवं अंधाधुंध उधार से स्थिति और बिगड़ी इसके परिणामस्वरूप ऋण पोर्टफोलियो अत्यधिक विस्तारित हो गया और अनुपयोज्य अग्रिमों का स्तर काफी बढ़ गया। निदेशकों/फर्मों को दिए गए कुछ ऋण अप्रतिभूत थे और इस प्रकार बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के उपबंधों का उल्लंघन हुआ। तदनंतर भारतीय रिजर्व बैंक ने 20 दिसम्बर, 2001 को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35(क) के अंतर्गत बैंक को निदेश जारी किए और उस पर कई प्रकार के परिचालनात्मक प्रतिबंध लगाए गए। गुजरात के सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार ने 2 जनवरी, 2002 को बोर्ड का अधिक्रमण कर दिया और एक प्रशासक की नियुक्ति भी की गई थी। 31 दिसम्बर, 2002 की स्थिति के अनुसार वित्तीय स्थिति के संदर्भ में बाद में बैंक के निरीक्षण से पता चला कि इसकी वित्तीय स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि उसे ठीक करना संभव नहीं था। इसलिए बैंक का परिसमापन करने का निर्णय लिया गया था। गुजरात सहकारी समिति के रजिस्ट्रार ने दिनांक 28 जुलाई, 2003 के आदेश के तहत इस बैंक को परिसमापनाधीन कर दिया था।

(ग) और (घ) बैंक के खराब कार्यनिष्पादन का दोष वरिष्ठ कार्यकलापों द्वारा मनमाने ढंग से ऋण मंजूर करने को दिया जा सकता है। बैंक ने बोर्ड के अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक और उपाध्यक्ष सहित समस्त निदेशक मंडल के विरुद्ध पुलिस प्राधिकारियों के पास 20 दिसम्बर, 2001 को आपराधिक शिकायत दायर की है। इसके अतिरिक्त, सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार ने भी जनवरी, 2002 में बोर्ड के पूर्व सदस्यों के विरुद्ध आपराधिक शिकायतें दर्ज कराई हैं।

[अनुवाद]

दीन दयाल हथकरघा योजना

1671. डा. अरूण कुमार शर्मा: क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने डी.डी.एच.पी. योजना को बंद करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा बुनकरों के लाभ हेतु किस वैकल्पिक योजना की परिकल्पना की गयी है;

(ग) विभिन्न राज्यों द्वारा इस योजना के अंतर्गत पहले से प्रस्तुत लंबित प्रस्तावों की स्थिति क्या है;

(घ) असम सहित देश में परियोजना पैकेज, स्वास्थ्य पैकेज और समेकित हथकरघा प्रशिक्षण कार्यक्रम के क्रियान्वयन की जिलेवार स्थिति क्या है तथा स्वीकृति हेतु कितने प्रस्ताव लंबित पड़े हैं;

(ङ) क्या सुबनसिरी वैली रीजनल विभर्स समाबय समिति लिमिटेड आफ असम द्वारा प्रस्तुत बेंत और बांस संबंधी प्रशिक्षण हेतु प्रस्ताव स्वीकृति के लिए लंबित पड़ा है; और

(च) यदि हां, तो इसे कब तक स्वीकृत किए जाने की संभावना है?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला): (क) जी, नहीं। सरकार द्वारा दीन दयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना को समाप्त करने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) दीन दयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना के तहत नागालैंड सरकार से 210, मणिपुर से 98, उत्तर प्रदेश सरकार से 95, कर्नाटक सरकार से 40, केरल सरकार से 22, आन्ध्र प्रदेश सरकार से 117, हिमाचल प्रदेश सरकार से 7, उड़ीसा सरकार से 7, पश्चिम बंगाल सरकार से 2 तथा तमिलनाडु, बिहार एवं दिल्ली सरकार प्रत्येक से 1-1 प्राप्त प्रस्ताव परीक्षण के विभिन्न स्तर पर है।

(घ) भारत सरकार केवल राज्य वार कार्यान्वयन की स्थिति का ब्यौरा रखती है न कि जिलेवार।

परियोजना पैकेज योजना के तहत असम सरकार को स्वीकृत 360 परियोजना सहित भारत सरकार ने 2794 परियोजना स्वीकृत की थी। असम सरकार ने अब तक कोई परियोजना पूरी नहीं की है। कई अन्य राज्यों ने अब तक 249 परियोजनाएं पूरे कर ली हैं। शेष परियोजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न स्तर पर हैं। परियोजना पैकेज योजना 1.4.2004 से बंद कर दी गई हैं तथा स्वीकृति हेतु कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है।

स्वास्थ्य पैकेज योजना के तहत राज्यों को सहायता प्रतिपूर्ति आधार पर दी जाती है। तमिलनाडु सरकार से 100.08 लाख रुपये, उत्तर प्रदेश सरकार से 147.18 लाख रुपये, केरल सरकार से 17.16 लाख रुपये तथा असम सरकार से 109.13 लाख रुपये के प्राप्त प्रस्ताव परीक्षण के विभिन्न स्तर पर हैं।

एकीकृत हथकरघा प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत वर्ष 2003-04 के दौरान 3740 बुनकरों को शामिल करने के लिए विभिन्न राज्यों को 187 कार्यक्रम स्वीकृत किए गए थे। उनमें से 2740 बुनकरों को शामिल करके 137 कार्यक्रम पूर्ण किए जा चुके हैं तथा

420 बुनकरों को शामिल करने हेतु 21 कार्यक्रम कार्यान्वयनाधीन हैं। शेष 29 कार्यक्रम अभी शुरू किये जाने है। वर्ष 2004-05 के दौरान 10240 बुनकरों को शामिल करने हेतु 512 कार्यक्रम स्वीकृत किए गये हैं। ये कार्यक्रम कार्यान्वयन के विभिन्न स्तर पर हैं। 25 कार्यक्रमों के तहत उत्तर प्रदेश के 500 बुनकरों, 8 कार्यक्रमों के तहत दिल्ली के 160 बुनकरों तथा 30 कार्यक्रमों के तहत हिमाचल प्रदेश के 600 बुनकरों को शामिल करने के लिए प्रस्ताव परीक्षण के विभिन्न स्तर पर हैं।

(ङ) मै. सुबनसिरी वैली रिजनल वीभर्स समाबय समिति, लिमिटेड आफ असम द्वारा बेंत एवं बांस से संबंधित प्रशिक्षण के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

निर्यातकों को आसान शर्तों पर ऋण

1672. श्री भूपेन्द्रसिंह सोलंकी: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार निर्यातकों को आसान शर्तों पर ऋण मुहैया कराने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई कार्रवाई की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) जी, नहीं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) निर्यातक बैंकों से रियायती ब्याज दर पर पोतलदान पूर्व एवं पोतलदान पश्चात दोनों ही स्तरों पर कार्यशील पूंजी वित्त के लिए पहले से ही पात्र हैं और इसलिए सरकार का इस संबंध में आगे और कार्रवाई करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

दागी कंपनियां

1673. श्री आलोक कुमार मेहता:
श्री मोहन रावले:
श्री सुरेश अंगड़ि:
श्री मुनव्वर हसन:

क्या **कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 7 अक्तूबर, 2004 के 'इकोनामिक टाइम्स' में ''सिटी फाइन्ड फार लेटिंग तेलगी एंड कंपनी पार्क फंड'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस मामले के तथ्य क्या हैं तथा सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या केतन पारिख से जुड़ी घोटाले में दागी हो चुकीं फार्मा कंपनियों के प्रवर्तकों को धनराशि को जमा करने के संबंध में सिटी बैंक के कार्यकरण की जांच के आदेश दिए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 209(क) के अंतर्गत अवभौर, अदानी एक्सपोर्ट्स, ग्लोबल ट्रस्ट बैंक, केडिला हेल्थ केयर, सिप्ला, ओकासा, जी टेलीफिल्म्स का निरीक्षण किया गया है; और

(च) यदि हां तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

कम्पनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रेम चन्द्र गुप्ता): (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

लौह-अयस्क का निर्यात

1674. श्री सुशील कुमार मोदी: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वर्ष 2004 के प्रथम पांच महीनों के दौरान चीन को दो बिलियन डालर का लौह-अयस्क निर्यात किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को निर्यातकों द्वारा चीन को घटिया लौह अयस्क का निर्यात किए जाने के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(घ) क्या पिछले दो वर्ष के दौरान लौह-अयस्क के भारी निर्यात की वजह से इस्पात के मूल्य में तीव्र वृद्धि हुई है;

(ङ) क्या सरकार इस्पात का मूल्य घटाने हेतु लौह-अयस्क के निर्यात पर पूर्ण रोक लगाने का विचार कर रही है;

(च) पिछले तीन वर्षों के दौरान किन-किन देशों को लौह अयस्क का निर्यात किया गया तथा कितने मूल्य का कुल निर्यात किया गया है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) और (ख) जी, नहीं। अप्रैल, 04 से अगस्त, 04 तक भारत से चीन को लौह अयस्क का कुल निर्यात लगभग 0.75 बिलियन अमरीकी डालर का हुआ था।

(ग) जी, नहीं।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(च) और (छ) पिछले तीन वर्षों के दौरान जिन देशों को लौह अयस्क का निर्यात किया गया है उनके नामों के साथ-साथ निर्यात मूल्य निम्नानुसार हैं:

(मूल्य करोड़ रुपए में)

देश	2001-2002	2003-2004	2003-04
चीन	1,560.47	2,080.92	5,535.63
जापान	1,166.60	1,112.72	996.10
दक्षिण कोरिया	281.44	190.38	146.66
ताईवान	66.03	74.06	74.55
यूरोप	77.90	116.28	157.75
अन्य	169.39	80.79	131.39
कुल	3,321.83	3,655.15	7,042.08

(स्रोत: एम एम टी सी)

[अनुवाद]

चमड़े की वस्तुओं का निर्यात पार्क

1675. श्री सनत कुमार मंडल:
श्री किन्जरपु येरैननायडु:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में चमड़े की वस्तुओं का निर्यात पार्क स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्यों से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ग) इन्हें संबंधित राज्यों में कब तक स्थापित किया जाएगा तथा इन निर्यात पार्कों की स्थापना से सृजित होने वाले रोजगार असवरों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने चमड़ा उद्योग के आधुनिकीकरण हेतु 400 करोड़ रुपये की राशि जारी करने का अनुरोध किया है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) से (ग) सरकार ने 5.0 करोड़ रुपये के परिव्यय से कोलकाता, पश्चिम बंगाल में चमड़े की वस्तुओं का निर्यात पार्क स्थापित करने का एक प्रस्ताव अनुमोदित किया है। सरकारी सहायता का उपयोग डिजाइन स्टूडियो, सामान्य सुविधा केन्द्र, प्रदर्शनी-सह-भंडारण सुविधा आदि जैसी सामान्य अवसंरचना के लिए किया जायेगा। चमड़ा निर्यात परिषद (सीएलई) उक्त परियोजना की कार्यान्वयन एजेंसी है और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) प्रस्तुत करने के लिए इससे अनुरोध किया गया है। चमड़े की वस्तुओं के पार्क में रोजगार के अवसरों के ब्यौरे डी.पी.आर. तैयार हो जाने के बाद मालूम होंगे।

(घ) और (ङ) पश्चिम बंगाल सरकार ने पश्चिम बंगाल में स्थित चमड़ा एककों के आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकी उन्नयन हेतु भारतीय चमड़ा विकास कार्यक्रम (आईएलडीपी) के तहत निधियों के लिए अनुरोध किया है। भारतीय चमड़ा विकास कार्यक्रम (आईएलडीपी) के पास दसवीं पंचवर्षीय योजना में 400 करोड़ रुपये का परिव्यय उपलब्ध है। इस कार्यक्रम में देश भर में चमड़ा क्षेत्र में अलग-अलग एककों का प्रौद्योगिकी उन्नयन/आधुनिकीकरण, अवसंरचना विकास, क्षमता निर्माण और उत्पादकता में सुधार अन्तर्ग्रस्त है। चमड़ा क्षेत्र में 290 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ प्रौद्योगिकी उन्नयन और आधुनिकीकरण की योजना को सक्षम प्राधिकारी द्वारा अभी भी अनुमोदित किया जाना है।

जीवन बीमा निगम का बीमा कवर

1676. श्री गुरूदास दासगुप्त: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के जीवन बीमा निगम (एल आई सी) ने जिनी कम्पनियों द्वारा विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में प्रवेश किए जाने के पश्चात बीमा कवरेज एरिया बढ़ा दिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): *(क) और (ख) भारतीय जीवन बीमा निगम (एल आई सी) ने सूचित किया है कि निजी कम्पनियों के इस क्षेत्र में प्रवेश किए जाने के पश्चात उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र में बीमा कवरेज एरिया बढ़ा दिया है। ग्रामीण क्षेत्र के कारोबार सहित पिछले तीन वर्षों का एल आई सी की नई पालिसियों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:*

वित्तीय वर्ष	कुल कारोबार	ग्रामीण क्षेत्र का कारोबार	कुल कारोबार की तुलना में ग्रामीण क्षेत्र के कारोबार का प्रतिशत
2001-2002	2,32,49,651	37,80,004	16.26%
2002-2003	2,45,29,946	45,46,148	18.53%
2003-2004	2,69,51,919	61,73,960	22.91%

[हिन्दी]

नये उद्योगों की स्थापना

1677. श्री कमला प्रसाद रावत: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार निकट भविष्य में देश में नए उद्योगों की स्थापना करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इन नई कम्पनियों को देश के किन-किन स्थानों में स्थापित किए जाने की संभावना है;

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार का उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में बेरोजगारी दूर करने हेतु वहां उद्योग स्थापित करने का विचार है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा तत्संबंधी पूर्ण ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) से (घ) उदारीकृत औद्योगिक नीतियों के अधीन उद्योगों की स्थापना उद्यमियों के वाणिज्यिक निर्णय पर निर्भर करती है जो फिर मूल अवसंरचनात्मक सुविधाएं तथा अन्य प्रोत्साहन उपलब्ध कराकर राज्य सरकारों द्वारा किए गए उपायों पर भी निर्भर करता है। तथापि, भारत सरकार विकास केन्द्र योजना, परिवहन राजसहायता योजना, औद्योगिक अवसंरचना उन्नयन योजना और राज्यों के लिए विशेष पैकेज जैसे विभिन्न प्रोत्साहनों और योजनाओं के माध्यम से उनके प्रयासों में मदद करती है।

[हिन्दी]

बैंकों को विशेष शक्ति

1678. श्री कैलाश मेघवाल: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बैंकों को अपने बकाया ऋण की वसूली हेतु ग्राहकों द्वारा गिरवी रखी गयी वस्तुओं की बिक्री करने संबंधी विशेष शक्ति प्रदान करने के लिए एक विधेयक लाने की स्वीकृति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित किया गया है कि बैंकों द्वारा नीलामी के समय बोली लगाने वालों का पूल बनाकर सामानों को नाममात्र की कीमत पर बेच दिया जाता है तथा धनराशि बैंक अधिकारियों और बोली लगाने वाले व्यक्तियों के बीच वितरित कर दी जाती है; और

(घ) सरकार द्वारा उन सम्पत्ति मालिकों को ऐसी अनियमितताओं से बचाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं जिन्होंने ऋण ले रखा है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) और (ख) वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, जो 2002 में अधिनियमित किया गया था, में अन्य बातों के साथ-साथ न्यायालयों अथवा अधिकरणों के हस्तक्षेप के बिना देयराशियों की वसूली के लिए प्रतिभूति हित के प्रवर्तन की व्यवस्था की गई है। उक्त अधिनियम की धारा 2(1) (यच) के अनुसार, प्रतिभूति हित में अन्य बातों के साथ-साथ बंधक शामिल हैं।

(ग) उपर्युक्त अधिनियम के तहत बनाई गई प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 6 तथा नियम 8 के उप-नियम (5) के अनुसार, प्राधिकृत अधिकारी अनुमोदित मूल्यांकन से चल/अचल आस्ति का मूल्य प्राप्त करेगा तथा प्रतिभूत ऋणदाता से परामर्श करके बिक्री करने से पूर्व संपत्ति का आरक्षित मूल्य निर्धारित करेगा और संपत्ति आरक्षित मूल्य से कम पर नहीं बेची जा सकती है।

प्रतिभूत चल/अचल संपत्ति के पूरे अथवा किसी भाग की बिक्री निम्नलिखित पद्धति में से किसी पद्धति को अपना कर की जा सकती है:

(1) प्रतिभूत आस्तियों के कार्य से जुड़ी पार्टियों अथवा अन्यथा ऐसी आस्तियों की खरीद की इच्छुक पार्टियों से संविदा दर प्राप्त करके; अथवा

(2) जनता से संविदाएं आमंत्रित करके; अथवा

(3) सार्वजनिक नीलामी करके; अथवा

(4) निजी संधि के द्वारा।

(घ) उपर्युक्त अधिनियम की धारा 19 में यह व्यवस्था की गई है कि धारा 17 अथवा धारा 18 के तहत दायर अपील पर यदि ऋण वसूली अधिकरण अथवा अपीलीय अधिकरण, जैसा मामला हो, प्रतिभूत ऋणदाता द्वारा प्रतिभूत आस्तियों के कब्जा को गलत के रूप में मानता है तथा प्रतिभूत ऋणदाता को संबंधित उधारकर्ता को ऐसी प्रतिभूत आस्तियां वापिस करने के निदेश देता है, तो ऐसा उधारकर्त्ता ऐसे अधिकरण अथवा अपीलीय अधिकरण द्वारा यथा निर्धारित ऐसी क्षतिपूर्ति एवं लागत की अदायगी का हकदार होगा।

[अनुवाद]

रुग्ण औद्योगिक कंपनी अधिनियम, 1985

1679. श्री विजय कृष्ण: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 (सिका) को अधिनियमित किया था तथा औद्योगिक और पुनर्निर्माण बोर्ड (बीआईएफआर) का गठन किया था;

(ख) यदि हां, तो बनाए गए/गठित अधिनियम और बोर्ड के उद्देश्य क्या हैं; और

(ग) उक्त अधिनियम और बोर्ड के उद्देश्यों को अब तक किस हद तक प्राप्त किया जा सका है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) जी, हां।

(ख) अधिनियम और बाइफर का उद्देश्य औद्योगिक उपक्रमों की स्वामी रुग्ण एवं सम्भाव्य रूप से रुग्ण कंपनियों का समय पर पता लगाना, विशेषज्ञ मंडल द्वारा उन निवारक, सुधारक, उपचारात्मक तथा अन्य उपायों का तेजी से निर्धारण करना जिन्हें ऐसी कंपनियों के संबंध में लिया जाना आवश्यक है और यथा निर्धारित उपायों और इससे जुड़े अथवा प्रासंगिक मामलों को तेजी से लागू करना सुनिश्चित करना है।

(ग) उक्त अधिनियम और बोर्ड के उद्देश्य कुछ सीमा तक ही प्राप्त किए गए हैं।

रेशम का उत्पादन

1680. श्री जी. करूणाकर रेड्डी: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रेशम के वैश्विक उत्पादन में भारत का स्थान क्या है;

(ख) सरकार द्वारा विश्व के रेशम उत्पादक देशों में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने हेतु विभिन्न प्रकार के रेशम उत्पादन में सुधार लाने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) इस संबंध में कौन-से विभिन्न प्रस्ताव रखे गए हैं; और

(घ) इन प्रस्तावों के क्रियान्वयन हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला): (क) भारत विश्व में दूसरा सबसे बड़ा रेशम उत्पादक देश है जो विश्व के कच्चे रेशम उत्पादन में लगभग 17% का योगदान कर रहा है।

(ख) से (घ) घरेलू रेशम उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मकता तथा उत्पादन व गुणवत्ता बढ़ाने के लिए कई कार्यक्रम और योजनाएं शुरू की गई हैं। इनमें प्रमुख निम्नलिखित हैं:

* अधिक उत्पादक और दाब सहनशील प्रजातियों तथा शहतूत और गैर-शहतूत खाद्य पादपों और रेशम कीटों की संकर प्रजातियों के विकास द्वारा, रेशम उत्पादन की गुणवत्ता की उत्पादकता में सुधार करने तथा रेशम में कम लागत वाली रीलिंग एवं प्रसंस्करण प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए केंद्रीय रेशम बोर्ड के अनुसंधान एवं विकास संबंधी प्रयास तेज किए गए हैं।
* केंद्रीय रेशम बोर्ड द्वारा राज्य सरकारों, किसानों एवं रीलर्स को मूल प्रजाति एवं मूल बीच के रखरखाव, वाणिज्यिक बीज की आपूर्ति और रोग मुक्त अधिक पैदावार और सूखा रोधक बीजों के उत्पादन के लिए खाद्यान्न सुविधाओं के संवर्धन द्वारा बीज सहायता एवं तकनीकी सहायता प्रदान की जा रही है।
* राज्यों को कृषि अध्यसंरचना के सुदृढ़ीकरण, रेशम उत्पादन के तहत क्षेत्रफल में वृद्धि, रीलिंग सुविधाओं के उन्नयन, परिष्करण प्रक्रियाओं में सुधार, बीज आपूर्ति, कोया एवं रेशम परीक्षण प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए केंद्र द्वारा प्रायोजित एवं केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के माध्यम से केंद्रीय सहायता प्रदान की जा रही है।

* केंद्रीय रेशम बोर्ड द्वारा विकसित की गई निम्न लागत एवं उत्पादकता बढ़ाने वाली प्रौद्योगिकियों को लाभार्थियों को केंद्रीय सहायता, राज्यों की विस्तार मशीनरी एवं लाभार्थियों को प्रशिक्षण, विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों के आयोजन आदि के माध्यम से लोकप्रिय किया जा रहा है।

* स्वदेशी रेशम उद्योग के प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए वस्त्र क्षेत्र के वास्ते प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टी यू एफ एस) के तहत, लागू बैंक दर से 5% बिंदु कम पर ऋण अन्य बातों के साथ-साथ रेशम क्षेत्र के लिए उपब्ध है।

* किसानों, अपरिष्कृत रेशम उत्पादकों और बुनकरों के मध्य आपूर्ति श्रृंखला संबंधी मुद्दों का, कांट्रेक्ट खेती माडल, कीमत संबद्ध ग्रेडिंग आदि का पक्ष लेकर समाधान किया जा रहा है।

* उपर्युक्त कार्य नीति एवं कार्यक्रमों की सहायता के लिए रेशम उत्पादन क्षेत्र के वास्ते 10वीं योजना में 450 करोड़ रु. की राशि की व्यवस्था की गई है।

समेकित हथकरघा ग्राम विकास कार्यक्रम

1681. श्री शिवराज सिंह चौहान: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हथकरघा बुनकरों की अधिकता वाले गांवों के विकास हेतु समेकित हथकरघा ग्राम विकास कार्यक्रम शुरू किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके अभी तक क्या परिणाम निकले हैं;

(ग) इस कार्यक्रम के अंतर्गत कितने गांव आते हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार चालू वर्ष के दौरान इस कार्यक्रम के अंतर्गत और अधिक गांवों को शामिल करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला): (क) जी हां। भारत सरकार ने एकीकृत हथकरघा ग्राम विकास योजना (आईएचवीडी) 1991-92 में शुरू की थी और यह योजना 1.4.1997 तक चली। तथापि, स्वीकृत परियोजनाओं के लिए प्रतिबद्ध देयता अभी तक दी जा रही है।

(ख) और (ग) योजना के तहत 208 गावों को शामिल किया गया है, इसमें 21,234 बुनकर लाभांवित हुए और अब तक इसके लिए 3109.30 लाख रुपए की राशि जारी की गई।

(घ) जी नहीं। एकीकृत हथकरघा ग्राम विकास योजना (आईएचवीडी) 1.4.1997 से बंद कर दी गई है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

ए.एस.आई.डी.ई. के अंतर्गत सहायता

1682. श्री सी.के. चन्द्रप्पन: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ए.एस.आई.डी.ई नाम से प्रचलित, निर्यात हेतु अवसंरचना विकास के लिए राज्यों को सहायता नामक योजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ख) भारत सरकार ने देश में विभिन्न राज्यों को कितनी वित्तीय सहायता देना निर्धारित किया है;

(ग) इस योजना के अंतर्गत निर्यात श्रेष्ठता, फूड पार्क, जैव प्रौद्योगिकी पार्कों इत्यादि हेतु किस प्रकार की वित्तीय और आवश्यक सहायता दिए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) ए.एस.आई.डी.ई. के अंतर्गत स्वीकृत मामलों का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) निर्यात संबंधी बुनियादी सुविधाओं एवं संबद्ध कार्यकलापों के विकास हेतु राज्यों को सहायता (ए एस आई डी ई) स्कीम की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं:

- ए एस आई डी ई स्कीम में निर्यात का कार्य निष्पादन से संबद्ध सहायता के जरिए निर्यातों हेतु बुनियादी सुविधाओं के विकास में राज्यों को शामिल करने हेतु एक तंत्र की स्थापना की गयी है।

- स्कीम के परिव्यय में दो संघटक हैं, 80 प्रतिशत निधियां राज्यों को आबंटित करने के लिए निर्धारित हैं और 20 प्रतिशत केन्द्रीय संघटक हेतु रखा जाता है।

- राज्य स्तर पर राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय निर्यात संवर्धन समिति (एस एल ई पी सी) स्कीम के कार्यान्वयन का अनुमोदन करती है।

– केन्द्रीय स्तर पर, वाणिज्य सचिव की अध्यक्षता में ए एस आई डी ई संबंधी एक अधिकार प्राप्त समिति केन्द्रीय संघटक के अंतर्गत परियोजनाओं को अनुमोदित करती है।

(ख) से (घ) राज्य संघटक के अंतर्गत आने वाली निधियों का आबंटन उनके निर्यात कार्य निष्पादन के आधार पर किया जाता है। प्रत्येक राज्य की एस एल ई पी सी खाद्य पार्क, जैव-प्रौद्योगिकी, पार्क इत्यादि जैसी परियोजनाओं समेत निर्यात से जुड़ी परियोजनाओं का अनुमोदन कर सकती है। केन्द्रीय संघटक के अंतर्गत आने वाली निधियों का उपयोग अन्य बातों के साथ-साथ, अंतर-राज्यीय परियोजनाओं की जरूरतों को पूरा करने, विशेष आर्थिक क्षेत्रों के पूंजीगत परिव्ययों और क्षेत्रीय अथवा राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में केन्द्रीय सरकार द्वारा महत्वपूर्ण समझे गए किसी कार्यकलाप के लिए किया जाता है।

ऋण हेतु उपलब्ध धनराशि

1683. श्री पवन कुमार बंसल: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में बैंक बड़े ऋण लेने वालों को पाने में असमर्थ हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) वर्तमान में बैंकों के पास ऋण हेतु कुल कितनी धनराशि उपलब्ध है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) 12 नवम्बर, 2004 (अद्यतन उपलब्ध) को समाप्त हुए पखवाड़े के लिए अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की कुल जमाराशियां 1596617 करोड़ रुपये थीं। इसमें से 1117632 करोड़ रु. उधार के लिए उपलब्ध हैं। शेष राशि सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) और आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) के लिए रखी गई है।

[अनुवाद]

केरल को स्वीकृत धनराशि

1684. श्री पी. राजेन्द्रन: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार की अनेक चालू और नई योजनाओं के अंतर्गत केरल को स्वीकृत धनराशि का योजनावार और वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ख) इन योजनाओं के क्रियान्वयन में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है; और

(ग) पिछले दो वर्षों के दौरान धनराशि का उपयोग न किए जाने अथवा राज्यों द्वारा अंशदान का भुगतान न किए जाने के कारण राज्यों के सरकारी कोष की कितनी राशि व्यपगत हो गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) और (ख) राज्य योजना स्कीमों के लिए केन्द्रीय सहायता के संबंध में विवरण संलग्न है। वित्त मंत्रालय, उपयोगिता अवस्था को ध्यान में रखते हुए योजना आयोग/संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय की सिफारिशों पर राज्यों को केन्द्रीय योजना सहायता जारी करता है।

(ग) राज्यों के सरकारी कोष में कोई राशि व्यपगत नहीं हुई है।

विवरण

केरल की राज्य योजना के लिए केन्द्रीय सहायता का आबंटन और उसके लिए वर्ष 2002-03 और 2003-04 के दौरान वित्त मंत्रालय द्वारा जारी धनराशि

(करोड़ रुपए में)

स्कीमें	2002-03		2003-04	
	आबंटन	जारी की गई राशि	आबंटन	जारी की गई राशि
1	2	3	4	5
सामान्य केन्द्रीय सहायता	508.15	498.06	508.15	503.07
अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता	75.00	78.66	80.00	82.04

1	2	3	4	5
स्लम बस्तियों का विकास	9.72	9.72	9.72	9.72
बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं	969.75	730.10	925.00	162.60
पी.एम.जी.वाई. (ग्रामीण सड़कों को छोड़कर)	76.08	76.08	76.08	76.08
त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम	17.00	5.67	15.00	31.00
पश्चिमी घाट विकास कार्यक्रम	13.13	13.13	13.13	13.13
त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार	119.49	30.43	119.49	74.23
राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम	17.63	17.63	17.63	17.63
शहरी सुधार प्रोत्साहन निधि	14.50	0.00	14.50	7.25
तरुण बालिकाओं के लिए पोषाहार कार्यक्रम	0.00	0.00	5.80	2.13
राष्ट्रीय सम विकास योजना	0.00	0.00	30.00	20.00

[हिन्दी]

स्व-रोजगार योजना के अंतर्गत ऋण की वसूली

1685. श्री हरिकेवल प्रसाद:
श्री बीर सिंह महतो:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या शिक्षित बेरोजगारों को स्व-रोजगार प्रदान करने हेतु स्व-रोजगार योजना के अंतर्गत वितरित ऋणों की वसूली अपेक्षानुसार हो रही है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार ने इस योजना की समीक्षा की है तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत प्रदान किए गए ऋणों के आधार पर नियोजित हुए व्यक्तियों की वास्तविक संख्या कितनी है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना (एसजेएसआरवाई) तथा प्रधान मंत्री रोजगार योजना (पीएमआरवाई) के अंतर्गत संस्वीकृत ऋणों की वसूली का प्रतिशत नीचे दिया गया है:

मार्च को समाप्त वर्ष	योजना के अंतर्गत ऋणों की वसूली का प्रतिशत	
	एसजेएसआरवाई	पीएमआरवाई
2001-02	40.20	34.90
2002-03	41.46	35.20
2003-04	38.43	34.96

(ख) शहरी रोजगार एवं गरीबी उपशमन मंत्रालय अर्थात एसजेएसआरवाई योजना के प्रशासकीय मंत्रालय ने हाल ही में आर बी आई से कहा है कि वे इस योजना के संबंध में सुझाव/टिप्पणी/आशोधन प्रस्तुत करें। आरबीआई से सुझाव/टिप्पणी प्रतीक्षित है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान पीएमआरवाई के तहत प्राप्त आवेदनों, संस्वीकृत एवं संवितरित आवेदनों की संख्या से संबंधित ब्यौरा नीचे दिया गया है:

वर्ष	प्राप्त आवेदनों की सं.	संस्वीकृत सं.	संवितरित सं.
2002-03	414001	228031	190521
2003-04	427926	256403	177100
2004-05	110417	44928	23788

[अनुवाद]

हस्तशिल्प उद्योग का बंद किया जाना

1686. श्री जसुभाई दानाभाई बारड़: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राज्यवार विशेषकर गुजरात में कितनी हस्तशिल्प इकाइयां बंद पड़ी हैं;

(ख) इससे कितने मजदूर बेरोजगार हो गये हैं;

(ग) तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार इन मजदूरों को वैकल्पिक रोजगार प्रदान करने के लिए क्या कदम उठा रही है?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला): (क) हस्तशिल्प एक असंगठित एवं बिखरा हुआ क्षेत्र होने के परिणामस्वरूप अधिकांशत: कारीगर स्वनियोजित हैं और अनियमित क्षेत्र में कार्य करते हैं। गुजरात राज्य सहित देश में हस्तशिल्प इकाईयों को बन्द करने के संबंध में सरकार के पास कोई सूचना नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

आयकर आयुक्त के पदों का रिक्त होना

1687. श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सहायक आयकर आयुक्त/उप सहायक आयकर आयुक्त के 350 पद रिक्त पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अधिकारियों की कमी के कारण सरकारी राजस्व के संग्रहण/ उगाही में कमी आई है;

(ग) क्या सरकार का विचार सहायक आयकर आयुक्त/उप सहायक आयकर आयुक्त के रिक्त पड़े पदों को भरने हेतु कोई समय-सीमा निर्धारित करने का है;

(घ) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) जी, हां।

(ख) कतिपय स्तरों पर अस्थायी रिक्तियों से उत्पन्न होने वाली बाधाओं के बावजूद राजस्व संग्रहण के प्रयास में कोई शिथिलता नहीं आयी है जिसके फलस्वरूप चालू वित्त वर्ष में प्रत्यक्ष कर की वसूलियों में कोई कमी नहीं हुई है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। इसके कारण निम्नवत हैं-

(1) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 16.5.2001 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार, यह विभाग सीधी भर्ती के सभी स्तरों पर स्टाफ की संख्या कम करने के लिए प्रत्येक वर्ष में उत्पन्न होने वाली रिक्तियों में से केवल एक-तिहाई अथवा संवर्ग, संख्या की एक प्रतिशत, जो भी कम हो, रिक्तियों को भर सकता है। अत: पिछले तीन वर्षों में सीधी भर्ती अधिकारी के 63 रिक्त स्थानों को भरा नहीं जा सका।

(2) परीक्षा वर्ष 2002 तथा 2003 से चयनित 170 सीधी भर्ती के अधिकारी अपना प्रशिक्षण पूरा करने के बाद तैनाती के लिए उपलब्ध होंगे और 139 सहायक आयकर आयुक्त उक्त पद के लिए पदोन्नति कोटा के अधीन संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति के बाद तैनाती के लिए उपलब्ध होंगे।

[अनुवाद]

द्वितीय पीढ़ी के सुधार

1688. श्री बीर सिंह महतो: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने देश में द्वितीय पीढ़ी के सुधार कार्यक्रमों को आरम्भ कर दिया है;

(ख) क्या आर्थिक सुधारों के सक्रिय कार्यान्वयन से रोजगार अवसरों में कोई वृद्धि नहीं हुई है जिससे कि देश के युवाओं को रोजगार सहायता मिल सके;

(ग) यदि हां, तो बेरोजगारी के क्या कारण हैं;

(घ) सरकार देश के बेरोजगार युवकों के लिए किस प्रकार एक मिलियन रोजगार सृजित करेगी; और

(ङ) सरकार ने द्वितीय पीढ़ी के सुधार कार्यक्रम के चरण में रोजगार हेतु किस प्रकार की योजना बनाई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) से (ङ) आर्थिक सुधार एक सतत् प्रक्रिया है तथा वर्तमान

स्थिति को ध्यान में रखते हुए, उनको क्रियान्वित करने के लिए नीति साधनों की समय-समय पर समीक्षा की जाती है। एनएसएसओ के 55वें दौर के परिणामों के अनुसार, चालू दैनिक प्रास्थिति (सीडीएस) के आधार पर रोजगार वृद्धि की दर 1983-94 के 2.7 प्रतिशत प्रतिवर्ष से गिरकर 1994-2000 में 1.07 प्रतिशत प्रतिवर्ष हो गई। 1990 के दशक के दौरान उत्पादन की श्रम सघनता में गिरावट रही है। श्रमशक्ति से जुड़े लोगों को लाभप्रद रोजगार प्रदान करना गरीबी उन्मूलन की रणनीति का एक महत्वपूर्ण तत्व है। दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002-07) का मुख्य ध्येय दसवीं योजना के दौरान श्रमिक-बाहुल्य को रोजगार देने के अलावा, लाभप्रद व उच्च स्तर के अधिकाधिक रोजगार प्रावधान करना है। दसवीं पंचवर्षीय योजना में ऐसे क्षेत्रों/कार्यकलापों जो उत्पादन के प्रत्येक यूनिट में ज्यादा श्रमिक नियुक्त करते हैं, के विकास को बढ़ावा देकर रोजगार मात्रा बढ़ाने की वकालत की गई है। रोजगार सृजन हेतु दसवीं योजना में कृषि एवं संबद्ध कार्यकलाप अर्थात कृषि वानिकी, बायो-मास विद्युत उत्पादन हेतु ऊर्जा संयंत्रीकरण, ग्रामीण उद्योगों सहित लघु एवं मध्यम उद्यमों, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी तथा शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवार एवं बाल कल्याण सेवाओं पर विशेष ध्यान देने के लिए उनकी पहचान कर ली गई है।

[हिन्दी]

भारतीय टसर सिल्क की मांग

1689. श्री रामदास आठवले: क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय टसर सिल्क की मांग विदेशी बाजारों में बढ़ी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) टसर सिल्क के उत्पादन क्षेत्र में वृद्धि करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) गत तीन वर्षों में इस क्षेत्र के विकास पर सरकार द्वारा राज्यवार कितना व्यय किया गया?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला): (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान तसर रेशम के सामानों से निर्यात आय के ब्यौरे तथा मांग में कोई वृद्धि नहीं दर्शाने वाली तालिका नीचे दी गई है:

वर्ष	निर्यात आय (करोड़ रु. में)
2001-02	283.38
2002-03	201.33
2003-04	160.90

(ग) सरकार द्वारा तसर रेशम के उत्पादन को बढ़ाने के लिए उठाए गए कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं:

* अधिक उत्पादक और दाब सहनशील प्रजातियों तथा खाद्य पादपों और रेशम कीटों की संकर प्रजातियों के विकास द्वारा, तसर रेशम की गुणवत्ता और उत्पादकता में सुधार करने तथा कम लागत वाली रीलिंग एवं ट्विस्टिंग मशीनों तथा कताई के चक्रों के विकास के लिए केंद्रीय रेशम बोर्ड के अनुसंधान एवं विकास संबंधी प्रयास तेज किए गए हैं।

* केंद्रीय रेशम बोर्ड ने गुणवत्ता के मूल बीज उपजाने तथा बहुगुणन के लिए राज्यों को उनकी आपूर्ति करने के लिए 22 बुनियादी तसर बीज बहुगुणन एवं प्रशिक्षण केंद्रों के नेटवर्क के साथ बुनियादी तसर रेशम कीट बीज संगठन स्थापित किया है।

* राज्यों की कृषि अध्यसंरचना के सुदृढ़ीकरण, तसर सहित रेशम उत्पादन के तहत क्षेत्रफल में वृद्धि, रीलिंग सुविधाओं के उन्नयन, परिष्करण प्रक्रियाओं में सुधार, कोया एवं रेशम परीक्षण प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए केंद्र द्वारा प्रायोजित एवं केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के माध्यम से केंद्रीय सहायता प्रदान की जा रही है।

* केंद्रीय रेशम बोर्ड द्वारा विकसित की गई निम्न लागत एवं उत्पादकता बढ़ाने वाली प्रौद्योगिकियों को लाभर्थियों को केंद्रीय सहायता, राज्यों की विस्तार मशीनरी एवं लाभार्थियों को प्रशिक्षण, विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों के आयोजन आदि के माध्यम से लोकप्रिय किया जा रहा है।

* ग्रामीण विकास मंत्रालय की एसजीएसवाई योजना से वित्तीय सहायता से विभिन्न राज्यों में तसर सहित रेशम के विकास की विशेष परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं जिसके अंतर्गत बनाए रखने योग्य उत्पादन के लिए आवश्यक बुनियादी अध्यसंरचना सृजित की जा रही है।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान तसर रेशम के विकास के लिए केंद्र सरकार द्वारा किए गए व्यय के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण I और II में दिए गए हैं।

विवरण I

इकाई: (लाख रु.)

विवरण	के दौरान हुआ व्यय			टिप्पणी
	2001-02	2002-03	2003-04	
अनुसंधान एवं विकास	1455.73	1592.51	1691.78	राज्यवार ब्यौरा विवरण-I में संलग्न है।
उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम (10वीं योजना)	–	236.08	217.51	राज्य-वार ब्यौरा विवरण-II के रूप में संलग्न है।
विशेष एस जी एस वाई परियोजना (तसर)				
बिहार	–	126.16	79.30	–
झारखण्ड		73.84	228.92	
गैर-शहतूती (तसर) के विकास के लिए यू एन डी पी उप कार्यक्रम				
आंध्र प्रदेश	18.47	10.81	–	
छत्तीसगढ़	33.15	22.03	–	
झारखण्ड/बिहार	43.70	42.94	–	
उड़ीसा	37.64	15.61	–	
पश्चिम बंगाल	62.93	30.22	–	
उत्तरांचल में ओक तसर के विकास की परियोजना	25.96	68.31	7.81	
उड़ीसा में "माडल" तसर पर्यावरण प्रजाति विकास की परियोजना	14.83	10.10	4.57	
कुल	1692.41	2228.61	2229.89	

वर्ष 2001-02 से 2003-04 के लिए तसर क्षेत्र के अंतर्गत हुए इकाई-वार व्यय को दर्शाने वाला विवरण

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्यों का नाम	2001-02			2002-03			2003-04		
		गैर-योजना	योजना	कुल	गैर-योजना	योजना	कुल	गैर-योजना	योजना	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	असम	0.00	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	आंध्र प्रदेश	9.25	90.19	99.44	91.31	23.76	115.07	81.27	34.84	115.75
3.	बिहार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.81	0.00	0.81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	छत्तीसगढ़	22.69	254.05	276.74	290.29	15.16	305.45	314.17	12.24	326.41
5.	झारखण्ड	214.51	287.81	502.32	394.47	172.41	566.88	435.38	191.74	627.12
6.	जम्मू-कश्मीर	12.22	8.88	21.10	17.87	5.20	23.07	17.33	9.72	27.05
7.	हिमाचल प्रदेश	14.27	6.98	21.25	16.38	6.42	22.80	18.35	4.91	23.26
8.	महाराष्ट्र	0.00	56.36	56.36	40.34	20.99	61.33	40.81	22.30	63.11
9.	मध्य प्रदेश	0.00	26.23	26.23	29.20	0.00	29.20	30.40	0.00	30.40
10.	मणिपुर	0.00	193.53	193.53	0.00	193.23	193.23	0.00	192.40	192.40
11.	नागालैण्ड	0.00	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	उड़ीसा	10.87	129.67	140.54	137.93	26.22	164.15	130.76	25.09	155.85
13.	उत्तर प्रदेश	5.38	33.30	38.68	39.48	2.18	41.66	42.74	1.88	44.62
14.	उत्तरांचल	18.09	7.17	25.26	23.51	5.68	29.19	24.09	10.89	34.98
15.	पश्चिम बंगाल	0.00	38.41	38.41	35.54	4.54	40.48	43.57	6.45	50.02
	कुल	307.28	1,148.73	1,455.73	1,116.72	475.79	1,592.51	1,179.68	512.10	1,691.78

विवरण II

10वीं योजना के दौरान उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम 2002-03, 2003-04 तथा 2004-05 (नवम्बर तक) के दौरान तसर क्षेत्र के संबंध में राज्यवार व्यय/जारी राशि

(लाख रु.)

क्र.सं.	राज्य का नाम	के दौरान जारी/व्यय की गई राशि			
		2002-03	2003-04	2004-05 (नवम्बर तक)	संचयी व्यय (नवम्बर तक)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	16.56	10.3	13.68	40.54
2.	पश्चिम बंगाल	5.5	10.30	17.55	33.35
3.	महाराष्ट्र	3.39	5.11	–	8.5
4.	मध्य प्रदेश	0.43	2.60	–	3.03
5.	उड़ीसा	5.37	11.15	10.64	27.16
6.	बिहार	91.33	17.44	–	108.77

1	2	3	4	5	6
8.	हिमाचल प्रदेश	–	1.68	–	1.68
9.	छत्तीसगढ़	1.14	84.02	55.47	140.63
10.	झारखण्ड	101.22	50.93	–	152.15
11.	उत्तरांचल	6.67	7.62	3.69	17.98
12.	अरुणाचल प्रदेश	0.84	1.00	–	1.84
13.	मणिपुर	–	3.19	7.14	10.33
14.	मिजोरम	2.44	4.31	5.87	12.62
15.	नागालैण्ड	–	2.07	6.89	8.96
	कुल	236.08	217.51	120.93	574.52

[अनुवाद]

भारत को विश्व बैंक से ऋण

1690. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस वित्तीय वर्ष में विश्व बैंक भारत को 2.5 बिलियन डालर ऋण उपलब्ध कराने पर सहमत हो गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह धनराशि वर्ष 2004-07 के दौरान 3 बिलियन डालर के वार्षिक लक्ष्य से कम है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) इस ऋण के अंतर्गत किन परियोजनाओं को सम्मिलित किए जाने की संभावना है; और

(ङ) इस ऋण को किस प्रकार लौटाए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमणिक्कम): (क) विश्व बैंक का जुलाई, 2004 से जून, 2008 तक की अवधि हेतु भारत से संबंधित ''कंट्री एसिस्टेंस स्ट्रैटेजी'' के अंतर्गत 2.15 बिलियन अमरीकी डालर तक की वार्षिक ऋण सहायता प्रदान करने का विचार है।

(ख) सरकार द्वारा 2004 से 2007 तक की अवधि के लिए अलग लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान, विश्व बैंक ने निम्नलिखित परियोजनाओं के लिए ऋण सहायता मंजूर की है:

(1) उड़ीसा सामाजिक-आर्थिक विकास ऋण

(2) ग्रामीण सड़क परियोजना

(3) मध्य प्रदेश जल क्षेत्र पुन:संरचना परियोजना

(4) जल विज्ञान परियोजना चरण-II

(5) कर्नाटक शहरी जल क्षेत्र सुधार परियोजना

(ङ) सरकार द्वारा ऋण समझौते की शर्तों के आधार पर प्रत्येक वर्ष बजट में आवश्यक प्रावधान रख कर विश्व बैंक के ऋणों की वापसी अदायगी की जाती है।

गैर-बैंकिंग कंपनियां

1691. श्री एस.पी.वाई. रेड्डी: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने एक ऐसी योजना तैयार की है जिसके अंतर्गत अब सभी शेष गैर-बैंकिंग कंपनियां खुदरा जमा (डिपाजिट्स) स्वीकार नहीं करेंगी और अपनी सभी विद्यमान निधियों का निवेश केवल सरकारी और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में ही करेंगी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस योजना को कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है; और

(घ) लघु जमाकर्ताओं, जो अधिकांशत: निम्न आय वर्ग और ग्रामीण क्षेत्रों के होते हैं के हितों के संरक्षण हेतु अन्य क्या उपाय करने पर विचार किया जा रहा है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सूचित किया है कि उन्होंने ऐसी कोई योजना प्रारम्भ करने का निर्णय नहीं किया है जिसके तहत सभी अवशिष्ट गैर-बैंककारी कंपनियों (आरएनबीसी) से यह अपेक्षा की जाएगी कि वे खुदरा जमाराशियां स्वीकार न करें।

आरएनबीसी को निवेश के निदेशित पैटर्न के अनुसार जमाकर्ताओं को उनकी कुल देयताओं (एएलडी) का 80 प्रतिशत बनाए रखना अपेक्षित था।

विवेकाधीन ऋण सीमा को 1 अप्रैल, 2005 से उनकी एएलडी के 20 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत तथा 1 अप्रैल, 2006 से शून्य किया जाना होगा। दूसरे शब्दों में विवेकाधीन ऋण सीमा 1 अप्रैल, 2006 से समाप्त कर दी जाएगी।

(घ) व्यापक विनियामक ढांचा लागू कर दिया गया है जिसका लक्ष्य जमाकर्ताओं के हितों की सुरक्षा करना तथा यह सुनिश्चित करना है कि एनबीएफसी सुदृढ़ एवं लाभप्रद रूप से कार्य करें। विनियामक ढांचे में अन्य बातों के साथ-साथ अनिवार्य पंजीकरण, चल आस्तियों का अनुरक्षण, निवल लाभ का कम से कम 20% आरक्षित निधि में अंतरण तथा भारतीय रिजर्व बैंक को एनबीएफसी को निदेश जारी करने की शक्तियां देना शामिल है। भारतीय रिजर्व बैंक चूककर्ता एनबीएफसी के विरुद्ध विभिन्न चूकों के लिए तथा भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के उपबंधों तथा इसके तहत् जारी किए गए निदेशों का उल्लंघन करने के लिए विभिन्न कार्रवाईयां करता है।

सहकारी बैंकों के लाइसेंस को रद्द करना

1692. श्री गुरूदास कामत: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक ने अनेक सहकारी बैंकों के लाइसेंस रद्द किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 जनवरी, 2002 से 85 शहरी सहकारी बैंकों के लाइसेंस को रद्द कर दिया है तथा 16 शहरी सहकारी बैंकों के लाइसेंस संबंधी आवेदनों को निरस्त कर दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 2002 से 6 जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) के लाइसेंस संबंधी आवेदनों को भी निरस्त कर दिया है।

(ख) वर्ष 2002 से जिन शहरी सहकारी बैंकों के लाइसेंसों को रद्द कर दिया गया है तथा उनके लाइसेंस संबंधी आवेदनों को निरस्त कर दिया गया है, के ब्यौरे विवरण-I में दिये गए हैं। शहरी सहकारी बैंकों को जारी लाइसेंसों को रद्द किए जाने के कारणों में अन्य बातों के साथ बैंकों की अस्थिर वित्तीय स्थिति, एनपीए का उच्च स्तर, जमाराशियों को प्रभावित करते हुए शुद्ध मालियत में क्षरण आदि शामिल हैं। बैंकों को उचित अवसर देते हुए तथा इस निष्कर्ष पर पहुंचते हुए कि भविष्य में उनके पुनरूज्जीवन के अवसर क्षीण हैं, के पश्चात् लाइसेंस का रद्दीकरण प्रभावी होता है।

जिन 6 डीसीसीबी के लाइसेंस के आवेदनों को वर्ष 2002 से निरस्त कर दिया गया है, के ब्यौरे विवरण-II में हैं। डीसीसीबी के लाइसेंस संबंधी आवेदनों के निरस्त किए जाने के कारणों में अन्य बातों के साथ-साथ बैंकों की चुकता पूंजी एवं आरक्षित निधियों की वास्तविक अथवा विनिमेय मूल्य का ऋणात्मक होना, आवश्यक होने पर अपने ग्राहकों की, उनके द्वारा मांगी गई राशि का बैंक द्वारा भुगतान करने में असमर्थ होना, एनपीए का उच्च स्तर, बैंकों की उच्च संचयी हानियां, वित्तीय स्थिति का अत्यधिक असंतोषजनक होना, इत्यादि शामिल हैं।

विवरण I

उन शहरी सहकारी बैंकों की सूची जिनके लाइसेंस को वर्ष 2002 से अस्वीकार कर दिया गया है अथवा लाइसेंस संबंधी आवेदनों को निरस्त कर दिया गया है

क्र.सं.	बैंक का नाम	क्षेत्रीय कार्यालय	आदेश की तारीख
1	2	3	4
1.	आयरन का-आपरेटिव अरबन बैंक लि. आन्ध्र प्रदेश	हैदराबाद	17 जनवरी 02
2.	मजूर सहकारी बैंक लि. अहमदाबाद	अहमदाबाद	6 फरवरी 02
3.	अहमदाबाद महिला नागरिक सहकारी बैंक लि., अहमदाबाद	अहमदाबाद	5 मार्च 02

1	2	3	4
4.	मफ्फतलाल इंजीनियरिंग इम्पलाइ का-आपरेटिव बैंक लि., मुम्बई	मुंबई	5 मार्च 02
5.	अरबन का-आपरेटिव अरबन बैंक लि.	लखनऊ	30 मार्च 02
6.	फस्ट सिटी का-आपरेटिव अरबन बैंक लि.	हैदराबाद	8 अप्रैल 02
7.	बेगूसराय अरबन डवलेपमेंट का-आपरेटिव बैंक लि.	पटना	22 अप्रैल 02
8.	मधेपुरा	पटना	22 अप्रैल 02
9.	पीपुल्स का-आपरेटिव बैंक लि.	लखनऊ	22 अप्रैल 02
10.	पीपुल्स का-आपरेटिव बैंक लि.	पटना	22 अप्रैल 02
11.	जवाहर का-आपरेटिव अरबन बैंक लि.	हैदराबाद	11 मई 02
12.	दतिया नागरिक सहकारी बैंक लि. दातिया	भोपाल	14 मई 02
13.	थैनी अरबन का-आपरेटिव बैंक लि. (आर)	चेन्नई	20 मई 02
14.	तिरूवनाइकाविल का-आपरेटिव बैंक लि. (आर)	चेन्नई	23 मई 02
15.	श्रव्य का-आपरेटिव अरबन बैंक लि. (परिसमापित)	हैदराबाद	23 मई 02
16.	नालंदा अरबन का-आपरेटिव बैंक लि. (आर)	पटना	10 जून 02
17.	श्री आदिनाथ सहकारी बैंक लि. पुणे	मुंबई	25 जून 02
18.	प्रजा का-आपरेटिव अरबन बैंक लि.	हैदराबाद	2 जुलाई 02
19.	राजम पैठ का-आपरेटिव टाउन बैंक लि. (आर)	हैदराबाद	3 जुलाई 02
20.	श्री लाभ का-आपरेटिव बैंक लि. मुम्बई	मुंबई	31 जुलाई 02
21.	मेगा सिटी का-आपरेटिव अरबन बैंक लि.	हैदराबाद	3 अगस्त 02
22.	झारग्राम पीपुल्स का-आपरेटिव बैंक लि. (आर)	कोलकाता	5 अगस्त 02
23.	कलवा बेलापुर सहकारी बैंक लि. नवीं मुम्बई	मुंबई	10 अगस्त 02
24.	मा शारदा महिला नगरी सहकारी बैंक मर्यादित अकोला	नागपुर	10 अगस्त 02
25.	यमुना नगर यूसीबी यमुना नगर	चंडीगढ़	14 अगस्त 02
26.	अरमूर का-आपरेटिव अरबन बैंक लि.	हैदराबाद	26 अगस्त 02
27.	नागरिक का-आपरेटिव कर्मिशयल बैंक लि. बिलासपुर	भोपाल	14 सितम्बर 02
28.	मनमदुराई का-आपरेटिव बैंक लि. (आर)	चेन्नई	19 सितम्बर 02
29.	मदरटरेसा हैदराबाद का-आपरेटिव अरबन बैंक लि.	हैदराबाद	14 अक्तूबर 02
30.	गुलबर्ग अरबन का-आपरेटिव बैंक लि. (आर)	बंगलौर	1 नवम्बर 02
31.	पीठपुरम का-आपरेटिव बैंक लि. (आर)	हैदराबाद	2 नवम्बर 02

1	2	3	4
32.	सेवालाल अरबन का-आपरेटिव बैंक लि. सोलापुर	मुंबई	4 दिसम्बर 02
33.	मंदसौर कर्मिशयल का-आपरेटिव बैंक लि.	भोपाल	12 दिसम्बर 02
34.	स्टार का-आपरेटिव अरबन बैंक लि. हैदराबाद	हैदराबाद	27 दिसम्बर 02
35.	श्री जामनगर नागरिक सहकारी बैंक लि. (आर)	अहमदाबाद	27 दिसम्बर 02
36.	यशवंत एसबीएल मुम्बई	मुंबई	4 फरवरी 03
37.	पलाना का-आपरेटिव बैंक लि. पालना	अहमदाबाद	19 फरवरी 03
38.	लम्का अरबन का-आपरेटिव बैंक लि. मणिपुर	गुवाहाटी	25 फरवरी 03
39.	प्रतिभा महिला एसबीएल जलगांव	मुंबई	25 फरवरी 03
40.	धन का-आपरेटिव बैंक लि. एलूरू	हैदराबाद	7 अप्रैल 03
41.	श्री मुनेश्वर का-आपरेटिव बैंक लि.	बंगलौर	23 अप्रैल 03
42.	नरसरावपैठ का-आपरेटिव अरबन बैंक लि. (आर)	हैदराबाद	24 मई 03
43.	शोलापुर मर्चेंएन्ट सीबीएल सोलापुर	मुंबई	20 जून 03
44.	मनीकांता का-आपरेटिव बैंक लि. हैदराबाद	हैदराबाद	7 जुलाई 03
45.	भाव नगर वैलफेयर का-आपरेटिव बैंक लि.	अहमदाबाद	31 जुलाई 03
46.	जनरल का-आपरेटिव बैंक लि. अहमदाबाद	अहमदाबाद	31 जुलाई 03
47.	जनता कर्मशियल का-आपरेटिव बैंक लि. ढोलका	अहमदाबाद	31 जुलाई 03
48.	संतराम का-आपरेटिव बैंक लि. नडियाड	अहमदाबाद	31 जुलाई 03
49.	मदुराई का-आपरेटिव बैंक लि.	चेन्नई	22 अगस्त 03
50.	वसुधरा का-आपरेटिव अरबन बैंक लि. हैदराबाद	हैदराबाद	1 सितम्बर 03
51.	सिटीजन का-आपरेटिव बैंक लि. दमोह	भोपाल	3 सितम्बर 03
52.	रायबाग अरबन का-आपरेटिव बैंक लि. (आर)	बंगलौर	17 सितम्बर 03
53.	नीलगिरी का-आपरेटिव अरबन बैंक लि. नालगोंडा	हैदराबाद	26 सितम्बर 03
54.	चारोतर नागरिक सहकारी बैंक लि. विरुदनगर	अहमदाबाद	10 अक्तूबर 03
55.	नायक मरकेनटाइल का-आपरेटिव बैंक लि.	अहमदाबाद	22 अक्तूबर 03
56.	ट्रिनिटी का-आपरेटिव अरबन बैंक लि.	हैदराबाद	28 नवम्बर 03
57.	महालक्ष्मी का-आपरेटिव अरबन बैंक लि. हैदराबाद	हैदराबाद	13 जनवरी 04
58.	कल्याण का-आपरेटिव अरबन बैंक लि. हैदराबाद	हैदराबाद	14 जनवरी 04

1	2	3	4
59.	विजया का-आपरेटिव अरबन बैंक लि. हैदराबाद (प.)	हैदराबाद	20 जनवरी 04
60.	श्री का-आपरेटिव बैंक लि. इन्दौर	भोपाल	27 जनवरी 04
61.	कावेरी अरबन का-आपरेटिव बैंक लि. (आर)	बंगलौर	6 फरवरी 04
62.	कर्नाटक कन्ट्राक्टर का-आपरेटिव बैंक लि. बंगलौर (आर)	बंगलौर	9 फरवरी 04
63.	श्री स्वामी ग्यानंद योगेश्वर महिला सीयू बैंक	हैदराबाद	24 फरवरी 04
64.	पेटलाड नागरिक सहकारी बैंक लि.	अहमदाबाद	9 मार्च 04
65.	बड़ौदा पीपुल्स का-आपरेटिव बैंक लि. बड़ौदा	अहमदाबाद	19 मई 04
66.	साई का-आपरेटिव अरबन बैंक लि.	हैदराबाद	22 मई 04
67.	इंडियन का-आपरेटिव डवलपमेंट बैंक लि. मेरठ	लखनऊ	31 मई 04
68.	उजावर का-आपरेटिव बैंक लि. अहमदाबाद	अहमदाबाद	1 जून 04
69.	नगरिय सहकारी बैंक लि.	लखनऊ	5 जून 04
70.	का-आपरेटिव बैंक आफ उमरेट	अहमदाबाद	9 जून 04
71.	मटर नगरिक सहकारी बैंक लि.	अहमदाबाद	9 जून 04
72.	श्री सत्य साई का-आपरेटिव अरबन बैंक लि. सिकंदराबाद	हैदराबाद	9 जून 04
73.	क्लासिक का-आपरेटिव बैंक लि. अहमदाबाद	अहमदाबाद	10 जून 04
74.	मित्रमंडल सहकारी बैंक लि. इन्दौर	भोपाल	18 जून 04
75.	डायमंड जुबली का-आपरेटिव बैंक लि.	अहमदाबाद	19 जून 04
76.	नगाव अरबन का-आपरेटिव बैंक लि.	गुवाहाटी	22 जून 04
77.	नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित धमतारी	भोपाल	28 जून 04
78.	सूर्यपुर का-आपरेटिव अरबन बैंक लि.	अहमदाबाद	30 जुलाई 04
79.	बेलमपल्ली का-आपरेटिव अरबन बैंक लि.	हैदराबाद	2 अगस्त 04
80.	श्री विकास का-आपरेटिव बैंक लि.	अहमदाबाद	14 अगस्त 04
81.	नाडीयाड मरकनटाइल का-आपरेटिव बैंक लि.	अहमदाबाद	17 अगस्त 04
82.	पैठलाड कर्मिशयल का-आपरेटिव बैंक लि.	अहमदाबाद	18 अगस्त 04
83.	संस्कारदनी महिला नागरिक सहकारी बैंक लि.	भोपाल	27 अगस्त 04
84.	श्री गंगानगर अरबन का-आपरेटिव बैंक लि.	जयपुर	28 अगस्त 04
85.	साबरमती का-आपरेटिव बैंक लि.	अहमदाबाद	31 अगस्त 04

1	2	3	4
86.	लार्ड बालाजी का-आपरेटिव बैंक लि.	मुंबई	3 सितम्बर 04
87.	समस्त नगर का-आपरेटिव बैंक लि.	मुंबई	9 सितम्बर 04
88.	श्री विट्ठल का-आपरेटिव बैंक लि.	अहमदाबाद	14 सितम्बर 04
89.	प्रगति का-आपरेटिव बैंक लि.	अहमदाबाद	20 सितम्बर 04
90.	महाराष्ट्र ब्राह्मण सहकारी बैंक लि.	भोपाल	21 सितम्बर 04
91.	लोक विकास अरबन का-आपरेटिव बैंक लि.	जयपुर	28 सितम्बर 04
92.	जयलक्ष्मी का-आपरेटिव बैंक लि.	नई दिल्ली	1 अक्तूबर 04
93.	सिटी का-आपरेटिव बैंक लि.	लखनऊ	23 अक्तूबर 04
94.	जय हिन्द का-आपरेटिव बैंक लि.	मुंबई	28 अक्तूबर 04
95.	श्री राजकोट का-आपरेटिव बैंक लि. (आर)	अहमदाबाद	28 अक्तूबर 04
96.	राजकोट का-आपरेटिव बैंक लि. (आर)	अहमदाबाद	28 अक्तूबर 04
97.	टैक्सटायल प्रोसेसर्स का-आपरेटिव बैंक लि. (आर)	अहमदाबाद	6 नवम्बर 04
98.	नवसारी पीपुल्स का-आपरेटिव बैंक लि.	अहमदाबाद	6 नवम्बर 04
99.	सेठ बी बी श्राफ बलसर पीपुल्स	अहमदाबाद	8 नवम्बर 04
100.	सिटी का-आपरेटिव बैंक लि.	लखनऊ	27 नवम्बर 04
101.	पारतुर पीपुल्स का-आपरेटिव बैंक लि. जालना	नागपुर	29 नवम्बर 04

(आर) लाइसेंस आवेदन अस्वीकृत
वर्ष-वार सूचना कलेंडर वर्ष के आधार पर

विवरण II

डीसीसीबी जिनके लाइसेंस संबंधी आवेदनों को अस्वीकार कर दिया गया

क्रम सं.	बैंक का नाम	लाइसेंस आवेदनों को अस्वीकार किए जाने की तिथि
1.	छपरा डीसीसीबी, बिहार	21.01.2002
2.	गोंडा डीसीसीबी, उत्तर प्रदेश	17.08.2002
3.	मधेपुरा सुपौल, बिहार	19.05.2003
4.	सिबसागर डीसीसीबी, असम	10.06.2003
5.	दरभंगा डीसीसीबी, बिहार	12.07.2003
6.	रायगढ़ डीसीसीबी, छत्तीसगढ़	31.12.2003

[अनुवाद]

चमड़े और चमड़े से बने उत्पादों का निर्यात

1693. श्री दुष्यंत सिंह: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार चमड़े और चमड़े से बने उत्पादों के निर्यात में वृद्धि करने हेतु कदम उठा रही है;

(ख) यदि हां, तो इन वस्तुओं का किन राज्यों से निर्यात किया जाता है;

(ग) क्या संबंधित राज्यों से इन वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने की व्यापक संभावना है;

(घ) यदि हां, तो इन वस्तुओं को निर्यात को बढ़ावा देने हेतु सरकार द्वारा संबंधित राज्यों को क्या प्रोत्साहन दिए गए हैं; और

(ङ) तत्संबंधी ब्योरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलैंगोवन): (क) जी, हां। सरकार चर्म/चमड़े का सामान/फुटवियर संघटक पार्क स्थापित करके अन्य बातों के साथ-साथ आधुनिकीकरण/उत्पादन, स्तर उन्नयन के जरिए चर्म उद्योग के निर्यातों को बढ़ाने के लिए उनकी सहायता कर रही है। डिजाइन विकास केन्द्रों की सहायता, बाजार विकास सहायता (एम डी ए), बाजार पहुंच पहल (एम ए आई) जैसी निर्यात संवर्धन स्कीमों के अंतर्गत निर्यात विपणन प्रयासों में मदद करके उत्पाद विकास को सुकर बनाना है।

(ख) चर्म और चर्म उत्पादों के मुख्य निर्यातक राज्य तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, महाराष्ट्र हरियाणा, कर्नाटक और पंजाब हैं। चार राज्य अर्थात् तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और पश्चिम बंगाल भारत से चर्म और चर्म उत्पादों के सकल निर्यातों का 86 प्रतिशत निर्यात करते हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ) चर्म और चर्म उत्पादों के निर्यातों का संवर्धन करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों को कोई क्षेत्र विशिष्ट प्रोत्साहन प्रदान नहीं किए जाते हैं। तथापि, केन्द्र सरकार निर्यात के लिए बुनियादी संरचना विकास हेतु राज्यों को सहायता (ए एस आई डी ई) स्कीम जिसके अंतर्गत चर्म इकाइयों के लिए सामान्य निस्सारी उपचार संयंत्र निर्माण जैसी स्कीमें शुरू की गयी हैं, के अधीन बुनियादी संरचना विकास के लिए राज्यों को सहायता प्रदान करती है।

[अनुवाद]

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला

1694. श्री एन.एस.वी. चित्तन: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2004 के दौरान भारत में कितने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले आयोजित किए गए;

(ख) इन व्यापार मेलों में भाग लेने वाले क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इन व्यापार मेलों में कितने व्यापारिक उद्यमों पर हस्ताक्षर किए गए; और

(घ) इन व्यापार मेलों के माध्यम से कुल कितने मूल्य का व्यापार सृजित किया गया?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलैंगोवन): (क) भारत व्यापार संवर्धन संगठन (आई टी पी ओ) द्वारा अनुमोदित और प्रायोजित 184 अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले 2004 में आयोजित किए जाने हैं जिनमें से 156 पहले ही आयोजित किए जा चुके हैं।

(ख) कृषि आटोमोबाइल्स, प्रसारण, निर्माण सामग्री, उपभोक्ता उत्पाद, रक्षा, इलैक्ट्रानिक, खाद्य एवं खाद्य प्रसंस्करण, परिधान मशीनें, परिधान, हस्तशिल्प, हथकरघा, सूचना प्रौद्योगिकी, उपकरण, आभूषण, चर्म एवं चर्म उत्पाद, मशीन औजार, रंग रोगन और वार्निश, भेषजीय उत्पाद, विद्युत-करघा और मिल-निर्मित मुद्रण एवं पैकेजिंग, प्रकाशन, साफ्टवेयर, दूर-संचार का सामान इत्यादि।

(ग) यह सूचना गोपनीय स्वरूप की होने के कारण प्रदर्शकों द्वारा प्रदान नहीं की गयी है।

(घ) आई टी पी ओ द्वारा आयोजित मेलों में 378.96 करोड़ रुपए का व्यवसाय हुआ था। इसमें आई टी एफ, 2004 के बारे में सूचना शामिल नहीं है जिसे संकलित किया जा रहा है। अन्य संगठनों द्वारा आयोजित अन्य अंतर्राष्ट्रीय मेलों के दौरान हुए व्यवसाय के बारे में सूचना आई.टी.पी.ओ. को प्रदान नहीं की गयी थी।

[अनुवाद]

बागान उद्योग की तबाही

1695. श्री जार्ज फर्नान्डीज: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या काफी और चाय उद्योग की ऋणग्रस्तता के परिणामस्वरूप गत 6 वर्षों से बागान उद्योग में व्याप्त गंभीर संकट के कारण कर्नाटक, केरल और असम में बागान उद्योग बंद सा हो गया है;

(ख) क्या इन राज्यों की सरकारों ने ऐसी आशंका व्यक्त की है कि इससे विस्थापित होने वाले मजदूरों के नक्सलवादी और अन्य अतिवादी आंदोलनों से जुड़ने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस उद्योग और इसके मजदूरों के हितों को बचाने के लिए बागान उत्पादक संगठनों के अनुरोध पर मंत्रियों द्वारा किए गए वायदे के अनुसार बागान उद्योग के घटकों के स्थिरीकरण हेतु एक व्यापक पैकेज तैयार करने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) पिछले पांच वर्षों के दौरान चाय एवं काफी की कीमतों में गिरावट आने के कारण चाय बागानों एवं काफी उपजकर्त्ताओं की वित्तीय स्थिति खराब हुई है जिसके परिणामस्वरूप ऋणग्रस्तता तथा ऋण संबंधी अन्य समस्याएं उत्पन्न हुई हैं।

(ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार, संबंधित राज्य सरकारों द्वारा इस प्रकार की कोई आशंका व्यक्त नहीं की गयी है।

(ग) सरकार, काफी उद्योग की ऋण संबंधी समस्याओं से निपटने के लिए काफी क्षेत्र के लिए राहत पैकेज पर विचार कर रही है। चाय बोर्ड ने चाय की पुरानी झाड़ियों के पुनर्रोपण एवं नवीकरण हेतु एक कार्यक्रम का प्रस्ताव किया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

कॉफी उत्पादक सहकारी संघ का वित्त पोषण

1696. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने बहुराज्यीय कॉफी उत्पाद सहकारिता कोमार्क को इसके खरीद कार्यों के वित्त पोषण हेतु 15 करोड़ रुपए उपलब्ध कराने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या कर्नाटक सरकार इस संबंध में कर्नाटक प्लान्टर्स एसोसिएशन द्वारा किए गए अनुरोध पर विचार करेगी; और

(ग) यदि हां, तो इससे राज्य में कॉफी उत्पादकों को कितनी सहायता मिलेगी?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) जी, हां।

(ख) मामला कर्नाटक सरकार के विचाराधीन है।

(ग) इंडियन कॉफी मार्केटिंग कोआपरेटिव लिमिटेड ने 147.24 लाख रुपए मूल्य की कॉफी खरीदी और 87.33 लाख रुपए मूल्य की कॉफी की बिक्री की है।

[हिन्दी]

बैंकों द्वारा ग्रामीण परियोजनाओं हेतु निधियां

1697. श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का प्रस्ताव अवसंरचनात्मक परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु भारतीय रिजर्व बैंक से "डालर फंड्स" उधार लेने हेतु कानून बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि बैंक और वित्तीय संस्थाएं सड़क, स्वास्थ्य परिचर्या, शिक्षा और कृषि जैसे क्षेत्रों की ग्रामीण परियोजनाओं को सहायता देने की इच्छुक नहीं हैं; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमणिक्कम): (क) और (ख) सरकार का विचार है कि विदेशी मुद्रा भंडारों के एक हिस्से का उपयोग आधारढांचा परियोजनाएं और उनसे संबंधित कार्यविधियां शुरू करने के लिए किए जाने के प्रस्ताव का अन्य बातों के साथ-साथ सावधानीपूर्वक यह मूल्यांकन करने की जरूरत है कि इस उपाय का राजकोषीय स्थिति, मुद्रा की आपूर्ति, विनिमय दर, घरेलू ब्याज दरों और मुद्रास्फीति तथा वर्तमान वित्तिक ढांचे पर क्या प्रभाव पड़ेगा।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

लाइसेंस प्राप्त किए बगैर सिगरेट का उत्पादन

1698. श्री बाडिगा रामकृष्णा: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (आई डी एंड आर) के अंतर्गत लाइसेंस प्राप्त किए बगैर सिगरेट का उत्पादन किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे विनिर्माताओं का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे विनिर्माताओं की गतिविधियों को रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) से (ग) उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951, के उपबंधों के अंतर्गत उन कारखानों द्वारा सिगरेटों के विनिर्माण के लिए लाइसेंस लेना अपेक्षित है जहां पिछले 12 महीनों के दौरान किसी भी दिन सिगरेटों का विनिर्माण करने के लिए विद्युत की सहायता से 50 अथवा इससे अधिक, श्रमिक या विद्युत की सहायता के बिना 100 अथवा इससे अधिक श्रमिक कार्य कर रहे हैं अथवा कर रहे थे। सिगरेटों के विनिर्माण में उपर्युक्त अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन का कोई भी मामला सरकार के ध्यान में नहीं आया है।

[हिन्दी]

आस्ट्रेलिया के साथ व्यापार वार्ता

1699. श्री वाई.जी. महाजन: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार ऊन और ऊनी कपड़ों के व्यापार को बढ़ावा देने हेतु आस्ट्रेलिया के साथ व्यापार वार्ता करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में कितनी प्रगति हुई है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) से (ग) भारत-आस्ट्रेलिया संयुक्त आयोग की सिफारिश के अनुसरण में अन्य बातों के साथ-साथ ऊन, रेशम, कपास, जूट आदि जैसे प्राकृतिक फाइबर में व्यापार का संवर्धन करने तथा अन्य संबंधित मुद्दों की दृष्टि से दोनों देशों के व्यापारियों और अधिकारियों के बीच संपर्क को बढ़ाने के लिए प्राकृतिक फाइबर एवं वस्त्र संबंधी भारत-आस्ट्रेलिया संयुक्त व्यापार समूह का गठन फरवरी, 2000 में किया गया था। समूह की तीसरी बैठक सितम्बर, 2003 में नई दिल्ली में आयोजित की गयी थी।

इसी बीच दोनों पक्षों ने एक ओर से भेड़ों की ऊन को आस्ट्रेलिया पत्तन तक ले जाने और भारतीय पत्तन से अंतिम प्रयोक्ताओं अर्थात् निर्यातकों आदि तक पहुंचाने के बारे में आपूर्ति की श्रृंखला से संबंधित एक अध्ययन कराया था।

[अनुवाद]

किसानों को ऋण

1700. श्री मोहन रावले: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पंजाब नैशनल बैंक और बैंक आफ बड़ौदा ने किसानों को ऋण उपलब्ध कराने हेतु विशेष प्रोत्साहन योजना आरंभ की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजन हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं;

(ग) इस लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या किसी अन्य व्यावसायिक बैंक ने भी इसी प्रकार की पहल की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) से (ङ) पंजाब नैशनल बैंक (पीएनबी) ने सूचित किया है कि किसानों को ऋण प्रदान करने के लिए उसने कई कदम उठाए हैं। इन उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं:-

(1) पीएनबी कृषि कार्ड योजना;

(2) पीएनबी किसान सम्पूर्ण योजना;

(3) किसानों को राहत पैकेज प्रदान करने संबंधी योजना;

(4) मार्जिन एवं प्रतिभूति मानदंडों में छूट;

(5) किसानों के लिए कागजात प्राप्त करने के लिए ट्रैक्टर निर्माताओं से तालमेल;

(6) किसान गोष्ठियां;

(7) ग्राम अभिग्रहण योजना;

(8) किसान प्रशिक्षण केन्द्र; और

(9) कृषक प्रोत्साहन योजना।

सरकार द्वारा अगले तीन वर्षों में कृषि एवं संबद्ध क्रियाकलापों में ऋण के प्रवाह को दुगना करने तथा चालू वित्तीय वर्ष के दौरान ऋण संवितरण में 30 प्रतिशत की वृद्धि करने की 18 जून, 2004 की घोषणा के परिणामस्वरूप बैंकों ने पिछले वर्ष के संवितरण से 30 प्रतिशत अधिक की वृद्धि प्राप्त करने के लिए कृषि ऋण संबंधी अपने कार्यक्रम को तेज पर दिया है। बैंक ने वर्ष 2004-05 के दौरान प्रति ग्रामीण/अर्द्धशहरी शाखा 100 नए किसानों को बढ़ाने का लक्ष्य भी रखा है। आमतौर पर वर्ष 2004-05 के दौरान कृषि के लिए ऋण संवितरण में 30 प्रतिशत की वृद्धि के लक्ष्य को पूरा करने के लिए बैंक आफ बड़ौदा सहित सरकारी क्षेत्र के अन्य बैंकों द्वारा वैसे ही कदम उठाए जा रहे हैं।

[अनुवाद]

बैंक क्रेडिट में वृद्धि

1701. श्रीमती कल्पना रमेश नरहिरे: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने व्यापार, औद्योगिक विकास और बैंक क्रेडिट के संदर्भ में मुम्बई के सतत् विकास हेतु कोई योजना प्रस्तुत की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और योजना के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु अवसंरचनात्मक एवं अन्य विकास कार्यों के लिए कितनी केन्द्रीय सहायता की मांग की गई है; और

(ग) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) और (ख) जी, नहीं। हालांकि अपने दिनांक 16.01.2004 के पत्र में महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री ने तत्कालीन प्रधान मंत्री से प्राथमिकता के आधार पर मुम्बई में कुछ अवसंरचनात्मक और पुनर्वास परियोजनाओं पर विचार किए जाने का अनुरोध किया था। 21 अगस्त, 2003 को मुख्य मंत्री ने मुम्बई की आवास, शहरी तथा अन्य अवसंरचनात्मक परियोजनाओं के लिए राज्य सरकार की योजना के बारे में प्रतिनिधिमंडल के साथ प्रधान मंत्री को एक ज्ञापन भी सौंपा था तथा इस प्रयोजन के लिए उनसे चार वर्ष की अवधि हेतु 6000 करोड़ रुपए की केन्द्रीय सहायता का अनुरोध किया था। इस संबंध में कार्य योजना तैयार करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने एक कार्यदल भी गठित किया है।

(ग) इस कार्यदल में वित्त मंत्रालय ने एक सदस्य नामित किया है। किसी भी विशिष्ट परियोजना के लिए सहायता पर विचार ऐसे प्रयोजन के लिए शुरू की गई केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम अथवा राज्य की राज्य योजना, जिसे प्रत्येक वर्ष राज्य सरकार के साथ परामर्श करके तैयार किया जाता है, के अंतर्गत किया जाता है।

[हिन्दी]

उड़ीसा सरकार को अनुदान

1702. श्री परसुराम माझी: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कालाहांडी, बोलांगीर एवं क्योंझर (के.बी.के.) जिलों के विकास हेतु उड़ीसा सरकार को केन्द्रीय अनुदान के रूप में कुल कितनी धनराशि जारी की गई;

(ख) इन वर्षों में वे शीर्ष कौन-कौन से थे जिनके अंतर्गत निधियां संस्वीकृत की गई;

(ग) क्या केन्दीय अनुदानों को समयानुसार व्यय किया गया है;

(घ) यदि हां, तो किस सीमा तक; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) से (ङ) उड़ीसा के के.बी.के. जिलों के लिए विशेष योजना के वित्तपोषण के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता (एस.सी.ए.) उड़ीसा सरकार को समग्र रूप से विशेष योजना के लिए जारी की गई है। पिछले तीन वर्षों के दौरान इस विशेष योजना के लिए राज्य सरकार को जारी की गई विशेष केन्द्रीय सहायता और इस पर बनाया गया खर्च निम्नवत है:-

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	जारी की गई विशेष केन्द्रीय सहायता	बताया गया व्यय
2001-02	100.00	61.37
2002-03	200.00	131.99
2003-04	225.00	318.54

[हिन्दी]

संदूषित खाद्य उत्पादों का आयात

1703. श्री बालेश्वर यादव: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संदूषित उत्पादों के आयात की संभावना से बचने के लिए देश में खाद्य पदार्थों के आयात हेतु कतिपय नियम निर्धारित किए गए हैं;

(ख) क्या सरकार ऐसे किसी नयाचार की आवश्यकता को महसूस करती है जिसके अंतर्गत संदूषण की जांच करने का उत्तरदायित्व उत्पादों का निर्यात करने वाले देशों पर हो; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) से (ग) सभी खाद्य वस्तुओं के आयात को खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 की धारा 5 और 6 के अनुसार विनियमित किया जाता है। सीमाशुल्क आयातित खाद्य की खेप को रोक सकते हैं और उसमें से नमूना लेकर उसका केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला/प्राधिकृत राज्य खाद्य प्रयोगशालाओं में विश्लेषण करा सकते हैं ताकि ऐसी खाद्य वस्तुओं की गुणवत्ता का मूल्यांकन खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार किया जा सके। डब्ल्यू टी ओ विनियमनों के अंतर्गत और राष्ट्रीय व्यवहार के सिद्धांत के आधार पर समस्त आयात घरेलू क्षेत्र को विनियमित करने वाले कानूनों और नियमों के अध्यधीन हैं। इसके अनुसार पी एफ ए अधिनियम, 1954 द्वारा अधिदेशित सभी मानक खाद्य उत्पादों के आयात पर लागू हैं।

[हिन्दी]

विनिवेश आयोग की रिपोर्ट

1704. श्री सुरेश चन्देल: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिनांक 5 फरवरी, 2004 तक विनिवेश आयोग द्वारा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के विनिवेश से संबंधित कितनी रिपोर्टें प्रस्तुत की गईं; और

(ख) इन रिपोर्टों में की गई सिफारिशों के आधार पर सरकारी क्षेत्र के कितने उपक्रमों में विनिवेश किया गया और सरकारी क्षेत्र के उपक्रम-वार प्राप्त की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) अगस्त, 1996 में गठित सार्वजनिक क्षेत्र संबंधी विनिवेश आयोग ने 58 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बारे में I से XII तक रिपोर्टें प्रस्तुत की थी। आयोग ने, जिसका जुलाई, 2001 में पुनर्गठन किया गया था, 05 फरवरी, 2004 तक 39 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बारे में XIII से XXIV तक रिपोर्टें प्रस्तुत की थी जिसमें से 4 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के मामले पिछले आयोग की सिफारिशों की समीक्षा के मामले थे।

(ख) उन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का ब्यौरा जिन पर विनिवेश आयोग की सिफारिशें प्राप्त हुई थी और जिनका विनिवेश किया गया था, संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

क्र.सं.	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का नाम	अर्थागम (करोड़ रुपए में)
1	2	3
1.	गेल (इण्डिया) लिमिटेड	
	– घरेलू बिक्री के माध्यम से	671.86
	– जीडीआर निर्गम के माध्यम से	945.00
2.	बोंगाई गांव रिफाइनिरीज एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लि. (भारतीय तेल निगम द्वारा परस्पर बिक्री)	148.80
3.	माडर्न फूड इण्डस्ट्रीज (इण्डिया) लिमिटेड	105.45

1	2	3
4.	भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड	826.5**
5.	एचटीएल	55.00
6.	आईबीपी	1153.68
7.	पारादीप फास्फेट्स लिमिटेड	151.70
8.	हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड	445.00
9.	इण्डियन पेट्रोकेमिकल्स कार्पोरेशन लिमिटेड	1490.84
10.	ड्रेजिंग कार्पोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड (बिक्री की पेशकश के माध्यम से)	
11.	आईटीडीसी-19 होटल	
	(1) आगरा अशोक	3.61
	(2) बोधगया अशोक	1.81
	(3) हसन अशोक	2.27
	(4) टीबीएबीआर, मामल्लापुरम	6.13
	(5) मदुरै अशोक	4.97
	(6) बंगलौर अशोक*	39.41
	(7) कुतुब	34.46
	(8) लोधी	71.93
	(9) एलवीपीएच, उदयपुर	6.77
	(10) मनाली अशोक	3.65
	(11) केएवीआर, कोवलम	40.39
	(12) औरंगाबाद अशोक	16.50
	(13) एयरपोर्ट कोलकाता अशोक	19.39
	(14) खजुराहो अशोक	2.19
	(15) वाराणसी अशोक	8.38
	(16) कनिष्क	92.37
	(17) इन्द्रप्रस्थ (एवाईएन)	43.39
	(18) छत्तीसगढ़ होटल परियोजना	17.27
	(19) रणजीत	29.28
12.	होटल कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड	
	(1) संतूर होटल जुहू, मुम्बई	153.00
	(2) इण्डो होक होटल्स लि.	6.51
	(3) संतूर होटल एयरपोर्ट, मुम्बई	83.00

*एमजीएपी से संबंधित भावी अर्जन के एनपीवी एवं पट्टा किराया सहित

**लाभांश एवं लाभांश कर सहित

[हिन्दी]

विवाह का अनिवार्य पंजीकरण

1705. श्री रघुवीर सिंह कौशल: क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने केंद्र सरकार से हिन्दू शादियों के पंजीकरण को अनिवार्य बनाने के लिए अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. वेंकटपति): (क) जी, हां।

(ख) हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 8 की उपधारा (2) प्रत्येक राज्य सरकार को इस बात के लिए समर्थ बनाती है कि वह सभी मामलों में या ऐसे मामलों में, जिन्हें वह विनिर्दिष्ट करें, राज्य में या उसके किसी भाग में हिन्दू विवाहों के रजिस्ट्रीकरण को अनिवार्य करने के लिए नियम बना सके। चूंकि, "विवाह और विवाह-विच्छेद" की विषय-वस्तु भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की समवर्ती सूची की प्रविष्टि पांच के अंतर्गत आती है, इसलिए, यह उचित समझा गया है कि यदि राज्यों में विद्यमान परिस्थितियां किसी संसदीय विधान पर विचार किए जाने से पूर्व, ऐसे परिवर्तनों की अनुमति देती हैं और तो राज्य सरकारों को आवश्यक परिवर्तन किए जाने की अनुज्ञा दी जाए। कुछ राज्य सरकारों ने विवाहों के एकसमान अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण के लिए निधियां बनाई हैं। तथापि, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, 2000 में वर्ष 2010 तक विवाहों के रजिस्ट्रीकरण को अनिवार्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है।

[हिन्दी]

डाकघरों में पी.पी.एफ.

1706. श्री किन्जरपु येरननायडु: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पब्लिक प्रोविडेंट फंड का रख-रखाव केवल डाकघरों और भारतीय स्टेट बैंक की शाखाओं में किया जाता है लेकिन क्या वरिष्ठ नागरिकों की बचतों पर उच्च ब्याज दर हाल ही में केवल उनको दी गई है जिनके खाते डाकघरों में हैं और जिनके खाते भारतीय स्टेट बैंक में हैं उन्हें नहीं दी गई हैं;

(ख) यदि हां, तो इस भेदभावपूर्ण निर्णय के क्या कारण हैं और क्या यह उच्च ब्याज दर उन वरिष्ठ नागरिकों को भी दी जाएगी जिनके पी.पी.एफ. खाते भारतीय स्टेट बैंक की शाखाओं में हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

निर्यातक बीमा कोष

1707. श्री के.एस. राव:
श्रीमती किरण माहेश्वरी:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का प्रस्ताव निर्यातक बीमा कोष की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) यह कोष निर्यातकों के लिए किस प्रकार से उपयोगी होगा; और

(घ) उक्त प्रस्ताव को कब तक अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) से (घ) जी, हां। जब (ई सी जी सी) की उपयुक्त पुनर्बीमा की अनुपलब्धता के कारण निर्यात ऋण बीमा, जिसे निर्यात ऋण गारंटी कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड (ई सी जी सी) द्वारा सहायता दी जाती है, उपलब्ध नहीं होती, ऐसे समय में भारतीय निर्यातकों की आवश्यकता पूरी करने के लिए एक राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता, (एन ई आई ए) खोलने का प्रस्ताव है। प्रस्तावित एन ई आई ए से भारतीय निर्यातकों की प्रतिस्पर्द्धात्मकता बढ़ने की संभावना है।

[अनुवाद]

बैंकों की आय और परिसंपत्तियां

1708. श्रीमती मिनाती सेन: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राज्य के स्वामित्व वाले बैंकिंग क्षेत्र की आय और परिसंपत्तियों का गहन मूल्यांकन किया है;

(ख) क्या सरकार ने एक समय पर विभिन्न विवेकपूर्ण मानदंड (आय मान्यता, परिसंपत्ति स्पष्टीकरण, पूंजी पर्याप्तता आदि) लागू किए थे;

(ग) क्या बैंकिंग क्षेत्र अनेक कार्यक्रमों- पर्याप्त पूंजी ढांचा, सशक्त लेखांकन नीति, पारदर्शिता, व्यावसायिक प्रबंधन, स्वतंत्र बोर्ड, कड़ी विनियामक संरचना, सशक्त जोखिम प्रबंधन नीति, उन्नयन कौशल, सक्षमता आदि का अध्ययन करेगा;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा इन प्रणालियों को बैंकिंग क्षेत्र को अधिक सशक्त और स्थायी बनाने के लिए अपनाया गया था।

(ङ) क्या बैंकिंग क्षेत्र प्रतिवर्ष अपने बजट का 30 से 40 प्रतिशत प्रतिवर्ष हार्डवेयर और साफ्टवेयर विक्रेता के साथ वित्तीय समझौते के अतिरिक्त कम्प्यूटरों पर खर्च करेगा;

(च) क्या बैंकिंग क्षेत्र का वसूल न की गई धनराशियों के लिए कानूनी खर्च वहन करना जारी है; और

(छ) यदि हां, तो क्या सरकार अन्य तरीके अपनाकर खर्चे कम करेगी?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमणिक्कम): (क) आय एवं आस्तियों सहित सरकारी क्षेत्र के बैंकों के परिचालनों के सभी पहलुओं के बारे में उनके कार्यनिष्पादन की निरंतर पुनरीक्षा की जाती है।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने अप्रैल, 1992 से आय की पहचान, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान संबंधी अपेक्षाओं के बारे में विवेकपूर्ण मानदंड लागू किया है।

(ग) जी, हां।

(घ) बैंकिंग क्षेत्र को मजबूत और अधिक स्थिर बनाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इन प्रणालियों को अपनाया जाता है।

(ङ) सूचना प्रौद्योगिकी को अपनाने एवं उसका उपयोग करने के लिए प्रत्येक बैंक के पास अपनी योजना है, अपना बजट है।

(च) ऋणों की वसूली के लिए कानूनी व्यय शुरू में बैंकों द्वारा उठाए जाते हैं लेकिन बाद में अंतिम निपटान के समय उधारकर्त्ताओं से वसूल किए जाते हैं।

(छ) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

आर्किड आयात

1709. श्रीमती मनोरमा माधवराज: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या थाइलैंड से आर्किड की घटिया प्रजातियों के चोरी-छुपे आयात से उदीयमान घरेलू आर्किड उद्योग को खतरा उत्पन्न हो रहा है;

(ख) क्या इस प्रकार के आर्किडों के चोरी-छुपे आयात भारत में शिथिल एवं अपर्याप्त पादप संगरोध विनियमों के कारण होते हैं; और

(ग) यदि हां, तो चोरी-छुपे होने वाले इस प्रकार के आयात को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलंगोवन): (क) जी, नहीं।

(ख) निर्यातों और आयातों के आई टी सी (एच एस) वर्गीकरण में यह निर्धारित है कि भारत में आर्किडों के आयात की अनुमति वैज्ञानिक कीट जोखिम विश्लेषण के आधार पर दी जाएगी जिसके साथ अन्य बातों के साथ-साथ उद्गम के देश के पादप संगरोधन प्राधिकारियों द्वारा पादप स्वच्छता प्रमाण पत्र भी लगाया जाएगा।

(ग) विभिन्न पादप संगरोधन केन्द्रों पर तैनात अधिकारियों को देश में आर्किड के गैर-कानूनी प्रवेश को रोकने के लिए निगरानी रखने की सलाह दी गयी है।

[हिन्दी]

सेवा मूल्य सूचकांक

1710. श्री खीरेन रिजीजू: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ''सेवा मूल्य सूचकांक'' तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस सूचकांक में सम्मिलित सेवाओं का ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो उक्त सूचकांक के कब तैयार किए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमाणिक्कम): (क) जी, नहीं।

(ख) लागू नहीं होता।

(ग) लागू नहीं होता।

(घ) इस पर विचार नहीं किया जा रहा है।

[अनुवाद]

वस्त्र उत्पादन

1711. **श्री प्रभुनाथ सिंह:**
श्री जी.एम. सिद्दीश्वर:
श्रीमती जयाप्रदा:
श्री नीतीश कुमार:
डा. चिन्ता मोहन:
श्री राजीव रंजन सिंह ललन:

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रत्येक वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में वर्ष 1998-99 से हथकरघा क्षेत्र में वस्त्र उत्पादन में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) हथकरघा क्षेत्र में वस्त्र उत्पादन को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला): (क) हथकरघा क्षेत्र में वर्ष 1998-99 से 2003-04 तक निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में वस्त्र उत्पादन का विवरण नीचे दिया गया है:-

वर्ष	लक्ष्य (मिलियन वर्ग मीटर में)	उत्पादन (मिलियन वर्ग मीटर में)
1998-99	7336	6792
1999-2000	7795	7352
2000-01	8282	7506
2001-02	8800	7585
2002-03	4005	5980
2003-04	4239	5518 (पी)

(ख) हथकरघा क्षेत्र व्यापक विकेन्द्रीकृत किस्म का है इसलिए हथकरघा क्षेत्र में, किलोग्राम में हैंक यार्न की घरेलू सुपुर्दगी के आधार पर उत्पादन किया जाता है। 4 वर्ष अर्थात् 1998-99 से 2001-02 के दौरान हथकरघा वस्त्रों के उत्पादन में वृद्धि हुई है। इसके बाद हथकरघा वस्त्र के उत्पादन में कमी का एक कारण हैंक यार्न पर उत्पाद शुल्क लगाए जाने से वित्तीय परिवर्तन हो सकता है तथापि, चालू वर्ष के दौरान सूत पर लगाया गया शुल्क वापस ले लिया गया है। इसके अतिरिक्त अनुमानित उत्पादन की मात्रा में कमी आई है, यह अनुमान लगाया गया है कि कम मूल्य की वस्तुएं जैसे: जनता कपड़ा इत्यादि जो पहले प्रचलन में थी उनकी अपेक्षा मूल्यवर्धित मदों के उत्पादन से हथकरघा वस्त्रों के उत्पादन मूल्य में वृद्धि हुई है। ऐसा पिछले 3 वर्षों से हथकरघा निर्यातों के मूल्य में वृद्धि के कारण हुआ हैं।

(ग) भारत सरकार हथकरघा क्षेत्र के विकास के लिए उत्पाद विविधता संवर्धन, विपणन सहायता दिलवाने एवं प्रौद्योगिकी उन्नयन की दृष्टि से कई योजनाएं कार्यान्वित कर रही है। दीन दयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना, एकीकृत हथकरघा प्रौद्योगिकी परियोजना, विपणन संवर्धन कार्यक्रम, मिल गेट कीमत योजना, हथकरघा निर्यात योजना एवं हथकरघा वस्तुओं के बिक्री पर 10% की छूट इत्यादि मुख्य विकासात्मक योजनाएं हैं।

[अनुवाद]

भारत-जापान व्यापार

1712. **श्री चन्द्रभूषण सिंह:**
श्री दुष्यंत सिंह:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत वर्ष भारत-जापान व्यापार चार बिलियन अमरीकी डालर हो गया था और इसमें पिछले वर्ष की तुलना में 18 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी;

(ख) उन क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है जिनमें भारत-जापान व्यापार किया गया है;

(ग) क्या यह सच है कि जापान के पक्ष में व्यापार संतुलन अत्यधिक नकारात्मक रहा है;

(घ) क्या यह भी सच है कि सरकार ने और अधिक जापानियों को देश में निवेश के लिए आमंत्रित किया था; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलंगोवन): (क) वर्ष 2002-03 की तुलना में 2003-04 के दौरान भारत-जापान व्यापार की स्थिति निम्नानुसार रही है:-

(मूल्य मिलियन अमरीकी डालर में)

	2002-03	2003-04	प्रतिशत वृद्धि
जापान को भारत का निर्यात	1864.03	1714.34	-8.03
जापान से भारत का आयात	1836.33	2642.26	+43.89
कुल	3700.36	4356.60	+17.7
व्यापार संतुलन	+27.70	-927.92	

(ख) जापान के साथ व्यापार के मुख्य क्षेत्रों में रत्न एवं आभूषण, समुद्री उत्पाद, लौह अयस्क, वस्त्र उत्पाद, मशीनरी, इलैक्ट्रानिक वस्तुएं, व्यावसायिक उपकरण, लोहा और इस्पात, परिवहन उपकरण, कार्बनिक रसायन इत्यादि शामिल हैं।

(ग) जापान के साथ भारत का व्यापार संतुलन वर्ष 2002-03 में 27.70 मिलियन अमरीकी डालर के अधिशेष से घटकर 2003-04 में 927.92 मिलियन अमरीकी डालर ऋणात्मक हो गया है।

(घ) और (ङ) जापान सहित विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को आकर्षित करना सरकार का सतत प्रयास रहता है। इस संबंध में, किए जा रहे उपायों में शामिल हैं:- सूचना का प्रसार, सेमिनारों, प्रदर्शनियों एवं मेलों में भागीदारी, सरकार और उद्योग स्तर पर सूचना का आदान-प्रदान इत्यादि।

[अनुवाद]

विदेशी मुद्रा भंडार से अवसंरचनात्मक परियोजनाएं

1713. श्री राम कृपाल यादव: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष के दौरान विदेशी ऋण के प्रथम भुगतान के लिए विदेशी मुद्रा भंडार का इस्तेमाल करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने लगभग एक बिलियन अमरीकी डालर के जापानी द्विपक्षीय ऋणों के भुगतान की योजना बनाई है;

(ग) यदि हां, तो क्या विदेशी मुद्रा भंडार की अच्छी स्थिति को ध्यान में रखकर सरकार विश्व बैंक और अन्य संगठनों के ऋण का भी प्रतिसंदाय करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो क्या यह जानने के लिए कोई ठोस प्रस्ताव तैयार किए गए है कि विदेशी मुद्रा की अच्छी स्थिति का किस प्रकार इस्तेमाल किया जाए?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) से (घ) बढ़े हुए विदेशी मुद्रा भंडार और घरेलू के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय ब्याज दरों के अल्प स्तर से उत्साहित होकर, भारत सरकार ने वर्ष 2002-03 और 2003-04 के दौरान क्रमश: 2.9 बिलियन अमरीकी डालर और 3.8 बिलियन अमरीकी डालर के उच्च लागत ऋणों की समयपूर्व अदायगी कर दी। तथापि, चालू राजकोषीय वर्ष के दौरान अब तक ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार अब 126 बिलियन अमरीकी डालर से अधिक है। विदेशी मुद्रा प्रबंधन नीति का लक्ष्य विदेशी मुद्रा भंडार का ऐसा स्तर जो न केवल प्रत्याशित चालू खाता घाटों को, बल्कि अप्रत्याशित पूंजीगत हलचल से उत्पन्न "जोखिम वाली नकदी" को भी ध्यान में रखे। अत: भंडार प्रबंधन नीति अभिज्ञेय कारकों और अन्य आकस्मिकताओं के आधार पर औचित्यपूर्ण ढंग से तैयार की गई है।

[अनुवाद]

ऋण पुनर्गठन तंत्र

1714. श्री बृज किशोर त्रिपाठी: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लघु और मध्यम उद्यम वैश्वीकरण और प्रतिस्पर्द्धा के कारण दबाव में हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने ऋण सुविधा के साथ मध्यम आकार की कंपनियों के लिए ऋण पुनर्गठन तंत्र की सिफारिश की है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस दिशा में भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिशों को वाणिज्यिक बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) अधिक सक्षम कंपनियों की प्रतिस्पर्धा से छोटे एवं मझौले उद्यमों पर दबाव पड़ सकता है।

(ख) से (घ) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सूचित किया है कि गवर्नर द्वारा वर्ष 2004-2005 के लिए अपने वार्षिक नीति विवरण में की गई घोषणा के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक के मुख्य महाप्रबंधकों में से एक की अध्यक्षता में सिडबी, भारतीय स्टेट बैंक आफ बड़ौदा एवं भारतीय रिजर्व बैंक के बैंकिंग परिचालन एवं निकास विभाग के अन्य सदस्यों वाले एक विशेष समूह का गठन किया गया है जो बड़े उद्योगों हेतु कंपनी ऋण पुनर्गठन (सीडीआर) योजना की तर्ज पर मझौले उद्योगों के लिए ऋण पुनर्गठन हेतु एक तंत्र स्थापित करने के लिए है। इस विशेष समूह ने विभिन्न पणधारकों यथा लघु उद्योग संघों, राज्य वित्त निगमों, वाणिज्य बैंकों एवं सहकारी बैंकों से विचार-विमर्श किया है। इस समूह ने पुणे ने निकट आटो अनुषंगी समूह का भी दौरा किया है। इस समूह ने 5 नवम्बर, 2004 को अपनी रिपोर्ट दी है। सामान्य जन/विशेषज्ञों से विचार जानने एवं इस संबंध में भावी कार्रवाई के विचारार्थ भारतीय रिजर्व बैंक ने इस रिपोर्ट को सार्वजनिक कर दिया है।

[अनुवाद]

भारतीय निर्यात निरीक्षण परिषद द्वारा निविदा दिशा-निर्देशों का उल्लंघन

1715. श्री गणेश प्रसाद सिंह: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन भारतीय निर्यात निरीक्षण परिषद ने निविदा में भाग लेने के लिए केवल निजी कंपनियों को आमंत्रित करके निविदाएं ई आई सी/डी (क्यू/सी)/टी-208/2003-2004 में निविदा प्रक्रिया का उल्लंघन किया है;

(ख) क्या सी-डाक, एस टी पी आई, ई आर एम ई टी, टी सी आई एल जैसे सरकारी संगठनों को इस निविदा में आमंत्रित किया गया था;

(ग) यदि नहीं, तो केन्द्रीय सतर्कता आयोग के दिशा-निर्देशों के उल्लंघन के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने इस मुद्दे की जांच कराई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलैंगोवन): (क) और (ख) जी, नहीं। निविदा प्रक्रिया में भाग लेने के लिए सरकारी संगठनों को भी आमंत्रित किया गया था।

(ग) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना

1716. श्री चेंगरा सुरेन्द्रन:
श्री पी. राजेन्द्रन:

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना के अंतर्गत अतिरिक्त धनराशि आवंटन हेतु अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का विचार है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकांता पाटील): (क) जी, हां।

(ख) ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) योजना आयोग ने ग्रामीण विकास मंत्रालय से अनुरोध किया है कि राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एन.एस.ए.पी.) के अंतर्गत अतिरिक्त निधियों का अनुरोध करने वाले राज्यों के आबंटन में उपयुक्त बढ़ोत्तरी करने के संबंध में विचार करे, क्योंकि अन्नपूर्णा योजना के साथ-साथ एन.एस.ए.पी. जिसमें राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (एन.ओ.ए.पी.एस.) और राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना (एन.एफ.बी.एस.) शामिल है, को 2002-03 से राज्य योजना में अंतरित कर दिया गया है। योजनाओं के अंतरण के बाद, अंतरित योजनाओं हेतु कुल आबंटन का निर्णय योजना आयोग करता है। योजना आयोग ने हाल ही में, 2004-05 की वार्षिक योजना में एन.एस.ए.पी. और अन्नपूर्णा योजना के लिए 510 करोड़ रु. आबंटन बढ़ा दिया है और इससे राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए कुल आबंटन 1189.87 करोड़ रु. हो गया है। राज्य-वार/संघ-राज्य क्षेत्रवार, तीनों योजनाओं के लिए संयुक्त आबंटन का ब्यौरा विवरण-II पर दिया गया है। अंतरित योजनाओं के दिशानिर्देशों के अनुसार, राज्यों/संघ-राज्य क्षेत्रों को इस बात की अनुमति है कि वे निधियों को कल्याणकारी योजनाओं के लिए जैसे वृद्धावस्था पेंशन, परिवार कल्याण अथवा बुजुर्गों को मुफ्त खाद्यान्न, एक अथवा दोनों अथवा तीनों को एक साथ या किसी अन्य रूप में उनकी प्राथमिकताओं और आवश्यकताओं के अनुसार ले सकते हैं।

विवरण I

(रु. लाख में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	राष्ट्रीय परिवार कल्याण योजना में अतिरिक्त निधियों के लिए अनुरोध
1.	उत्तरांचल	720.90
2.	केरल	5000.00
3.	मध्य प्रदेश	600.00
4.	छत्तीसगढ़	722.70
5.	कर्नाटक	470.00
6.	पश्चिम बंगाल	2735.70
7.	झारखंड	1500.00
8.	उड़ीसा	राशि निर्धारित नहीं की गई
9.	महाराष्ट्र	राशि निर्धारित नहीं की गई

विवरण II

वर्ष: 2004-05 (रु. लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ-राज्य क्षेत्र का नाम	3 योजनाओं के लिए संशोधित सम्मिलित आबंटन
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	6742.62
2.	बिहार	13205.06
3.	छत्तीसगढ़	2888.60
4.	गोवा	66.90
5.	गुजरात	3580.34
6.	हरियाणा	1310.94
7.	हिमाचल प्रदेश	546.83
8.	जम्मू-कश्मीर	734.65
9.	झारखंड	4612.55
10.	कर्नाटक	5204.61
11.	केरल	2872.43
12.	मध्य प्रदेश	7644.82
13.	महाराष्ट्र	10227.84
14.	उड़ीसा	5896.20
15.	पंजाब	897.34
16.	राजस्थान	3771.19
17.	तमिलनाडु	7038.76
18.	उत्तर प्रदेश	19839.69
19.	उत्तरांचल	1223.52
20.	पश्चिम बंगाल	7988.73
	उप-योग	106293.63
उत्तर-पूर्वी राज्य		
21.	अरुणाचल प्रदेश	415.42
22.	असम	8217.33
23.	मणिपुर	628.87
24.	मेघालय	684.66
25.	मिजोरम	195.83
26.	नागालैंड	446.99
27.	सिक्किम	190.68
28.	त्रिपुरा	1119.23
	उप-योग	11899.00
संघ-राज्य क्षेत्र		
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	42.70
30.	चंडीगढ़	28.91
31.	दादर और नागर हवेली	34.20
32.	दमन और दीव	3.78
33.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	566.68
34.	लक्षद्वीप	2.83
35.	पांडिचेरी	115.26
	उप-योग	794.37
	कुल योग	118987.00

[हिन्दी]

औद्योगिक अपशिष्ट का उपयोग

1717. डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने औद्योगिक अपशिष्ट के उचित उपयोग के लिए कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा उक्त योजना को कार्यान्वित करने के लिए समय-समय पर कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं; और

(घ) यदि हां, तो गत एक वर्ष के दौरान उक्त कार्यशालाएं जिन स्थानों पर आयोजित की गई उनका तिथिवार ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) और (ख) सरकार द्वारा औद्योगिक अपशिष्ट (कचरे) को पुन: उपचारित करने, उसके पुन: प्रयोग व उससे पुन: प्राप्ति के तरीकों से उसके उपयोग के अवसरों की पहचान की है। शहरी और औद्योगिक अपशिष्ट से ऊर्जा प्राप्ति के राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत, अपशिष्ट से ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के लिए केंद्र से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। औद्योगिक अपशिष्ट पर आधारित परियोजनाओं के लिए, यह सहायता वित्तीय संस्थाओं से लिए गए ऋणों पर ब्याज राजसहायता के रूप में उपलब्ध होती है, जो ब्याज दरों को विशेष श्रेणी राज्यों में घटाकर 4 प्रतिशत तथा दूसरे राज्यों में 6 प्रतिशत करने के लिए प्रदान की जाती है।

(ग) और (घ) गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय द्वारा समय-समय पर इस कार्यक्रम से संबंधित कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है और इस प्रकार की कार्यशालाओं के आयोजन हेतु राज्य सरकारों/गैर-सरकारी संगठनों/नगर निगमों, आदि के जरिये निधियां भी उपलब्ध कराई जाती हैं। किंतु, पिछले एक वर्ष के दौरान औद्योगिक अपशिष्ट पर कोई विशिष्ट कार्यशाला आयोजित नहीं की गई है।

[अनुवाद]

भूमि-अभिलेखों का कंप्यूटरीकरण

1718. श्री सुग्रीव सिंह:
श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर:

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में भूमि अभिलेखों के कंप्यूटरीकरण की दिशा में कदम उठाए हैं;

(ख) क्या प्रत्येक राज्य को उपर्युक्त प्रयोजन हेतु निधियां जारी की गई हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी जिलावार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या राज्य सरकारों ने भूमि अभिलेखों के कंप्यूटरीकरण में लक्ष्य प्राप्त करने के लिए निधियों के अतिरिक्त आबंटन की मांग की है; और

(ङ) यदि हां, तो राज्य सरकारों को अतिरिक्त निधियां जारी करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकांता पाटील): (क) जी, हां। भूमि अभिलेखों को बनाए रखने की मौजूदा प्रणाली में अन्तर्निहित कमियों को दूर करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा भूमि अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण की योजना 100% वित्तीय सहायता के साथ वर्ष 1988-89 में आरंभ की गई थी। इस योजना को देश के 593 जिलों में से 582 जिलों में कार्यान्वित किया गया है।

(ख) और (ग) इस योजना के अंतर्गत जिला-वार निधियां जारी नहीं की जाती हैं। तथापि, विभिन्न जिलों में योजना के कार्यान्वयन के लिए निधियां राज्य के राजस्व विभाग को जारी की जाती हैं। योजना को आरंभ किए जाने की तारीख से लेकर अभी तक राज्य-वार जारी की गई निधियों को दिखाने वाला विवरण संलग्न है।

(घ) और (ङ) भूमि अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण की योजना एक मांग आधारित योजना है। अत: राज्य-वार आबंटन नहीं किया जा रहा है। राज्य से जब कभी प्रस्ताव प्राप्त होता है तो इसकी जांच की जाती है तथा योजना के अंतर्गत लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निधियां मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार जारी की जाती हैं।

विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	अभी तक जारी की गई कुल निधियां (लाख रुपये में)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	2357.86
2.	अरुणाचल प्रदेश	75.30
3.	असम	335.50
4.	बिहार	648.00
5.	गुजरात	2073.56
6.	गोवा	153.30
7.	हरियाणा	567.40
8.	हिमाचल प्रदेश	901.30
9.	जम्मू-कश्मीर	286.00
10.	कर्नाटक	2263.93
11.	केरल	955.14
12.	मध्य प्रदेश	3792.71
13.	महाराष्ट्र	3290.80
14.	मणिपुर	188.23
15.	मेघालय	28.00
16.	मिजोरम	442.96
17.	नागालैण्ड	178.55
18.	उड़ीसा	2924.40
19.	पंजाब	282.62
20.	राजस्थान	1748.61
21.	सिक्किम	200.73
22.	तमिलनाडु	2214.78
23.	त्रिपुरा	343.80
24.	उत्तर प्रदेश	1955.60
25.	प. बंगाल	2566.35
26.	छत्तीसगढ़	437.90
27.	झारखंड	828.00
28.	दादर एवं नगर हवेली	12.38
29.	दिल्ली	101.13
30.	पांडिचेरी	93.45
31.	चण्डीगढ़	15.00
32.	दमन एवं दीव	25.00
	योग	32288.29

[अनुवाद]

विकास केंद्र योजना

1719. श्री बी. विनोद कुमार: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश भर में उद्योगों के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास में विकास केंद्र योजना का संपूर्ण योगदान कितना है;

(ख) गत दो वर्षों तथा चालू वर्ष के पिछले छह महीनों में केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा विकास केंद्र को वर्षवार और राज्यवार कितनी धनराशि आवंटित की गई तथा उन पर वास्तव में कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(ग) आज की तिथि के अनुसार देश में विशेषकर आंध्र प्रदेश में विकास केंद्रों की स्थिति क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार विकास केंद्र योजना की समीक्षा करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इन केंद्रों से राज्यों में औद्योगिकीकरण में कितनी मदद मिलने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलैंगोवन): (क) विकास केंद्र योजना की शुरूआत, 71 चिन्हित किए गए औद्योगिक रूप से पिछड़े केंद्रों में ढांचागत सुविधाओं के निर्माण करने के उद्देश्य से 1988 में की गई थी ताकि इन केंद्रों

में उद्योगों की स्थापना को बढ़ावा दिया जा सके। इन केंद्रों के औद्योगिक विकास में, विकास केंद्र योजना को महत्वपूर्ण सफलता मिली है। इन विकास केंद्रों में अब तक 1000 औद्योगिक इकाइयां स्थापित की जा चुकी हैं और 9885.20 करोड़ रुपये का पूंजी निवेश किया गया है। इसके अलावा, 34008 कामगारों के लिए रोजगार का सृजन हुआ है।

(ख) संलग्न विवरण-I पर दिए गए हैं।

(ग) आंध्र प्रदेश सहित, विभिन्न राज्यों में विकास केंद्रों की स्थिति संलग्न विवरण-II पर दी गई है।

(घ) चूंकि इस योजना के तहत स्थापित किए जाने वाले सभी 71 विकास केंद्रों को मंजूरी दी जा चुकी है, अत: राज्य सरकारों से आवधिक प्रगति रिपोर्टें प्राप्त करने केवल सामान्य विधि से ही इन केंद्रों के कार्य-निष्पादन की समीक्षा की जा रही है। एक बार इन सभी विकास केंद्रों के चालू हो जाने के बाद, इस योजना की संपूर्ण रूप में समीक्षा की जाएगी।

(ङ) और (च) चिन्हित किए गए विकास केंद्रों में सृजित की गई/की जाने वाली ढांचागत सुविधाओं से उद्यमियों को वहां पर औद्योगिक इकाइयों की स्थापना करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा और ऊपर (क) में बताए गए अनुसार इन क्षेत्रों में औद्योगिकीकरण को तेज करने, परिसंपत्तियों तथा रोजगार के सृजन में सहायता मिलेगी।

विवरण I

क्र.सं.	राज्य का नाम	विगत ढाई वर्षों के दौरान निर्मुक्त केन्द्रीय सहायता की राशि	विगत ढाई वर्षों के दौरान राज्यों तथा उनकी एजेंसियों द्वारा निर्मुक्त राशि
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	210	159.56
2.	अरुणाचल प्रदेश	520	0
3.	असम	1666	1494.32
4.	बिहार	200	45.87
5.	छत्तीसगढ़	207	1065.5
6.	गोवा	176	0
7.	गुजरात	300	0
8.	हरियाणा	450	2807.94
9.	हिमाचल प्रदेश	653	29.49
10.	जम्मू-कश्मीर	1275	0
11.	झारखंड	200	0
12.	कर्नाटक	0	99.9
13.	केरल	0	185
14.	मध्य प्रदेश	915	294.48
15.	महाराष्ट्र	290	468.41
16.	मणिपुर	0	0
17.	मेघालय	500	355
18.	मिजोरम	580	0
19.	नागालैंड	0	200
20.	उड़ीसा	468	297.29
21.	पांडिचेरी	250	50
22.	पंजाब	0	31.96
23.	राजस्थान	850	1330.79
24.	सिक्किम	500	0
25.	तमिलनाडु	0	0
26.	त्रिपुरा	930	0
27.	उत्तरांचल	1000	0
28.	उत्तर प्रदेश	930	0
29.	पश्चिम बंगाल	700	250

विवरण II

विकास केन्द्रों की वित्तीय प्रगति (30.9.2004 तक)

(रुपये लाख में)

क्र.सं.	राज्य, विकास केन्द्र/ जिला का नाम	अनुमोदन की तारीख	अनुमोदित परियोजना लागत	केन्द्र द्वारा जारी की गयी राशि	राज्य और इसके अभिकरणों द्वारा जारी की गई राशि	कुल व्यय	उपयोगिता प्रमाण पत्र की स्थिति	प्रगति रिपोर्टों की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	आंध्र प्रदेश							
1.	हिन्दुपुर (अनन्तपुर)	30.3.92	2728.00	200.00	179.81	379.81	प्राप्त	मार्च, 03
2.	जेदचरेला (महबूबनगर)	23.7.92	3408.00	50.00	22.50	56.34	प्राप्त	मार्च, 04
3.	बोबिली (विजयनगरम)	30.3.92	3576.12	551.00	521.34	1058.47	प्राप्त	दिसम्बर, 03
4.	अंगोले (प्रकासम)	30.3.92	3241.00	860.00	737.67	1414.41	रुपये 100 लाख 6.3.2004, देय नहीं	दिसम्बर, 03
	अरुणाचल प्रदेश							
5.	निकलांग नगोरलंग (पूर्वी सियांग)	08.04.97	2020.00	688.00	137.50	562.48	रुपये 200 लाख 3.2.2004 अभी देय नहीं	जून, 04
	असम							
6.	मटिया (गोलपाड़ा)	31.10.97	2244.00	700.00	152.11	851.36	रुपये 200 लाख 31.3.2003 देय नहीं	जून, 04
7.	चारिद्वार (सोनितपुर)	08.04.97	2543.40	1016.00	192.05	952.72	रुपये 200 लाख 7.6.2004 देय नहीं	सितम्बर, 03
8.	चायगांव-पटगांव (कामरूप)	09.12.03	1615.24	500	–	–	देय नहीं	2003 में अनुमोदित
	बिहार							
9.	बेगुसराय (बेगुसराय)	03.05.95	2475.00	500.00	697.75	943.87	रुपये 200 लाख 31.3.2003 देय नहीं	मार्च, 03
10.	भागलपुर (भागलपुर)	30.9.96	3755.00	50.00	392.77	458.40	प्राप्त	मार्च, 03
11.	छपरा (छपरा)	30.9.96	3511.00	50.00	90.00	9.70	प्राप्त	मार्च, 03
12.	दरभंगा (दरभंगा)	13.2.98	4113.00	50.00	–	–	लम्बित	मार्च, 03
13.	मुजफ्फरपुर (मुजफ्फरपुर)	30.9.96	3311.00	50.00	90.00	9.73	प्राप्त	मार्च, 03
	छत्तीसगढ़							
14.	बोराई (दुर्ग)	27.03.91	3633.00	1000.00	1542.33	2542.33	प्राप्त	जून, 04
15.	सिलतारा (रायपुर)	11.03.92	3437.00	1000.00	1902.06	2902.06	प्राप्त	जून, 04
16.	गोवा इलेक्ट्रानिक सिटी (वर्ना प्लेटयू)	12.02.93	2957.00	1000.00	1234.31	2058.31	रुपये 176 लाख 24.12.2003 देय नहीं	मार्च, 03
	गुजरात							
17.	गांधीधाम (कच्छ)	23.07.92	3178.00	785.00	500.00	665.04	रुपये 200 लाख 31.3.2003 देय नहीं	मार्च, 03
18.	पालनपुर (बनासकांठा)	23.07.92	3078.00	350.00	500.00	473.00	रुपये 100 लाख 31.3.2003 देय नहीं	मार्च, 03
19.	वागरा (भरूच)	23.07.92	3572.00	1000.00	3940.25	4940.25	प्राप्त	मार्च, 03

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	हरियाणा							
20.	बावल (रेवाड़ी)	31.03.92	3888.10	1000.00	8448./87	9448.87	प्राप्त	मार्च, 03
21.	साह (अम्बाला)	31.10.97	8119.00	850.00	511.07	1361.07	प्राप्त	जून, 03
	हिमाचल प्रदेश							
22.	कांगड़ा (कांगड़ा)	20.02.97	2276.17	1103.00	397.12	717.08	रुपये 500 लाख 5.2.2004 देय नहीं	मार्च, 03
	जम्मू और कश्मीर							
23.	लस्सीपोरा (पुलवामा)	11.12.97	5420.49	925.00	256.92	681.92	रुपये 500 लाख 30.1.04 देय नहीं	दिसम्बर, 02
24.	साम्बा (जम्मू)	27.01.92	2978.82	1500.00	851.98	1851.98	रुपये 500 लाख 30.1.2004 देय नहीं	दिसम्बर, 02
	झारखंड							
25.	हजारीबाग (हजारीबाग)	03.05.95	3834.00	400.00	241.19	57.10	रुपये 200 लाख 11.3.2004 देय नहीं	मार्च, 01
	कर्नाटक							
26.	धारवाड़ (धारवाड़)	27.01.92	3451.18	1000.00	5165.00	6164.98	प्राप्त	मार्च, 01
27.	रायचूर (रायचूर)	27.01.92	2289.87	1000.00	1916.69	2716.69	प्राप्त	मार्च, 01
28.	हसन (हसन)	27.01.92	2678.36	1000.00	6319.52	7319.52	प्राप्त	मार्च, 01
	केरल							
29.	कन्नूर-कोजिकोड (कन्नूर-कोजिकोड)	28.02.94	2936.00	1000.00	2600.87	3529.92	प्राप्त	जून, 04
30.	अलपुज्झा - मालापुरम (अलपुज्झा-मालापुरम)	28.02.94	3093.00	1000.00	3096.87	3220.82	प्राप्त	जून, 04
	मध्य प्रदेश							
31.	चैनपुरा (गुना)	27.03.91	3609.00	550.00	352.00	602.00	रुपये 125 लाख उपयोगिता प्रमाण पत्र विवादास्पद है रुपये 300 लाख 7.6.2004 देय नहीं	दिसम्बर, 03
32.	घिरोगी (भिन्ड)	27.03.91	3481.00	1000.00	3282.41	4282.41	प्राप्त	दिसम्बर, 03
33.	खेड़ा (धाड़)	27.03.91	3550.00	1000.00	1161.63	2163.00	प्राप्त	दिसम्बर, 03
34.	सतलापुर (रायसेन)	23.03.93	3900.00	1000.00	500	1391.80	प्राप्त	दिसम्बर, 03
	महाराष्ट्र							
35.	अकोला (अकोला)	30.03.92	3479.90	100.00	1500	2286.58	प्राप्त	मार्च, 04
36.	चन्द्रपुर (चन्द्रपुर)	30.03.92	3107.52	815.00	732.25	1482.22	प्राप्त	वही
37.	धूले (धूले)	30.03.92	3172.00	780.00	800.00	1321.62	प्राप्त	वही
38.	नानदेड़ (नानदेड़)	11.12.97	4628.00	1000.00	976.03	1801.53	प्राप्त	वही
39.	रत्नागिरि (रत्नागिरि)	30.03.92	3232.27	440.00	200.00	575.44	प्राप्त	वही
	मणिपुर							
40.	लामलेई-नापेट (इम्फाल)	02.03.98	3000.00	150.00	126.59	8.56	रुपये 100 लाख 24.11.2000 प्राप्त नहीं	दिसम्बर, 02
	मेघालय	24.10.97	1800.00	550.00	355	0.32	रुपये 50.00 लाख 26.3.1997 प्राप्त नहीं	दिसम्बर, 03
41.	मेटीपथर (इस्ट गारो हिल्स)						रुपये 500 लाख 17.3.2004 देय नहीं	
	मिजोरम							
42.	लोगमुआल (एजल)	24.10.97	1525.46	880.00	160.44	640.44	रुपये 400 लाख 3.2.2004, देय नहीं	जून, 03

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	नागालैंड							
43.	गणेशनगर (कोहिमा)	12.02.98	1700.00	1500.00	520.25	2020.25	रुपये 255 लाख 9.2.2002 प्राप्त नहीं	मार्च, 03
	उड़ीसा							
44.	छतरपुर (गंजम)	12.02.97	4231.40	50.00	90.84	58.57	प्राप्त	दिसम्बर, 03
45.	कलिंगनगर डुबुरी (कटक)	12.02.97	4127.00	1000.00	1679.22	2679.22	प्राप्त	मार्च, 04
46.	झारसुगुडा (झारसुगुडा)	12.02.98	3990.90	268.00	68.07	336.07	प्राप्त	मार्च, 04
47.	केसिंगा (कालाहांडी)	09.02.99	3287.33	125.00	37.02	133.69	प्राप्त	मार्च, 04
	पांडिचेरी							
48.	पोलागाम करायकल (करायकल)	31.10.97	2500.00	650.00	735.00	1262.28	प्राप्त	मार्च, 04
	पंजाब							
49.	भटिण्डा (भटिण्डा)	27.03.91	3742.65	1000.00	982.74	1982.74	प्राप्त	जून, 03
50.	पठानकोट (गुरदासपुर)	06.01.92	3100.38	1000.00	500.00	1246.42	प्राप्त	जून, 03
	राजस्थान							
51.	आबू रोड (सिरोही)	31.03.92	3000.00	1000.00	2153.80	3153.80	प्राप्त	मार्च, 04
52.	भीलवाड़ा (भीलवाड़ा)	18.12.97	3407.00	300.00	520.49	820.49	प्राप्त	वही
53.	खाड़ा (बीकानेर)	31.03.93	2750.00	620.00	571.49	1191.49	प्राप्त	वही
54.	धौलपुर (धौलपुर)	23.03.93	3000.00	1000.00	525.35	1525.35	प्राप्त	वही
55.	झालावाड़ (झालावाड़)	23.07.92	3000.00	300.00	606.54	906.54	प्राप्त	वही
	सिक्किम							
56.	सालधड़ी-सामलिक भारचक	7.11.03	3175.88	500.00	-	-	रुपये 500 लाख 13.1.2004 देय नहीं	2003, में अनुमोदित
	तमिलनाडु							
57.	एरोड़ (पेरियार)	23.07.92	4120.00	1000.00	8182.59	9142.59	प्राप्त	दिसम्बर, 03
58.	ओरागादम (कांचिपुरम)	12.05.99	5331.59	800.00	216.15	1016.15	प्राप्त	दिसम्बर, 03
59.	तिरूनेलवेली गंगे कोनडान (तिरूनेलवेली-कट्टाबोम्मन)	31.03.92	3240.00	930.00	1500.00	730.03	प्राप्त	दिसम्बर, 03
	त्रिपुरा							
60.	बोधजंग नगर (त्रिपुरा पश्चिमी)	07.11.97	1500.00	1500.00	81.99	1151.99	रुपये 400 लाख 31.12.2003 प्राप्त नहीं रुपये 30 लाख 16.3.2004 देय नहीं	मार्च, 04
	उत्तरांचल							
61.	सिगाडी पौडी-गढ़वाल	16.12.03	1685.00	1050.00	-	-	रुपये 500 लाख अभी देय नहीं	2003 में अनुमोदित
	उत्तर प्रदेश							
62.	बिजौली (झांसी)	28.03.93	1885.00	593.00	399.20	992.20	प्राप्त	मार्च, 04
63.	जमौर (शाहजहांपुर)	17.02.93	1622.00	415.00	585.00	900.00	प्राप्त	मार्च, 04
64.	पाकवाड़ा (मुरादाबाद)	17.02.93	3429.00	1000.00	2634.00	3634.00	प्राप्त	मार्च, 04
65.	डिबियापुर (औरैया)	03.03.98	1950.00	350.00	536.85	886.85	प्राप्त	मार्च, 04

1	2	3	4	5	6	7	8	9
66.	जैनपुर (कानपुर-देहात)	23.03.93	1899.00	650.00	805.06	1225.06	प्राप्त	मार्च, 04
67.	सथारिया (जौनपुर)	17.02.93	4427.00	767.00	439.91	1006.91	रुपये 200 लाख 31.3.2003 देय नहीं	दिसम्बर, 02
68.	सहजगनवा (गोरखपुर)	16.02.93	3491.00	1000.00	1553.27	2553.27	प्राप्त	दिसम्बर, 02
	पश्चिम बंगाल							
69.	बोलपुर (बीरभूम)	20.02.97	6356.16	200.00	175.00	400.57	प्राप्त	जून, 04
70.	जलपाईगुड़ी (जलपाईगुड़ी)	20.02.97	11184.6	200.00	175.00	553.33	प्राप्त	जून, 04
71.	मालदा (मालदा)	20.02.97	4297.59	400.00	374.25	780.55	प्राप्त	जून, 04

विवरण II

30.09.2004 की स्थिति के अनुसार विकास केन्द्रों की भौतिक प्रगति

(रुपये लाख में)

क्र.सं.	राज्य, विकास केन्द्र/जिले का नाम	अनुमोदन की तारीख	अधिग्रहण की गई भूमि	विकसित प्लाट/शैड	आवंटित प्लाट/शैड	स्थापित की गई एककों की संख्या	एककों द्वारा निवेश की गई पूंजी	सृजित रोजगार	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	आंध्र प्रदेश								
1.	हिन्दुपुर (अनन्तपुर)	30.3.92	712.52 एकड़	231/12	130/10	36	1570.08	938	
2.	जेदचेला (महबूबनगर)	23.7.92	308.46 एकड़	–	–	–	–	–	
3.	बोबिली (विजयनगरम)	30.3.92	1239.33 एकड़	388/-	18/-	2	333.20	271	
4.	अंगोले (प्रकासम)	30.3.92	1320.00 एकड़	220/-	5/-	1	–	–	
	अरुणाचल प्रदेश								
5.	(ए) किलाग नगोरलंग (पूर्वी सियांग)	08.04.97	582.15 एकड़	–	–	–	–	–	
	असम (ए)								
6.	मटिया (गोलपाड़ा)	31.10.97	1672 बीघा	–	–	–	–	–	
7.	चारिद्वार (सोनितपुर)	08.04.97	1500 बीघा	–	–	–	–	–	
8.	चायगांव-पटगांव (कामरूप)	09.12.03	–	–	–	–	–	–	
	बिहार (बी)								
9.	बेगुसराय (बेगुसराय)	03.05.95	392.141 एकड़	–	–	–	–	–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.	भागलपुर (भागलपुर)	30.9.96	424.25 एकड़	–	–	–	–	–	
11.	छपरा (छपरा)	30.9.96	–	–	–	–	–	–	
12.	दरभंगा (दरभंगा)	13.2.98	–	–	–	–	–	–	
13.	मुजफ्फरपुर (मुजफ्फरपुर)	30.09.96	–	–	–	–	–	–	
	छत्तीसगढ़ (ए)								
14.	बोराई (दुर्ग)	27.03.91	436.84 हेक्टेयर	192.43 हा	102.709 हा	37	12937	1399	
15.	सिलतारा (रायपुर)	11.03.92	1259.286 हेक्टेयर	911.27 हा	664.627 हा	21	63766	1779	
	गोवा (ए)								
16.	इलेक्ट्रानिक सिटी (वर्ना प्लेटयू)	12.02.93	2917182 स्कवेयर मी.	398/-	319/-	82	31163.67	7723	
	गुजरात (ए)								
17.	गांधीधाम (कच्छ)	23.07.92	131 हेक्टेयर	387/-	–	–	–	–	
18.	पालनपुर (वनासकांठा)	23.07.92	75 हेक्टेयर	136/-	–	–	–	–	
19.	वागरा (भरूच)	23.07.92	200 हेक्टेयर	300/-	–	–	–	–	
	हरियाणा (ए)								
20.	बावल (रेवाड़ी)	31.10.97	1212 एकड़	556/-	212/-	23	100000.00	925	
21.	साह (अम्बाला)	31.10.97	301 एकड़ 5 कनाल	916/-	114/-	–	–	–	
	हिमाचल प्रदेश (ए)								
22.	कांगड़ा (कांगड़ा)	20.02.97	196-69-62 हेक्टेयर	320/30	139/29	51	1499.00	574	
	जम्मू और कश्मीर (ए)								
23.	लस्सीपोरा (पुलवामा)	11.12.97	5167 कनाल 02 मरला	12/-	6/-	–	–	–	
24.	साम्बा (जम्मू)	27.01.92	1742 कनाल	241/-	33/-	–	–	–	
	झारखण्ड (सी)								
25.	हजारीबाग (हजारीबाग)	03.05.95	525.34 एकड़	–	–	–	–	–	
	कर्नाटक (ए)								
26.	धारवाड़ (धारवाड़)	27.01.92	2205 एकड़	2205 एकड़	1333 एकड़	88	72400	573	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27.	रायचूर (रायचूर)	27.01.92	1000 एकड़	430 एकड़	3	–	–	–	
28.	हसन (हसन)	27.01.92	1825 एकड़	1825 एकड़	514 एकड़	75	435300	2023	
	केरल (ए)								
29.	कन्नूर-कोजिकोड (कन्नूर-कोजिकोड)	28.02.94	572 एकड़	88/-	37/-	3	2057	266	
	अलपुज्झा-मालापुरम								
30.	(अलपुज्झा-मालापुरम)	28.02.94	523 एकड़	55 एकड़/ 7 एकड़/	7 एकड़/	–	600	100	
	मध्य प्रदेश (ए)								
31.	चैनपुरा (पुना)	27.03.91	334.81 हेक्टेयर	400 हेक्टेयर	180 हेक्टेयर	–	–	–	
32.	घिरोगी (भिन्ड)	27.03.91	716 हेक्टेयर	441.032 हेक्टेयर	143.987 हेक्टेयर	42	121778.25	7296	
33.	खेड़ा (धाड़)	27.03.91	240.770 हेक्टेयर	98/-	11/-	6	66252.64	1755	
34.	सतलापुर (रायसेन)	23.03.93	321.190 हेक्टेयर	–	–	–	–	–	
	महाराष्ट्र (बी)								
35.	अकोला (अकोला)	30.3.92	625.05 हेक्टेयर	261+279	216+279 495/-	56	8882	712	
36.	चन्द्रपुर (चन्द्रपुर)	30.03.92	723.49 हेक्टेयर	31/-	11/-	–	–	–	
37.	धूले (धूले)	30.03.92	707 हेक्टेयर	60	3	–	–	–	
38.	नानदेड़ (नानदेड़)	11.12.97	645.81 हेक्टेयर	197/-	26	1	42710	52	
39.	रत्नागिरि (रत्नागिरि)	30.03.98	–	–	–	–	–	–	
	मणिपुर (सी)								
40.	लामलेई-नाफेट (इम्फाल)	02 03.98	–	–	–	–	–	–	
	मेघालय								
41.	मेंदीपथर (ईस्ट गारो हिल्स)	24.10.97	36 हा	–	–	–	–	–	
	मिजोरम (सी)								
42.	लोंगमुआल (एजल)	24.10.97	311 एकड़	30/6	–	–	–	–	
	नागालैण्ड (सी)								
43.	गजेशनगर (कोहिमा)	12.02.98	1000 एकड़	-/23	–	–	–	–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	उड़ीसा (सी)								
44.	छतपुर (गंजम)	12.02.97	–	–	–	–	–	–	
45.	कलिंगनगर-डुबुरी (कटक)	12.02.97	1500 एकड़	150 एकड़	150 एकड़	–	–	–	
46.	झारसुगुड़ा (झारसुगुड़ा)	12.02.98	122 एकड़	71.30 एकड़	71.30 एकड़	–	–	–	
47.	केसिंगा (कालाहांडी)	09.02.99	126.72 एकड़	4/-	4/-	1	–	–	
	पांडिचेरी (सी)								
48.	पोलागाम करायकल (करायकल)	31.10.97	592 एकड़	74/-	12/-	–	–	–	
	पंजाब (ए)								
49.	भटिण्डा (भटिण्डा)	27.03.91	389.79 एकड़	401/17	198/-	17	–	–	
50.	पठानकोट (गुरदासपुर)	06.01.92	409.86 एकड़	432/205	187/-	0	–	–	
	राजस्थान (ए)								
51.	आबू रोड (सिरोही)	31.03.92	914.00 एकड़	297/-	53/-	27	1000.00	300	
52.	भीलवाड़ा (भीलवाड़ा)	18.12.97	1159 बीघा	4/-	4/-	–	–	–	
53.	खाड़ा (बीकानेर)	31.03.92	1162 बीघा 21 बिस्वा	461/-	260/-	75	948	680	
54.	धौलपुर (धौलपुर)	23.03.93	332.22 एकड़	211	104/-	53	1500.00	240	
55.	झालावाड़ (झालावाड़)	23.07.92	438 एकड़	238	118/-	78	900.00	450	
	सिक्किम								
56.	सालगाड़ी-सामलिक मारचक	7.11.03	–	–	–	–	–	–	
	तमिलनाडु (ए)								
57.	एरोड़ (पेरियार)	23.07.92	2440.19 एकड़	72/23	72/-	22	5286.86	1048	
58.	ओरागादम (कांचिपुरम)	12.05.99	1540.79 एकड़	–	–	-	–	–	
59.	तिरूनेलवेली गंगे कोनडान (तिरूनेलवेली-कट्टाबोम्मन)	30.03.92	2032.00 एकड़	2/-	2/-	–	–	–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	त्रिपुरा (ए)								
60.	बोधजंग नगर (त्रिपुरा पश्चिमी)	07.11.97	242 एकड़	41/8	8/1	1	–	–	
	उत्तरांचल								
61.	सिगाडी पौडी-गढ़वाल	16.12.03	–	–	–	–	–	–	
	उत्तर प्रदेश (ए)								
62.	बिजौली (झांसी)	23.03.93	385.04 एकड़	441/-	357/-	–	–	–	
63.	जमौर (शाहजहांपुर)	17.02.93	302 एकड़	47/4	41/-	4	4500.00	560	
64.	पाकवाड़ा (मुरादाबाद)	17.02.93	419.34 एकड़	158/1	45/-	2	–	–	
65.	डिबियापुर (औरैया)	03.03.98	331.58	–	–	–	–	–	
66.	जैनपुर (कानपुर-देहात)	23.03.93	316.43 एकड़	399/-	350/-	–	–	–	
67.	सथारिया (जौनपुर)	17.02.93	508.45 एकड़	465/-	337/-	86	3954.50	1402	
68.	सहजनवा (गोरखपुर)	16.02.93	525.27 एकड़	1298/30	999/25	89	5065.55	1941	
	पश्चिम बंगाल (बी)								
69.	बोलपुर (बीरभूम)	20.02.97	50 एकड़	–	–	–	–	–	
70.	जलपाईगुड़ी (जलपाईगुड़ी)	20.02.97	105 एकड़	–	–	–	–	–	
71.	मालदा (मालदा)	20.02.97	164 एकड़	140 एकड़	125 एकड़	4	4116.25	52	

[अनुवाद]

आयातित चाय की घटिया गुणवत्ता

1720. श्री पी.सी. थामस: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या घरेलू प्रयोग के लिए आयातित चाय की जांच के लिए पर्याप्त उपाय हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत में श्रीलंका और अन्य देशों से घटिया गुणवत्ता वाली चाय आ रही है;

(घ) क्या इसे भारतीय चाय के साथ मिलाकर इसका निर्यात किया जा रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो इस प्रकार के पुन: निर्यात को रोकने के लिए क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का विचार है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलैंगोवन): (क) और (ख) घरेलू प्रयोग के लिए आयातित चाय

के लिए खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 (पीएफए अधिनियम) और इसके अंतर्गत बनाये गए नियमों के अधीन यथानिर्धारित चाय की विनिर्दिष्टता के अनुरूप होना अपेक्षित है। चाय सहित आयातित खाद्य मदों के लिए पीएफए अधिनियम, 1954 के अधीन परीक्षण हेतु संबंधित सीमाशुल्क प्राधिकारी द्वारा पत्तन स्वास्थ्य अधिकारियों को भेजना आवश्यक है।

(ग) और (घ) आयातित चाय के लिए भारतीय चाय के साथ मिश्रित करने की अनुमति है और इसे निर्यातकों द्वारा सकारात्मक मूल्यवर्धन के पश्चात् निर्यात किया जा सकता है बशर्ते वे संविदात्मक दायित्वों के अनुरूप हों और आयातक देश में आयात के लिए यथा लागू मानकों के भी अनुरूप हों। इन निर्यातों के लिए चाय (वितरण एवं निर्यात) नियंत्रण आदेश, 1927 में यथानिर्धारित प्रावधानों को पूरा करना अपेक्षित है। वापसी निर्यात के लिए घटिया गुणवत्ता की चाय की आयात करने की शिकायत का एक मामला हाल ही में ध्यान में आया है।

(ङ) आयातक देश उनके आयातित चाय की गुणवत्ता और मानकों के संबंध में अपनी अपेक्षाएं और शर्तें लागू करने तथा अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए अपनी निरीक्षण एजेंसी नियुक्त करने के लिए स्वतंत्र है। चाय निर्यातों की गुणवत्ता पर बेहतर निगरानी सुनिश्चित करने के लिए चाय ने चाय अधिनियम, 1953 के अंतर्गत कुछ प्रावधानों और विनियमों का प्रस्ताव किया है।

[अनुवाद]

तमिलनाडु में फोटो पहचान पत्र

1721. श्री एस.के. खारवेनथन: क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तमिलनाडु में फोटो पहचान पत्र के लिए अब तक कितने व्यक्तियों ने आवेदन किया है;

(ख) वर्तमान तिथि तक कितने व्यक्तियों को पहचान पत्र जारी किया जा चुका है;

(ग) पहचान पत्र जारी करने में विलंब के क्या कारण हैं तथा बाकी पहचान पत्र कब तक जारी किए जाने की संभावना है;

(घ) इस पर लगभग कितनी धनराशि खर्च हुई है; और

(ङ) इस प्रयोजनार्थ सरकार द्वारा वर्ष 2003-04 और 2004-05 के दौरान तमिलनाडु को कितनी धनराशि जारी की गई है?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. वेंकटपति): (क) निर्वाचन आयोग ने यह सूचना दी है कि निर्वाचक फोटो पहचान पत्र ऐसे व्यक्तियों को जारी किए जाते हैं जो उस निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत हैं, जिसमें वे साधारणतया निवास करते हैं। किसी व्यक्ति से निर्वाचक फोटो पहचान पत्र के लिए आवेदन किए जाने की अपेक्षा नहीं की जाती है।

(ख) अभी तक 3,50,26,156 निर्वाचकों को, जो अर्हक तारीख 1.1.2004 तक पुनरीक्षित निर्वाचक नामावली में प्रविष्ट कुल निर्वाचकों का लगभग 74.5 प्रतिशत हैं, निर्वाचक फोटो पहचान पत्र जारी किए गए हैं।

(ग) निर्वाचक आयोग ने यह सूचना दी है कि इस कार्य में और धीमी प्रगति का कारण यह है कि मैसर्स सी.एम.सी. लिमिटेड ने, जो राज्य स्तर का अभिकरण है और जो इस समय तमिलनाडु में निर्वाचक फोटो पहचान पत्र जारी किए जाने का कार्य कर रहा है, सभी जिलों में एक साथ शेष बचे लगभग 1.64 करोड़ मतदाताओं को 9.79 रुपए प्रति पहचान पत्र की दर से पहचान पत्र जारी किए जाने का कार्य निष्पादित करने में अपनी असमर्थता व्यक्त की है। यह विनिश्चय किया गया है कि निर्वाचक फोटो पहचान पत्र जारी करने के कार्यक्रम के अगले चरण को "आन लाइन" पद्धति द्वारा कार्यान्वित किया जाए और इस प्रयोजन के लिए अभिकरणों का चयन करने के लिए निविदाएं निकाली जाएं। इस समय अभिकरणों का चयन करने की प्रक्रिया चल रही है। आयोग का यह प्रयास है कि 1.1.2005 को अर्हक तारीख मानकर पुनरीक्षित की जा रही निर्वाचक नामावली में नामांकित किए गए सभी निर्वाचकों को वर्ष 2005 के अंत तक निर्वाचक फोटो पहचान पत्र जारी किए जाने के लक्ष्य को प्राप्त किया जाए।

(घ) तमिलनाडु की राज्य सरकार को, फोटो पहचान पत्र की स्कीम पर होने वाले व्यय में से भारत सरकार के अंश के भाग रूप में 39,23,57,000 रुपए की राशि जारी की जा चुकी है।

(ङ) निर्वाचक फोटो पहचान पत्र तैयार करने के प्रयोजन के लिए वर्ष 2003-04 और वर्ष 2004-05 के दौरान तमिलनाडु राज्य सरकार को 1,26,74,000 रुपए की राशि जारी की गई है।

[अनुवाद]

वस्त्र निर्यात

1722. डा. एम. जगन्नाथ:
श्रीमती कल्पना रमेश नरहिरे:
श्री जी. करूणाकर रेड्डी:
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:
श्री परसुराम माझी:

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या शुद्ध वस्त्र निर्यात आय वर्ष 2004 में घटकर 3.2 प्रतिशत रह गया है;

(ख) क्या भारतीय वस्त्र कंपनियां देश में कम मूल्य पर अच्छे माल की कमी के कारण निरंतर कच्चा माल आयात कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या उपचारात्मक उपाय किए जाने का विचार है?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला): (क) जी, नहीं। वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएंडएस) के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, पिछले तीन वर्षों के दौरान वस्त्र से निवल निर्यात आय में नीचे दिए गए अनुसार बढ़ोत्तरी हुई है:-

(मूल्य अमरीकी मिलियन डालर में)

	2001-2002	2002-2003	2003-2004
वस्त्र निर्यात	10764.67	12412.71	13159.52
वस्त्र आयात	1539.36	1645.92	2015.34
निवल निर्यात आय	9225.31	10766.80	11144.18
पिछले वर्ष में निवल निर्यात में बढ़ोत्तरी/कमी का प्रतिशत	-	16.7%	3.5%

(ख) जी, नहीं। वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएंडएस) से उपलब्ध नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल-जून, 2004 की अवधि के दौरान वस्त्र आयात नीचे दिए गए अनुसार कम हुआ है:-

	अप्रैल-जून 2003	अप्रैल-जून 2004	पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि/कमी
वस्त्र आयात जिसमें से	471.9	440.0	-6.7%
कच्ची सामग्री तथा अर्द्ध कच्ची सामग्री का आयात	283.3	230.0	-18.8%

(ग) सरकार वस्त्र मदों के आयात की गहन मानिटरिंग कर रही है तथा यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेगी कि आयात से घरेलू उद्योग को कोई भारी हानि अथवा क्षति न हो।

[अनुवाद]

परिवीक्षा अधिकारी परीक्षा के लिए मानदंड

1723. श्री चंद्रकांत खैरे: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कई बैंकों द्वारा परिवीक्षा अधिकारियों की परीक्षाओं के लिए परीक्षा मानदंडों में कतिपय परिवर्तन किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अभ्यर्थियों/छात्रों द्वारा इस कदम का विरोध किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) और (ख) सरकार द्वारा परिवीक्षा अधिकारियों की भर्ती के लिए स्नातक डिग्री को न्यूनतम शैक्षिक अर्हता के रूप में निर्धारित किया गया है। सरकार ने बैंकों को स्नातक डिग्री में न्यूनतम अंकों की प्रतिशतता निर्धारित करने की अनुमति दी है और कतिपय बैंकों ने पात्रता की शर्त के रूप में स्नातक डिग्री में उत्तीर्णांक (पास मार्क्स) से अधिक की प्रतिशतता निर्धारित की है।

(ग) और (घ) पात्रता शर्त के रूप में उच्चतर प्रतिशतता निर्धारित किए जाने के विरोध में कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं और किसी भी बैंक ने निर्धारित अंक वाले अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या प्राप्त करने में किसी भी प्रकार की कठिनाई की सूचना नहीं दी है।

सर्वक्षमा योजना

1724. प्रो. एम. रामदास: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास कर सुधार पैकेज के हिस्से के रूप में एक नई सर्वक्षमा योजना लागू करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार आयकर अधिनियम की धारा 273क के अंतर्गत एक अंतर्निहित सर्वक्षमा योजना के माध्यम से इन लाभों को प्राप्त करने में सक्षम नहीं होगी?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय स्टेट बैंक

1725. श्री कुलदीप बिश्नोई: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारतीय स्टेट बैंक एशिया और अफ्रीका के कुछ बैंकों का अधिग्रहण करने पर विचार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे बैंकों का ब्यौरा और उनकी वर्तमान वित्तीय स्थिति क्या है;

(ग) क्या सरकार ने बैंकों के अधिग्रहण या विदेशों में बैंकों की शाखाएं खोलने के संबंध में कोई मानक निर्धारित किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमणिक्कम): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

कर्नाटक को अनुदान

1726. श्री जी.एम. सिद्दीश्वर: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने कर्नाटक राज्य के दावनगीरी जिले के जिला प्रशासन के प्रोन्नयन हेतु 113 लाख रुपए और स्कूली छात्रों के कम्प्यूटर प्रशिक्षण हेतु 466.15 लाख रुपए की धनराशि का अनुदान जारी किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार ने इस धनराशि का पूर्णत: उपयोग कर लिया है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार को और अनुदान जारी करने के लिए अनुरोध प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमणिक्कम): (क) भारत सरकार ने दावनगीरी सहित 7 वन सृजित जिलों में आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रशासन के उन्नयन के लिए 30 नवम्बर, 2004 तक 2815.40 लाख रुपए की अनुदान राशि जारी कर दी है। राज्य द्वारा अंशदान सहित कर्नाटक को जिला प्रशासन के उन्नयन के लिए 5630.80 लाख रुपए जारी किए गए हैं। इसके अलावा भारत सरकार ने कर्नाटक में स्कूली बच्चों के कम्प्यूटर प्रशिक्षण के लिए 30 नवम्बर, 2004 तक 870.75 लाख रुपए जारी किए हैं।

(ख) राज्य सरकार ने जिला प्रशासन के उन्नयन हेतु 32.54 करोड़ रुपए तथा कम्प्यूटर प्रशिक्षण अनुदान हेतु 6.76 करोड़ रुपए के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए हैं।

(ग) और (घ) जी, हां। राज्य सरकार ने इन दो मदों के लिए 44.75 करोड़ रुपए की शेष अनुदान राशि जारी करने का अनुरोध किया है। दिशा-निर्देशों में यथानिहित अन्य शर्तों की पूर्ति तथा संतोषजनक उपयोगिता रिपोर्ट प्रस्तुत करने के पश्चात् राज्य-सरकार को और भी निधियां प्रदान की जा सकती हैं।

[अनुवाद]

अपराधियों को सजा

1727. श्री अधीर चौधरी:
श्री उदय सिंह:

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सत्य है कि नए प्रकार के अपराधों से निपटने के लिए कानूनों की आवश्यकता है जैसा कि 18 अक्तूबर, 2004 के 'द हिंदू' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या किसी अपराध के विरुद्ध स्पष्ट कानूनों की अनुपस्थिति में न्यायपालिका ऐसे अपराध में लिप्त व्यक्तियों को कोई सजा देने में असमर्थ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार इस संबंध में कोई कार्यवाही करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. वेंकटपति): (क) से (च) देश में बदलते सामाजिक-आर्थिक वातावरण को ध्यान में रखते हुए विधि आयोग द्वारा सभी विधियों के, जिनके

अंतर्गत दंड न्याय प्रणाली से संबंधित विधियां भी हैं, पुनर्विलोकन का कार्य हाथ में लिया जाता है और समुचित विधानों के अधिनियमन का विद्यमान विधियों में संशोधन करने के लिए इसकी सिफारिशों पर विचार किया जाता है।

[अनुवाद]

जानबूझकर चूक करने वाले व्यक्ति

1728. श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जानबूझकर चूक करने वालों की संख्या और ऐसी चूकों की प्रमात्रा में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही संबंधी अनुदेशों के बावजूद वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने बैंकों को जानबूझकर चूक करने वाले ऐसे व्यक्तियों के नाम प्रकाशित करने की अनुमति प्रदान की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) और (ख) पिछले तीन वर्ष के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों के 25 लाख रु. और उससे अधिक के जानबूझकर चूक करने वाले चूककर्त्ताओं के मुकदमा दायर मामलों और मुकदमा दायर नहीं किए गए मामलों की संख्या का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

(करोड़ रुपये में)

मार्च को समाप्त वर्ष	मुकदमा दायर		मुकदमा दायर नहीं किए गए	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि
2002	997	2931	439	1114.63
2003	1421	4140.61	509	1622.47
2004	1487	4525.87	513	1643.22

(ग) और (घ) वैसे मुकदमा दायर खातों जहां 1 करोड़ रु. और उससे अधिक की राशि वसूल की जानी होती है और जानबूझकर चूक करने वालों के वैसे मुकदमा दायर खातों जिसमें 25 लाख रु. और उससे अधिक की राशि वसूल की जानी होती है, के संबंध में विस्तृत जानकारी भारतीय रिजर्व बैंक/भारतीय ऋण आसूचना ब्यूरो लि. द्वारा प्रकाशित की जाती है।

[हिन्दी]

यार्न का आयात

1729. श्री सीताराम सिंह: क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान आयातित धागे का मूल्य और मात्रा कितनी है तथा उनकी लागत और तत्संबंधी कारण क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार धागे के आयात पर प्रतिबंध लगाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) घरेलू वस्त्र उद्योग के हितों की रक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला): (क) आयात मूल्य, गुणवत्ता, उपलब्धता और अन्य मानदंडों जैसी बाजार शक्तियों से शासित होते हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान आयात किए गए धागे का मूल्य और मात्रा के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:-

मात्रा टन में
मूल्य करोड़ में

मदें	2001-02		2002-03		2003-04	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
सिलाई के सूती धागे	61.71	1.25	30.40	1.02	49.82	2.37
100% गैर-सूती सिलाई धागे	111.38	1.86	120.39	3.72	124.36	4.02
कुल	173.09	3.11	150.79	4.74	174.18	6.39

स्रोत: डी जी सी आई एंड एस, कोलकाता

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) लगभग सभी वस्त्र मदों का आयात स्वतंत्र रूप से किए जाने की अनुमति दी गयी है। उदारीकृत व्यापार व्यवस्था के फलस्वरूप वस्त्र क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बढ़ेगा। इस प्रकार से अपेक्षाकृत अधिक निर्यात अवसर मिलेंगे; और साथ-साथ घरेलू उद्योग को घरेलू बाजार में आयात प्रवेश के लिए खुला अवसर मिलेगा। इस उद्योग को उभरती हुई वैश्विक प्रतिस्पर्द्धा का सामना करने के लिए अपनी क्षमता और उत्पादकता में सुधार लाना होगा।

(ङ) घरेलू उद्योग को अनुचित व्यापार प्रथाओं से बचाने के लिए पाटनरोधी शुल्क, सब्सिडी-रोधी शुल्क और सुरक्षा उपायों के रूप में कानूनी समाधान उपलब्ध हैं।

[अनुवाद]

भारत-थाईलैंड समझौते में संशोधन

1730. **श्री प्रबोध पाण्डा:**
श्री बालासाहेब विखे पाटील:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और थाइलैंड ने मुक्त व्यापार क्षेत्र की स्थापना के लिए करार के मसौदे में संशोधन करने के लिए नयाचार पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार को द्विपक्षीय व्यापार के वर्तमान स्तर से दुगुना होने की आशा है;

(घ) क्या दोनों देश कुछ मदों पर से चरणबद्ध तरीके से प्रशुल्क समाप्त कर देंगे;

(ङ) यदि हां, तो उन मदों और प्रशुल्कों का ब्यौरा क्या है जो चरणबद्ध तरीके से समाप्त किए जायेंगे; और

(च) कृषि और ग्रामीण उद्योगों में मुक्त व्यापार क्षेत्र का क्या प्रभाव पड़ेगा और इनके बचाव के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) और (ख) जी, हां। भारत एवं थाईलैंड के बीच मुक्त व्यापार क्षेत्र की स्थापना हेतु किए गए कार्य ढांचा करार में संशोधन करने के लिए 30 अगस्त, 2004 को नई दिल्ली में एक प्रोटोकोल पर हस्ताक्षर किए गए थे। संशोधित प्रोटोकोल के अनुसार, शीघ्र फलदायी योजना (ईएचएस) में अब उक्त कार्य ढांचा करार में उल्लिखित 84 मदों के स्थान पर 82 मदों की सूची होगी, जिन पर 1 सितंबर, 2006 तक टैरिफ समाप्त कर दिए जाएंगे।

अनुच्छेद 7(2) (ii) (क) के संशोधित प्रावधानों के अनुसार ईएचएस अब 1.9.2004 से शुरू होगी तथा इस अनुच्छेद के अंतर्गत आने वाले उत्पादों पर निम्नानुसार टैरिफ कटौती एवं समाप्ति लागू की जाएगी:-

अवधि	1 जनवरी, 2004 की स्थिति के अनुसार लागू एमएफएन टैरिफ दरों में टैरिफ कटौती
1.9.2004-31.8.2005	50%
1.9.2005-31.8.2006	75%
1.9.2006	100%

संशोधित प्रोटोकाल के अनुसार मूलता के अंतरिम नियम तथा प्रचालन प्रमाण-पत्र संबंधी प्रक्रियाएं भी कार्यढांचा करार का अभिन्न अंग बन जाएंगी।

(ग) से (च) दोनों देशों के बीच सभी प्रकार के वस्तु व्यापार में टैरिफ तथा गैर-टैरिफ बाधाओं की क्रमिक समाप्ति द्वारा द्विपक्षीय व्यापार को सुदृढ़ करने एवं उसके उदारीकरण को बढ़ावा देने की दृष्टि से थाईलैंड के साथ एफटीए पर बातचीत की जा रही है। ईएचएस के अंतर्गत, फास्ट ट्रेक आधार पर टैरिफ की समाप्ति हेतु साझा मदों पर सहमति हो गयी है। प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों तथा घरेलू पण-धारकों के साथ परामर्श के पश्चात् ईएचएस की सूची को अंतिम रूप प्रदान किया गया है। भारत को आयातों पर टैरिफ अभियान केवल उन्हीं उत्पादों के लिए उपलब्ध होंगे जो मूलता के नियमों, जो किसी भी मुक्त व्यापार करार के अभिन्न अंग होते हैं, में यथानिर्धारित थाईलैंड में "मूलता का दर्जा" प्राप्त हैं। इसी प्रकार, केवल उन्हीं उत्पादों, जो भारत में "मूलता का दर्जा" प्राप्त हैं, को थाईलैंड में आयातों के लिए टैरिफ अधिमान प्रदान किए जाएंगे। घरेलू उद्योग के संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा करने के लिए कार्यढांचा करार में प्रत्येक देश के लिए नकारात्मक/संवेदनशील मदों की सूची तैयार करने का प्रावधान किया गया है जिन पर एफटीए के तहत किसी प्रकार की टैरिफ रियायतें प्रदान नहीं की जाएंगी। इसके अतिरिक्त, करार में व्यापार सुरक्षा उपायों का प्रावधान किया गया है, जिनका इस्तेमाल किसी आयातक देश द्वारा किया जा सकता है। आयातों में वृद्धि होने एवं घरेलू उद्योग को क्षति होने की स्थिति में, किसी भी देश को पाटनरोधी तथा रक्षोपाय जैसे उपाय करने की अनुमति है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि नियमों का उल्लंघन नहीं हो रहा है, करार में सीमाशुल्क प्राधिकारियों के बीच सहयोग का भी प्रावधान है।

[अनुवाद]

गवाहों की सुरक्षा

1731. श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी: क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार विधि आयोग की सिफारिशों के अनुसार गवाहों की सुरक्षा संबंधी कार्यक्रम के लिए कानून अधिनियमित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. वेंकटपति): (क) और (ख) विधि आयोग ने यह सूचना दी है कि उसने उच्चतम न्यायालय के संप्रेक्षणों और साथ ही हमारे देश में इस विषय के तात्कालिक महत्व को ध्यान में रखते हुए हाल ही में इस विषय पर विचार किया है।

[अनुवाद]

इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन

1732. श्री उदय सिंह: क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 3 अक्तूबर, 2004 के ''द हिन्दू'' में प्रकाशित समाचार ''रिलिंग पासीबल थ्रू ईवीएम'' की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या ई.वी.एम. के प्रयोग में होने के बावजूद विशेषज्ञों ने इससे गड़बड़ी की संभावनाओं की चेतावनी दी है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस संबंध में जांच करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. वेंकटपति): (क) जी हां।

(ख) से (घ) जी नहीं। सरकार द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ समिति ने, जिसमें सदस्यों के रूप में प्रोफेसर एस. संपत, अध्यक्ष आर.ए.सी., रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (अध्यक्ष), भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली के प्रोफेसर पी.वी. इन्दीरासन और डा. राव सी, कासराबाड़ा, ई.आर. एंड डी.सी., त्रिवेन्द्रम सम्मिलित थे, अप्रैल, 1990 में सरकार को अपनी यह रिपोर्ट प्रस्तुत की थी कि इलैक्ट्रानिक मतदान मशीनों में हेरफेर किया जाना संभव नहीं है। भारत निर्वाचन आयोग ने यह कथन किया है कि जब कभी ऐसा पाया जाता है कि निर्वाचन कर्मचारिवृंद, इलैक्ट्रानिक मतदान मशीनों के उपयोग के संबंध में आयोग द्वारा जारी किए गए अनुदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं तो आयोग द्वारा इस प्रकार गलती करने वाली सभी अधिकारियों के विरुद्ध समुचित जांच के पश्चात् कड़ी कार्रवाई की जाती है।

[अनुवाद]

भूकम्प संबंधी पुनर्वास कार्य हेतु विश्व बैंक एवं एडीबी से सहायता

1733. श्री वी.के. ठुम्मर:
श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात सरकार ने भूकम्प पीड़ित पुनर्वास कार्य हेतु विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक से प्राप्त ऋणों के लिए उचित शर्तों हेतु बारम्बार अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो भूकम्प संबंधी ऋण के ब्याज के बोझ को कम करने के संबंध में भारत सरकार का निर्णय क्या है क्योंकि यह एक बहुत बड़ी आपदा थी;

(ग) क्या इस प्रकार की विनाशकारी आपदा के बाद पुनर्निर्माण कार्य हेतु ऋण प्राप्त करने के लिए संपूर्ण नीतिगत ढांचे की नए सिरे से जांच करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो यह कार्य कब तक किए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) जी, हां।

(ख) राज्य को भूकम्प पुनर्वास से संबंधित ऋणों पर असंवितरित राशि के संबंध में दिनांक 27.5.2003 से ब्याज की वार्षिक दर 10.5% से घटाकर 9.5% करके विशेष राहत दी गई है। गुजरात को दी गई यह राहत विश्व बैंक अथवा एशियाई विकास बैंक से प्राप्त सहायता से चलने वाले मौजूदा और भावी आपदा पुनर्वास कार्यक्रमों के लिए सभी राज्यों के लिए उपलब्ध है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

कृषक प्रशिक्षण केन्द्र हेतु पी.एन.बी. की योजना

1734. **श्री ब्रजेश पाठक:**
श्रीमती किरण माहेश्वरी:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पंजाब नैशनल बैंक ने कृषकों, ग्रामीण महिलाओं और युवकों को उनकी इच्छानुसार रोजगार प्रदान करने और उनकी जीवन शैली को सुधारने के लिए कृषक प्रशिक्षण केन्द्र खोलने की कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों ने भी ऐसी योजनाएं तैयार की हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) बैंक-वार, राज्यवार और अवस्थितिवार प्रस्तावित कृषक प्रशिक्षण केन्द्रों की संख्या कितनी है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमणिक्कम): (क) और (ख) पंजाब नैशनल बैंक ने अपने किसान कल्याण ट्रस्ट के माध्यम से किसानों, ग्रामीण महिलाओं एवं युवाओं को उनकी दक्षता में सुधार हेतु प्रशिक्षण के लिए एक योजना तैयार की है। इस योजना के अंतर्गत खेती की उन्नत पद्धति, फसलों के विविधिकरण, मशरूम उत्पादन, औषधीय पौधों की खेती इत्यादि से संबंधित प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए बैंक प्रशिक्षण केन्द्रों को विकसित करने का प्रस्ताव करता है। बैंक ग्रामीण महिलाओं को कशीदाकारी, सिलाई-कढ़ाई एवं अचार बनाने में उनकी दक्षता के उन्नयन हेतु प्रशिक्षण भी प्रदान करता है।

(ग) से (ङ) अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है और उसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

[अनुवाद]

हथकरघा क्षेत्र हेतु निधियां

1735. **श्री डी. विट्टल राव:**
श्री जसुभाई दानाभाई बारड:
श्री सुग्रीव सिंह:

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आंध्र प्रदेश हथकरघा क्षेत्र को साड़ियों, धोतियों आदि की परम्परागत किस्मों को उन्नत उत्पादों में परिवर्तित करने के लिए 50 करोड़ रुपये के कार्यशील पूंजी निधि उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) सरकार द्वारा हथकरघा बुनकरों और हस्तशिल्प कारीगरों के लाभार्थ क्या योजना तैयार की गई है;

(ङ) क्या इस उद्देश्य हेतु कोई विकास केन्द्र स्थापित किया जा रहा है;

(च) यदि हां, तो राज्य-वार और स्थानवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या उड़ीसा सहित देश से हथकरघे और विद्युत करघे से बनी साड़ियों के निर्यात की भारी गुंजाईश है; और

(ज) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला): (क) से (ग) जी नहीं। आंध्र प्रदेश हथकरघा क्षेत्र के लिए 50 करोड़ रु. की कार्यशील पूंजीगत निधि प्रदान करने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है। तथापि, दीन दयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना (डीडीएचपीवाई) के पुनर्निर्माण घटक के तहत आंध्र प्रदेश राज्य हथकरघा बुनकर सहकारी समिति लिमिटेड (एपीसीओ) के पुनर्निर्माण के लिए भारत सरकार द्वारा 40 करोड़ रु. के परिव्यय वाली एक परियोजना स्वीकृत की गई है। इस परिव्यय में केन्द्र सरकार और राज्य सरकार से अनुदान के रूप में प्रत्येक से 20 करोड़ रु. हैं। भारत सरकार और राज्य सरकार ने एपीसीओ को 40 करोड़ रु. जारी कर दिए हैं।

(घ) भारत सरकार विकास और संवर्द्धन के लिए निम्नलिखित योजनाएं कार्यान्वित कर रही है:-

(1) हथकरघा क्षेत्र में: (1) दीनदयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना (डीडीएचपीवाई), (2) विपणन संवर्द्धन कार्यक्रम योजना, (3) मिल गेट कीमत योजना, (4) कार्यशाला एवं आवास योजना, (5) बुनकर कल्याण योजना (जिसमें बचत निधि योजना, नई बीमा योजना और स्वास्थ्य पैकेज योजना शामिल है), (6) हथकरघा निर्यात योजना, (7) डिजाइन विकास एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम, (8) एकीकृत हथकरघा प्रशिक्षण परियोजना,

(9) बुनकर बीमा योजना, (10) हथकरघा कपड़े की बिक्री पर हथकरघा एजेंसियों द्वारा दी गई एक बार की 10% की दर से छूट की योजना, और (11) हथकरघा (उत्पादन के लिए वस्तुओं का आरक्षण) अधिनियम, 1985 का कार्यान्वयन।

(2) हस्तशिल्प क्षेत्र में: (1) बाबा साहेब अम्बेडकर हस्थशिल्प विकास योजना (एएचवीवाई), (2) डिजाइन और प्रौद्योगिकी उन्नयन, (3) विपणन एवं सहायता सेवाएं, (4) निर्यात संवर्द्धन, (5) प्रशिक्षण एवं विस्तार, (6) बीमा योजना और (7) विशेष हस्तशिल्प प्रशिक्षण कार्यक्रम (एसएचटीपी)।

(ङ) और (च) इस समय हथकरघा क्षेत्र में पूरे भारत में 25 बुनकर सेवा केन्द्र (डब्ल्यू एस सी) हैं जिनमें आंध्र प्रदेश राज्य में विजयवाड़ा और हैदराबाद प्रत्येक में एक-एक शामिल है जो डिजाईनिंग, बुनाई और डाईंग/मुद्रण आदि के क्षेत्र में बुनाई और प्रसंस्करण तकनीकों में सुधार लाने, नए डिजाईन विकसित करने, उत्पाद नवीनीकरण और बुनकरों/निर्यातकों आदि को तकनीकी सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से कार्य कर रहे हैं। हस्तशिल्प क्षेत्र में देश भर में छः क्षेत्रीय कार्यालय तथा विपणन एवं सेवा विस्तार केन्द्र स्थापित हैं। फिलहाल कोई नया केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(छ) जी नहीं। मेड-अप्स, गृह वस्त्र, फर्निसिंग, फैशन संबंधी सामग्री, फैब्रिक आदि जैसे हथकरघा उत्पादों की विविधिकृत श्रृंखला के निर्यात की भारी गुंजाईश है।

(ज) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

विशेष वसूली अधिकरण

1736. **श्री काशीराम राणा:**
श्री हरिकेवल प्रसाद:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बैंकों में अनियमितताओं पर निगरानी रखने और ऋण वसूली की स्थिति को सुधारने के लिए विशेष वसूली अधिकरण और बैंकिंग पर्यवेक्षणकीय बोर्ड की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो इन निकायों की स्थापना कब की गई;

(ग) क्या इन निकायों ने अपना कार्य आरंभ कर दिया है;

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान अनियमितताओं से संबंधित निपटाए गए मामलों की कुल संख्या कितनी है और उन पर क्या कार्रवाई की गई; और

(ङ) इस संबंध में की गई कार्यवाही के क्या परिणाम रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) और (ख) बैंकों और वित्तीय संस्थाओं में बकाया ऋणों के शीघ्र न्याय निर्णयन तथा वसूली के लिए बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 का अधिनियमन किया गया था। इसी प्रकार वित्तीय प्रणाली संबंधी समिति (नरसिंहम समिति) की सिफारिशों के आधार पर 16 नवम्बर, 1994 को भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की अध्यक्षता में वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड (बीएफएस) का गठन किया गया था जिसे बैंकिंग कंपनियों, वित्तीय संस्थाओं तथा गैर बैंककारी वित्तीय कंपनियों के संबंध में पर्यवेक्षण तथा निरीक्षण करने का अधिकार प्राप्त है। बीएफएस चयनित विकास वित्तीय संस्थाओं तथा शहरी सहकारी बैंकों का भी पर्यवेक्षण करता है।

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ) बीएफएस, विभिन्न संस्थाओं अर्थात् वाणिज्यिक बैंक, शहरी सहकारी बैंक, गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनियों पर विनियमन तथा पर्यवेक्षण संबंधी मामलों के बारे में दिशानिर्देश जारी करता है। विभिन्न विवरणियों, स्थलीय पर्यवेक्षण के परिणामस्वरूप सामने आने वाले पर्यवेक्षी संबंधी तथ्यों को भी बीएफएस के समक्ष रखा जाता है। यह भावी कार्रवाइयों के बारे में विस्तृत दिशानिर्देश देता है तथा इन दिशानिर्देशों का भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। चूंकि बीएफएस जोखिम आधारित पर्यवेक्षण, त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई, समेकित पर्यवेक्षण, वित्तीय संपीड़न की निगरानी, वाणिज्यिक बैंकों में आंतरिक नियंत्रण तथा आंतरिक लेखा कार्य और व्यवस्था के क्षेत्रों में बैंकिंग पर्यवेक्षण की वृद्धि हेतु उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता रहा है, इसलिए बीएफएस के मामले में प्रश्न के भाग (घ) तथा (ङ) लागू नहीं होते।

[अनुवाद]

हथकरघा विकास निगम को सहायता

1737. **श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:**
श्री रामजीलाल सुमन:
श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन':
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न राज्यों के हथकरघा विकास निगमों ने हथकरघा उद्योग के विकास संबंधी योजनाओं को लागू करने के लिए केन्द्र सरकार से सहायता मांगी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) उन प्रस्तावों पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है;

(घ) हथकरघा उद्योग के विकास हेतु कुशल एवं अकुशल कारीगरों और कलाकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए विद्यमान योजनाएं क्या हैं;

(ङ) क्या सरकार ने हथकरघा उद्योग के विकास के लिए ऋण उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कोई निधि की स्थापना की है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला): (क) से (ग) जी हां, भारत सरकार हथकरघा विकास निगमों सहित विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों को संबंधित योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार उनसे प्राप्त पूर्ण व्यवहार्य प्रस्तावों के आधार पर सहायता स्वीकृत करती है। पिछले 3 वर्षों के दौरान विभिन्न योजनाओं के तहत हथकरघा विकास निगमों को जारी सहायता का राज्यवार विवरण में संलग्न है।

(घ) हथकरघा विकास के लिए कुशल एवं अकुशल कारीगरों एवं कलाकारों को जिन योजनाओं के तहत वित्तीय सहायता दी जाती है उनका विवरण नीचे दिया गया है:-

(1) दीन दयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना।
(2) विपणन संवर्धन कार्यक्रम।
(3) हथकरघा निर्यात योजना।
(4) 10% की छूट योजना, एवं
(5) एकीकृत हथकरघा प्रशिक्षण कार्यक्रम।

(ङ) जी, हां।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

(छ) राष्ट्रीय स्तर पर एक अलग निधि की स्थापना या सृजन करने की कोई योजना नहीं है क्योंकि एक ऋण प्रणाली पहले से ही विद्यमान है और बैंक हथकरघा क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) से पुनर्वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकती हैं।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न योजनाओं के हथकरघा विकास निगमों को दी गई सहायता राशि का राज्यवार ब्यौरा

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य	2001-02	2002-03	2003-04	कुल
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	–	30.89	–	30.89
2.	असम	–	–	6.05	6.05
3.	गुजरात	–	–	5.72	5.72
4.	हिमाचल प्रदेश	–	48.36	17.64	66.00
5.	जम्मू-कश्मीर	–	31.89	–	31.89
6.	कर्नाटक	259.72	97.36	301.95	659.03
7.	केरल	20.25	77.36	146.38	243.99
8.	मध्य प्रदेश	7.50	–	–	7.50

1	2	3	4	5	6
9.	मिजोरम	–	–	7.22	7.22
10.	त्रिपुरा	2.00	4.08	10.69	16.77
11.	उत्तर प्रदेश	164.27	36.34	159.58	360.19
12.	पश्चिम बंगाल	–	34.07	51.16	85.23
	कुल	453.74	360.35	706.39	1520.48

[अनुवाद]

न्यायालयों के अवकाशों में कटौती

1738. श्री रायापति सांबासिवा राव:
श्री के.एस. राव:

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने न्यायिक प्रणाली के विरुद्ध शिकायतों पर चिंता जाहिर की है और भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से अपनी कार्यप्रणाली में जवाबदेही और पारदर्शिता लाने के लिए ''आत्म-मंथन'' करने को कहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने लंबे अवकाशों में कटौती एवं कार्यदिवसों की संख्या में वृद्धि करने का भी सुझाव दिया है जिससे कि न्यायिक प्रणाली की उत्पादकता में सुधार होगा;

(ग) यदि हां, तो न्यायपालिका सरकार द्वारा दिए गए सुझावों पर किस सीमा तक सहमत हो गई है और न्यायपालिका भ्रष्टाचार के प्रति किस सीमा तक जवाबदेह है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. वेंकटपति): (क) और (ख) माननीय प्रधानमंत्री ने, नई दिल्ली में तारीख 18 सितंबर, 2004 को आयोजित मुख्य न्यायमूर्तियों और मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में अपने भाषण में, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित मत व्यक्त किया:

''हमारे संविधान निर्माता चाहते थे कि हमारी न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुरक्षित और परिरक्षित बनी रहे। यह बात हमारी न्यायपालिका के सदस्यों और उसमें व्यवसाय करने वालों पर इस बात की अत्यधिक जिम्मेदारी तथा उत्तरदायित्व डालती है कि वे ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के उच्चतम स्तर को बनाए रखें। न्यायपालिका पर बाहर से उत्तरदायित्व और पारदर्शिता के कोई मानक अधिरोपित नहीं किए जा सकते और न किए जाने चाहिए। मेरा यह विश्वास है कि न्यायपालिका इस संबंध में आत्म-मंथन करे और यह सुनिश्चित करे कि यह सर्वोत्तम रूप से किस प्रकार किया जा सकता है।''

माननीय प्रधानमंत्री ने अपने उक्त भाषण में यह सुझाव भी दिया था कि न्याय प्रणाली की उत्पादकता में, कार्यदिवसों की संख्या में बढ़ोत्तरी करके और छुट्टियों की संख्या को कम करके सुधार किया जा सकता है।

(ग) और (घ) न्यायपालिका की उत्पादकता और दक्षता में सुधार लाने के लिए किए गए विभिन्न उपायों में, न्यायालयों में लंबित मामलों की स्थिति की सांवधिक रूप से मानीटरी, विधि के एकसमान प्रश्नों वाले मामलों को समूहबद्ध करना, विशेषज्ञ न्यायपीठों का गठन करना, न्यायाधीशों के रिक्त पदों को समय से भरा जाना, न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करना, नियमित अंतरालों पर लोक अदालतें आयोजित करना, बातचीत, मध्यस्थता और माध्यस्थम, जैसे विवाद समाधान के वैकल्पिक ढंगों को प्रोत्साहन देना और केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरणों, राज्य प्रशासनिक अधिकरणों, आयकर अपील अधिकरणों जैसे विशेष अधिकरणों, कुटुंब न्यायालयों, श्रम न्यायालयों और त्वरित निपटान न्यायालयों आदि की स्थापना करना सम्मिलित है।

[हिन्दी]

बुनकरों को ऋण प्रदान करने संबंधी योजना

1739. श्री मनसुखभाई डी. वसावा:
श्री हरिकेवल प्रसाद:
श्री सुरेश चन्देल:

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय बुनकरों की दयनीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए उन्हें ऋण उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा राज्य-वार उपलब्ध कराए गए ऋणों की राशि कितनी है;

(ग) क्या बुनकरों को भारतीय बैंकों से ऋण प्राप्त करने में कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए सुधारात्मक कदम क्या हैं और इसके परिणामस्वरूप सरकार को कितनी सफलता प्राप्त हुई है?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला): (क) विभिन्न योजनाओं के तहत शीर्षस्थ बैंकों नामत: भारतीय रिजर्व बैंक एवं नाबार्ड द्वारा प्रतिबंधित मानदंडों के अनुसार विभिन्न बैंकिंग संस्थानों (वाणिज्यिक एवं सहकारिता बैंक) द्वारा बुनकरों को ऋण सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। नाबार्ड द्वारा राज्य सहकारिता बैंकों को अल्पावधि ऋण सीमा की स्वीकृति के माध्यम से प्राथमिक बुनकर समितियों एवं जिला केन्द्रीय सहकारिता बैंक के व्यक्तिगत सदस्यों को उत्पादन एवं विपणन गतिविधियों के लिए अल्पावधि पुनर्वित्त उपलब्ध करवा रहा है। बैंक शाखा के माध्यम से ऋण सुविधाओं के अलावा सरकार दीनदयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना के तहत मूलभूत निवेश जैसे करघे, उपकरण, प्रशिक्षण इत्यादि और डिजाइन इनपुट, प्रचार, विपणन प्रोत्साहन इत्यादि के लिए पात्र हथकरघा एजेंसियों को अनुदान के रूप में आंशिक वित्तीय सहायता उपलब्ध करवा रही है। दीन दयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना के तहत सरकार वित्तीय संस्थानों से प्रति बुनकरों को 4000/- रुपए की दर से ऋण सुविधा प्राप्त करने के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों को मार्जिन मनी के रूप में भी वित्तीय सहायता उपलब्ध करवा रही है। इस राशि में केन्द्रीय सरकार का शेयर 2000/-, राज्य सरकार का शेयर 1000/- और शेष 1000/- रुपये संबंधित बुनकर द्वारा दिया जाएगा। मार्जिन मनी इसलिए दी जाती है कि उसका प्रयोग उनकी नकद ऋण सीमा को बढ़ाने के लिए किया जाएगा।

(ख) वित्तीय वर्ष 2001-02, 2002-03 एवं 2003-04 के दौरान बुनकर समितियों को वित्तीय सहायता देने हेतु राज्य सहकारिता बैंकों को नाबार्ड द्वारा स्वीकृत अल्पावधि ऋण सीमा का विवरण संलग्न है।

(ग) विभिन्न अध्ययनों के आधार पर नाबार्ड ने सूचित किया है कि बुनकर क्षेत्र को ऋण की संस्थानिक प्रवाह को प्रभावित करने वाले घटक इस प्रकार हैं:- कई बुनकर सहकारी समितियों की दयनीय वित्तीय स्थिति एवं कुप्रबंधन, पुरानी विपणन संरचना एवं असंगठित क्षेत्र के साथ प्रतिस्पर्धा के कारण उनकी अयोग्यता। इन अव्यवहार्य घटकों के कारण कई बुनकर समितियों के ऋण प्रस्तावों को वापस कर दिया जाता है।

(घ) बुनाई क्षेत्र को ऋण प्रदान करने में सुधार के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं:

(1) प्राथमिक बुनकर सहकारी समितियों एवं शीर्षस्थ समितियों के बीच ऋण सुविधा की बेहतर जागरूकता का सृजन।

(2) सहकारिता क्षेत्र के बाहर के बुनकरों को उन्हें स्वयं सहायता समूह में संगठित करके बैंक से वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु उनकी पहचान की जा रही है।

(3) राज्य में शीर्षस्थ हथकरघा समितियों एवं निगमों का व्यवहार्य व्यवसायिक निकायों में पुनर्गठन।

(4) राज्य स्तरीय बैंकिंग समिति/जिला ऋण समिति द्वारा विभिन्न योजनाओं के तहत बुनकर क्षेत्र को ऋण प्रदान करने की आवधिक समीक्षा।

विवरण

(करोड़ रुपये)

क्र.सं.	राज्य का नाम	2001-02	2002-03	2003-04
1.	आंध्र प्रदेश	34.68	16.36	32.54
2.	गुजरात	1.00	1.00	1.00
3.	कर्नाटक	4.54	5.25	2.21
4.	केरल	47.81	40.31	28.46
5.	मध्य प्रदेश	4.42	0.00	0.00
6.	उड़ीसा	25.81	16.43	19.79
7.	पांडिचेरी	5.00	5.65	5.50
8.	तमिलनाडु	497.18	404.26	376.39
9.	पश्चिम बंगाल	60.7	61.68	54.72

[अनुवाद]

पेयजल योजना हेतु विश्व बैंक सहायता

1740. श्री असादुद्दीन ओवेसी: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिनमें विश्व बैंक के ऋण की सहायता से पेयजल और स्वच्छता योजनाएं चल रही हैं;

(ख) क्या कुछ अन्य राज्य सरकारों ने केन्द्र सरकार को अपनी पेयजल एवं स्वच्छता योजनाओं को विश्व बैंक के ऋण/सहायता के लिए अग्रेषित करने के लिए कहा है;

(ग) यदि हां, तो इन राज्यों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) उनके प्रस्तावों की वर्तमान स्थिति क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) विश्व बैंक से सहायता प्राप्त पेयजल और सफाई संबंधी योजनाएं, केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र में कार्यान्वित की जा रही हैं।

(ख) और (ग) उत्तरांचल, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली की राज्य सरकारों ने पेयजल और सफाई योजनाओं के लिए विश्व बैंक से सहायता मांगी है।

(घ) उत्तरांचल, तमिलनाडु और पंजाब की सरकारों के प्रस्तावों को विश्व बैंक को सहायतार्थ प्रस्तुत कर दिया गया है और हरियाणा सरकार से स्पष्टीकरण मांगा गया है। दिल्ली सरकार से हाल ही में प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

[अनुवाद]

जूट उद्योगों की रुग्णता

1741. श्री तुकाराम गंगाधर गदाख:
श्री सनत कुमार मंडल:
श्री बीर सिंह महतो:
डा. एम. जगन्नाथ:

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को सिंथेटिक जूट के प्रयोग को अनुमति देने की सरकार की नीति के कारण रुग्ण हुए पटसन उद्योग की जानकारी है;

(ख) क्या हजारों कर्मचारियों ने सैंकड़ों जूट मिलों के बन्द होने की वजह से अपनी नौकरी खो दी है;

(ग) देश में राज्य-वार जूट मिलों की कुल कितनी संख्या है;

(घ) राज्य-वार बन्द हुई और रुग्ण जूट मिलों की संख्या कितनी है;

(ङ) क्या बन्द पड़ी हुई रुग्ण जूट मिलों के पुनरुद्धार के लिए कोई विशेष पैकेज विचाराधीन है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) यदि नहीं, तो जूट मिलों के बिना नौकरी वाले कामगारों के परिवारों की सरकार किस प्रकार सहायता करेगी;

(ज) क्या सरकार ने जूट उद्योग के विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत सहायता मांगी है; और

(झ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला): (क) सरकार ने पैकेजिंग के लिए सिंथेटिक पटसन सामग्री के किसी प्रयोग की अनुमति नहीं दी है जिससे पटसन उद्योग में रुग्णता उत्पन्न हो।

(ख) अलग-अलग अवधि में बंद की गई 14 पटसन मिलों के कारण करीब 44,000 कामगार प्रभावित हुए हैं।

(ग) देश में 78 पटसन मिलें हैं जिनमें से 61 मिलें पश्चिम बंगाल में, बिहार और उत्तर प्रदेश में 3-3, आंध्र प्रदेश में 7 और असम, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में प्रत्येक में एक-एक हैं।

(घ) रुग्ण पटसन मिलों की कुल संख्या 37 है और 14 पटसन मिलें 2 महीने से 2 वर्ष की अलग-अलग अवधि से अधिक से बंद पड़ी हैं। 37 रुग्ण पटसन मिलों में से, 31 मिलें पश्चिम बंगाल में, 2 उत्तर प्रदेश में और एक-एक, उड़ीसा, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश और बिहार प्रत्येक राज्य में हैं। 14 बंद पटसन मिलों में से, 10 मिलें पश्चिम बंगाल में, 2 उत्तर प्रदेश में और एक-एक बिहार और आंध्र प्रदेश प्रत्येक में हैं।

(ङ) से (छ) मौजूदा नियम के अनुसार रुग्ण एककों के मामले बीआईएफआर को भेजे जाते हैं जो कि प्रत्येक रुग्ण एकक के पुनर्वासन के मामलों की जांच करने के वास्ते एक अर्धन्यायिक निकाय है। उसके बाद, बीआईएफआर जो कि सामान्यत: एक वित्तीय संस्था है द्वारा नियुक्त प्रचालन एजेंसी द्वारा एककों की पुनरुद्धार योजना तैयार की जाती है/उसकी जांच की जाती है। योजना प्राप्त होने पर बीआईएफआर औद्योगिक एककों के पुनर्वासन के मामलों पर निर्णय लेता है।

(ज) और (झ) जी, नहीं।

[हिन्दी]

भारतीय रुपये की क्रय शक्ति

1742. **श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत कुछ वर्षों में दौरान भारतीय रुपये की क्रय शक्ति लगातार घटी है;

(ख) यदि हां, तो 1980-81 की तुलना में वर्ष 1991-92 और 1996-97 में रुपये का औसत मूल्य कितना रहा है;

(ग) क्या देश के विभिन्न राज्यों में भारतीय रुपये की क्रय शक्ति में भारी अंतर है; और

(घ) यदि हां, तो वित्तीय वर्ष 2003-04 और 2004-05 के दौरान उन शहरों के नाम क्या हां जहां रुपये की क्रय शक्ति न्यूनतम और अधिकतम रही है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) और (ख) जी, हां। आधार वर्ष के रूप में 1980-81 को लेते हुए, भारतीय रुपये का औसत मूल्य, 1991-92 में 36.99 पैसे और 1996-97 में 23.68 पैसे था।

(ग) जी, हां। नीचे की सारणी देश के विभिन्न राज्यों में भारतीय रुपये की क्रय शक्ति में अंतर को दर्शाती है। दिल्ली में 16.18 पैसे पर रुपए के कम मूल्य की तुलना में असम में 21.78 पैसे पर रुपए का सर्वाधिक मूल्य है।

सारणी-1 अक्तूबर, 2004 की स्थिति के अनुसार रुपये का मूल्य

(आधार: 1982 = 100)

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	पैसे के रूप में रुपये का मूल्य
1	2
अखिल भारत	19.01
आंध्र प्रदेश	19.34
असम	21.78
बिहार	20.16
छत्तीसगढ़	21.23
गुजरात	19.58
हरियाणा	19.02
जम्मू-कश्मीर	16.42
झारखंड	21.51
कर्नाटक	19.12
केरल	18.88
मध्य प्रदेश	19.31
महाराष्ट्र	16.99
उड़ीसा	21.47
पंजाब	21.11
राजस्थान	19.74
तमिलनाडु	19.19
उत्तर प्रदेश	19.43
पश्चिम बंगाल	17.89
चंडीगढ़	17.36
दिल्ली	16.18
पांडिचेरी	17.51

(घ) 2003-04 में रुपये की न्यूनतम व अधिकतम क्रय शक्ति क्रमश: मुम्बई व चेन्नै में थी। 2004-05 में रुपये की न्यूनतम व अधिकतम क्रयशक्ति क्रमश: दिल्ली व चेन्नै में हैं (सारणी-2)।

सारणी-2

पैसे में रुपये का मूल्य

शहर	2003-04 (अक्तूबर)	2004-05 (अक्तूबर)
दिल्ली	17.21	16.18
मुम्बई	17.09	16.34
कोलकाता	18.21	16.92
चेन्नै	18.76	17.89

[अनुवाद]

भारत दक्षिण कोरिया व्यापार

1743. श्री कीर्ति वर्धन सिंह:
श्री असादूद्दीन ओवेसी:
श्री विजय कृष्ण:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति की यात्रा के दौरान दक्षिण कोरिया के साथ व्यापार बढ़ाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इससे संबंधित ब्यौरा क्या है;

(ग) आज की तारीख के अनुसार दोनों देशों के बीच हो रहे व्यापार का ब्यौरा क्या है;

(घ) ऐसे विचार-विमर्श के बाद व्यापार में कितनी वृद्धि की सम्भावना है;

(ङ) क्या कोरिया गणराज्य द्वारा आरोपित स्वच्छता एवं पादप स्वच्छता तथा गैर-प्रशुल्क व्यवसाय से बढ़ते भारतीय आयातों के संबंध में बाधाएं उत्पन्न होंगी; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस बारे में क्या कार्रवाई की गई है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) और (ख) जी हां। दोनों पक्ष वर्ष 2008 तक द्विपक्षीय व्यापार के लिए 10 बिलियन अमरीकी डालर का लक्ष्य निर्धारित करने के लिए सहमत हो गए हैं।

(ग) भारत-दक्षिण कोरिया व्यापार के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-

(मूल्य मिलि. अम. डालर)

	2003-2004 (अप्रैल-जुलाई)	2004-2005 (अप्रैल-जुलाई)
दक्षिण कोरिया को भारतीय निर्यात	175.93	316.34
दक्षिण कोरिया से भारतीय आयात	641.84	930.36
कुल व्यापार	817.77	1246.70

(अ) अनन्तिम
(स्रोत: डीजीसीआईएस)

(घ) दोनों पक्षों ने निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संयुक्त रूप से कार्य करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया है।

(ङ) और (च) यह उम्मीद है कि कोरिया गणराज्य के राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने में दक्षिण कोरिया द्वारा लागू स्वच्छता एवं पादप स्वच्छता तथा गैर-टैरिफ उपाय आड़े नहीं आएंगे।

[अनुवाद]

न्यूज प्रिंट पेपर

1744. श्रीमती सुमित्रा महाजन: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत में इस समय न्यूज प्रिंट पेपर का वार्षिक उत्पादन कितना है;

(ख) न्यूज प्रिंट पेपर की वार्षिक आवश्यकता कितनी है;

(ग) क्या इस क्षेत्र में सरकारी क्षेत्र का कोई उपक्रम वैश्विक प्रतिस्पर्धा में बने रहने हेतु तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से सक्षम है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) वर्ष 2003-2004 की अवधि के लिए भारत में न्यूज प्रिंट का वर्तमान उत्पादन 6.88 लाख टन है।

(ख) उक्त अवधि के दौरान न्यूज प्रिंट की वार्षिक आवश्यकता लगभग 14.26 लाख टन की है।

(ग) और (घ) देश में न्यूज प्रिंट का विनिर्माण करने वाले दो केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रम हैं। इन केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा बनाये जाने वाले न्यूजप्रिंट की गुणवत्ता, वैश्विक बाजार में तकनीकी रूप से बने रहने की दृष्टि से सक्षम है। किंतु इन इकाइयों को घटिया अवस्थापना के कारण अल्प परिचालन, बिजली की ऊंची दरों तथा दूसरी कारोबारी लागतों के कारण वाणिज्यिक रूप से बने रहने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। अच्छी गुणवत्ता के रेशेदार कच्चे माल की अनुपलब्धता तथा आयातित न्यूज प्रिंट पर 5 प्रतिशत का कम आयात शुल्क भी इसके कारण हैं।

[अनुवाद]

पूर्वोत्तर औद्योगिक नीति

1745. डा. अरूण कुमार शर्मा:
श्री राजेन गोहेन:
श्री मणी कुमार सुब्बा:
श्री हरिभाऊ राठौड़:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पूर्वोत्तर क्षेत्र के औद्योगिकीकरण पर पूर्वोत्तर औद्योगिक नीति के क्रियान्वयन का प्रभाव तथा उसका वर्षवार लक्ष्य और निजी निवेश पर मिली प्रतिक्रिया क्या है;

(ख) भारत के कुछ अन्य भागों में भी ऐसे ही प्रोत्साहनों की घोषणा के बाद पूर्वोत्तर क्षेत्र में निजी निवेश सुनिश्चित करने हेतु क्या कार्रवाई करने पर विचार किया गया है;

(ग) क्या मंत्रालय का पूर्वोत्तर औद्योगिक नीति में संशोधन करने के प्रस्ताव वाला कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) पूर्वोत्तर उद्योगों की शिकायतों के समाधान हेतु क्या कार्यवाही करने पर विचार किया गया है;

(च) क्या सरकार पूर्वोत्तर को विशेष उद्योग क्षेत्र का दर्जा देने पर विचार कर रही है;

(छ) यदि हां, तो पहचान किए गए विशिष्ट उद्योग और दी गई छूट का ब्यौरा क्या है;

(ज) क्या असम सरकार ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और विदेशी संस्थागत निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र हेतु अनन्य नीति की मांग की है; और

(झ) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) से (झ) दिनांक 24 दिसम्बर, 1997 को नयी पूर्वोत्तर औद्योगिक नीति (एनईआईपी) की घोषणा के फलस्वरूप, कुल 681 निवेश प्रस्ताव कार्यान्वित किए गए/कार्यान्वित किए जा रहे हैं जिनमें पूर्वोत्तर क्षेत्र में 1067.28 करोड़ रुपये के पूंजी निवेश और लगभग 20,709 व्यक्तियों के लिए रोजगार सृजन शामिल है। एनईआईपी में उपयुक्त आशोधनों के माध्यम से पूर्वोत्तर क्षेत्र में निवेश के लिए बेहतर तथा अधिक आकर्षक आर्थिक शर्तें पेश करने के लिए असम राज्य सहित विभिन्न वर्गों से पत्र प्राप्त हुए हैं। जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तरांचल जैसे राज्यों में समान प्रोत्साहनों की घोषणा के बाद सरकार ने एनईआईपी का प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन करने के लिए पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम लिमिटेड (एनईडीएफआई) के माध्यम से टाटा इकोनोमिक कन्सलटेंसी सर्विसेज (टीईसीएस) को नियुक्त किया है। टीईसीएस की रिपोर्ट पर सभी संबंधित अंश धारकों के साथ चर्चा की गई है।

[अनुवाद]

कानून को लागू करना

1746. श्री आलोक कुमार मेहता: क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संसद द्वारा पारित अनेक कानूनों को अभी तक लागू नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रत्येक के क्या कारण हैं; और

(ग) इन कानूनों को लागू करने हेतु क्या समयावधि निर्धारित की गई है?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. वेंकटपति): (क) से (ग) संसद द्वारा पारित किए गए विभिन्न विधान भिन्न-भिन्न मंत्रालयों/विभागों के प्रशासनिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। विधि और न्याय मंत्रालय, संसद द्वारा अधिनियमित सभी विधानों के कार्यान्वयन के संबंध में विनिश्चय करने के लिए नोडल मंत्रालय नहीं है। किसी विशिष्ट शर्तबद्ध विधान से संबंधित मंत्रालय/विभाग सुसंगत तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उनके क्रियान्वयन के संबंध में विनिश्चय करता है। इसलिए, उनके कार्यान्वयन के संबंध में विनिर्दिष्ट समय-सीमा उपदर्शित करना संभव नहीं है।

[अनुवाद]

इस्तेमाल किए गए सिले-सिलाए वस्त्रों का आयात

1747. श्री जुएल ओराम:
श्री अर्जुन सेठी:
श्री बालेश्वर यादव:

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इस्तेमाल किए गए वस्त्रों के साथ विभिन्न प्रकार की बीमारियां आने की संभावना पर विचार करते हुए विदेशों से इस्तेमाल किए गए सिले-सिलाए वस्त्रों के आयात पर रोक लगाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में कब तक निर्णय लिए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला): (क) से (ग) सरकार ने एच एस कोड 6309 के तहत शामिल "पहने हुए कपड़ों और अन्य पहनी हुई वस्तुओं" को दिनांक 27.10.2004 की अधिसूचना संख्या 7/2004-09 द्वारा आयात की प्रतिबंधित सूची के अंतर्गत रख दिया है।

[अनुवाद]

नई/इस्तेमाल की गई कारों तथा प्रिंटिंग मशीनों संबंधी आयात नीति

1748. श्री सनत कुमार मंडल: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नई/इस्तेमाल की गई कारों और प्रिंटिंग मशीनों के आयात हेतु आयात नीति, प्रक्रिया और सीमा शुल्क का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने नई/इस्तेमाल की गई कारों और प्रिंटिंग मशीनों के आयात में वृद्धि का इन मदों के स्वदेशी क्षेत्र पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इन मदों के आयात पर निर्भरता को कम करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) वर्तमान विदेश व्यापार नीति में नई/इस्तेमाल की गई कारों और प्रिंटिंग मशीनों के लाइसैंस मुक्त आयात की अनुमति है। कार का आयात उपभोक्ता संरक्षण, सड़क सुरक्षा और विनिर्दिष्ट उत्सर्जन मानदण्डों की शर्तों के अध्यधीन है। नई/इस्तेमाल की गई कारों के आयात की केवल विशिष्ट पत्तनों के जरिए अनुमति है। कारों के लिए शुल्क की समस्त दरें 160.07% और प्रिंटिंग मशीनों के लिए 40.38% हैं।

(ख) और (ग) कारें 300 संवेदनशील मदों में से एक मद है जिनके आयात पर सरकार द्वारा कड़ी निगरानी रखी जाती है।

(घ) मात्रात्मक प्रतिबंध हटाने के बाद भी कारों का आयात लागू टैरिफों, तकनीकी मानकों, पर्यावरण और सुरक्षा मापदण्डों के अध्यधीन है। टैरिफ और गैर-टैरिफ तंत्रों के उचित उपयोग के जरिए सरकार यह सुनिश्चित करने का प्रयास करती है कि घरेलू उद्योग को प्रतिस्पर्धा में हानि न हो।

[हिन्दी]

औद्योगिक विकास में गिरावट

1749. श्री कैलाश मेघवाल: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत वर्ष की तुलना में पिछले दो वर्षों के दौरान औद्योगिक विकास दर में गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) औद्योगिक विकास दर को बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत की औद्योगिक विकास दर में गिरावट की बात कही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन (सीएसओ) द्वारा जारी किये गये आंकड़ों के अनुसार औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी आधार वर्ष 1993-1994 = 100) के अनुसार मापी गई सामग्री औद्योगिक विकास दर में वर्ष 2001-2002 में 2.7 प्रतिशत तथा 2002-2003 में 5.7 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2003-2004 में 7 प्रतिशत तक सुधार हुआ है। वर्ष 2004-2005 के पहले छः महीनों (अप्रैल-सितम्बर) के दौरान दर्ज 7.9 प्रतिशत की समग्र औद्योगिक विकास दर हो जाने से पिछले वर्ष की इसी अवधि में दर्ज हुई 6.2 प्रतिशत की तुलना में इस कार्य-निष्पादन में और भी सुधार आया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी, नहीं। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) द्वारा जारी दिनांक 21 अगस्त, 2003 की नवीनतम सार्वजनिक सूचना

नोटिस (पिन) संख्या 2003/104 जो क्षेत्र वार आर्थिक विकास का सार प्रस्तुत करता है, के अनुसार भारत की औद्योगिक विकास दर में गिरावट संबंधी कोई अवलोकन/टिप्पणी नहीं की गई है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

शुल्क कटौती वापस लेना

1750. **श्री विजय कृष्ण:**
श्री कीर्ति वर्धन सिंह:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अगस्त, 2004 के मध्य से विभिन्न उत्पादों पर सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क में दी गई कटौती को वापस ले लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार को इससे कितने राजस्व की हानि हुई है; और

(घ) सरकार द्वारा बढ़ती मुद्रास्फीति को रोकने हेतु अन्य क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमणिक्कम): (क) अगस्त, 2004 के मध्य से सरकार ने विभिन्न पेट्रोलियम उत्पादों, प्लास्टिक के कच्चे माल और इस्पात उत्पादों पर सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क कम किया था। हालांकि सरकार ने अगस्त, 2004 के मध्य से इन उत्पादों पर किसी सीमा शुल्क या उत्पाद शुल्क कटौती को वापस नहीं लिया है।

(ख) उपर्युक्त (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न नहीं उठता।

(ग) चूंकि शुल्क कटौती वापस नहीं ली गई है, इसलिए राजस्व पर कोई नया प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(घ) सरकार ने मुद्रास्फीति में वृद्धि को रोकने के लिए विभिन्न पेट्रोलियम उत्पादों, प्लास्टिक के कच्चे माल और इस्पात पर सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क को कम कर दिया है। इसके साथ अन्य कई और उपाय भी किए गए थे। जिनमें शामिल हैं:

(1) प्रणाली में मौद्रिक प्रलम्बन (लिक्विडिटी ओवरहैंग) को रोकने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बैंकों द्वारा बनाए रखने के लिए कैश रिजर्व अनुपात (सी आर आर) को उनकी मांग और समय देयताओं के 5 प्रतिशत पर 50 आधार प्वाइंट तक बढ़ा दिया है।

(2) सरकार ने कई खाद्य तेलों के टैरिफ मूल्यों पर लगभग 50 डालर प्रति मीट्रिक टन की कटौती की है।

(3) भारतीय रिजर्व बैंक ने रिवर्स रेपो दर (अर्थात् भारतीय रिजर्व बैंक के पास सरकारी कागजात के तहत रखी गई बैंक निधियों पर भुगतान की गई ब्याज दर) को 4.75 प्रतिशत पर 25 बेसिस प्लाइंट से बढ़ा दिया है।

[अनुवाद]

गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनियां

1751. **श्री जी. करूणाकर रेड्डी:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कितनी गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनियां (एन बी एफ सी) काम कर रही हैं;

(ख) कर्नाटक राज्य में काम करने वाले एन बी एफ सी के नाम क्या-क्या हैं;

(ग) उस राज्य में ये एन बी एफ सी किन क्षेत्रों में काम कर रही है;

(घ) राज्य में ये एन बी एफ सी क्या कार्यकलाप कर रही हैं;

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान इन गैर-बैंककारी कंपनियों द्वारा विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत उस राज्य में व्यक्तियों/सरकारी संगठनों और गैर-सरकारी संगठनों को कितनी ऋण सहायता प्रदान की गई;

(च) अन्य राज्यों में इन कंपनियों द्वारा कितनी ऋण राशि वितरित की गई; और

(छ) तत्संबंधी राज्य-वार और वर्ष-वार अलग-अलग ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमणिक्कम): (क) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सूचित किया है कि उन्होंने गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं के कारोबार के लिए आज तक की स्थिति के अनुसार, 13303 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) को पंजीकरण प्रमाण पत्र दिया है। इनमें से केवल 525 कंपनियों को सार्वजनिक जमाराशि स्वीकार करने/रखने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

(ख) कर्नाटक राज्य से पंजीकरण प्रमाण पत्र वाली ''क'' श्रेणी (जमाराशि लेने वाली) कंपनियां 22 तथा ''ख'' श्रेणी (जमाराशि न लेने वाली) कंपनियां 152 हैं।

(ग) हालांकि सभी कंपनियां कर्नाटक राज्य में परिचालन कर रही हैं किंतु उनमें से कुछ कंपनियों की शाखाएं राज्य के बाहर भी हैं।

(घ) इन कंपनियों द्वारा किए जाने वाले क्रियाकलापों में हैं- पट्टेदारी, किराया खरीद, ऋण एवं निवेश। इसके अलावा, श्रेणी ''क'' के रूप में पंजीकृत एनबीएफसी जमाराशि लेने संबंधी कार्यकलाप भी करती हैं।

(ङ) से (छ) भारतीय रिजर्व बैंक के विद्यमान आधारभूत आंकड़ों में इस राज्य/अन्य राज्यों में संवितरित ऋण के अलग-अलग आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

[हिन्दी]

औद्योगिक विकास

1752. श्री शिवराज सिंह चौहान: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में औद्योगिक क्षेत्र में समान निवेश नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या औद्योगिक विकास और निवेश की दृष्टि से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सर्वाधिक पिछड़े राज्य हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इन राज्यों में औद्योगिक विकास और निवेश को बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) से (घ) अगस्त, 1991 से दायर किए गए औद्योगिक उद्यमिता ज्ञापनों और जारी किए गए आशय-पत्रों तथा प्रत्यक्ष औद्योगिक लाइसेंसों के आधार पर, विभिन्न राज्यों में गैर-लघु क्षेत्र में उद्यमियों द्वारा प्रस्तावित निवेश को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। प्रस्तावित निवेश में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का हिस्सा क्रमश: 3.26 प्रतिशत और 5.07 प्रतिशत है।

उदारीकृत औद्योगिक नीतियों के तहत, विभिन्न उद्योगों में निवेश उद्यमियों की व्यावसायिक समझ पर निर्भर करता है और, उद्यमियों की व्यावसायिक समझ इस बात पर निर्भर करती है कि राज्य सरकारों/केन्द्र शासित क्षेत्रों ने मूल ढांचागत सुविधाएं और दूसरे प्रोत्साहन उपलब्ध कराकर एक सहायक आर्थिक वातावरण तैयार करने हेतु क्या-क्या पहले की हैं। किसी राज्य के औद्योगिक विकास हेतु पहल करने की जिम्मेदारी मुख्यत: संबंधित राज्य सरकार की ही होती है। तथापि, भारत सरकार द्वारा विभिन्न प्रोत्साहनों एवं स्कीमों के जरिये उनके प्रयासों में मदद की जाती रही है। पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जून, 1988 में घोषित की गई विकास केन्द्र योजना के तहत, देश भर में स्थापित किए जाने हेतु 71 विकास केन्द्र स्वीकृत किए गए हैं। इन विकास केन्द्रों में से चार मध्य प्रदेश में और दो छत्तीसगढ़ में हैं।

विवरण

अगस्त, 1991 से अक्तूबर, 2004 तक औद्योगिक निवेश के प्रस्ताव (राज्य-वार)

राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र का नाम	आईईएम+ एलओआई+ डीआईएल की संख्या	प्रस्तावित निवेश (रुपए करोड़)	प्रतिशत
1	2	3	4
महाराष्ट्र	11396	257822	17.34
गुजरात	7293	236135	15.88
आंध्र प्रदेश	4140	148692	10.00
तमिलनाडु	5300	125818	8.46
उत्तर प्रदेश	5144	92028	6.19
कर्नाटक	2416	79627	5.35
छत्तीसगढ़	1150	75337	5.07
उड़ीसा	701	78961	5.31
पंजाब	2526	58747	3.95
पश्चिम बंगाल	3208	57757	3.88
मध्य प्रदेश	2251	48520	3.26
हरियाणा	3429	43439	2.92

1	2	3	4
राजस्थान	2735	43040	2.89
दादर और नगर हवेली	1811	26217	1.76
नागालैंड	14	16244	1.09
झारखंड	478	16712	1.12
हिमाचल प्रदेश	586	12139	0.82
केरल	570	11172	0.75
उत्तरांचल	584	9508	0.64
पांडिचेरी	595	8391	0.56
असम	331	8240	0.55
गोवा	554	7477	0.50
दिल्ली	505	6537	0.44
दमन और दीव	829	4931	0.33
बिहार	182	4517	0.30
जम्मू-कश्मीर	258	3714	0.25
त्रिपुरा	27	2037	0.14
मेघालय	176	1710	0.11
चंडीगढ़	39	459	0.03
अंडमान और निकोबार	9	332	0.02
अरुणाचल प्रदेश	22	249	0.02
सिक्किम	15	71	0.00
लक्षद्वीप	1	4	0.00
मणिपुर	2	3	0.00
मिजोरम	0	0	0.00
एक से अधिक राज्य	24	406	0.03
योग	59301	1486993	100.00

टिप्पणी: आईईएम: औद्योगिक उद्यमिता ज्ञापन; एलओआई: आशय पत्र, डीआईएल: प्रत्यक्ष औद्योगिक लाइसेंस

[अनुवाद]

व्यापार और सेवा संबंधी सामान्य समझौता

1753. श्री पवन कुमार बंसल: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार की भारत में व्यापार और सेवा संबंधी सामान्य समझौता (जीएटीएस) लागू करने के बारे में क्या अवधारणा है;

(ख) क्या सरकार ने विश्व व्यापार संगठन सम्मेलन में "मूवमेंट आफ नेचुरल पर्सन्स" हेतु भारत के मामले में बल दिया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले; और

(घ) क्या विश्व व्यापार संगठन सम्मेलन में अनेक अन्य मुद्दों पर बल दे रहे विकसित देश स्वयं श्रम बाजार खोलने पर सहमत थे?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) सेवा संबंधी करारों (सेवा व्यापार संबंधी सामान्य करार) के उरूग्वे दौर की समाप्ति के पश्चात्, भारत के सेवा व्यापार में पर्याप्त वृद्धि हुई है। भारत के सेवा निर्यात वर्ष 1995 में 6.8 बिलियन अमरीकी डालर से बढ़कर वर्ष 2003 मे 24.9 बिलियन अमरीकी डालर के हो गए हैं। सेवाओं के विश्व व्यापार में भारत का हिस्सा, वस्तुओं के विश्व व्यापार में उसके हिस्से से अधिक है।

(ख) से (घ) वर्तमान वार्ताओं में भारत के उद्देश्यों में से एक उद्देश्य; प्रकृत व्यक्तियों के आवागमन द्वारा सेवा व्यापार में सुधार को सुनिश्चित करना है। इस संबंध में हमने व्यापक वार्ताकारी प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं। भारत के दस्तावेज में प्रकृत व्यक्तियों के आवागमन में आने वाली प्रमुख बाधाओं को अभिज्ञात किया गया है तथा इस क्षेत्र में अर्थपूर्ण उदारीकरण करने के लिए सदस्यों द्वारा अपनाई जा सकने वाली संभावित नीतियों का सुझाव दिया गया है।

जुलाई, 2004 में महापरिषद द्वारा पारित कार्यढांचा करार के अनुसार सभी सदस्य देशों द्वारा मई, 2005 तक सेवाओं के संबंध में संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाने हैं। इसका उद्देश्य एकल वचनबद्धता के एक भाग के रूप में संतुलित परिणाम प्राप्त करना है।

[अनुवाद]

राज्यों को डी.एफ.आई.डी. की सहायता

1754. श्री जसुभाई दानाभाई बारड़: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) किन-किन राज्यों को अंतर्राष्ट्रीय विकास विभाग (डीएफआईडी) राशि/ऋण सहायता मिल रही है;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान उन राज्यों में से प्रत्येक राज्य विशेषकर गुजरात को कितनी ऋण सहायता प्राप्त हुई;

(ग) उन राज्यों ने किस प्रयोजन के लिए डीएफआईडी ऋण/सहायता प्राप्त की थी; और

(घ) उन राज्यों विशेषकर गुजरात सरकार ने इस राशि का किस हद तक उपयोग किया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमणिक्कम): (क) से (घ) भारत में डीएफआईडी का द्विपक्षीय विकास सहयोग 100% सहायता अनुदान के रूप में है। आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल भारत में राज्य क्षेत्रक परियोजनाओं के लिए डीएफआईडी के प्राथमिकता प्राप्त राज्य हैं। हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में भी कुछ राज्य क्षेत्रक परियोजनाएं चल रही हैं। डीएफआईडी विकास सहायता के अंतर्गत चल रही राज्य क्षेत्रक परियोजनाओं की सूची संलग्न विवरण में दी गई है। राज्य क्षेत्रक परियोजनाओं के लिए डीएफआईडी विकास सहायता के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष की वचनबद्ध और वितरित की गई राशियां निम्नानुसार हैं:-

(मिलियन पौंड)

राज्य का नाम	निम्न के दौरान की गई वचनबद्धता			निम्न के दौरान वितरित एवं प्रयुक्त		
	2001-02	2002-03	2003-04	2001-02	2002-03	2003-04
आंध्र प्रदेश	65.00	0.00	0.00	65.77	13.544	13.19
मध्य प्रदेश	0.00	0.00	28.33	0.00	0.00	0.00
उड़ीसा	34.7	30.00	0.00	1.403	46.319	0.00
पश्चिम बंगाल	21.2	2.5	112.47	0.00	0.00	10.076
हिमाचल प्रदेश	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.064
कर्नाटक	0.00	0.00	0.00	0.00	0.849	1.058

पिछले तीन वर्षों में गुजरात में किसी भी राज्य क्षेत्रक परियोजना को डीएफआईडी सहायता प्राप्त नहीं हुई है।

विवरण

डीएफआईडी विकास सहायता के अंतर्गत चल रही राज्य क्षेत्र परियोजनाओं की सूची

क्र.सं.	परियोजना का नाम	राज्य
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश में गरीबों के लिए शहरी सेवाएं परियोजना	आंध्र प्रदेश
2.	मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य प्रबंधन का विकेन्द्रीकरण और समुदाय स्वास्थ्य कार्य का सुदृढ़ीकरण	मध्य प्रदेश
3.	यू.के./भारत: मध्य प्रदेश ग्रामीण आजीविका परियोजना	मध्य प्रदेश
4.	उड़ीसा में प्राथमिक स्कूलों का पश्च-चक्रवात पुनर्निर्माण	उड़ीसा

1	2	3
5.	उड़ीसा सार्वजनिक सुधार चरण-II	उड़ीसा
6.	कलकत्ता पर्यावरणीय परियोजना	पश्चिम बंगाल
7.	यू.के./भारत: गरीबों के लिए कोलकाता शहरी सेवा कार्यक्रम	पश्चिम बंगाल
8.	यू.के./भारत: पश्चिम बंगाल में सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों की पुनर्संरचना चरण-I	पश्चिम बंगाल
9.	हिमाचल प्रदेश वन क्षेत्र सुधार परियोजना	हिमाचल प्रदेश
10.	कर्नाटक जलसंभर विकास परियोजना	कर्नाटक

[हिन्दी]

काम के बदले अनाज कार्यक्रम

1755. श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद:
श्री बुसदेव आचार्य:
प्रो. एम. रामदास:

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का 'काम के बदले अनाज' राष्ट्रीय योजना के क्रियान्वयन के लिए 150 जिलों का चयन कार्य पूरा हो चुका है;

(ख) यदि हां, तो जिलावार तथा राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा जिलों की इस प्रकार पहचान करने का क्या मानदंड है;

(ग) इस योजना के कब तक क्रियान्वित हो जाने की संभावना है;

(घ) क्या राष्ट्रीय सम विकास योजना के अंतर्गत चुने गए पिछड़े जिलों को इस योजना में शामिल किया गया है;

(ङ) क्या ग्रामीण आवास विकास का कार्य विशेष योजनाओं के माध्यम से जिला परिषद के अंतर्गत पड़ने वाले डीआरडीए/एनजीओ द्वारा किया जाता है;

(च) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों तथा आज की तारीख के अनुसार तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या सरकार ने नई विशेष परियोजनाओं पर कार्य करने के लिए गैर-सरकारी संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया है;

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(झ) सरकार द्वारा गैर-सरकारी संगठनों को ग्रामीण आवास विकास कार्य कब तक दिए जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकांता पाटील): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) काम के बदले अनाज का राष्ट्रीय कार्यक्रम खाद्य सुरक्षा के साथ अतिरिक्त पूरक मजदूरी रोजगार सृजित करने के लिए देश के 150 अत्यधिक पिछड़े जिलों में नवम्बर, 2004 में शुरू किया गया है। गोवा को छोड़कर सभी 17 जिले कार्यक्रम के तहत कवर कर लिए गए हैं। 150 अत्यधिक पिछड़े जिलों की पहचान करने के मानदण्ड निम्नानुसार हैं:-

राज्यों (विशेष श्रेणी वाले राज्यों से अलग और असम को छोड़कर पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्य) में अत्यधिक पिछड़े जिलों का चयन (1) प्रति श्रमिक कृषि उत्पादकता (2) कृषि मजदूरी दर और (3) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति नामक तीन मानदण्डों का उपयोग करते हुए योजना आयोग द्वारा किए गए प्रयोग के आधार पर किया गया है। विशेष श्रेणी वाले राज्यों और पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्य (असम को छोड़कर) में जिलों की पहचान राष्ट्रीय सम विकास योजना के तहत चयनित सूची में से की गई थी। जिलों के चयन को अंतिम रूप देते समय राज्य सरकारों से भी परामर्श किया गया था।

उपर्युक्त मानदण्ड के आधार पर प्रत्येक राज्य को आबंटित जिलों की संख्या विवरण-I पर दी गई है। पहचाने गए 150 जिलों में से 83 राष्ट्रीय सम विकास योजना जिले हैं।

(ङ) और (च) ग्रामीण विकास मंत्रालय मकान बनाने के लिए ग्रामीण बीपीएल आश्रयविहिन परिवारों को सहायता देने के

लिए इंदिरा आवास योजना कार्यान्वित करता है। कार्यक्रम को डीआरडीए/जिला परिषद के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है। ग्रामीण आवास एवं पर्यावास विकास के अभिनव चरण, ग्रामीण निर्मित केन्द्र और समग्र आवास योजना जैसी अन्य छोटी योजनाओं को 1.4.2004 से समाप्त कर दिया गया है। तथापि, इन योजनाओं के अंतर्गत चल रही परियोजनाओं को पूरा किया जाएगा। 1999-2000 तथा 2003-04 से जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों/गैर-सरकारी संगठनों के लिए ग्रामीण आवास एवं पर्यावास विकास के अभिनव चरण के अंतर्गत 170 परियोजनाएं तथा ग्रामीण निर्मित केन्द्रों के अंतर्गत 85 परियोजनाएं मंजूर की गई हैं। स्वीकृत परियोजनाओं की राज्यवार संख्या विवरण-II पर दी गई है।

(छ) से (झ) चूंकि ग्रामीण आवास एवं पार्यावास विकास के अभिनव चरण, ग्रामीण निर्मित केन्द्र तथा समग्र आवास योजना को समाप्त कर दिया गया है इसलिए गैर-सरकारी संगठनों के लिए आगे परियोजनाएं मंजूर करने का प्रश्न नहीं उठता।

विवरण I

क्र.सं.	राज्य	पहचाने गए जिलों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	8
2.	अरुणाचल प्रदेश	1
3.	असम	5
4.	बिहार	15
5.	छत्तीसगढ़	10
6.	गुजरात	6
7.	हरियाणा	1
8.	हिमाचल प्रदेश	1
9.	जम्मू-कश्मीर	2
10.	झारखंड	14
11.	कर्नाटक	3
12.	केरल	1
13.	मध्य प्रदेश	15
14.	महाराष्ट्र	11
15.	मणिपुर	1
16.	मेघालय	1
17.	मिजोरम	1
18.	नागालैंड	1
19.	उड़ीसा	18
20.	पंजाब	1
21.	राजस्थान	5
22.	सिक्किम	1
23.	तमिलनाडु	4
24.	त्रिपुरा	1
25.	उत्तरांचल	2
26.	उत्तर प्रदेश	15
27.	पश्चिम बंगाल	6
	कुल	150

विवरण II

क्र.सं.	राज्य का नाम	स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	
		अभिनव चरण	ग्रामीण निर्मित केन्द्र
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	18	9
2.	अरुणाचल प्रदेश	14	1
3.	असम	7	8
4.	बिहार	3	5
5.	गुजरात	2	14
6.	हरियाणा	2	3
7.	हिमाचल प्रदेश	6	4
8.	जम्मू-कश्मीर	1	2
9.	झारखंड	0	1
10.	कर्नाटक	5	6

1	2	3	4
11.	केरल	4	0
12.	मध्य प्रदेश	5	7
13.	महाराष्ट्र	8	1
14.	मणिपुर	8	2
15.	मेघालय	6	0
16.	मिजोरम	2	0
17.	नागालैंड	7	2
18.	उड़ीसा	1	9
19.	पंजाब	1	0
20.	राजस्थान	7	1
21.	तमिलनाडु	22	0
22.	त्रिपुरा	1	0
23.	उत्तर प्रदेश	34	7
24.	उत्तरांचल	1	3
25.	पश्चिम बंगाल	3	2
26.	ख्याति प्राप्त संगठन	2	0
	कुल	170	85

[अनुवाद]

सरकार की ऋण देनदारी

1756. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की ऋण देनदारियों तथा वहनीय क्षमता के बारे में चिन्ता बढ़ती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1990-91, 1998-99, 2002-03 तथा 2003-04 के दौरान केन्द्र सरकार की बकाया देनदारी सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत है;

(ग) क्या ऋण की राशि का लाभकारी तरीके से निवेश एक सीमा तक ही किया जा सकता है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा ऋण का भार कम करने तथा ऋण की राशि को लाभकारी कार्यों में लगाने के लिए कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) और (ख) जी, हां। केन्द्रीय सरकार की बकाया देनदारियों का सकल घरेलू उत्पाद से अनुपात वर्ष 1990-91, 1998-99, 2002-03 और 2003-04 (संशोधित अनुमान) में क्रमश: 55.3 प्रतिशत, 51.2 प्रतिशत, 63.1 प्रतिशत और 62.2 प्रतिशत था।

(ग) और (घ) उच्च राजस्व घाटे के प्रवृत्त बने रहने के कारण, सरकार आधारभूत ढांचा क्षेत्र में बढ़ती हुई निवेश अपेक्षाओं के बावजूद, ऋणों को पूरी तरह से लाभकारी कार्यों में लगाने में असमर्थ है। राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्धन अधिनियम, 2003 के अधिदेश के अनुसार, सरकार मार्च, 2009 तक राजस्व घाटे को समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। राजस्व घाटे को समाप्त करने के फलस्वरूप ऋण भार कम होगा और सरकार ऋणों को लाभकारी कार्यों में लगाने में समर्थ होगी।

[हिन्दी]

ओवर ड्राफ्ट सुविधाएं

1757. श्री गुरूदास कामत: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बैंकिंग क्षेत्र सहित वित्तीय संस्थानों द्वारा उपभोक्ता को दी जा रही ओवरड्राफ्ट सुविधा अथवा नकद ऋण सुविधा पर से ब्याज हटाने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत सरकार के परामर्श से एकबारगी निपटान के आधार पर दिशानिर्देश जारी किए थे जिनमें दीर्घकालिक अनुपयोज्य आस्तियों के समझौता निपटान के लिए सरलीकृत, गैर-विवेकाधीन और गैर-विभेदमूलक तंत्र का प्रावधान किया गया है। सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों को निदेश दिया जाता है कि वे इन दिशानिर्देशों को समान रूप से कार्यान्वित करें ताकि अधिकतम वसूली की जा सके। संदेहास्पद या घाटे वाले मामलों में ब्याज संघटक पर कुछ रियायत दी गई थी।

[अनुवाद]

जिला सहकारी बैंक

1758. श्री हंसराज जी. अहीर: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र के जिला सहकारी बैंकों की खराब वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए केन्द्रीय अनुदान की मांग की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इन बैंकों की खराब वित्तीय स्थिति के क्या कारण हैं;

(ग) ऋण माफ कर देने से इन बैंकों को कितनी राशि का नुकसान हुआ;

(घ) नुकसान के कारण कितने जिला सहकारी बैंकों की वित्तीय स्थिति खराब है; और

(ङ) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

राजस्थान में बैंक कर्मचारियों की हड़ताल

1759. श्रीमती किरण माहेश्वरी: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजस्थान में देना बैंक के कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया तथा हड़ताल की;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) कर्मचारियों की मांगें क्या थीं; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) से (ग) देना बैंक ने सूचित किया है कि राजस्थान में कर्मचारियों ने हड़ताल नहीं की थी बल्कि दिनांक 23.11.2004 को जयपुर में दोपहर के खाने के दौरान अनुकंपा-आधारित नियुक्ति, अस्थायी कर्मचारियों को नियमित करने, कार्यों के आउटसोर्सिंग इत्यादि से संबंधित अपनी मांगों को उजागर करने के लिए कुछ कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया था।

(घ) बैंक कर्मचारियों के शीर्षस्थ निकाय ने अपनी मांगों से संबंधित चर्चा के लिए प्रबंधन से अब तक संपर्क स्थापित नहीं किया है। जब कभी भी इन मुद्दों को यूनियन द्वारा उठाया जाएगा तब उनके सम्भावित समाधान के लिए बैंक प्रबंधन द्वारा चर्चा की जाएगी।

[अनुवाद]

वैकल्पिक विवाद प्रस्ताव

1760. प्रो. एम. रामदास: क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित/क्रियान्वित वैकल्पिक विवाद प्रस्ताव प्रणाली की क्या विशेषताएं हैं;

(ख) किन-किन राज्यों में इस प्रणाली को स्थापित किया गया है; और

(ग) सभी राज्यों में अथवा कम से कम उन राज्यों में, जहां निगम क्षेत्र की अच्छी उपस्थिति है, इस प्रणाली को जल्द से जल्द स्थापित करने के लिए क्या उपाय करने का विचार है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंसराज भारद्वाज): (क) वैकल्पिक विवाद समाधान (एडीआर) तंत्र में माध्यस्थम, सुलह/मध्यस्थता, लोक अदालतें आदि सम्मिलित हैं। देश में वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र का विकास करने की दृष्टि से, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 में लोक अदालतों या मध्यस्थों के माध्यम से निपटान सहित माध्यस्थम, सुलह, न्यायिक निपटान द्वारा न्यायालयों से बाहर विवादों के निपटान के लिए उपबंध करने हेतु सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 1999 द्वारा संशोधन किया गया है।

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 में विधिक सेवा प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2002 द्वारा 'मुकदमा-पूर्व', सुलह और समझौता' विषयक एक नया अध्याय 6(क) अंत:स्थापित किया गया है। उक्त अध्याय में कतिपय विनिर्दिष्ट लोक उपयोगी सेवाओं के मामलों में सुलह और समझौते के लिए मुकदमा-पूर्व तंत्र के रूप में स्थायी लोक अदालतों की स्थापना के लिए उपबंध है। ये स्थायी लोक अदालतें कतिपय लोक उपयोगी सेवाओं के साथ विवादों के समाधान हेतु वादकारियों के लिए एक वैकल्पिक मंच हैं।

(ख) लोक अदालत तंत्र सभी राज्यों में स्थापित किया जा चुका है। लोक उपयोगी सेवाओं के लिए स्थायी लोक अदालतें 4 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, अर्थात्, राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र और झारखंड में स्थापित की जा चुकी हैं।

(ग) लोक उपयोगी सेवाओं के लिए स्थायी लोक अदालतें स्थापित करने की दृष्टि से, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों ने

संबंधित राज्य सरकारों से आवश्यक निधियों और अवसंरचना की व्यवस्था किए जाने हेतु संपर्क किया है। सिविल प्रक्रिया संहिता में 1999 के संशोधन द्वारा वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र का उपबंध किया गया है, जिसके अंतर्गत कारपोरेट सेक्टर से संबंधित मामलों सहित सभी प्रकार के मुकदमें आते हैं और इस प्रकार वादकारी वैकल्पिक विवाद समाधान तरीकों द्वारा अपने विवादों के हल के लिए संहिता की नई धारा 89 के उपबंधों का लाभ उठा सकते हैं।

[हिन्दी]

पुर्तगाल के साथ आर्थिक सहयोग

1761. श्री वाई.जी. महाजन: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार पुर्तगाल के साथ आर्थिक सहयोग बढ़ाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलंगोवन): (क) से (ग) पुर्तगाल सहित यूरोप के देशों के साथ आर्थिक सहयोग का संवर्धन करना एक सतत प्रक्रिया है तथा इस संबंध में सरकार द्वारा किए गए उपायों में अन्य बातों के साथ-साथ व्यापारी स्तर पर संपर्कों, व्यापार संवर्धन क्रियाकलापों में भागीदारी, शिष्टमंडलों के आदान-प्रदान को प्रोत्साहित करना एवं सुकर बनाना शामिल है।

[हिन्दी]

निजी बैंकों द्वारा दिशा-निर्देशों का उल्लंघन

1762. श्री बालेश्वर यादव: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कुछ निजी बैंक प्राथमिक क्षेत्र को ऋण देने में भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों की अनदेखी कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) और (ख) जी, नहीं। भारतीय रिजर्व बैंक ने गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों समेत सभी बैंकों को अपने निदेशक मंडलों द्वारा अनुमोदित एक सुस्पष्ट ऋण नीति तैयार करने की सलाह दी है। ऋण नीति तथा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र से संबंधित ऋण नीति में भी व्यक्तिगत उधारकर्त्ताओं/उधारकर्त्ताओं के समूह को निवेश सीमा, प्रलेखीकरण मानक, क्षेत्रीय निवेश सीमा, बट्टे खाते डालने की शक्तियों समेत अन्य शक्तियों का प्रत्यायोजन एवं समीक्षा कार्यपद्धतियां, परिपक्वता एवं मूल्यन संबंधी नीतियां, न्यूनतम नियत दर से अधिक ब्याज दरें निर्धारित करने के लिए विचारार्थ कारक और सामाजिक उधार के तहत निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करना निश्चित किया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

ब्याज की घटती दरों पर ऋण

1763. श्री इकबाल अमहद सरडगी: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने चल रही नई सिंचाई परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने हेतु राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा अन्य बैंकों से ब्याज दर को घटाकर सरकार की सहायता करने को कहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सभी निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से प्रतिस्पर्धात्मक ब्याज दरों पर ऐसी परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए कहा गया है, जिससे कि उन्हें जल्द क्रियान्वित किया जा सके तथा लागत को भी कम किया जा सके; और

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने बैंकों को कर्नाटक सरकार के प्रस्ताव को स्वीकार करने के निर्देश दिए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) से (ग) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से प्राप्त सूचना के अनुसार कर्नाटक सरकार द्वारा चल रही नई सिंचाई परियोजनाओं के निधिकरण हेतु राष्ट्रीयकृत बैंकों के पास कोई प्रस्ताव अब तक नहीं भेजा गया है।

[हिन्दी]

उड़ीसा के लिए विदेशी सहायता

1764. श्री परसुराम माझी: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उड़ीसा में विदेशी सहायता से कितनी परियोजनाएं चलाई जा रही हैं;

(ख) इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए क्या लक्षित तिथि निर्धारित की गई है;

(ग) इन परियोजनाओं में कितनी प्रगति हुई है; और

(घ) इन परियोजनाओं के लिए अब तक कितनी विदेशी सहायता प्राप्त की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमणिक्कम): (क) से (घ) उत्तर संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

उड़ीसा के लिए विदेशी सहायता

विकास भागीदार	परियोजना का नाम	समापन तिथि	नवम्बर, 2004 तक संवितरण में हुई प्रगति (प्राप्त राशि) (करोड़ रुपए में)
1	2	3	4
जर्मनी			
1.	बहु-उद्देशीय चक्रवात आश्रय-स्थल कार्यक्रम-II	30.12.2006	6.342
जापान			
2.	रेंगली सिंचाई परियोजना	31.12.2004	248.728
3.	रेंगली सिंचाई परियोजना (II)	31.12.2007	0.0
4.	राष्ट्रीय राजमार्ग-5 सुधार परियोजना	21.01.2005	139.326
डेनमार्क			
5.	भारत-डेनिश व्यापक जलसंभर विकास परियोजना कोरापुट, उड़ीसा	31.3.2005	13.686
6.	संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम, चरण-II	31.12.2005	3.000
यूरोपीय कमीशन			
7.	उड़ीसा में लघु सिंचाई	31.12.2004	17.960
यूनाइटेड किंगडम			
8.	पश्चिमी उड़ीसा ग्रामीण आजीविका परियोजनाएं	31.7.2009	2.932*
9.	उड़ीसा जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम	30.11.2008	58.777
10.	उड़ीसा चक्रवात-पश्च प्राथमिक स्कूल पुनर्निर्माण परियोजना	31.12.2004	75.145
11.	उड़ीसा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को अंतरिम सहायता	31.3.2005	1.750
12.	उड़ीसा लोक उद्यम सुधार चरण-II	31.12.2008	0.0

1	2	3	4
यूएनडीपी			
13.	राष्ट्रीय संसाधन प्रबंधन और महिलाओं के लिए स्थायी आजीविका	31.12.2004	8.974
आईएफएडी			
14.	उड़ीसा जनजातीय अधिकारिता एवं आजीविका कार्यक्रम	30.9.2013	4.549
आईडीए			
15.	उड़ीसा स्वास्थ्य प्रणाली विकास	31.3.2005	31.920

*अक्तूबर, 2004 तक प्राप्त राशि

[अनुवाद]

चाय बागानों के श्रमिकों का कल्याण

1765. श्रीमती मिनाती सेन: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले कई वर्षों से उत्तरी बंगाल में चाय बागानों के मालिकों ने श्रमिकों को भविष्य निधि, ग्रेच्युटी, बीमा योजना पर जमा जैसे उनके कानूनी अधिकारों से उन्हें वंचित कर दिया है;

(ख) क्या उत्तरी बंगाल के चाय उद्योग ने सरकारी विभागों के उपर्युक्त खातों से काटे गए लगभग 100 करोड़ रुपए जमा नहीं कराए हैं;

(ग) क्या अधिकतर चाय बागान मालिक यह कहकर कि चाय के मूल्य लाभकारी नहीं है अपने कर्मचारियों को राशन, ईंधन, चिकित्सा उपचार आदि उनके अधिकारों से भी उन्हें वंचित रखे हुए हैं;

(घ) क्या अधिकांश चाय बागान मालिक 1999 में हुए त्रिपक्षीय समझौते पर वापस चले गए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या राज्य सरकार अपनी वित्तीय कठिनाइयों के बावजूद जिला परिषदों के माध्यम से श्रमिकों को कम दरों पर चावल और गेहूं की आपूर्ति कर तथा बंद हुए बागानों के प्रत्येक श्रमिक को 500/- रुपए प्रतिमाह की वित्तीय सहायता प्रदान कर उनकी सहायता कर रही है; और

(छ) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार ने चाय बागानों को उपकर से छूट दे दी है तथा सरकार का इस संबंध में क्या कदम उठाने का विचार है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलैंगोवन): (क) और (ख) पश्चिम बंगाल की सरकार द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार 118 चाय बागानों ने लगभग 43.26 करोड़ रुपए की भविष्य निधि देयताओं का भुगतान नहीं किया है। उत्तर बंगाल के चाय बागानों में कामगारों को ग्रेच्युटी का भुगतान नहीं किये जाने की भी शिकायतें मिली थी। ग्रेच्युटी का भुगतान न करने के बारे में प्राप्त शिकायतों की कुल संख्या लगभग 80 है।

(ग) चिकित्सा सुविधाओं के प्रावधान समेत कार्य की स्थितियां बागान श्रम अधिनियम 1951 द्वारा शासित होती हैं। इस अधिनियम के अधीन उपबंधों को लागू करने हेतु राज्य सरकारें उपयुक्त प्राधिकरण हैं। पश्चिम बंगाल की सरकार के अनुसार, कुछ मामलों में पर्याप्त राशन, ईंधन और चिकित्सा सुविधाएं प्रदान नहीं की गई हैं।

(घ) और (ङ) पश्चिम बंगाल की सरकार द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार, यह सच नहीं है कि अधिकांश चाय बागान मालिकों ने वर्ष 1999 में किए गए त्रिपक्षीय करार का पालन नहीं किया है।

(च) चाय बागानों के प्रभावित गरीब परिवारों, विशेष रूप से बंद पड़े चाय बागानों के गरीब परिवारों को राहत प्रदान करने के लिए पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार द्वारा किए गए उपायों में अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत सस्ती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध

कराना और कुछेक बंद पड़े चाय बागानों के कामगारों को 500/- रुपए प्रतिमाह का अनुदान देना शामिल हैं।

(छ) चाय अधिनियम, 1953 के उपबंधों के अंतर्गत देय उपकर के भुगतान से चाय क्षेत्र को छूट देने का भारत सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है।

गरीबी उपशमन कार्यक्रम

1766. श्री राम कृपाल यादव: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गरीबी उपशमन कार्यक्रमों के अंतर्गत किस सीमा तक सफलता प्राप्त की गई है;

(ख) इसे और प्रभावी बनाने के लिए और क्या प्रयास किए जा रहे हैं;

(ग) क्या विश्व बैंक गरीबी को दूर करने के लिए सहायता प्रदान करता है; और

(घ) यदि हां, तो इसके उपयोग सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकांता पाटील): (क) ग्रामीण विकास मंत्रालय देश के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एसजीआरवाई) तथा स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) नामक दो प्रमुख गरीबी उप-शमन योजनाएं कार्यान्वित करता है। 2003-04 के दौरान एसजीआरवाई के अंतर्गत सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा 5886.74 करोड़ रु. का उपयोग किया गया तथा 7482.93 लाख श्रम दिवसों का रोजगार सृजित किया गया। इसी प्रकार एसजीएसवाई के अंतर्गत 2003-04 के दौरान स्व-रोजगार शुरू करने के लिए 8.96 लाख स्व-रोजगारियों को वित्तीय सहायता देते हुए सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा 1044.25 करोड़ रु. का उपयोग किया गया।

(ख) ग्रामीण विकास मंत्रालय ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के निष्पादन की नियमित समीक्षा तथा निगरानी करता है। मंत्रालय ने ऐसे संसद सदस्यों जिनकी ग्रामीण विकास योजनाओं के कार्यान्वयन में अहम भूमिका होती है, की अध्यक्षता में राज्य/जिला स्तरों पर सतर्कता एवं निगरानी समितियों का पुनर्गठन भी किया है ताकि कार्यक्रमों को और प्रभावी बनाया जा सके।

(ग) और (घ) विश्व बैंक गरीबी को कम करने तथा विशेषकर मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ राज्यों में जिला गरीबी पहल परियोजनाओं के लिए सहायता देता है। इसके अतिरिक्त, आंध्र प्रदेश के 17 जिलों में आंध्र प्रदेश ग्रामीण गरीबी हटाओ परियोजना भी विश्व बैंक की सहायता से कार्यान्वित की जा रही है। आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान तथा छत्तीसगढ़ राज्यों में विश्व बैंक की सहायता से कार्यान्वित की जा रही गरीबी उप-शमन परियोजनाओं के ब्यौरे इस प्रकार हैं:-

(राशि अमेरिकी मिलियन डालर में)

क्र.सं.	परियोजना का नाम	अंशदाता	हस्ताक्षर की तारीख	भुगतान की अंतिम तारीख	परियोजना लागत	ऋण अनुदान की राशि	31.10.04 तक ऋण/अनुदान का उपयोग
1.	आंध्र प्रदेश, जिला गरीबी पहल परियोजना	आईडीए	12.5.2000	31.12.2005	134.80	111	69.463
2.	आंध्र प्रदेश ग्रामीण गरीबी हटाओ परियोजना	आईडीए	3.4.2003	30.9.2008	275.00	150	31.671
3.	मध्य प्रदेश जिला गरीबी पहल परियोजना	आईडीए	5.12.2000	30.6.2006	134.70	110.1	36.550
4.	राजस्थान जिला गरीबी पहल परियोजना	आईडीए	19.5.2000	31.12.2005	124.80	100.5	35.267
5.	छत्तीसगढ़ जिला ग्रामीण गरीबी परियोजना	आईडीए	18.8.2003	31.3.2009	129.35	112.56	5.000

व्यापार केन्द्रों की स्थापना

1767. श्री बृज किशोर त्रिपाठी: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या छोटे किसानों का कृषि व्यापार समूह, संगठन में आमूलचूल परिवर्तन कर इसे ग्रामीण व्यापार के लिए एक आकर्षक उद्यम पूंजी कोष बनाने पर विचार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार छोटी वित्त संस्थाओं के लिए एक संहिता बनाने का है, जिससे कि उनके पंजीकरण विनियम तथा पुन: वित्तपोषण से संबंधित सभी मुद्दों से निपटा जा सके;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश के ग्रामीण भागों में व्यापार केन्द्र स्थापित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) और (ख) छोटे किसानों का कृषि व्यापार सहायता संघ (एसएफएसी) ने कृषि कारोबार परियोजनाओं को उद्यम पूंजी सहायता प्रदान करने तथा आर्थिक रूप से संभाव्य कृषि कारोबार उत्पादों को तैयार करने में उत्पादक समूहों/संगठनों को सहायता प्रदान करने के लिए परियोजना विकास स्थापित करने हेतु एक योजना तैयार की है। इस योजना में भागीदार बैंकों के माध्यम से परिचालित की जाने वाली उद्यम पूंजी के संवितरण और निवेश के लिए एकल खिड़की परिचालन की परिकल्पना की गई है।

(ग) और (घ) वर्ष 1999 में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा व्यष्टि ऋण हेतु समर्थक नीति तथा विनियामक ढांचे के बारे में गठित कृतिक बल ने सिफारिश की है कि केवल ऋण का प्रबंध करने वाली व्यष्टि वित्त संस्थाएं (एमएफआई), ग्राहकों/ऋणधारकों (कतिपय सीमाओं से कम) से ऋण तथा बचत जुटाने वाली व्यष्टि वित्त संस्थाएं विनियामक ढांचे से बाहर रखी जाएं और इसके स्थान पर स्वयमेव विनियमन पर ध्यान केन्द्रित करें। तत्पश्चात् वर्ष 2002 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रो. वी.एस. व्यास की अध्यक्षता में गठित कृषि एवं सम्बद्ध मामलों पर ऋण के प्रवाह संबंधी परामर्शदात्री समिति ने कृतिक बल के समान ही अपने विचार व्यक्त किए। इसलिए भारतीय रिजर्व बैंक ने व्यष्टि वित्त संस्थाओं को तब तक जनता से जमाराशियां स्वीकार करने की अनुमति न प्रदान करने का निर्णय लिया है जब तक वे भारतीय रिजर्व बैंक के विद्यमान विनियामक ढांचे का अनुपालन नहीं करते।

(ङ) पंचायती राज मंत्रालय देश के ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से ग्रामीण कारोबार केन्द्र स्थापित करने की योजना बना रहा है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अवधारणा बैठकों में भाग लेता रहा है तथा नाबार्ड पंचायती राज संस्थाओं को उनके स्टाफ तथा एसएचजी की क्षमता बढ़ाने तथा लेखा बही के रखरखाव, कारोबार कुशलता आदि में प्रशिक्षण के माध्यम से इन केन्द्रों को चलाने के लिए सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव रखता है।

गरीब और पिछड़े राज्यों का औद्योगिकीकरण

1768. श्री गणेश प्रसाद सिंह: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बिहार राज्य तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र के औद्योगिकीकरण के लिए अब तक क्या कदम उठाए हैं;

(ख) क्या सरकार ने बिहार और पूर्वोत्तर क्षेत्र में औद्योगिकीकरण के मूल्यांकन के लिए कोई कंसलटेंसी एजेंसी गठित की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलैंगोवन): (क) से (घ) देश के पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने जून, 1988 में विकास केंद्र योजना की घोषणा की थी। इस योजना के तहत देश भर में स्थापित किए जाने हेतु प्रस्तावित सभी 71 विकास केंद्रों को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। ये विकास केंद्र मौलिक बुनियादी सुविधाओं, जैसे-विद्युत, पानी, दूरसंचार, बैंकिंग आदि से सम्पन्न होंगे, ताकि राज्य उद्योगों को आकर्षित करने में समर्थ हो सकें। बिहार राज्य के लिए पांच विकास-केंद्रों को स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। पूर्वोत्तर राज्यों के लिए दस (10) विकास-केंद्र स्वीकृत किए जा चुके हैं।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दिनांक 24.12.1997 को पूर्वोत्तर औद्योगिक नीति (एनईआईपी) की घोषणा की गई थी। इस नीति के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र में औद्योगिक इकाइयों को विभिन्न रियायतें प्रदान की गई हैं, जिनके अंतर्गत औद्योगिक बुनियादी सुविधाओं का विकास, उत्पाद-शुल्क एवं आयकर से छूट एवं राजसहायता योजनाएं, जैसे केंद्रीय पूंजी निवेश राजसहायता योजना, केंद्रीय ब्याज राजसहायता योजना तथा केंद्रीय व्यापक बीमा योजना शामिल हैं। दिनांक 23.12.2002 को सरकार द्वारा सिक्किम राज्य के लिए एन.ई.आई.पी. के अनुरूप नई औद्योगिक नीति एवं

अन्य रियायतों की घोषणा की गई। मैसर्स टाटा इकोनामिक कंसलटेन्सी सर्विसेज द्वारा पूर्वोत्तर-औद्योगिक नीति (एनईआईपी) का प्रभाव-मूल्यांकन-अध्ययन किया गया है।

पेट्रोलियम उत्पादों पर उपकर में वृद्धि

1769. **श्रीमती मनोरमा माधवराज:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार अवसंरचना क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र के लिए और धनराशि जुटाने के लिए पेट्रोलियम उत्पादों पर उपकर में वृद्धि करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) तथा रेल मंत्रालय ने भी क्रमश: अपने राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम तथा तेज रफ्तार बुलेट ट्रेनों के लिए मंत्रालय से अतिरिक्त सहायता मांगी है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमणिक्कम): (क) इस स्तर पर पेट्रोलियम उत्पादों पर उपकर की वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) उपर्युक्त (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न नहीं उठता।

(ग) उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार वित्त मंत्रालय को रेल मंत्रालय या भा.रा.रा.प्रा. की ओर से ऐसी किसी प्रस्ताव की जानकारी नहीं है।

हवाला कारोबार

1770. **श्री पी.सी. थामस:**
श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार:
श्री पी.के. वासुदेवन नायर:
श्री सी.के. चन्द्रप्पन:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजस्व आसूचना निदेशालय हाल के महीनों में केरल में बड़े पैमाने पर हवाला के माध्यम से आए धन के आरोपों की जांच कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने इन आरोपों पर उचित ध्यान दिया है;

(ग) क्या केरल सरकार ने भी केन्द्र सरकार से इन आरोपों की जांच करने का अनुरोध किया है;

(घ) क्या केरल में विभिन्न सहकारी तथा अन्य बैंकों में आए ऐसे धन के प्रमाण मिले है; और

(ङ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की जा रही है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमणिक्कम): (क) और (ख) जी, नहीं। राजस्व आसूचना निदेशालय हाल के महीनों में केरल में बड़े पैमाने पर हवाला के माध्यम से आए धन के आरोपों की कोई जांच नहीं कर रहा है। तथापि, प्रवर्तन निदेशालय ने बड़े पैमाने पर हवाला लेन-देनों के एक मामले में जांच-पड़ताल पूरा किए जाने पर अड़तीस व्यक्तियों को 31.3.2004 को विदेशी मुद्रा विनिमय प्रबंधन अधिनियम, 1999 के तहत कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

(ग) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

दक्षिण तमिलनाडु में ग्रेफाइट उद्योग

1771. **श्री एस.के. खारवेलथन:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात जानकारी है कि दक्षिण तमिलनाडु में भारी मात्रा में ग्रेफाइट उपलब्ध है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार दक्षिण तमिलनाडु में ग्रेफाइट आधारित कोई उद्योग स्थापित करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) तमिलनाडु राज्य में सभी ग्रेड के ग्रेफाइट का अनुमानित भण्डार लगभग 2.5 लाख टन के आस-पास है।

(ख) से (घ) राज्य सरकार के उपक्रम तमिलनाडु मिनिरल्स लिमिटेड ने प्राधिकरण-संयंत्र के लिए सुविधाओं की व्यवस्था की है तथा वर्ष 2002-03 में तमिलनाडु राज्य में ग्रेफाइट का वार्षिक उत्पादन लगभग 43,300 टन था। केंद्र सरकार को इस संदर्भ में किसी नए प्रस्ताव की जानकारी नहीं है।

[अनुवाद]

तम्बाकू की खरीद

1772. **श्री बाडिगा रामकृष्णा:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तम्बाकू बोर्ड का विचार निर्यात के उद्देश्य के लिए आंध्र प्रदेश के किसानों से सीधे तम्बाकू खरीदने का है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष कितना तम्बाकू खरीदा गया और निर्यात किया गया;

(ग) चालू वर्ष के दौरान कितना तम्बाकू खरीदे जाने की संभावना है;

(घ) किसानों/तम्बाकू उत्पादकों को क्या लाभ प्रदान किए गये हैं;

(ङ) क्या सरकार को तम्बाकू का उत्पादन करने वाले राज्यों की सरकारों से एक प्रस्ताव मिला है जिसमें उन्होंने अपने-अपने राज्यों में उत्पादित तम्बाकू को, किसानों पर जुर्माना लगाए बिना बेचने की अनुमति मांगी है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

वाणिज्यिक बैंकों के लाभ में कमी

1773. **श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि 4 तिमाहियों के अंतर के बाद वर्ष 2004-05 के दूसरी तिमाही में 36 सूचीबद्ध वाणिज्यिक बैंकों के निवल लाभ में 6.58 प्रतिशत की कमी आई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) और (ख) जी, हां। पिछली 6 तिमाहियों में 38 सूचीबद्ध वाणिज्यिक बैंकों के निवल लाभ में कमी होती रही है। इससे संबंधित ब्यौरे निम्नांकित हैं:-

वित्तीय वर्ष	अवधि	तिमाही के दौरान पीएटी	पिछली तिमाही से निवल वृद्धि/कमी	पिछली तिमाही से वृद्धि/कमी का प्रतिशत
2003-04	जून-03	3953.90	412.17	11.64
	सितम्बर-03	4495.91	542.01	13.71
	दिसम्बर-03	4269.34	-226.57	-5.04
	मार्च-04	4855.84	586.50	13.74
2004-05	जून-04	4675.07	-180.77	-3.72
	सितम्बर-04	4075.59	-599.48	-12.82

लाभ में यह कमी विभिन्न कारणों यथा निवल-ब्याज आय अथवा गैर-ब्याज आय में कमी, परिचालनगत व्यय में वृद्धि अथवा उच्च प्रावधानीकरण और बट्टे खाते डालने, प्रतिभूत कारोबार से आय में गिरावट और उच्च कर प्रावधानीकरण से हुई है।

[हिन्दी]

विदेशों में बैंकों की शाखाएं खोलना

1774. **श्री ब्रजेश पाठक:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों ने अपने व्यापार के विस्तार के मद्देनजर विदेशों में अपनी शाखाएं खोली हैं/खोलने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को विदेशी बैंकों द्वारा देश में अपनी शाखाएं खोलने के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे बैंकों का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) और (ख) अपने कारोबार का विस्तार करने के उद्देश्य से आठ राष्ट्रीयकृत बैंकों ने विदेशी केन्द्रों पर 71 शाखाएं खोली हैं। उपर्युक्त आठ में से तीन राष्ट्रीयकृत बैंकों ने विदेशी केन्द्रों पर पांच और शाखाएं खोलने का प्रस्ताव किया है।

(ग) और (घ) भारतीय रिजर्व बैंक को यूबीएस एजी (स्विटजरलैंड में निगमित) से अपने मुम्बई प्रतिनिधि कार्यालय का शाखा में उन्नयन हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। कमर्शियल बैंक आफ सिलोन में भी चेन्नई में शाखा खोलने के लिए प्रस्ताव पेश किया है। भारतीय रिजर्व बैंक को देश में पहले से ही परिचालन कर रहे निम्नलिखित विदेशी बैंकों द्वारा अतिरिक्त शाखाएं खोलने के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं:-

(1) एबीएन एमरो बैंक

(2) सिटी बैंक

(3) हांगकांग एण्ड शंघाई बैंकिंग कार्पोरेशन

(4) स्टैन्डर्ड चार्टर्ड बैंक

(5) ड्यूश बैंक

(6) चोहुंग बैंक

(7) डीबीएस बैंक

[अनुवाद]

हथकरघा उद्योग के लिए विशेषज्ञों की समिति

1775. श्री डी. विट्टल राव: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में असंगठित क्षेत्रों विशेषकर हथकरघा और हस्तशिल्प उद्योग के लिए नीति/दिशा-निर्देश के निर्माण के संबंध में विशेषज्ञों की एक समिति के गठन का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं;

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान बीमार और बंद हो चुकी हथकरघा और हस्तशिल्प की यूनिटों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) इससे कितने कर्मकार प्रभावित होंगे; और

(च) सरकार द्वारा उक्त कर्मकारों के पुनर्वास के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला): (क) भारत सरकार ने असंगठित/विक्षिप्त क्षेत्र में उद्योग से संबंधित एक राष्ट्रीय आयोग स्थापित किया है।

(ख) आयोग में एक पूर्ण कालिक अध्यक्ष, 2 पूर्ण कालिक सदस्य, 2 अंशकालिक सदस्य एवं 1 सदस्य सचिव हैं। 11 सदस्यों की एक सलाहकार समिति भी है। आयोग इसके साथ-साथ असंगठित क्षेत्र की स्थिति की समीक्षा एवं इन उद्योगों की समस्याओं की पहचान करता है तथा विकास रोजगार, निर्यात एवं संवर्धन इत्यादि हेतु विधिक एवं नीतिगत वातावरण संबंधी सुझाव भी देता है। आयोग की अवधि एक वर्ष की है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकेन्द्रीकृत एवं विक्षिप्त क्षेत्र हैं और अधिकांश बुनकर या कारीगर घरेलू उत्पादों पर आधारित हैं। इकाईयों के बीमार और बंद होने की कोई रिपोर्ट नहीं है।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

भारत-गल्फ को-आपरेशन काउंसिल समझौता

1776. श्री रायापति सांबासिवा राव:
श्री हरिश्चन्द्र चव्हाण:
श्री वाई.जी. महाजन:
श्री मोहन रावले:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और गल्फ को-आपरेशन काउंसिल (जीसीसी) ने दोनों देशों के बीच विद्यमान वाणिज्यिक और आर्थिक संबंधों को प्रोत्साहन देने के लिए आर्थिक सहयोग के संबंध में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या कुवैत के वाणिज्य मंत्रालय और विदेश मंत्रालय ने जीसीसी की तरफ से इसके अध्यक्ष ने संबंधित समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ग) यदि हां, तो समझौते का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) भारत और गल्फ को-आपरेशन काउंसिल द्वारा इस समझौते का किस सीमा तक क्रियान्वयन शुरू किया गया है;

(ङ) क्या खाड़ी के कुछ देशों ने भारत से आयात किए जाने वाले खाद्य पदार्थों पर प्रतिबंध लगाया है; और

(च) यदि हां, तो प्रतिबंध के कारण क्या हैं और इन प्रतिबंधों को हटाने के लिए क्या कदन उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) से (ग) जी हां। भारत और खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) ने आर्थिक सहयोग से संबंधित कार्यढांचे करार पर हस्ताक्षर किए हैं। इस करार पर वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, जीसीसी के अध्यक्ष की हैसियत से कुवैत के विदेश मंत्री और जीसीसी के महासचिव द्वारा नई दिल्ली में 25 अगस्त, 2004 को संयुक्त रूप से हस्ताक्षर किए गए थे। इस करार का उद्देश्य व्यापार का विस्तार करना और उदार बनाना और भारत और जीसीसी के बीच आर्थिक सहयोग के स्तर में वृद्धि करना है।

(घ) इस करार पर हस्ताक्षर करने के अनुसरण में दोनों पक्षकारों के बीच एक मुक्त व्यापार करार (एफटीए) से संबंधित साध्यता अध्ययन का कार्य राष्ट्रीय व्यापार सूचना केन्द्र (एनसीटीआई) नई दिल्ली को सौंपा गया है। दिनांक 19 नवम्बर, 2004 को नई दिल्ली में जीसीसी के एक शिष्टमंडल के साथ विचार-विमर्श किया गया था जिसमें दोनों पक्ष अन्य बातों के साथ-साथ इस करार के प्रावधानों के संदर्भ में वार्ता की प्रक्रिया को जारी रखने के लिए सहमत हुए थे।

(ङ) और (च) जी हां। सऊदी अरब ने स्वास्थ्य, पादप स्वच्छता और धार्मिक आधारों पर भारत से कुछ खाद्य मदों के आयात पर प्रतिबंध लगाये हैं। सरकार ने सऊदी अरब सरकार के साथ आर्थिक और वाणिज्यिक मुद्दों के संबंध में कार्रवाई करने वाले सभी द्विपक्षीय मंचों पर इस मुद्दे को उठाया है।

[अनुवाद]

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक में मतदान का अधिकार

1777. श्री असादूद्दीन ओवेसी: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विकासशील देशों को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक में मतदान का अधिकार दिया गया है;

(ख) क्या हां, तो क्या भारत भी उन देशों में से एक देश है जिसे उक्त दोनों एजेंसियों में मतदान का अधिकार है;

(ग) क्या भारत द्वारा अपने प्रशासन में पुनरुद्धार और निर्णय लेने संबंधी प्रस्तावों के कारण इन दोनों संस्थाओं में मतदान के अधिकार का नुकसान हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इन दोनों निकायों में मतदान के अधिकार को बरकरार रखने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/ उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमणिक्कम): (क) जी, हां।

(ख) जी, हां। भारत को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में 21,76,037 मतों में से 41,832 मत समनुदेशित किए गए हैं जो कुल मतों के 1.93% हिस्से का द्योतक है और विश्व बैंक में भारत का हिस्सा कुल 161,618,661 मतों में से 45045 मतों का है जो कुल मतों का 2.78% है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण प्रवाह

1778. श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या शहरी उद्योगों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण प्रवाह बहुत कम है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान बैंकों द्वारा ग्रामीण और शहरी उद्योगों को बैंक-वार, उद्योग-वार और वर्ष-वार कितनी धनराशि दी गई;

(ग) क्या सरकार ने 'कैपिटल वेंचर फंड' की तर्ज पर 'रूरल इंडस्ट्री फंड' की स्थापना करने की सलाह देते हुए बैंकों से कहा है कि वह ग्रामीण उद्योगों को अधिक ऋण प्रदान करें; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमणिक्कम): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

एल.आई.सी. सेवा कर

1779. श्री कीर्तिवर्धन सिंह: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एल आई सी का विचार चालू वर्ष के दौरान सेवा कर के आमेलन का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या एल आई सी ने अपने आरंभिक पब्लिक इश्यू के माध्यम से अपनी पूंजी को बढ़ाने का प्रयास किया है या अपने विकास की गति को बनाए रखने के लिए एल आई सी ने सरकार से आग्रह किया है; और

(घ) यदि हां, तो एल आई सी के अनुरोध पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) और (ख) भारतीय जीवन बीमा निगम (एल आई सी) ने सूचित किया है कि वे एजेंसी कमीशन तथा सभी निवेश संबंधी सेवाओं पर प्रभारित सेवा करों को आमेलन का विचार रखते हैं; पालिसियों के संबंध में एल आई सी सभी पारंपरिक व्यक्तिगत उत्पादों के अंतर्गत आने वाली सेवा कर की लागत उठाएगा। तथापि, विशुद्ध रूप से जोखिम वाले उत्पादों के लिए, जिनमें सामूहिक आवधिक आश्वासन योजनाएं और यूनिट सहबद्ध योजनाएं शामिल हैं, जहां जोखिम प्रीमियम की अंतर्निहितता आसानी से देखी जा सकती है, वहां जोखिम प्रीमियम पर सेवा कर की लागत पालिसी धारक के द्वारा उठाई जाएगी।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

पावरलूम पार्क

1780. श्रीमती सुमित्रा महाजन: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा राज्य-वार और स्थान-वार कितने पावरलूम पार्कों की स्थापना की गई है;

(ख) क्या सरकार का उद्देश्य भविष्य में और अधिक पावरलूम पार्कों की स्थापना का है;

(ग) इन पावरलूम पार्कों द्वारा पावरलूम क्षेत्र के कर्मकारों को किस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है;

(घ) टपस (टेक्नोलाजी अपग्रेडेशन फंड स्कीम) से कितने यूनिटें लाभान्वित हुई हैं; और

(ङ) टी सी आई डी एस (टेक्साइटल सेंटर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम) के कार्यनिष्पादन का ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला): (क) जी नहीं। भारत सरकार द्वारा किसी भी राज्य में अभी भी किसी भी विद्युतकरघा पार्क की स्थापना नहीं की गई है।

(ख) और (ग) जी हां। भारत सरकार हाई-टेक विद्युतकरघा पार्कों की स्थापना को प्रोत्साहन दे रही है जिसमें (1) प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टीयूएफएस), (2) सामूहिक कार्यशाला योजना (जीडब्ल्यूएस) और (3) वस्त्र इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास केन्द्र योजना केन्द्र योजना (टीसीआईडीएस) जैसी योजनाओं के तहत सहायता द्वारा आधुनिकीकृत विद्युतकरघे शामिल हैं। प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टीयूएफएस) जिसमें ब्याज अथवा पूंजी सब्सिडी निहित है, का उद्देश्य वस्त्र क्षेत्र के आधुनिकीकरण में तेजी लाना है ताकि उसे अंतर्राष्ट्रीय रूप से प्रतिस्पर्धी बनाया जा सके। सामूहिक कार्यशाला योजना (जीडब्ल्यूएस) का उद्देश्य विद्युतकरघा कामगारों के कार्यचालन के परिवेश में सुधार लाना है ताकि वे उच्चतर उत्पादकता करने में सक्षम हो सकें और साथ ही निर्धारित प्रौद्योगिकी के बड़े और उन्नत करघों की संस्थापना के लिए विद्युतकरघा उद्यमियों को प्रोत्साहन देना है। टीसीआईडीएस में विद्युतकरघा संकेन्द्रों सहित मौजूदा अथवा उभरते वस्त्र केन्द्रों में जटिल इन्फ्रास्ट्रक्चर में सुधार लाने के लिए केन्द्रीय सहायता प्रदान किए जाने की व्यवस्था है। इन योजनाओं के तहत निम्नलिखित लाभ उपलब्ध हैं:-

प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टीयूएफएस)

* योजना के अनुरूप प्रौद्योगिकीय उन्नयन की परियोजनाओं के लिए वित्तीय संस्थाओं/बैंकों द्वारा प्रभारित ब्याज पर पांच प्रतिशत की प्रतिपूर्ति।

* लघु विद्युतकरघा एककों के लिए 60 लाख रुपए की लागत तक के विद्युतकरघों और प्रारंभिक बुनाई मशीनों के लिए 20% ऋण संबंद्ध पूंजी सब्सिडी का वैकल्पिक देना जिसके साथ व्यापक ऋण के नेटवर्क से ऋण प्राप्त करने की सुविधा दी गई है जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मान्यताप्राप्त सभी सहकारी बैंक और अन्य वास्तविक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) शामिल हैं।

सामूहिक कार्यशाला योजना (जीडब्ल्यूएस)

* कार्यशालाओं के निर्माण के लिए सब्सिडी जो कि अधिकतम 80 रुपए प्रति वर्ग फुट तक एकक के निर्माण की लागत के 25% तक सीमित होगी।

वस्त्र इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास केन्द्र योजना (टीसीआईडीएस)

* सड़क, सामान्य सुविधा, निकासी, विद्युत आपूर्ति आदि जैसे जटिल इन्फ्रास्ट्रक्चर का विकास करने के लिए सब्सिडी जो कि 20.00 करोड़ रुपए प्रति समूह तक सीमित होगी।

उपर्युक्त योजनाओं के अतिरिक्त भारत सरकार ने भारतीय जीवन बीमा निगम के सहयोग से जुलाई, 2003 में सामूहिक बीमा योजना शुरू की है जिसके तहत 18 से 59 वर्ष के बीच की आयु और गरीबी की रेखा के नीचे अथवा गरीबी की रेखा से मामूली ऊपर रहने वाले विद्युतकरघा बुनकर जनश्री बीमा योजना के तहत दुर्घटना में मृत्यु हो जाने/स्थाई रूप से विकलांग हो जाने की स्थिति में 50,000 रुपए, स्थाई रूप से आंशिक विकलांग हो जाने की स्थिति में 25,000 रुपए अथवा स्वाभाविक मृत्यु हो जाने/आंशिक विकलांग हो जाने की स्थिति में 20,000 रुपए के बीमा कवरेज के पात्र हैं। 200 रुपए से वार्षिक प्रीमियम में केन्द्रीय सरकार, लाभभोगी और एल.आई.सी. द्वारा क्रमश: 60 रु., 40 रु. और 100 रु. का अंशदान दिया जाएगा। एड आन योजना के तहत स्वाभाविक और दुर्घटना में मृत्यु हो जाने की स्थिति में 30,000 रुपए का अतिरिक्त बीमा कवरेज, 180 रुपए के वार्षिक प्रीमियम पर उपलब्ध कराया जाता है जिसमें केन्द्रीय सरकार और लाभभोगी द्वारा समान रूप से भागीदारी की जाएगी। इसका भुगतान करने पर बुनकर संचयी लाभ प्राप्त कर सकता है। अद्यतन स्थिति के अनुसार इस योजना के तहत 50,478 विद्युतकरघा बुनकरों को शामिल कर लिया गया है और भारत सरकार ने इस योजना में अपने अंशदान के रूप में 38.42 लाख रुपए की राशि जारी कर दी है।

(घ) प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टीयूएफएस) के तहत प्रगति

* 31 अक्तूबर, 2004 तक इस योजना के तहत 25,115 करोड़ रुपए की परियोजना लागत के कुल 3599 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। 20,367 करोड़ रुपए की परियोजना लागत के 3361 आवेदन पत्रों पर 9271 करोड़ रुपए की ऋण राशि की मंजूरी दे दी गई है। 15,565 करोड़ रुपए की परियोजना लागत के 2816 आवेदन पत्रों के संबंध में 6281 करोड़ रुपए की राशि संवितरित कर दी गई है।

* प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टीयूएफएस) के पांच प्रतिशत के सब्सिडी-संघटक के तहत 262.87 करोड़ रुपए की परियोजना लागत वाले 368 विद्युतकरघा एककों को 164.73 करोड़ रुपए की राशि की मंजूरी कर दी गई है जिसमें से 30 अक्तूबर, 2004 तक 290 विद्युतकरघा एककों को 85.57 करोड़ रुपए की राशि संवितरित कर दी गई है।

* प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टीयूएफएस) के 20 प्रतिशत के पूंजी सब्सिडी संघटक के तहत विद्युतकरघा एककों के लिए 30 नवंबर, 2004 तक मशीनों में कुल 35.86 करोड़ रुपए के निवेश वाले 150 मामले प्राप्त हुए हैं। 86 मामलों में 3.19 करोड़ रुपए की सब्सिडी की राशि जारी कर दी गई है और अन्य मामलों पर विभिन्न चरणों में कार्रवाई चल रही है।

(ङ) आज तक आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, जम्मू और कश्मीर तथा तमिलनाडु राज्यों में सरकार ने 16 टीसीआईडीएस परियोजनाओं का अनुमोदन किया है। अनुमोदित परियोजनाएं क्रियान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। प्रतिपूर्ति के आधार पर विभिन्न अनुमोदित टीसीआईडीएस परियोजनाओं के लिए 11.95 करोड़ रुपए मूल्य का केन्द्रीय सहायता अनुदान जारी किया गया है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय वस्त्र निगम की मिलों का बंद होना

1781. श्री मोहन रावले: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा कपड़ा मिलों के बंद होने के परिणामस्वरूप बेरोजगार हुए कर्मकारों के पुनर्वास के लिए क्या नीति बनाई गई है;

(ख) क्या सरकार द्वारा बेरोजगार कर्मकारों को प्रशिक्षण उपलब्ध कराने हेतु नेशनल इंस्टिट्यूट आफ फैशन टेक्नोलाजी (एन आई एफ टी) से सहायता प्राप्त करने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला): (क) भारी उद्योग मंत्रालय, लोक उद्यम विभाग ने सार्वजनिक क्षेत्र के केन्द्रीय उपक्रमों के उन कर्मचारियों को परामर्श देने, पुन: प्रशिक्षण देने और पुन: तैनात करने के लिए एक योजना बनाई है जिन्हें स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना सहित विभिन्न कारणों से सेवानिवृत्ति के पूर्व कार्यमुक्त कर दिया गया है/जो बेकार हो गए हैं।

(ख) से (घ) जी, नहीं।

[अनुवाद]

सामाजिक वानिकी परियोजनाएं

1782. श्री जुएल ओराम: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार कुछ राज्यों में सामाजिक वानिकी परियोजनाओं के लिए धन उपलब्ध करा रही है;

(ख) यदि हां, तो इन परियोजनाओं के लिए किन राज्यों में धन उपलब्ध कराया जा रहा है;

(ग) इन परियोजनाओं को आबंटित की गई धनराशि का परियोजना-वार और राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन परियोजनाओं की वर्तमान में क्या स्थिति है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकांता पाटील): (क) से (घ) मंत्रालय में सामाजिक वानिकी परियोजनाओं को वित्तपोषित करने की कोई विशिष्ट योजना नहीं है। तथापि यह मंत्रालय ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों के लिए स्व-रोजगार के स्थायी अवसर सृजित करने के लिए स्वर्णजयंती ग्राम स्व-रोजगार योजना के अंतर्गत विशेष परियोजनाएं स्वीकृत कर रहा है जिसमें वन क्षेत्र की परियोजनाएं भी शामिल हैं। वन क्षेत्र के अंतर्गत स्वीकृत विशेष परियोजनाओं के राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। सभी सातों परियोजनाएं कार्यान्वयनाधीन हैं और दो परियोजनाओं को दूसरी किस्त मिल चुकी है।

विवरण

वानिकी क्षेत्र में एस.जी.एस.वाई. के अंतर्गत विशेष परियोजनाएं

क्र.सं.	परियोजना का नाम	राज्य	क्षेत्र	क्षेत्र कोड	कार्यान्वयन एजेंसी	किस अवधि में परियोजना मंजूर हुई	परियोजना अवधि	कुल परियोजना लागत	केन्द्रीय अंश	रिलीज की गई केन्द्रीय निधियां			कुल केन्द्रीय रिलीज
										पहली किस्त	दूसरी किस्त	तीसरी किस्त	
1.	जिला धमतरी, छत्तीसगढ़ में समेकित संसाधन विकास की परियोजना	छत्तीसगढ़	वानिकी	6	डीआरडीए धमतरी	2003-04 (1.09.03)	2 वर्ष	1350.000	896.250	358.500	358.500	-	717.000
2.	कोकुम पौधरोपण, एकत्रीकरण और प्रसंस्करण को प्रोत्साहित करके एसएचजी द्वारा ग्रामीण गरीबों का सशक्तिकरण, सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र	महाराष्ट्र	वानिकी	6	डीआरडीए, सिंधुदुर्ग	2003-04 (7.6.04)	5 वर्ष	298.420	186.590	74.640	-	-	74.640
3.	सिधि जिले में जीविकोपार्जक व्यवस्था को फिर से चालू करके स्थायी रोजगार	मध्य प्रदेश	वानिकी	6	जिला परिषद, सिधि	2002-2003 (28.3.02)	3 वर्ष	1230.550	922.875	369.150	-	-	369.150
4.	शहडोल, म.प्र. में अवक्रमित राजस्व वन भूमि में वानिकी क्रियाकलापों के जरिए स्थायी रोजगार	मध्य प्रदेश	वानिकी	6	जिला परिषद, शहडोल	2003-04 (6.02.04)	3 वर्ष	250.000	112.500	45.000	-	-	45.000
5.	दमोह, म.प्र. में अवक्रमित राजस्व वन भूमि में वानिकी क्रियाकलापों के जरिए स्थायी रोजगार	मध्य प्रदेश	वानिकी	6	जिला परिषद, दमोह	2003-04 (6.02.04)	5 वर्ष	500.000	225.000	90.000	-	-	90.000
6.	छतरपुर, म.प्र. में अवक्रमित राजस्व वन भूमि में वानिकी क्रियाकलापों के जरिए स्थायी रोजगार	मध्य प्रदेश	वानिकी	6	जिला परिषद, छतरपुर	2003-04 (6.02.04)	3 वर्ष	600.000	270.00	108.000	-	-	108.000
7.	राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के चुनिंदा गांवों में बी पी एल परिवारों के लिए व्यापक सामुदायिक विकास परियोजना हेतु एस जी एस वाई के अंतर्गत विशेष परियोजना	राजस्थान	वानिकी	6	वन विभाग, बांसवाड़ा	2002-03 (24.10.2002)	2 वर्ष	241.000	180.750	72.300	72.300	-	144.600
	कुल							4469.920	2793.965	1117.590	430.800	0.000	1548.390

[अनुवाद]

न्यायालयों का कंप्यूटरीकरण

1783. श्री सनत कुमार मंडल: क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कंप्यूटरीकरण के लिए चार बड़े महानगरों के कुछ न्यायालयों का चयन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसा कंप्यूटरीकरण केवल उच्च न्यायालयों तक ही सीमित रहेगा या इसका विस्तार ऐसे शहरों की जिला न्यायालयों तक भी किया जाएगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. वेंकटपति): (क) जी हां।

(ख) सरकार ने चेन्नई, दिल्ली, मुंबई और कोलकाता के चार महानगरों में नगर सिविल न्यायालयों के कंप्यूटरीकरण की स्कीम कार्यान्वित की है और अभी तक इस स्कीम के अधीन 17.80 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं।

(ग) और (घ) ऐसे नगरों में कंप्यूटरीकरण को उच्च न्यायालयों तक ही सीमित नहीं रखा जाएगा बल्कि इसे जिला न्यायालयों में भी किया जाएगा। सरकार ने, राज्यों की राजधानियों में या ऐसे स्थानों में, जहां उच्च न्यायालयों की प्रधान न्यायपीठें अवस्थित हैं, स्थित नगर न्यायालयों के कंप्यूटरीकरण के लिए 24.24 करोड़ रुपए की राशि भी जारी कर दी है। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के कंप्यूटरीकरण की एक स्कीम भी सक्रिय रूप से सरकार के विचाराधीन है।

[अनुवाद]

उपभोक्ता संरक्षण के लिए धनराशि

1784. श्री कैलाश मेघवाल: क्या **कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उपभोक्ता संरक्षण और जागरूकता के लिए कंपनी कार्य विभाग और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के पास पृथक-पृथक धनराशि उपलब्ध है;

(ख) यदि हां, तो डी सी ए द्वारा इस उद्देश्य के लिए अभी तक कितनी धनराशि का उपयोग किया गया है;

(ग) क्या सरकार का विचार डी सी ए के पास उपलब्ध इनवेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड को सेबी में हस्तांतरित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कंपनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रेमचन्द गुप्ता): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

आदेश सुनाना

1785. श्री पवन कुमार बंसल: क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा अधिसंख्य मामलों में बहस की समाप्ति के बाद निर्णयों को सुरक्षित रखा जाता है और लंबे समय के बाद भी आदेश नहीं सुनाया जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या आदेशों को निश्चित समय पर सुनाए जाने के लिए कोई मानक तय किए गए हैं; और

(ग) देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों में क्रमश: छह महीने, एक वर्ष और एक वर्ष की अवधि से अधिक के ऐसे कितने मामले लंबित हैं जिनमें आदेश अभी तक नहीं सुनाए गए हैं?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. वेंकटपति): (क) उपलब्ध जानकारी के अनुसार, 31 दिसंबर, 2003 को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में 173 मामले, कर्नाटक उच्च न्यायालय में 60 मामले, उत्तरांचल उच्च न्यायालय में 12 मामले तथा 30 जून, 2003 को कलकत्ता उच्च न्यायालय में 38 मामले ऐसे थे जिनमें निर्णय सुरक्षित रखे गए थे। जहां तक अन्य उच्च न्यायालयों का संबंध है, उनमें ऐसे कोई मामले नहीं थे जिनमें निर्णय सुरक्षित रखे गए हों।

(ख) सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2002 के आदेश 20 के नियम (1)(i) में निम्नलिखित उपबंध है:-

"न्यायालय, मामले की सुनवाई कर लेने के पश्चात् निर्णय खुले न्यायालय में या तो तुरंत या तत्पश्चात् यथासाध्यशीघ्र सुनाएगा और जब निर्णय किसी भविष्यवर्ती दिन को सुनाया जाना है जब न्यायालय उस प्रयोजन के लिए कोई दिन नियत करेगा जिसके सम्यक् सूचना पक्षकारों या उनके प्लीडरों को दी जाएगी:

परंतु जहां निर्णय तुरंत नहीं सुनाया गया है वहां न्यायालय, उस तारीख से, जिसको मामले की सुनवाई समाप्त हुई थी, तीस दिन के भीतर निर्णय सुनाने का पूरा प्रयास करेगा किंतु जहां मामले की आपवादिक और असाधारण परिस्थितियों के आधार पर ऐसा करना साध्य नहीं है वहां न्यायालय, निर्णय सुनाने के लिए कोई भविष्यवर्ती दिन नियत करेगा और ऐसा दिन साधारणत: उस तारीख से, जिसको मामले की सुनवाई समाप्त हुई थी, साठ दिन के बाद का नहीं होगा और इस प्रकार नियत किए गए दिन की सम्यक् सूचना पक्षकारों या उनके प्लीडरों को दी जाएगी।"

(ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

क्र.सं.	उच्च न्यायालय	ऐसे मामलों की संख्या, जिनमें निर्णय निम्नलिखित समय से सुरक्षित रखे गए हैं				निम्नलिखित तारीख को
		1 मास से अधिक किंतु 2 मास से कम	2 से 4 मास	4 से 6 मास	6 मास से अधिक	
1	2	3	4	5	6	7
1.	इलाहाबाद	0	0	0	0	31.12.03
2.	आंध्र प्रदेश	0	0	0	0	31.12.03
3.	बम्बई	0	0	0	0	31.12.03
4.	कलकत्ता	13	25	0	0	30.06.03
5.	दिल्ली*	0	0	0	0	31.12.03
6.	गुजरात	0	0	0	0	31.12.03
7.	गुवाहाटी	0	0	0	0	31.12.03
8.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	31.12.03
9.	जम्मू-कश्मीर	0	0	0	0	31.12.03
10.	कर्नाटक	46	14	0	0	31.12.03
11.	केरल	0	0	0	0	31.12.03
12.	मद्रास	0	0	0	0	31.12.03
13.	मध्य प्रदेश	173	0	0	0	31.12.03
14.	उड़ीसा	0	0	0	0	31.12.03
15.	पटना	0	0	0	0	31.12.03

1	2	3	4	5	6	7
16.	पंजाब और हरियाणा	0	0	0	0	31.12.03
17.	राजस्थान	0	0	0	0	31.12.03
18.	सिक्किम	0	0	0	0	31.12.03
19.	उत्तरांचल	10	2	0	0	31.12.03
20.	झारखंड+					
21.	छत्तीसगढ़+					
	योग	242	41			

*माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने ऊपर वर्णित अवधि की अपनी रिपोर्ट में अपेक्षित जानकारी नहीं भेजी है।

+दोनों माननीय उच्च न्यायालयों ने कोई त्रैमासिक रिपोर्ट नहीं भेजी है।

[अनुवाद]

त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम
(ए आर डब्ल्यू एस पी)

1786. श्री जसुभाई दानाभाई बारड़: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को राज्य सरकारों से चालू वित्त वर्ष के दौरान त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम (ए आर डब्ल्यू एस पी) के अंतर्गत धनराशि को बढ़ाने के संबंध में कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) राज्य-वार कितने धन का आवंटन किया गया है?

ग्रामीण विकास मंत्री (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह): (क) और (ख) राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के कार्य-निष्पादन और उनकी आवश्यकता एवं उनसे प्राप्त अनुरोधों के आधार पर भारत सरकार त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम (ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी.) के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को समय-समय पर अतिरिक्त निधियां मुहैया कराती रही है।

(ग) चालू वर्ष के दौरान, अक्टूबर, 2004 में त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 3148 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं जिसमें 248 करोड़ रुपए का अतिरिक्त आबंटन शामिल है। ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी. के विभिन्न घटकों के अंतर्गत आबंटित निधियों के राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

वर्ष 2004-2005 के दौरान ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी. के विभिन्न घटकों के अंतर्गत राज्यवार आबंटन

(लाख रुपए में)

क्र.सं	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आबंटन				कुल
		एआरडब्ल्यूएसपी सामान्य	एआरडब्ल्यूएसपी-डीडीपी	प्रधान मंत्री का कार्यक्रम	स्वजलधारा	
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	13084.00	676.40	8827.80	1632.65	24220.85
2.	बिहार	7405.00	0.00	0.00	932.98	8328.98

1	2	3	4	5	6	7
3.	छत्तीसगढ़	2663.00	0.00	0.00	332.20	2995.20
4.	गोवा	121.00	0.00	0.00	15.04	136.04
5.	गुजरात	6623.00	74.35	833.64	826.42	8356.41
6.	हरियाणा	1974.00	733.00	23.27	246.48	2976.75
7.	हिमाचल प्रदेश	5427.00	11.20	0.00	677.16	6115.36
8.	जम्मू-कश्मीर	12502.00	366.60	655.65	1560.02	15084.27
9.	झारखंड	2949.00	0.00	265.30	368.12	3582.42
10.	कर्नाटक	10046.00	1731.55	2081.65	1253.54	15112.74
11.	केरल	3946.00	0.00	0.00	492.54	4438.54
12.	मध्य प्रदेश	7745.00	0.00	2882.22	966.49	11593.71
13.	महाराष्ट्र	15971.00	0.00	4583.46	1992.80	22547.26
14.	उड़ीसा	6934.00	0.00	1792.98	865.23	9592.21
15.	पंजाब	2815.00	0.00	143.16	351.11	3309.27
16.	राजस्थान	20392.00	8847.90	2382.82	2544.51	34167.23
17.	तमिलनाडु	7125.00	0.00	1525.65	889.10	9539.75
18.	उत्तरांचल	3035.00	0.00	0.00	378.67	3413.67
19.	उत्तर प्रदेश	12991.00	0.00	719.64	1621.06	15403.70
20.	पश्चिम बंगाल	8527.00	0.00	2312.29	1064.06	11903.35
21.	अंड. व नि. द्वीप	5.63	0.00	0.00	12.69	18.32
22.	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.	दा. और न. हवेली	3.75	0.00	0.00	8.46	12.21
24.	दमन व दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25.	दिल्ली	2.81	0.00	0.00	6.35	9.16
26.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27.	पांडिचेरी	2.81	0.00	0.00	6.35	9.16
28.	अरुणाचल प्रदेश	6125.00	0.00	0.00	473.76	6598.76
29.	असम	10331.00	0.00	4184.75	797.36	15313.11

1	2	3	4	5	6	7
30.	मणिपुर	2103.00	0.00	0.00	162.86	2265.86
31.	मेघालय	2422.00	0.00	253.49	186.12	2861.61
32.	मिजोरम	1737.00	0.00	75.69	133.25	1945.94
33.	नागालैंड	1782.00	0.00	0.00	137.48	1919.48
34.	सिक्किम	731.00	0.00	72.59	57.11	860.70
35.	त्रिपुरा	2149.00	0.00	526.82	164.97	2840.79
	उप योग (क)	179670.00	12440.00	34214.87	21147.94	247472.81

नोट: उपर्युक्त राज्य-वार आबंटन के अलावा, एआरडब्ल्यूएसपी के अन्य विभिन्न घटकों के लिए निम्नलिखित धनराशि निर्धारित की गई है

स्वजलधारा एवं क्षेत्र सुधार परियोजनाओं के अंतर्गत विगत वर्षों की प्रतिबद्ध देयता	36852.06
प्रधान मंत्री के कार्यक्रम के अंतर्गत विगत वर्ष की प्रतिबद्ध देयता	6785.13
आपदा राहत के लिए निर्धारित निधि	17690.00
सहायक कार्यकलापों अर्थात् एचआरडी, आईईसी, एमआईएस आदि के लिए निर्धारित निधि	10,000.00
उपयोग (ख)	67,327.19
कुल (क+ख)	314800.00

[हिन्दी]

राष्ट्रीय वस्त्र निगम की मिलों का आधुनिकीकरण

1787. श्री वाई.जी. महाजन:
श्री महेश कनोडीया:
प्रो. रासा सिंह रावत:

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय वस्त्र निगम की मिलों के आधुनिकीकरण के लिए निर्मित वस्त्र निधि की धनराशि में वृद्धि की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) वस्त्र निधि की वर्तमान धनराशि का ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) बी.आई.एफ.आर. ने 736.00 करोड़ रु. की अनुमानित लागत पर 66 गैर-अर्थक्षम मिलों को बंद करने और 53 अर्थक्षम मिलों के आधुनिकीकरण की परिकल्पना करते हुए राष्ट्रीय वस्त्र निगम के लिए पुनर्वास योजना पहले ही मंजूर कर दी है। इस योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

[अनुवाद]

प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना

1788. श्री बृज किशोर त्रिपाठी: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एशियाई विकास बैंक ने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के लिए दिए जाने वाले ऋण में वृद्धि की है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे ऋण के लिए नियत निबंधन एवं शर्तों का ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा अभी तक इस बैंक से प्राप्त किए गए ऋण का ब्यौरा क्या है; और

(घ) केंद्र सरकार द्वारा उक्त योजना हेतु विभिन्न राज्यों को अभी तक प्रदान किए गए एशियाई विकास बैंक के ऋण का ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकांता पाटील): (क) जी, हां।

(ख) एशियाई विकास बैंक ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्यों में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना कार्यों को आरंभ करने के लिए 400 मिलियन अमरीकी डालर का ऋण अनुमोदित किया है। ऋण का अस्थगन काल 5 वर्ष है और तत्पश्चात् ऋण अदायगी की अवधि 20 वर्ष है। ब्याज की दर का परिकलन सामान्य प्रक्रिया के अनुसार 'लिबार' प्लस के आधार पर किया जाता है।

(ग) और (घ) दिनांक 25.11.2004 को एशियाई विकास बैंक के साथ करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं। परियोजना के लिए 2004-05 के दौरान 100 करोड़ रुपए का बजट आवंटन किया गया है।

[अनुवाद]

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों पर प्रतिबंध

1789. श्रीमती मनोरमा माधवराज: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में जनता से निक्षेप प्राप्त करने के संबंध में सहारा और पीयरलैस जैसी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के विरुद्ध यह कदम इसलिए उठाया है, क्योंकि सरकार को इन कंपनियों में वित्तीय अनियमितताओं का पता चला था;

(ग) क्या किसी जमाकर्त्ता मंच ने विनियामक प्राधिकरण को परिपक्वता के संबंध में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा धोखाधड़ी अथवा निक्षेप का भुगतान न करने की शिकायत की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमणिक्कम): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक (आर बी आई) ने सूचित किया है कि उपर्युक्त दो कंपनियों के विरुद्ध किसी जमाकर्त्ता मंच से कोई शिकायत नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

मध्यावधि समीक्षा

1790. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने 2004-05 के लिए वार्षिक नीति स्टेटमेंट की मध्यवार्षि समीक्षा करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या नई ऋण नीति अधिक संख्या में कर्जदारों को शामिल करने के लिए मार्ग निर्देशों को सरल बनाएगी; और

(ग) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमणिक्कम): (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) प्रति वर्ष वार्षिक नीति विवरण की एक मध्यावधि समीक्षा प्रस्तुत करता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने दिनांक 26 अक्तूबर, 2004 को वर्ष 2004-05 के लिए मध्यावधि समीक्षा जारी की थी। ऋण आपूर्ति को बेहतर बनाने के लिए मध्यावधि समीक्षा में कई उपायों की घोषणा की गई है। इनमें, अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित उपाय शामिल हैं:

(1) खेती क्षेत्र में क्रेडिट की डिलीवरी के लिए सेवा क्षेत्र तक पहुंचाने का प्रबंध कर लिया गया है।

(2) कृषि मशीनरी में व्यापारियों के लिए प्राथमिकता क्षेत्र के अधीन अग्रिमों की सीमा को 20 लाख रु. से बढ़ाकर 30 लाख कर दिया गया और संबद्ध कार्यकलापों हेतु काम में आने वाली सामग्रियों (इनपुट्स) के वितरण के लिए 25 लाख रु. से बढ़ाकर 40 लाख रुपए कर दिया गया।

(3) बैंकों द्वारा मार्च, 2007 तक विशेष कृषि क्रेडिट योजनाओं के अधीन लघु एवं सीमान्त किसानों को अपने संवितरणों को उनके प्रत्यक्ष अग्रिमों के 40 प्रतिशत तक बढ़ाना।

(4) वर्ष 2005-06 से निजी क्षेत्र के बैंकों को विशेष कृषि क्रेडिट योजनाओं की व्यवस्था का विस्तार/निजी क्षेत्र के बैंकों को कृषि को अपने क्रेडिट देने में कम से कम 20-25 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि का लक्ष्य रखने का आग्रह किया गया है।

(5) लघु उद्योगों के लिए मिश्रित ऋण सीमा को 50 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ रु. करना।

(6) बैंकों द्वारा आवास हेतु 15 लाख रु. के प्रत्यक्ष वित्तपोषण को प्राथमिकता क्षेत्र को उधार के रूप में माना जाना।

उपर्युक्त उपायों से कृषि और अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों को उच्च क्रेडिट संवितरण प्राप्त होने की संभावना है।

[अनुवाद]

तम्बाकू की फसल की मात्रा

1791. **श्री बाडिगा रामकृष्णा:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक के किसानों द्वारा तम्बाकू की फसल की मात्रा के संबंध में निर्णय लेने के लिए दिए गए प्रतिवेदन पर विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने इस संबंध में कोई निर्णय लिया है;

(ग) क्या तम्बाकू बोर्ड ने वर्ष 2004-05 में आंध्र प्रदेश में वर्जीनिया तम्बाकू फसल की मात्रा 111.06 मिलियन किलो निर्धारित की है जो कि पिछले सीजन के बराबर है;

(घ) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने कर्नाटक में भिन्न मात्रा में फसल उगाने का निर्णय लिया है; और

(ङ) यदि हां, तो आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक में भिन्न-भिन्न मात्रा में फसल की मात्रा निर्धारित करने के मुख्य कारण क्या हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलैंगोवन): (क), (ख) और (घ) जी हां, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश राज्यों के लिए फ्लू क्योर्ड वर्जीनिया (एफसीवी) तम्बाकू बोर्ड द्वारा निर्धारित कर दी गई है। तम्बाकू बोर्ड द्वारा भेजे गए तक पत्र पर कर्नाटक के लिए 2004-05 की फसल की मात्रा सरकार द्वारा 67 मिलियन कि.ग्रा. निर्धारित की गई है।

(ग) जी हां।

(ङ) दोनों राज्यों की फसल की मात्रा व्यापार से मांग के अनुमान, निर्यात का रूख, बचे हुए स्टाक, ग्राहक की वरीयताओं आदि को ध्यान में रखते हुए निर्धारित की जाती है।

[अनुवाद]

गैर-कृषि क्षेत्र के विकास के लिए योजना

1792. **श्री डी. विट्टल राव:**
श्री कमला प्रसाद रावत:
श्रीमती सी.एस. सुजाता:
श्री जसुभाई दानाभाई बारड़:
श्री सर्वे सत्यनारायण:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार ग्रामीण व्यवसाय केन्द्र सृजित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार ग्रामीण क्षेत्रों में सूखा प्रभावित लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने का है;

(घ) यदि हां, तो इस तंत्र का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) ग्रामीण महिलाओं को सतत रोजगार दिलाने के लिए कौन सी योजनाएं चलायी जा रही हैं और इसके लिए मानदण्ड क्या हैं और लाभान्वितों/सम्भावित लाभान्वितों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(च) किसानों को लाभान्वित करने के लिए बाजार की आधारभूत संरचना के विस्तार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकांता पाटील): (क) और (ख) ग्रामीण व्यावसायिक केन्द्रों को बनाने संबंधी कोई भी निर्णय अभी तक नहीं लिया गया है।

(ग) से (ङ) ग्रामीण विकास मंत्रालय देश के सूखे से प्रभावित क्षेत्रों सहित ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को रोजगार अवसर मुहैया कराने के लिए स्वर्णजयंती ग्राम स्व-रोजगार योजना (एसजीएसवाई) नामक स्वरोजगार योजना तथा संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एसजीआरवाई) नामक मजदूरी रोजगार योजना राज्य सरकारों के जरिए कार्यान्वित कर रहा है। एसजीएसवाई के अंतर्गत स्व-सहायता समूह बनाए जा रहे हैं जिसमें 40 प्रतिशत लाभार्थी महिलाएं हैं। एसजीआरवाई को केन्द्र

द्वारा प्रायोजित योजना के रूप में कार्यान्वित किया जा रहा है तथा इसकी लागत को केन्द्र और राज्यों द्वारा वहन किया जाता है। कार्यक्रम के नकद घटक को केन्द्र और राज्यों के बीच 75:25 के अनुपात में वहन किया जाता है। आपदा से प्रभावित ग्रामीण क्षेत्रों में अनुपूरक आधार पर रोजगार मुहैया कराने के लिए एसजीआरवाई के अंतर्गत विशेष घटक का प्रावधान भी है।

(च) एसजीएसवाई के अंतर्गत पूर्वोत्तर राज्यों के मामले में 25 प्रतिशत और अन्य राज्यों के मामले में 20 प्रतिशत आबंटन आधारभूत सुविधाओं के लिए है, जिसमें किसानों के लाभ के लिए विपणन संबंधी सुविधाओं को बढ़ाना भी शामिल है।

[अनुवाद]

विमानन क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

1793. श्री रायापति सांबासिवा राव: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वित्त मंत्रालय ने यह अनुशंसा की है कि विदेशी एयरलाइनों को भारतीय विमानन बाजार में निवेश की अनुमति दे दी जाए;

(ख) यदि हां, तो क्या वित्त मंत्रालय यह भी चाहता है कि विमानन क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश स्वायत्तशासी मार्ग के जरिए किया जाए;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने विमानन क्षेत्र में विदेशी एयरलाइनों को इक्विटी-प्राप्त करने की अनुमति देने का कोई निर्णय लिया है; और

(घ) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) से (घ) सरकार ने स्वत: मार्ग के जरिये "वायु परिवहन सेवा (घरेलू एयरलाइन्स)" में 49 प्रतिशत तक तथा अप्रवासी भारतीयों (एनआरआई) द्वारा 100 प्रतिशत तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश संबंधी सीमाओं को बढ़ा दिया है। विदेशी एयरलाइनों द्वारा किसी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष इक्विटी भागीदारी की अनुमति नहीं है।

[अनुवाद]

गरीबी उपशमन के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंक सहायता

1794. श्री सनत कुमार मंडल: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंक ने गरीबी उपशमन कार्यक्रमों की सहायतार्थ हाल ही में भारत को ऋण मंजूर किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यह धनराशि किन राज्यों में उपलब्ध करायी जाने की संभावना है; और

(घ) चालू वर्ष के दौरान जारी की जाने वाली वास्तविक धनराशि की राज्य-वार स्थिति क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष गरीबी उपशमन कार्यक्रमों से संबंधित परियोजनाओं के लिए भारत को सहायता प्रदान नहीं करता। हालांकि, विश्व बैंक द्वारा भारत को दी जाने वाली हर प्रकार की सहायता में गरीबी उपशमन एक मूल उद्देश्य होता है लेकिन चालू वित्तीय वर्ष के दौरान विश्व बैंक ने गरीबी उपशमन से संबंधित किसी विशिष्ट परियोजना को मंजूरी नहीं दी है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

नई-अफीम नीति

1795. श्री कैलाश मेघवाल: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वर्ष 2005-06 के लिए नई अफीम नीति की घोषणा कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या किसानों ने इस नीति का विरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) सरकार द्वारा फसल वर्ष 2005-2006 के लिए अफीम लाइसेंसिंग (नीति) अभी घोषित नहीं की गई है।

(ख) से (ङ) उपर्युक्त (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

मतदाता पहचान पत्र

1796. श्री पवन कुमार बंसल: क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता पहचान पत्र उपलब्ध कराने में कोई प्रगति हुई है;

(ख) निर्वाचन आयोग द्वारा अब तक उपलब्ध कराए गए पहचान पत्रों की राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार प्रतिशतता कितनी है;

(ग) इस पर कुल कितना खर्च हुआ;

(घ) सभी मतदाताओं को ऐसे पहचान पत्र कब तक उपलब्ध करा दिए जाने तथा चुनाव में मतदाता को अपना वोट डालने हेतु इसका उपयोग कब तक अनिवार्य कर दिए जाने की संभावना है; और

(ङ) सरकार द्वारा ऐसे पहचान पत्रों को तैयार करने तथा इनको मतदाता सूचियों में दर्शाने के संबंध में अब तक ध्यान में आई कमियों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. वेंकटपति): (क) जी हां। निर्वाचन आयोग ने यह सूचना दी है कि पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्वाचक फोटो पहचान पत्र उपलब्ध कराने के कार्य में काफी प्रगति हुई है। पिछले तीन वर्षों के दौरान लगभग 7 करोड़ निर्वाचकों को निर्वाचक फोटो पहचान पत्र उपलब्ध कराए जा चुके हैं।

(ख) वर्ष 2004 की नामावली में ऐसे निर्वाचकों का, जिन्हें निर्वाचक फोटो पहचान पत्र उपलब्ध करा दिए गए हैं, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार प्रतिशत दर्शित करने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) निर्वाचक फोटो पहचान पत्र तैयार करने में होने वाले व्यय का केंद्रीय और राज्य सरकारों के बीच 50:50 के आधार पर अंशभाजन किया जाता है। निर्वाचक फोटो पहचान पत्र जारी किए जाने पर होने वाले व्यय में से भारत सरकार के अंश के रूप में 526,53,13,000 रुपए की राशि राज्य सरकारों को जारी की जा चुकी है।

(घ) निर्वाचन आयोग ने यह कहा है कि निर्वाचकों का रजिस्ट्रीकरण, नामांकन फाइल करने की अंतिम तारीख और निर्वाचन प्रक्रिया समाप्त होने तक के बीच की संक्षिप्त अवधि को छोड़कर, एक सतत प्रक्रिया है। अत:, रजिस्ट्रीकृत निर्वाचकों को निर्वाचक फोटो पहचान-पत्र जारी किए जाने की स्कीम भी आवश्यक रूप से एक सतत प्रक्रिया है क्योंकि प्रत्येक नए निर्वाचक को भी इस स्कीम के अंतर्गत लाना होगा। आयोग ने निर्वाचक फोटो पहचान-पत्र जारी किए जाने के कार्य को दो चरणों में पूरा करने के लिए उपायों की रूपरेखा तैयार की है। इसने प्रथम चरण में, जिसके दौरान विद्यमान नामावली में सम्मिलित किए गए निर्वाचकों को व्यापक रूप से इस स्कीम में सम्मिलित किए जाने के लिए क्षेत्रीय अभियान चलाए गए हैं, 85 प्रतिशत निर्वाचकों को पहचान पत्र जारी करने की अवसीमा नियत की है। अभियान को एक लक्ष्यबद्ध दृष्टिकोण का उपयोग करते हुए चलाया गया है। इस विश्लेषण के प्रयोजनों के लिए किसी निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली के ऐसे भागों को, जिनमें छोटे ग्रामों के समूह या ऐसे भागों को जिनमें बड़े ग्राम की दशा में वह ग्राम या शहरी क्षेत्रों में बस्तियां सम्मिलित हैं, समूहबद्ध किया गया है। अभिहित फोटोग्राफी स्थानों के नाम से ज्ञात ऐसे स्थानों की पहचान की जाती है, जहां शेष बचे निर्वाचकों का फोटोग्राफ ऐसी रीति में लिया जा सकता है कि व्यक्तियों का एक दल समय की किसी विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर उनके फोटोग्राफ लेने में समर्थ हो सके। इस अभियान पद्धति को तब तक जारी रखा जाता है जब तक कि अवसीमा स्तर पर लगभग 85 प्रतिशत निर्वाचकों को इसके अंतर्गत नहीं ला दिया जाता है।

दूसरे चरण में, ऐसे राज्य/संघ राज्य क्षेत्र, जो 85 प्रतिशत के अवसीमा लक्ष्य को पूरा कर लेते हैं, शेष बचे निर्वाचकों को निर्वाचक फोटो पहचान पत्र जारी करते हुए उपरोक्त अवसीमा को बनाए रखने का कार्य करेंगे। इस पद्धति में जिला/उपमंडल मुख्यालयों में स्थायी अभिहित फोटोग्राफी स्थान केन्द्र उपलब्ध कराए जाते हैं। ऐसे निर्वाचकों से, जिन्हें किसी कारण से पहचान-पत्र जारी नहीं किए गए हैं या ऐसे निर्वाचकों से, जिन्हें बाद में नामावलियों में सम्मिलित किया जाता है, अपने पहचान-पत्र तैयार कराने के लिए इन केन्द्रों में जाने की अपेक्षा की जाती है।

आयोग का यह प्रयास है कि अर्हता की तारीख के रूप में 1.1.2005 तक पुनरीक्षित निर्वाचक नामावली में नामांकित सभी निर्वाचकों को निर्वाचक फोटो पहचान-पत्र जारी करने के लक्ष्य को वर्ष 2005 के अंत तक पूरा कर लिया जाए।

आयोग सभी निर्वाचनों में निर्वाचक फोटो पहचान-पत्रों के उपयोग पर निरंतर जोर दे रहा है। तथापि, क्योंकि मतदान के प्रयोजन के लिए फोटो पहचान-पत्रों का उपयोग अभी भी एक सुस्थापित पद्धति नहीं है, आयोग सावधानीवश ऐसे निर्वाचकों, जो किसी कारणवश अपने निर्वाचक फोटो पहचान-पत्र प्राप्त नहीं कर सके/परिरक्षित नहीं रख सके, निर्वाचनों में मतदान करने की अनुमति देता रहा है, परंतु उनकी पहचान आयोग द्वारा विहित आनुकल्पिक

दस्तावेजों में से किसी एक को प्रस्तुत करके अन्यथा स्थापित की गई हो।

(ङ) निर्वाचन आयोग ने यह सूचना दी है कि निर्वाचक फोटो पहचान-पत्र जारी करने की स्कीम 1993 में आरंभ की गई थी और उस समय यह निर्वाचक नामावलियों से अलग थी। निर्वाचक फोटो पहचान-पत्रों के ब्यौरे निर्वाचक नामावलियों में सम्मिलित नहीं थे। चूंकि यह एक पूर्णतया नई स्कीम थी और इसके कार्यान्वयन में विभिन्न प्रकार के तकनीकी मुद्दों का समाधान किया जाना था इसलिए सामने आने वाली कुछ कठिनाईयां वास्तविक थीं। वर्ष 1997 में निर्वाचक नामावलियों के कंप्यूटरीकरण के कार्यक्रम ने ऐसी आधारभूत परिस्थितियों का सृजन किया जिनके द्वारा निर्वाचक फोटो पहचान पत्रों का निर्वाचक नामावलियों के साथ एकीकरण संभव हुआ। तद्नुसार, आयोग ने मई, 2000 में निर्वाचक फोटो पहचान-पत्रों के कार्यक्रम के लिए पुनरीक्षित मार्गदर्शक सिद्धांत जारी किए, जिनमें तकनीकी विनिर्देशों और ऐसी कार्यान्वयन नीति के ब्यौरे दिए गए थे, जिसने निर्वाचक नामावलियों के कंप्यूटरीकरण के कार्यक्रम के साथ इसके संपूर्ण एकीकरण की परिकल्पना की। तत्पश्चात्, निर्वाचक डाटा बेस को निर्वाचक फोटो पहचान-पत्र के डाटा बेस के साथ मिलाने के लिए नामावलियों को अद्यतन करने और साथ ही निर्वाचक नामावलियों में निर्वाचक फोटो पहचान-पत्रों की संख्या को सम्मिलित करने के लिए जम्मू-कश्मीर और असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड तथा त्रिपुरा के पूर्वोत्तर राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में वर्ष 2002 और 2003 में निर्वाचक नामावलियों के गहन पुनरीक्षण का कार्य आरंभ किया गया है। गणनाकार प्रत्येक घर में गए और सभी पात्र व्यक्तियों के नामों को एकत्रित किया और साथ ही ऐसे व्यक्तियों की निर्वाचक फोटो पहचान पत्रों की संख्या को भी एकत्रित किया जिनके पास पहले से ही ऐसे पत्र थे। उत्तर पूर्व राज्यों और जम्मू-कश्मीर में भी 1.1.2005 की अर्हता की तारीख के रूप में निर्वाचक नामावलियों के चालू गहन पुनरीक्षण के दौरान यही नीति अपनाई जा रही है।

विवरण

निर्वाचक फोटो पहचान पत्रों की प्रगति पर प्रास्थिति रिपोर्ट

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	तारीख 1.1.2004 की नामावली में कुल निर्वाचक		कुल योग	निर्वाचक जिन्हें त्रुटिरहित पहचान पत्र जारी किए गए	जारी किए गए निर्वाचक फोटो पहचान पत्रों का प्रतिशत (स्तंभ 3 और 6)
		(साधारण)	(सेवा)*			
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	51,001,479	28,554	51,030,033	39,395,792	77.24
2.	अरुणाचल प्रदेश	624,086	736	624,822	304,822	48.84
3.	असम	14,995,084	19,232	15,014,316	67,479	0.45
4.	बिहार	50,532,795	32,277	50,565,072	26,057,808	51.57
5.	छत्तीसगढ़	13,691,885	4,392	13,696,277	9,620,499	70.26
6.	गोवा	940,468	649	941,117	764,837	81.33
7.	गुजरात	33,597,068	11,344	33,608,412	24,807,957	73.84
8.	हरियाणा	12,257,580	62,991	12,320,571	11,187,854	91.27
9.	हिमाचल प्रदेश	4,127,440	45,609	4,173,049	3,053,116	73.97
10.	जम्मू-कश्मीर	6,345,696	31,176	6,376,872	3,198,936	50.41

1	2	3	4	5	6	7
11.	झारखंड	16,799,443	4,995	16,804,438	8,380,610	49.89
12.	कर्नाटक	38,432,800	27,095	38,459,895	30,766,798	80.05
13.	केरल	20,822,140	40,543	20,862,683	20,817,124	99.98
14.	मध्य प्रदेश	38,386,651	17,866	38,404,517	27,254,099	71.00
15.	महाराष्ट्र	62,667,450	75,597	62,743,047	44,455,999	70.94
16.	मणिपुर	1,532,628	3,880	1,536,508	2,841	0.19
17.	मेघालय	1,299,419	1,170	1,300,589	1,033,575	79.54
18.	मिजोरम	548,544	1,401	449,945	405,785	73.97
19.	नागालैंड	1,040,347	1,398	1,041,745	723,749	69.57
20.	उड़ीसा	25,629,772	21.787	25,651,559	20,790,801	81.12
21.	पंजाब	16,568,709	43,635	16,612,344	11,661,495	70.38
22.	राजस्थान	34,629,341	71,988	34,701,329	26,900,347	77.68
23.	सिक्किम	279,540	282	279,822	220,297	78.81
24.	तमिलनाडु	47,064,103	43,075	47,107,178	35,026,156	74.42
25.	त्रिपुरा	1,977,115	1,388	1,978,503	1,610,496	81.46
26.	उत्तर प्रदेश	110,284,179	83,069	110,367,248	63,895,986	57.94
27.	उत्तरांचल	5,462,502	55,387	5,517,889	3,828,062	70.08
28.	पश्चिमी बंगाल	47,433,587	37,048	47,470,635	40,862,587	86.15
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	241,159	292	241,451	210,714	87.38
30.	चंडीगढ़	506,208	1,438	507,646	330,218	65.23
31.	दादरा और नागर हवेली	122,664	17	122,681	83,615	68.17
32.	दमन और दीव	79,041	10	79,051	59,847	75.72
33.	लक्षद्वीप	38,990	43	39,033	35,564	91.21
34.	दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र	8,748,816	4,840	8,753,656	5,699,482	65.15
35.	पांडिचेरी	636,022	265	636,287	636,022	100.00
	योग	669,344,751	775,469	670,120,220	464,151,369	69.34

*सेवा मतदाता से संघ के सशस्त्र बलों का या किसी राज्य के सशस्त्र पुलिस बल का ऐसा कोई सदस्य अभिप्रेत है, जो उस राज्य से बाहर सेवा कर रहा है या जो भारत से बाहर किसी पोस्ट पर भारत सरकार के अधीन नियोजित है।

[अनुवाद]

इंदिरा आवास योजना

1797. **श्री परशुराम माझी:** क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने इंदिरा आवास योजना के क्रियान्वयन हेतु विभिन्न राज्यों को आबंटन के लिए अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था कर ली है;

(ख) क्या प्रति इकाई लागत में भी संशोधन किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो वित्तीय वर्ष 2004-05 के दौरान इंदिरा आवास योजना के लिए मूलत: तथा बाद में कितनी धनराशि आबंटित की गई; और

(घ) इंदिरा आवास योजना के तहत प्रति इकाई लागत के अनुसार किए गए संशोधन का ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकांता पाटील): (क) से (ग) आपात स्थितियों में प्राकृतिक आपदाओं के लिए इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत सामान्य केन्द्रीय आबंटन के अलावा अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है। वर्ष 2004-05 के दौरान बिहार को बाढ़ के मद्देनजर विशेष अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में 400.00 करोड़ रुपए की धनराशि मंजूर की गई है। बिहार के बाढ़ से प्रभावित जिलों को अतिरिक्त आबंटित राशि का 50 प्रतिशत रिलीज कर दिया गया है। तदनुसार, वित्त मंत्रालय से इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत चालू वर्ष के लिए 2500 करोड़ रुपए के मौजूदा आबंटन को बढ़ाकर 2900 करोड़ रुपए करने के लिए अनुरोध किया गया है।

(घ) इंदिरा आवास योजना (आई ए वाई) के अंतर्गत दिनांक 1.4.2004 से निर्माण सहायता की सीमा मैदानी क्षेत्रों के लिए प्रति इकाई 20,000 रुपए से बढ़ाकर 25000 रुपए और पर्वतीय/दुर्गम क्षेत्रों के लिए 22000 रुपए से बढ़ाकर 27500 रुपए कर दी गई है। मरम्मत के अयोग्य कच्चे मकानों के उन्नयन के मामले में सभी क्षेत्रों के लिए अधिकतम सीमा 10,000 रुपए से बढ़ाकर 12,500 रुपए कर दी गई है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय वस्त्र निगम की मिलों का बंद होना

1798. **श्री बी. विनोद कुमार:**
डा. एम. जगन्नाथ:
श्री हेमलाल मुर्मू:
श्री थावरचन्द गेहलोत:
श्री सुशील कुमार मोदी:
श्री कमला प्रसाद रावत:
योगी आदित्यनाथ:
श्री प्रभुनाथ सिंह:
श्री अविनाश राय खन्ना:

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय वस्त्र निगम की मिलों के नाम क्या-क्या हैं तथा वर्तमान में उनमें कार्यरत कर्मचारियों की मिल-वार तथा राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) गत प्रत्येक तीन वर्षों के दौरान मिल-वार इन मिलों द्वारा अर्जित लाभ तथा हानि क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान राज्यवार रुग्ण घोषित/बंद की गई मिलें कौन-कौन सी हैं;

(घ) रुग्ण मिलों के बंद होने से कितने कामगार प्रभावित हुए तथा उनके पुनर्वास के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) उक्त अवधि के दौरान स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना की पेशकश/अपनाने वाले कर्मचारियों की संख्या कितनी है तथा इस पर राज्य/मिल-वार कितना व्यय हुआ;

(च) चालू स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना में प्रस्तावित परिवर्तन क्या है; और

(छ) रुग्ण मिलों को पुन: खोलने/पुनरुद्धार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है तथा इन पर मिल-वार कितनी राशि खर्च की जाएगी?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला): (क) इस समय एन.टी.सी. की 53 मिलें इसके नियंत्रणाधीन हैं जिनकी पहचान बी आई एफ आर द्वारा मंजूर की गयी योजना के अनुसार अर्थक्षम मिलों के रूप में की गई है। 01.11.2004 की स्थिति के अनुसार, मिलों के राज्य-वार नाम और उनमें कार्यरत कर्मचारियों की संख्या दर्शाने वाला विवरण-I संलग्न है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान 53 अर्थक्षम मिलों की लाभ और हानि की मिल-वार स्थिति दर्शाने वाला विवरण-II संलग्न है।

(ग) से (ङ) बी.आई.एफ.आर. द्वारा मंजूर की गयी योजना के अनुसार, 66 मिलों की पहचान गैर-अर्थक्षम मिलों के रूप में की गयी है और इन्हें बंद किया जाना है। इन 66 मिलों में 36357 कर्मचारियों ने इन मिलों के बंद होने के कारण संशोधित स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (एम वी आर एस) का लाभ उठाया है और इस पर 1228.07 करोड़ रु. का व्यय हो चुका है। प्रभावित कर्मचारियों के पुनर्वासन के लिए, लोक उद्यम विभाग ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के उन कर्मचारियों को परामर्श देने, पुन: प्रशिक्षण देने और पुन: तैनात करने के लिए एक योजना बनाई है जिन्हें स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने के पूर्व कार्यमुक्त कर दिया गया है। 15.11.2004 की स्थिति के अनुसार, बंद मिलों के राज्य-वार नाम, कर्मचारियों की संख्या जिन्होंने एमवीआरएस लिया है और मिल-वार हुए व्यय की राशि को दर्शानेवाला विवरण-III संलग्न है।

(च) इस समय, मौजूदा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना को बदलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(छ) एनटीसी की 119 मिलों में बीआईएफआर ने 736 करोड़ रु. की अनुमानित लागत से आधुनिकीकरण के द्वारा 53 अर्थक्षम मिलों के पुनरुद्धार की स्वीकृति दी है। शेष 66 गैर-अर्थक्षम मिलों में से, 65 मिलों को औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत अब तक बंद कर दिया गया है और एक मिल को बंद करने की प्रक्रिया चल रही है।

विवरण I

1.11.2004 की स्थिति के अनुसार अर्थक्षम मिलों का नाम और मानव शक्ति

क्र.सं.	मिल का नाम	कर्मचारियों की कुल संख्या (01.11.2004 की स्थिति के अनुसार)
1	2	3
	एनटीसी (एपीकेकेएम) लि.	
	आंध्र प्रदेश	
1.	तिरूपति काटन मिल्स, रेनिगुंटा	100
2.	अनन्तपुर काटन मिल्स, टाडापतरी	289
	कर्नाटक	
3.	मिनर्वा मिल्स बेंगलूर	1002
4.	श्री यल्लमा काटन मिल्स, देवनगीरी	310
	केरल	
5.	अलपग्गा टैक्सटाईल मिल्स, अलपग्गा	726
6.	कन्नानूर सिपनिंग वीवींग मिल्स, कन्नानूर	409
7.	केरल लक्ष्मी मिल्स, त्रिचूर	532
8.	विजयमोहिनी मिल्स, त्रिवेन्द्रम	341
9.	पार्वती मिल्स, किलन	679
	पाण्डिचेरी	
10.	कन्नानूर सिपनिंग वीवींग मिल्स, महा एनटीसी (डीपीआर) लि.	399
	पंजाब	
11.	खरर टैक्स मिल्स, खरर	695
12.	सूरज टैक्सटाईल्स मिल्स, मलोट	592
	राजस्थान	
13.	उदयपुर काटन मिल्स, उदयपुर	428
14.	महालक्ष्मी, ब्यावर	410
15.	श्री बिजय काटन मिल्स, बिजयनगर	510
	एनटीसी (गुजरात) लि.	
16.	अहमदाबाद न्यू टैक्स. मिल्स, अहमदाबाद	640
17.	राजनगर टैक्स मिल्स, अहमदाबाद	659
	एनटीसी (एमएन) लि.	
	महाराष्ट्र	
18.	इन्दू नं.-6, मुम्बई	441
19.	इन्दू नं.-1, मुम्बई	1010

1	2	3
20.	कोहिनूर मिल्स-1, मुम्बई	563
21.	टाटा मिल्स, मुम्बई	1235
22.	पोदार मिल्स, मुम्बई	1034
23.	आरबीबीए मिल्स, हिंगणघाट	581
24.	इन्दु नं.-5, मुम्बई	463
25.	सावतराम रामप्रसा मिल्स, अकोला	364
	एनटीसी (एमपी) लि.	
	मध्य प्रदेश	
26.	बुरहनपुर तपती मिल्स, बुरहनपुर	390
27.	न्यू भोपाल टैक्सटाईल मिल्स, भोपाल	619
	एनटीसी (एसएम) लि.	
	महाराष्ट्र	
28.	अपोलो टैक्सटाईल मिल्स, मुंबई	603
29.	बरसी टैक्सटाईल मिल्स, बरसी	312
30.	चालीसगांव टैक्सटाईल मिल्स, चालीसगांव	563
31.	फिनले मिल्स, मुंबई	834
32.	धूले टैक्सटाईल मिल्स, धूले	639
33.	गोल्ड मोहर मिल्स, मुम्बई	602
34.	नांडेड टैक्सटाईल मिल्स, नांडेड	614
35.	न्यू सीटी मिल्स, मुम्बई	723
36.	औरंगाबाद टैक्सटाईल मिल्स, औरंगाबाद	211
	एनटीसी (यूपी) लि.	
	उत्तर प्रदेश	
37.	स्वदेशी काटन मिल्स, महू	542
38.	स्वदेशी काटन मिल्स, नैनी	1127
	एनटीसी (डब्ल्यूबी एबीओ) लि.	
	पश्चिमी बंगाल	
39.	लक्ष्मीनारायण काटन मिल्स, रिसरा	588
40.	सोदपुर काटन मिल्स, सोदपुर	418
41.	आरती काटन मिल्स, दासनगर	478
	बिहार	
42.	बिहार का-आपरेटिव, मोकामा	412
	उड़ीसा	
43.	उड़ीसा काटन मिल्स, भगतपुर	388
	असम	
44.	एसोसिएटैड इण्डस्ट्रीज, चन्द्रपुरा	203
	एनटीसी (टीएन एण्ड पी) लि.	
	तमिलनाडु	
45.	कम्बोडिया मिल्स, कोयम्बतूर	630
46.	कोयम्बतूर मुरूगन मिल्स, कोयम्बतूर	717
47.	पंकज मिल्स, कोयम्बतूर	497
48.	श्री रंगविलास मिल्स, कोयम्बतूर	595
49.	श्री शारदा मिल्स, कोयम्बतूर	387
50.	कोयम्बतूर स्पिनिंग वीवींग मिल्स, कोयम्बतूर	601
51.	पायोनीयर मिल्स, कामुदाकुदी	305
52.	कालीश्वरर-बी कालायर क्वाइल	425
	पाण्डिचेरी	
53.	श्री भारती मिल्स, पाण्डिचेरी	476
	कुल	29311

विवरण II

राष्ट्रीय वस्त्र निगम लि. नई दिल्ली

तीन वर्षों के दौरान मिलों द्वारा अर्जित लाभ और हुई हानि (राज्य-वार)

(लाख रु.)

क्र.सं.	मिल का नाम	2001-02	2002-03	2003-04
1	2	3	4	5
	उत्तर प्रदेश			
1.	स्वदेशी काटन मिल, मऊ	(497.58)	(559.37)	.717.61
2.	स्वदेशी काटन मिल्स, नैनी	(1,507.61)	(1,679.29)	3,202.11
	महाराष्ट्र (एमएन)			
1.	इंडिया यूनाइटेड मिल्स 1	(21,352.56)	(23,779.08)	(22,333.94)
2.	इंडिया यूनाइटेड मिल्स 5	(9,568.07)	(10,821.93)	(10,440.63)
3.	इंडिया यूनाइटेड मिल्स 6	(8,997.71)	(10,280.14)	(9,461.63)
4.	श्वातराम मिल्स	(4,787.75)	(5,364.44)	(5,202.10)
5.	आरबीबीए मिल्स	(5,224.24)	(623.61)	(6,517.64)
6.	कोहिनूर मिल्स नं. 1	(12,655.40)	(14,890.65)	(13,497.38)
7.	टाटा मिल्स	(11,042.40)	(13,441.05)	(14,143.89)
8.	पोद्दार मिल्स	(7,419.04)	(9,162.59)	(9,327.63)
	महाराष्ट्र (एसएम)			
1.	अपोलो मिल्स	458.41	(1,106.23)	(1,481.52)
2.	फिनलै मिल्स	(1,483.38)	(1,744.04)	(1,991.75)
3.	गोल्ड मोहर मिल्स	(1,135.62)	(1,387.64)	(1,720.46)
4.	न्यू सिटी मिल्स	(1,389.01)	(1,552.71)	(1,956.57)
5.	औरंगाबाद टैक्सटाइल मिल्स	(149.77)	27.60	(327.05)
6.	बरसी मिल्स	214.21	(92.11)	(189.13)
7.	चालिसगांव मिल्स	(546.90)	(722.85)	(1,175.08)
8.	धूले टेक्सटाइल मिल्स	(270.27)	(366.59)	(1,259.29)
9.	नांदेड टेक्साइट मिल्स	(368.65)	(410.00)	9976.83)

1	2	3	4	5
	तमिलनाडु			
1.	कंबोडिया मिल्स	(455.25)	(465.56)	(631.10)
2.	कोयम्बटूर मुरूगन मिल्स	(168.50)	(179.76)	(385.62)
3.	कोयम्बटूर स्पि. एंड विविंग मिल्स	(1,439.25)	(1,700.10)	(1,088.55)
4.	कालीश्वर मिल्स बी.	(397.91)	(334.30)	(481.11)
5.	पंकज मिल्स	(356.73)	(371.15)	(436.10)
6.	पायनियर स्पिनर्स	(221.59)	(228.27)	(318.60)
7.	श्री रंगविलास-जीएसएंडडब्ल्यू	(486.69)	(413.21)	(568.49)
8.	श्री शारदा मिल्स	(599.43)	(665.38)	(579.71)
	पांडिचेरी			
1.	श्री भारती मिल्स	(681.06)	(816.37)	(504.49)
	पश्चिम बंगाल			
1.	आरती काटन मिल्स	(574.00)	(574.00)	(725.00)
2.	लक्ष्मी नारायण काटन मिल	(536.00)	(730.00)	(890.00)
3.	सोदेपोर काटन मिल्स	(337.00)	(526.00)	(529.00)
	असम			
1.	एसोसिएटेट इंडस्ट्रीज	(478.00)	(515.00)	(497.00)
	बिहार			
1.	बिहार का. डब्ल्यूएस मिल्स	(370.00)	(552.00)	(595.00)
	उड़ीसा			
1.	उड़ीसा काटन मिल्स	(528.00)	(534.00)	(486.00)
	गुजरात			
1.	अहमदाबाद न्यू टेक्सटाइल मिल्स	(889.52)	(1,801.16)	3,668.53
2.	राजनगर टेक्सटाइल मिल्स	(856.03)	(3,530.67)	4,925.77
	केरल			
1.	अल्लप्पा मिल्स	212.07	(606.91)	(713.74)
2.	कन्नौर मिल्स	(124.87)	(77.29)	(175.77)
3.	माहे मिल्स	387.06	(241.09)	(350.10)
4.	केरल ए लक्ष्मी मिल्स	712.38	(273.52)	(357.91)
5.	विजयमोहिनी मिल्स	148.92	(242.34)	(393.83)

1	2	3	4	5
6.	पार्वती मिल्स	1,595.64	(1,116.85)	(1,511.52)
7.	तिरूपति काटन मिल्स	635.27	(281.49)	(310.64)
	कर्नाटक			
1.	मिनर्वा एंड मैसूर मिल्स	(923.31)	(3,654.16)	3,099.07
2.	यल्लमा काटन मिल्स	789.98	(389.94)	(408.66)
	आंध्र प्रदेश			
1.	अनंथपुर मिल्स	345.09	(430.97)	(495.85)
	राजस्थान			
1.	महालक्ष्मी मिल्स	(585.15)	(644.36)	547.36
2.	श्री विजय काटन मिल्स	(490.03)	(373.39)	820.20
3.	उदयपुर काटन मिल्स	(578.06)	(567.20)	181.14
	पंजाब			
1.	सुरज टेक्सटाइल्स मिल्स	(525.73)	(574.63)	608.11
2.	खरर टेक्सटाइल्स मिल्स	(523.19)	(526.00)	464.58
	मध्य प्रदेश			
1.	बुरहानपुर ताप्ति मिल्स	(540.00)	(1,590.00)	2,097.00
2.	न्यू भोपाल मिल्स	(482.00)	(1,266.00)	2,114.00

विवरण III

बंद मिलों के नाम, उनकी अवस्थिति और एमवीआरएस लेने वाले कर्मचारियों की संख्या

क्र.सं.	मिलों का नाम	15.11.2004 की स्थिति के अनुसार एमवीआरएस लेने वाले कर्मचारियों की संख्या	एमवीआरएस पर खर्च की गई राशि (करोड़ रु. में)
1	2	3	4
I.	*एनटीसी (एपीकेकेएम) लि.*		
	आंध्र प्रदेश		
1.	अदोनी मिल्स, अदोनी	104	3.49
2.	नटराज मिल्स, निर्मल	59	2.23
3.	नेथा मिल्स, सिकन्दराबाद	126	2.73
4.	आजम जाही मिल्स, वारंगल	453	15.59

1	2	3	4
	कर्नाटक		
5.	एम.एस.के. मिल्स, गुलबर्गा	7.49	21.49
6.	मैसूर स्पि. एंड विविंग मिल्स, बंगलौर	मिनर्वा मिल्स के साथ विलय	
II.	*एनटीसी (डीपीआर) लि.*		
	पंजाब		
7.	दयाल बाग, अमृतसर	505	11.12
8.	पानीपत वूलेन मिल्स, खरार	630	14.81
	राजस्थान		
9.	इडवार्ड मिल्स, ब्यावर	280	6.88
III.	*एनटीसी (गुजरात) लि.*		
10.	राजकोट मिल्स, अहमदाबाद	307	9.48
11.	पेटलाड मिल्स, पेटलाड	376	11.17
12.	न्यू मानिकचौक टेक्स मिल्स, अहमदाबाद	778	27.36
13.	विरंघम टेक्स. मिल्स, विरंघम	732	22.49
14.	महालक्ष्मी टेक्स. मिल्स, भावनगर	725	23.46
15.	राजनगर-2, अहमदाबाद	838	30.05
16.	अहम, ज्यूपिटर मिल्स, अमदाबाद	794	28.00
17.	हिमाद्री टेक्सटाइल मिल्स, अहमदाबाद	525	19.41
18.	जहांगीर टेक्स मिल्स, अहमदाबाद	1102	40.87
IV.	*एनटीसी (एमएन) लि.*		
	महाराष्ट्र		
19.	कोहिनूर-3, मुंबई	16	0.67
20.	कोहिनूर-2, मुंबई	83	3.95
21.	इंदु नं.-4, मुंबई	592	30.4
22.	इंदु नं.-2, मुंबई	813	39.66
23.	इंदुन नं.-3, मुंबई	490	23.84
24.	जैम मैन्यू. मिल्स, मुंबई	702	36.56

1	2	3	4
25.	श्री सीताराम मिल्स, मुंबई	292	13.09
26.	माडल मिल्स, नागपुर	1305	45.48
27.	आरएसआरजी मिल्स, अकोला	621	17.39
28.	विदर्भ मिल्स, अचलपुर	528	16.62
V.	*एनटीसी (एमपी) लि.*		
	मध्य प्रदेश		
29.	कल्याणमल मिल्स इंदौर	1445	37.09
30.	स्वदेशी मिल्स इंदौर	615	16.89
31.	हीरा मिल्स उज्जैन	874	22.73
32.	इंदौर मालवा मिल्स इंदौर	1807	42.5
	छत्तीसगढ़		
33.	बेंगलनागपुर काटन मिल्स राजनंदगांव	1203	31.18
VI.	*एनटीसी (एमएम) लि.*		
	महाराष्ट्र		
34.	भारत टेक्स. मिल्स, मुंबई	809	34.14
35.	दिग्विजिय टेक्स. मिल्स, मुंबई	870	42.91
36.	एलिफिंस्टन स्पि एंड विविग. मिल्स. मुंबई	702	34.19
37.	ज्यूपिटर टेक्स. मिल्स. मुंबई	737	37.22
38.	मुंबई टेक्स. मिल्स, मुंबई	794	37.50
39.	न्यू हिन्द टेक्स. मिल्स, मुंबई	875	40.66
40.	पोद्दार प्रोसेसर्स मुंबई	431	19.47
41.	श्री मधुसूदन मिल्स, मुंबई	512	22.05
VII.	*एनटीसी (डब्ल्यूबीएबीओ) लि.*		
	पश्चिम बंगाल		
42.	सैंट्रल काटन मिल्स, बेलूर	219	8.04
43.	एम बी टेक्स. मिल्स, कोसीबाजार	101	3.66
44.	बैंगल फाइन-II, कटगंज	46	1.64

1	2	3	4
45.	ज्योति विविंग फैक्ट्री, पाटीपुकुर	92	3.51
46.	श्री महालक्ष्मी मिल्स, पलटा	144	5.57
47.	बंगाश्री काटन मिल्स, सुखचार	64	2.36
48.	बंगला लक्ष्मी काटन मिल्स, सेरामपुर	171	5.67
49.	रामपुरिया काटन मिल्स, रिसरा	194	6.59
50.	बंगला फाइन एस एंड डब्ल्यू, मिल्स-1, कोननगर	157	5.18
	बिहार		
51.	गया काटन मिल्स, बिहार	147	4.54
VIII.	*एनटीसी (यूपी) लि.*		
	उत्तर प्रदेश		
52.	अथर्टन मिल्स, कानपुर	979	26.86
53.	बिजली काटन मिल्स, हाथरस	109	3.17
54.	लक्ष्मीरतन काटन मिल्स, कानपुर	1131	31.33
55.	लार्ड कृष्णा टेक्स मिल्स, सहारनपुर	510	13.51
56.	मयूर मिल्स, कानपुर	1235	35.27
57.	न्यू विक्टोरिया मिल्स, कानपुर	1265	35.45
58.	राय बरेली टेक्स. मिल्स, राय बरेली	155	4.03
59.	श्री बिक्रम काटन मिल्स, लखनऊ	470	12.47
60.	स्वदेशी काटन मिल्स, कानपुर	1106	35.53
IX.	*एनटीसी (टीएन एंड पी) लि.*		
	तमिलनाडु		
61.	ओम पराशक्ति मिल्स, कोयम्बटूर	284	7.39
62.	कृष्णादेवी टेक्स मिल्स, कोयम्बटूर	223	5.99
63.	कालिसवरार ''ए'', कोयम्बटूर	216	5.97
64.	सोमसुन्दरम मिल्स, कोयम्बटूर	642	15.97
65.	बलरामवर्मा, सेनकोट्टाह	292	6.39
	पांडिचेरी		
66.	स्वदेशी काटन मिल्स, पांडिचेरी—बंद प्रक्रिया अधीन	206	5.23
	कुल	36357	1228.07

[अनुवाद]

अमरीका द्वारा निर्यात नियंत्रण में ढील

1799. श्री इकबाल अहमद सरडगी:
श्री सुरेश कलमाड़ी:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत अमरीका व्यापार पर सितम्बर, 2004 में न्यूयार्क में बातचीत हुई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत ने संयुक्त राज्य अमेरिका को वरीयता के अमरीकी सामान्य प्रणाली के तहत देश से लगभग 250 कृषि, रसायन तथा भेषज उत्पादों के लिए लाभ बहाल करने के लिए विश्वास दिलाया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या अमरीका भारत की नागरिक, परमाणु तथा अन्तरिक्ष सुविधा संबंधी आवश्यकताओं के निर्यात नियंत्रण में ढील देने के लिए सहमत हो गया है; और

(च) दोनों देशों के बीच पारस्परिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए यह किस सीमा तक सहायक होगा?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) और (ख) सरकार को सितम्बर, 2004 में न्यूयार्क में आयोजित भारत-अमरीका व्यापार संबंधी कृषि वार्ता के बारे में जानकारी नहीं है। तथापि, भारत के प्रधानमंत्री तथा अमरीकी राष्ट्रपति की एक बैठक संयुक्त राष्ट्र महा सभा के सत्र के साथ-साथ 21 सितंबर, 2004 को हुई थी। विचार-विमर्शों में अन्य मुद्दों के साथ-साथ द्विपक्षीय सहयोग एवं आर्थिक संबंधों से जुड़े मुद्दे शामिल थे।

(ग) और (घ) अमरीकी सामान्यीकृत अधिमान प्रमाण (जीएसपी) स्कीम के अंतर्गत भारतीय निर्यातों को बड़ी संख्या में उत्पादों के लिए अमरीकी बाजार में शुल्क मुक्त पहुंच प्रदान की जाती है। अमरीका ने भारत में बौद्धिक सम्पदा के पर्याप्त संरक्षण के अभाव के आधार पर वर्ष 1992 में कृषि, रसायन, भेषज, हथकरघा वस्त्र, आभूषण में भारतीय निर्यातों की 800 से अधिक मदों को प्राप्त जीएसपी लाभ वापस ले लिए थे। हमारे अभ्यावेदनों के बाद अमरीका ने वर्ष 2001 में 42 भारतीय उत्पादों पर जीएसपी लाभ बहाल कर दिये थे। हमने यह दृष्टिकोण कायम रखा है कि पेटेंट (संशोधन) अधिनियम 2002 पारित होने के बाद भारत ने डब्ल्यूटीओ के अंतर्गत इस समय विद्यमान अपनी वचनबद्धता पूरी कर ली है और शेष सभी उत्पादों पर अमरीका द्वारा जीएसपी लाभ बहाल करने की मांग की है। अमरीका ने अब तक शेष उत्पादों पर जीएसपी लाभ बहाल करने के लिए सहमति व्यक्त नहीं की है।

(ङ) और (च) भारत और अमरीका के बीच कार्यनीतिक भागीदारी के अंतर्गत अगले कदमों (एनएसएसपी) में नागरिक अन्तरिक्ष, नागरिक ऊर्जा, ''दोहरे उपायोग'' की मदों और प्रक्षेपास्त्र रक्षा क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए एक मेंच की व्यवस्था की गयी है। एनएसएसपी से अमरीका अपनी निर्यात लाइसेंसिंग नीतियों में संशोधन करने में समर्थ हुआ है जिनसे वाणिज्यिक अन्तरिक्ष कार्यक्रमों में सहयोग स्थापित होगा और भारत में नाभिकीय विद्युत संयंत्रों की सुरक्षा हेतु कुछेक निर्यातों की अनुमति मिलेगी।

[अनुवाद]

अनाज निर्यात गलियारा

1800. श्री वाडिगा रामकृष्णा: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय अनाज प्रबंधन नीति के तहत मेरठ से काकीनाडा तक अनाज निर्यात गलियारे का विकास करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसकी क्या समय सूची बनाई गई है;

(ग) इस परियोजना के प्रारंभ होने की सम्भावित तिथि क्या है; और

(घ) इसके लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है तथा इसके वित्त पोषण के स्रोत क्या हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

हड़ताल में शामिल होने वाले न्यायाधीश

1801. श्री अविनाश राय खन्ना: क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने पंजाब और हरियाणा में हुई हड़ताल में शामिल 12 न्यायाधीशों के विरुद्ध कार्रवाई की है;

(ख) यदि हां, तो हटाए गए या स्थानांतरित किए गए न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है;

(ग) कितने न्यायाधीशों को भ्रष्टाचार का दोषी पाया गया है;

(घ) क्या उच्चतम न्यायालय ने उन भ्रष्ट न्यायाधीशों, जिनकी संख्या बढ़ती जा रही है, को पद से हटाने के लिए कानून में परिवर्तन करने का सुझाव दिया है; और

(ङ) यदि हां, तो ऐसे न्यायाधीशों को पद से हटाने के लिए कानून में संशोधन हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. वेंकटपति): (क) और (ख) भारत के उच्चतम न्यायालय ने यह सूचना दी है कि पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में किसी भी न्यायाधीश द्वारा कोई हड़ताल नहीं की गई थी और इसलिए उच्चतम न्यायालय द्वारा इस आधार पर कार्रवाई किए जाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) भारत के मुख्य न्यायमूर्ति और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति अपने न्यायालय के न्यायाधीश के आचरण के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त करने के लिए सक्षम हैं और जब उसे ऐसी कोई शिकायत प्राप्त होती है तो वह इस बात की जांच करता है कि क्या इन आरोपों की गहराई के जांच किए जाने की आवश्यकता है। इसीलिए, सरकार ऐसे न्यायाधीशों के संबंध में कोई आंकड़े नहीं रखती है जो भ्रष्टाचार के दोषी पाए गए हैं।

(घ) इस विषय पर उच्चतम न्यायालय से परामर्श किया गया है और उन्होंने यह समझाया है कि यह कहना ठीक नहीं है कि भ्रष्ट न्यायाधीशों की संख्या में बढ़ोत्तरी हो रही है। उच्चतम न्यायालय ने विधियों में कोई परिवर्तन किए जाने का सुझाव नहीं दिया है।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

अवसंरचनात्मक विकास को बढ़ावा

1802. श्री सुरेश चन्देल: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में इंफ्रास्ट्रक्चर इक्विपमेंट बैंक (अवसंरचनात्मक उपस्कर बैंक) मौजूद है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या ऐसे बैंक की स्थापना के लिए कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमणिक्कम): (क) से (ग) जी नहीं। इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

सांद्रित दूध को उत्पाद शुल्क से मुक्त करना

1803. श्री विजय कृष्ण:
श्री कीर्ति वर्धन सिंह:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सांद्रित दूध को उत्पाद शुल्क से पूर्णत: मुक्त कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या इस कदम के पश्चात् देश में दूध के मूल्य में कमी आयेगी; और

(घ) यदि हां, तो देश के डेयरी कृषकों और उपभोक्ताओं के बीच लाभ को समान रूप से विभाजित करना सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमणिक्कम): (क) जी, हां। बिना किसी मिठास युक्त सामग्री वाले सान्द्रित दुग्ध को उत्पाद शुल्क से पूर्णत: छूट प्रदान की गई है।

(ख) छूट दिनांक 9.9.2004 की अधिसूचना सं. 47/2004-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के तहत प्रदान की गई है।

(ग) और (घ) वस्तुओं का बिक्री मूल्य विभिन्न पहलुओं पर निर्भर करता है जैसे मांग और पूर्ति की स्थिति, परिवहन एवं मजदूरी लागत, घरेलू उद्योग का स्तर, मुद्रास्फीति की दरें इत्यादि। फिर भी डेयरी क्षेत्र को आवश्यक समर्थन उपलब्ध कराने के लिए पूर्ण विपणन क्षमता का उपयोग करने हेतु उन्हें सक्षम बनाने के लिए उपर्युक्त छूट की आशा की जाती है।

[अनुवाद]

कम्प्यूटर प्रशिक्षण संस्थानों को सेवा कर से छूट

1804. श्री पी.के. वासुदेवन नायर:
श्री सी.के. चन्द्रप्पन:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कम्प्यूटर प्रशिक्षण संस्थानों को दी जाने वाली सेवा कर की छूट वापस ले ली गई है;

(ख) क्या व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों को भी सेवा कर के भुगतान से छूट दी गई है;

(ग) क्या सरकार को कम्प्यूटर प्रशिक्षण संस्थानों की ओर से सेवा कर से फिर से छूट दिए जाने के लिए कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुई है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर क्या निर्णय लिया गया?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) दिनांक 30.6.2004 तक कम्प्यूटर प्रशिक्षण संस्थानों को सेवा कर के भुगतान से छूट दी गयी थी और वे दिनांक 1.7.2004 से सेवा कर के लिए प्रभार्य हैं।

(ख) व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों को सेवा कर से छूट दी गई है।

(ग) और (घ) सरकार ने दिनांक 22 जुलाई 2004 का भारतीय उद्योग संघ और कम्प्यूटर प्रशिक्षण संस्थानों से अभ्यावेदन प्राप्त किए हैं जिसमें कम्प्यूटर प्रशिक्षण को सेवा कर से छूट प्रदान करने के लिए अनुरोध किया गया है। उठाए गए मुद्दे की जांच की गई और अनुरोध को स्वीकार न करने का निर्णय लिया गया।

[अनुवाद]

दुग्ध उत्पादों पर आयात शुल्क में वृद्धि

1805. प्रो. महादेवराव शिवनकर:
श्री रतिलाल कालीदास वर्मा:
योगी आदित्यनाथ:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार दुग्ध उत्पादों पर आयात शुल्क में वृद्धि करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) क्या सरकार दुग्ध उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध लगाने पर भी विचार कर रही है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) और (ख) जी, नहीं। वर्तमान में दुग्ध उत्पादों पर आयात शुल्क को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) इस स्तर पर दुग्ध और दुग्ध उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध लगाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

[अनुवाद]

गैस सिलेण्डर को विस्फोटक अधिनियम के तहत अधिसूचित किया जाना

1806. श्री उदय सिंह: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गैस सिलेण्डर नियम, 2004 को विस्फोटक अधिनियम के तहत अधिसूचित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गैस सिलेण्डर के नए नियमों से गैस उद्योग को राहत मिलेगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने विस्फोटक अधिनियम, 1884 के तहत गैस सिलिंडर नियमावली, 2004 को अधिसूचित किया है। सरकार द्वारा गठित किए गए एक विशेषज्ञ दल की सिफारिशों के आधार पर नियमों में संशोधन किए गए हैं। इन नियमों की मुख्य विशेषताएं हैं:- कम खतरनाक प्रयोगों के मामलों में स्वविनियमन, गैर-विषाक्त और अप्रज्वलनशील गैसों की श्रेणी के भीतर सिलेंडरों को आसानी के साथ एक गैस से दूसरी गैस के सिलेंडरों में बदलना, लाइसेंसों की वैद्यता अवधि में वृद्धि, नीचे के स्तर के कार्यालयों को अधिकारों का विकेंद्रीकरण/प्रत्यायोजन, आदि।

(ग) और (घ) जी, हां। कुछ विशेष मामलों में स्वविनियमन के संबंध में नए नियमों, लाइसेंसों की वैद्यता अवधि में विस्तार तथा अधिकारों के विकेंद्रीकरण के प्रावधानों से गैस उद्योग को राहत मिलने तथा सरकार-उद्योग संपर्क तंत्र के और दक्ष, पारदर्शी एवं उपयोगकर्त्तानुकूल होने की आशा है।

[अनुवाद]

एलआईसी पैकेज

1807. श्रीमती मनोरमा माधवराज: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एल.आई.सी. पर बीमा विनियामक प्राधिकरण (आई.आर.डी.ए.) द्वारा बनाए गए ''सलिवैन्सी मार्जिन स्टैण्डर्ड'' का अनुपालन करने के लिए अत्यधिक दबाव है;

(ख) क्या एल.आई.सी. ने सरकार से एल.आई.सी. को घाटे से उबारने के संबंध में कोई पैकेज मांगा है और एल.आई.सी. द्वारा सरकार को प्रतिवर्ष दिए जाने वाले संवितरणीय अधिशेष को भी माफ किए जाने की मांग की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) भारतीय जीवन बीमा निगम (एल आई सी) को बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आई आर डी ए) के अंतर्गत निर्धारित सलिवैन्सी मार्जिन अपेक्षाओं का अनुपालन करना है। चरणबद्ध तरीके से इसके अनुपालन के लिए एल आई सी को आई आर डी ए द्वारा एक समय ढांचा दिया गया था। 31.03.2004 की स्थिति के अनुसार एल आई सी ने 110.7 प्रतिशत सलिवैन्सी मार्जिन प्रदान किया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

नियमों एवं विनियमों से संबंधित दिशानिर्देश

1808. श्री रायापति सांबासिवा राव: क्या **कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार कंपनी अधिनियम के अतंर्गत संबंधित पक्षीय कारोबार के संदर्भ में हस्तांतरण मूल्य-निर्धारण के संबंध में नियमों का प्रारूप तैयार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या अन्य विनियमों के अंतर्गत विद्यमान दिशा निर्देशों को सम्पूर्ण बनाने हेतु इन दिशा निर्देशों की आवश्यकता है; और

(ग) यदि हां, तो निगमित क्षेत्र में हस्तांतरण मूल्य-निर्धारण से संबंधित नियमों पर कब तक विचार किया जाएगा और इन्हें कब तक लागू किया जाएगा?

कम्पनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रेमचन्द गुप्ता): (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) वर्तमान कम्पनी अधिनियम, 1956 को प्रतिस्थापित करने के लिए एक नया विधान संकल्पना के स्तर पर है। हस्तांतरण मूल्य-निर्धारण के विनियमन के लिए नियमों पर तब विचार किया जाएगा जब विधान में इसके लिए प्रावधानों को लागू करने को अंतिम रूप दिया जाएगा।

[हिन्दी]

वरिष्ठ नागरिकों हेतु जमा योजना

1809. श्री आलोक कुमार मेहता:
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:
श्री एस.पी.वाई. रेड्डी:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों हेतु एक नयी जमा योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस योजना से अर्जित होने वाले ब्याज को आयकर प्रावधानों से मुक्त रखने का प्रस्ताव है जैसा कि भविष्य निधि के संबंध में किया जाता है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) और (ख) जी, हां। सरकार द्वारा दिनांक 2 अगस्त, 2004 से एक वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, 2004 लागू की गई है। योजना की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

(1) 60 वर्ष और इससे अधिक आयु के व्यक्ति निवेश के लिए पात्र हैं। एकल अथवा संयुक्त खाता (पति अथवा पत्नी के साथ) खोला जा सकता है।

(2) ऐसे सेवानिवृत्त व्यक्ति भी जिनकी आयु 55 वर्ष अथवा इससे अधिक लेकिन 60 वर्ष से कम हों, शर्तों के अधीन निवेश के लिए पात्र हैं।

(3) 1000 रुपए के गुणजों में राशि जमा करने की अनुमति दी गई है बशर्ते कि यह राशि अधिक से अधिक 15 लाख रुपए हो।

(4) जमाराशियों पर 9 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर ब्याज दिया जाता है।

(5) जमाराशियों की परिपक्वता अवधि पांच वर्ष है जिसे शर्तों के अधीन तीन वर्ष और बढ़ाया जा सकता है।

(6) शर्तों के अधीन परिपक्वता पूर्व आहरण की अनुमति दी गई है।

(7) निवेश अविक्रेय और अहस्तान्तरणीय है, लेकिन नामांकन सुविधा उपलब्ध है।

(8) यह योजना डाकघरों और सरकारी क्षेत्र बैंकों की नामजद शाखाओं में उपलब्ध है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) वरिष्ठ नागरिकों को आय-कर अधिनियम के तहत पहले से ही विशेष सुविधा प्राप्त हैं। इसके अलावा, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के तहत ब्याज-दर अन्य बचत लिखतों के तहत उपलब्ध दर से ऊंची है।

[हिन्दी]

राज्यों को वित्तीय सहायता

1810. प्रो. रासा सिंह रावत: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कई राज्य सरकारों ने राज्यों को वित्त सहायता प्रदान करने की प्रक्रिया में परिवर्तन करने का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और अध्यदान करने वाले राज्यों के नाम क्या हैं; और

(घ) किन राज्यों ने अपने राज्यों में वित्तीय अनुशासन कायम किया है, क्या ऐसे राज्यों को उदारतापूर्वक अनुदान प्रदान किया जाएगा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) जी, हां।

(ख) सुझावों में ऋण अनुदान अनुपात में बदलाव, ऋण विनिमय के लिए खुले बाजार से और अधिक अतिरिक्त ऋण उगाही की व्यवस्था, ऋण राहत/बट्टे खाते, केन्द्रीय सरकारी ऋणों पर ब्याज की दरें कम किया जाना तथा ई.ए.पी. अनुदानों को अनुदानों के रूप में अंतरित किया जाना शामिल है।

(ग) भारत सरकार ने केन्द्रीय सरकारी ऋणों पर ब्याज दर को घटा दिया गया है, ऋण विनिमय योजना के अंतर्गत ऊंची ब्याज दर वाले ऋणों की समय पूर्व अदायगी की अनुमति दी है। राज्यों को ऋण विनिमय के लिए खुले बाजार से अतिरिक्त ऋण उगाही की सीमा बढ़ाई है। भारत सरकार के बाहरी सहायताओं के लिए बैंक-टु-बैंक अंतरण का एक प्रस्ताव भी परिचालित किया है। अन्य मामले जो भी हैं, वे राष्ट्रीय विकास परिषद और वित्त आयोग के कार्यक्षेत्र के दायरे में आते हैं। कुछ बिन्दुओं पर जो राज्य ओवरड्राफ्ट में चले गए हैं, उनमें अरुणाचल प्रदेश, असम, गोवा, हिमाचल प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल हैं।

(घ) राज्य प्राप्तियों के रूप में उनके राजस्व घाटे के अनुपात में एक निर्धारित कमी लाने की दृष्टि से भारत सरकार के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अनुसार राज्यों को राजकोषीय सुधार सुविधा के तहत् प्रोत्साहन अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है। इसी प्रकार, विद्युत क्षेत्र में वित्तीय अनुशासन रखने वाले राज्यों को त्वरित विद्युत विकास तथा सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत अनुदान सहायता भी मुहैया कराई जा रही है।

[अनुवाद]

सेवा कर

1811. श्री गुरूदास कामत: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जीवन बीमा सेवाएं सेवा कर के अंतर्गत आ गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) जून, 2004 से किन नई सेवाओं को कर के दायरे में लाया गया है; और

(घ) किन अन्य नई सेवाओं को कर के दायरे में लाए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) जी, हां।

(ख) सेवा कर, जीवन बीमा में केवल जोखिम राशि पर ही उदग्रहणीय हैं और यह 10.9.2004 से प्रभावी है। ऐसे मामलों में जहां दस्तावेजों में जोखिम राशि के लिए प्रीमियम राशि अलग से नहीं दर्शाई गई है, वहां बीमा कंपनियों के पास प्रभारित की गई कुल राशि के 1% पर सेवा कर चुकाने का विकल्प उपलब्ध है। कर दर 10 प्रतिशत तथा 2 प्रतिशत शिक्षा उप कर (कुल दर 10.2 प्रतिशत) है।

(ग) जून, 2004 से निम्नलिखित सेवाओं को सेवा कर के दायरे में लाया गया है:-

(1) व्यापार प्रदर्शनी सेवाएं

(2) विमानपत्तन सेवाएं

(3) विमान द्वारा माल का परिवहन

(4) खनिजों का सर्वेक्षण एवं खोज

(5) अभिमत मतदान सेवा

(6) बौद्धिक सम्पदा सेवा (कापीराइट को छोड़कर)

(7) अग्रवर्ती अनुबंध सेवा

(8) पंडाल तथा अनुबंध सेवा

(9) बाह्य खान-पान

(10) दूरदर्शन अथवा रेडियो कार्यक्रम निर्माण

(11) वाणिज्यिक/औद्योगिक भवनों से संबंधित निर्माण सेवा

(12) ट्रेवल एजेंट

(13) सड़क मार्ग द्वारा माल के परिवहन पर सेवा कर का उदग्रहण 1.1.2005 से प्रभावी होगा।

(घ) चूंकि यह एक नीतिगत मामला है इसलिए कोई टिप्पणी नहीं की गई है।

[अनुवाद]

वाणिज्यिक कर

1812. श्री सुग्रीव सिंह: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कई राज्य वित्तीय संकट का सामना कर रहे हैं क्योंकि वे राज्यों में संसाधन जुटाने में विफल हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो आज की तिथि के अनुसार वाणिज्यिक करों का राज्य-वार बकाया कितना है; और

(ग) किन कारणों से राज्य सरकारें वाणिज्यिक करों को वसूल नहीं कर पा रही है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) भारत सरकार ने राज्यों में "वित्तीय संकट" का मूल्यांकन नहीं किया है। राज्यों में राजस्व घाटा हो सकता है। वित्त वर्ष 2003-04 (संशोधित अनुमान) में आठ राज्यों का राजस्व घाटा उनकी राजस्व प्राप्तियों की तुलना में 25 प्रतिशत अधिक था।

(ख) और (ग) वस्तुओं तथा विनिर्दिष्ट सेवाओं पर बिक्री कर, जिनका उल्लेख वाणिज्यिक कर के तौर पर भी किया जाता है, का संग्रहण संविधान की राज्य सूची के दायरे में आता है, जो कि राज्य सरकार की जिम्मेवारी है, जिसके लिए राज्य अपनी राज्य विधायिकाओं के प्रति जवाबदेह हैं। इसलिए, भारत सरकार राज्य करों के बकायों से संबंधित आंकड़े का रख-रखाव नहीं करती है।

[अनुवाद]

शुल्क पर छूट

1813. श्री सुरेश चन्देल:
प्रो. चन्द्र कुमार:
श्रीमती प्रतिभा सिंह:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हिमाचल प्रदेश को औद्योगिक रूप से विकसित करने के लिए बद्दी औद्योगिक क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना हेतु उत्पाद शुल्क और अन्य शुल्कों में शुरू में 10 वर्षों के लिए छूट की घोषणा की गयी थी किन्तु इस वित्तीय वर्ष में इस छूट की अवधि को घटाकर सात वर्ष कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को हिमाचल प्रदेश सरकार से पहले की तरह उक्त सुविधा को 10 वर्ष की अवधि तक जारी रखने संबंधी कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो ऐसा अनुरोध कब प्राप्त हुआ था और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गयी थी; और

(ङ) यदि नहीं, तो क्या केन्द्र सरकार पहले की तरह उक्त सुविधा को 10 वर्ष के लिए जारी रखने पर विचार करेगी?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) सरकार ने कतिपय शर्तों के अधीन हिमाचल प्रदेश में नई इकाइयों तथा व्यापक विस्तार कर रही विद्यमान इकाइयों के लिए उत्पाद शुल्क में रियायतों की घोषणा की थी। यह छूट इस तरह की इकाइयों द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन की शुरूआत की तारीख से दस वर्ष तक की अवधि के लिए वैद्य होगी। सरकार ने अब यह प्रावधान किया है कि यह छूट तभी लागू होगी जब इकाई की स्थापना या व्यापक विस्तार 31 मार्च, 2007 को या इससे पहले

होती है। फिर भी योजना के अंतर्गत छूट की अवधि पत्रा इकाइयों द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन की शुरूआत की तारीख से 10 वर्षों तक यथावत रहेगी।

(ख) उपर्युक्त (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ) इस योजना में अगले किसी परिवर्तन पर विचार नहीं किया जा रहा है क्योंकि सभी पात्र इकाइयों अर्थात् दिनांक 31.3.2007 को या इससे पहले स्थापित नई इकाइयां या व्यापक विस्तार करने वाली विद्यमान इकाइयां वाणिज्यिक उत्पादन आरंभ करने की तारीख से 10 वर्षों की अवधि तक छूट के लाभों को प्राप्त करती रहेंगी।

अपराह्न 12.01 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): मैं, केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र की स्कीम के अंतर्गत अनिवार्य माध्यस्थम के निबंधन के अनुसार अराजपत्रित कर्मचारियों को (वर्ष 1988 के सी.ए. संदर्भ संख्या 1 के अधीन) 30 रुपये प्रति माह की परिवहन सब्सिडी का भुगतान किए जाने के लिए माध्यस्थम बोर्ड द्वारा दिए गए पंचाट को अस्वीकृत किए जाने संबंधी विवरण की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 1017/04]

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) सिंथेटिक एंड आर्ट सिल्क मिल्स रिसर्च एसोसिएशन, मुम्बई के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सिंथेटिक एंड आर्ट सिल्क मिल्स रिसर्च एसोसिएशन, मुम्बई के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 1018/04]

(2) (एक) हथकरघा निर्यात संवर्धन परिषद, चेन्नई के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) हथकरघा निर्यात संवर्धन परिषद, चेन्नई के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 1019/04]

(3) (एक) सिंथेटिक एंड रेयन टेक्सटाइल्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, मुम्बई के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सिंथेटिक एंड रेयन टेक्सटाइल्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, मुम्बई के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 1020/04]

(4) (एक) अपैरेल एक्सपोर्ट काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) अपैरेल एक्सपोर्ट काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 1021/04]

(5) (एक) मैन मेड टेक्सटाइल्स रिसर्च एसोसिएशन, सूरत के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मैन मेड टेक्सटाइल्स रिसर्च एसोसिएशन, सूरत के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 1022/04]

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंसराज भारद्वाज): मैं, भारतीय विधि आयोग के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं-

(1) न्यायालय फीस संरचना का पुनरीक्षण-फरवरी, 2004 संबंधी एक सौ नवासीवां प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 1023/04]

(2) बीमा अधिनियम, 1938 तथा बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999-जून, 2004 का पुनरीक्षण संबंधी एक सौ नब्बेवां प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 1024/04]

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकांता पाटील): मैं, डा. रघुवंश प्रसाद सिंह की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं:-

(1) (एक) नेशनल रूरल रोड्स डेवलपमेंट एजेंसी, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल रूरल रोड्स डेवलपमेंट एजेंसी, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 1025/04]

कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रेमचन्द गुप्ता): मैं, निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं-

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 642 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) लागत लेखा अभिलेख (रसायन उद्योग) नियम, 2004 जो 2 सितम्बर, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 562(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) लागत लेखा अभिलेख (दुग्ध आहार) संशोधन नियम, 2004 जो 8 अक्तूबर, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 661(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 1026/04]

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): मैं, श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. 548(अ) जो 27 अगस्त, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2002 की अधिसूचना संख्या 6/2002-के.उ.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 665(अ) जो 11 अक्तूबर, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 अगस्त, 1998 की अधिसूचना संख्या 23/98-के.उ.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 741(अ) जो 9 नवम्बर, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 25 मार्च, 1986 की अधिसूचना संख्या 214/86-के.उ.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि. 742(अ) जो 9 नवम्बर, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 31 जुलाई, 2001 की अधिसूचना संख्या 39/2001-के.उ.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा.का.नि. 581(अ) जो 9 सितम्बर, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2002 की अधिसूचना संख्या 6/2002-के.उ.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा.का.नि. 583(अ) जो 10 सितम्बर, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2002 की अधिसूचना संख्या 6/2002-के.उ.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा.का.नि. 612(अ) जो 15 सितम्बर, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2002 की अधिसूचना संख्या 6/2002-के.उ.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा.का.नि. 615(अ) जो 16 सितम्बर, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2002 की अधिसूचना संख्या 6/2002-के.उ.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सेनवेट क्रेडिट (संशोधन) नियम, 2004 जो 17 सितम्बर, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 617(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सेनवेट क्रेडिट नियम, 2004 जो 10 सितम्बर, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 600(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) सा.का.नि. 567(अ) जो 6 सितम्बर, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा उनमें उल्लिखित दो अधिसूचनाओं में कतपिय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (तीसरा संशोधन) नियम, 2004 जो 6 दिसम्बर, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 569(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तेरह) सा.का.नि. 624(अ) जो 20 सितम्बर, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 31 मार्च, 2003 की अधिसूचना संख्या 23/2003-के.उ.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौदह) सा.का.नि. 565(अ) जो 4 सितम्बर, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा अधिसूचना में उल्लिखित कतिपय उत्पाद शुल्क माल को उत्पादन फैक्टरी से भांडागार तक अथवा किसी एक भांडागार से दूसरे भांडागार तक शुल्क का भुगतान किए बिना ले जाए जाने की सुविधा प्रदान की गयी है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पन्द्रह) सा.का.नि. 618(अ) जो 17 सितम्बर, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2002 की अधिसूचना संख्या 6/2002-के.उ.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 1027/04]

(2) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. 560(अ) जो 31 अगस्त, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय भारत, थाईलैंड, फ्रेमवर्क एग्रीमेंट के अंतर्गत अर्ली हारवेस्ट स्कीम में आने वाली विनिर्दिष्ट मदों के लिए सीमा शुल्क की रियायती दर विहित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 564(अ) जो 3 सितम्बर, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2002 की अधिसूचना संख्या 21/2002-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 584(अ) जो 10 सितम्बर, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 9 जुलाई, 2004 की अधिसूचना संख्या 69/2004-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि. 653(अ) जो 30 सितम्बर, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2002 की अधिसूचना संख्या 21/2002-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) आयात और निर्यात की दैनिक सूचियों का प्रकाशन, नियम जो 19 नवम्बर, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 758(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा.का.नि. 602(अ) जो 10 सितम्बर, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2002 की अधिसूचना संख्या 21/2002-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा.का.नि. 603(अ) जो 10 सितम्बर, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय नई विदेश व्यापार नीति, 2004-2009 में घोषित शुल्क मुक्त पुन:पूर्ति प्रमाणपत्र स्कीम को प्रचालित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा.का.नि. 604(अ) जो 10 सितम्बर, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय नई विदेश व्यापार नीति, 2004-2009 में घोषित समझी गई निर्यात स्कीम हेतु अग्रिम लाइसेंस को प्रचालित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा.का.नि. 605(अ) जो 10 सितम्बर, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय नई विदेश व्यापार नीति, 2004-2009 में घोषित भारत से सेवित स्कीम को प्रचालित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सा.का.नि. 606(अ) जो 10 सितम्बर, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय नई विदेश व्यापार नीति, 2004-2009 में घोषित अग्रिम लाइसेंस को प्रचालित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) सा.का.नि. 607(अ) जो 10 सितम्बर, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय नई विदेश व्यापार नीति, 2004-2009 में घोषित वार्षिक आवश्यकता स्कीम हेतु अग्रिम लाइसेंस को प्रचालित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) सा.का.नि. 619(अ) जो 17 सितम्बर, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय नई विदेश व्यापार नीति, 2004-2009 में घोषित शुल्क हकदारी पुस्तक पासबुक स्कीम को प्रचालित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) सा.का.नि. 620(अ) जो 17 सितम्बर, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय नई विदेश व्यापार नीति, 2004-2009 में घोषित निर्यात संवर्धन पूंजीगत माल स्कीम को प्रचालित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौदह) का.आ. 951(अ) जो 26 अगस्त, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयात के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं के

भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा के कतिपय विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन की संशोधित विनिमय दर के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पन्द्रह) का.आ. 952(अ) जो 26 अगस्त, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो निर्यात के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं के भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा के कतिपय विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन की संशोधित विनिमय दर के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सोलह) का.आ. 1005(अ) जो 15 सितम्बर, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी.शु. (एन.टी.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सत्रह) का.आ. 1051(अ) जो 27 सितम्बर, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयात के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं के भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा के कतिपय विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन की संशोधित विनिमय दर के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(अठारह) का.आ. 1052(अ) जो 27 सितम्बर, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो निर्यात के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं के भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा के कतिपय विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन की संशोधित विनिमय दर के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(उन्नीस) का.आ. 1189(अ) जो 26 अक्तूबर, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयात के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं के भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा के कतिपय विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन की संशोधित विनिमय दर के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बीस) का.आ. 1190(अ) जो 26 अक्तूबर, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो निर्यात के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं के भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा के कतिपय विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन की संशोधित विनिमय दर के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(इक्कीस) का.आ. 1259(अ) जो 10 नवम्बर, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी.शु. (एन.टी.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बाईस) का.आ. 1298(अ) जो 10 नवम्बर, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो निर्यात के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं के भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा के कतिपय विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन की संशोधित विनिमय दर के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेईस) का.आ. 1299(अ) जो 24 नवम्बर, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो निर्यात के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं के भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा के कतिपय विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन की संशोधित विनिमय दर के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौबीस) सा.का.नि. 614(अ) जो 15 सितम्बर, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा उनमें उल्लिखित दो अधिसूचनाओं में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पच्चीस) सा.का.नि. 759(अ) जो 19 नवम्बर, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2002 की अधिसूचना संख्या 21/2002-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छब्बीस) सा.का.नि. 566(अ) जो 6 सितम्बर, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा उनमें उल्लिखित आठ अधिसूचनाओं में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सत्ताईस) विशेष आर्थिक जोन (पांचवां संशोधन) नियम, 2004 जो 6 सितम्बर, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 568(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(अट्ठाईस) सा.का.नि. 682(अ) जो 18 अक्तूबर, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा राजस्थान राज्य में जयपुर में फेज-दो, सीतापुरा विशेष आर्थिक जोन को एक विशेष आर्थिक जोन के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है।

(उनतीस) सा.का.नि. 774(अ) जो 25 नवम्बर, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 1 नवम्बर, 1995 की अधिसूचना संख्या 67/95 (एन.टी.)-सी.शु. का अधिक्रमण करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीस) सा.का.नि. 668(अ) जो 13 अक्तूबर, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 5 फरवरी, 1999 की अधिसूचना संख्या 12/99-सी.शु. (एन.टी.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(इकतीस) सा.का.नि. 81(अ) जो 28 जनवरी, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय करते हुए कम्प्यूटरों और कम्प्यूटर पेरिफेरल को उन पर उद्ग्रहणीय संपूर्ण अतिरिक्त सीमा शुल्क से छूट प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बत्तीस) सा.का.नि. 82(अ) जो 28 जनवरी, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 31 मार्च, 2003 की अधिसूचना संख्या 52/2003-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तैंतीस) सा.का.नि. 311(अ) जो 12 मई, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा सोना और चांदी के आयात, जब उनका भारत में डाक, कुरियर अथवा वैगेज से भिन्न माध्यम से आयात किया गया हो, पर रियायती दर पर शुल्क की अनुमति देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 1028/04]

(3) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उपधारा (7) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. 549(अ) जो 30 अगस्त, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत या वहां से निर्यातित क्लोरोक्विन फास्फेट पर अभिहित प्राधिकारी द्वारा अनुसंशित दरों अंतिम रूप से प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 641(अ) जो 24 सितम्बर, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका

आशय कोरिया गणराज्य में उद्भूत या वहां से निर्यातित मिथिलिन क्लोराइड पर 14 अक्तूबर, 2003 से अभिहित प्राधिकारी द्वारा अनुसंशित दरों पर प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 648(अ) जो 29 सितम्बर, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय संयुक्त अरब अमीरात और चीन ताइपे में उद्भूत या वहां से निर्यातित सन और/या डस्ट कंट्रोल पालिस्टर फिल्म पर 26 अगस्त, 2004 से अभिहित प्राधिकारी द्वारा अनुसंशित दरों पर अंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि. 659(अ) जो 7 अक्तूबर, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय सउदी अरब, कोरिया गणराज्य और यूरोपीय संघ में उद्भूत या वहां से निर्यातित पाली विनाइल क्लोराइड पेस्ट रेजिन पर अभिहित प्राधिकारी द्वारा अनुसंशित दरों पर अंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा.का.नि. 663(अ) जो 8 अक्तूबर, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय संयुक्त राज्य अमरीका, सिंगापुर, कोरिया जनवादी गणराज्य और यूरोपीय संघ में उद्भूत या वहां से निर्यातित प्रोपीलिन ग्लाइकोल पर अभिहित प्राधिकारी द्वारा अनुसंशित दरों पर अंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा.का.नि. 669(अ) जो 31 अक्तूबर, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 21 मार्च, 2003 की अधिसूचना संख्या 45/2003-सी.शु. का विखण्डन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा.का.नि. 646(अ) जो 28 सितम्बर, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 26 जुलाई, 2003 की अधिसूचना संख्या 73/2004-सी.शु. का विखण्डन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा.का.नि. 647(अ) जो 28 सितम्बर, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय जापान, कोरिया जनवादी गणराज्य अथवा संयुक्त राज्य अमरीका में उद्भूत या वहां से निर्यातित

स्टिरीन बुटाडीन रबड़ के भारत में आयात पर प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा.का.नि. 650(अ) जो 30 सितम्बर, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय विनिर्दिष्ट पक्षों द्वारा उत्पादित और निर्यातित विट्रीफायड और पोर्सिलेन टाइलों के आयात पर प्रतिपाटन शुल्क से अनंतिम रूप में छूट प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सा.का.नि. 748(अ) जो 16 नवम्बर, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत या वहां से निर्यातित मेलामाइन पर 2 अप्रैल, 2004 से अभिहित प्राधिकारी द्वारा अनुसंशित दरों पर अंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) सा.का.नि. 749(अ) जो 16 नवम्बर, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 2 अप्रैल, 2004 की अधिसूचना संख्या 53/2004-सी.शु. का विखण्डन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) सा.का.नि. 751(अ) जो 17 नवम्बर, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय जापान, यूरोपीय संघ, नाईजीरिया और थाईलैंड में उद्भूत या वहां से निर्यातित 6 हेक्सानेलक्टम पर अभिहित प्राधिकारी द्वारा अनुशंसित दरों पर अंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) सा.का.नि. 752(अ) जो 18 नवम्बर, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए तथा तथा जिनका आशय रूस में उद्भूत या वहां से निर्यातित पोलिटेट्राफ्लूरोएथिलिन पर अभिहित प्राधिकारी द्वारा अनुशंसित दरों पर अंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौदह) सा.का.नि. 753(अ) जो 18 नवम्बर, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 30 दिसम्बर, 1999 की अधिसूचना संख्या 141/1999-सी.शु. का विखण्डन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पन्द्रह) भारत गणराज्य और थाइलैण्ड किंगडम के बीच फ्रेमवर्क एग्रीमेंट के अनुपालनार्थ अर्ली हारवेस्ट स्कीम

के लिए अधिमानक टैरिफ रियायतों के लिए पात्र उत्पादों के उद्भव का अवधारण करने के लिए "उद्भव के अंतरिम नियम" (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो 31 अगस्त, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 970(अ) में प्रकाशित हेतु थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सोलह) का.आ. 1300(अ) जो 24 नवम्बर, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जिसमें 31 अगस्त, 2004 की अधिसूचना संख्या 101/2004-सी.शु. (एन.टी.) का शुद्धिपत्र दिया हुआ है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 1029/04]

(4) वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 94 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सेवा कर (दूसरा संशोधन) नियम, 2004 जो 10 दिसम्बर, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 585(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 586(अ) जो 10 सितम्बर, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा उसमें उल्लिखित अधिसूचनाओं में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 586(अ) जो 10 सितम्बर, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय भारत सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा किन्हीं शुल्कों के संग्रहण या उद्ग्रहीत करों के संबंध में किसी बैंकिंग कंपनी या किसी वित्तीय संस्था या किसी अन्य निगमित किया या वाणिज्यिक प्रतिष्ठान द्वारा प्रदत्त कर योग्य सेवा को उस पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण सेवाकर से छूट प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि. 588(अ) जो 10 सितम्बर, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय कतिपय शर्तों के अध्यधीन ग्राहक की ओर से विनिष्टियों की अधिप्राप्ति, माल का उत्पादन अथवा सेवा के प्रबंध से संबंधित व्यवसाय सहायक सेवाओं तथा इन सेवाओं की आनुषंगिक अथवा सहायक

अन्य सेवाओं पर सेवा कर से छूट प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा.का.नि. 589(अ) जो 10 सितम्बर, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय कतिपय शर्तों के अध्यधीन निर्माण सेवा को उस सेवाकर से छूट देना है जो प्रभारित सकल राशि के 33 प्रतिशत पर परिगणित शुल्क से अधिक हो तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा.का.नि. 590(अ) जो 10 सितम्बर, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सोफ्टवेयर सिस्टम के संबंध में किसी प्रबंध परामर्शदाता द्वारा उस पर लगने वाले संपूर्ण सेवा शुल्क से किसी भी प्रकार से किसी संगठन के प्रबंधन के संबंध में ग्राहक को दी जाने वाली कर योग्य सेवा से छूट प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा.का.नि. 591(अ) जो 10 सितम्बर, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय बौद्धिक संपदा सेवा के संबंध में प्रौद्योगिकी के आयात के लिए भुगतान किए गए उपकर के बराबर सेवा शुल्क से छूट प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा.का.नि. 592(अ) जो 10 सितम्बर, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय उसमें उल्लिखित कर योग्य सेवा के मूल्य के उस भाग को उस पर लगने वाले संपूर्ण सेवा कर से छूट प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा.का.नि. 593(अ) जो 10 सितम्बर, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय किसी आउटडोर कैटरर द्वारा किसी रेलवे ट्रेन में प्रदत्त आउटडोर कैटरिंग सेवा को छूट प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सा.का.नि. 594(अ) जो 10 सितम्बर, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय कतिपय शर्तों के अध्यधीन किसी आउटडोर कैटरर द्वारा प्रदत्त सेवा को उस सेवा कर से छूट प्रदान करना है जो प्रभावित सकल राशि के 50 प्रतिशत पर परिगणित सेवा शुल्क से अधिक हो तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) सा.का.नि. 595(अ) जो 10 सितम्बर, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय किसी शैक्षणिक संस्था अथवा आयुर्विज्ञान संस्थान परिसर के भीतर आउटडोर कैटरर द्वारा प्रदत्त सेवा को सेवा कर से छूट प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) सा.का.नि. 596(अ) जो 10 सितम्बर, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय कतिपय शर्तों के अध्यधीन किसी पंडाल अथवा शामियाना कंट्रेक्टर द्वारा प्रदत्त सेवा को उस सेवा कर से छूट प्रदान करना है जो प्रभारित सकल राशि के 70 प्रतिशत पर परिगणित सेवा शुल्क से अधिक हो तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) सा.का.नि. 597(अ) जो 10 सितम्बर, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय उनमें उल्लिखित दो अधिसूचनाओं को रद्द करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौदह) सा.का.नि. 598(अ) जो 10 सितम्बर, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय वाणिज्यिक प्रशिक्षण अथवा कोचिंग के संबंध में सेवा प्रदान करने वाले व्यावसायिक तथा मनोरंजन संबंधी प्रशिक्षण संस्थानों पर लगने वाले सेवा कर से छूट प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पन्द्रह) सा.का.नि. 599(अ) जो 10 सितम्बर, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय विद्यमान सेवाओं जिनके क्षेत्र का विस्तार किया गया है, के संबंध में कर योग्य सेवा के उस भाग को छूट प्रदान करना है जो 10 सितम्बर, 2004 से पूर्व प्राप्त हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सोलह) सा.का.नि. 616(अ) जो 17 सितम्बर, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय वायुयान द्वारा निर्यात कार्गो के परिवहन के संबंध में वायुयान प्रचालक द्वारा प्रदत्त सेवा पर सेवा कर से छूट प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सत्रह) सा.का.नि. 632(अ) जो 22 सितम्बर, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय किसी बैंकिंग कंपनी अथवा वित्तीय संस्था अथवा किसी अन्य निगमित निकाय अथवा वाणिज्यिक प्रतिष्ठान द्वारा प्रदत्त कर योग्य सेवा के उतने मूल्य को सेवा कर से छूट प्रदान करना है जो बैंकिंग तथा अन्य वित्तीय सेवाओं के संबंध में ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट अथवा बिलों की डिस्काउंटिंग, बिल्स आफ एक्सचेंज अथवा चेक पर ब्याज के बराबर हो, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(अठारह) सेवा कर (तीसरा संशोधन) नियम 2004 जो 13 सितम्बर, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 610(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(उन्नीस) सेवा कर (चौथा संशोधन) नियम 2004 जो 22 सितम्बर, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 633(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 1030/04]

(5) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 की धारा 48 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. 551(अ) जो 31 अगस्त, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनमें 29 नवम्बर, 2001 की अधिसूचना संख्या एफईएमए 46/2001-आरबी का शुद्धिपत्र दिया हुआ है।

(दो) सा.का.नि. 552(अ) जो 31 अगस्त, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनमें 5 दिसम्बर, 2001 की अधिसूचना संख्या एफईएमए 47/2001-आरबी का शुद्धिपत्र दिया हुआ है।

(तीन) सा.का.नि. 553(अ) जो 31 अगस्त, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनमें 21 जून, 2002 की अधिसूचना संख्या एफईएमए 63/2002-आरबी का शुद्धिपत्र दिया हुआ है।

(चार) सा.का.नि. 554(अ) जो 31 अगस्त, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनमें 26 अगस्त, 2002 की अधिसूचना संख्या एफईएमए 70/2002-आरबी का शुद्धिपत्र दिया हुआ है।

(पांच) सा.का.नि. 555(अ) जो 31 अगस्त, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनमें 12 नवम्बर, 2002 की अधिसूचना संख्या एफईएमए 76/2002-आरबी का शुद्धिपत्र दिया हुआ है।

(छह) सा.का.नि. 556(अ) जो 31 अगस्त, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनमें 25 नवम्बर, 2002 की अधिसूचना संख्या एफईएमए 77/2002-आरबी का शुद्धिपत्र दिया हुआ है।

(सात) सा.का.नि. 557(अ) जो 31 अगस्त, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनमें 2 जुलाई, 2003 की अधिसूचना संख्या एफईएमए 95/2003-आरबी का शुद्धिपत्र दिया हुआ है।

(आठ) सा.का.नि. 558(अ) जो 31 अगस्त, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनमें 2 जुलाई, 2003 की अधिसूचना संख्या एफईएमए 96/2003-आरबी का शुद्धिपत्र दिया हुआ है।

(नौ) विदेशी मुद्रा प्रबंध (चालू खाता संव्यवहार) (संशोधन) नियम, 2004 जो 13 सितम्बर, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 608(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दस) विदेशी मुद्रा प्रबंध (संयोजित करने की प्रक्रियाएं) (संशोधन) नियम, 2004 जो 13 सितम्बर, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 609(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(ग्यारह) विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी व्यक्तियों द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (चौथा संशोधन) विनियम, 2004 जो 21 सितम्बर, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 625(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(बारह) सा.का.नि. 626(अ) जो 21 सितम्बर, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो 31 जनवरी, 2004 से भारतीय रिजर्व बैंक के विनिमय नियंत्रण विभाग के नाम को विनिमय नियंत्रण विभाग से बदलकर विदेशी विनिमय विभाग किए जाने के संबंध में है।

(तेरह) सा.का.नि. 711(अ) जो 29 अक्तूबर, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनमें 29 अप्रैल, 2003 की अधिसूचना संख्या एफईएमए 89/2003-आरबी का शुद्धिपत्र दिया हुआ है।

(चौदह) सा.का.नि. 712(अ) जो 29 अक्तूबर, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनमें 23 मई, 2003 की अधिसूचना संख्या एफईएमए 90/2003-आरबी का शुद्धिपत्र दिया हुआ है।

(पन्द्रह) सा.का.नि. 713(अ) जो 29 अक्तूबर, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनमें 5 जून, 2003 की अधिसूचना संख्या एफईएमए 91/2003-आरबी का शुद्धिपत्र दिया हुआ है।

(सोलह) सा.का.नि. 714(अ) जो 29 अक्तूबर, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनमें 7 जून, 2003 की अधिसूचना संख्या एफईएमए 92/2003-आरबी का शुद्धिपत्र दिया हुआ है।

(सत्रह) सा.का.नि. 715(अ) जो 29 अक्तूबर, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनमें 3 अक्तूबर, 2003 की अधिसूचना संख्या एफईएमए 100/2003-आरबी का शुद्धिपत्र दिया हुआ है।

(अठारह) सा.का.नि. 716(अ) जो 29 अक्तूबर, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनमें 1 जनवरी, 2004 की अधिसूचना संख्या एफईएमए 108/2004-आरबी का शुद्धिपत्र दिया हुआ है।

(उन्नीस) सा.का.नि. 717(अ) जो 29 अक्तूबर, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनमें 1 जनवरी, 2004 की अधिसूचना संख्या एफईएमए 109/2004-आरबी का शुद्धिपत्र दिया हुआ है।

(बीस) विदेशी मुद्रा में प्रबंध (गारंटी) (संशोधन) विनियम, 2004 जो 16 नवम्बर, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 745(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(इक्कीस) सा.का.नि. 746(अ) जो 16 नवम्बर, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनमें 1 मार्च, 2003 की अधिसूचना संख्या एफईएमए 86/2003-आरबी का शुद्धिपत्र दिया हुआ है।

(बाईस) सा.का.नि. 747(अ) जो 16 नवम्बर, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनमें 8 जुलाई, 2003 की अधिसूचना संख्या एफईएमए 97/2003-आरबी का शुद्धिपत्र दिया हुआ है।

(तईस) विदेशी मुद्रा में प्रबंध (किसी विदेशी प्रतिभूति का अन्तरण अथवा निर्गम) (संशोधन) विनियम, 2004 जो 19 नवम्बर, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 757(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 1031/04]

(6) भारतीय यूनिट ट्रस्ट (उपक्रम का अंतरण तथा निरसन) अधिनियम, 2002 की धारा 24 के अंतर्गत भारतीय यूनिट ट्रस्ट (उपक्रम का अंतरण तथा निरसन) (कठिनाइयों का निराकरण) आदेश, 2004, जो 28 अक्तूबर, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 1198(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 1032/04]

(7) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र की स्कीम के अंतर्गत अनिवार्य माध्यस्थम के निबंधन के अनुसार माध्यस्थम बोर्ड द्वारा (1993 के सी.ए. संदर्भ संख्या 8 के अधीन) दिए गए पंचाट को अस्वीकृत किए जाने संबंधी विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 1033/04]

(8) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र की स्कीम (1993 के सी.ए. संदर्भ संख्या 9 के अधीन) के अंतर्गत अनिवार्य माध्यस्थम बोर्ड के निबंधन के अनुसार आयकर निरीक्षकों को विशेष वेतन दिए जाने के लिए माध्यस्थम बोर्ड द्वारा दिए गए पंचाट को अस्वीकृत किए जाने संबंधी विवरण की प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 1034/04]

(9) सिक्का निर्माण अधिनियम, 1906 की धारा 21 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) "भारतीय डाक के 150 वर्ष" पर सौ रुपए और एक रुपए के स्मारक सिक्कों का निर्माण नियम, 2004 जो 20 सितम्बर, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 621(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) "के. कामराज" के सम्मान में सौ रुपए और पांच रुपए के स्मारक सिक्कों का निर्माण नियम, 2004 जो 20 सितम्बर, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 622(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 1035/04]

(10) साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 की धारा 17क की उपधारा (5) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(एक) साधारण बीमा (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) स्कीम, 2004 जो 5 जुलाई, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 778(अ) में प्रकाशित हुई थी।

(दो) साधारण बीमा (अधिकारियों के वेतनमानों और अन्य सेवा शर्तों का सुव्यवस्थीकरण) (संशोधन) स्कीम, 2004 जो 22 सितम्बर, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 1027(अ) में प्रकाशित हुई थी।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 1036/04]

(11) साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 के अंतर्गत अधिसूचना संख्या का.आ. 777(अ) जो 5 जुलाई, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसमें उसमें उल्लिखित दो अधिसूचनाओं का शुद्धिपत्र दिया हुआ, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 1037/04]

(12) प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 की धारा 30 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) नार्थ मालाबार ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम, 2000 जो 15 फरवरी, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 1737/जन./171/पीएआईआरडी/2001 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) रायलसीमा ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम, 2000 (वर्ष) जो 22 जून, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 869/ए/पीडी/जीओआई-एसएसआर/2001 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) शिवपुरी गुना क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम, 2001 जो 26 जुलाई, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आरआरबी/डी-3/0824 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) प्रथमा बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम, 2001 (संशोधित) जो 31 जुलाई, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या पीबीएचओ/पीडी/2246/2001 में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) गोरखपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम, 2001 जो 30 अगस्त, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 01-02/पर्स/353 में प्रकाशित हुए थे।

(छह) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, होशंगाबाद (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम, 2000 जो 16 अगस्त, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एचओ/26/पर्स/2001-2002/2248 में प्रकाशित हुए थे।

(सात) छिन्दवाड़ा-सिवनी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम, 2001 जो 5 नवम्बर, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एचओ/पीआरएस/19/2001-2002/334/2750 में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) अकोला ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम, 2000 जो 12 दिसम्बर, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एजीबी/एचओ/पर्स/2001/19/1122 में प्रकाशित हुए थे।

(नौ) चैतन्य ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम, 2000 जो 30 जनवरी, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एल.आर. सं./099/3/10/89 में प्रकाशित हुए थे।

(दस) बुलदाना ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम, 2003 जो 6 मई, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या बीजीबी/एचओ/पीआरएस/2003/860 में प्रकाशित हुए थे।

(ग्यारह) सिवान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (बैंक का नाम) (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम, 2001 (वर्ष) जो 14 जून, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या पर्स/23/2003-04/222 में प्रकाशित हुए थे।

(बारह) कोसी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम, 2001 जो 23 जून, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ सं. पर्स/03-04/1064 में प्रकाशित हुए थे।

(तेरह) चंपारण क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम, 2001 जो 1 जुलाई, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या पर्स/28/03-04/एचओ/11/89 में प्रकाशित हुए थे।

(चौदह) यवतमाल ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम, 2000 जो 11 जुलाई, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एचओ/पर्स/2003-04/435 में प्रकाशित हुए थे।

(पन्द्रह) हड़ोती क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम, 2001 जो 16 जुलाई, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या पीएस/23/2004-05/पर्स में प्रकाशित हुए थे।

(सोलह) मधुबनी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम, 18 जनवरी, 2003 (वर्ष) जो 17 जुलाई, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या ए.एस./गवर्नमेंट/25/2003/07/नं. 9 में प्रकाशित हुए थे।

(सत्रह) काशी ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम, 2001 जो 11 सितम्बर, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या केजीबी/एसटीएफ/एस-539/2003 में प्रकाशित हुए थे।

(अठारह) बरेली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम, 2001 जो 17 सितम्बर, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एचओ/पीडी/2003/112 में प्रकाशित हुए थे।

(उन्नीस) मयूराक्षी ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम, 2000 (वर्ष) जो 14 नवम्बर, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जीएसपीएडी/35051/2003 में प्रकाशित हुए थे।

(बीस) शाहजहांपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम, 2001 जो 19 नवम्बर, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एओ/एसटीएफ/21/1186 में प्रकाशित हुए थे।

(इक्कीस) ग्वालियर दतिया क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम, 2001 जो 11 दिसम्बर, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एचओ/03-04/पीआर 5/602/676 में प्रकाशित हुए थे।

(बाईस) उत्तरबंग क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम, 2001 जो 5 जनवरी, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या पी.आर.एस./27/4177/पीआरएस-16 में प्रकाशित हुए थे।

(तेईस) सारन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम, 2000 जो 5 जनवरी, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एचओ/पर्स/2003-2004/6112 में प्रकाशित हुए थे।

(चौबीस) मिथिला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम, 2001 जो 23 फरवरी, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एचओ कार्मिक/24/2003-2004/234 में प्रकाशित हुए थे।

(पच्चीस) गोपालगंज क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम, 2001 जो 26 जुलाई, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या प्रका/पर्स/2004-05/178 में प्रकाशित हुए थे।

(छब्बीस) बलिया क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम, 2000 जो 22 जून, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एचओ/2004/06/पीआरएस/265 में प्रकाशित हुए थे।

(13) उपरोक्त (10) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले छब्बीस विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 1038/04]

(14) बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 19 की उपधारा (4) के अंतर्गत बैंक आफ महाराष्ट्र (शेयर और बैठक) विनियम, 2004 जो 10 अगस्त, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एएक्सआई/शेयर्स/1201/2004-05 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 1039/04]

(15) निम्नलिखित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के 31 मार्च, 2004 को समाप्त हुए वर्ष के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन:-

(एक) बुलडाना ग्रामीण बैंक, बुलडाना।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 1040/04]

(दो) चैतन्य ग्रामीण बैंक, गुन्टूर।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 1041/04]

(तीन) फरीदकोट-भटिंड क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, भटिंडा।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 1042/04]

(चार) गौड़ ग्रामीण बैंक, मालदा।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 1043/04]

(पांच) गोरखपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, गोरखपुर।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 1044/04]

(छह) ग्वालियर-दतिया क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, दतिया।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 1045/04]

(सात) कामराज रूरल बैंक, सोपोर।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 1046/04]

(आठ) मधुबनी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, मधुबनी।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 1047/04]

(नौ) मणिपुर रूरल बैंक, इम्फाल।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 1048/04]

(दस) मेवाड़ आंचलिक ग्रामीण बैंक, उदयपुर।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 1049/04]

(ग्यारह) समस्तीपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, समस्तीपुर।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 1050/04]

(बारह) उत्तरबंग क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कूचबिहार।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 1051/04]

(16) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के 31 मार्च, 2004 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण की समेकित समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 1052/04]

(17) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-

(एक) आयकर (दसवां संशोधन) नियम, 2004 जो 2 सितम्बर, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 980(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) का.आ. 1060(अ) जो 28 सितम्बर, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा ऐसी देशी कंपनी को, जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, 1996 के खंड (ढ) में जोखिम पूंजी उपक्रम के रूप में निर्दिष्ट है, को जोखिम पूंजी उपक्रम के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) आयकर (ग्यारहवां संशोधन) नियम, 2004 जो 29 सितम्बर, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 1067(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) आयकर (ग्यारहवां संशोधन) नियम, 2004 जो 29 अक्तूबर, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 1180(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) आयकर (तेरहवां संशोधन) नियम, 2004 जो 3 नवम्बर, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 1213(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) आयकर (चौदहवां संशोधन) नियम, 2004 जो 16 नवम्बर, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 1275(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 1053/04]

(18) वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2004 की धारा 96 की उपधारा (2) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का.आ. 1058(अ) जो 28 सितम्बर, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय-सात को लागू करने के लिए 1 अक्तूबर, 2004 की तारीख नियत की गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 1054/04]

(19) वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2004 की धारा 114 के अंतर्गत जारी प्रतिभूति संव्यवहार कर नियम, 2004 जो 28 सितम्बर, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 1059(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 1055/04]

(20) भारतीय जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 48 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-

(एक) भारतीय जीवन बीमा निगम अध्यक्ष (सेवा के कतिपय निबंधन और शर्तें) (संशोधन) नियम, 2004 जो 22 सितम्बर, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 629(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय जीवन बीमा निगम प्रबंध निदेशक (सेवा के कतिपय निबंधन और शर्तों का पुनरीक्षण) (संशोधन) नियम, 2004 जो 22 सितम्बर, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 630(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय जीवन बीमा निगम अध्यक्ष (अध्यक्ष और प्रबंध निदेशकों को ग्रेच्युटी का भुगतान) (संशोधन) नियम, 2004 जो 22 सितम्बर, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 631(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 1056/04]

(21) केन्द्रीय सरकार कर्मचारियों के लिए संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र (जेसीएम) और अनिवार्य माध्यस्थम (वर्ष 1993 के सी.ए. संदर्भ संख्या 7 के अधीन) की स्कीम के निबंधनों के अंतर्गत माध्यस्थम बोर्ड (बीओए) द्वारा दिए गए पंचाट को अस्वीकृत किए जाने संबंधी विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 1057/04]

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं-

(1) भारतीय बायलर अधिनियम, 1923 की धारा 28 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-

(एक) भारतीय बायलर (संशोधन) विनियम, 2004 जो 19 जून, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 201 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय बायलर (संशोधन) विनियम, 2004 जो 19 जून, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 203 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय बायलर (तीसरा संशोधन) विनियम, 2004 जो 7 अगस्त, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 265 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 1058/04]

(2) सामुद्रिक उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1972 की धारा 33 की उपधारा (3) के अंतर्गत सामुद्रिक उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (संशोधन) नियम, 2004 जो 8 अक्तूबर, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 1096(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 1059/04]

(3) निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 की धारा 17 की उपधारा (3) के अंतर्गत दुग्ध उत्पादों का निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण, निरीक्षण और मानिटरिंग) संशोधन नियम, 2004 जो 13 सितम्बर, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 999(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 1060/04]

(4) (एक) एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल आफ इंडिया एंड एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन एजेंसीज के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल आफ इंडिया एंड एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन एजेंसीज के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल आफ इंडिया एंड एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन एजेंसीज के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 1061/04]

(6) विदेश व्यापार नीति (1 सितम्बर, 2004-31 मार्च, 2009) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 1062/04]

(7) प्रक्रिया संबंधी पुस्तिका (खंड एक) (1 सितम्बर, 2004-31 मार्च, 2009) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 1063/04]

(8) (एक) निर्यातोन्मुख इकाइयों और विशेष आर्थिक जोन हेतु निर्यात संवर्धन परिषद के वर्ष 2002-2003 और 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) निर्यातोन्मुख इकाइयों और विशेष आर्थिक जोन हेतु निर्यात संवर्धन परिषद के वर्ष 2002-2003 और 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 1064/04]

(9) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(क) की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-

(एक) एमएमटीसी लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एमएमटीसी लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 1065/04]

(10) चाय अधिनियम, 1953 की धारा 25 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का.आ. 977(अ) जो 1 सितम्बर, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो भारत में उत्पादित और निर्यातोन्मुख इकाइयों द्वारा निर्यात की गई सभी चाय को उपकर के उद्ग्रहण और संग्रहण से छूट देने के बारे में है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) चाय अधिनियम, 1953 की धारा 30 की उपधारा (3) और उपधारा (5) के अंतर्गत जारी चाय (विपणन) नियंत्रण (दूसरा संशोधन) आदेश, 2004 जो 20 अक्तूबर, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 1170(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 1066/04]

अपराह्न 12.02 बजे

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति

पहला प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद): महोदय, मैं सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति, लोक सभा का पहला प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.2½ बजे

खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति

तीसरा प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से संबंधित "रुग्ण चीनी उद्योग और चीनी विकास निधि" के बारे में खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति (तेरहवीं लोक सभा) के 27वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में समिति (2004-05) का तीसरा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.2¾ बजे

रेल संबंधी स्थायी समिति

चौथा प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): अध्यक्ष महोदय, मैं रेल संबंधी स्थायी समिति 2004 (चौदहवीं लोक सभा) के 'यात्री सुविधाएं' विषय पर चौथे प्रतिवेदन की एक प्रति हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.03 बजे

मंत्री द्वारा वक्तव्य

शेयर बाजार घोटाला संबंधी संयुक्त संसदीय समिति की सिफारिशों के अनुसरण में की-गई-कार्यवाही से संबंधित तीसरा प्रगति प्रतिवेदन*

[अनुवाद]

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): महोदय, करोड़ों परिवारों, पेंशनभोगियों तथा विधवाओं की खून पसीने की कमाई जिस प्रकार वर्ष 2000-01 के घोटाले में बह गई थी, उससे हमारी सरकार अत्यंत व्यथित है। मैं इस घोटाले के कारणों की जांच करने, उनका विश्लेषण करने और ब्यौरेवार रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए संयुक्त संसदीय समिति का आभारी हूं। आज मैं संयुक्त संसदीय समिति की सिफारिशों के अनुसरण में की गई कार्रवाई की तृतीय प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहा हूं। की-गई-कार्रवाई की एक रिपोर्ट और प्रथम प्रगति रिपोर्ट पिछली सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई थी।

सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वे सब जिन्होंने घोटाला किया था अथवा जो अपराधों में अभिषंगी थे, सजा से बच न जाएं। हमारा यह संकल्प है कि यह सुनिश्चित करने के लिए समुचित सुधारात्मक उपाय किए जाएं कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। न्यूनतम साझा कार्यक्रम में यह सुनिश्चित करने

*ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 1067/04।

के हमारे दृढ़ संकल्प का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि बाजार हेराफेरी करने वालों और जानबूझ कर बाजार में डर फैलाने की कोशिश करने वालों के विरुद्ध कठोरतम संभव कार्रवाई की जाएगी।

मैं इस संबंध में यह सुनिश्चित करने के लिए इस सम्माननीय सदन का सहयोग भी चाहूंगा कि संयुक्त संसदीय समिति द्वारा यथा अनुसंशित आवश्यक विधायी परिवर्तन शीघ्र किए जाएं। स्टाक एक्सचेंजों के अभिशासन सुधार की प्रक्रिया में किसी विलम्ब से बचने के लिए सरकार ने स्टाक एक्सचेंजों के कार्यकरण में पारदर्शिता तथा दक्षता लाने, हितों के टकराव के प्रति सुरक्षोपाय करने तथा स्टाक एक्सचेंजों के पृथक्कीकर के माध्यम से स्टाक एक्सचेंजों के अभिशासन को सुदृढ़ करने के लिए अन्य बातों के अलावा प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 को संशोधित करते हुए 12 अक्तूबर, 2004 को प्रतिभूति कानून (संशोधन) अध्यादेश, 2004 प्रख्यापित किया है। आगे, इससे ऐसे शेयरों के कारोबार के लिए एक राष्ट्रीय कारोबार मंच, इंडोनेक्सट की व्यवस्था करके देश के सुदूरवर्ती कोनों से अधिकांशत: लघु निवेशकों द्वारा लघु तथा मध्यम कैप कंपनियों में किए गए निवेशों में नकदी उपलब्ध कराने में भी सहायता मिलेगी। अन्य बातों के साथ-साथ शहरी सहकारी बैंकों पर कड़े विनियमन की व्यवस्था करने तथा वस्तु बाजारों एवं पूंजी बाजारों के एककीकरण से जुड़े मुद्दों का निवारण करने हेतु बैंकिंग विनियमन अधिनियम में संशोधन करने के लिए विधेयक सक्रिय विचाराधीन हैं।

मैं आश्वस्त करना चाहूंगा कि घोटाले के लिए दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की जाएगी और हम सदन के पूर्णतया संतुष्ट होने तक नियमित अंतरालों पर प्रगति रिपोर्टें प्रस्तुत करेंगे।

अपराह्न 12.04 बजे

सभा का कार्य

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): महोदय, आपकी अनुमति से मैं यह सूचित करता हूं कि सोमवार, 13 दिसम्बर, 2004 से प्रारंभ होने वाले सप्ताह के दौरान निम्नलिखित सरकारी कार्य लिया जाएगा:-

1. राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग अध्यादेश, 2004 का निरनुमोदन चाहने वाले सांविधिक संकल्प पर चर्चा और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग विधेयक, 2004 पर विचार और पारित करना;

2. विचार और पारित करना:-

(क) विशेष अधिकरण (अनुपूरक उपबंध) निरसन विधेयक, 2004;

(ख) राज्य सभा द्वारा पारित किए गए रूप में मजदूरी संदाय (संशोधन) विधेयक, 2004;

3. वर्ष 2004-05 के लिए अनुदान की अनुपूरक मांगें (सामान्य) पर चर्चा और मतदान तथा संबंधित विनियोग विधेयक का पुर:स्थापन, विचार और पारित करना;

4. राज्य सभा द्वारा पारित किए जाने के पश्चात् प्रत्यायोजित विधान उपबंध (संशोधन) विधेयक, 2004 पर विचार और पारित करना।

अध्यक्ष महोदय: डा. कर्नल (सेवानिवृत्त) धनीराम शांडिल्य।

...(व्यवधान)

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): महोदय, मैं कार्य के संबंध में एक टिप्पणी करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय: आपको अवसर मिलेगा। एक प्रक्रिया है, जिसका कि मैं पालन कर रहा हूं। माननीय सदस्यों ने नोटिस दिया है। वे टिप्पणी करने के पात्र हैं। आपकी बारी आएगी।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: मैं केवल इस पर आपत्ति कर रहा हूं।

[हिन्दी]

आज भी कोई सरकारी बिजनेस नहीं है।

[अनुवाद]

आज कोई विधायी कार्य नहीं है।

[हिन्दी]

आप आज का सरकारी एजेंडा देखें।

[अनुवाद]

कोई विधायी कार्य नहीं है।

अध्यक्ष महोदय: आपने अपनी बात कह दी।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: यह सरकार किस प्रकार कार्य कर रही है? कोई विधायी कार्य नहीं है।

[हिन्दी]

जब से सैशन शुरू हुआ है तब से कोई लेजिस्लेटिव बिजेनस नहीं है। आज का पूरा दिन खाली है और अगले हफ्ते भी कोई बिजनेस नहीं है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: हमें बहुत सा कार्य करना है।

...(व्यवधान)

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: महोदय, मैं एक महत्वपूर्ण बात कर रहा हूं।

[हिन्दी]

40 बिल तय किए थे कि हम लेंगे लेकिन 40 बिलों में सिवाय तीन बल पर ही डिसकशन हुआ है। *...(व्यवधान)* गवर्नमेंट के पास एक भी लेजिस्लेशन या बिल *...(व्यवधान)* हम इसका कड़ा विरोध करते हैं।

[अनुवाद]

डा. कर्नल (सेवानिवृत्त) धनीराम शांडिल्य (शिमला): महोदय, कृपया आगामी सप्ताह अर्थात् 13-17 दिसंबर, 2004 की कार्यसूची में निम्नलिखित विषय सम्मिलित करें:-

(एक) हिमाचल प्रदेश में बुनियादी ढांचा अपर्याप्त है। रेल, सड़क तथा विमान सेवाओं के उन्नयन की आवश्यकता है।

(दो) शिमला लोक सभा क्षेत्र के लिए उद्धत सिंचाई तथा पीने के पानी की परियोजनाओं को केन्द्र द्वारा विशेष वित्तीय सहायता प्रदान की जाए।

[हिन्दी]

डा. सत्यनारायण जटिया (उज्जैन): अध्यक्ष महोदय, कृपया आगामी सप्ताह की कार्य सूची में निम्नलिखित विषय सम्मिलित करें-

(एक) केन्द्र सरकार के शहरी विकास एवं शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय के अंतर्गत मध्य प्रदेश की नगरीय प्रशासन एवं विकास की बाल्मीकी अम्बेडकर आवास योजना, राष्ट्रीय गंदी बस्ती विकास कार्यक्रम, केन्द्र प्रवर्तित जल आवर्धन सहित अन्य योजनाएं तथा रोजगार और गरीबी उपशमन के लिए कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए अपेक्षित धनराशि उपलब्ध कराये जाने, तथा

(दो) ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत गरीबी उपशमन, रोजगार सृजन, आधारभूत सुविधा विकास और क्षेत्र विकास के कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए मध्य प्रदेश की प्रस्तावित योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए धनराशि दी जाये।

[अनुवाद]

श्री सुनील खां (दुर्गापुर): महोदय, अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित विषय सम्मिलित करें:-

(एक) इस विषय पर चर्चा कि लाभ कमा रहे सरकारी क्षेत्र के उपक्रम, निजी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हाथों में न चले जाएं।

(दो) महिला आरक्षण विधेयक पास करने की आवश्यकता।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया): अध्यक्ष महोदय, कृपया अगले सप्ताह की कार्य-सूची में निम्न विषय जोड़ा जाये-

"पूर्वी उत्तर प्रदेश में भारत सरकार की चार चीनी मिलें गौरीबाजार, पडरौना, कठकईया, भटौरा को निजी हाथों में सौंप कर चलाने जीने की योजना पर विचार किया जाये।"

श्री शिवराज सिंह चौहान (विदिशा): अध्यक्ष महोदय, अगले सप्ताह की कार्य-सूची में निम्न विषय जोड़े जायें-

(एक) देश में बेरोजगारों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। उच्च शिक्षा प्राप्त नौजवानों से लेकर खेतीहर मजदूर तक बेरोजगारी का शिकार होकर अंधकारमय जीवन गुजराने पर विवश हैं। बेरोजगारी की समस्या पर चर्चा की आवश्यकता।

(दो) बिजली संकट देश में गंभीर रूप धारण करता जा रहा है। बिजली की कमी से खेती, उद्योग और व्यापार चौपट हो रहे हैं। बढ़ते विद्युत संकट पर चर्चा की आवश्यकता।

श्री वीरेन्द्र कुमार (सागर): अध्यक्ष महोदय, अगले सप्ताह की कार्य-सूची में निम्नलिखित विषयों को सम्मिलित किया जाये-

(एक) सागर से देवरी महाराजपुर एवं सागर से मालथोन राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत एवं निर्माण कार्य प्राथमिकता के आधार पर किया जाये।

(दो) सागर जिले के देवरी, खुरई रहली एवं गढ़ाकोटा में मोबाइल सुविधा दूरसंचार विभाग द्वारा शीघ्र प्रारम्भ की जानी चाहिए।

[अनुवाद]

डा. अरूण कुमार शर्मा (लखीमपुर): महोदय, अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित विषयों को सम्मिलित किया जाए:

(एक) बाढ़ से प्रभावित परिवारों तथा क्षतिग्रस्त सड़कों के पुनर्निर्माण की गति की तत्काल समीक्षा की आवश्यकता है। केवल असम में ही बाढ़ से प्रभावित 2000 से अधिक बेघर परिवार सड़कों पर रह रहे हैं तथा सी आर एफ तथा एन सी सी एफ द्वारा संबंधित जिलों को धनराशि जारी न किए जाने के कारण सड़कों का पुनर्निर्माण प्रभावित हुआ है।

(दो) पिछड़े क्षेत्रों के लिए प्रधानमंत्री की विशेष पहल के अंतर्गत घोषित बोगीबील पुल परियोजना तथा एन एफ आर एल वाई के रोंगाई-मुरकुंगचेलेक खण्ड को जोड़ने वाली आमान परिवर्तन जैसी कुछ महत्वपूर्ण रेल परियोजनाओं के मामलों पर सरकार द्वारा तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता।

श्री पी.सी. थामस (मुवत्तुपुजा): महोदय, निम्नलिखित विषय को अगले सप्ताह की कार्यसूची में सम्मिलित किया जाए:-

एल आई सी कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं। बोनस प्रोत्साहन तथा कुछ अन्य उचित बातों की मांग की जा रही है। मामला सुलझाने के लिए सरकार को आगे आना चाहिए।

एक बात और है, मुझे लगता है कि ऐसा नहीं हुआ। यह सरकार की सामूहिक जिम्मेदारी के संबंध में है।

[हिन्दी]

श्री पारसनाथ यादव (जौनपुर) अध्यक्ष महोदय, पूर्वांचल के 80 प्रतिशत लोग अपनी रोजी-रोटी के लिए मुम्बई आते-जाते हैं तथा रोजी-रोजगार करते हैं। वहां पर काम करने वालों में व्यापारी, कर्मचारी एवं श्रमिक वर्ग के लोग हैं। श्रमिक लोगों की तादाद अत्यधिक होने के कारण आम लोगों को आवागमन में अत्यधिक परेशानी का सामना करना पड़ता है। जौनपुर एवं पूर्वांचल क्षेत्र की जनता की काफी समय से जौनपुर से मुम्बई तक वाया इलाहाबाद एक सुपरफास्ट गाड़ी चलने की मांग पिछले काफी समय से की जा रही है।

अत: मेरा केन्द्र सरकार एवं रेल मंत्री से अनुरोध है कि पूर्वांचल क्षेत्र की जनता की परेशानी को देखते हुए जौनपुर से मुम्बई तक वाया इलाहाबाद एक सुपरफास्ट रेलगाड़ी चलायी जाए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब हम मद सं. 14 पर आते हैं, श्रीमती मीरा कुमार।

...(व्यवधान)

श्री खारबेल स्वाईं (बालासोर): महोदय, आज दोपहर 2 बजे से 3.30 तक सरकार का कार्य क्या है? केवल दो विधेयकों को ही प्रस्तुत किया जाना है। उसमें मुश्किल से दो मिनट लगेंगे। आप सभा के अध्यक्ष हैं, आपको हमें बताना चाहिए कि आज क्या कार्य होगा? बिलकुल कुछ भी नहीं है। आप आज की कार्य-सूची देख सकते हैं *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): राज्य सभा जल्दी खत्म हो गई, लोक सभा जल्दी खत्म हो रही है। बिल ही नहीं आ रहे हैं। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया बारी-बारी से बोलें।

श्री खारबेल स्वाईं: महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि आज कोई सरकारी काम-काज नहीं है। आप कार्य-सूची देख सकते हैं। दोपहर 2 बजे से 3.30 बजे तक कोई कार्य नहीं है। केवल दो विधेयक ही प्रस्तुत किए जाने हैं, एक श्री शिवराज पाटील द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा और दूसरा श्री सुरेश पचौरी द्वारा। इन्हें प्रस्तुत करने में मुश्किल से दो मिनट लगेंगे। इसके अतिरिक्त हमें और क्या करना चाहिए? मीडिया और अन्य लोग हर समय कहते रहते हैं कि कोई कार्य नहीं है। सभा में कुछ नहीं हो रहा है। कोई कुछ नहीं कर रहा है। हम प्रत्येक मिनट पर करोड़ों रुपये खर्च कर रहे हैं। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि आज क्या कार्य है।

[हिन्दी]

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): भगवान का शुक्र है कि तीन महीने वेस्ट करने के बाद आज आपको पार्लियामेंट में याद आ गया कि वेस्ट भी होता है। तीन महीने से आपको याद नहीं था। ...*(व्यवधान)* चूंकि अब कुछ बोलने के लिए मुद्दा नहीं है, इसलिए ...*(व्यवधान)* जाकर मुद्दा ढूंढ़ लीजिए और फिर पार्लियामेंट में आ जाइए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं बारी-बारी से आपकी बात सुनूंगा। मैंने श्री मल्होत्रा को अनुमति दी है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री गुलाम नबी आजाद: मुद्दों की बैंकरप्सी की भी हद होती है। आपकी अब टोटल बैंकरप्सी हो गई है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं आपको बारी-बारी से अनुमति दूंगा। आप आपकी बात कहिए। मैं आपको बोलने से नहीं रोक रहा हूं। मैंने श्री मल्होत्रा और श्री खण्डूड़ी को अनुमति दी है।

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी (गढ़वाल): महोदय, मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा दिए गए उत्तर पर आश्चर्यचकित हूं। कभी-कभी खामियां होती हैं। कुछ बातें होती हैं परन्तु गुस्से में ऐसा कह देना कि 'भगवान का शुक्र है कि अब आपने इसे महसूस किया है, माननीय मंत्री से इस प्रकार के उत्तर की अपेक्षा नहीं की जाती है। किसी भी माननीय मंत्री से इस प्रकार से उत्तर की अपेक्षा नहीं की जाती है। वह एक अनुभवी मंत्री हैं। मुझे यह कहते हुए खेद है कि मंत्री महोदय इस प्रकार का उत्तर दे रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री गुलाम नबी आजाद: मैंने सभा में उनके वरिष्ठ नेताओं का व्यवहार देखा है। ...*(व्यवधान)*

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी: महोदय, अब वह भाषण देते जा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय: यहां भाषणबाजी नहीं होनी चाहिए।

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी: उत्तर देने के कुछ तरीके होते हैं। वह कह सकते थे कि हमें इस पर गौर करेंगे तथा इसके ये कारण हैं। वह इस प्रकार से इसे बताने की कोशिश कर सकते थे।

अध्यक्ष महोदय: अध्यक्ष महोदय, इस पर गौर करेंगे।

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी: परन्तु इस प्रकार के गुस्से की जरूरत नहीं है। मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री से इस प्रकार का उत्तर सुनकर दु:खी हूं। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया) आज गैर-सरकारी दिन है।

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): अध्यक्ष महोदय, कार्य मंत्रणा समिति में यह सुनिश्चित हो गया था कि सरकार के जो बिल होंगे, उनका हम समर्थन करेंगे, सहयोग करेंगे। हाउस का मूड क्या रहता है, व्यवस्थित रहता है या नहीं रहता है, वह अलग बात है, लेकिन सरकार का कामकाज जरूर होना चाहिए, ऐसी मेरी प्रार्थना है।

मैं समझता हूं भविष्य में इन घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यह बहुत गम्भीर मामला है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं समझता हूं कि श्री नीतीश कुमार कुछ बोलना चाहते थे।

श्री नीतीश कुमार (नालंदा): मैं 'शून्य काल' का इंतजार कर रहा हूं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: 'शून्य काल' नामक कोई समय नहीं है। यह अधिकारिक शब्द नहीं है।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह: अध्यक्ष महोदय, बिजनेस नहीं है, लेकिन जब सब लोग बोलने लग गए हैं तो बिजनेस तो हो ही गया। हम लोग आपसे एक ही निवेदन करना चाहेंगे कि इधर से जब हम कोई बात उठाते हैं तो आप गुस्सा हो जाते हैं और आपके आदेश का पालन हम करते हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप सही नहीं कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह: लेकिन सरकार गलती करती है तो उधर भी गुस्सा दिखा दें कि आइंदा ऐसा न हो। मुझे यही निवेदन करना है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मुझ पर आपका पक्षपात करने का आरोप है।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (श्रीमती मीरा कुमार): महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: अध्यक्ष जी, आप भी इस पर कुछ कहें।

अध्यक्ष महोदय: आज बहुत काम है। दो कालिंग एटेंशंस हैं। लंच के बाद भी बहुत काम है।

श्री खारबेल स्वाईं: क्या काम है?

अध्यक्ष महोदय: आप थोड़ा धीरज रखें।

[अनुवाद]

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): भोजनावकाश के पश्चात् उनको पता होगा कि कार्यवाही क्या है। यदि वह योजना बना रहे हैं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्रीमती मीरा कुमार, मैंने आपको बोलने की अनुमति दी है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: एकाधिकार न दिखाएं। किसी को भी एकाधिकार नहीं दिखाना चाहिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपने एक काफी महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है। निश्चित रूप से यह एक ऐसा मामला है जिस पर गौर किया जाना चाहिए तथा मैं यह प्रयास करूंगा कि भविष्य में ऐसी बातों की पुनरावृत्ति न हो।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप जब कभी भी कोई महत्वपूर्ण मुद्दा उठाते हैं तो मैं उस पर हमेशा ध्यान देता हूं परन्तु आप हमेशा गुस्सा हो जाते हैं और अध्यक्षपीठ को बुरा-भला कह रहे हैं।

अपराह्न 12.16 बजे

समिति के लिए निर्वाचन

नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1955 के अधीन गठित केन्द्रीय समन्वय समिति

[अनुवाद]

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (श्रीमती मीरा कुमार): मैं प्रस्ताव करती हूं:

"कि नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 3(2)(ज) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों तथा उनके अधीन बनाए गए नियमों के अध्यधीन केन्द्रीय समन्वय समिति के सदस्यों के रूप में उस अवधि तब जब तक वे सभा के सदस्य रहें, कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 3(2)(ज) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों तथा उनके अधीन बनाए गए नियमों के अध्यधीन केन्द्रीय समन्वय समिति के सदस्यों के रूप में उस अवधि तक जब तक वे सभा के सदस्य रहें, कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 12.17 बजे

विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में

[हिन्दी]

...*(व्यवधान)*

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): मेरा विशेषाधिकार का एक मामला है, जिसका मैंने नोटिस दिया है। मैंने आपके

सामने प्रिविलेज का सवाल रखा है। एक नोटिस मैंने 22 नवम्बर को भेजा था और एक आज भेजा है। अन्य सदस्यों ने भी भेजा है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं इस पर विचार करूंगा।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: मैंने विशेषाधिकार हनन का एक नोटिस लालू प्रसाद जी के खिलाफ दिया है। उन्होंने जिस तरह से हाउस में कहा कि मैंने कोई आरोप नहीं लगाया और पासवान जी ने कहा कि मैंने बाहर कोई आरोप नहीं लगाया।

अध्यक्ष महोदय: मुझे कंसीडर करने दीजिए।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: आप कृपा मेरी बात सुन लें। मैं एक-दो मिनट में एक्सप्लेन कर रहा हूं। इस बात को सारे हिन्दुस्तान ने देखा है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं एक टिप्पणी करूं?

[हिन्दी]

आपके लिए बोल रहा हूं।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: मुझे कहने का मौका दें, मैं एक-दो मिनट लूंगा। *...(व्यवधान)*

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर): ये लोग मुद्दाविहीन हो गए हैं इसलिए ऐसी बातें सदन में कर रहे हैं। कभी शंकराचार्य का मामला उठाते हैं और कभी ऐसे मुद्दे उठाते हैं। हम भी उनका मामला उठा सकते हैं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप लोग एक साथ मत बोलें। आप बैठिए।

[अनुवाद]

हमें अति भावुक नहीं होना चाहिए।

[हिन्दी]

मैं एक साथ सबको मौका नहीं दे सकता।

...(व्यवधान)

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: आप नोटिस दीजिए और शंकराचार्य का मामला उठा सकते हैं। *...(व्यवधान)*

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: जो इश्यू नहीं है आप उसको उठा रहे हैं। वह मामला तो न्यायालय के विचाराधीन है। ..(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मल्होत्रा जी, मेरे पास नोटिस आया है, यह अंडर कंसिडरेशन है।

[अनुवाद]

हम लोग सुबह से काफी अच्छा काम कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि दिए गए सभी आश्वासन जिनकी अभी याद दिलायी जा रही है पूरे किए जाएंगे।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: यहां पर मंत्री महोदय ने इतनी सख्त बात कही, जिसे सारे हिन्दुस्तान के 100 करोड़ लोगों ने देखा। उन्होंने कहा कि मैंने कोई आरोप नहीं लगाया। यह हमारी अवमानना है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह मेरे विचाराधीन है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा। मैं इसे हटा दूंगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों मुझे सर्वश्री पी.सी. थामस, सुशील कुमार मोदी, विजय कुमार मल्होत्रा और प्रभुनाथ सिंह, संसद सदस्यों से मुझे संसद सदस्य तथा रेल मंत्री श्री लालू प्रसाद और रसायन एवं उर्वरक मंत्री श्री राम विलास पासवान के बीच कथित मतभेदों के बारे में प्रकाशित रिपोर्ट के मुद्दे पर दिनांक 8 दिसंबर, 2004 को सभा को तथाकथित रूप से गुमराह करने के लिए दिनांक 9 और 10 दिसंबर, 2004 के विशेषाधिकार संबंधी प्रश्न के नोटिस प्राप्त हुए हैं। यह मामला मेरे विचाराधीन है।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। *...(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: यह सही नहीं है कि किसी भी दागी आदमी को मंत्री बनाया जाए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह ठीक नहीं है। आप बैठिए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह मेरे विचाराधीन है। आप अभी इसे कैसे उठा सकते हैं? इसकी अनुमति नहीं दी जाएगी। किसी भी अन्य चीज की अनुमति नहीं दी जाएगी।

मैं अभी इसकी अनुमति देना चाहता हूं।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार): हमारी भी सुन लीजिए।

अध्यक्ष महोदय: आपको क्या कहना है?

श्री प्रभुनाथ सिंह: हमने भी एक नोटिस दिया है।

[अनुवाद]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: महोदय, विशेषाधिकार संबंधी हमारे नोटिस आपके पास विचारार्थ हैं। परन्तु प्रधानमंत्री जी का यहां आकर उत्तर देने में आपका क्या कहना है? ...*(व्यवधान)* प्रधान मंत्री जी उत्तर देने हेतु यहां नहीं आए हैं। इसलिए हम इसके विरोध में सभा से उठकर बाहर जा रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.20 बजे

(इस समय प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा-भवन से बाहर चले गए।)

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया कोई टिप्पणी न करें।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों को सभा से उठकर बाहर जाने का भी अधिकार है।

...*(व्यवधान)*

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): इससे यह पता चलता है कि सभा की कार्यवाही में उनकी कितनी दिलचस्पी है। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: सदन के बिजनैस में इनकी कितनी रुचि है, यह सारा देश देख रहा है। अभी माननीय स्वाई साहब बोल रहे हैं कि 2 बजे से 3 बजे तक क्या करेंगे। ...*(व्यवधान)* अब तो सारा देश देख रहा है कि संसद के कार्य में इनकी कितनी रुचि है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: तब मैं आपको छोड़कर बाहर चला जाऊंगा।

अध्यक्ष महोदय: अब हम प्रश्न काल के बाद सभी की कार्यवाही पर चर्चा करेंगे।

अब, सुरवरम सुधाकर रेड्डी।

श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी (नालगोंडा): महोदय, भारतीय रिजर्व बैंक ने आंध्र प्रदेश में प्रुडेंशियल को-आपरेटिव अरबन बैंक, सिकन्दराबाद से अपना लाइसेंस वापस ले लिया है और 7 नवम्बर, 2004 को एक घोषणा की है। यह घोषणा प्रुडेंशियल को-आपरेटिव अरबन बैंक को बंद करने की है। यह आंध्र प्रदेश का सबसे पुराना को-आपरेटिव अरबन बैंक है जिसके 1,86,765 जमाकर्त्ता हैं। उनके द्वारा 451 करोड़ रुपये जमा किए गए हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया आपस में बातचीत न करें।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं आप सभी को अवसर देने के लिए बहुत उदार हूं।

अध्यक्ष महोदय: मैं सहयोग देने हेतु अपने मित्रों का आभारी हूं। कृपया शांतिपूर्वक अंदर आइए। आप सभी का स्वागत है।

श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी: इस बैंक को बड़े कर्जदारों से 300 करोड़ रुपए प्राप्त करने हैं। बैंक को बंद करने से सिर्फ कर्जदारों को फायदा होगा। जिन्हें बैंक को पैसा नहीं लौटाना पड़ेगा तथा जमाकर्त्ताओं को भारी हानि उठानी पड़ेगी। अधिकांश जमाकर्त्ता मध्य वर्ग और निम्न मध्य वर्ग के हैं। जमा बीमा योजना से उनको सिर्फ आंशिक मदद मिलेगी। मैं केन्द्र सरकार से प्रुडेंशियल को-आपरेटिव अरबन बैंक, सिकन्दराबाद को बंद करने के बारे में पुनर्विचार करने तथा जमाकर्त्ताओं की सहायता करने हेतु अनुरोध करता हूं।

अपराह्न 12.22 बजे

सदस्यों द्वारा निवेदन

(एक) बिहार के नालंदा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के सूखा प्रभावित क्षेत्रों में भुखमरी के बारे में

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार (नालन्दा): अध्यक्ष जी, बहुत दुःख के साथ मैं इस विषय को उठा रहा हूं। बिहार के कुछ हिस्सों में भयानक सूखे की स्थिति है और कुछ इलाकों में भूख से मौतें भी हुई हैं। इसकी खबरें वहां के स्थानीय समाचार-पत्रों में एडीशन्स में छपी हैं लेकिन राष्ट्रीय स्तर के अखबारों में खबर नहीं छपी है। इसलिए लोगों के ध्यान में ये खबरें नहीं आई हैं। नालंदा जिले में नवम्बर महीने में 6 लोगों की भूख से मौत हुई है। नवम्बर ही पांच तारीख को बच्ची देवी, पत्नी इंद्रदेव भगत, ग्राम निजमपुरा, अस्थावां, नालंदा। छः तारीख को मुगिया देवी पत्नी स्व. राम विपुन मांझी, गुलाब बाग, मोहन चक पंचायत, इस्लामपुर, नालंदा। नौ नवम्बर को सहोदरी देवी, पत्नी स्व. तेतर मांझी, ग्राम परियौना, पो. मेयार, नूरसाल, नालंदा। नवम्बर की 13 तारीख को जवाहर राम, पुत्र स्व. हरिराम, मल्लिक सराय, इस्लामपुर नगर पंचायत, नालंदा। बीस तारीख को संगीता देवी, पत्नी गणेश रविदास, ग्रा. और पो. राणीपुर, इस्लामपुर नालंदा। तीस नवम्बर को मीना देवी पत्नी गनौरी पासवान, ग्राम और पो. खुदागंज, इस्लामपुर, नालंदा। इस तरह से 6 लोगों की मौतें हो चुकी हैं और लगातार यह सिलसिला जारी है। वहां की स्थिति बहुत खराब है और प्रशासन की संवेदना समाप्त हो चुकी है। किसी भी प्रकार राहत उनको मुहैया नहीं कराई जा रही है। वहां की स्थिति इतनी भयानक है कि वहां पीने के पानी का संकट पैदा हो गया है। कुएं सूख चुके हैं और हैंडपम्प भी बेकार हो चुके हैं। इस तरह की स्थिति वहां उत्पन्न हो चुकी है।

खरीफ की फसल होने का सवाल नहीं है। वर्षा नहीं होने के कारण रबी की बुआई नहीं हुई। नतीजा यह हुआ कि वहां किसी के पास काम नहीं है। काम नहीं होने की स्थिति में मजदूर वर्ग के लोग और गरीबों की भूख से मौतें हो रही हैं। काम के बदले अनाज योजना नए सिरे से जोर-शोर से कुछ जगहों में चालू करने की बात की गई है लेकिन नालन्दा जिला सूखे से सर्वाधिक प्रभावित है, उसका कहीं नाम नहीं है। वहां काम के बदले अनाज योजना की शुरूआत नहीं हो रही है। मैंने वहां के स्थानीय प्रशासन और केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री को भी कहा कि आखिर वहां कोई कार्रवाई होनी चाहिए और काम के लिए कोई न कोई केन्द्र की योजना चलनी चाहिए ताकि वहां के गरीब लोगों को काम मिले। वहां लोग बुनियादी तौर पर कृषि पर आधारित हैं लेकिन कृषि चौपट हो चुकी है। किसी को काम नहीं मिल रहा है। पीने का पानी का संकट है, मवेशियों के लिए चारे का संकट उत्पन्न हो रहा है लेकिन सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हमें इस बात का बहुत अफसोस है। मैं केन्द्र सरकार से मांग करता हूं कि वह वहां की स्थिति को गम्भीरता से ले, केन्द्र की तरफ से टीम भेजी जाए और पूरी स्थिति का मुआयना किया जाए। मैं आग्रह करूंगा कि वहां किसी न किसी प्रकार से लोगों को काम देने के लिए योजना चलायी जानी चाहिए। हम नहीं जानते कि राज्य सरकार इसमें कुछ कर पाएगी या नहीं? राज्य सरकार कुछ कर पाती तो शायद यह नौबत नहीं आती कि हमें लोक सभा में इस प्रश्न को उठाना पड़ता। इसलिए आग्रह करूंगा कि यहां से एक टीम भेजें। कृषि मंत्री इस पर वक्तव्य दें चूंकि यह ड्राउट से संबंधित मामला है। गृह मंत्री यहां मौजूद हैं। डिजास्टर के लिए बनी मैनेजमैंट इनके जिम्मे है। कैलेमिटी का काम इनके जिम्मे है लेकिन यह ड्राउट से संबंधित प्रश्न है इसलिए हम चाहेंगे कि कृषि मंत्री इस पर बयान दें।

मैं गृह मंत्री से आग्रह करूंगा कि इस मामले में सरकार का रिसपौंस होना चाहिए। यह कोई पार्टी का सवाल नहीं है। यह एक मानवीय संवेदना का प्रश्न है। सरकार का बुनियादी दायित्व है। प्रधानमंत्री वहां बाढ़ के सिलसिले में गए थे। उन्होंने कहा था कि भूख से एक व्यक्ति की मौत होने नहीं देंगे। बाढ़ के बाद भी कई इलाकों में सूखे जैसी स्थिति है। गंगा के दक्षिणी इलाके में भयानक स्थिति है। गंगा के दक्षिणी इलाके में भयानक स्थिति है। इससे ज्यादा बदनुमा धब्बा किसी सरकार के लिए नहीं हो सकता है कि उसके राज में लोग भूख से मर रहे हैं। एनडीए सरकार के समय 12 राज्यों में सूखा पड़ा था लेकिन किसी को भूख से मरने नहीं दिया गया था। जितनी अनाज की जरूरत थी, वह यहां से मुहैय्या करायी गई थी। आपकी तमाम घोषणाओं के बाद अगर लोग भूख से मर रहे हैं, इससे अधिक कोई शर्मनाक बात नहीं हो सकती है। मैं इसके बारे में सरकार का रिसपौंस चाहता हूं। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप अपनी बात कह चुके हैं। धन्यवाद। मैंने आपको पूरा अवसर दिया है।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार: अध्यक्ष महोदय, मैं इस पर सरकार का जवाब चाहता हूं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यहां बहुत वरिष्ठ मंत्री उपस्थित हैं। यदि आप उत्तर देना चाहते हैं तो उत्तर दे सकते हैं।

गृह मंत्री (श्री शिवराज वि. पाटील): सामान्यत: 'प्रश्न काल' में जब कोई मुद्दा उठाया जाता है तो हम तब तक उसका उत्तर नहीं देते जब तक हमसे ऐसा करने के लिए नहीं कहा जाता। महोदय, हमें राज्य सरकारों से सूखे और बाढ़ प्रभावित लोगों की कठिनाइयों के बारे में सूचना प्राप्त हुई थी। इन अनुरोधों पर समिति ने विचार किया है। इस समिति ने गृह, कृषि और अन्य मंत्रालय के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया है। हमने राज्य सरकारों को लोगों की मांगों को पूरा करने और लोगों की सहायता करने के लिए बड़ी मात्रा में खाद्यान्न और काफी धनराशि दी है। हम माननीय मंत्री द्वारा दी गई जानकारी को ध्यान में रखकर राज्य सरकार से इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। यदि जितना हमने किया है उससे अधिक करने की आवश्यकता होगी तो हम अवश्य इस पर गौर करेंगे।

अध्यक्ष महोदय: यह बहुत अच्छा है। आपको उत्तर भी मिल गया है।

[हिन्दी]

श्री मो. ताहिर (सुल्तानपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, 25 नवम्बर को हमारा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम लगा था जिसके तहत बिसौली विधान सभा क्षेत्र में हमारा दौरा था। उस दौरान साढ़े चार बजे हमारे ऊपर कातिलाना हमला किया गया। हमें मारने की प्लानिंग थी। समाजवादी पार्टी के लोगों ने हमारे ऊपर अटैक किया। पांच बजे जब हम एफआईआर दर्ज कराने के लिए थाना कूडेभार पहुंचते हैं तो हमारा प्रार्थना पत्र ले लिया जाता है लेकिन हमें रात दो बजे तक रोक कर एसपी, सुल्तानपुर, कई थाना अध्यक्ष और सिटी सदर रात लगभग दो-तीन बजे जेल भेज देते हैं।

हमें प्रताड़ित किया जाता है। 26 तारीख को हमारे खिलाफ धारा 504 के तहत मामला थाना बंदीराम में दर्ज किया जाता है। इसके अलावा हमारे खिलाफ मामले दर्ज किये जा रहे हैं। मैंने जो भी लिखकर दिया, उसे गलत मान रहे हैं। यह साजिश उत्तर प्रदेश सरकार की है जो मुझे जान से मरवा डालना चाहती है। एक सोची-समझी प्लानिंग के तहत रणनीति बनाई गई है। इस सदन का सदस्य होने के नाते आपसे मुझे संरक्षण चाहिये क्योंकि मेरे जीवन का सवाल है।

अध्यक्ष महोदय, मैं मांग करता हूं कि यह मामला विशेषाधिकार समिति के सुपुर्द किया जाये ताकि सभी मामलों की जांच हो सके। उत्तर प्रदेश सरकार पुलिस प्रशासन और *....* ने यह सब किया है ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: इसे कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया जाएगा। आप ऐसी बातें क्यों कह रहे हैं?

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य उत्तर प्रदेश सरकार पर आरोप लगा रहे हैं ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री रामजीलाल सुमन, आप उत्तर प्रदेश सरकार का प्रतिनिधित्व नहीं करते।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन: अध्यक्ष महोदय, यह बिलकुल मनगढ़न्त है ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्रीमान आजमी, मैंने आपकी पार्टी के एक माननीय सदस्य को बोलने की अनुमति दी है। कृपया आप बैठ जाएं।

...*(व्यवधान)*

---

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: यह बात ठीक नहीं है। आप बैठिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: रामजीलाल जी, आप बैठिए। कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप बैठ जाएं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य खान; मुझे आपका 10 दिसम्बर 2004 का नोटिस प्राप्त हुआ है जिसमें आपने कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आपके विरुद्ध झूठे मामले दर्ज किए जा रहे हैं जिससे आप अपने ससंदीय कार्य नहीं कर पा रहे है। मुझे आपकी 16 नवंबर 2004 की शिकायत भी प्राप्त हुई है जिसमें आपने कहा है कि सुल्तानपुर सिटी के क्षेत्राधिकारी आपके साथ भेदभाव करते हैं। मैंने गृह मंत्रालय से इस शिकायत के संबंध में वास्तविक स्थिति से अवगत कराने के लिए कहा है। मैं गृह मंत्रालय से भी उत्तर प्रदेश सरकार के विरुद्ध आपके आरोपों के संबंध में वास्तविक स्थिति से अवगत कराने के लिए कह रहा हूं।

श्री मो. ताहिर: धन्यवाद, महोदय।

अध्यक्ष महोदय: आप धैर्य क्यों नहीं रख रहे हो? आप क्या सोचते हैं कि धैर्य न रखकर आप इस सभा के लोकप्रिय सदस्य बन जाएंगे?

श्री सुबोध मोहिते

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइए। मैं इस प्रकार की अनुशासनहीनता की अनुमति नहीं दूंगा।

...(व्यवधान)

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय: वरिष्ठ सदस्य भी उचित व्यवहार नहीं कर रहे हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों को मुद्दे उठाने के लिए कम से कम एक दिन तो होना ही चाहिए।

[हिन्दी]

आप लोग बैठिये। यह ठीक नहीं है। क्या बात है, आप क्यों खड़े हैं? जिनके नाम लिस्ट में हैं, मैं उन्हें बुलाऊंगा।

...(व्यवधान)

श्री सुबोध मोहिते (रामटेक): अध्यक्ष जी, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा भारत के स्वर्गीय राष्ट्रपति डा. शंकर दयाल शर्मा को जो आज हमारे बीच नहीं हैं। उन्होंने महाराष्ट्र में संविधान की धारा 371(2) के अंतर्गत विदर्भ एरिया के लिये 1994 में डेवलेपमेंट बोर्ड का गठन किया था जिसकी अवधि 5 वर्ष की थी। आप जानते हैं कि पौलिटिकल पार्टीज द्वारा एजैंडा डेवलपमेंट होता है लेकिन इलैक्शन होने के बाद एजैंडा बदल जाता है। इस प्रकार विदर्भ के साथ इनजस्टिस किया गया है।

[अनुवाद]

1995 में भारतीय जनता पार्टी और शिव सेना ने सत्ता संभाली थी तो उन्होंने इसी बोर्ड के कार्यकाल को 5 वर्ष के लिए बढ़ाने की सिफारिश की थी।

[हिन्दी]

लेकिन मुझे यह मुद्दा यहां इलिये उठाना पड़ रहा है क्योंकि जब 1999 में बीजेपी-शिवसेना की सरकार चली गई, उसके बाद वहां कांग्रेस की सरकार आई। विदर्भ के लिये 5200 करोड़ रुपये का बैकलाग था। महाराष्ट्र की स्टेट गवर्नमेंट को संविधान की धारा 371(2) के अधीन इस विदर्भ डेवलेपमेंट बोर्ड को पांच साल के लिये बढ़ाना चाहिये था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। महाराष्ट्र की उस कैबिनेट ने एक साल का एक्सटैंशन दिया। वह एक्सटैंशन दि. 30.04.2005 को खत्म होने जा रहा है। मेरी आपके माध्यम से सरकार से प्रार्थना है कि आज जो महाराष्ट्र की स्थिति है, जो एक डेवलप्ड स्टेट था, हिंदुस्तान में जिसका नाम था।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह केन्द्र सरकार या राज्य सरकार का कर्त्तव्य है?

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री सुबोध मोहितेः महाराष्ट्र जो एक डेवलप्ड स्टेट थी, आज वहां पानी की व्यवस्था तक नहीं है। श्री शिवराज पाटील और श्री गुलाम नबी आजाद यहां पर हैं। जिन्होंने महाराष्ट्र के विदर्भ से चुनाव लड़ा है। आज महाराष्ट्र में बिजली की व्यवस्था बदतर है तथा महाराष्ट्र सरकार ने वहां अकाल पास किया है और 200 करोड़ रुपये की डिमांड यहां से की है। आज वहां आत्महत्या की स्थिति है। जैसा नीतीश कुमार जी ने अभी बिहार का मामला यहां उठाया, सेम सिचुएशन महाराष्ट्र में है। मैं कहना चाहता हूं कि इस डवेलपमेन्ट में पोलिटिक्स होने की बहुत संभावना है। जो एक्सपायरी डेट 30.04.2005 को खत्म होने जा रही है। सैन्ट्रल गवर्नमैन्ट की होम मिनिस्ट्री से राज्यपाल को डायरेक्टिव जाता है, तब बोर्ड का नोटिफिकेशन निकलता है। मेरी प्रार्थना है कि गृह मंत्री जी यहां मौजूद हैं। अगर महाराष्ट्र की कैबिनेट यह डेवलपमैन्ट बोर्ड पांच साल के लिए रिकमैंड नहीं करता है तो इसे ध्यान में रखते हुए, विदर्भ के बैकलाग को कंसीडर करते हुए, इसे कम्पैल करने के लिए यहां से डायरेक्टिव जानी चाहिए। यही मेरी आपसे प्रार्थना है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः श्री ब्रजेश पाठक, मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको भविष्य में बोलने का मौका नहीं मिलेगा। आप इस चेतावनी को याद रखिएगा।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री ब्रजेश पाठक (उन्नाव): सर, हमने तो कोई गलती नहीं की है।

अध्यक्ष महोदयः आप बोलिये, बहुत हो गया।

श्री ब्रजेश पाठकः अध्यक्ष महोदय, अभी दिल्ली में इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर हुआ था। उस ट्रेड फेयर में वहां के आयोजकों ने बड़ी संख्या में टिकटों में घोटाला किया है। यदि टिकट एक करोड़ की संख्या में छपवाये गये तो कागजों पर उन्हें पचास लाख टिकट दिखाया गया। इस तरह से करोड़ों रुपये का घोटाला सरकार की नाक के नीचे दिल्ली में हुआ। हम आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से आग्रह करते हैं कि टिकटों के इस घोटाले में शामिल दोषी अधिकारियों को दंडित किया जाए। जिन्होंने दिल्ली में बैठक भारत सरकार की नाक के नीचे ट्रेड प्रोमोशन के नाम पर हिंदुस्तान की जनता का शोषण करने का काम किया। उन लोगों ने पचास लाख टिकट कागजों पर दिखाये और एक करोड़ से डेढ़ करोड़ की संख्या में टिकट छपवाये। इस तरह से चार सौ रुपये या तीन सौ रुपये में टिकट बेचे गये। हमारी मांग है कि घोटाले में लिप्त लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए तथा उन्हें सस्पैंड किया जाए। धन्यवाद।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री ने इसे सुना होगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः श्री हेमलाल मुर्मू।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः प्रत्येक माननीय सदस्य सतर्क और चुप रहें।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री हेमलाल मुर्मू (राजमहल): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान खासतौर से झारखंड प्रदेश में मलेरिया, कालाजार और यक्षमा कार्यक्रम की विफलता की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। झारखंड में मलेरिया निदेशालय का गठन नहीं हुआ, जिसके कारण वहां डी.डी.टी. का छिड़काव नहीं हो पा रहा है। डी.टी.टी. का छिड़काव करने वाले कर्मचारियों को भुगतान के लिए राज्य सरकार पैसा उपलब्ध नहीं कर रही है। इस कारण दुमका, गोड्डा, साहेबगंज और पाकुड़ इन चार जिलों में प्रति माह कम से कम एक हजार लोगों की मृत्यु हो रही है। चूंकि यह जंगल और पहाड़ी इलाका है, इसलिए वहां किसी तरह की स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं हैं। वहां कीटरोधी दवा की उपलब्धता नहीं है तथा मलेरिया की दवा वहां के अस्पतालों में उपलब्ध नहीं है। इस कारण आज वहां बहुत भयावह स्थिति है। माननीय प्रधान मंत्री जी से हम लोगों ने आग्रह किया था, उसके बाद वहां एक केन्द्रीय टीम भेजी गई थी। उस टीम ने कहा कि जितनी शिकायत की गई, उससे कहीं ज्यादा वहां पर बीमारी फैली हुई है। लेकिन फिर भी आज तक कुछ नहीं हुआ। इसलिए हम चाहेंगे कि वहां के लोगों को बचाने के लिए केन्द्र सरकार की तरफ से तुरंत कुछ व्यवस्था की जाए। अन्यथा वहां ब्रेन मलेरिया इस कदर फैला हुआ है, जिसके कारण लोग लगातार मरते जा रहे हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः यह बहुत अच्छा मुद्दा है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: इस सप्ताह जिस किसी भी सदस्य ने इस मुद्दे को उठाया है उन्हें तब तक नहीं बुलाया जाएगा जब तक पर्याप्त समय नहीं होगा।

...(व्यवधान)

प्रो. के.एम. कादर मोहिद्दीन (वेल्लौर): महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। तमिलनाडु में तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने तिरूचिरापल्ली के सेमबट्टू में 20 से अधिक चर्मशोधनशालाओं को नोटिस जारी किये हैं। उन्होंने सभी चर्मशोधनशालाओं को बंद कर दिया है। इससे 15,000 से ज्यादा परिवार प्रभावित हुए है। आज वे बिना काम और बिना भोजन के रह रहे हैं। केन्द्र सरकार द्वारा बहिस्राव शोधन संयंत्र की स्थापना की जानी थी। सरकार ने पहले ही इसका वायदा किया था। लेकिन सरकार आज तक इस संयंत्र को स्थापित करने में असफल रही है। प्रदूषण बोर्ड ने यह कहते हुए नोटिस जारी किए हैं कि इन चर्मशोधनशालाओं द्वारा बहि:स्राव शोधन संयंत्र की स्थापना नहीं की गई है।

वेल्लौर जिले और चेन्नई के पड़ोसी क्षेत्रों जैसे वनियमबाडी, अंबूर, पेरनामबट्टू, डिंडीगुल, पल्लावरम तथा कोमपरे में भी यही खतरा है। इस कार्यवाही से लगभग 10 से 12 लाख कामगार प्रभावित हुए हैं। इसलिए मैं अध्यक्ष महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह सरकार को विशेषकर वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय को यह अनुदेश दें कि वह इन चर्मशोधनशालाओं की बंदी पर रोक लगाए और सभी चर्मशोधनशालाओं को काम करने की अनुमति दे और लोगों की इन चर्मशोधनशालाओं में कार्य करने की अनुमति दे। धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय: यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है इसमें कोई सन्देह नहीं है कि इस पर ध्यान दिया जाएगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: जो शांतिपूर्वक प्रतीक्षा कर रहे है उन्हें इसका इनाम मिलेगा।

अपराह्न 12.41 बजे

(दो) पाकिस्तानी जेलों में बंद भारतीय मछुआरों की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित किए जाने के बारे में

[हिन्दी]

श्री जसुभाई दानाभाई बारड़ (जूनागढ़): माननीय अध्यक्ष जी, पिछले 15 दिनों में गुजरात के समुद्र तट से जुड़ा हुआ पाकिस्तान का जो बार्डर है, वहां से पाकिस्तानी सिक्यूरिटी गार्ड्ज ने करीब-करीब 700 मछुआरों को पकड़कर पाकिस्तान की जेलों में बंद किया है और उनके द्वारा काम में लाई जाने वाली जो बोट्स हैं, वे भी पकड़ ली गई हैं। इससे करीब 700 मछुआरों के परिवार वालों को काफी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। मैं सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि पाकिस्तानी बार्डर का समुद्र तट सिर्फ गुजरात के कच्छ और जखठ इलाके में पड़ता है। जब भी पाकिस्तानी कोस्ट गार्ड मछुआरों को पकड़कर ले जाते हैं तो उसमें ज्यादातर लोग गुजरात के दीव विस्तार, दमन विस्तार के और सौराष्ट्र के इलाके के होते हैं। मैं सरकार से गुजारिश करना चाहता हूं कि पाकिस्तानी जेलों में बंद जो मछुआरे हैं, उनको तथा उनकी बोट्स को छुड़ाने के लिए जल्दी से जल्दी कुछ कार्रवाई की जाए। हालांकि, जो मछुआरे वहां से यहां आते हैं, वे बताते हैं कि उनको पाकिस्तानी जेलों में खाने की भी पूरी उपलब्धता नहीं है और उनके साथ अमानुषिक बर्ताव किया जाता है। जल्दी से जल्दी उनको छुड़ाने के लिए सरकार कुछ कार्रवाई करे, यह मेरा अनुरोध है।

[अनुवाद]

श्री पी.एस. गढ़वी (कच्छ): मैं माननीय गृह मंत्री से अनुरोध करता हूं कि तटरक्षक बल के कार्यकलापों में तेजी लाई जाए। तभी इस पुरानी समस्या का समाधान होगा।

गृह मंत्री (श्री शिवराज वि. पाटील): महोदय, हम तटरक्षक बल को मजबूत बनाने के लिए पहले ही निर्णय ले चुके हैं हम और नौकाओं की खरीद कर रहे हैं। हम तटरक्षक बल में अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या बढ़ा रहे हैं ताकि उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को आवश्यक सुरक्षा प्रदान की जा सके।

अध्यक्ष महोदय: धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री हरिकेवल प्रसाद (सलेमपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से कहना चाहता हूं कि प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी, समाजवादी आंदोलन के पुरोधा, आपातकाल के नायक तथा पूर्व केन्द्रीय मंत्री स्वर्गीय राजनारायण जी की स्मृति में अभी तक कोई डाक टिकट जारी न किया जाना केन्द्र की पिछली सरकारों की भेदभावपूर्ण नीति का परिचायक है। जहां कई ऐसे व्यक्तियों के नाम पर स्मारक और डाक टिकट जारी किये जा चुके हैं जिनका देश की आजादी और इसके पुनर्निर्माण में कोई योगदान नहीं रहा, वहीं स्वर्गीय राजनारायण जैसे देशभक्त तथा दलितों, गरीबों, अल्पसंख्यकों

और शोषित, पीड़ित जनता के लिए जीवनपर्यन्त संघर्ष करने वाले राजनारायण जी के व्यक्तित्व की अनदेखी की गई है। इस संबंध में मैंने निवर्तमान संचार मंत्री से कई बार पत्र-व्यवहार किया, परंतु खेद है कि वह हर भ्रामक जवाब देते रहे और इस मामले में सकारात्मक कदम बढ़ाने की कोशिश नहीं की गई है। मैं सम्माननीय सदन के माध्यम से केन्द्र सरकार से मांग करता हूं कि वह स्वर्गीय राजनारायण जी की पुण्य तिथि 31 दिसम्बर के अवसर पर स्मारक और डाक टिकट जारी करने की घोषणा करे।

अपराह्न 12.44 बजे

(तीन) बिहार में दरभंगा स्थित इलाहाबाद बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय को बंद किए जाने और इसका मुजफ्फरपुर, बिहार स्थित बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय के साथ विलय किए जाने के कारण पैदा हुए असंतोष के बारे में

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं लोक महत्व के महत्वपूर्ण विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। भारत-नेपाल सीमावर्ती इलाके से 50 किलोमीटर भीतर दरभंगा परिमंडल उत्तर बिहार की कमिश्नरी है। यह सबसे प्रमुख केन्द्र है जहां 15 वर्षों से इलाहाबाद बैंक क्षेत्रीय कार्यालय कार्य कर रहा है। इस कार्यालय के क्षेत्राधिकार में 11 जिले हैं। 11 जिलों में से आठ जिलों में बैंक शाखाएं कार्यरत हैं और तीन जिलों में बैंक शाखाएं खोलने से संबंधित रिपोर्ट वर्षों से इलाहाबाद बैंक के मुख्यालय में है।

अध्यक्ष महोदय, इलाहाबाद बैंक प्रबन्धन ने अचानक दरभंगा क्षेत्रीय कार्यालय को बन्द कर, उसे मुजफ्फरपुर क्षेत्रीय कार्यालय में विलय करने का निर्णय लिया है।

महोदय, मैं इसका इसलिए उल्लेख कर रहा हूं कि यह विषय बहुत गम्भीर है क्योंकि दरभंगा शहर एक तो उत्तर बिहार का सबसे बड़ा व्यापारिक, आर्थिक एवं राजनीतिक दृष्टिकोण से, मिथिलांचल का प्रमुख स्थान है, प्रमुख केन्द्र है। वहां पंजाब नेशनल बैंक, सेंट्रल बैंक और बैंक आफ इंडिया भी अपने-अपने क्षेत्रीय कार्यालय खोलकर काम कर रहे हैं, लेकिन इलाहाबाद बैंक ने अचनाक अपना क्षेत्रीय कार्यालय बन्द कर दिया है। दरभंगा शहर ही नहीं, बल्कि इससे जुड़ा हुआ मधुबनी के किशनगंज तक का सारा क्षेत्र, लगभग फैला हुआ है। बैंकिंग क्रियाकलाप की दृष्टि से वह इतना बड़ा क्षेत्र है, जहां बैंक की शाखाएं खोलकर, बैंक का लाभ बढ़ाया जा सकता है। अत: मैं माननीय वित्त मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि मुजफ्फरपुर में इलाहाबाद बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय से विकास की दृष्टि से तथा नए विशाल क्षेत्र सीवान से किशनगंज तक, लगभग 750 किलोमीटर दूरी तक की देखभाल करना, बैंक के लिए सरल नहीं होगा, सहज नहीं होगा। दरभंगा क्षेत्रीय कार्यालय के अंतर्गत पड़ने वाले क्षेत्र का दरभंगा केन्द्र है। अत: मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी से मांग करता हूं कि इलाहाबाद बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय, दरभंगा को यथावत रखा जाए, पूर्ववत ही रहने देने का निर्णय सरकार ले, वित्त मंत्री जी लें।

[अनुवाद]

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): महोदय, माननीय सदस्य मुझे वक्तव्य की एक प्रति दें। मैं इसकी जांच करूंगा।

अपराह्न 12.46 बजे

(चार) आतंकवादी गतिविधियों में वृद्धि को देखते हुए जम्मू-कश्मीर में सैनिकों की तैनाती में कमी करने के निर्णय की समीक्षा के बारे में

[हिन्दी]

श्री शिवराज सिंह चौहान (विदिशा): माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार ने यह फैसला किया है कि जम्मू-कश्मीर में जो हमारी सेना है, उसमें कटौती की जाएगी और वहां से सेना वापस बुलाई जाएगी।

महोदय, देश में लगातार, विशेषकर जम्मू-कश्मीर में आतंकवादी घटनाएं बढ़ रही हैं, सेना के शिविरों पर हमले हो रहे हैं, जवान मारे जा रहे हैं, आत्मघाती हमलों में तेजी आई है। हमारे रक्षा मंत्री स्वयं कह रहे हैं कि सीमा पार से घुसपैठ में कोई कमी नहीं आई है, कोई नियंत्रण नहीं हुआ है बल्कि सीमा पार से घुसपैठ और बढ़ गई है। रक्षा मंत्री महोदय, स्वयं कहते हैं कि सीमा पार अधिकृत काश्मीर में 67 आतंकवादी प्रशिक्षण शिविर चल रहे हैं और 32 ऐसे केन्द्र हैं जहां से आतंकवादी घुसपैठ भारत में कराई जाती है।

महोदय, जहां एक तरफ यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, वहीं दूसरी तरफ जब यह सरकार पाकिस्तान के साथ बात करती है, तो सीमा पार आतंकवाद का जिक्र भी नहीं करती है। जब आतंकवादी घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, तब सेना की संख्या में कटौती करना कहां तक उचित है?

महोदय, मुझे तो यहां तक जानकारी मिली है कि इस मामले में प्रधानमंत्री कार्यालय और रक्षा मंत्रालय में भी मतभेद हैं। मैं

[श्री शिवराज सिंह चौहान]

आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि यह देश की सुरक्षा का सवाल है, देश की सुरक्षा दांव पर लगी है। ऐसी स्थिति में सेना में कमी करने या सेना को वापस बुलाने के अपने निर्णय पर सरकार पुनर्विचार करे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय गृहमंत्री इसका उत्तर देना चाहते हैं।

[हिन्दी]

श्री गणेश सिंह (सतना): सर, मेरा भी इसी से जुड़ा हुआ सवाल है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आपने एक प्रश्न पूछ लिया है। मैं आपको दूसरा प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दूंगा।

[हिन्दी]

श्री गणेश सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं सैकिंड चांस नहीं ले रहा हूं। जिस विषय पर माननीय शिवराज सिंह जी चौहान बोले हैं, उसी विषय पर मेरा भी नोटिस है। इसलिए मैं अपने को उनसे एसोसिएट करना चाहता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप स्वयं को उनसे संबद्ध कर सकते हैं।

[हिन्दी]

गृह मंत्री (श्री शिवराज वि. पाटील): अध्यक्ष जी, मैं दो बातों के बारे में संक्षेप में खुलासा करना चाहता हूं। सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री कार्यालय, रक्षा मंत्रालय और मेरे मंत्रालय, यानी गृह मंत्रालय में, सेना कम करने के बारे में कोई मतभेद नहीं है। दूसरी बात यह है कि आज यह कहा जा रहा है कि वहां जो इनफिल्ट्रेशन हो रही है उसकी संख्या पर गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय में मतभेद हैं। मैं बताना चाहता हूं कि रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय में इस बारे में भी कोई मतभेद नहीं हैं। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि जब रक्षा मंत्री यह कहते हैं कि सितम्बर और अक्तूबर, इन दो महीनों या एक महीने में इनफिल्ट्रेटर्स की संख्या बढ़ी है, तो उनके ऐसा कहने का आधार यह है कि पिछले वर्ष जो इनफिल्ट्रेटर्स आए थे, उससे संख्या बढ़ी है। इसलिए आधी-अधूरी मालूमात देकर उसे वर्तमान संदर्भ में लेकर, लोगों का दिशाभ्रम करने से हमारे देश की रक्षा के काम में कोई अच्छी बढ़ोत्तरी नहीं होगी। मैं इतना ही कहना चाहता हूं।

श्री शिवराज सिंह चौहान: अध्यक्ष महोदय, वहां 67 ट्रेनिंग कैम्प चल रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): महोदय, नहीं। यह काफी महत्वपूर्ण बात है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: इस विषय पर अगले सप्ताह, सोमवार या मंगलवार को चर्चा होनी है। आप जानते हैं कि आप ही इसकी शुरूआत करेंगे।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपने एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है। किंतु इस पर चर्चा भी की जाएगी। उन्होंने पहले ही इसका उत्तर दे दिया है।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

...*(व्यवधान)*

श्रीमती सी.एस. सुजाता (मवेलीकारा): महोदय, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी विधेयक के वर्तमान त्रुटिपूर्ण मसौदे में सरकार इस अधिनियम की कार्यवाही को कुछ चुनिंदा जिलों में सीमित करना चाहती है और इसके विस्तार की कोई गारंटी नहीं है।

यह भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि मसौदे में साझा रहने अथवा एक सामान्य राशन कार्ड के आधार पर एक घर की परिभाषा दी गई है। इसमें संयुक्त परिवारों की वास्तविकता की उपेक्षा की गई है। दूसरे शब्दों में, यदि तीन वयस्क पुत्र और उनके परिवार हैं तो मसौदा विधेयक के अंतर्गत केवल एक को ही रोजगार मिलेगा। इससे न्यूनतम साझा कार्यक्रम में दिए गए वायदे का मखौल बनेगा।

सरकारी कार्यक्रमों से महिलाओं को बाहर रखने के नकारात्मक परिणाम के विगत अनुभव की अवहेलना की गई है और इस अनिवार्य खंड का कोई उल्लेख नहीं है कि कानून के अंतर्गत कम से कम 40 प्रतिशत काम महिलाओं को मिलना चाहिए। इस समय, अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम कानूनी मजदूरी का भुगतान नहीं किया जा रहा है। आश्चर्यजनक बात यह है कि प्रस्तावित मसौदे में स्वयं न्यूनतम कानूनी मजदूरी की मंजूरी दी गई है और यह प्रस्ताव किया गया है कि प्रस्तावित अधिनियम के अंतर्गत उपलब्ध कराए गए काम के बदले मजदूरी के लिए न्यूनतम मजदूरी अधिनियम

लागू नहीं होना चाहिए अपितु केन्द्रीय सरकार को इसका निर्णय करना चाहिए। यह इस बात का अशुभ संकेत है कि ग्रामीण भारत में बेरोजगार लाखों लोगों की कमजोरी का प्रयोग न्यूनतम मजदूरी को और कम करने हेतु किया जाएगा, जिसे रोका जाना चाहिए। यद्यपि यह एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना है, मसौदा विधान में राज्य से इसकी लागत का 1/3 भाग वहन करने की आशा की जाती है और राज्यों के उपलब्ध संसाधानों के अभाव को देखते हुए इसे लागू करना लगभग असंभव है।

अत: यह जरूरी है कि सरकार समस्त लागत वहन करने की जिम्मेदारी ले।

अध्यक्ष महोदय: चर्चा संक्षिप्त और सटीक होनी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल शर्मा (जम्मू): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी विसासत से मजमुंई तौर से सारी रियासत जम्मू-कश्मीर और खास कर अपने क्षेत्र जम्मू, पुंछ कांस्टीट्यूएंसी में बार्डर के साथ रहने वाले लाखों लोगों की तरफ दिलाना चाहता हूं, जो टेलीफोन फेसिलिटी से महरूम हैं।

अध्यक्ष महोदय, टेलीफोन आज जिन्दगी का अहम हिस्सा बन गया है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से एक हिदायत है कि 10 कि.मी. की परिधि के भीतर आप मोबाइल टेलीफोन नहीं चला सकते, उसकी अनुमति नहीं है, लेकिन लैंड लाइन का काम पिछले दो साल से मरकजी सरकार ने बंद कर रखा है। हमारे हजारों गांव कठुआ से लेकर पुंछ, लेह तक साथ-साथ लगते हैं, उन्हें 20-20 किलोमीटर पीछे टाउन में आकर टेलीफोन मिलता है। वहां बहुत से लोगों के पास रोजगार नहीं है, जो आर्मी के अंदर हैं उनके परिवार के लोग अगर उनसे बात करना चाहते हैं तो उनके लिए वहां यह फेसिलिटी मुहैया नहीं है। लिहाजा मैं आपकी विसासत से सरकार से और टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्ट्री से इस्तदा करना चाहता हूं कि अगर आप यह शर्त नहीं हटा सकते, वहां बार्डर के साथ रहने वाले लोगों के लिए मोबाइल टेलीफोन नहीं चला सकते तो लैंडलाइन का जो काम पिछले दो साल से बंद कर रखा है, उसे फौरी तौर पर शुरू किया जाए ताकि लोगों को यह सहूलियत मुहैया हो सके।

[अनुवाद]

श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर (वडोदरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, गुजरात के मुख्यमंत्री ने भारत सरकार के वित्त मंत्री को पत्र लिखे थे। भारत सरकार ने गुजरात सरकार को भूकंप और पुनर्वास कार्य हेतु विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक (एडीबी) से प्राप्त ऋण को सामान्य अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (एसीए) पद्धति अर्थात् 70 प्रतिशत राशि ऋण के रूप में और 30 प्रतिशत राशि अनुदान के रूप में भेजी है। आरंभिक ब्याज दर 12.5 प्रतिशत थी जिसे बाद में घटाकर 9.5 प्रतिशत वार्षिक कर दिया गया है। गुजरात सरकार ने केन्द्र सरकार से यह अनुरोध किया था कि उसके द्वारा आपदा, जो कभी-कभार आती है, के प्रयोजनार्थ लिए गए ऋण को अनुदान के रूप में बदल दिया जाए।

मैं सरकार से यह अनुरोध करती हूं कि इस विशेष प्रयोजन वाले ऋण को अनुदान में बदल दिया जाए।

अध्यक्ष महोदय: अब प्रो. रासा सिंह रावत।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा (धंधुका): अध्यक्ष महोदय, मैंने भी नोटिस दिया है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइए। कृपया अपने सदस्य को बोलने का मौका दें।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री इलियास आजमी (शाहाबाद): अध्यक्ष महोदय, हमने भी नोटिस दिया है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: हम लिस्ट के मुताबिक नाम बोलते हैं।

...(व्यवधान)

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा: अध्यक्ष महोदय, मैंने भी नोटिस दिया है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यगण, कार्यमंत्रणा समिति ने निर्णय किया है कि प्रत्येक सदस्य को 'शून्य काल' के दौरान प्रत्येक सप्ताह एक बार बोलने का अवसर मिलेगा। मैं सिर्फ कार्यमंत्रणा समिति द्वारा लिए गए निर्णय का अनुपालन कर रहा हूं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के 25 जिलों में 18,000 से ज्यादा गांवों में भयंकर सूखे के कारण फसल बर्बाद हो गई है।

आज वहां भयावह स्थिति पैदा हो गयी है। अनिश्चित मानसून के कारण राजस्थान के जोधपुर एवं बीकानेर संभागों में तथा शेष भागों में भी फसलों का भारी नुकसान हुआ है। पेयजल का भयंकर संकट पैदा हो गया है, अत: टैंकरों से पानी पहुंचाना आवश्यक है। वहां पशुधन को बचाने के लिए चारे की व्यवस्था एवं पशुधन संरक्षण कैम्प लगाना आवश्यक हो गया है। इस भयावह स्थिति के कारण राहत कार्य प्रारम्भ करना, ताकि लोगों को रोजगार प्राप्त हो सके, जरूरी है। इसलिए राजस्थान सरकार ने 1 दिसम्बर, 2004 से हालांकि 3 लाख श्रमिकों को काम पर लगाया है, इस आशा से कि केन्द्र सरकार उनके लिए जल्दी आवश्यक धन तथा जितना गेहूं मांगा है, काम के बदले अनाज योजना के लिए अनाज प्रदान कर देगी। अत: राहत कार्य में लगे श्रमिकों को इसी माह मजदूरी भुगतान करने के लिए आपदा राहत कोष (सी.आर.एफ.) के वर्तमान अव्यावहारिक मापदण्डों में भी तुरन्त परिवर्तन किये जाने की आवश्यकता है। राहत कोष के वर्तमान मापदण्डों के अनुसार मजदूरी केवल 15 रुपये नकद तथा 5 किलोग्राम गेहूं दिया जाता है, जो अव्यावहारिक है। राजस्थान सरकार ने न्यूनतम मजदूरी की दर भी बढ़ा दी है, इसलिए 18 रुपये नकद तथा 12 किलोग्राम गेहूं प्रतिदिन वितरित करना आवश्यक है।

इसलिए भारत सरकार से अनुरोध है कि अविलम्ब राजस्थान सरकार को 3 लाख श्रमिकों का भुगतान करने के लिए राहत कोष के मापदण्डों में तुरंत परिवर्तन कर 28 लाख मीट्रिक टन गेहूं और 200 करोड़ रुपये पेयजल के लिए, 311 करोड़ रुपये पशुधन के संरक्षण के लिए, 576 करोड़ रुपये रोजगार प्रदान करने के लिए, 114 करोड़ रुपये असहाय सहायता, 80 करोड़ रुपये स्वास्थ्य एवं पोषाहार और 91 करोड़ रुपये किसानों को इनपुट अनुदान राशि की सहायता हेतु शीघ्र प्रदान करें। धन्यवाद।

श्री जसवंत सिंह बिश्नोई (जोधपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं इनके साथ अपने को एसोसिएट करता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: भविष्य में, मैं किसी पठन की अनुमति नहीं दूंगा। श्री मनोज कुमार—अनुपस्थित।

अब मैं, श्री रामदास आठवले को बोलने के लिए बुलाता हूं। कृपया समस्याएं खड़ी न करें। आप शांत क्यों नहीं रहते हैं।

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर): अध्यक्ष महोदय, बाबासाहेब अम्बेडकर की चैत्य भूमि में जो राष्ट्रीय स्मारक है, इस राष्ट्रीय स्मारक को खड़ा करने के लिए भारत सरकार से हम मांग करते हैं कि आने वाले बजट में 50 करोड़ रुपये का प्रावधान करने की आवश्यकता है। बाबासाहेब अम्बेडकर जी के मैमोरियल को वहां डवलप करने का काम राज्य सरकार ने चालू कराया है, उसके लिए 10 करोड़ रुपये दिये हैं, लेकिन इसमें सी.आर.जैड. की प्रोब्लम है, इसलिए सावरकर जी के मैमोरियल के बाजू में एन.डी.ए. की सरकार ने परमीशन दे दी थी। उसी तरह यू.पी.ए. की सरकार से भी हमारी मांग यह है कि बाबासाहेब अम्बेडकर जी के मैमोरियल में सी.आर.जैड. की प्रोब्लम को हल करते हुए भारत सरकार को 50 करोड़ रुपये देने चाहिए। उसी तरह 26 अलीपुर रोड, जो दिल्ली में है, वहां भी बाबासाहेब का स्मारक बनाने के लिए 50 करोड़ रुपये भारत सरकार को देने चाहिए, यह हमारी मांग है। ठीक है?

अध्यक्ष महोदय: ठीक है या नहीं, यह मंत्री जी डिसाइड करेंगे, हम नहीं।

[अनुवाद]

श्री इलियास आजमी, आपको थोड़ी देर इंतजार करना पड़ेगा और धैर्य रखना पड़ेगा. आप नए सदस्यों के सामने गलत उदाहरण पेश कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री इलियास आजमी: अध्यक्ष महोदय, इस वर्ष उत्तर प्रदेश में चावल की खरीद भारत सरकार और राज्य सरकार के कर्मचारी मिलकर कर रहे हैं। चावल की खरीद राइस मिलर्स से की जाती है, किसानों से नहीं। यह बात ध्यान में रखने की है कि चावल की खरीद अमीर लोगों से, राइस मिलर्स से की जाती है। एफ.सी.आई. का उत्तर प्रदेश का जो मुखिया है और राज्य सरकार की एजेंसियां, सब ने एक ऐसा सिंडीकेट बना लिया है कि 70 रुपये बोरा सिर्फ रिश्वत में जा रहा है और उसके बदले घटिया चावल खरीद खरीदकर सारे गोदाम भरे जा रहे हैं, हजारों करोड़ रुपये की लूट हर साल हो रही है, इसल साल बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पर हो रही है।

मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि अब तक जितना चावल खरीदा गया है, केन्द्र से जांच टीम भेजकर चावल की क्वालिटी

की जांच कराये और सारन से लेकर राज्य सरकार के कर्मचारी, फोर्थ क्लास के कर्मचारी भी चावल की खरीद में लगाये जाते हैं, वह लखपति करोड़पति हो जाते हैं। उनकी पूरी जांच कराकर इस रैकेट को समाप्त करायें ताकि जो पैसा मिलता है, वह किसानों को मिले, राइस मिलर्स और बड़े अधिकारी मिलकर किसानों की कमाई को न लूटें।

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल): जो लोग खड़े हुए हैं, उन्हीं को टाइम मिल रहा है। ...*(व्यवधान)*

अपराह्न 1.00 बजे

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यदि आसन पर कोई आरोप लगाते हैं तो आप अपने साथ भी न्याय नहीं कर रहे हैं। अपने आपको ज्यादा चालाक न समझें।

[हिन्दी]

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा: अध्यक्ष महोदय, मैं सदन का ध्यान एक दलित कर्मचारी की दर्दभरी दास्तान की ओर दिलाना चाहता हूं। एलआईसी में नौकरी करने वाली असिस्टैंट इंजीनियर श्री दिनेशभाई गणपतभाई परमार को दो साल पहले नौकरी से सस्पैंड कर दिया गया। उस पर गलत आक्षेप लगाए गए। वह हर आक्षेप में निर्दोष छूट गया, लेकिन फिर भी उसे नौकरी पर नहीं लिया गया। इतना ही नहीं, उसके वरिष्ठ अधिकारियों ने उसे इतना परेशान किया, इतना मजबूर किया कि अंत में उसने अक्टूबर महीने में आत्महत्या कर ली। उसने खुद ही आत्महत्या नहीं की बल्कि उसकी बहू मधु, जिसकी उम्र 40 साल थी, उसकी 19 साल की बड़ी लड़की पायल, जो कालेज में पढ़ती थी और 17 साल की लड़की निशा, जो ग्यारहवीं कक्षा में पढ़ती थी, ने भी आत्महत्या की। उनकी बात किसी अधिकारी ने नहीं सुनी। मरने से पहले उन्होंने 12 पेज की चिट्ठी लिखी जिसमें लिखा कि इन अधिकारियों ने हमें मरने के लिए मजबूर किया। उस चिट्ठी पर सबने साइन भी किए। वहां के डीसीपी श्री शमशेर सिंह ने कहा कि इसे डाइंग डिक्लेयरेशन माना जाएगा। उन्होंने चिट्ठी में जिन अधिकारियों के नाम लिए, ...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: किसी का नाम नहीं लें, नाम रिकार्ड में नहीं जाएगा।

...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा: मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि चिट्ठी में जिन अधिकारियों का नाम था, हाई कोर्ट ने उनको जमानत नहीं दी। लेकिन एलआईसी की ओर से उनको प्रमोशन दी गई। इससे हिन्दुस्तान में यही मैसेज जाएगा कि दलितों पर अत्याचार करो, उन्हें परेशान करो, उन्हें आत्महत्या के लिए मजबूर करो और प्रमोशन पाओ।

माननीय वित्त मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं। गुजरात में रैलियां निकलीं, धरने हुए। कांग्रेस के मित्रों ने धरने दिए। भाजपा और सामाजिक संस्थाओं ने भी धरने दिए। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि आप मेहरबानी करके ऐसे अधिकारियों को प्रमोशन से वंचित रखें और उचित कदम उठाएं ताकि भविष्य में किसी कर्मचारी को आत्महत्या के लिए मजबूर न किया जाए।

मेरी मांग है कि उनके परिवार को उचित मुआवजा दिया जाए और यथासंभव जो सहायता हो सके, दी जाए। इसी के साथ मैं पुन: प्रार्थना करना चाहता हूं कि उन्हें उचित न्याय दिलवाएं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: उनको भेज दीजिए।

...*(व्यवधान)*

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा: आजादी के 56 साल भी दलित अधिकारी आत्महत्या करने के लिए मजबूर किए जाते हैं- यह हम सबके लिए शर्म की बात है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री मनोरंजन भक्त।

आपने दो मामलों के लिए नोटिस दिया है- (1) अंडमान और निकोबार वनरोपण एवं वन विकास निगम के कर्मचारियों का वेतन, और (2) रेत और धातु पत्थर का उपयोग। आप किसी एक मामले को ही उठा सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री मनोरंजन भक्त (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह): अध्यक्ष महोदय, मैं एक केन्द्र शासित इलाके अंडमान-निकोबार से आता हूं। वर्तमान समय में अंडमान-निकोबार में बेरोजगारी काफी बढ़ चुकी है क्योंकि ऐनवायर्नमैंट एंड फारेस्ट के नाम पर और सुप्रीम कोर्ट का नाम लेकर लोगों पर जुल्म होता है। वहां सारा काम-काज बंद हो चुका है क्योंकि निर्माण की कोई व्यवस्था नहीं है। अंडमान-निकोबार फारेस्ट प्लान्टेशन डैवलपमैंट कार्पोरेशन, जिसमें दो हजार लोग काम करते थे, उनको तीन महीने से तनख्वाह नहीं

[श्री मनोरंजन भक्त]

मिली। वे काफी दिक्कत में हैं। मौजूदा टिम्बर इंडस्ट्रीज बंद होने से पचास हजार का एक्सट्रा बर्डन हो चुका है। अगर चार लाख की आबादी में से एक लाख लोग बेरोजगार होंगे तो आप समझ सकते हैं कि क्या हालत होगी। हम इस बारे में कई बार संबंधित अधिकारियों से मिल चुके हैं लेकिन कोई रास्ता निकलकर नहीं आया।

मैं सदन और सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं और निवेदन करना चाहता हूं कि अगर दूरदराज द्वीप में यही हालत चलती रहेगी, विकास का सारा काम बंद रहेगा और बेरोजगारी बढ़ती जाएगी तो वे लोग भी नार्थ-ईस्ट के रास्त पर जाने लगेंगे जो उचित नहीं है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह महत्वपूर्ण मामला है। निश्चित रूप से इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री मनोरंजन भक्त: मैं रिक्वैस्ट करना चाहता हूं कि जिनकी असैम्बली नहीं है, कुछ नहीं है, उनके लिए सदन में नियम 193 के अंतर्गत चर्चा होनी चाहिए क्योंकि हमें अपनी बात कहने के लिए और कोई जगह नहीं है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप इसके लिए नोटिस दीजिए।

...(व्यवधान)

श्री मनोरंजन भक्त: हम छोटे हैं इसलिए हमको हमेशा पीछे ही किया जाता है। मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं कि अंडमान निकोबार के लोगों की आशा आकांक्षा को पूरा करने के लिए वहां विधान सभा बनाने का प्रावधान भी होना चाहिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मुझे यकीन है सरकार आपके द्वारा उठाए गए मुद्दों पर विचार करेगी।

[हिन्दी]

श्री मनोरंजन भक्त: यह काम जितनी जल्दी हो, उतना अच्छा है। इस पर पहले भी एक बार चर्चा हुई थी। श्री बसुदेव आचार्य जी का एक बिल था, उस बिल पर चर्चा के दौरान पार्लियामैंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने आश्वासन दिया था कि हम सरकार की तरफ से एक बिल लायेंगे। उसके बाद इसे विदड्रा कर लिया गया। उसके 15 दिन के अंदर उन्होंने आल पार्टी मीटिंग बुलाई। उसमें इस संबंध में कन्सेन्सस हुआ। उस समय के होम मिनिस्टर स्वर्गीय श्री इन्द्रजीत गुप्त ने इसकी शुरूआत की। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: हम आपकी वेदना समझ सकते हैं। मुझे यकीन है सरकार आपके द्वारा उठाए गए मुद्दों पर विचार करेगी।

[हिन्दी]

श्री मनोरंजन भक्त: मैं आपके माध्यम से सरकार से यही निवेदन करना चाहता हूं कि कम से कम जो छोटे-छोटे द्वीप या इलाके हैं, जो केन्द्र शासित इलाके हैं, उनके बारे में नये तरीके से विचार किया जाये। हमारी पार्टी का जो मेनिफेस्टो था, उसमें टेरीटोरियल स्टेट्स में विधान सभा देने की बात कही गयी थी लेकिन पता नहीं क्या हुआ? मैं यही कहना चाहूंगा कि आप इस पर विचार करें।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री भक्त, आपको इस विषय पर नियम 193 के अंतर्गत चर्चा कराने की आवश्यकता नहीं है।

[हिन्दी]

श्री सुकदेव पासवान (अररिया): अध्यक्ष महोदय, पूरा बिहार बाढ़ और सुखाड़ से प्रभावित है। अभी वहां गेहूं की फसल लगाने का समय है। पूरे बिहार में सरकार द्वारा दी जाने वाली डीएपी खाद की कीमत 510 रुपये प्रति 50 किलो है लेकिन ब्लैक मार्केट में वह साढ़े सात सौ से आठ सौ रुपये प्रति 50 किलो का बोरा बिक रहा है। इसी तरह एनपीके खाद है जिसकी कीमत प्रति बोरा 460 रुपये है लेकिन वह 625 रुपये में बिक रहा है। जिस यूरिया का दाम 270 रुपये है, वह 350 से 400 रुपये प्रति बोरा मिल रहा है। बिहार में लोकल खाद की फैक्टरी है। उस लोकल खाद की कीमत 400 रुपये प्रति बोरा है जबकि वह भी 600-700 रुपये में बिक रही है।

मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूंगा कि वहां गरीब किसानों को लूटा जा रहा है। वहां व्यापारियों पर न तो किसी प्रकार की रोक है और न ही उन पर कोई कार्रवाई हो रही है। मैं कहना चाहता हूं कि बिहार में इस समय रबी की फसल का मौसम है, गेहूं की बोआई का काम हो रहा है, निश्चित रूप से बड़े-बड़े उद्योगपतियों पर छापा मारना चाहिए और सरकार द्वारा खाद की जो कीमत नियत है, वह उसी भाव पर किसानों को मिले, यही मेरी मांग है।

[अनुवाद]

डा. के.एस. मनोज (अलेप्पी): महोदय, आज अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस है। संसद ने पोटा (निरसन) विधेयक और गैर-कानूनी गतिविधियां (निरोधक) विधेयक को पारित कर दिया है। मैं संसद का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि हमारे देश के विभिन्न राज्यों के विभिन्न जेलों में बिना सुनवाई के कई आरोपी व्यक्तियों को रखा गया है। ऐसी ही एक घटना केरल में हुई है। पिपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष श्री अब्दुल नासर मदानी को बिना किसी सुनवाई के पिछले साढ़े छः वर्षों से जेल में रखा गया था। उनकी जमानत याचिका को अस्वीकार कर दिया गया। वह पिछले साढ़े छः वर्षों से कोयम्बटूर जेल में थे। मैं इस मामले पर ध्यान देने के लिए केन्द्र सरकार का ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा। उनको कई तरह की बीमारियां भी हैं। यहां तक कि उनको उपचार संबंधी सुविधाएं देने से जेल अधिकारियों ने इन्कार किया है। इसलिए, मैं केन्द्र सरकार का उनकी शीघ्र सुनवाई सुनिश्चित करने हेतु इस मामले पर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

[हिन्दी]

श्री वीरेन्द्र कुमार (सागर): अध्यक्ष महोदय, सागर जिले में डा. हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय देश के अति प्राचीन और महत्वपूर्ण विश्वविद्यालयों में से एक है। मध्य प्रदेश के शैक्षिक जगत में इसका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। इस विश्वविद्यालय को बनाने में डा. हरि सिंह गौर, जो कि बहुत प्रसिद्ध कानूनविद् थे, ने विदेशों में वकालत करके जो कमाई की, वह सारा पैसा उन्होंने इस विश्वविद्यालय को बनाने में लगाया।

इस विश्वविद्यालय में फार्मेसी, ज्योलाजी, क्रिमिनालोजी इन विषयों का अध्ययन करने के लिए केवल यहां से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी छात्र आते हैं। इस विश्वविद्यालय में कैम्पस और छात्रों की संख्या बहुत ज्यादा है। यहां के बुद्धिजीवियों, छात्रों और सामाजिक संगठनों द्वारा काफी लम्बे समय से इसे केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनाने की मांग की जा रही है। अतः मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं कि डा. हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय प्राथमिकता के आधार पर बनाया जाए।

श्री संतोष गंगवार (बरेली): अध्यक्ष महोदय, मैं वित्त मंत्री जी का ध्यान एक महत्वपूर्ण विषय की ओर दिलाना चाहता हूं कि 14 तारीख को देश के ग्रामीण बैंकों के कर्मचारी दिल्ली में धरना दे रहे हैं। उनकी मुख्य मांग है कि बैंकिंग उद्योग के साथ जो 8वां द्विपक्षीय वेतन समझौता हुआ है, वह अभी तक लागू नहीं हुआ है। अब जबकि सारे ग्रामीण बैंक कामर्शियल काम भी कर रहे हैं तथा अधिकांश बैंक लाभ की स्थिति में हैं और उनकी वर्किंग में पहले के मुकाबले काफी सुधार भी हुआ है। इसलिए मैं चाहूंगा कि 14 तारीख को ग्रामीण बैंक के सारे कर्मचारी जब वहां पर आएं तो माननीय वित्त मंत्री जी के द्वारा यह उनको सूचना मिल जाए कि उनकी बात मान ली गई है और बहुत जल्दी 8वां द्विपक्षीय वेतन समझौता लागू होने वाला है। मेरा आग्रह है कि वह इसकी तिथि निर्धारित करके इस आशय की सूचना उनको जरूर देंगे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप सबको श्री भार्गव से सीखना चाहिए। उन्होंने नोटिस दिया, धैर्यपूर्वक इंताजर किया और उन्हें मौका मिला। सिर्फ हाथ उठाने और 'सर' 'सर', कहने से काम नहीं चलेगा। वह एक आदर्श सदस्य हैं।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान की राजधानी जयपुर के बारे में मेरा इतना ही निवेदन करना है कि वहां पर रोप-वे तथा प्रदर्शनी के लिए मैदान भी नहीं है। मैंने राजस्थान सरकार से प्रार्थना की है। उन्होंने मेरी प्रार्थना स्वीकार भी की है कि जयपुर में एक रोप-वे बनाया जाने वाला है। लेकिन राज्य सरकार के पास इतनी रकम नहीं है कि वह उस रोप-वे का निर्माण कर सके। इसलिए मेरी वित्त मंत्री जी से मांग है कि जयपुर जो कि राजस्थान की राजधानी है, वहां पर रोप-वे और प्रदर्शनी मैदान के लिए आप भी कुछ अनुदान राजस्थान को दे दें तो राजस्थान सरकार इसको पूरा कर सकेगी, यह मेरी आपसे प्रार्थना है। धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्रीमती सुस्मिता बाउरी (विष्णुपुर): महोदय, संसद और राज्य विधान सभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण संबंधी चिर-लंबित विधेयक को अविलंब और बिना कोई बदलाव किए मतदान के लिए संसद के इस सत्र में सभा पटल पर रखा जाए।

राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार के शासन के दौरान महिला आरक्षण विधेयक को तीन बार सभा पटल पर रखा गया। लेकिन राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार ने विधेयक पर मतदान कराने की कोई इच्छा शक्ति नहीं दर्शायी इसके इलावा, उन्होंने राजनीतिक सर्वसम्मति के अभाव के नाम पर स्वयं इस विधेयक को ठंढे बस्ते में डाल दिया। विधेयक को पारित करने में बार-बार विलंब दर्शाने का आधार ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जो कि महिलाओं को सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक समर्थन की नितांत आवश्यकता को नकार सकता हो। महिलाएं सिर्फ संख्या

[श्रीमती सुस्मिता बाउरी]

में ही ज्यादा नहीं हैं बल्कि संरचना में भी उनकी भूमिका महत्वपूर्ण है। परिवार में, समाज में, महिलाएं प्रजनन और सृजनात्मक संबंधी जो भूमिका अदा करती हैं, वह न केवल महत्वपूर्ण है बल्कि वह अद्भुत भी हैं—पुरुष वह नहीं कर सकते जो महिलाएं करती हैं।

महिलाओं ने चयनित सदस्यों और पदाधिकारियों के रूप में पंचायत प्रणाली में अपनी क्षमता और मजबूती का परिचय पहले ही दे दिया है। यह कहा जाता है कि महिलाएं पुरुषों से कम भ्रष्ट होती हैं। हम मांग करते हैं कि प्राथमिकता के आधार पर इस विधेयक को संसद के सभा पटल पर मतदान के लिए रखा जाना चाहिए।

[हिन्दी]

डा. करण सिंह यादव (अलवर): अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान के अलवर जिले से जहां से मैं चुनकर आता हूं, उस क्षेत्र में इस बार प्याज और कपास की अच्छी फसल हुई है। लेकिन मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि राजस्थान में किसानों से एक या दो रुपये किलोग्राम की दर से भी प्याज नहीं खरीदा जाता है। किसान प्याज को मंडी तक ले जाने में हिचकिचाते हैं क्योंकि दिन भर ट्रक और ट्राली खड़ी करने के बाद भी, कोई उचित खरीदार मिले या नहीं, इसलिए उन्हें वहीं पर प्याज औने-पौने दामों में बिखेरकर आनी पड़ती है। इसलिए मेरा निवेदन है कि केन्द्रीय कृषि मंत्री के माध्यम से इस प्रकरण की जांच की जाए ताकि किसानों को उचित मूल्य मिले। ठीक इसी तरह से कपास की खेती के बारे में भी मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जहां पिछले साल नरमा और कपास 2500 रुपये क्विंटल के भाव बिका करता था, इस बार मात्र 1400 और 1500 रुपये की कीमत मिल रही है। ऐसी स्थिति में, जबकि कृषि के उत्पादन मूल्य इतने कम हैं, वैसे अगर हम बाजार में प्याज खरीदने जाते हैं तो 10-12 रुपये से लेकर 15 रुपये तक के भाव पर हमें मिलती है। अध्यक्ष महोदय, किसानों को एक रुपए या दो रुपए भी नहीं मिल रहे हैं। अत: मेरा निवेदन है कि कृषि मंत्रालय इस मामले की जांच करे।

अध्यक्ष महोदय, किसानों को एक रुपए या दो रुपए भी नहीं मिल रहे हैं। अत: मेरा निवेदन है कि कृषि मंत्रालय इस मामले की जांच करे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब सभा अपराह्न 2.15 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 1.15 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 2.15 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.24 बजे

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् अपराह्न 2.24 बजे पुन: समवेत हुई।

[डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय *पीठासीन हुए]*

[हिन्दी]

श्री अविनाश राय खन्ना (होशियारपुर): सभापति महोदय, पंजाब के गांव पत्तरेवाला में एक बहुत बुरी घटना हुई है। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: हाउस शुरू होने दीजिए। अब हम आइटम नम्बर 15 लेते हैं।

श्री अविनाश राय खन्ना: मैं एक बहुत गम्भीर मामला उठाना चाहता हूं। पत्तरेवाला गांव में दलितों को जूते में पेशाब डाल क पिलायी गई और प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: आपने सभा का ध्यान आकर्षित कर लिया है।

सभा अब मद संख्या 15 पर विचार करेगी।

श्री दुष्यंत सिंह।

अपराह्न 2.25 बजे

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

(एक) अफीम उत्पादन क्षेत्रों में अफीम कृषकों के सामने आ रही कठिनाईयों से उत्पन्न स्थिति

श्री दुष्यंत सिंह (झालावाड़): महोदय, मैं निम्नलिखित अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले की ओर वित्त मंत्री का ध्यान आकृष्ट करता हूं और अनुरोध करता हूं कि वह इस पर वक्तव्य दें।

***वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम):** प्रत्येक अफीम फसल वर्ष के लिए वार्षिक आधार पर अफीम पोस्त की खेती का लाइसेंस देने के लिए सरकार सामान्य शर्तें अधिसूचित करती है। किसी भी वर्ष के 1 अक्तूबर से अगले वर्ष 30 सितंबर तक की अवधि एक

---

*ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 1068/04।

फसल वर्ष की अवधि होती है। अफीम लाईसेंसिंग आदेश को स्वापक औषधियों पर संयुक्त राष्ट्र के एकल सम्मेलन, 1961 के अंतर्गत अपेक्षाओं, अफीम कृषकों के कल्याण, अफीम की घरेलू तथा निर्यात आवश्यकताओं तथा सरकारी अफीम फैक्टरियों के स्वामित्व में अफीम के मौजूदा स्टाक आदि जैसे अनेक तथ्यों को ध्यान में रखकर तैयार किया जाता है।

फसल वर्ष 2004-05 के लिए ''अफीम लाईसेंसिंग आदेश'' दिनांक 15 अक्तूबर, 2004 की अधिसूचना सा.का.नि. 679(अ) के तहत घोषित किया गया था। अन्य पात्रता की शर्तों के अतिरिक्त जिन कृषकों ने पूर्ववर्ती फसल वर्ष 2003-04 में मध्य प्रदेश और राजस्थान में 54 कि.ग्रा./हैक्टेयर और उत्तर प्रदेश में 48 कि.ग्रा./हैक्टेयर की न्यूनतम अर्हक उपज (एम.क्यू.वाई.) के अनुरूप अफीम सौंपी है उन सभी पात्र कृषकों को लाईसेंस जारी करने के लिए उक्त आदेश प्रावधान करता है। पूर्ववर्ती फसल वर्ष के लिए अफीम लाईसेंसिंग आदेश में दी गई न्यूनतम अर्हक उपज (एम.क्यू.वाई.) की पूर्व चेतावनी, पूर्ववर्ती फसल वर्ष में कृषकों द्वारा प्रदान की गई अफीम की औसत उपज और अन्य संगत पहलुओं को ध्यान में रखते हुए न्यूनतम अर्हक उपज (एम.क्यू.वाई.) निश्चित की जाती है। अफीम फसल को सीमित करने के लिए, जिन पहलुओं की ओर मैंने इशारा किया है उनको ध्यान में रखते हुए, फसल वर्ष 2004-05 के लिए आदेश में व्यष्टिगत लाईसेंस प्राप्त कृषकों को कृषि के लिए अधिकतम अनुमत्य क्षेत्र 10 आरी अर्थात् एक हैक्टेयर का 1/10 रखा गया था। फसल वर्ष 2004-05 के लिए खरीद मूल्य में 5 प्रतिशत की वृद्धि भी घोषित की गई है।

कतिपय कृषकों द्वारा जलमिश्रित अफीम प्रदान करने के बढ़ते हुए रुझान को निरूत्साहित करने के लिए जिन कृषकों ने 55 डिग्री गाढ़ेपन से कम गाढ़ेपन वाली जलमिश्रित अफीम अर्थात् 55 प्रतिशत ठोस की अपेक्षाकृत कम अंतर्वस्तु वाली अफीम प्रदान की है, ऐसे सभी कृषकों को एक फसल वर्ष के लिए लाइसेंस से वंचित करते हुए चालू वर्ष की अफीम नीति में पहली बार एक विशेष प्रावधान आरम्भ किया गया था। पूर्ववर्ती फसल वर्ष के लिए ''अफीम लाइसेंसिंग आदेश'' में बिना किसी अग्रिम पूर्व चेतावनी के इस प्रावधान की शुरूआत के विरुद्ध अफीम कृषकों से प्राप्त अभ्यावेदनों के परिप्रेक्ष्य में दिनांक 3.12.2004 की अधिसूचना सं. सा.का.नि.784(अ) द्वारा इस प्रावधान को रद्द कर दिया गया है। अफीम पोस्त फसल लाईसेंस अब उन सभी कृषकों को प्रदान किया गया है जिन्होंने 55 डिग्री से कम गाढ़ेपन वाली जलमिश्रित अफीम प्रदान की है बशर्ते वे न्यूनतम अर्हक उपज (एम.क्यू.वाई.) मानदंड एवं अन्य पात्रता की शर्तें पूरी करते हैं। इस प्रकार, जबकि यह प्रावधान फसल वर्ष 2004-05 में लाईसेंसिंग के प्रयोजनार्थ रद्द किया गया है, इस संबंध में पूर्व चेतावनी को कायम रखा गया है, जिसके द्वारा अफीम कृषकों को पूर्व चेतावनी दी गई है कि जो कृषक फसल वर्ष 2004-05 में 55 डिग्री से कम गाढ़ेपन वाली जलमिश्रित अफीम प्रदान करेंगे वे अगले फसल वर्ष 2005-06 में लाईसेंस के लिए हकदार नहीं होंगे।

''अफीम लाइसेंसिंग आदेश'' में न्यूनतम अर्हक उपज (एम.क्यू.आई.) की पूर्व चेतावनी भी शामिल है जिसका आशय कृषकों को उस न्यूनतम अर्हक उपज (एम.क्यू.वाई.) के बारे में अग्रिम रूप से सूचित करना है जिसे उन्हें आने वाले फसल वर्ष में लाइसेंस का पात्र होने के लिए सौंपना आवश्यक होगा। फसल वर्ष 2004-05 के लिए ''अफीम लाइसेंसिंग आदेश'' में अफीम कृषकों को यह पूर्व चेतावनी दी गई थी कि अगले फसल वर्ष 2005-06 में लाइसेंस का पात्र होने के लिए उत्तर प्रदेश के लिए 49 कि.ग्रा./हैक्टेयर तथा मध्य प्रदेश एवं राजस्थान के लिए 58 कि.ग्रा./हैक्टेयर की न्यूनतम अर्हक उपज (एम.क्यू.वाई.) सौंपनी होगी। राजस्थान तथा मध्य प्रदेश के लिए न्यूनतम अर्हक उपज (एम.क्यू.वाई.) की पूर्व चेतावनी इन दो राज्यों में अफीम की औसत उपज के आधार पर निश्चित की गई थी। तथापि, मध्य प्रदेश तथा राजस्थान के लिए न्यूनतम अर्हक उपज (एम.क्यू.वाई.) की पूर्व चेतावनी में तीव्र वृद्धि के विरुद्ध अभ्यावेदनों पर विचार किया गया तथा मध्य प्रदेश एवं राजस्थान के लिए न्यूनतम अर्हक उपज (एम.क्यू.वाई.) की पूर्व चेतवानी को दिनांक 3 दिसम्बर, 2004 की उपर्युक्त उल्लिखित अधिसूचना के तहत 58 कि.ग्रा./हैक्टेयर से घटाकर 56 कि.ग्रा./हैक्टेयर कर दिया गया है।

भारत सरकार ने गत वर्षों के दौरान कृषकों को लाभान्वित करने के लिए बहुत से उपाय किए हैं। अफीम के परीक्षण की प्रक्रिया में फील्ड में ही विद्युत ओवन द्वारा परीक्षण की वैज्ञानिक पद्धति की शुरूआत से, वास्तविक कृषकों में से कुछेक मिलावटकर्त्ताओं की पहचान करने के लिए व्यष्टिगत अफीम कृषकों से 50 ग्राम के अलग सैम्पल इकट्ठे करने की शुरूआत से, कृषकों के पारिश्रमिक में वृद्धि करने के लिए खरीद मूल्यों में आवधिक वृद्धि से तथा अफीम की खपत बढ़ाने के लिए राजकीय अफीम एवं क्षारोद कार्य के उन्नयन/आधुनिकीकरण से सुधार लाया गया है।

[हिन्दी]

श्री दुष्यंत सिंह: सभापति महोदय, मैं आपकी परमीशन से माननीय वित्त मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि अफीम की खेती राजस्थान और मध्य प्रदेश में होती है। राजस्थान में अफीम की खेती कोटा के रामगंज मंडी, सांगोद और लाडपुरा में होती है। बारन में बारन, झबड़ा, चीचाबड़ोद, अटरू में होती है। झालावाड़ में झालारापाटन, खानपुर, एकलेरा, पचपाड़ा, पिड़ावा, गंधार,

[श्री दुष्यंत सिंह]

मनोहरथाना में होती है और चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और उदयपुर में भी होती है। हमारे पड़ौस के क्षेत्र मध्य प्रदेश में मंदसौर में भी अफीम की खेती होती है, जहां से चेयरमैन साहब आप आते हैं। इसके अलावा उज्जैन में भी अफीम की खेती होती है। उत्तर प्रदेश के बरेली में भी अफीम की खेती होती है। मैं आपके सामने अपने क्षेत्र की बात रखता हूं। हर साल केन्द्र सरकार किसानों के लिए अफीम की नीति बनाती है। इस साल जब से यू.पी.ए. सरकार आई है। जब से यू.पी.ए. सरकार ने केन्द्र में अपना दायित्व संभाला है, सरकार के अपने कामन मिनिमम प्रोग्राम में माननीय प्रधान मंत्री जी ने कहा था कि हम किसानों के प्रति सहानुभूति रखते हैं। किसानों को हम सबके साथ लेकर चलना चाहते हैं। सरकार के कामन मिनिमम प्रोग्राम के इंट्रोडक्शन में लिखा हुआ है कि हम किसानों की एग्रीकल्चर बढ़ाने के लिए तथा उनकी वैलफेयर के लिए सब काम करेंगे, लेकिन सरकार ने ऐसी नीति बनाई जिससे हमारे काश्तकार भाइयों को बहुत झटका लगा है। सरकार की इस नीति के कारण जो 20 आरी का काश्तकार था, उसे सरकार ने दस आरी का काश्तकार कर दिया। मैं वित्त मंत्री जी से मांग करना चाहता हूं कि उन्होंने खेती का जो औसत कम किया है, उसे पूरा करें तथा किसानों को आर्थिक समृद्धि दें, जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और क्षेत्र की प्रगति भी होगी। लेकिन सरकार ने ऐसा काम किया है कि जो पांच पट्टे के किसान थे, सरकार की अफीम नीति के कारण उनके पांच पट्टे में कटौती की गई है। मैं निवेदन करूंगा कि उनके पांच पट्टे बहाल किये जाएं।

सभापति महोदय, अभी कहा गया था किसान से जो अफीम की खरीद होती है, हमने उसके दाम बढ़ा दिये हैं। हमारी जो हर साल मीटिंग होती है, उस मीटिंग में सभी सांसदों ने लगभग 3000 से 3500 रु. की मांग की है। लेकिन आपने इसे केवल पांच प्रतिशत बढ़ाया है। हम चाहते हैं कि इसे आप थोड़ा और बढ़ायें। हाड़ौती मध्य प्रदेश में मालवा का जो क्षेत्र है, उसमें छोटे काश्तकार किसान हैं। उनके लिए दस आरी पट्टा करना एक बड़ा झटका है। किसान भाई चाहते हैं कि उन्हें 20 आरी का क्षेत्र मिले, जिससे उनके क्षेत्र में प्रगति हो सके। हमारे यहां किसान भाइयों पर बिना कारण के केसिज चलते हैं। खेती के समय उनके घरों में छापे पड़ते हैं। मैं चाहूंगा कि इस बारे में एक नई नीति बने।

मैं आपसे सहमत हूं कि जो इल्लिसिट ड्रग्ज का काम करते हैं, उनके विरोध में हमें एक कड़ी नीति बनानी चाहिए जिससे इन ड्रग्ज के कारोबार को हम रोक सकें। इससे सभी सांसद सहमत होंगे और इससे देश में ड्रग्ज का मामला खत्म होगा। आज की तारीख में कभी-कभी यह होता है कि नैचुरल कैलामिटीज के द्वारा हमारे किसानों को खेत को पलटना पड़ता है और आपके जो नारकोटिक्स कमिश्नर हैं जो ग्वालियर में बैठते हैं, वह तहसीलदार और पटवारी से एक रिपोर्ट मांगें। आपके नारकोटिक्स विभाग के जो अधिकारी लोग हैं, जो खेती को देखते हैं, वह बहुत देर से आते हैं। मैं चाहूंगा कि वे तुरंत आएं जिससे एक अच्छा वातावरण बने और हमारे किसान भाइयों को सुविधा मिले। हर साल जब माल बनता है तो टैस्टिंग होती है।

[अनुवाद]

परीक्षण मौसम के दौरान माल को अच्छा पाया गया और परीक्षण के बाद माल गाजीपुर जाता है वहां राजस्थान का स्टाक रखा जाता है। दो अलग-अलग फैक्ट्रियां हैं, एक मन्दसौर के नीमच में और दूसरा गाजीपुर में। उन जगहों पर वे उत्पाद में अपमिश्रण पाते हैं। मुझे विश्वास है कि किसान अपना पसीना बहाकर दिन रात मेहनत कर रहे हैं। वे ऐसे मौसम में कार्य कर रहे हैं जिसमें अफीम उगाना मुश्किल है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि मौके पर जांच करें और किसानों को उनके उत्पादों के लिए मौके पर पैसा दिया जाए। उन्हें अपने पैसे लेने के लिए माल को गाजीपुर या नीमच जाने की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़े। हर साल माननीय वित्त मंत्री द्वारा एक नीति बनायी जाती है। मैं वित्त मंत्री से अनुरोध करूंगा कि नीति निर्धारण में संसद सदस्यों और विधायकों के अलावा किसानों को भी शामिल करें। किसानों को बुलाया जाना चाहिए और आप उनसे बातचीत कर सकते हैं। उन्हें सलाहकार समिति में शामिल किया जा सकता है ताकि नीति निर्धारण में उनके विचारों को सम्मिलित किया जा सके। हमारे पास नई नीति होनी ही चाहिए।

नीति द्वारा हमें अफीम की खेती करने वालों के बीमा के संबंध में जांच करनी होगी। अफीम की खेती करने वाले अक्तूबर से मार्च के महीने में अफीम का उत्पादन करते हैं। उस अवधि के दौरान कई प्राकृतिक आपदाएं आती हैं। इस प्रकार अफीम उपजाने वाले गंभीर कठिनाइयों का सामना करते हैं। मैं व्यक्तिगत तौर पर अपने देश के लोगों और किसानों के प्रति सहानुभूतिपूर्वक दृष्टिकोण रखता हूं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि किसानों के लिए बीमा कार्यक्रम बनाएं।

[हिन्दी]

किसान भाइयों के लिए एक इंश्योरैन्स स्कीम की आवश्यकता है। उसे आप तैयार करें। आपने मीटिंग की थी और कहा था कि हमारे पास इतना माल हमारी फैक्ट्रीज में पड़ा हुआ है, हम उसका क्या करें।

[अनुवाद]

गाजीपुर और नीमच में पड़े माल का मैं क्या करूं? हमारे पास दो अच्छी फैक्ट्रियां हैं जहां इनका उत्पादन होता है। मैं यहां

पर कहूंगा कि दो फैक्ट्रियां नारकोटाइन, पेपवेराइन और कोडीन फास्फेट का उत्पादन कर रही है। इस समय मुझे यह भी कहना है कि मार्फीन साल्ट्स और कोडीन फास्फेट मुख्य उत्पाद हैं। इनका उपयोग भारतीय भेषज कंपनियों द्वारा किया जाता है।

[हिन्दी]

हमारी दवा कंपनियों के लिए इनकी आवश्यकता है। पिछली सरकार में यूनियन कैबिनेट ने डिसीजन लिया और तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री माननीय सुषमा जी ने नोट किया था जिसको मैं क्वोट करना चाहता हूं।

[अनुवाद]

अब, इस क्षेत्र में सरकारी स्वामित्व वाली केवल दो फैक्ट्रियां हैं और अफीम को कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल करने वाली दवा कंपनियों की आवश्यकताओं को पूरा करने में इनकी क्षमता अपर्याप्त है। अत: मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए हमें इस उद्योग को खोलने की तथा इस क्षेत्र में निजी उद्यमियों विशेषत: भेषज कंपनियों को आमंत्रित करने की आवश्यकता है।

मैं एक प्रश्न का उल्लेख करूंगा जो हमारे सभापति डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय द्वारा विदेशी कंपनियों के बारे में पूछा गया था जो अभी पीठासीन हैं। इसका उत्तर 16.3.2001 दिया गया था। उन्होंने सरकार से पूछा था कि उस वर्ष 2001 के ठेके के अनुसार कितनी मात्रा में अफीम का निर्यात किया गया था। उस उत्तर के अनुसार मल्लिनक्राड्ट इंक, यूसएए नामक कंपनी को उस वर्ष 380 मीट्रिक टन का ठेका दिया गया था। उस कंपनी को 345 मीट्रिक टन का निर्यात किया गया था। नोराम्बको आफ डेलावेयर इंक, यूएसए नामक एक दूसरी कंपनी है, उन्हें 150 मीट्रिक टन निर्यात किया गया था। तोमेन कार्पोरेशन जापान को 142 मीट्रिक टन निर्यात किया गया था। कुल 649 मीट्रिक टन का अन्य देशों में निर्यात किया गया था। हम इसे यहां क्यों नहीं कर सकते हैं? हम भेषज कंपनियों के लिए एक नीति क्यों नहीं बना सकते ताकि हम बाजार खोलें, उत्पादन बढ़ाएं और आम आदमी की सहायता कर सकें?

[हिन्दी]

महोदय, जिस कामन आदमी के प्रति आप इतनी श्रद्धा रखते हैं, माननीय मनमोहन सिंह जी रखते हैं, उसके कल्याण के बारे में भी आप कुछ काम करें।

महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि हम किसानों के साथ हैं। हमें लोगों ने मत दिया है। हमें उनके लिए काम करना है। मैं वित्त मंत्री से अनुरोध करना चाहूंगा कि इस पर विचार करें और किसानों की सहायता करें।

महोदय, मैं अन्त में किसान के बारे में दो पंक्तियां कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं-

"सबके लिए अन्न उपजाता है, खुद फिर भी भूखा सो जाता है।
सचमुच वह है अन्नदाता, उसका हम सब पर कर्जा है।
फिर यदि वह हक मांग रहा है, देने में कैसा हर्जा है।"

महोदय, एक बार मैं आपसे फिर निवेदन करता हूं क्योंकि आप किसान भाइयों के लिए बहुत श्रद्धा रखते हैं, इसलिए आप उनके लिए श्रद्धापूर्वक नीति बनाएं। इससे हमारे किसान भाइयों को सुविधाएं मिलेंगी और उन्हें अच्छा वातावरण मिलेगा। मैं विशेष रूप से राजस्थान और मालवा क्षेत्र के बारे में कहना चाहता हूं जिससे वहां समृद्धि आ सके।

सभापति जी, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (चित्तौड़गढ़): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं कि नई अफीम नीति में बहुत सी विसंगतियां हैं। मैं उन विसंगतियों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

महोदय, जैसा अभी दुष्यंत सिंह जी कह रहे थे कि आज हमारे देश में राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में अफीम का उत्पादन होता है और एक लाख से अधिक किसानों को वित्त मंत्रालय ने अफीम की खेती करने के पट्टे दे रखे हैं। यदि कुल मिलाकर देखें तो अफीम की खेती में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 12 लाख से ज्यादा लोग लगे हुए हैं, लेकिन मैं इसे दुर्भाग्य कहूं कि इस वर्ष जो ओपीयम पालिसी की घोषणा की गई है, वह ठीक नहीं है। प्रति वर्ष ओपीयम की जो पालिसी बनती थी, वह ओपीयम के किसानों और अधिकारियों की उपस्थिति में बनती थी। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपलानी जी, जो पाइंटिड क्वैश्चन हैं, केवल वही पूछिए।

श्री श्रीचन्द कृपलानी: महोदय, मैं वही पूछ रहा हूं। इस वर्ष ओपीयम की जो पालिसी बनाई गई है उसमें निश्चित रूप से मंत्री जी ने अधिकारियों के साथ बात कर के, किसानों के साथ बात कर के, उनसे मिलकर बनाई होगी, लेकिन मैं उनका ध्यान पिछले छ: सालों में बनाई गई अफीम नीति की ओर आकर्षित करना

[श्री श्रीचन्द कृपलानी]

चाहता हूं। जब भी अफीम की पालिसी बनती है, उसमें हर साल ओपीयम के किसानों और सरकार के अधिकारियों के साथ बैठक होती है और जिस दिन बैठक होती है, उसी दिन निर्णय कर दिया जाता है कि इतना रकबा ओपीयम के अधीन लाया जाएगा या क्या भाव रखना है, क्या नहीं रखना है। यह सब उसी दिन निश्चित होता था जिस दिन बैठक होती थी और उसी दिन घोषणा कर दी जाती थी, लेकिन इस बार, पहली बार, ऐसा हुआ कि मीटिंग हुई, हमसे बात हुई, अधिकारी भी उपस्थित थे, लेकिन वित्त मंत्री जी ने ओपीयम पालिसी की घोषणा नहीं की और हमसे कहा कि ठीक है, आप जाइए। ओपीयम पालिसी घोषित कर दी जाएगी। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: श्री कृपलानी, कृपया आप केवल स्पष्ट प्रश्न पूछें।

[हिन्दी]

श्री श्रीचन्द कृपलानी: महोदय, वित्त मंत्री जी ने इस साल जो अपना पहला बजट भाषण दिया था, उसमें उन्होंने किसानों के हमदर्द बनने की बड़ी-बड़ी बातें कही थीं और कहा था कि हम किसान भाइयों की हर प्रकार से मदद करेंगे, लेकिन इस सरकार की इस वर्ष की ओपीयम पालिसी को देखकर हमें बहुत तकलीफ हुई है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार एक लाख प्रत्यक्ष रूप से तथा अप्रत्यक्ष रूप से 12 लाख किसान इस खेती में लगे हुए हैं, लेकिन, ओपिमय पालिसी ठीक नहीं बनी है। कई विसंगतियां उसमें रह गई हैं। कहीं पालिसी में सरकार ने 20 हजार पट्टों को काटकर 10 हजार कर दिया है और कहीं जिस क्षेत्र में 5 कास्तकार थे, उनके सारे पट्टे काट दिए गए हैं। हमने जहां किसानों के भाव बढ़ाने की बात की, वहां भाव नहीं बढ़ाए गए। कई समस्याएं हैं, ओपीयम पौली की वगह से 55 की गाढ़ता कर दी गई, औसत 58 कर दी गई। हमने आपसे निवेदन किया था कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश में अफीम की खेती होती है, उन सभी जगह औसत बराबर होना चाहिए।

महोदय, अब मैं प्वाइंटेड प्रश्न करता हूं, मैं ज्यादा लम्बी-चौड़ी बात नहीं करूंगा। वित्त मंत्री जी, मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस बात पर गंभीरता से विचार करें। आज हिन्दुस्तान में अफीम की खेती ऐसी खेती है, आप भले ही कितनी ही बात कर लें कि अफीम की खेती, इसका स्टाक हमारे पास बहुत ज्यादा हो गया है, इसलिए हम इसका रकबा आधा कर रहे हैं। कल आप कहेंगे कि हमारे पास गेहूं का स्टाक इकट्ठा हो गया है, मक्का इकट्ठा हो गया है, किसानों को इसकी खेती बंद कर देनी चाहिए। वित्त मंत्री जी, आप ऐसा नहीं कर सकते। मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस बारे में गंभीरता से विचार करें। आपका 10 आरी का 20 आरी करने का विचार है या नहीं? इसके बारे में हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं, हमने आपसे कहा था कि अगर आप अफीम की तस्करी को रोकना चाहते हैं तो उसके लिए जो बाजार मूल्य है और आप किसान को जो पैसे दे रहे हैं तो उसमें कुछ न कुछ समानता आनी चाहिए और अगर उसमें समानता नहीं आएगी तो तस्करी रुक नहीं सकती तथा समानता लाने के लिए आपको प्रयास करने चाहिए।

महोदय, हमने यह भी कहा था कि राजस्थान, मध्य प्रदेश में लगातार पांच साल तक अकाल की स्थिति रही और प्राकृतिक आपदा की वजह से कितने अफीम काश्तकार सही औसत नहीं दे पाए और उसकी वजह से हजारों काश्ताकरों के पट्टे काट दिए गए। हमारा आपसे निवेदन है कि 500 ग्राम तक जितने भी कटे हुए पट्टे हैं, उन काश्तकारों को पट्टे दिए जाएं। आपने सन् 2004-05 में कहा था कि 58 की औसत लेंगे और फिर आपने हमारी रिक्वेस्ट पर 56 की औसत कर दी। मेरा आपसे निवेदन है कि जिस तरह की परिस्थिति हमारे राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की है, उनकी औसत 54 ही रखी जाए, तभी किसानों का भला हो सकता है। हम जब एक्सपोर्ट की बात करते हैं, अभी दुष्यंत सिंह जी मारफीन, कोरडीन और थिबेन के बारे में कह रहे थे कि आपको एक्सपोर्ट के बारे में विचार करना पड़ेगा। विशेष रूप से हमारे जो नीमच और गाजीपुर के कारखाने हैं, उनके आधुनिकीकरण की बात एनडीए की सरकार में हुई थी, पता नहीं यूपीए की सरकार बनने के बाद वह आधुनिकीकरण का कार्य रोक दिया गया है। अगर आप आधुनिकीकरण करेंगे तो जो दो पारी नीमच और गाजीपुर के कारखानों में चल रही है, उसकी तीन पारी कर देंगे तो हमें अफीम की ज्यादा आवश्यकता पड़ेगी और किसानों को पट्टे दे पाएंगे।

महोदय, हम आपसे समय-समय पर रिकवेस्ट भी करते रहे हैं कि हम जब तक किसानों को नये पट्टे नहीं देंगे, नये मौजे नहीं खोलेंगे तब तक हमारे देश के किसानों का भला नहीं हो सकता। अब धारा 8/29 के बारे में मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा। आपने यह एक ऐसी धारा बना रखी है कि अगर एक अफीम का तस्कर पकड़ा जाता है और उसकी झूठी, सच्ची दुश्मनी होती है, वह दस काश्तकारों का नाम ले लेता है तो उन दस के खिलाफ नारकोटिक्स डिपार्टमेंट हो, पुलिस वाले कार्यवाही करते हैं और पैसे खा जाते हैं। उस काश्तकार को परेशान करने लग जाते हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि धारा 8/29 को भी आप समाप्त कर देंगे तो उससे किसान को बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। आपने जो नई अफीम की पालिसी बनाई है, उस पर एक बार फिर से विचार करके, हमारी जो भाव बढ़ाने की मांग है, नये पट्टे देने

की मांग है, दस आरी से 20 आरी करने और 500 ग्राम तक के कटे हुए जो पट्टे हैं उन पट्टों को वापस देने की मांग है, जितनी भी ऐसी समस्याएं हैं, जिनके कि आप देश के किसानों को आगे बढ़ाने के लिए थोड़ा बहुत भी कर सकते हैं, उसे करने का प्रयास करेंगे। आपने जो बजट के समय कहा था कि मैं किसान के लिए हूं, उसका सही चरित्र आप साबित कर पाएंगे।

महोदय, अंत में वित्त मंत्री जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आपको ध्यान होगा कि आप छः साल पहले चित्तौड़गढ़ आए थे। वहां आपके आने पर हमने किसानों का बहुत बड़ा सम्मेलन किया था। उस समय वहां 25,000 लोग इकट्ठे हुए थे। उस समय श्री जसवंत सिंह जी आपको लेकर वहां पधारे थे। आपने उस समय हमें बहुत आश्वासन दिया था, उस छः साल पहले के दृश्य को याद करके आप विचार करेंगे तो निश्चित रूप से अफीम काश्तकारों का भला हो जाएगा।

श्री पी. चिदम्बरम: पिछले छः वर्षों के दौरान किसी ने इस बारे में बात नहीं की। ...*(व्यवधान)*

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल): माननीय सभापति महोदय, हमारे साथी दुष्यंत सिंह जी के अफीम उत्पादन के क्षेत्र में अफीम उत्पादकों के सामने जो कठिनाई है, उस पर आपने मुझे माननीय वित्त मंत्री जी से प्रश्न पूछने का मौका दिया।

महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी से कुछ सवाल पूछना चाहूंगा और कुछ सुझाव भी रखना चाहूंगा। हमारे उत्तर प्रदेश में, खास कर बाराबंकी और गाजीपुर, गाजीपुर में तो अफीम बनाने की फैक्ट्री है, लेकिन बाराबंकी और बरेली वगैरह में खेती का उत्पादन होता है, लेकिन इधर किसान बहुत परेशान हैं और वे इसलिए परेशान हैं कि इधर सूखे की चपेट और समय पर वर्षा न होना मुख्य कारण है। भीषण जल संकट के कारण भी किसान बहुत परेशान हुए हैं, खासकर अफीम की खेती में प्रायः देखा गया है कि 8 से 10 बार पानी की जरूरत पड़ती है और पानी न मिलने के कारण किसान इस समय बहुत परेशान हैं, बेहाल हैं और भुखमरी के कगार पर भी हैं। तमाम सरकारें आती हैं और कहती हैं कि किसानों को पानी देंगे, नहरों में पानी देंगे, लेकिन आज किसान देश में 80 प्रतिशत किसान खेती पर निर्भर हैं, लेकिन उसकी तरफ हम विशेष ध्यान नहीं देते हैं। ताजा उदाहरण है कि मध्य प्रदेश के 13 हजार काश्तकार जो अफीम की खेती करते थे, उन्होंने भीषण जल संकट के कारण अफीम की खेती करना बन्द कर दिया है। यह एक तरीके से बहुत बड़ी बेरोजगारी की समस्या है। हर क्षेत्र की एक भौगोलिक परिस्थिति होती है, कहीं किसी चीज का उत्पादन ज्यादा है, कहीं खाद्यान्न का उत्पादन ज्यादा है, कहीं अफीम का उत्पादन है, लेकिन कहीं जल वर्षा के कारण किसान केवल चुने हुए पदार्थों की ही खेती कर पाता है, खाद्यान्न की खेती कर पाता है, इसलिए हमें जरूरत इस बात की है कि अगर हमें किसानों के उत्पाद और उत्पादन के लिए अफीम के लिए हमें यहां सोचने के लिए विवश हैं तो उनके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। इसी प्रकार से मध्य प्रदेश के पांच हजार किसानों को लाइसेंस देनें के बावजूद भी वे खेती करने से वंचित रहे और उन्होंने मना भी कर दिया, इसलिए कर दिया, क्योंकि उन्हें वहां पर पानी नहीं मिल पाया है।

दूसरी बात आज विश्व बाजार में जब प्रतिस्पर्धा है तो अच्छी क्वालिटी की अफीम पर भी हमें विचार करना होगा, तभी हमें विदेशी मुद्रा मिल सकेगी और हम विकास कर सकेंगे। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आप कृपया सीधे प्रश्न करें।

श्री शैलेन्द्र कुमार: मैं प्रश्न पर ही आ रहा हूं। दूसरी तरफ अफगानिस्तान में भी जो अवैध रूप से जो तस्करी हो रही है, उस पर भी रोक लगाने की जरूरत है। वहां की गवर्नमेंट से माननीय फाइनेंस मिनिस्टर साहब को बात करनी चाहिए ताकि तस्करी पर रोक लगे। तस्करी पर रोक लगेगी तो हमारे देश में आतंकवादी के नाम पर जो विकास हो रहा है, उसमें भी कमी आने से हम विकास कर सकते हैं। दूसरी तरफ नशीले पदार्थों की, मादक पदार्थों की तस्करी होने से एच.आई.वी. का रोग भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, जिससे देश के लोगों को रोग से ग्रसित होने से बचाया जा सकता है।

मैं माननीय मंत्री जी से कुछ सवाल करना चाहूंगा। खासकर किसानों के लिए हम यहां उत्पादन की बात कर रहे हैं तो बहुत से नारकोटिक्स विभाग के अधिकारी और इन्सपैक्टर समय-समय पर जाकर किसानों का शोषण करते हैं, उन्हें परेशान करते हैं। अगर एक एफ.आई.आर. हो जाती है तो पता चलता है कि 4-6 काश्तकार, जो छोटे और सीमान्त किसान हैं, वे उससे प्रभावित होते हैं। इस पर भी रोक लगाने की जरूरत है।

मैं भाई दुष्यंत सिंह जी ने जो अफीम के उत्पादन और उत्पादों के सामने जो बात लाई है, मैं उन्हें धन्यवाद देते हुए माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि इस विषय पर जोरदार तरीके से अफीम उत्पादन की अपनी एक नीति बनायें और किसानों को सुविधा दिलाने की बात करें, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम: महोदय कोई नई अफीम नीति नहीं बनाई गई है। यह वही नीति है जो काफी वर्षों से है, जिस नीति को पहले मैंने दो वर्षों तक कार्यान्वित किया था और राष्ट्रीय जनतांत्रिक

[श्री पी. चिदम्बरम]

गठबंधन सरकार ने छः वर्षों तक कार्यान्वित किया। अतः कोई नई अफीम नीति नहीं बनाई गई है। हम उसी नीति का अनुसरण कर रहे है। हम वही तरीका अपना रहे हैं। मंत्री उस क्षेत्र के माननीय सदस्यों को बुलाते हैं, उनकी बात सुनते है और फिर नीति की घोषणा करते हैं। जब अभ्यावेदन प्राप्त होते हैं तब हम नीति में सुधार करते हैं।

मैंने चित्तौड़गढ़ का दौरा किया है। मेरे पूर्ववर्तियों ने भी अफीम की खेती वाले क्षेत्रों का दौरा किया। जब मुझे अवसर मिलेगा तब मैं दोबारा अफीम की खेती करने वालों से मिलने अफीम का उत्पादन करने वाले क्षेत्रों का, यह देखने के लिए और क्या उठाया जा सकते हैं, दौरा करूंगा।

जल्द ही मैं इन मुद्दों का निपटान करूंगा। बात यह है कि समस्या क्या है? समस्या यह है कि निर्यात जो कि 1997-98 में 718 मीट्रिक टन हो गया था अब 480 मीट्रिक टन तक नीचे आ गया है। अफीम का भण्डार 497 मीट्रिक टन से बढ़ कर 1424 मीट्रिक टन हो गया है।

हम बहुत ज्यादा अफीम निर्मित कर रहे हैं। कोई निर्यात बाजार नहीं है। निर्यात बाजार छोटा होता जा रहा है। मैं आदर सहित कह सकता हूं कि अफीम के निर्यात के लिए काफी उज्जवल भविष्य नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में हमें कुछ नीति संबंधी निर्णय लेने पड़ते हैं। पहला निर्णय क्षेत्र को 10 एकड़ तक कम करना था। यह कोई नई बात नहीं है। 1991-92, 1992-93 तथा 1993-94 में प्रत्येक खेतीहर के लिए 10 एकड़ निर्धारित किए गए थे क्योंकि हम यथासंभव खेतीहरों को शामिल करना चाहते थे। और हमने इसे 10 एकड़ तक कम कर दिया। यदि मैं इसे 20 एकड़ तक बढ़ाता हूं तो खेतीहर आधे रह जाएंगे। अतः अधिक से अधिक खेतीहरों को शामिल करने का एकमात्र तरीका प्रति खेतीहर क्षेत्र को कम करना है ताकि इनमें से अधिकांश को निराशा का सामना न करना पड़े।

महोदय मूल्य के संबंध में बड़े-बड़े दावे किए गए हैं। काश यह पुरानी बात हो गई हो, परन्तु ऐसा नहीं है। उत्पादन के आधार पर वर्ष 2002-2003 में दिया गया मूल्य 650 रु. से 1700 रु. के बीच था। वर्ष 2003-2004 में यह 720 रु. से 2100 रु. के बीच था। इस वर्ष प्रत्येक स्तर पर हमने पांच प्रतिशत की वृद्धि की है। यह वृद्धि इन परिस्थितियों में संभव है। हमने मूल्य कम नहीं किया है; इसके विपरीत हमने मूल्य बढ़ाए है।

महोदय, दूसरी बात परीक्षण की थी। हम कुछ क्या नहीं कर रहे। परीक्षण एक मान्यताप्राप्त प्रणाली है और इसका अनुसरण किया जाता है। परीक्षण खेत में किए जाते हैं। खेतीहर के 90 फीसदी भुगतान अफीम की सततता के खेत परीक्षण के आधार पर किया जाता है। महोदय 'ओवन टेस्ट' 10×15 फीट के आकार के विशेष तथा बन्द स्थान में किया जाता है। केन्द्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशाला द्वारा नियुक्त रसायनविदों द्वारा परीक्षण किए जाते हैं। जगह की कमी को देखते हुए हम 10×15 फीट की जगह में केवल 30 से 40 खेतीहरों को शामिल करते हैं। परन्तु जब प्रापण का समय आता है तब हम निर्देशों को पुनः बताते हैं तथा सततता निर्धारित करने की प्रणाली की व्याख्या तौल की समाप्ति तक प्रतिदिन उपस्थित सभी खेतीहरों के समक्ष की जाती है।

महोदय ऐसी बात नहीं है कि हम निष्क्रिय हैं। हम ध्यान देते हैं उदाहरण के लिए नए वर्ष की पूर्व चेतावनी के रूप में 50 कि.ग्रा. तथा 49 कि.ग्रा.। अभ्यावेदनों की प्राप्ति के बाद मैंने मध्य प्रदेश तथा राजस्थान के लिए 58 कि.ग्रा. से कम करके 56 कि.ग्रा. कर दिया है। दूसरी बात, हमने पानी मिश्रित अफीम देने वालों को अयोग्य घोषित कर दिया था। जब मुझे इसकी सूचना मिली कि पिछले वर्ष यह पूर्व चेतावनी नहीं दी गई थी, मैंने तत्काल इसे बदल दिया और कहा कि ठीक है हम इस साल किसी को अयोग्य नहीं ठहराएंगे परन्तु अगले वर्ष के लिए मैं लोगों को पूर्व चेतावनी दे रहा हूं कि यदि वे जल मिश्रित अफीम देते हैं तो मुझे डर है हम उन्हें अयोग्य घोषित कर देंगे। इसका कारण यह है कि जल मिश्रित अफीम प्रदान करने वाले लोगों की संख्या साल दर साल बढ़ती जा रही है। अब यदि हम इस रूझान को चलने देते हैं तो मुझे डर है कि अधिक से अधिक लोगों को गीली अफीम देने का बढ़ावा मिलेगा और हमारे सामने गम्भीर समस्याएं आएंगी। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश में गीली अफीम देने वाले खेतीहरों के प्रतिशत में 47 प्रतिशत, राजस्थान में 23.5 प्रतिशत तथा मध्य प्रदेश में 18.69 प्रतिशत तक बढ़ा है।

इसलिए हम उन्हें अगले वर्ष के लिए पूर्व चेतावनी दे रहे हैं कि यदि वे इस साल जल मिश्रित अफीम प्रदान करते हैं तो मैं उन्हें अगले वर्ष के लिए अयोग्य घोषित कर दूंगा। अन्यथा नीति वही है। मुझे मालूम है कि हमें कुछ बेहतर करना चाहिए। परन्तु कोई अफीम बाजार नहीं है। निर्यात बाजार लगभग समाप्त हो गया है। परन्तु मैं पूरा प्रयास करूंगा। जब मैं अफीम निर्माता क्षेत्रों का दौरा करूंगा तब मैं अफीम खेतीहरों से बातचीत करूंगा। माननीय सदस्य भी मेरे साथ उपस्थित रह सकते हैं और इन परिस्थितियों में मैं जो कुछ कर सकता हूं वह निश्चित रूप से करूंगा।

[हिन्दी]

श्री श्रीचन्द कृपलानी: सभापति महोदय, वित्त मंत्री जी किसानों को चोर मान रहे हैं। ...*(व्यवधान)* इसमें सिर्फ कुछ जगह ही गड़बड़ हो सकती है। ...*(व्यवधान)* मशीन डिफैक्टिव है जिसकी वजह से दिक्कत आती है। मंत्री जी अफीम बंद करने की धमकी

दे रहे हैं। ...*(व्यवधान)* मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्य मंत्री श्री दिग्विजय सिंह, राजस्थान के पूर्व मुख्य मंत्री श्री अशोक गहलोत लगातार मांग करते रहे हैं कि अफीम की खेती बंद की जाए। ...*(व्यवधान)* मुझे लगता है कि यूपीए गवर्नमैंट बनने के बाद ये अफीम की खेती बंद करना चाहते हैं। ...*(व्यवधान)* अफीम की खेती बंद करने की पूरी रूपरेखा बनाई जा रही है। ...*(व्यवधान)* हम बिल्कुल इसका विरोध करेंगे।

अपराह्न 3.00 बजे

12 लाख लोगों का भविष्य इससे जुड़ा हुआ है। मेरा वित्त मंत्री जी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप किसानों के बारे में कुछ सोचिये। ...*(व्यवधान)* उनकी खेती खत्म हो जायेगी। यह आज से नहीं बल्कि बरसों से चल रही है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री दुष्यंत सिंह: अध्यक्ष महोदय, मुझे मंत्री जी से स्पष्टीकरण चाहिए। मैं केवल एक मिनट लूंगा। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: नियमों में स्पष्टीकरण के लिए कोई प्रावधान नहीं है।

श्री दुष्यंत सिंह: महोदय मैं आपसे मुझे अनुमति देने का अनुरोध करता हूं क्योंकि यह राजस्थान के किसानों से संबंधित एक गम्भीर मामला है।

श्री पी. चिदम्बरम: अध्यक्ष महोदय एक और ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है और हमें 3.30 बजे तक समाप्त करना है।

[हिन्दी]

श्री दुष्यंत सिंह: सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में बोला है कि उसमें एक्सपोर्ट की कोई मात्रा ही नहीं है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

मैं बताना चाहूंगा कि वर्ष 2002-03 के दौरान निर्यात 270.62 करोड़ रु. था और वर्ष 2003-04 में यह 279.65 करोड़ रु. था ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय: कालिंग अटैंशन में उत्तर के बाद किसी प्रकार के क्लेरीफिकेशन का कोई प्रावधान नहीं है।

[अनुवाद]

अब हम अगली मद पर चर्चा करेंगे। श्री चंद्रकांत खैरे।

अपराह्न 3.01 बजे

(दो) जीवन बीमा निगम और साधारण बीमा निगम द्वारा विकास अधिकारियों और क्षेत्र कर्मचारियों (फील्ड स्टाफ) की आय, सेवा शर्तें और हितों और प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले विभिन्न नियमों के कार्यान्वयन से उत्पन्न स्थिति

[अनुवाद]

श्री चन्द्रकांत खैरे (औरंगाबाद, महाराष्ट्र): महोदय, मैं वित्त मंत्री जी का ध्यान निम्नलिखित अलिम्बनीय लोक महत्व के मामले की ओर आकर्षित करता हूं तथा उनसे इस पर एक वक्तव्य देने का अनुरोध करता हूं:-

> "निगम के विकास अधिकारियों और फील्ड स्टाफों की आय, सेवा शर्तों और हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हुए भारतीय जीवन बीमा निगम एवं साधारण बीमा निगम द्वारा कार्यान्वित विभिन्न नियमों के परिणामस्वरूप उत्पन्न स्थिति तथा इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदम"

***वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम):** महोदय, भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के विकास अधिकारी वेतनभोगी कर्मचारी हैं। वेतन के अलावा वे प्रोत्साहन बोनस, वाहन भत्ता, अतिरिक्त वाहन भत्ता और खर्चों की प्रतिपूर्ति प्राप्त करते हैं। यह उनके अधीन कार्यरत एजेंटों द्वारा जुटाई गई प्रीमियम आय पर निर्भर करता है।

विकास अधिकारियों के लिए प्रोत्साहन बोनस की योजना एलआईसी द्वारा तैयार की जाती है और इसे समय-समय पर परिवर्तित किया जाता है। अंतिम प्रोत्साहन बोनस योजना, 2000 और खर्चों की प्रतिपूर्ति की योजना 2000, दिनांक 31.8.2004 को समाप्त हो गई। नई विकासोन्मुखी प्रोत्साहन बोनस योजना एलआईसी के बोर्ड द्वारा अनुमोदित थी, जिसमें बीमा के क्षेत्र में वर्धित प्रतिस्पर्धा के वर्तमान परिदृश्य को ध्यान में रखा गया था। बढ़ती प्रतिस्पर्धा के वातावरण में, एलआईसी अपना बाजार शेयर खोती जा रही है, जब तक कि इसे पुन: प्राप्त करने के प्रभावी कदम न लिए जाएं, निगम के सामने आने वाले वर्षों में अपना वर्चस्व खोने का जोखिम है।

एलआईसी कोई नई योजनाओं की पुनरीक्षा करनी थी, यद्यपि यह बहुत उदार है, सभी विकास अधिकारियों को प्रभावी रूप से

---

*वक्तव्य ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 1069/04।

[श्री पी. चिदम्बरम]

उत्प्रेरित नहीं कर सकती और उनमें से कई तो औसत से नीचे स्तर पर कार्य कर रहे हैं। बहुत से विकास अधिकारी कुछ ही परिणमोन्मुखी एजेंटों पर अत्यधिक निर्भर करते थे और नए एजेंटों की भर्ती नहीं की। एजेंटों को भारी मात्रा में बर्खास्तगी से एलआईसी के कारोबार की वृद्धि प्रभावित हुई जिसके परिणामस्वरूप बजटीय लक्ष्य प्राप्त करने में असफल रहे। पहले ही योजनाएं पेंशन, यूनिट सहबद्ध उत्पादों आदि जैसे कुछ उत्पाद क्षेत्रों के विपणन में निष्पादन से संबद्ध नहीं थीं जिसमें निजी जीवन बीमा कंपनियों का बाजार में वर्चस्व है। इसके साथ-साथ विकास अधिकारियों को खर्चों की प्रतिपूर्ति और अतिरिक्त वाहन भत्ता के अधीन किए गए भारी भुगतान के परिणामस्वरूप प्रशासनिक समस्याएं आती और कर प्राधिकारियों के साथ मुकदमेबाजी होती थीं।

निगम, पालिसियों की चूकों को नियंत्रित करने, अपर्याप्त भर्ती, एजेंटों की गुणवत्ता और समय पूर्व मृत्यु दावे आदि की संख्या पर नियंत्रण रखने आदि जैसे मुद्दों का समाधान करना चाहता था। पहले की योजना की खामियों को दूर करने के लिए प्रोत्साहन बोनस योजना, खर्चों की प्रतिपूर्ति योजना और अतिरिक्त वाहन भत्ता योजना को एक में मिलाकर एक नई विकासोन्मुखी प्रोत्साहन बोनस योजना, 2004 शुरू की गई है। इससे प्रशासनिक समस्याओं तथा कर प्राधिकारियों के साथ मुकदमेबाजी से बचा जा सकता है। इसमें क्रेडिट की ग्रेडेड पद्धति शुरू की गई है, जो कारोबार की वृद्धि के लिए विकास अधिकारियों को जिम्मेदार बनाती है, इस प्रकार से अधिक प्रोत्साहन राशि कमाने का सुअवसर प्रदान करती है। अन्य बातों के अलावा इसमें कम संख्या में एजेंटों, अनुपस्थिति के लिए डेबिट अथवा कम भर्ती और बर्खास्तगी का भी प्रावधान है। इसमें लागत अनुपात की पुनरीक्षा की गई है और न्यूनतम संख्या में जीवन सुरक्षा के लिए कोटा निर्धारित किया गया है।

एलआईसी ने विकास अधिकारियों के प्रतिनिधियों से कई दौर के विचार-विमर्श एवं परामर्श करने के पश्चात् एक नई योजना का सूत्रपात किया है। इस प्रस्तावित योजना को दिनांक 12.8.2004 को नेशनल फेडरेशन आफ फील्ड वर्कर्स आफ इंडिया (एनएफआईएफडब्ल्यूआई) के प्रतिनिधियों को दिया गया तथा उसके पश्चात् विभिन्न तारीखों पर एलआईसी द्वारा एनएफआईएफडब्ल्यूआई के प्रतिनिधियों के साथ विचार-विमर्श किया गया। प्रतिवेदनों के आधार पर योजना में कई परिवर्तन किए गए और जहां कहीं भी मापदण्ड में छूट दी गई, उन्हें अधिसूचित योजना में सम्मिलित कर लिया गया।

यह योजना लागत विनियमित और निष्पादनोन्मुखी है। उच्च लागत अनुपात स्तर पर कार्यरत विकास अधिकारी कम लागत अनुपात स्तरों की ओर जाना चाहेंगे जिससे कार्यचालन में अधिक मितव्ययिता और निष्पादन की गुणवत्ता में सुधार होगा किन्तु उसी समय उत्पादकता सहबद्ध निष्पादन के माध्यम से अधिक प्रोत्साहन बोनस कमाने का सुअवसर मिलेगा।

जहां तक साधारण बीमा निगम का संबंध है, यह पुनर्बीमा का कारोबार करता है और इसके कोई विकास अधिकारी नहीं होते हैं।

[हिन्दी]

श्री चंद्रकांत खैरे: सभापति जी, मंत्री जी ने जो अभी यहां निवेदन किया, मैं उससे कुछ सहमत नहीं हूं क्योंकि सारे डैवलपमेंट आफिसर्स हैं तकरीबन तीन महीने से आंदोलन कर रहे हैं। तीन महीने से आंदोलन करने के बाद उनको अभी भी न्याय नहीं मिल रहा है। हम लोग चाहते हैं कि 1956 में जब एल.आई.सी. का राष्ट्रीयकरण हुआ था, तब से यह पालिसी चली आ रही है। डैवलपमेंट आफिसर्स बनने के बाद आज 19,700 विकास अधिकारी निगम में हैं और लाख से भी ऊपर एजेंट हैं, कई सौ से अधिक डिवीजन हैं और 2400 शाखाएं हैं। सारे देश के नागरिक अपनी पूंजी इसमें जमा करते हैं।

एल.आई.सी. ही एक ऐसी संस्था है जिस पर सारे देश के नागरिकों को विश्वास है। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि जो दूसरी पालिसीज आ गई हैं जिसमें कई कंपनीज बाहर की भी आ रही हैं तथा यहां की भी निजी कंपनियां इंश्योरेंस के आफिस खोल रही हैं। उनमें बिजनैस के लिए परस्पर प्रतिस्पर्धा भी बराबर हो रही है। लेकिन एल.आई.सी. में जो 19,700 विकास अधिकारी हैं, उन पर बहुत ज्यादा अन्याय हो रहा है। इसी प्रकार से नयी पालिसी ग्रोथ ओरिएंटेड इंसेंटिव बोनस स्कीम, 2004 कारपोरेशन ने लगाई है। उसके लगने के बाद 6 बार यह यूनियन जा चुकी है। 6 बार मीटिंग हो चुकी है। लेकिन उसके बाद भी एनएफआईएफ डब्ल्यूआई जो डैवलपमेंट ऑफिसर एवं फील्ड वर्कर्स का फैडरेशन है, को एलआईसी के मैनेजमेंट ने कहा कि आप कोई नया प्रस्ताव दीजिए ताकि हम उस पर विचार कर सकें। उन्होंने नया प्रस्ताव दिया लेकिन उस पर विचार न करके बोर्ड मीटिंग में पास कर दिया गया कि यह नयी स्कीम लानी है। इससे यह होता है कि जो डैवलपमेंट आफिसर्स हैं, जो एजेंट्स हैं, वे सारे देश में घर-घर में जाकर बिजनैस बढ़ाते हैं, लेकिन उनके ऊपर बहुत अन्याय हो रहा है। लोग अपनी गाढ़ी कमाई इसमें जमा कराते हैं और बचत करते हैं। उन पर इस बात का बहुत बोझ पड़ रहा है कि एल.आई.सी. में यह क्या हो रहा है। पिछले तीन महीनों से आंदोलन के कारण एल.आई.सी. का बिजनैस भी कम हो रहा है। डैवलपमेंट आफिसर्स को एलआईसी की ओर से सिर्फ सहूलियतें दी गई थीं। उनको प्रमोशन भी देना चाहिए। हम यह चाहते हैं कि हमारी कारपोरेशन अच्छी चले। इस क्षेत्र में जो बाहर की

कंपनियां और निजी कंपनियां आ रही हैं, उनके साथ प्रतिस्पर्धा भी अच्छी होनी चाहिए। यह मैनेजमेंट को सोचना चाहिए कि इसके लिए बिजनैस ज्यादा करेंगे तो ही फायदा होगा। मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जो एल.आई.सी. में बिजनैस बढ़ाने के लिए विकास अधिकारी के बारे में सर्विस रूल में लिखा गया था, विकास अधिकारी द्वारा दिये गये बिजनैस में पूरा क्रैडिट पहले विकास अधिकारी को मिलता था।

अभी क्या हुआ-अभी एलआईसी मैनेजमेंट ने जो सिस्टम डवलपमेंट आफिसर्स के लिए लागू किया है, मैं उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। जो डवलपमेंट आफिसर्स सात साल पुराने हैं, उनको 100 प्रतिशत क्रेडिट मिलेगा। जो डवलपमेंट आफिसर्स आठ-दस साल पुराने हैं, उनको 90 प्रतिशत क्रेडिट मिलेगा और 11 साल पुराने हैं, उनको 80 प्रतिशत, 60 प्रतिशत और 40 प्रतिशत तक क्रेडिट मिलेगा। पुरानी नीति के तहत उनको 10 लाख तक का क्रेडिट मिलता था और अब नए नियमों के अनुसार उनको चार लाख का क्रेडिट मिलेगा। यह उनके लिए लास है। इस कारण कोई भी प्रीमियम बढ़ाने की कोशिश नहीं करेगा और इतनी मेहनत नहीं करेगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि डेवलपमेंट आफिसर्स एलआईसी का बेस है। ...*(व्यवधान)* इसके ऊपर विस्तार से चर्चा होनी चाहिए। कई और सांसद भी इस पर बोलना चाहते हैं। मैं मंत्री जी को कहना चाहता हूं कि एलआईसी का कारोबार बढ़ाने के लिए आपको सोचना पड़ेगा। इसलिए जो पहले प्रथा चल रही थी, उसको फिर से चालू करें, तो इस निगम का भला होगा।

आज एलआईसी में चेयरमैन स्थाई नहीं है, एम.डी. भी स्थाई नहीं हैं। उनको एक्सटेंशन मिल रहा है। उसके कई सीनियर आफिसर्स दूसरी कम्पनीज के संपर्क में हैं। वहां जाकर वे उनका बिजनेस बढ़ाएंगे। जब अपने घर में ऐसी बात होगी तो दूसरे लोग फायदा उठाएंगे। माथुर नाम के एक अधिकारी थे, वह आज किसी दूसरी कम्पनी में चले गए हैं। एलआईसी हिन्दुस्तान के नागरिकों की आत्मा है। इसलिए इसको बचाए रखने और सुधार करने के लिए मैं डायनैमिक वित्त मंत्री जी से विनती करूंगा कि वह पहली प्रथा को फिर से चालू करें। आज एलआईसी में डेवलपमेंट आफीसरों को जाब सिक्योरिटी नहीं है, उनको कभी भी निकाला जा सकता है। इससे भी उनको नुकसान हो रहा है।

अब मैं कन्वेंस अलाऊंस के बारे में कहना चाहूंगा। एलआईसी मैनेजमेंट के डेवलपमेंट आफिसर्स को बाजार में घूमना पड़ता है।

सभापति महोदय: खैरे जी, यह आधे घंटे की चर्चा नहीं है। यह ध्यानाकर्षण है। अध्यक्ष महोदय ने आठ और सदस्यों को इस पर बोलने की अनुमति दी है।

श्री चंद्रकांत खैरे: सभापति महोदय, यह बहुत गम्भीर मामला है।

सभापति महोदय: मैं जानता हूं।

श्री चंद्रकांत खैरे: अगर हम उनकी आवाज को यहां नहीं उठाएंगे, तो उनकी समस्याओं के बारे में यहां किसी को पता नहीं चलेगा। बड़े-बड़े अधिकारी एलआईसी को घाटे में लाना चाहते हैं।

सभापति महोदय: आप मेरी बात सुनें। माननीय अध्यक्ष ने आठ और सदस्यों को इस पर बोलने की अनुमति दी है। यह आधे घंटे की चर्चा नहीं है, यह ध्यानाकर्षण है। इस बात को ध्यान में रख कर आप अपनी बात कहें।

श्री चंद्रकांत खैरे: साढ़े तीन बजे प्राइवेट मेम्बर बिजनेस है। आप सबको इस पर बोलने का मौका दें इसलिए उसका समय बढ़ा दें।

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम: अपराह्न 3.30 बजे गैर-सरकारी सदस्यों संबंधी कार्य है।

[हिन्दी]

श्री चंद्रकांत खैरे: पिछली बार ऐसा हुआ था। तब मेरा ही कालिंग अटेंशन था। ...*(व्यवधान)* जो उनका फिक्स कन्वेंस अलाऊंस था और जो एडीशनल कन्वेंस अलाऊंस मिलता था, उसमें भी परिवर्तन किया गया है। पहले जो फिक्स कंवेंस अलाऊंस था, वह मोटर बाइक के लिए 914 रुपए था और कार के लिए 1900 रुपए था। एडीशनल कंवेंस अलाऊंस 1,50,000 रुपए के ऊपर प्रीमियम पर उनको चार प्रतिशत मिलता था।

सभापति महोदय: आप विस्तार में न जाएं और संक्षेप में अपनी बात रखें।

श्री चंद्रकांत खैरे: एडीशन कन्वेंस अलाऊंस घटा दिया गया है। पहले ज्यादा बिजनेस के लिए डवलपमेंट आफिसर्स को ज्यादा घूमना पड़ता था।

[अनुवाद]

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के राज्य मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): कृपया इनमें से कुछ प्रश्नों की ओर वित्त मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करें। कृपया प्रश्न पूछें और भाषण न दें।

सभापति महोदय: कृपया अपनी बात समाप्त करें।

[हिन्दी]

श्री चंद्रकांत खैरे: मैं उनकी समस्याओं को रख रहा हूं। हमारे जिले में भी बहुत सारे एजेंट्स हैं। महाराष्ट्र में इसका प्रभाव ज्यादा पड़ा है। महाराष्ट्र में उसका असर ज्यादा हो रहा है। मेरा कहना है कि एलआईसी कोरपोरेशन से ही सब लोगों को पैसा मिलता है और लोन मिलता है। उसी के माध्यम से देश का विकास होता है, राज्यों का विकास होता है, लोग उससे लोन लेते हैं। यह बहुत बड़े विकास का कोरपोरेशन है। मैं यही कहूंगा कि जो इन्कम टैक्स में छूट थी वह मोटर-साईकिल में 32 हजार रुपये और मोटरगाड़ी में 66 हजार रुपये थी। ...*(व्यवधान)* वह भी अभी निकाली गई है।

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम: यह आधे घंटे की चर्चा नहीं है। यह मात्र एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है। आप सिर्फ स्पष्टीकरण चाहने वाले प्रश्न पूछ सकते हैं। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय: खैरे जी, आपने ध्यानाकर्षण कर दिया है, अब समाप्त कीजिए। समय की लिमिट है। स्पीकर साहब ने इस पर आठ लोगों को बोलने की इजाजत दी है, आप समाप्त कीजिए।

श्री चंद्रकांत खैरे: कालिंग-अटेंशन में हम लोग बोल सकते हैं। मुझे दो-तीन मिनट और दीजिए। मैं कह रहा हूं कि अलग-अलग योजनाओं की जो बंदिश थी ...*(व्यवधान)* एलआईसी का जो बड़ा घोटाला हो रहा है, उसके बारे में माननीय मंत्री जी ध्यान रखेंगे। सन् 1956 से अपनी यह संस्था चल रही है और इसमें जो आंदोलन हो रहा है, उसकी तरफ भी आपका ध्यान दिलाना है। ...*(व्यवधान)* मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान 197000 जो डैवलपमेंट आफिसर्स हैं, उनकी ओर दिलाना चाहता हूं। आप उनका संरक्षण कीजिए, उनको न्याय दीजिए और उनको पहले जैसी स्थिति में रखिये। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

...*(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभापति महोदय: अब श्री बसुदेव आचार्य। कृपया भाषण न दें। आप सिर्फ स्पष्टीकरण की मांग करने वाले प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): महोदय, भारतीय जीवन बीमा निगम के विकास अधिकारी तथा एजेण्ट जीवन बीमा निगम की रीढ़ है। उनके सच्चे प्रयासों की वजह से, भारतीय जीवन बीमा निगम ने, जिसे वर्ष 1953 में राष्ट्रीयकृत किया गया, काफी सफलता हासिल की है। सरकार की 5 करोड़ रुपए की इक्विटी भागीदारी के साथ इसने देश के विकास हेतु एक हजार करोड़ रुपए का योगदान दिया है।

मंत्री महोदय ने बताया है कि वे जीवन बीमा निगम को और अधिक प्रतिस्पर्द्धी बनाने हेतु उन लाभों और सुविधाओं में कटौती कर रहे हैं जिसका वे वर्ष 1953 से लाभ उठाते रहे हैं। भारत सरकार अथवा जीवन बीमा निगम बोर्ड आज यह क्यों महसूस कर रहे हैं कि जीवन बीमा निगम को लागत प्रभावी बनाने हेतु 9,700 विकास अधिकारियों की सुविधाओं में कटौती की जानी चाहिए। पहले की योजना खर्चीली नहीं थी। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया अपना प्रश्न पूछिए।

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, मैं प्रश्न पर आ रहा हूं।

विकास अधिकारियों पर आने वाली लागत-निगम को वर्ष 2002-03 में प्रीमियम के रूप में 54,603 करोड़ रुपए प्राप्त हुए-प्रीमियम का मात्र 1.3 प्रतिशत है। महोदय, प्रीमियम 54,000 करोड़ रुपए था तथा विकास अधिकारियों पर आने वाली लागत उस वर्ष के दौरान प्राप्त प्रीमियम का मात्र 1.3 प्रतिशत है।

महोदय, इस योजना के कारण हतोत्साहित करने वाले प्रभाव पड़ रहा है क्योंकि जीवन बीमा निगम के अध्यक्ष द्वारा इसकी एकतरफा घोषणा की गयी है और अधिसूचित किया गया है। छह बैठकें हुई थी। जीवन बीमा निगम बोर्ड ने परिसंघ द्वारा दिए गए किसी भी सुझाव को स्वीकार नहीं किया। इसे एकतरफा रूप से विकास अधिकारियों पर थोपा गया। इसके परिणामस्वरूप आन्दोलन हुआ तथा इसकी वजह से जीवन बीमा निगम को अपनी दो प्रतिशत बाजार भागीदारी खोनी पड़ रही है।

महोदय, यह नई प्रोत्साहन योजना जीवन बीमा निगम को प्रतिस्पर्द्धी नहीं बनाएगा बल्कि निजी कंपनियां जो हमारे देश में व्यवसाय कर रही हैं और जिन्हें अधिनियम में संशोधन के माध्यम से व्यवसाय करने की अनुमति दी जा रही है, धीरे-धीरे अपना व्यवसाय फैला रही हैं और बाजार में उनकी भागीदारी बढ़ रही है। मैं यह जानना चाहता हूं कि चूंकि विकास अधिकारियों में

असंतोष है तथा उन पर हतोत्साहक प्रभाव पड़ रहा है, क्या वित्त मंत्री महोदय आगे परामर्श हेतु परिसंघ से चर्चाएं करने हेतु बोर्ड को कहेंगे। उस तिथि तक इस योजना का कार्यान्वयन रोका जाएगा ताकि जीवन बीमा निगम बर्बाद होने से बचे व सुरक्षित रहे, क्योंकि उनकी मांग जीवन बीमा निगम को बचाने की है।

सभापति महोदय: श्री बुसदेव आचार्य समय सीमित है। आप समय पर भी ध्यान दें।

श्री बसुदेव आचार्य: फील्ड कर्मचारी एक अन्य समस्या से जूझ रहे हैं जो दलालों की नियुक्ति और बैंक बीमा की वजह से है। इससे 11 लाख जीवन बीमा कर्मचारियों की आजीविका पर खतरा उत्पन हो गया है।

सभापति महोदय: कृपया दूसरे माननीय सदस्य को प्रश्न पूछने का मौका दें।

श्री बसुदेव आचार्य: इसलिए मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या मंत्रालय 9,700 विकास अधिकारियों और जीवन बीमा निगम के 11 लाख एजेण्टों की मांग व अनुरोध पर विचार करेगा ताकि उनकी आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े तथा उन्हें अपनी नौकरियों से वंचित न होना पड़े।

श्री पी.एस. गढ़वी (कच्छ): महोदय, मैं श्री चन्द्रकांत खैरे के साथ अपने को सम्बद्ध करता हूं।

सभापति महोदय: अब श्री वासुदेवन नायर। आप सिर्फ एक प्रश्न पूछिए।

श्री पी.के. वासुदेवन नायर (तिरूअनन्तपुरम): सभापति महोदय, मुझे आश्वासन बहुत अच्छी तरह याद हैं।

सभापति महोदय: कृपया प्रश्न सीधे पूछे क्योंकि समय सीमित है। माननीय अध्यक्ष महोदय ने सिर्फ प्रश्न पूछने की अनुमति दी है।

श्री पी.के. वासुदेवन नायर: मुझे इस बात का पता है। परन्तु हम यहां सुबह से बैठे हैं। यदि आप चाहते हैं तो मैं बैठ जाता हूं।

श्री पी. चिदम्बरम: समय बीता जा रहा है।

श्री गुरूदास दासगुप्त (पंसकुरा): सभा का समय कुछ मिनटों के लिए बढ़ाया जा सकता है। इसमें हानि क्या है? समय बढ़ाना आपके अधिकार के अंदर है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: अन्यथा, हमें समय भी बढ़ाना पड़ेगा।

श्री पी.के. वासुदेवन नायर: महोदय, मैं कुछ तर्कसंगत बात कहना चाहता हूं। मुझे याद है कि वर्तमान मंत्री महोदय सहित सरकार ने भारतीय जीवन बीमा निगम, जी.आई.सी. आदि जैसे सरकारी क्षेत्र के निगमों को प्रतिस्पर्धा हेतु खोलते समय यह आश्वासन दिया था कि वे सरकारी क्षेत्र के संगठनों की रक्षा करने के लिए कदम उठाएंगे और कहा था कि उनका इरादा इन संगठनों का परिसमापन अथवा इनको बंद करने का नहीं है। मुझे भय है कि सरकार द्वारा विकास अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की वर्तमान सुविधाओं के संबंध में उठाया गया 'एक तरफा कदम ने उन लोगों में काफी क्षोभ व असंतोष पैदा किया है जो वास्तव में इन निगमों को चला रहे हैं। मैं आश्वस्त हूं कि मंत्री महोदय आवश्यक कदम उठाएंगे। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: अब श्री रतिलाल कालीदास वर्मा। आप सिर्फ प्रश्न पूछें।

[हिन्दी]

साढ़े तीन बजे से गैर सरकारी संकल्पों पर चर्चा होनी है। आप जल्दी खत्म करिए।

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा (धंधुका): सभापति महोदय, आम जनता के लिए जीवन ज्योति बनी है। अंतिम जीवन का एक सुखमय पड़ाव है, आशा दीप है और सरकार की आर्थिक क्षेत्र में सहयोगी संस्था है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री गुरूदास दासगुप्त: उन्हें अपनी बात समाप्त करनी चाहिए। उन्हें बात समाप्त करने दें ...*(व्यवधान)*

श्री पी. चिदम्बरम: मैंने उनकी बात नोट कर ली है।

[हिन्दी]

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा: मैं दो तीन प्रश्न पूछना चाहता हूं। क्या आप फील्ड आफिसर का उत्साह बनाए रखना चाहते हैं? मैं पूछना चाहता हूं, अंतिम एक साल में अन्य प्राइवेट कंपनियों में कितने उच्चाधिकारी गए? सीएमडी ने नया सर्कुलर अंतिम समय में क्यों निकाला? क्या प्राइवेट कंपनियों के साथ कम्पीटिशन करने के लिए गांव और पहाड़ी क्षेत्र में प्रसार के लिए फील्ड आफिसर और एजेंट की आवश्यकता नहीं है? अन्य सरकारी बिजनेस प्राइवेट को सौंपा गया, क्या भविष्य में एलआईसी को बंद करने या प्राइवेट सैक्टर को देने का सरकार का इरादा है?

श्री मोहन सिंह (देवरिया): महोदय, एलआईसी हमारे देश की सबसे प्रभावशाली सार्वजनिक संस्था के रूप में थी जिसका आम जनता से सीधा संबंध है। मैं मंत्री जी से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि जब आपने उसको कंपीटिशन में छोड़ दिया है तो उसको मजबूत बनाना सरकार का दायित्व है क्योंकि एलआईसी के क्षेत्र में और इंश्योरेंस के क्षेत्र में निजी प्लेयर्स और बाहरी प्लेयर्स, दोनों के प्रवेश करने की संभावना है। ऐसी स्थिति में पब्लिक अंडरटेकिंग्स को तोड़ने के लिए प्राइवेट प्लेयर्स उसकी एक्टिविटीज में कुछ एप्रोच करती हैं। लंबे समय से कंफ्रन्टेशन की स्थिति होने से एलआईसी और जनरल इंश्योरेंस का कारोबार प्रभावित हो रहा है। क्या भारत सरकार अपनी तरफ से पहल करके बोर्ड और उनके क्षेत्रीय फील्ड आफिसर के बीच सीधी वार्ता कराकर एक एग्रीकेबल सेटलमेंट की ओर बढ़ने की कोशिश कर रही है?

सभापति महोदय: श्री हरिभाऊ राठौड़, आप केवल प्रश्न पूछिए।

श्री हरिभाऊ राठौड़ (यवतमाल): महोदय, इससे संबंधित बहुत बड़ा उद्योग खत्म होने जा रहा है, यह छोटी सी बात नहीं है। केवल डेवलपमेंट आफिसर्स चंद लोगों के कन्वेयन्स एलाउंस, बोनस वगैरह के लिए इतनी बड़ी इंडस्ट्री आप खत्म करने जा रहे हैं, यह आप क्या कर रहे हैं? क्या सरकार डेवलपमेंट आफिसर्स की पूरी पोस्ट एबालिश करने जा रही है? इसका उत्तर माननीय मंत्री जी दें? क्या एक योजना शुरू की जाने वाली है। ...*(व्यवधान)*

श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील (इरन्दोल): मेरा एक ही सवाल है जो ग्रोथ ओरिएंटेड स्कीम ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आपका सवाल करेंगे। मैं माननीय सदस्य से निवेदन करता हूं क्योंकि साढ़े तीन बजे से हमें दूसरे विषय लेना है और समय हो रहा है और माननीय मंत्री जी को उत्तर देना है, इसलिए मैं दस मिनट का समय बढ़ाना उचित होगा। क्या सदन इस बात के लिए सहमत है?

कुछ माननीय सदस्य: जी, हां।

श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील: महोदय, मेरा एक ही सवाल है। मंत्री जी कह रहे थे कि ग्रोथ ओरिएंटेड स्कीम की वजह से उशकी परफार्मेंस और उसकी क्षमता थोड़ी-बहुत बढ़ जाएगी, यह कितना सच है? क्योंकि नई स्कीम चलने के बाद जो कुछ बेनिफिट मिलेगा, उसका इफेक्ट आएगा। उससे पहले अच्छी तरह से 90 परसेंट बिजनेस एलआईसी के माध्यम से चलता था, क्या वह कम किया है? किसके लिए यह नई स्कीम आई है? उन्होंने जो बताया वह मेरी समझ में नहीं आता कि क्या यह उसकी एफिशेंसी बढ़ाने के लिए किया है। कृपया यह बताएं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: माननीय मंत्री महोदय।

श्री पी.एस. गढ़वी: कृपया हमारी भावनाओं को सम्बद्ध करें। ...*(व्यवधान)*

श्री पी. चिदम्बरम: हां, मैंने आपकी सम्बद्धता स्वीकार की है।

श्री पी.एस. गढ़वी: कृपया हमारी सम्बद्धता नोट की जाए।

श्री पी. चिदम्बरम: सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्यगणों को आश्वस्त कर दूं कि मेरी मंशा एल आई सी (भारतीय जीवन बीमा निगम) को और अधिक सुदृढ़ और प्रतिस्पर्धी बनाने की है।

एक लंबे अंतराल के बाद, मैंने एलआईसी के अध्यक्ष और सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ लगभग दो घंटों तक बैठक की है, एक कार्य योजना भी तैयार की गई है। भारतीय जीवन बीमा निगम बाजार में अपना हिस्सा लगभग 90 से 95 प्रतिशत तक बनाए रखने का भरपूर प्रयास करेगा। इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि मेरी मंशा एलआईसी को सुदृढ़ बनाने की है। परन्तु कतिपय वर्ग के लोगों के साथ हमारी सहमति नहीं होनी चाहिए जिन्होंने आरामदेह जीवन व्यतीत किया है और जिनसे निगम को कोई लाभ नहीं मिला है। मुझे कुछ कटु आंकड़ों को प्रस्तुत करने दे।

वर्ष 2001-2002 में एल आई सी की प्रथम प्रीमियम आय जो कि एक नया कारोबार है। 14,843 करोड़ रुपए था। अगले वर्ष 2002-2003 में इसमें 34 प्रतिशत की गिरावट आई और यह 9,689 करोड़ रुपए रह गया। वर्ष 2003-2004 में, इसमें पुन: 11.6 प्रतिशत की गिरावट आई और यह 8,567 करोड़ रुपए रह गया। इस वर्ष, मैंने 11,565 करोड़ रुपए का लक्ष्य निर्धारित किया है, जो कि कम से कम वर्ष 2001-2002 के स्तर के करीब है। इस बीच क्या हुआ है? ...*(व्यवधान)*

कृपया मुझे उत्तर देने दें। अन्यथा, बैठ जाऊंगा। कृपया मेरी बात सुनिए। ...*(व्यवधान)*

इसी अवधि में लाभ बोनस, वाहन भत्ता, व्यय की प्रतिपूर्ति एक वेतन मद की कुल राशि 1,166 करोड़ रुपए से बढ़कर 1,346 करोड़ रुपए हो गए है। वर्ष 2002-2003 में इसमें 14 प्रतिशत की वृद्धि हुई और वर्ष 2003-2004 में दो प्रतिशत की वृद्धि हुई। अब इसका क्या अर्थ है?

एक विकास अधिकारी ऐसा है जिसे प्रोत्साहन राशि, वाहन भत्ते और व्यय भत्ते के रूप में 1.23 करोड़ रुपए मिले। तीन सौ अठहत्तर विकास अधिकारियों को 10 लाख रुपए से अधिक प्राप्त हुए। यदि आप 19,281 अधिकारियों के कुल स्थापना संबंधी व्यय पर गौर करें, तो यह 1,346 करोड़ रुपए बनता है। वार्षिक औसत 6,73,000 रुपए बनता है। ये निर्धन लोग नहीं हैं। ये व्यय कर रहे हैं। इनकी भरपाई की जानी चाहिए। परन्तु हमें यह नहीं समझना चाहिए कि ये गरीबी रेखा से नीचे के लोग हैं और कठिनाईयों से जूझ रहे हैं और यह कि उनकी आजीविका छीनी जा रही है।

हमें प्रथम प्रीमियम आय को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक के पूर्व-स्तर तक ले जाना है। गत दो वर्षों में यह गिरकर 9,689 करोड़ रुपए और 8,567 करोड़ रुपए हो गया है। अतएव, हमने इसे निष्पादन उन्मुखी बनाते हुए इसे निष्पादन से जोड़ा है। अच्छा कार्य करने वाले व्यक्ति को उस राशि से ज्यादा मिलेगा, जो उसके गत वर्ष अर्जित की। वह व्यक्ति जो नए एजेंटों की भर्ती नहीं करता और जो नवीकरण प्रीमियम से ही खुश है और प्रथम प्रीमियम आय पर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो उन्हें उतना नहीं मिलेगा जितना पिछले वर्ष मिला।

हम 6,73,000 रुपए का औसतन भुगतान कर रहे हैं और सर्वेश्रेष्ठ निष्पादन करने वाले को 1.23 करोड़ रुपए मिलता है। संसद को वाद-विवाद करने का हक है परन्तु यह प्रबंधन संबंधी कार्य है। हम एलआईसी की स्वायत्तता की बात करते हैं। मैं एलआईसी को स्वायत्तता देना चाहता हूं और उसे नीचे तक जवाबदेह बनाना चाहता हूं। मैं उनसे वर्ष के अंत में संतुलन पत्र प्रस्तुत करने के लिए कहूंगा और मैं उनका उत्तरदायित्व निर्धारित करूंगा। वे किस प्रकार अपना व्यवसाय चलाते हैं, किस प्रकार वे प्रोत्साहन योजनाओं को तैयार करते हैं और किस प्रकार वे अपने कर्मचारियों से कार्य करवाते हैं। ये सब प्रबंधन संबंधी कार्य हैं। मेरा सभी माननीय सदस्यगणों से विनम्रतापूर्वक यही कहना हूं कि हमें प्रबंधन संबंधी प्रत्येक कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।

छह बैठकें आयोजित की गई थीं। मेरे पास पूरी सारणी है। प्रस्तावित मूल योजना इस सारणी के स्तंभ 2 में है। संशोधित अंतिम योजना को, जो विकास अधिकारियों के दृष्टिकोणों पर विचार करने के बाद मूल योजना में पर्याप्त बदलाव के बाद तैयार की गई है, स्तंभ 3 में रखा गया है। नए खण्ड जोड़े गए थे, जो मूल योजना में नहीं थे। विकास अधिकारियों की पहल पर, हमने नए खण्ड जोड़े हैं। मैंने स्वयं इनको पढ़ा है और मंत्री के रूप में, मैं इससे पूर्णत: सहमत हूं, जैसाकि विस्तृत विचार-विमर्श और विस्तृत वार्ता के बाद किया गया है। एक समुचित योजना तैयार की गई है। मैं माननीय सदस्यगणों से नम्रतापूर्वक अपील करता हूं कि हम एलआईसी को एक संगठन के रूप में व्यावसायिक स्वायत्तता के साथ कार्य करने दें। हम उन्हें तब बुलाएंगे जब वे अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे? हम उनकी वार्षिक रिपोर्ट पर वाद-विवाद करें परन्तु हमें एलआईसी के प्रबंधन के निर्णय के साथ हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: किसी स्पष्टीकरण की अनुमति नहीं है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री चंद्रकांत खैरे: सभापति जी, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। यूनियन वालों का जो आंदोलन चल रहा है, क्या आप बातचीत के जरिये उसे समाप्त करने वाले हैं? क्या उन लोगों की सुनवाई करेंगे या नहीं?

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम: श्री चंद्रकांत खैरे जी, कृपया मेरी बात सुनिए। हम इस वर्ष को बीतने दें। हम पहले निष्पादन को देखें और फिर हम इस पर गौर करेंगे। हमें इस स्तर पर एलआईसी की व्यावसायिक स्वायत्तता के साथ हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इस वर्ष को समाप्त होने दें और हम अप्रैल में मामले पर गौर करेंगे।

अपराह्न 3.35 बजे

सरकारी विधेयक-*पुर:स्थापित*

(एक) भारत का राज्य संप्रतीक (अनुचित प्रयोग प्रतिषेध) विधेयक, 2004*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: अब, यह सभा मद संख्या 17 पर विचार करेगी। अब श्री माणिकराव होडल्या गावित बोलेंगे।

[हिन्दी]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित): सभापति महोदय, मैं श्री शिवराज वि. पाटील की ओर से प्रस्ताव करता हूं कि वृत्तिक और वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए भारत के राज्य संप्रतीक के अनुचित प्रयोग का प्रतिषेध करने और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।

---

*भारत के राजपत्र असाधारण, भाग दो, खण्ड 2, दिनांक 10.12.04 में प्रकाशित।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि वृत्तिक और वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए भारत के राज्य संप्रतीक के अनुचित प्रयोग का प्रतिबंध करने और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

श्री माणिकराव होडल्या गावित: महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.36 बजे

(दो) विशेष अधिकरण (अनुपूरक उपबंध) निरसन विधेयक, 2004*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: अब, यह सभा मद संख्या 18 पर विचार करेगी।

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): महोदय, मुझे श्री सुरेश पचौरी की ओर से विशेष अधिकरण (अनुपूरक उपबंध) निरसन विधेयक, 1946 का निरसन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि विशेष अधिकरण (अनुपूरक उपबंध) अधिनियम का निरसन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री गुलाम नबी आजाद: महोदय, मैं विधेयक को पुर: स्थापित करता हूं।

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-दो, खण्ड-दो दिनांक 10.12.2004 में प्रकाशित।

सभापति महोदय: अब यह सभा मद संख्या 19 पर विचार करेगी। अब श्री दह्याभाई वी. पटेल जी बोलेंगे।

...(व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): महोदय, कृपया थोड़ी देर रूक जाइए। आज प्रात: मेरे प्रिय मित्र श्री खारबेल स्वाईं और कुछ अन्य मित्रों ने इस मुद्दे को उठाया था और उन्होंने इस मुद्दे पर इस सभा से बहिर्गमन किया था कि सरकार के पास अपराह्न 3.30 बजे तक कार्य नहीं था। अभी अपराह्न 3.40 बजे हैं। इस प्रकार, सरकार के पास न केवल अपराह्न 3.30 बजे तक ही कार्य नहीं था बल्कि सरकार के पास अपराह्न 4.30 बजे तक भी कार्य था। इस प्रकार आज प्रात: जो आपत्तियां की गईं थी, वे राजनीतिक रूप से प्रेरित थी और व्यर्थ थीं। *...(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाईं (बालासोर): यह बहुत गलत है। *...(व्यवधान)* महोदय, आप हमें भी अनुमति दीजिए। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: मैंने श्री संतोष गंगवार को अनुमति दी है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री संतोष गंगवार (बरेली): सर, हमारा निवेदन है कि आप संसदीय कार्य मंत्री को कहिए कि वह पेशेन्स रखें। यह गलत बात है। जो उनका आचरण है, वह संसदीय कार्य के बिल्कुल विपरीत है। आपको गलती को स्वीकारना चाहिए। हम लोगों ने आपको काआपरेट किया है। आप जो कह रहे हैं। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री खारबेल स्वाईं: महोदय, कृपया मेरी बात सुनिए। सामान्य पारंपरिक नियम यह है *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: श्री खारबेल स्वाईं जी, मैंने श्री संतोष गंगवार को अनुमति दी है।

...(व्यवधान)

श्री खारबेल स्वाईं: महोदय, सामान्यत: नियम यह है कि 12 बजे ध्यानाकर्षण संबंधी नोटिसों पर चर्चा की जाती है। आज दो ध्यानाकर्षण नोटिस है। इसलिए, यह 1 बजे तक जारी रहेगा। तत्पश्चात् 1 बजे से 2 बजे तक मध्याह्न भोजन का समय होता है। दो बजे के पश्चात् कार्य के लिए कोई मद नहीं है।

महोदय, यदि आप पूरे दिन शून्य काल लेते हैं तो उनके लिए पर्याप्त कार्य है। लेकिन यह सरकारी कार्य नहीं है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: श्री खारबेल स्वाईं, अब आपका समय है।

...*(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाईं: उन्होंने फेर बदल करने की कोशिश की है। कृपया, ऐसा न कहें ...*(व्यवधान)* यह आपका व्यक्तिगत काम है कि सभा के पास पर्याप्त सरकारी कार्य हो ...*(व्यवधान)*

आप इसलिए नाराज हो रहे हैं क्योंकि आप माननीय संसदीय कार्य मंत्री हैं। आप अपने काम में पूरी तरह असफल रहे हैं। आप माननीय संसदीय कार्य मंत्री है और आप ऐसी व्यवस्था नहीं कर सके ...*(व्यवधान)* 'शून्य काल' सरकारी कार्य नहीं होता है। कृपया, ऐसा न कहें ...*(व्यवधान)* यह आपका कार्य नहीं है ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री संतोष गंगवार: सभापति महोदय, यह हम लोगों ने एडजस्ट किया है। संसदीय कार्य मंत्री को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। ...*(व्यवधान)*

अपराह्न 3.39 बजे

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के तीसरे प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

[अनुवाद]

सभापति महोदय: अब सभा गैर-सरकारी सदस्यों संबंधी कार्य-मद संख्या 19 को लेगी, श्री दाह्याभाई वल्लभभाई पटेल।

श्री दाह्याभाई वल्लभभाई पटेल (दमन और दीव): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

> "कि यह सभा, 8 दिसम्बर, 2004 को सभा में प्रस्तुत गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के तीसरे प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

अपराह्न 3.40 बजे

गैर-सरकारी सदस्य का संकल्प, कृषि और कर्मकारों के लिए राहत उपाय–*जारी*

सभापति महोदय: अब हम, मद संख्या 20 को लेंगे, श्री पी.के. वासुदेवन नायर बोलेंगे।

श्री पी.के. वासुदेवन नायर (तिरुअनन्तपुरम): सभापति महोदय, मेरे संकल्प के साथ अजीब सी बातें हुई क्योंकि मैने इसे 16 जुलाई को प्रस्तावित किया था और सभा में-स्थगन और अन्य बातों से बहुत ही कोलाहलपूर्ण स्थिति के कारण यह संकल्प अब प्रस्तुत हो पाया है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जैसा कि आप देखेंगे कि इस संकल्प में मुख्य मुद्दा उस अवधि के दौरान देश में हजारों किसानों द्वारा की गई आत्महत्या से संबंधित है। जुलाई और अगस्त में मैंने इस संकल्प का प्रस्ताव किया था तो उस समय यह बहुत ही ज्वलंत मुद्दा था लेकिन अब इतना महत्वपूर्ण नहीं है किन्तु आत्महत्याएं अभी भी जारी है, लेकिन, दुर्भाग्यवश इस मुद्दे पर गम्भीरता पूर्वक चर्चा नहीं की जा रही है और इसका निपटान नहीं हो पा रहा है,

लेकिन, मैं कृषि और अपने ग्रामीण अर्थव्यवस्था की अत्यन्त गम्भीर स्थिति पर केन्द्रित होना चाहता हूं जिसके परिणामस्वरूप लाखों कास्तकार गरीबी में जी रहे हैं। जहां तक कृषि कामगारों का संबंध है, तो कृषि क्षेत्र संकटग्रस्त है और जब गरीब और सीमान्त कास्तकारों को आत्महत्या के लिए मजबूर होना पड़ रहा है तो कोई भी कल्पना कर सकता है कृषि श्रमिकों का क्या होगा, वे हमारे देश में लाखों की संख्या में है, इसलिए, इस संकल्प में किसानों और कृषि कामगारों से संबंधित मुद्दों को एक साथ उठाया गया है।

सर्वप्रथम, मैं सत्ता पक्ष को बताने की कोशिश करूंगा कि कृषि, कृषि निवेश और अन्य बातों के बारे में न्यूनतम साझा कार्यक्रम में क्या वायदे किए गए थे। उनमें से एक वायदा यह था कि कृषि कामगारों के संबंध में एक ऐसा राष्ट्रीय विधान बनाया जाएगा जिसमें गम्भीरतापूर्वक विचार किया जाएगा और इससे संबंधित विधेयक बिना किसी विलम्ब के लाया जाएगा हो सकता है कि यह इस सत्र में न आ पाए यद्यपि हमें आशा थी कि इस समय तक यह आ जाएगा। लेकिन, मैं सरकार से बजट सत्र में विधान लाने का आग्रह करता हूं।

यह, कृषि अर्थव्यवस्था के प्रश्न पर बहुत व्यापक विषय है। मैं कृषि अर्थव्यवस्था से संबंधित गम्भीर समस्याओं में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन इतना कहना ही काफी है कि स्वतंत्रता के पश्चात से ही कृषि सुधारों से संबंधित हमारा मूल विचार यही था,

[श्री पी.के. वासुदेवन नायर]

कि कृषि क्षेत्र में तेजी से सुधार किए जाएं। कृषि सुधारों का स्वरूप कुछ भी हो सकता है। कुछ सुधार लागू किए गए; कुछ कानून बनाए गए और कई पारित कानूनों को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, हां, केन्द्र सरकार कह सकती है "हम क्या कर सकते हैं? यह राज्य का विषय है। राज्य सरकारों को कानून बनाने है और उन्हें ही इन्हें लागू करना है। लेकिन हमें केन्द्र अथवा राज्यों पर आरोप नहीं लगाना चाहता हूं। लेकिन तथ्य यही है कि कृषि संकट का मूल कारण तीव्र कृषि सुधारों को लागू करने की हमारी असफलता ही है।

लेकिन कई वर्षों के बाद आज कृषि पर कतिपय बड़े भू-स्वामियों का एकाधिकार है, आपके पास काश्तकारी कानून हैं। हां, कई राज्यों में काश्तकारी कानूनों को कार्यान्वित किया गया है, लेकिन भू-स्वामित्व अधिकार अभी तक भी वास्तविक काश्तकार के हस्तांतरित नहीं किया गया है, आन्ध्र प्रदेश के मामले में, जहां सर्वाधिक संख्या में आत्महत्याएं की गई है मैं समझता हूं कि वहां कई काश्तकार हैं। हां, उन्होंने संघर्ष और आन्दोलन से भूमि प्राप्त की, उनके पास भूमि है लेकिन पट्टा नहीं, उनके पास स्वामित्व अधिकार नहीं हैं, यह कई काश्तकारों का मामला है जहां काश्तकारी संबंधी कानून लागू किए गए हैं। इसलिए, जब तक आप कृषि जोतने वाले को भू स्वामी नहीं बनाते, कृषि अर्थव्यवस्था में सुधार नहीं होगा। यह कृषि अर्थव्यवस्था का ही नहीं बल्कि औद्योगिक विकास, औद्योगिकीकरण का भी स्तम्भ है।

हां, जैसा कि हम सभी जानते हैं और वामदल-वामपंथी भी भूमि सुधार चाहते हैं, हमने सोचा कि भूमि सुधार सामाजिक न्याय और सामाजिक न्याय और सामाजिक समता का प्रश्न है लेकिन यह एक ऐसा मुद्दा है कि औद्योगिकीकरण के लिए तथा समग्र विकास के लिए भी यह मार्ग प्रशस्त करता है। लेकिन, हमारे देश में जो कि आज भी कृषि प्रधान देश है, काफी औद्योगिक विकास हुआ है लेकिन भूमि जोतने वाले का अभी भी वास्तविक भू-स्वामी बनना है, यदि आप भूमि जोतने वाले को भूमि का वास्तविक स्वामी और लाभार्थी जो भी वह उत्पादन करता है और उसकी श्रम शक्ति बढ़ती है-नहीं बनाते तो अर्थव्यवस्था के समेकित विकास के दरवाजे नहीं खुल सकतें।

दुर्भाग्यवश, हमारे देश में, इस तथ्य के बावजूद कि राष्ट्रपति भी भूमि सुधार चाहते थे और आजादी के बाद सरकार की जिम्मेदारी लेने वाले प्रधानमंत्री भी भूमि सुधार चाहते थे लेकिन चाहे जो भी कारण रहे हों इसे बहुत ही धीमी गति से लागू किया गया। इसलिए, न्यूनतम साझा कार्यक्रम, कई वर्षों के बाद में हमें इसी प्रश्न पर वापस जाना पड़ रहा है। इसमें वायदा किया गया था कि भूमि सुधार का पुराना विचार फिर से अपनाया जाएगा। मैं समझता हूं कि इस पर बहुत ही गम्भीर रूप से ध्यान दिया गया है। इसलिए, इसके साथ ही कृषि श्रमिक, कामगार, भूमि जोतने वालों को अधिकार प्राप्त हो जाएंगे, विधान से सामाजिक न्याय सुनिश्चित हो जाना चाहिए। सामाजिक काम और अधिकारिता साथ-साथ चलते हैं, यही सब कृषि क्षेत्र में संकट के मूल कारण हैं।

अब मैं, हाल के समय पर आता हूं। मैं समझता हूं कि 1991 में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण-के रूप में एक मोड़ आया। हम इसे एल.पी.जी. कहते हैं। कुछ लोगों ने इस पर काफी काम किया और कहा कि यह समृद्धि तथा विकास का वास्तविक मार्ग है। यहां तक कि आज, हम अचम्भित होते हैं जब हम देखते है कि सत्ता पक्ष के कुछ मंत्रियों में विशेष प्रकार का जोश उत्पन्न होता है जब वे, सुधार, सुधार, के बारे में बातें करते हैं।

मात्र छह माह पूर्व इस देश के लोगों ने निर्णय दिया था, नरसिंह राव सरकार और कांग्रेस सरकार ने पांच वर्ष तक सुधारों को लागू किया और तत्पश्चात भाजपा सत्ता में आई। उनके पास स्वयं को कुशल बनाने की विशेष क्षमता है। वे नरसिंह राव सरकार की आलोचना करते रहे लेकिन जब उन्होंने सत्ता संभाली तो वे एल.पी.जी. के वास्तविक समर्थन बन गए। उन्होंने इसके बारे में बहुत कुछ कहा लेकिन कृपया याद रखें कि कृषकों और ग्रामीण लोगों ने उन्हें अस्वीकार कर दिया, इसका कारण यह था कि वैश्वीकरण, उदारीकरण आदि के लिए अत्यधिक जोश के कारण वे कृषि क्षेत्र गरीब किसानों और कृषि श्रमिकों को भूल गए और जब लोगों को अवसर मिला तो उन्होंने स्पष्ट निर्णय दे दिया।

मैं समझता हूं कि यह सत्ता पक्ष, जो यहां बैठे हैं उनके लिए एक सबक होना चाहिए। हमें उस सबक को सीखना चाहिए। न्यूनतम साझा कार्यक्रम में काफी वायदे किए गए हैं। यह मेरे पास है लेकिन मैं इसे पढ़कर सभा का समय नहीं लेना चाहता हूं। मैं कहूंगा कि यह पढ़ना बहुत अच्छा है और विनम्र दावा करूंगा कि हमने वाम दलों सहित इसमें कुछ योगदान दिया है। कृषि के बारे में कई चीजों का उल्लेख किया गया है, जब न्यूनतम साझा कार्यक्रम तैयार किया गया तो इसमें हमारा भी कुछ योगदान रहा है। हम यह नहीं कहते कि यह एकमात्र हमारा ही कार्यक्रम है। लेकिन यह कार्यक्रम केवल उनका भी नहीं है। निस्संदेह, उनकी पार्टी इस मामले में प्रमुख पार्टी है। कृषि, कृषि सुधार कृषि में निवेश, इनका कार्यान्वयन और नहीं की गई बातों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए।

उस अवधि के दौरान जब हमारे देश में बड़ी संख्या में आत्महत्याएं की जा रही थीं तो हमारे देश में एक मुख्यमंत्री ने कहा था कि देश में आत्महत्याएं हमेशा होती रही हैं, जब लोगों

ने आत्महत्या करने वालों के परिवारों के लिए राहत और पुनर्वास की मांग की तो वह कहने लगे "यदि आप उन्हें कुछ पुनर्वास और सहायता देंगे तो, यह आत्महत्या के लिए प्रोत्साहन के समान होगा"। यही बात उन्होंने इस मुद्दे पर कही और आत्महत्या करने वालों के परिवारों को सहायता देनी बंद कर दी। यहां तक कि इस मुद्दे पर ऐसी अजीब सी व्याख्याएं की गईं।

हां, आत्महत्याएं होती है और भविष्य में भी होती रहेंगी। आत्महत्या करने के कई कारण है, किसान ही नहीं बल्कि अन्य लोग भी आत्महत्याएं कर रहे हैं, लेकिन गत पांच वर्षों में ऐसा बड़े पैमाने पर हुआ है, यह एक विशेष बात है जिसे समझा जाना चाहिए। इसका प्रत्यक्ष सम्बंध कृषि अर्थव्यवस्था की बर्बादी से है, यह उदारीकरण की विकृत नीति से संबंधित है और इसका प्रत्यक्ष संबंध विश्व व्यापार संगठन की शर्तों से है, आयात एक हथियार है और यह हमारे देश में ही नहीं बल्कि अन्य देशों में भी असंगठित काश्तकारों के हितों की रक्षा के लिए सरकार के हाथ में लीवर के समान है।

यदि आप उत्पादकों को उचित मूल्य देने का आश्वासन नहीं दे सकते, तो कृषि नीति का कोई अर्थ नहीं है। मेरे पास अपने राज्य में हुए अनुभवों को बताने का समय नहीं है। फिर भी, मैं एक बात कहना चाहता हूं।

केरल में, कृषि अर्थव्यवस्था मुख्यत: नकदी फसलों पर आधारित है; हम कुछ खाद्य फसलों का भी उत्पादन करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम प्राकृतिक रबड़ के सबसे बड़े उत्पादक हैं। मुझे स्मरण है कि एक बार जब मैं 1960 में, संसद में था तो हमें यह समस्या हुई थी। उस समय कोई उदारीकरण नहीं था लेकिन एक अलग आयात नीति थी। उस समय भी हम रबड़ का आयात करते थे, बावजूद इसके कि हम देश की आवश्यकता से अधिक रबड़ का उत्पादन करते थे। मैं, उस समय रबड़ बोर्ड का सदस्य था। उस बोर्ड ने अच्छा कार्य किया। शायद रबड़ ऐसी वस्तु है, जिसका उत्पादन स्वतंत्रता के पश्चात बढ़ा है। इस प्रकार की और वस्तुएं नहीं है। रबड़ का उत्पादन अब गरीब मझौले किसानों द्वारा किया जाता है, न कि पहले की तरह संपदाओं में। इसका उत्पादन अब मुख्यत: छोटे किसानों द्वारा किया जाता है। उस समय क्या हुआ था? रबड़ बोर्ड में रहते हुए हम प्रतिवर्ष केन्द्र सरकार को यह सिफारिश करते थे कि हमारे यहां पर्याप्त रबड़ है और इसके आयात कि कोई आवश्यकता नहीं है। यद्यपि, जब अंतिम निर्णय लिया गया तो उन्होंने कहा कि "हमारे पास पर्याप्त रबड़ नहीं है। इसका आयात आवश्यक है और इसलिए हम आयात कर रहे हैं। इसके कारण, रबड़ की कीमतें कम हो गई। कौन इसका प्रबंध देखता था? एक बहुत ही शक्तिशाली टायर लाबी है। केवल दस या पंद्रह कंपनियां है, परन्तु वे पांच या दस लाख रबड़ उत्पादकों से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हैं। ये कंपनियां जोड़-तोड़ करती हैं, रिश्वत देती हैं-इन्होंने काफी भ्रष्टाचार फैला रखा है और वे रबड़ का आयात कर रही हैं जोकि आवश्यक नहीं है। इसमें कोई संदेह नहीं कि रबड़, टायर उद्योग के लिए प्रमुख कच्ची सामग्री है। इसलिए, प्राथमिक उत्पादन तथा औद्योगिक एकाधिकारवादियों के बीच यह संघर्ष उदारीकरण के दौर से भी पहले से चला आ रहा है। दोनों ही यहां हैं। टायर लाबी अब पहले से ज्यादा शक्तिशाली है।

मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि सरकार प्राकृतिक रबड़ के आयात की अनुमति क्यों दे रही है और उसके पीछे क्या तर्क अथवा कारण है। कृपया हमें यह समझाइए। जैसा कि आप जानते हैं काफी विरोध के बाद उस समय सभा के अंदर और सभा के बाहर तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने केरल सरकार को आश्वासन दिया था कि वे केरल सरकार से विचार-विमर्श के बाद ही प्राकृतिक रबड़ के आयात के बारे में फैसला करेंगी। केरल, प्राकृतिक रबड़ का प्रमुख उत्पादक है। इस आश्वासन का कुछ समय तक पालन किया गया और कृषि वस्तुओं के आयात के दिनों में इस आश्वासन ने हमारी सहायता की।

मैं नहीं जानता कि वाणिज्य मंत्रालय क्यों इतनी कृषि वस्तुओं की देखरेख कर रहा है। कृषि मंत्रालय का इससे कुछ लेना-देना नहीं है और यह एक अन्य विसंगति है। मैं वाणिज्य मंत्रालय से अनुरोध करुंगा कि जब आप कृषि वस्तुओं, जो कि नकदी फसलें होती हैं, के बारे में निर्णय लें तो कृपया संबंधित राज्य सरकार को विश्वास में लें। कम से कम उनकी बात सुनिए, उनसे उनकी राय पूछिए और उसके बाद ही उस पर कोई निर्णय लें।

अपराह्न 4.00 बजे

मैं एक मामले के रूप में रबड़ की बात कर रहा हूं। हम सभी जानते हैं कि हमारे किसान नकदी फसलें उगाकर देश के लिए कितना बड़ा योगदान दे रहे हैं। वे लाखों डालर कि विदेशी मुद्रा बचाने में देश की सहायता करते हैं। वे बहुत-सी वस्तुओं का निर्यात करते हैं और सीधे तौर पर विदेशी मुद्रा प्राप्त करते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से वे बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में देश की सहायता करते हैं। परन्तु उनके लिए, हमें उन सभी वस्तुओं का आयात करना पड़ा।

इसलिए, किसानों पर और ध्यान दिया जाना चाहिए, जोकि इस समय नहीं हो रहा है। आज उनके लिए केवल जबानी जमा खर्च किया जा रहा है, आपके न्यूनतम साझा कार्यक्रम में भी ऐसा ही है। जब तक इसे क्रियान्वित करने में हम पूरी राजनीतिक इच्छा नहीं दिखाते, मैं यह कहूंगा कि जबानी जमा खर्च ही किया जा रहा है, जबकि वास्तव में कुछ नहीं किया जा रहा है।

[श्री पी.के. वासुदेवन नायर]

मैं अब अपने अंतिम बिंदु की ओर आता हूं, और यह मुद्दा है किसानों की आत्महत्या का। मैं आपसे उन लोगों को भूलने के लिए नहीं कहूंगा, जिन्होंने आत्महत्या की है। कोई ऐसा किस प्रकार कह सकता है? परन्तु क्या हमने कभी यह सोचा कि उनके परिवारों पर क्या बीतती है? यदि आप आंकड़े देखेंगे तो पता चलेगा कि इस देश में 20,000 से ज्यादा लोग आत्महत्या कर चुके हैं। मैं नहीं जानता कि ऐसा भी कोई राज्य है, जहां ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं नहीं हुईं। राज्य सरकारों को यह कहने की आदत है कि 'नहीं, नहीं, नहीं, हमारे राज्य में कोई आत्महत्या नहीं हुई।'

केरल में जब लोगों ने कहा कि वायनाड़ जिले तथा कई अन्य स्थानों पर आत्महत्या की घटनाएं घटी है तो हमारे कृषि मंत्री ने इसका विरोध किया। परन्तु मुख्यमंत्री ने संसद सदस्यों का एक सम्मेलन बुलाया और एक पर्ची बांटी, जिसमें बताया गया था कि केरल में भी 300 के आसपास लोगों को आत्महत्या की है।

यद्यपि, आंध्र प्रदेश में हजारों लोगों ने आत्महत्याएं की हैं। पंजाब जैसे राज्य में भी लोग आत्महत्या कर रहे हैं। मुझे यह जानकर आश्चर्य हुआ। उड़ीसा में भी हम इसी प्रकार की बातें सुनते हैं।

केन्द्र सरकार का कृषि से सीधा संबंध नहीं है, क्योंकि यह राज्य का विषय है। मैं फिर भी अनुरोध करूंगा कि जो कुछ भी हुआ भारत सरकार को उसके बारे में जानकारी एकत्र करनी चाहिए। यदि यह संख्या 20,000 न होकर 15,000 अथवा 12,000 या केवल 10,000 है, तो भी इस समस्या के समाधान की जिम्मेदारी केवल संबंधित राज्यों की ही नहीं परन्तु केन्द्र सरकार की भी है।

हम संसद सदस्यों को उन परिवारों के हितों का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि अधिकतर परिवार, आत्महत्या करने वाले गरीब किसानों अथवा मझौले किसानों के हैं। इसलिए, हमें इन परिवारों के लिए क्या करना चाहिए? यह केन्द्र सरकार तथा पूरे देश के लिए चिंता का विषय है।

मुझे बहुत खुशी है कि प्रधानमंत्री बनते ही वह आंध्र प्रदेश गए और आत्महत्या करने वालों के परिजनों से मिले। उन्होंने उनके परिवारों को दान में कुछ धन दिया। समाचार पत्रों में यह एक काफी बड़ा समाचार बन गया। मैं नहीं जानता कि आंध्र प्रदेश में ही नहीं परन्तु अन्य राज्यों में भी इसके बाद कुछ हुआ या नहीं।

मेरे विचार से आपको सबसे पहले यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जहां तक संभव होगा, किसानों का ध्यान रखा जाएगा। यदि किसी समय, किसी स्थान पर ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण त्रासदी होती है, तो हमें उचित पुनर्वास उपाय करने चाहिएं। इस प्रस्ताव के माध्यम से मैं यह प्रमुख मुद्दा सभा, सरकार और माननीय सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता था।

मुझे विश्वास है कि इस मुद्दे पर सर्वसम्मति होगी। इस मामले पर सरकार तथा विपक्ष अथवा अन्य दलों के बीच कोई विवाद नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूं कि यह चरण समाप्त हो जाएगा। हम अपने लिए खाद्यान्न का उत्पादन करने वालों तथा हमारे देश के धन का उत्पादन करने वाले भारत के वास्तविक लोगों, गांवों में रहने वाले वास्तविक लोगों जो जमीन पर हल जोतते हैं, उनका ध्यान रखेंगे।

श्री खारबेल स्वाईं (बालासोर): महोदय, श्री वासुदेवन नायर द्वारा उठाया गया यह एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। मैं इस विषय पर बोलना चाहूंगा। इस समय जब हम इस देश के प्रत्येक व्यक्ति को प्रभावित करने वाले विषय पर वाद-विवाद कर रहे हैं, अच्छा होता यदि केन्द्रीय कृषि मंत्री स्वयं इस वाद-विवाद को सुनने के लिए यहां मौजूद होते। फिर भी माननीय राज्य मंत्री जी यहां मौजूद हैं।

श्री नायर ने तीन या चार महत्वपूर्ण बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि कृषि क्षेत्र में राहत कार्य का पता होना चाहिए। उन्होंने ऋण जाल, बेरोजगारी तथा किसानों और कृषि मजदूरों की गरीबी का उल्लेख किया है। उन्होंने सामूहिक आत्महत्याओं का मुद्दा भी उठाया है। उन्होंने ऋण राहत और कृषि क्षेत्र के पुन: वित्तपोषित करने की मांग की है। वित्त संबंधी स्थायी समिति के सदस्य के रूप में, मैं देशभर में घूमा हूं। हमारे समिति ने वाणिज्यिक बैंकों, निजी बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के साथ चर्चा की है और हम माननीय वित्त मंत्री से पूरी तरह सहमत है जो इस वर्ष के बजट के दौरान यह चाहते थे कि कृषि ऋण तीन वर्षों में दुगुना हो जाना चाहिए। वह ईमानदारी से इसके लिए प्रयासरत हैं। यद्यपि मैं विपक्ष का सदस्य हूं, मैं सहमत हूं कि उन्होंने प्रयास किये हैं और गत छह महीनों के भीतर, लगभग 50 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त किये जा चुके हैं।

पुन: वित्त पोषित करने के संबंध में, श्री नायर ने कृषि क्षेत्र को पुन: वित्त पोषित करने के उपायों का उल्लेख किया है। इससे पहले क्या होता था? निजी बैंकों, वाणिज्यिक बैंकों अथवा सहकारी क्षेत्र के बैंकों से ऋण लेने वाले बहुत से लोग उसे चुका न सके। इसलिए वे और ऋण लेने के लिए अयोग्य हो जाते हैं। माननीय मंत्री जी ने उन्हें फिर से योग्य बना दिया है। उन्होंने कृषि ऋण को फिर आरंभ किया है ताकि लोगों को ऋण मिल सके। प्रत्येक बैंक से तीन महीने के भीतर ऋण लेने के इच्छुक 100 अन्य लोग लाने के लिए कहा गया है। इसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं। लेकिन इसके स्थान पर, गत छह महीनों के भीतर, अकेले

आंध्र प्रदेश में, 1860 लोग आत्महत्या कर चुके हैं। इसके लिए मैं सरकार पर दोषी नहीं मान रहा हूं क्योंकि यह गैर सरकारी सदस्य विधेयक है। मैं कट्टर दृष्टिकोण से बात नहीं कर रहा हूं। माननीय मंत्री और सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य यह न समझें कि मैं उन पर हमला करने जा रहा हूं। लेकिन मेरा मुद्दा यह है और मैं जोर से यह सोच रहा हूं कि क्यों एक सरकार, कांग्रेस की सरकार जो सत्ता में आयी, लोगों पर यह छाप छोड़ी है कि पिछली सरकार ने वास्तव में गलती की और वे उस गलती का सुधार कर रहे हैं लेकिन फिर भी वे आत्महत्याओं को रोकने में विफल रहे हैं। वे मुफ्त बिजली और अन्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए सहमत हो गए थे। लेकिन फिर भी, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अर्थशास्त्र में विद्यार्थी के रूप में, मैं यही महसूस करता हूं कि इसका कारण यह नहीं है कि किसानों को ऋण नहीं मिला इसलिए वे आत्महत्या कर रहे हैं।

सच्चाई यह नहीं है। सच्चाई यह है गत दो से तीन वर्ष के भीतर विश्व भर में उत्पादित कृषि वस्तुओं के मूल्यों में काफी गिरावट आयी है। यह एक बड़ा कारण है कि किसानों को उनके उत्पादन का लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहा है। इसे हम कैसे ठीक करें?

अब, अगले पांच-छह मिनटों में मैं इस बारे में सुझाव दूंगा कि हम इस बारे में क्या करें और सरकार को इस बारे में क्या करना चाहिए और कैसे भारत में किसान आत्महत्या नहीं करें। कृषि क्षेत्र मुख्य रूप से मानसून पर निर्भर होता है। मानसून रूक-रूककर आता है और कई बार आता भी नहीं। भारत में कृषि अब जोखिम भरा काम बन गया है। अब, कृषि ऋणग्रस्तता और ब्याज की ऊंची दरें किसानों को दयनीय बनाती हैं। इसलिए, यह किसानों की आत्महत्याओं के कई कारणों में से एक है। अब इसे हम कैसे ठीक करें? हमें दो या तीन बातों पर अवश्य गौर करना चाहिए। खाद्य पद्धति की बदलती मांग की जांच की जानी चाहिए। वरीयताएं फिर से निर्धारित की जानी चाहिए। इससे कृषि को बढ़ावा और विविधता मिलेगी। यह एक मौलिक बात है। जब तक हम कृषि में विविधता और इसमें मूल्य संवर्धन नहीं करेंगे तब तक किसान को लाभकारी मूल्य नहीं मिल पायेगा।

मै आपको एक उदाहरण दूंगा। मैं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तैयार नोट से उद्धृत करूंगा। उदाहरण के लिए, खाद्य पदार्थों-अनाज और गैर अनाज वस्तुओं-पर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति कुल मासिक व्यय को देखें। वर्ष 1969-70 में, ग्रामीण क्षेत्रों में, एक परिवार में 50 प्रतिशत व्यय चावल, गेहूं जैसे अनाजों पर किया जाता था और 44 प्रतिशत खर्च गैर अनाज वस्तुओं पर किया जाता था। अब क्या हो गया है? वर्ष 1999-2000 में, ग्रामीण क्षेत्रों, में अनाज पर होने वाला व्यय 36 प्रतिशत था। यदि आप इसकी तुलना करें तो 56 प्रतिशत से घटकर अब यह 36.3 प्रतिशत रह गया है और गैर अनाज वस्तुओं पर यह 44 प्रतिशत से बढ़कर 56.7 प्रतिशत हो गया है। इसी तरह, शहरी क्षेत्रों में, वर्ष 1969-70 में अनाज पर होने वाला व्यय 36.6 प्रतिशत से घटकर 25.7 प्रतिशत रह गया है । गैर-अनाज वस्तुओं पर अब यह 1969-70 में 63.4 प्रतिशत से बढ़कर 74.3 प्रतिशत हो गया है। आप ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कुल मासिक प्रति व्यक्ति व्यय को ध्यान में रखकर खाद्य और अखाद्य वस्तुओं के हिस्से को देखें। ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य और अखाद्य वस्तुओं पर कितनी धनराशि खर्च की जा रही है? वर्ष 1969-70 में, लोग अपनी कुल आय का 73.7 प्रतिशत मात्र भोजन पर खर्च कर रहे थे और अब वे अपनी कुल आय 59.4 प्रतिशत भाग पर इस पर खर्च कर रहे हैं। अखाद्य वस्तुओं के मामले में, उस समय, वे 26.3 प्रतिशत भाग खर्च कर रहे थे और अब यह बढ़कर 40.6 प्रतिशत हो गया है। लोग अब चावल, गेहूं और ऐसी ही चीजों का अधिक उपभोग कर रहे हैं। वे मछली, मांस, अधिक मात्रा में सब्जियां, फल, दुग्ध उत्पाद और इसी तरह की चीजें ले रहे हैं। भारत में क्या हुआ है? हम सदैव न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि करने के लिए कहते रहे हैं। हम चाहते हैं कि उन्हें अधिक राजसहायता दी जाए और न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की जाए। यह प्रमुख कारणों में से एक कारण है जिसके कारण वे अपनी उपज में विविधता नहीं लाना चाहते।

वह केवल उसी धान का उत्पादन करना चाहता है और उसे इस पर लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहा है। हर समय वह आंदोलित रहता है और कभी-कभी वह आत्महत्या भी कर लेता है।

महोदय, मेरा संबंध उड़ीसा जैसे राज्य से है। पश्चिमी उड़ीसा और तटवर्ती उड़ीसा में, किसान को लाभकारी मूल्य इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि वह और कोई फसल उगाने के लिए तैयार नहीं है। वह अन्य किसी भी प्रकार के कृषि उत्पादन का इच्छुक नहीं है।

इसलिए, अब मूल प्रश्न यह है कि हम फसलों में विविधता कैसे लाएं। यदि हम विविधता नहीं लाएंगे तो स्थिति भी नहीं सुधरेगी।

मेरे माननीय साथी श्री वासुदेवन नायर ने रबर के संबंध में बताया कि केरल के माननीय सदस्यों ने रबर के लाभकारी मूल्य न मिलने का मुद्दा पहली बार नहीं उठाया है। यह मुद्दा इस सभा में अनेक अवसरों पर उठा है। फिर, उन्हें यह कैसे मिलेगा? यदि अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में, मूल्य वास्तव में कम होगा, तो सरकार कितना खरीद सकती है? क्या कोई सरकार किसानों से प्रत्येक वस्तु खरीद सकती है? यह तो बिल्कुल असंभव है। कोई भी

[श्री खारबेल स्वाईं]

सरकार ऐसा नहीं कर सकती। न तो रा.ज.ग. सरकार और न ही संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार ऐसा कर सकती है। अगली बार यदि सी.पी.आई. (एम.) सरकार केरल में आती है तो भी वह किसानों से सभी चीजें नहीं खरीद पायेगी। यह बिल्कुल असंभव होगा।

अत: प्रश्न यह है कि किसानों की मदद कौन करेगा? कौन किसानों को यह बताएगा कि यह फसल इस वर्ष के लिए अच्छी होगी और इस वर्ष कितनी फसल उगानी चाहिए?

महोदय, आप पश्चिमी देशों में हो रही प्रगति से अवश्य परिचित होंगे। अब वे डब्ल्यू.टी.ओ., व्यवस्था के अधीन हैं। उन्होंने एम्बर बाक्स, ब्लू बाक्स और अन्य बाक्स बनाए हैं। इसका अर्थ यह है कि मान लीजिए ब्लू बाक्स है, तो आप कतिपय वस्तुओं का उत्पादन करेंगे, तो सरकार इन पर आपको इतनी राजसहायता प्रदान करेगी। इसीलिए, पश्चिमी देशों में किसान-क्योंकि उन्हें राजसहायता मिल रही है-कहीं अधिक कम मूल्य पर अपने उत्पादों को बेच सकते हैं। सबसे अधिक चौंकाने वाली बात यह है कि पश्चिमी देशों में कुछ ऐसे वर्ष भी रहे हैं जब सरकार अपने किसानों को उन वर्षों में कुछ भी उगाने को नहीं कहती ताकि उन्हें कुछ लाभकारी मूल्य प्राप्त हो सकें क्योंकि वे उनका उत्पादन नहीं कर रहे हैं। इसलिए वहां की सरकारें उन्हें राजसहायता प्रदान कर रही हैं जो हम अपने देश में नहीं दे पाते। भारत में, किसी भी सरकार की ओर से राजसहायता दिया जाना संभव नहीं है। जब हमारे देश में ऐसा होगा तो हमें विविध फसलें उगानी होंगी हमें अपनी फसलो में विविधता लानी होगी क्योंकि हम एक ही चीज का उत्पादन सदैव जारी नहीं रख सकते।

अब आप हरित क्रांति की बात करते हैं। हरित क्रांति अब लालच क्रांति बन चुकी है। पंजाब का उदाहरण लें। पंजाब, में वर्ष 1971 में क्या हुआ था? मैं समिति के साथ पंजाब गया था और वहां मुझे पंजाब के मुख्यमंत्री से बात करने का अवसर प्राप्त हुआ था। मैंने उनसे पूछा, "आप इतने चावल का उत्पादन करके उसे उड़ीसा क्यों भेज रहे हैं, जबकि उड़ीसा स्वयं चावल उत्पादक राज्य है? उड़ीसा के सभी गोदाम पंजाब द्वारा भेजे गये धान से भरे पड़े हैं। उन्होंने कहा: 'वर्ष 1971 में, भारत में खाद्य पदार्थों की कमी थी, और तब तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने हमें पंजाब में चावल का उत्पादन करने के लिए कहा था और यह भी कहा था कि वे उसे खरीद लेंगे।'

प्रधानमंत्री, श्रीमती इंदिरा गांधी ने हमें यह कहा था कि हम पंजाब में चावल उगाएं और वे इसे खरीदेंगे।

अब, पंजाब में क्या हो रहा है? पंजाब में भू जल प्राय: समाप्त हो गया है और धान की खेती के लिए अधिक से अधिक जल की जरूरत पड़ती है। उड़ीसा, असम, और पश्चिम बंगाल ऐसे राज्य हैं जहां पानी की मात्रा पर्याप्त है।

सभापति महोदय: श्री स्वाईं, अब कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री खारबेल स्वाईं: कृपया मुझे दो-तीन मिनट का समय दे और इसके भीतर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

एक माननीय सदस्य: बहुत हो गया। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री खारबेल स्वाईं: मैं जानता हूं ...*(व्यवधान)* इसे मैं आपसे ऐसे व्यवहार की अपेक्षा नहीं करता क्योंकि मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं। आप मेरे साथ वित्त संबंधी स्थायी समिति में भी थे ...*(व्यवधान)* आप प्रोफेसर हैं, इस तरह की टिप्पणी से दु:ख होता है। ...*(व्यवधान)*

महोदय, जब मैंने पंजाब के मुख्यमंत्री से पूछा तो उन्होंने कहा: "हमें तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने कहा था कि पंजाब के किसानों द्वारा उत्पादन किए जाने वाले चावल की खरीद भारत सरकार करेगी। हम इसे प्रचुर मात्रा में उगा रहे हैं, हम इसे आज भी उगा रहे हैं।"

लेकिन, वे अब महसूस करते हैं कि इसका विविधिकरण किया जाना चाहिए। ऐसा इसलिए कि, आप पश्चिमी देशों में देखें, वहां 2-3 प्रतिशत लोग ही कृषि कार्य करते हैं, वहां कृषि संस्कृति नहीं है, यह एक व्यापार है, हमें इस संस्कृति को कृषि व्यापार में बदलना पड़ेगा।

महोदय, मैं आपको सिर्फ एक-दो बातें कहूंगा। अब, इस क्षेत्र के लिए हमे फसल-कटाई कार्यकलापों के बाद का कार्य जैसे-गैर खाद्यान्न उत्पादों के भंड़ारण, परिवहन, प्रसंस्करण और विपणन करना पड़ेगा। हमें ठेका कृषि कार्य भी करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना एक अच्छी चीज है। इससे ग्रामीण सम्पर्क बढ़ेगा। इससे परिवहन सुविधा भी मिलेगी-कृषि उत्पादों का परिवहन किया जा सकेगा। दक्षिण-पूर्व और पूर्व एशियाई देशों ने वर्षों पहले से ही खाद्यान्नों को छोड़कर गैर खाद्यान्न फसलों को उगाना शुरू कर दिया है, वे ग्रामीण क्षेत्र में अपने किसानों को कई तरह के प्रोत्साहन प्रदान करने में समर्थ है, इस तरह से, वे ग्रामीण क्षेत्र में और अधिक रोजगार के अवसर सृजित करने में समर्थ हैं। महोदय, उद्योग से बेरोजगारी की समस्या नहीं दूर होने जा रही

है यह कृषि-व्यापार-ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि आधारित उद्योग ही हैं-जो ऐसा करने में समर्थ हैं।

सभापति महोदय: श्री रामजीलाल सुमन।

श्री खारबेल स्वाईं: महोदय, अंतिम वाक्य।

सभापति महोदय: आपने 20 मिनट से ज्यादा समय ले लिया।

श्री खारबेल स्वाईं: सिर्फ एक मिनट, मैं सिर्फ एक वाक्य बोलूंगा।

महोदय, मैं भारत सरकार से निवेदन करता हूं कि, मूल रूप से इस बिन्दु पर-अब कृषि ऋण ही उपलब्ध हैं, और यदि यह उपलब्ध नहीं होता है और यदि वे कृषि में विविधता नहीं लाते हैं तो किसान अभी भी आत्महत्या करेंगे। इसलिए, लोगों को इस बात के लिए शिक्षित करने के लिए कि क्या उत्पादन करना है, क्या नहीं और कितना उत्पादन करना है-योजनाएं तैयार करने हेतु कृषि विश्वविद्यालयों को शामिल करना पड़ेगा। यदि ऐसा किया जाता है तभी किसानों में बदलाव आएगा।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): सभापति जी, श्री पी.के. वासुदेवन नायर जी का जो निजी संकल्प है, जिसमें देश के विभिन्न हिस्सों में किसानों की परेशानियों और खासकर आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र में पिछले दिनों किसानों द्वारा आत्महत्या की घटनाएं प्रकाश में आई हैं, उन पर यह सदन चर्चा करे-मैं निश्चित रूप से श्री नायर जी की चिंता का समर्थन करता हूं। मैं यहां पर विस्तार में जाना नहीं चाहता हूं क्योंकि कार्य-मंत्रणा समिति ने तय किया है कि इसकी चर्चा नियम 193 के तहत इस सदन में आने वाली है। लेकिन मैं दो-तीन बातों की ओर आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा। अभी मेरे मित्र श्री खारबेल स्वाईं ने बहुत अच्छा भाषण दिया। सभापति महोदय, किसान आत्महत्याएं क्यों कर रहे हैं? बुनियादी बात यह है कि आज खेती अलाभकारी हो गयी है। माननीय वित्त मंत्री जी कितना ऋण देंगे, कितना नहीं देंगे, वह अलग सवाल है लेकिन उससे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि किसान जो कर्जा लेते हैं, उसे अदा करने की उसकी क्षमता खत्म हो गयी है-यह असली सवाल है। उत्पादन लागत रोजाना बढ़ रही है और उस हिसाब से उत्पाद के मूल्य मिलते नहीं हैं। हम अत्यधिक उदार हो गए हैं। हमने दुनिया के बाजार समान के लिए खोल दिए हैं लेकिन हम अन्तर्राष्ट्रीय स्पर्द्धा में कहीं टिक नहीं रहे हैं। किसानों की परेशानी बढ़ी है। आजाद हिन्दुस्तान में कृषि की निरन्तर उपेक्षा हुई है। यह देश के लोगों को रोजगार देने वाला सबसे बड़ा क्षेत्र है। हमें सबसे अधिक रोजगार कृषि से मिलता है लेकिन बजट में इसके लिए जितने धन का प्रावधान करना चाहिए, नहीं किया गया। कृषि का जितना संरक्षण और संवर्द्धन होना चाहिए, वह काम देश में नहीं हुआ।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसान की उत्पादन लागत बढ़ रही है। डीजल महंगा हुआ तो किसान पर मार पड़ी। खाद के दाम बढ़े तो किसानों पर मार पड़ी। किसानों पर रोज मार पड़ रही है। इसे कैसे रोकें, इसका स्थायी बंदोबस्त सरकार को करना चाहिए। परसों एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल इस सदन में उठा था। राजस्थान में पानी के सवाल पर पांच किसान मारे गए। श्री रासा सिंह जी, उस समय हाउस व्यवस्थित नहीं था इसलिए जितनी प्रमुखता के साथ इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए थी, नहीं दी गई। मैं किसी की आलोचना नहीं करना चाहता लेकिन यह कहना चाहता हूं कि राजस्थान खास तौर पर एक सूखाग्रस्त प्रान्त है। वहां पानी की समस्या अन्य प्रान्तों से ज्यादा है। राजस्थान में किसानों के लिए सिंचाई की व्यवस्था करने का सवाल है और खास तौर से हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर और बीकानेर जिलों में इस समस्या को देखने का सवाल है। किसानों के सामने सिंचाई की समस्या आज पैदा नहीं हुई है। यह बहुत पुरानी समस्या है लेकिन पिछले पांच साल से यह गम्भीर समस्या है। पानी को लेकर किसी एक राज्य के बीच विवाद नहीं है। हिन्दुस्तान के अधिकांश राज्यों में पानी को लेकर विवाद हैं। भारत सरकार को उसमें हस्तक्षेप करके विभिन्न प्रान्तों के बीच पानी के विवाद को हल करना चाहिए। हनुमानगढ़, बीकानेर और श्रीगंगानगर में इन्दिरा गांधी नहर से प्रथम चरण में घड़साना, रावला तक पानी जाता है और दूसरे चरण में जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर जिले आते हैं। सवाल यह था कि जब उन्हें सिंचाई के लिए पानी नहीं मिला तो किसान आन्दोलित हुए। वे एक दिन में संगठित नहीं हुए, उनका यह आन्दोलन तीन महीने से चल रहा था। 3 दिसम्बर को राजस्थान की मुख्यमंत्री प्रधान मंत्री से मिली थीं। हमारे सांसद मित्र भी प्रधान मंत्री से मिले थे। उन्होंने कहा कि रावी, व्यास नदियों से राजस्थान के हिस्से का जो पानी मिलता है, भाखड़ा, व्यास नियंत्रण मंडल को, उसके लिए पंजाब सरकार को निर्देश दिया जाए कि वह रावी व्यास समझौते के अनुसार उसके हिस्से का 1.6 एमएएफ पानी यानी 52.59 परसैंट राजस्थान को दिया जाए।

अपराह्न 4.28 बजे

[श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव *पीठासीन* हुए]

वहां पानी की पिछले पांच साल से खास तौर पर समस्या है। थोड़े दिनों पहले आपकी सरकार थी। कुछ बंदोबस्त आपको करना चाहिए था लेकिन वह क्यों नहीं किया। जब सिंचाई के लिए दिक्कत पैदा हुई तो वहां के किसानों ने आन्दोलन किया और

[श्री रामजीलाल सुमन]

27 सितम्बर को घड़साना तहसील के सामने किसानों ने प्रदर्शन किया, शांतिपूर्ण धरना दिया। सरकार की ओर से किसानों से एक महीने तक बात नहीं की। वहां 26 अक्तूबर को तनाव हुआ और 27 अक्तूबर को गोली चली जिस में चार किसान मारे गए। अभी तीन-चार दिन पहले एक किसान खाजूवाला में भगदड़ का शिकार हुआ। श्री कालू सिंह निवासी, रावला, श्री राजकुमार सिंधी, रावला मंडी, दुकान बंद करते समय मारा गया। श्री जेठाराम मेघवाल, श्री मांगीलाल विश्नोई, श्री हजूर सिंह भगदड़ में मारे गए। इस तरह से पांच किसान वहां मारे गए। सैंकड़ों किसानों के खिलाफ संगीन धाराओं के अंतर्गत केस दर्ज किये गये हैं। सैंकड़ों किसान घायल हुये हैं जो चुपचाप अपना इलाज करवा रहे हैं। अनूपगढ़, हनुमानगढ़, गढ़साण, बीकानेर, रावला और श्रीगंगानगर जिलों में अधिकांश स्थानों पर कर्फ्यू लगा हुआ है और सेना मार्च कर रही है। मैं कांग्रेसी मित्रों से कहना चाहता हूं कि उन्हें तवज्जह देनी चाहिये थी क्योंकि पंजाब और केन्द्र में उनकी सरकार है। राजस्थान में जिन मित्रों की सरकार है, क्या मैं उन से नहीं पूछ सकता कि दुनिया में ऐसी कौन सी समस्या है जिसका हल बातचीत के जरिये न हो सकता हो, बशर्ते कि नीयत साफ हो। जब किसान आन्दोलित हुये, उनके नेताओं से बातचीत की जा सकती थी। अगर कोई मजबूरी थी तो उसे बताना चाहिये था। मैं ऐसा मानता हूं कि बातचीत का रास्ता अख्तियार नहीं किया गया। राजस्थान प्रदेश भाजपा अध्यक्ष कहते हैं कि किसानों पर गोली चलाना सरकार की मजबूरी थी ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: श्री रामजीलाल सुमन के भाषण के अलावा कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं होगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन: सभापति जी, केवल बातचीत के जरिये समस्या का हल हो सकता था ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कृपया आसन को संबोधित करें।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन: सभापति महोदय, राजस्थान के माननीय सदस्यों का एक प्रतिनिधि मंडल 26 अक्तूबर को घटना स्थल का दौरा करने गया था। राजस्थान में मंत्री श्री राजेन्द्र सिंह राठौड़ हमारे मित्र हैं। उनके अलावा श्री मानक चंद सुराणा और श्री साबरमल जाट जो मंत्री हैं, वे भी उनके साथ थे। उन्होंने कहा कि सरकार ने अपने कर्तव्य का निर्वहन ठीक से नहीं किया। मेरे पास अखबार की कटिंग्ज है जिनमें लिखा है कि स्थानीय प्रशासन की भूमिका संदिग्ध है। वहां स्थिति आज गंभीर है। इसलिये मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि जैसे-जैसे किसानों का आंदोलन संगठित हो रहा है, किसानों में एकजुटता हो रही है। कहीं खाद के दाम बढ़े हैं, कहीं भाव ठीक नहीं मिले, कहीं सूखे से या कहीं बाढ़ से किसानों में भारी नाराजगी है। कहीं सिंचाई के पानी की समस्या से किसान नाराज है। सरकार उस नाराजगी को कम कर सकती है, यह दूसरा सवाल है, लेकिन कम से कम बातचीत का रास्ता खुला रखना चाहिये। अगर हम कंजूसी करते है तो ठीक नहीं। उनकी मांगों को सुनने के बजाय हम उन पर गोली चला रहे हैं, यह शर्मनाक बात है।

सभापति महोदय, मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूं। आज विपक्ष में बैठे हुये लोग कल तक सरकार में थे। यदि प्रतिपक्ष कोई सकारात्मक सुझाव देता है तो उसे स्वीकार करना चाहिये। सरकार भाषणों और आंकड़ों से नहीं चला करती, वह आचरण से चलेगी। जो आपका काम करने का तौर-तरीका होगा, उन वर्गों पर आपके काम करने का असर पड़ेगा और जनता बोलेगी। यह किसी भी सरकार को नापने का सही पैमाना होगा। मैं यह बात निश्चित रूप से कहना चाहूंगा कि आज किसानों को न पूर्व सरकार से इन्साफ मिला और न इस सरकार से मिल रहा है। आज पूरे हिन्दुस्तान में किसानों के सामने समस्यायें हैं। जैसा मैंने प्रारम्भ में कहा कि बढ़ते हुये खाद के दाम, डीजल के बढ़ते हुये दाम और किसानों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य न मिलना, जगह-जगह पानी के विवाद उनके सामने समस्या खड़ी कर रहे हैं। हम लोग प्राकृतिक आपदा पर चर्चा करते हैं। मैं राजनैतिक कार्यकर्त्ता होने के नाते सूखा और बाढ़ को प्राकृतिक आपदा नहीं मानता क्योंकि यह मानव-निर्मित समस्या है। यह सही है कि देश में विशेष भाग चिन्हित है कि वहां बाढ़ आयेगी या सूखा पड़ेगा। लेकिन आप जानते हैं कि राजस्थान में सूखा पड़ता है। यह देश का दुर्भाग्य है कि चेरापूंजी में सबसे अधिक पानी बरसता है। हमारे पास पानी इकट्ठा करने का कोई साधन नहीं है अगर ज्यादा पानी वाले क्षेत्रों का पानी कम पानी वाले क्षेत्रों में धकेल दिया जाये तो न तो सूखा रह सकता है और न बाढ़ ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कृपया व्यवधान न डालें।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन: सभापति जी, न मुझे इधर के लोगों की चिन्ता है, न उधर के लोगों की चिन्ता है। मुझे तो चिन्ता इस बात की है कि किसानों को परेशानी नहीं होनी चाहिये।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सरकार की जो मर्यादा और क्षमता है, उसके मुताबिक सरकार को अगर कहीं किसानों का आंदोलन संगठित हो रहा है तो प्रथम चरण में उनसे बात होनी चाहिए और उन्हें समझाना-बुझाना चाहिए।

सभापति महोदय, मैं एक बार फिर श्री वासुदेवन नायर जी द्वारा जो संकल्प किसानों की तकलीफों को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है, उसका समर्थन करता हूं और आशा व्यक्त करता हूं कि सरकार निश्चित रूप से किसानों के पक्ष में कुछ सकारात्मक कदम उठायेगी।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: सभी माननीय सदस्यों को सूचित किया गया है कि इस प्रस्ताव पर 11 और सदस्यों को बोलना है, इसलिए, कृपया 5-7 मिनट से ज्यादा न बोलें।

श्री एस.के. खारवेनथन (पलानी): महोदय, मैं अपने वरिष्ठ नेता श्री वासुदेवन नायर को इस प्रतिष्ठित सभा के समक्ष इस महत्वपूर्ण विषय को लाने के लिए धन्यवाद देता हूं। जब इस देश को वर्ष 1947 में आजादी मिली, तो हमने पूर्ववर्ती बर्मा और अन्य देशों से खाद्यान्न खरीदा। लेकिन अब हम पूरे विश्व में खाद्यान्नों का निर्यात कर रहे हैं इसका कारण इस देश के किसानों के कठिन परिश्रम और हमारे पूर्व कृषि मंत्री श्री सुब्रह्मण्यम द्वारा शुरू की गई हरित क्रांति है।

किसानों और कृषि क्षेत्र के श्रमिकों की समस्याएं एक-दूसरे से जुड़ी है। इसका मुख्य कारण है कुछ क्षेत्रों की जल की अनुपलब्धता और कुछ क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के आस-पास के क्षेत्रों में पर्याप्त जल है। यदि आप दक्षिण में तमिलनाडु जाएं, तो कावेरी और अन्य नदियों में बिना जल के तंजावुर और अन्य क्षेत्रों में धान की अच्छी फसल कम होती जाती है, क्योंकि वे पर्याप्त जल प्राप्त करने में समर्थ नहीं हैं। लेकिन पिछले तीन वर्षों से मानसून अच्छा नहीं रहा है। तमिल में प्रसिद्ध तिरूकुरल है जिसमें कहा गया है:

''बुझडुन्दु वझवारे वझवार मात्रेलम
थोझुडुन्दु पिन सेल्वार,''

इसका मतलब है, जो कृषि कार्य कर रहे हैं वही शांतिपूर्वक करेंगे और अन्य किसानों के पीछे चलेंगे। लेकिन इस देश में दयनीय स्थिति यह है कि किसान और कृषि श्रमिक खेती के लिए ऋण प्राप्त करने हेतु सहकारी संस्थानों और राष्ट्रीयकृत बैंकों के पास जा रहे हैं।

अन्य महत्वपूर्ण बात है कि किसान अपने उत्पादों का उचित मूल्य प्राप्त करने में समर्थ नहीं हैं। मान लीजिए एक कलम निर्माता द्वारा दस रुपए में बेची जा रही है, वह इसकी गणना उत्पादन पूर्व कर रहा है। इसकी निर्माण लागत है 5 रुपए साथ में कर के लिए 2 रुपए। इसकी कुल लागत 7 रुपए है। लेकिन वह 3 रुपए लाभ के साथ वह इसे दस रुपये में बेच रहा है, क्या किसी कृषक के लिए यह संभव है कि उत्पादन पूर्व वह धान का प्रति बोरी मूल्य 700 रु. निर्धारित कर सके? सभी गन्ना फैक्ट्रियां गन्ना किसानों को पैसे नहीं दे रही हैं। सब जगह गन्ना पड़ा हुआ है। किसान अच्छी कीमत पाने के लिए कई वर्षों से लड़ रहे हैं। कुछ राज्य सरकारों ने किसानों को नि:शुल्क बिजली दी है। तमिलनाडु के किसानों ने बिजली की नि:शुल्क आपूर्ति के लिए 20 वर्ष पहले प्रदर्शन किया था जिसमें पुलिस की गोलियों से 64 लोगों की मृत्यु हो गई थी और हजारों लोगों को जेल में बंद कर दिया गया था। मैं भी उनमें से एक था। 1980 में जब श्री कलाइगनार करुणानिधि मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने पहली बार किसानों को नि:शुल्क बिजली की आपूर्ति की थी। लेकिन पिछली केन्द्र सरकार द्वारा अधिनियमित किए गए एक नए अधिनियम के कारण वर्तमान सरकार द्वारा किसानों को नि:शुल्क बिजली आपूर्ति बंद कर दी गई थी जिसे इस वर्ष 13 मई से पुनः शुरु कर दिया गया है। इस देश के किसान चावल या गेहूं का उत्पादन करते है। वे केवल अपने लिए नहीं वरन् दूसरों के लिए भी इनका उत्पादन करते है। लेकिन फिर भी वे खुश नहीं रह सकते। पिछले तीन वर्षों में तमिलनाडु में जरा भी वर्षा नहीं हुई है। एक घड़े भर पानी की कीमत 5 रुपए और गाड़ी भर पानी की कीमत 450 रुपए है। यह स्थिति है। पिछले कुछ महीनों में ही कुछ वर्षा हुई है। उन्हें प्रत्येक चीज के लिए सहकारी बैंकों से भीख मांगनी पड़ती है। वहां पर सहकारी बैंक क्या कर रहे हैं? वे किसानों से कहते है कि तुम्हारे ऊपर पहले का ऋण बकाया है इसलिए पहले तुम उसे चुकाओ। जब तक वह ऋण नहीं चुकाते, उन्हें और ऋण नहीं दिया जाता है। जिन्होंने ऋण अदा कर दिया है सहकारी बैंकों द्वारा उन्हें भी ऋण नहीं दिया गया है। और तो और राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा भी कोई धन नहीं दिया जा रहा है। हमारे वित्त मंत्री ने तमिलनाडु के कई राष्ट्रीयकृत बैंकों का दौरा किया था और सभी बैंकों अधिकारियों को निर्देश दिया था कि किसानों को ऋण दिया जाएं। लेकिन वे ऋण नहीं दे रहे है। वे किसानों से कह रहे कि पहले सभी बैंकों से अनापत्ति प्रमाणपत्र लाएं। दस बैंकों से अपनापत्ति प्रमाणपत्र मिलने के बाद भी बैंक द्वारा कहा जाता है कि आपके विरुद्ध आई आर डी पी ऋण का 1000 रुपए बकाया है इसलिए हम आपको ऋण नहीं दे सकते। इस प्रकार उसे मजबूर किया जाता है कि वह निजी ऋणदाताओं के पास जाएं। निजी ऋणदाताओं द्वारा 5,000 रुपये के ऋण पर 3 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से ब्याज लिया जाता है। लेकिन किसान समय पर ब्याज तो क्या मूलधन

[श्री एस.के. खारवेनथन]

भी नहीं दे सकता। और अन्ततोगत्वा उसे आत्महत्या करनी पड़ती है।

सरकार द्वारा गरीब किसानों को दीर्घा-अवधि के ब्याज रहित ऋण उपलब्ध कराने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने चाहिए। वर्तमान ऋणों को माफ कर दिया जाना चाहिए। कोई भी उद्योगपति 2,000 करोड़ का ऋण ले सकता है और उसके ऋण को यह कहकर माफ कर दिया जाता है कि उसका व्यापार नहीं चला। इस प्रकार सभी कुछ गैर निष्पादनकारी परिसंपत्ति में परिवर्तित हो जाता है लेकिन 5,000 और 10,000 रुपए की वसूली के लिए बैंक अधिकारी गरीब किसान के घर जाकर कुर्की के नाम पर किसान की पत्नी का मंगलसूत्र छीनकर उनका अपमान करते है। ऐसा घटित होने पर एक किसान के पास आत्महत्या के सिवा और क्या चारा रह जाता है? हमारी जनसंख्या की 70 प्रतिशत जनसंख्या कृषकों की है। लेकिन उनकी स्थिति बहुत ही दयनीय है।

महोदय, एक खेतिहर मजदूर अपनी मृत्यु तक खेतिहर मजदूर ही रहता है। यदि एक खेतिहर मजदूर अपने बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में प्रवेश दिलाना चाहता तो ऐसा करना उसके लिए संभव नहीं है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में एक किसान के बेटे ने 1200 में से 100 अंक प्राप्त किया। वह उच्च शिक्षा पाना चाहता था अत: वह ऋण लेने बैंक गया। बैंक मैनेजर ने उससे पूछा कि वह किस समदाय का है। उसके समुदाय का पता चलने पर बैंक ने उसे ऋण देने से मना कर दिया। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है।

महोदय, मैं एक किसान हूं और हमारा समाज का एक बड़ा भाग किसान है। मैं कहना चाहता हूं कि नदियों को आपस में जोड़े बिना किसानों की समस्याओं को नहीं सुलझा सकते है। हम गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसी नदियों से अधिक जल प्राप्त करते हैं लेकिन हम दक्षिण की अमरावती, कावेरी और अन्य बारहमासी नदियों से जल प्राप्त नहीं कर रहे है। इसलिए सरकार को पूरे देश की नदियों को जोड़ने के लिए बड़ी धनराशि आबंटित करनी चाहिए। जब तक ऐसा नहीं किया जाता तब तक इस देश में किसानों की समस्याओं को नहीं सुलझाया जा सकता है।

महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपको पुन: धन्यवाद देता हूं।

श्री पी. करूणाकरन (कासरगोड़): महोदय, मैं श्री वासुदेवन नायर द्वारा प्रस्तुत किए गए संकल्प का समर्थन करता हूं। महोदय, मैं समझता हूं कि इस संकल्प को पिछले सत्र की अपेक्षा इस सत्र में प्रस्तुत करना उचित है क्योंकि हाल ही में देश के विभिन्न भागों में किसानों द्वारा आत्महत्या करने संबंधी चिंताजनक रिपोर्ट आई है। महोदय, हम केरल के संसद सदस्य है हम इस मुद्दे को केवल इस सभा में ही नहीं उठा रहे है बल्कि हमने संसद के सामने सत्याग्रह भी किया है। मुझे यह कहते हुए दुख हो रहा है कि यह सरकार इस समस्या की गंभीरता को नहीं समझा रही है। वास्तव में कुछ मुद्दे सरकार के नियंत्रण के बाहर होते है। जैसे पिछले तीन वर्षों में हमारे राज्य में पर्याप्त वर्षा नहीं हुई है। यदि आप वर्षा की मात्रा को देखेंगें तो आपको पता चलेगा कि पिछले कुछ वर्षों के दौरान केरल में पर्याप्त वर्षा नहीं हुई है। आप पाएंगें कि केरल में वर्ष 2000 में 18, वर्ष 2001 में 3, वर्ष 2002 में 17, और वर्ष 2003 में 27 मिलीलीटर वर्षा हुई है। इसके परिणामस्वरूप राज्य में सूखे जैसी स्थिति है।

महोदय समयाभाव के कारण, मैं अपने राज्य से संबंधित मुद्दों पर ही जोर दूंगा। एक तरफ वहां सूखे जैसी स्थिति है और दूसरी तरफ बाढ़ है। स्थिति ने राज्य की वित्तीय स्थिति को खराब कर दिया है बाढ़ और सूखे के कारण और अन्य खाद्यान्न जैसी कृषि फसलों का भारी नुकसान हुआ है। चावल उत्पादन में 60 प्रतिशत, नारियल उत्पादन में 60 से 70 प्रतिशत, सब्जी उत्पादन में 60-70 प्रतिशत; काली मिर्च उत्पादन में 80 प्रतिशत, केले के उत्पादन में 60-70 प्रतिशत, इलायची उत्पादन में 60-70 प्रतिशत और काफी उत्पादन में 65 प्रतिशत फसल का नुकसान हुआ है। अन्य सभी नकदी फसलों के उत्पादन में भी कमी आई है।

महोदय, इस मामले का दुर्भाग्यपूर्ण पक्ष यह है कि हमने इस मुद्दे को माननीय वित्त मंत्री और माननीय कृषि मंत्री के समक्ष उठाया था लेकिन इन मंत्रियों ने इसके बारे में तकनीकी कारण बताकर इस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। कई बार सरकार ने विद्यमान समस्या के संबंध में उचित रिपोर्ट नहीं दी। लोग वास्तव में समस्याओं का सामना कर रहे है और इसके परिणामस्वरूप आत्महत्याएं भी की जा रही है।

महोदय, श्री वासुदेवन नायर ने ठीक ही कहा है कि केरल सरकार ने यह रिपोर्ट भेजी है कि, कृषि मंत्री ने यह वक्तव्य दिया था कि केरल में कोई आत्महत्या नहीं हुई। लेकिन हम जानते हैं कि आत्महत्याएं हुई हैं। अकेले, इदुक्की जिले में, यह संख्या लगभग 92 तक पहुंच गयी है। केरल में गत तीन वर्षों में यह संख्या लगभग 1000 तक पहुंच गयी है जिसमें अन्य कारणों से हुई आत्महत्याएं भी शामिल हैं।

मैं केरल के उत्तरी भाग से आता हूं जो कर्नाटक के निकट है और जो विशेष रूप से सुपारी क्षेत्र है। केरल में सबसे अच्छी गुणवत्ता वाली सुपारी का उत्पादन किया जाता है। लेकिन उस क्षेत्र में अधिकांश किसान आत्महत्या करने के कगार पर हैं। एक ओर, वहां प्राकृतिक आपदाएं कहते हैं तो इसमें सूखा और बाढ़ भी

शामिल हैं। जहां तक राष्ट्रीय आपदा का प्रश्न है, सरकार इसी कारण से नीति बना रही है। मैंने यही मुद्दा वाणिज्य और उद्योग संबंधी स्थायी समिति में उठाया था। हमने अन्य देशों के साथ कुछ समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। हमें अपने निर्यात में हुई वृद्धि पर गर्व है। नि:संदेह, हमें अपना निर्यात बढ़ाना होगा, लेकिन यह कार्य हमारे घरेलू उद्योग और कृषि क्षेत्र को दांव पर लगाकर नहीं किया जाना चाहिए।

आप यह देख सकते हैं कि भारत-श्रीलंका समझौते ने केरल को वास्तव में बहुत अधिक प्रभावित किया है। एक टन काली मिर्च की कीमत 23,000 रुपये हुआ करती थी। अब, यह घटकर 7000 रुपए रह गयी है। किसान ऐसी स्थिति में कैसे रह सकता है? सुपारी के मामले में ऐसा ही है। इसकी कीमत 16,000 रुपए हुआ करती थी। अब यह मात्र 7,000 अथवा 8000 रुपए रह गयी है। कर्नाटक और कई अन्य जिलों में ऐसी ही स्थिति है। कासरगौड प्राथमिक सहकारी ग्रामीण विकास बैंक ने किसानों को नोटिस जारी किये हैं। यदि आप कुछ उपाय करें, तो वे इससे इंकार नहीं कर सकते।

आपको समझाने के लिए, मैं कुछ ब्यौरे पढ़ूंगा। श्री विट्टल नायक ने तीन लाख रुपये का ऋण लिया है लेकिन अब उन्हें पांच लाख रुपये का भुगतान करना है। श्री भट्ट ने पांच लाख रुपये का ऋण लिया था लेकिन अब यह राशि बढ़कर आठ लाख रुपए हो गयी है। किसानों को हजारों नोटिस जारी किये जा रहे हैं क्योंकि वे पैसा वापस नहीं दे पा रहे हैं। इसका कारण सरकार द्वारा अपनायी गयी आयात नीति है जो किसानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रही है। सरकार को यह समझना होगा कि यह पिछली सरकार द्वारा किये गये किसान विरोधी कार्यों का दुष्परिणाम है। न केवल इस समय वरन् उस समय भी आत्महत्याएं हुई थीं। यह स्थिति अब भी जारी है।

श्रीलंका हमें काली मिर्च का निर्यात कर रहा है लेकिन वह बहुत घटिया है। लेकिन हमारी काली मिर्च प्रसिद्ध मालाबार काली मिर्च है जो न केवल भारत में वरन् पूरे विश्व में जानी जाती है। हम इस घटिया गुणवत्ता और बढ़िया गुणवत्ता वाली काली मिर्च को आपस में मिलाकर निर्यात कर रहे हैं। इस प्रकार हमारा बाजार वास्तव में बर्बाद होता जा रहा है।

यह इलायची के मामले में भी सच है। जहां तक रबर का सवाल है, गत वर्ष कुछ सीमाएं थीं क्योंकि केवल चुने हुए पत्तनों को इसकी अनुमति थी। अब रबर का सभी पत्तनों से आयात किया जा सकता है। इसके परिणामस्वरूप, हमें यह पता नहीं चल सकता है कि हम कितनी रबर प्राप्त कर रहे है नकदी फसलों सहित कृषि फसलों का उत्पादन भी प्रभावित हो रहा है क्योंकि एक ओर तो सूखा है और दूसरी ओर बाढ़। इसके साथ-साथ, सरकार ने जो नीति तैयार की है उस पर भी विचार किया जाना चाहिए।

मैं इस मुद्दे पर किसी को दोषी नहीं ठहराता लेकिन हम किसानों की रक्षा कैसे कर सकते हैं? यही मुख्य प्रश्न है। जिसके कारण अधिक संख्या में किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं। केरल सरकार ने दिसम्बर तक अधिस्थगन की घोषणा की है। दिसम्बर के पश्चात्, किसानों को फिर नोटिस भेजे जाएंगे और वे फिर भी भुगतान नहीं कर पाएंगे। इस स्थिति में हम किसानों को कैसे बचा सकते हैं? यह मुख्य प्रश्न है।

केरल में हम सभी सदस्यों ने इस विषय पर चर्चा करने के लिए कल प्रधानमंत्री जी से मुलाकात की थी। मैंने सोचा था कि हम इस पर चर्चा करेंगे तो इसका कोई परिणाम निकलेगा जिसकी घोषणा इस विषय पर आपके द्वारा आज स्वयं की जाएगी। लेकिन इसका कोई परिणाम नहीं निकला। आत्महत्याओं के बारे में मेरा सुझाव यह है कि ब्याज की राशि का भुगतान पूरी तरह से सरकार द्वारा किया जाये। ऐसा करके अकेले राज्य सरकार अथवा सहकारी समितियों द्वारा करना संभव नहीं है।

वे मूलधन को चुकाने के लिए 10 से 12 वर्षों के समय की मांग कर रहे हैं। हमें नये ऋण देने होंगे। समितियों को नये ऋण देने होंगे। यहां, मैं एक बात कहना चाहूंगा। किसान अनेक ऋण ले रहे हैं। लेकिन इन ऋणों को कृषि ऋण माना जाना चाहिए। जब हम नये ऋण दे रहे हैं तो ब्याज दरें भी कम की जानी चाहिए अन्यथा वे जीवित नहीं रह सकते। जहां तक केरल का संबंध है, स्थिति बहुत गंभीर है, चाहे वह कृषि फसलें हों अथवा नकदी फसलें। यह हमारी अर्थव्यवस्था में भी दिखायी देता है। हम सभी संसद सदस्य आये हैं और आपसे मिले हैं और केरल सरकार तीन अभ्यावेदन दे चुकी है। नि:संदेह कुछ त्रुटियां हुई हैं। हम इन्हें स्वीकार करते हैं। लेकिन मुझे यह कहते हुए दु:ख होता है कि कोई निर्णय नहीं लिया गया है। यही वह समय है जब सरकार को कुछ निर्णय लेने चाहिए। मेरी यही विनती है।

श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी (नालगोंडा): सभापति महोदय, धन्यवाद। मैं श्री पी.के. वासुदेवन नायर के संकल्प का समर्थन करता हूं जिन्होंने देश में कृषि संकट की वजह से किसानों की हो रही दुर्दशा का वर्णन किया है। औद्योगिकीकरण के बावजूद हमारे देश की अधिकांश जनसंख्या अभी भी कृषि पर आश्रित है। परिणामत: कृषि क्षेत्र में आया संकट पूरे देश को प्रभावित कर रहा है। वर्तमान संकट के अनेक कारण हैं। जबकि प्राकृतिक आपदाओं और मानसून की विफलता ने कृषि क्षेत्र में काफी भय का माहौल पैदा किया है, सरकार ने भी इस वर्तमान संकट में अपनी भूमिका निभायी है। पिछले चार-पांच वर्षों से मानसून अनियमित रहा है।

[श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी]

पिछले वर्ष चौदह से भी अधिक राज्य सूखे की चपेट में थे। इन परिस्थितियों में, हमें स्वाभाविक रूप से इस प्रकार की समस्याओं का समाधान करने हेतु दीर्घावधि उपायों पर विचार करना होगा। देश में कृषि योग्य अधिकांश क्षेत्र अभी भी वर्षा पर निर्भर हैं। हम इनमें से अधिकांश किसानों को सिंचाई सुविधाएं मुहैय्या कराने में असमर्थ हैं। जब कभी भी मानसून नहीं आता है और मौसमी वर्षा नहीं होती है जो सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तथा इससे किसान तत्काल प्रभावित होते हैं। भूमंडलीय तापमान में वृद्धि और अन्य समस्याओं से यह संकट और गहरा गया है। मात्र दो दिन पहले, जब हम भारत की विदेश नीति पर चर्चा कर रहे थे, अमरीका जैसे बड़े देशों द्वारा भूमंडलीय तापमान के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय मानदण्डों को स्वीकार नहीं किए जाने का मुद्दा उठा था। इन समस्याओं का समाधान करना पूरी तरह से हमारे हाथ में नहीं है। परन्तु स्वतंत्रता प्राप्ति के करीब छह दशक के बाद, हमारे किसानों को सिंचाई सुविधाएं मुहैय्या कराना काफी हद तक हमारे हाथ में है।

दूसरा मुद्दा बीजों, रसायनों, उर्वरकों और कीटनाशकों जैसी कृषि संबंधी वस्तुओं के मूल्य में असमान्य वृद्धि के संबंध में है। यह निश्चित तौर पर मानव निर्मित संकट है। कृषि में काम आने वाली वस्तुओं की कीमत में प्रति वर्ष वृद्धि हो रही है। परन्तु कृषि उत्पादों को उनका लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहा है। दूसरी ओर, कृषि उत्पादों के मूल्य में काफी गिरावट आ रही है। वर्तमान संकट बढ़ता जा रहा है क्योंकि पिछले कुछ वर्षों से विश्व व्यापार संगठन समझौते लागू हुए हैं। इससे हमारे ऊपर अतिरिक्त बोझ पड़ा है। चीनी और चावल जैसे खाद्य उत्पादों तथा कपास और खाद्य तेल जैसे वाणिज्यिक उत्पादों के भारी मात्रा में आयात से भारत में उनके मूल्यों में गिरावट आयी है।

दुर्भाग्यवश, राजग सरकार ने भारतीय किसानों को इस समस्या से बचाने हेतु कोई आवश्यक उपाय नहीं किया। किसान बिचौलियों द्वारा लूटे गए। यह काफी गम्भीर संकट था। यदि आप पिछले कुछ वर्षों में स्थिति देखें तो पायेंगे कि वस्त्र का मूल्य बढ़ रहा है परन्तु कपास की कीमत घट रही है। चीनी की कीमत बढ़ रही है परन्तु गन्ने की कीमत उसी अनुपात में नहीं बढ़ रही है। सिगरेट की कीमत पिछले एक दशक में संभवत: 300 प्रतिशत बढ़ी है परन्तु तम्बाकू की कीमत तो 30 प्रतिशत भी नहीं बढ़ी है। खाद्य तेल, मूंगफली और अन्य वस्तुओं के भी संबंध में किसानों को प्राप्त होने वाले संगत मूल्य निश्चित तौर पर घाटे वाले रहे हैं। यह काफी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। यहां तक कि फलों और सब्जियों का उत्पादन करने वाले किसानों को भी इनका लाभकारी मूल्य प्राप्त नहीं हो रहा है। आंध्र प्रदेश के एक काफी बड़े क्षेत्र में प्राय: सूखे की स्थिति रहती है। चित्तूर, मादनपल्ली और करनूल जिले में प्रति कि.ग्रा. टमाटर की कीमत घटकर 25 पैसे से भी कम हो गयी है; नीबू दस पैसे प्रति पीस की दर से भी नहीं बिक रहा। हमने देखा है कि महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में प्याज उत्पादकों ने किस प्रकार से भारी हानियां उठायी हैं।

दुर्भाग्यवश, मेरी समझ से मेरे कुछ सहयोगी लाभकारी मूल्य की मांग को सही अर्थों में नहीं समझ पा रहे हैं। मुझे फ्रांस की क्रांति से पहले की एक कहानी याद आ रही है। जब भारी संख्या में लोग पेरिस की गलियों में आंदोलन कर रहे थे तो फ्रांस की महारानी ने पूछा था कि आखिर ये लोग किस चीज के लिए आंदोलन कर रहे हैं। किसी ने बताया कि उनके पास रोटी नहीं है। महारानी क्रोधित हो गयी और कहा कि यदि उनके पास रोटी नहीं हो तो वे केक खा सकते हैं। यह इस प्रकार की समझ है कि यदि किसानों को लाभकारी मूल्य दिया जाता है तो वे इसी फसल का अधिक से अधिक उत्पादन करने लगेंगे और यह सरकार के लिए घाटे का कार्य होगा। यह हमारे देश में विद्यमान कृषि स्थिति की सही समझ नहीं है। किसानों को लाभकारी मूल्य देना कोई उपकार का कार्य नहीं है। यह दान नहीं है। जब कृषि में काम आने वाली वस्तुओं जैसे उर्वरक, कीटनाशकों बीजों का मूल्य असामान्य रूप से बढ़ता जा रहा है तो किसान लाभकारी मूल्य के वगैर कैसे टिके रह सकते हैं। हमारे देश की करीब 35 से 40 प्रतिशत जनता आज की गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करती है। इसलिए उनको सस्ते मूल्य पर खाद्यान्न उपलब्ध होने चाहिएं। इस प्रकार, खाद्यान्नों की कीमत स्वाभाविक रूप से कम रखी जानी चाहिए। इस स्थिति में किसान के लिए राजसहायता दिया जाना आवश्यक हो जाता है। यदि आप लाभकारी मूल्य नहीं देते है, यदि आप पर्याप्त राजसहायता नहीं देते हैं तो इस देश में विद्रोह की स्थिति पैदा हो जाएगी। इसलिए देश में संतुलन बनाए रखने के लिए कृषि क्षेत्र को पर्याप्त राजसहायता दी जानी चाहिए। लाभकारी मूल्य इसी का एक हिस्सा है।

अब मैं दो समाधान प्रस्तावित करना चाहूंगा। किसान विशेषकर आंध्र प्रदेश के किसान, जो मेरा गृह राज्य है, काफी संख्या में आत्महत्या कर रहे हैं। यह सच है कि समाचार पत्रों के मुताबिक 1800 से अधिक किसानों ने आत्महत्या की है। नई सरकार द्वारा नि:शुल्क बिजली दिए जाने की घोषणा के बावजूद किसान आत्महत्या कर रहे है। किसानों की मुख्य परेशानी का कारण ऋण जाल है। वर्तमान संकट अभूतपूर्व संकट है। इस स्थिति में सरकार को प्रभावित क्षेत्र के गरीब और सीमांत किसानों का सम्पूर्ण ऋण माफ करने जैसे साहसपूर्ण निर्णय लेने चाहिएं। फसल बीमा को, जो आज एक अनुपयोगी किस्म का बीमा बना हुआ है, किसानों के लिए और अधिक उपयोगी बनाए जाने की जरूरत है।

अपराह्न 5.00 बजे

ये दो सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य है जिन्हें सरकार को अवश्य करना चाहिए। केन्द्र सरकार को सूखे से ज्यादा प्रभावित राज्यों की मदद करनी चाहिए। आज कल किसानों के साथ-साथ कृषि श्रमिकों और अन्य लोग भी जो कृषि से अपना जीविकोपार्जन करते हैं, काफी कष्ट झेल रहे हैं इसलिए उनकी भी मदद किए जाने की आवश्यकता है।

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर): मान्यवर सभापति महोदय, मैं श्री वासुदेवन नायर जी के द्वारा प्रस्तुत संकल्प का पुरजोर समर्थन करता हूं। निश्चित रूप से भारत एक कृषि प्रधान देश है और भारतीय अर्थव्यवस्था का मूल आधार है। यहां तक कि इस सृष्टि के आदि में वेद का प्रादुर्भाव हुआ है। वेदों के अंदर भी लिखा हुआ है "अक्षैर्मादीव्य: कृषिमीत कृषिस्व" अर्थात-हे मानव खेती कर, जुआ मत खेल। वेदों में भी खेती की बात कही गई है। इससे पता चलता है कि प्राचीनकाल से ही हमारा देश कृषि प्रधान देश है। हमारे यहां के त्यौहार, हमारे यहां की संस्कृति, हमारा रहन-सहन सब कुछ कृषि पर निर्भर है। आज किसानों की जो दयनीय हालत हो गई है, जिसको अन्नदाता कहा जाता है। किसान के लिए कहा जाता है कि

"शीत कांपता जिसके भय से, आतप ठंडा पड़ जाता है
लिए फावड़ा वह पथ पर आता, वर्षा से भी क्या घबराता है।"

सर्दी, गर्मी, बरसात कैसी भी ऋतु हो, वह रात दिन काम करता है। कवि ने इसलिए लिखा है-शीत कांपता जिसके भय से अर्थात जिस किसान के भय से शीत भी कांपने लग जाती है और आतप ठंडा पड़ जाता है अर्थात जेठ महीने की दोपहरिया भी जिस किसान की मेहनत के सामने ठंडी पड़ जाती है। फावड़ा लिए जब वह खेत की ओर जाता है तो वह वर्षा से भी नहीं घबराता है। ऐसे रात-दिन काम करने वाला किसान, खेत के अंदर मिट्टी से सोना पैदा करने वाला किसान और हम जब कहते हैं कि "मेरे देश की धरती सोना उगले, उगले हीरे मोती" ऐसे लहलहाने वाली फसलों को पैदा करने वाला किसान आज आत्महत्या पर मजबूर हो रहा है। यह एक दूसरे को दोष देने का प्रश्न नहीं है। यहां पर हम सब के लिए चिंतनीय है कि आखिर किसान की दयनीय स्थिति क्यों है?

मान्यवर, मैं इसी संदर्भ में कहना चाहूंगा कि हिंदुस्तान की जो खेती है वह मानसून पर निर्भर है। भारतीय कृषि मानसून से जुड़ा हुआ जुआ है। हिंदुस्तान की खेती के बारे में कहा जाता है कि वह मानसून का जुआ है। अच्छी वर्षा का मतलब अच्छी खेती, अच्छा पानी मतलब अच्छी खेती और खराब वर्षा या अनिश्चित्ता, अनियमित्ता, अनावृष्टि या अतिवृष्टि यह सारा किसान के लिए दुखदायी बन जाता है। इसलिए पहला कारण किसान की मृत्यु का क्राप फेल्युर है। अतिवृष्टि या अनुवृत्ति से फसल पकने के समय में एकदम बरबाद हो जाती हैं। अभी राजस्थान के अंदर चार साल से लगातार सूखा पड़ रहा था। इस वर्ष फसल थोड़ी ठीक थी। अब एक वर्षा अगर और हो जाती तो रुपये में 12 आने फसल हो जाती। एक वर्षा नहीं होने के कारण रुपये में से चवन्नी भी नहीं रही और सारी फसलों का चारा मात्र रह गया। इसलिए यदि किसान की फसल का सही समय पर सब प्रकार से बीमा तय हो जाए तो में समझता हूं कि उस किसान के नुकसान की भरपाई हो सकती है। अभी माननीय सदस्य एनडीए की सरकार के बारे में कुछ कह रहे थे। मैं कहना चाहता हूं कि एनडीए की सरकार को धन्यवाद देना चाहिए, जिन्होंने किसान के लिए क्रेडिट कार्ड बनाया। बैंकों से कर्ज लेने के लिए अमीर लोगों के पास तो क्रेडिट कार्ड बनाने वाली पहला सरकार थी।

मान्यवर, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, अकाल, सूखा और इन सारी समस्याओं को दूर करने के लिए नदियों को जोड़ने की स्कीम भी पहली बार एनडीए की सरकार ने माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में बनाई थी। जिन नदियों में बाढ़ आ जाती है उनके पानी को सूखे इलाकों में पहुंचाया जा सके इससे वहां पर पानी भी मिल जाएगा और नदियों में बाढ़ से नुकसान भी नहीं होगा। उन्होंने नदियों को आपस में जोड़ने की स्कीम बनाई थी। मैं माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से भी भूरिया जी से प्रार्थना करना चाहूंगा कि पिछली सरकार ने जो योजना बनाई थी, वह योजना ठंडे बस्ते में न डालें। अपितु नदियों को जोड़ने की योजना को आगे बढ़ाएं ताकि किसान को लाभ हो सके और क्राप फेल्युर का सामना न करना पड़े।

मान्यवर, किसान के बारे में कहा जाता है कि हिंदुस्तान का किसान कर्जे में ही पैदा होता है, कर्जे के अंदर ही पलता है और कर्जे के अंदर ही मर जाता है। किसानों को कर्जदार बने रहने का कारण उनके द्वारा ऊंची ब्याज दर पर ऋण लेना है। इतनी ऊंची ब्याज की दरों के आधार पर जो पैसा वह बैंकों से लेता है उसको अच्छी फसल न होने के कारण चुका नहीं पाता है और परिणामस्वरूप वह आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाता है। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि कांग्रेस ने आंध्र प्रदेश में किसानों की आत्महत्याओं के नाम पर जीत कर सरकार भी बना ली। मैं आपके माध्यम से उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या उनकी सरकार बनने के बाद भी आंध्र के अंदर किसानों की आत्महत्याएं रुक गई हैं, नहीं रुकी हैं। अभी भी वहां किसानों द्वारा आत्म-हत्याएं हो रही हैं। 1999 तक 151 किसान आत्महत्या के शिकार हुए। इस प्रकार

[प्रो. रासा सिंह रावत]

वर्ष 1999 में आंध्र प्रदेश में 151, वर्ष 2000 में 34, वर्ष 2001 में 62 और वर्ष 2002 में 26 किसान आत्महत्या के शिकार हुए। उड़ीसा में 1.4.99 से 18.10.2003 तक 100 किसानों की मृत्यु हुई। पंजाब में 3 किसानों की मृत्यु हुई। कर्नाटक में 1.4.99 से 18.10.2003 तक 469 किसानों की मृत्यु हुई। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: अब आप कनक्लूड कीजिए।

...*(व्यवधान)*

प्रो. रासा सिंह रावत: मान्यवर, मैं आपका संरक्षण चाहूंगा। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: इस डिबेट पर चर्चा का समय दो घंटे है। आपके और भी माननीय सदस्य बोलने वाले हैं।

प्रो. रासा सिंह रावत: हमें उनकी आत्महत्या के कारणों के बारे में सोचना पड़ेगा। किसानों को सस्ती दर पर ब्याज उपलब्ध किया जाए। कृषि ऋणदात्री सहकारी समितियां, जो गांवों में बनी हुई हैं, उनकी स्थिति को सुदृढ़ किया जाए। गांवों में जो कोआपरेटिव बैंक हैं, किसानों को सस्ते बीज मुहैया कराए जाएं, लोन आदि की दरों को भी कम किया जाए। राष्ट्रीयकृत बैंकों से दिए जाने वाले कर्ज के रेट थोड़े कम किए जाएं। चार साल तक अकाल पड़ा जिससे किसान ब्याज नहीं दे पाया तो उस पर चक्रवर्ती ब्याज जुड़ जाता है। मूल ऐसे ही रह जाता है। इसके बारे में भी हमें सोचना पड़ेगा।

इसी प्रकार सोशल एंड इकोनामिक इनसिक्युरिटी-नौकरी करने वाले संगठन को दुनिया भर में सुविधाएं हैं। उनको पैंशन मिलेगी, ग्रेच्युटी मिलेगी और छुट्टियां भी मिलेंगी लेकिन किसान संगठित नहीं है जिसके परिणामस्वरूप वह हड़ताल नहीं कर सकता, मांगें नहीं मनवा सकता। किसानों की समस्याओं को सुलझाने के लिए आप और हम सबको राजनैतिक मतभेदों की दीवारों से ऊपर उठकर राष्ट्रीय हित में सोचना पड़ेगा, तब उसकी समस्या का हल होगा।

मैं दो-तीन सुझाव और देना चाहूंगा। लघु सिंचाई योजना-बड़े-बड़े बांध बना दिए गए लेकिन पानी नहीं भरेंगे, नदियों में पानी नहीं आएगा। छोटी-छोटी सिंचाई योजना, परम्परागत सिंचाई के साधनों को प्रोत्साहन दिया जाए। कुआं, बावड़ी, तालाब, वाटरशैड के कार्यक्रमों को अधिक प्रोत्साहन दिया जाए ताकि अगर थोड़ा-बहुत पानी भी आता है तो वह धरती में जाकर वाटर लैवर को ऊंचा ला सके। वाटरशैड के प्रोग्राम को भी देखना चाहिए। इसके साथ-साथ राष्ट्रीय कृषि आयोग और राष्ट्रीय कृषि मूल्य आयोग को भी प्रेरणा दी जानी चाहिए, उसे सुदृढ़ बनाया जाना चाहिए। समय पर किसानों के लिए सपोर्टिंग प्राइस की घोषणा करें।

अंत में एक बात और कहना चाहूंगा। सबसे बड़ी बात ड्राईलैंड फार्मिंग की है। अगर इजराइल में कम वर्षा होने के बावजूद भी वहां सालभर खेती हो सकती है हमारे यहां कम वर्षा के बावजूद किसान खेती क्यों नहीं कर सकते। आज ट्रैक्टर वगैरह आ गए तो गांव का किसान कहता है-अमरीका का ट्रैक्टर, ईरान का तेल, भारतीय किसान का इनसे क्या मेल। पहले परम्परागत खेती थी। ड्राईलैंड फार्मिंग, प्रमोशन आफ हार्टीकल्चर प्रोडक्ट्स को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए और अतिरिक्त सिंचाई की सुविधाएं बढ़ाई जानी चाहिए। किसान की उपज की मार्किटिंग सपोर्ट मिलनी चाहिए। गांवों में रूरल गोडाउन्स कोल्डस्टोरेज होने चाहिए ताकि अगर किसान का प्याज ज्यादा हो गया तो वह उसे उसमें रख सके, आलू ज्यादा हो गया तो उसे उसमें रख सके और समय आने पर उसे बेच सके। मैं समझता हूं कि इसके लिए फसल बीमा के ऊपर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। किसान की स्थिति बड़ी दयनीय है। उसे दूर करने के लिए हम और आप सबको प्रयत्नशील होना होगा।

श्री सीताराम सिंह (शिवहर): सभापति महोदय, सबसे पहले मैं नायर साहब को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने किसानों के हितों के सवाल को संकल्प के माध्यम से सदन में लाने का काम किया। सभी माननीय सदस्यों ने आंकड़े प्रस्तुत किए हैं। भारतवर्ष कृषि प्रधान देश है और किसानों की आबादी 80 प्रतिशत से भी अधिक है। किसान इस देश को भोजन देता है। देश से निर्यात न सही, आयात की जरूरत नहीं पड़ती। इतना ही नहीं, इस सदन में बैठे हुए इस पक्ष के लोग हों या उस पक्ष के लोग हों, सभी माननीय सदस्य किसानों के वोट से जीतकर आये हैं। किसान का वोट सभी लेकर आते हैं। मैं इस सदन में पहली बार चुनकर आया हूं। इससे पहले मैं बरसों तक विधान सभा में मंत्री रहा। मगर मैं कहना चाहता हूं कि देश के सर्वोच्च सदन में भी किसान के सवाल पर कम चर्चा होती है। आज किसान के सवाल पर और उसके हित के लिए जो काम करना चाहिए, वह नहीं हो रहा है। राज्य सरकार यदि अपनी नीति बना रही है तो भारत सरकार को भी अपनी नीति बनानी चाहिए। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि किसान को डीजल महंगा मिलेगा, बीज महंगा मिलेगा, तो कोई सबसिडी सरकार की ओर से नहीं दी जायेगी। किसान को पानी नहीं मिलेगा तथा बिजली भी कम दरों पर और मुफ्त देने की बात हो रही है। इस देश में बहुत से राज्य ऐसे हैं जहां किसानों को बिजली बिल्कुल नहीं मिलती है। उस पर कोई नीतिगत फैसला नहीं लिया जायेगा।

मेरा कहना है कि आप किसान से बिजली की दर लीजिए बेशक आप उसे थोड़ी कम कर दीजिए। आप उन्हें मुफ्त में बिजली मत दीजिए मगर बिजली दीजिए ताकि जब चाहे वे अपने खेतों में सिंचाई कर सकें। लेकिन यह नहीं होगा, भारत सरकार की नीति स्पष्ट नहीं बनेगी। किसान का वोट लेकर हम सरकार भी बनायेंगे और विपक्ष में भी बैठेंगे और किसान को छोड़कर दुनिया की सारी चीजों पर बात करेंगे। सौभाग्य से आज मुझे इस मौके पर बोलने का मौका मिला है।

मैं सरकार को एक सुझाव देना चाहता हूं जिसकी चर्चा कई माननीय सदस्यों ने की। पहली बात तो यह है कि कुछ चीजें हैं जिसके लिए आपको नीति बनानी पड़ेगी। सभी किसानों को बिजली देनी पड़ेगी। इसके लिए आप उनसे पैसा लीजिए क्योंकि मैं मुफ्त के पक्ष में नहीं हूं। सिंचाई के सवाल पर गावों आदि सब जगह यह समस्या खड़ी है। किसी राज्य में पानी अधिक है तो कहीं सूखा पड़ा है। सभी राज्यों में यही स्थिति है। कोई भी राज्य ऐसा नहीं है जहां सिर्फ पानी हो या सिर्फ सूखा हो। मैं इस संबंध में बिहार की चर्चा करना मुनासिब समझता हूं। हमारे बिहार में एक तरफ पानी से सारी फसलें बर्बाद हो गयीं तो दूसरी तरफ सूखे से फसलें बर्बाद हो गयीं। वहां हाहाकार मचा हुआ है। वहां 38 जिलों में से 11 जिले सूखा से ग्रस्त हो गये। उन जिलों में जहां बाढ़ आई थी वहां उसने फसलों को बर्बाद कर दिया। उसके बाद वहां सूखा पड़ गया। एक किसान पर दो-दो मार पड़ रही है। किसान खून-पसीना बहाकर किसी तरह अनाज पैदा करता है लेकिन बाढ़ और सूखे की वजह से उनकी सारी फसलें बर्बाद हो जाती हैं।

हमारे राज्य की समस्या तो और भी विचित्र है। वहां प्रतिवर्ष बाढ़ आती है। उत्तर बिहार में करोड़ों किसानों की फसलें बर्बाद होती हैं। इस कारण सरकार की भी काफी सम्पत्ति नष्ट होती है। मैं समझता हूं कि जब से यह देश आजाद हुआ तब से लगातार ये घटनाएं हो रही हैं। वहां बाढ़ की लीला हो रही है। मैं नहीं समझता कि राज्य सरकार के पास क्या आंकड़े हैं मगर हजारों करोड़ रुपये रिलीफ के माध्यम से आये। उन सड़कों को बनाने में हजारों करोड़ रुपये खर्च हुए। वे प्रतिवर्ष बनती हैं और बिगड़ जाती हैं। मैं कहना चाहता हूं कि कितनी सरकारें आई और चली गयीं लेकिन किसी ने भी मुनासिब नहीं समझा कि इस बाढ़ को स्थायी ढंग से रोकने के लिए, इस इलाके के किसानों की बर्बादी और आम जनता की बर्बादी को रोकने के लिए हमको नेपाल से बात करनी चाहिए। सारे नक्शे में यह चित्रित है। नेपाल से बात करने से उत्तर भारत की जो क्षति हो रही है, उसका स्थायी निदान मिल सकता है।

हमारे कृषि राज्य मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि यह बिहार के लिए महत्वपूर्ण सवाल है। नेपाल के बार्डर में उत्तरी बिहार के जो इलाके हैं, आप उनमें चले जाइये- पश्चिम चम्पारण, पूर्वी चम्पारण, सीवान, सीतामढ़ी, दरभंगा, मधुबनी से लेकर पूर्णिया, अररिया आदि तमाम इलाकों में प्रतिवर्ष बाढ़ से क्षति होती है। हम लोगों ने नेपाल सरकार से बात करने के लिए आपसे अनुरोध किया था। आपने इस संबंध में कुछ कदम भी उठाये। आपने वहां एक कार्यालय खोला मगर आपको नेपाल सरकार से बात करनी चाहिए। अगर ज्वाइंट प्रौजेक्ट रिपोर्ट बनानी है तो उसके लिए आप कोई रणनीति बनाकर अपने टेक्नीकल हैंड को नेपाल के टैक्नीकल हैंड से बात करने में आप शिथिल हुए हैं। मैं कहना चाहता हूं कि आप किसानों की क्षति को रोकने के लिए कुछ कीजिए। आप कुछ देने नहीं जा रहे हैं, बर्बादी के लिए हर साल मुंह बाये बाढ़ की लीला है। उसको आप रोक नहीं पा रहे हैं। उसके स्थायी निदान के लिए मैं आग्रह करना चाहता हूं। अभी आपने एक दफ्तर खोलकर दो का प्रस्ताव भेजे। अभी 7-8 दफ्तर खोलने की बात है। जो भी दफ्तर खुलना है, उसे खोल दीजिए और बाढ़ को रोकने के लिए उसके स्थायी निदान के लिए आप कारगर कदम उठाइए। बिहार का किसान आंदोलन कर रहा है, उसका आंदोलन उग्र आंदोलन का रूप ले रहा है और सारी जगहों में किसान संगठित हो रहे हैं। मैं यह बात कहने में हिचकिचाता नहीं हूं कि आज भी देश के किसान संगठित नहीं हैं। अगर किसान संगठित हो जाएं तो इस पार्लियामेंट के अंदर सिर्फ किसान के सवाल ही गूजेंगे और सिर्फ किसान के कल्याण की ही बात पहले होगी। राजस्थान उत्तर प्रदेश के माननीय सदस्य बोलकर चले गए। अगर इस सदन के बाहर मेरी आवाज जा सकती तो भी मैं हिन्दुस्तान के किसानों को कहना चाहता हूं कि उन्हें आज संगठित होना चाहिए। आज समय रहते इसके लिए नीति बनानी चाहिए। बिहार में बाढ़ को रोकने के लिए कोई स्थायी निदान करिये।

दूसरे, सिंचाई का सवाल है। आज कई जगहों पर सरकारें सक्षम नहीं हैं। भारत सरकार को संसाधन देना पड़ेगा। हम चाहते हैं कि आप राज्य सरकार से रिपोर्ट लीजिए। उनसे विचार-विमर्श कीजिए और जो संसाधन उनके पास नहीं हैं, अच्छे ढंग से प्रोजेक्ट बनाकर सिंचाई की पर्याप्त सुविधाएं उनको उपलब्ध कराइए। हमारे बिहार में सिंचाई की सुविधाएं आसानी से उपलब्ध हो सकती हैं। नीतियां भी हैं। सारी चीजें हैं लेकिन बाढ़ का स्थायी निदान होना चाहिए और सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। आज यह स्थिति है कि हमारा बिहार राज्य बंटने के बाद तो बिल्कुल बर्बाद हो गया है। हमारे पास कोई संसाधन नहीं हैं। हमारे पास कृषि योग्य इतनी अच्छी भूमि है कि हमारे यहां बहुत अच्छी फसल हो सकती है और हमारे बिहार को कृषि उद्योग का दर्जा दिया जा सकता है तथा हम पर्याप्त अनाज पैदा करेंगे। हम गन्ना भी पैदा करते हैं।

बिहार की सारी मिलें बंद हैं। भारत सरकार उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है। कृषि का हमें लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए। उसके बाद भी भारत सरकार गन्ने का मूल्य तय करती है, चीनी मिलें जो चलाते हैं, चीनी की कीमत बढ़ी है, आपको ज्यादा अनुपात में हमारा मूल्य भी तय करना चाहिए।

सभापति महोदय: अब समाप्त करिए। अब आप अंतिम सुझाव दीजिए।

श्री सीताराम सिंह: अफसोस की बात है कि आज पहली बार मुझे अपनी बात कहने का मौका मिला है लेकिन समय कम है। मैं दो मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा।

आज बिहार में चीनी मिलें बंद हैं। किसान के हित में उनका खुलना बहुत जरूरी है और दूसरा सुझाव हमारा यह है कि जब भी गन्ने का मूल्य तय करें तो यह बात नजर में रखें कि मिल-मालिकों के साथ जब आप मूल्य तय करते हैं और चीनी की कीमत तय कर रहें हैं तो उसी अनुपात में हमारा मूल्य भी तय कीजिए क्योंकि गन्ने से ही तो उनकी चीनी बनी है। इसलिए उसी हिसाब से हमें कीमत भी मिलनी चाहिए। उसी हिसाब से लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए।

मैं अपने दो-तीन सुझाव दे रहा हूं। पहली बात तो मैंने लाभकारी मूल्य के बारे में कह दिया है कि किसानों को लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए। दूसरे, बाढ़ को रोकने का कोई स्थायी निदान किया जाना चाहिए। तीसरा सुझाव है कि खाद पर सब्सिडी बढ़ाइए। किसान को खाद देने में सब्सिडी जरूर दीजिए। उसके बाद विशेष रूप से कम दरों पर किसानों को बिजली उपलब्ध कराएं। तीसरे, हमारा कहना है कि जब किसान को ऋण देते हैं तो मैं कहना चाहता हूं कि जब उसकी फसल हुई नहीं तो वह ऋण कहां से देगा? सीधी सी बात है कि यदि उनके ऋण माफ नहीं करिए तो ऋण चुकाने का समय बढ़ाइए। जितने दिन वह फसल पैदा नहीं करता, उसका सूद कम कीजिए। जब आप बैंकों से लोन दिलवा रहे हैं, ऋण पर सूद की दर विशेष रूप से किसान के लिए कम होनी चाहिए।

एक और बात मैं कहना चाहता हूं कि बैंक इंडस्ट्रियलिस्ट को तो पूरा पैसा देते हैं लेकिन किसानों को दस हजार रुपया भी पूरा नहीं दिया जाता है। इस व्यवस्था को दुरुस्त करिए और किसान को ज्यादा पैसा दिलवाइए। उसको पैसा समय से, उसकी खेती से पहले दिलवाइए। हमारे गांव के जो लोग हैं, हम सभी चीजों को देख रहे हैं, मैं यह बताना चाहता हूं कि फसल बीमा के बारे में सरकार की नीति उचित नहीं है। जब हमारी सारी फसल बर्बाद हो गई और बीमा नहीं मिल रहा है तो इस पर भारत सरकार को अपनी नीति स्पष्ट करनी चाहिए और फसल बीमा किसानों को देना चाहिए।

अंत में, मैं कहना चाहता हूं कि बिहार के लिए बाढ़ के स्थायी निदान के लिए विशेष पैकेज दिया जाए ताकि किसानों को राहत मिले और बिहार को स्पेशल पैकेज दिया जाए। कृषि पर आधारित जो हमारे केले की फसल है और भी हमारी कई फसलें हैं जिन पर हम सामंजस्य बैठा सकते हैं, वह सामंजस्य हमें बिठाना चाहिए।

आपने मुझे बोलने पर मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

[अनुवाद]

प्रो. एम. रामदास (पांडिचेरी): माननीय सभापति महोदय, मैं श्री पी.के. वासुदेवन नायर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का समर्थन और अनुमोदन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। प्रस्ताव में भारतीय किसानों की वास्तविक स्थिति का पता चलता है। यह प्रस्ताव इस देश के दबे-कुचले लोगों के सुधार के लिए प्रयासरत एक व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

किसानों की आत्महत्या, और भारतीय किसानों की परेशानियां और गरीबी पिछले 53 वर्षों के हमारे कृषि विकास का सहवर्ती परिणाम है। यह केवल गहराई तक की उस रुग्णता को प्रदर्शित करती है, जिसमें कि आज भारतीय कृषक फंसे हुए हैं। पहले के वक्ताओं ने इस रुग्णता और रोग और इसके कारणों की विस्तारपूर्वक चर्चा की। मैं उस विस्तार में नहीं जाऊंगा, परन्तु मैं उस अवधि पर बल दूंगा, जिसमें इस प्रकार की आत्महत्याएं अधिक हुईं।

संसद के ग्रंथालय द्वारा दिए गए आंकड़ों के अनुसार 1.4.1999 से 2003 तक कुल 866 लोगों ने आत्महत्या की। मैं नहीं जानता की उस अवधि तथा आत्महत्याओं की संख्या में कोई संबंध है या नहीं, क्योंकि वह अवधि आर्थिक सुधारों की थी तथा वह अवधि विशेषकर इस देश में तथाकथित दूसरी पीढ़ी के आर्थिक सुधारों की थी। मैं यह नहीं कहूंगा कि उस अवधि के दौरान भाजपा सरकार थी। मेरा ऐसा इरादा नहीं, परन्तु मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि भारतीय किसानों की आत्महत्या के लिए दूसरी पीढ़ी के सुधार जिम्मेदार हैं। इस भावना में सच्चाई लगती हैं कि आर्थिक सुधारों तथा व्यापार में खुलेपन के साथ ही इस देश में कृषि बड़े पैमाने पर हाशिए पर आ गई है। इसका कारण यह है कि आर्थिक सुधारों के एक संघटन को उद्योग, व्यापार, सेवा क्षेत्र तथा वाणिज्यिक क्षेत्र पर अधिक ध्यान देना पड़ा। यह आशा करते हुए कि प्रकृति, कृषि का ध्यान रखेगी, हमने इसे सबसे कम महत्व दिया। आपने विश्व व्यापार संगठन की इच्छाओं के अनुसार निर्यात और आयात की अनुमति दी है, जिससे राजसहायता के प्रावधान लागू नहीं हो सकेंगे और विकसित देश "ग्रीन बाक्स सब्सिडीज" और "ब्लू बाक्स सब्सिडीज" के रूप में इसका लाभ उठाने में सफल रहेंगे। इसलिए, उन्होंने ठीक ही कहा था कि इसने एक संकट का रूप ले लिया है। इस संकट को लंबी अवधि के दृष्टिकोण के साथ-साथ अल्प अवधि के दृष्टिकोण से भी देखना चाहिए।

समय नहीं है। मैं जानता हूं। आप इससे निपटने के लिए मुझे समय नहीं देंगे। परन्तु मैं सोचता हूं कि आप कल की तरह अन्याय नहीं करेंगे बल्कि आज मुझे कुछ और समय देकर उसकी क्षतिपूर्ति करेंगे। आपने हमें सात मिनट लेने को कहा था। मैं कम से कम 10 मिनट लूंगा, क्योंकि हमें इस देश की रीढ़ की हड्डी को बचाने के लिए सरकार को देने के वास्ते एक पैकेज है। हम इस देश के किसानों की ओर से बोल रहे हैं, जोकि आज भारतीय अर्थव्यवस्था में योगदान दे रहे हैं, उसे बचाकर रखे हुए हैं।

अब, लम्बी अवधि के पक्षों पर आते हुए सरकार को कृषि स्थितियों तथा मौसमी स्थितियों की विविधताओं को ध्यान में रखते हुए भूमि प्रयोग योजना, प्रादेशिक स्तर की योजना तथा एक फसल योजना के बारे में भी गंभीरता से सोचना चाहिए। इस बार की कमी है, जोकि इस देश के नियमित कृषि विकास को लगातार प्रभावित कर रही है। जैसा कि श्री वासुदेवन नायर ने कहा आमूलचूल भूमि सुधार, वाणिज्यिक खेती करने के लिए किसानों को प्रेरणा, किसानों को कृषि संबंधी जानकारी देने के प्रावधान तथा शुष्क भूमि कृषि पर ध्यान देने से किसानों को गरीबी और बेरोजगारी के जाल से निकलने में मदद मिलेगी, जिसमें कि वे आज फंसे हुए हैं।

अब, आत्महत्याओं के महत्वपूर्ण प्रश्न प्रश्न पर आता हूं, आंकड़ों के अनुसार 199 से 2003 तक, 866 परिवार बर्बाद हो गए हैं।

हम किन पुनर्वास उपायों के बारे में सोच रहे हैं? मैं समझता हूं कि भारत सरकार को आंध्र प्रदेश का अनुकरण करना चाहिए और आत्महत्या कर चुके व्यक्ति के प्रत्येक परिवार को 2 लाख रु. का मुआवजा पैकेज देना चाहिए।

दूसरे, प्रत्येक परिवार में एक व्यक्ति को आजीविका का आश्वासन देना चाहिए। मान लीजिए की एक परिवार में एक किसान आत्महत्या कर लेता है, तो वह परिवार अथवा आजीविका कमाने वाला खो देता है। अत: हमें उस परिवार के एक व्यक्ति, को नौकरी देनी चाहिए। यदि उसका पुत्र अथवा पुत्री शिक्षित है तथा नौकरी योग्य है तो उसे स्थानीय स्तर, राज्य स्तर अथवा केन्द्रीय स्तर पर नौकरी दी जानी चाहिए ताकि उस परिवार को आजीविका कमाने वाला मिल जाए। यदि कुछ संभव न हो तो हमें उस परिवार को रोजगार गारंटी योजना के दायरे में लाना चाहिए, जिसे कि भारत सरकार अब 150 जिलों में क्रियान्वित कर रही है। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि उसे इन अन्य जिलों में भी लागू किया जाए, जहां आत्महत्याएं हो चुकी हैं। इन लोगों को रियायती ऋण भी दिए जाने चाहिएं।

ऋण वसूली के अन्य प्रश्न पर आते हुए मुझे लगता है कि भारत सरकार को गरीबी की रेखा से नीचे नहीं बल्कि अति-निर्धनता की रेखा से नीचे रहने वाले किसानों के सभी कर्जों को माफ करने के प्रस्ताव के साथ आगे आना चाहिए। मुझे लगता है कि सरकार अब गरीबी रेखा और अति निर्धनता रेखा के अंतर से अवगत है। जो लोग बेसहारा हैं, वे अति निर्धनता की रेखा से नीचे रहने वाले लोग कहलाते हैं। उनके ऋणों को माफ कर दिया जाना चाहिए।

जैसे कि एक माननीय सदस्य ने पहले कहा कि औद्योगिक और वाणिज्यिक क्षेत्र की हजारों करोड़ रुपये की गैर-निष्पादनकारी आस्तियों को माफ किया जा चुका है। इसलिए इसका अनुमान लगाना चाहिए और कृषकों के बारे में भी ऐसा ही करना चाहिए। हमें ऋणी किसानों के सभी बकाया को इसमें शामिल करना चाहिए। तीन वर्ष से पांच वर्ष तक ऋणों का पुन:निर्धारण करना चाहिए। अल्प अवधि के ऋणों को मध्यम अवधि के ऋण के रूप में परिवर्तित कर देना चाहिए और मध्यम अवधि के ऋणों को लंबी अवधि के ऋणों में परिवर्तित कर देना चाहिए। कर्ज में डूबे सभी किसानों के ब्याज को पूरी तरह माफ कर देना चाहिए। हमें इन किसानों पर दंड के रूप में कोई ब्याज नहीं लगाना चाहिए।

अंतिम बार, उन अतिरिक्त उपायों के बारे में है, जो भारत सरकार को करने पड़ेंगे। कृषि बीमा योजना पर आते हुए बड़ी संख्या में किसानों को प्रीमियम की पहली और दूसरी किस्त का भुगतान तो कर दिया है परन्तु प्राकृतिक आपदाओं अथवा कुछ अन्य कारणों से वे तीसरी किस्त का भुगतान नहीं कर पाए। इसके परिणाम स्वरूप कई पालिसियां व्ययगत हो गई। ऐसा अनुमान है कि एल आई सी के पास किसानों की 1,000 करोड़ रु. की धनराशि पड़ी है। इसलिए भारत सरकार तथा राज्य सरकारों को एल आई सी से बातचीत करनी चाहिए और किसानों की धनराशि उन्हें वापस लौटाने की कोई व्यवस्था करनी चाहिए। भारत सरकार को किसानों को मुफ्त बिजली प्रदान करने के लिए भी कदम उठाने चाहिएं। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि उन्हें उचित मूल्य भी दिए जाने चाहिए।

माननीय वित्त मंत्री महोदय ने 1,05,000 करोड़ रु. तक के ऋण का आश्वासन दिया है। यह बहुत बड़ी बात है, और हम सबको यह घोषणा अच्छी लगी, परन्तु इक्विटी कहां है? ऋण के वितरण में इक्विटी क्या है? इसे पर्याप्त और कम ब्याज दर पर समय पर प्रदान करना चाहिए।

हमें परिश्रमपूर्वक पूरे देश में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम लागू करना चाहिए। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के क्रियान्वयन में किसी भी ढिलाई को गंभीरता से लेना चाहिए। मैं सरकार से अनुरोध

[प्रो. एम. रामदास]

करता हूं कि इसे पूरे देश में लागू किया जाए। अन्यथा, देश में बड़ी संख्या में ऐसी समस्याओं की बाढ़ आ जाएगी, जिनका भविष्य में हम सामना नहीं कर पाएंगें। इसलिए इन समस्याओं पर गंभीर ध्यान दिया जाना चाहिए तथा इस देश की रीढ़ की हड्डी माने जाने वाले किसानों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए लंबी अवधि, अल्प-अवधि तथा अति अल्प अवधि के उपाय किए जाने चाहिएं।

श्रीमती सी.एस. सुजाता (मवेलीकारा): धन्यवाद, महोदय मैं श्री पी. के वासुदेवन नायर जी द्वारा प्रस्तुत संकल्प का समर्थन करती हूं। गत कई वर्षों से केरल के किसान एक बहुत गंभीर समस्या का सामना कर रहे हैं जिसे मैं सरकार के ध्यान में लाना चाहूंगी। किसानों के लिए कृषि के लिए कभी आजीविका का साधन हुआ करती थी जो अपने खेतों में पैदावार करने के लिए खून-पसीना बहा दिया करता था। लेकिन किसानों और किसान मजदूरों का जीवन इतना कठिन हो गया कि उन्होंने अपने पारंपरिक कार्यों से दूर भागना शुरू कर दिया है। यदि यह स्थिति अगले दस वर्ष और जारी रही तो न तो कोई किसान होगा और न कोई कृषि मजदूर। केन्द्र और राज्य दोनों सरकार इन गरीब किसानों के संकट को अनदेखा कर रही है।

उनमें से कुछ किसान अपनी जीवन लीला इसलिए समाप्त कर लेते हैं क्योंकि वे बैंकों से लिया गया ऋण चुका पाने की स्थिति में नहीं होते। अलपुझा जिले में कुट्टानाड और पालक्कड जिलों को केरल का 'चावल का कटोरा' कहा जाता है। कुट्टानाड में धान की फसल उगाने वाले किसानों ने कृषि करना केवल इसलिए छोड़ दिया है क्योंकि सरकार और प्रकृति दोनों के ही द्वारा उनका उत्पीड़न किया जाता हैं। धान के खेतों में लवणयुक्त पानी के घुसने से पौधे नष्ट हो जाते हैं और इस खतरे का समाधान अलपुझा जिले में थोटापल्ली निकासी मार्ग के शटरों की मरम्मत करके करना होगा। सरकार इस गंभीर स्थिति पर गंभीरता से हैंडल नहीं कर रही है। कुट्टानाड के धान के खेतों में दो फसलें होती हैं लेकिन उन दोनों की प्रकृति की दया पर छोड़ दिया जाता है। कुट्टानाड में केरल के लोगों की भूख मिटाने के लिए बाईस प्रतिशत धान की पैदावार की गयी थी। लेकिन यह पैदावार प्रतिवर्ष कम होती जा रही है और निकट भविष्य में धान की कोई पैदावार नहीं होगी। यदि प्रस्तावित 'व्यापार लिंक परियोजना' को कार्यान्वित किया गया तो यह दक्षिणी केरल के विभिन्न कृषि क्षेत्रों विशेषकर कुट्टानाड और कुमार कोम के लिए मौत की घंटी होगा। इसलिए, मैं संबंधित अधिकारियों से ऐसे विद्वेषपूर्ण विचारों से परहेज करने का आग्रह करता हूं। यदि केन्द्र सरकार राजसहायताओं और अन्य प्रकार की सहायता में वृद्धि करके धान की पैदावार को पुनर्जीवित करने के लिए गंभीर प्रयास नहीं करेगी तो स्थिति बहुत गंभीर हो जायेगी। ऐसी ही स्थिति राज्य के अन्य हिस्सों में और पूरे देश में व्याप्त है। इसलिए, किसानों को इस संकट से बचाने के लिए केन्द्र सरकार को ठोस योजनाएं और विकासात्मक गतिविधियां तैयार करनी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री भंवर सिंह डांगावास (नागौर): सभापति जी, मैं वासुदेवन नायर जी के संकल्प की पुष्टि में अपने विचार पेश करने के लिए खड़ा हुआ हूं। भारत कृषि प्रधान देश है और इसकी आर्थिक स्थिति हमेशा कृषि पर निर्भर रहती है और कृषि सबसे बड़ा रोजगार देने वाला व्यवसाय है। लेकिन यह लाभप्रद न होकर एक अलाभप्रद व्यवसाय है। काश्तकार की मजबूरी है कि उसके पास कोई दूसरा रोजगार नहीं है, इसलिए उसे अपने जीवनयापन के लिए कृषि का सहारा लेना पड़ता है। कृषि इसलिए अलाभप्रद है क्योंकि इसमें जितने भी इनपुट्स हैं, जिनसे फसल पैदा होती है, वे महंगे हैं और जो उपज बाजार में बिकती है उसके दाम उसे कम मिलते हैं। इसलिए सरकार को समर्थन मूल्य ठीक देना चाहिए। जो सूचकांक मूल्य आप उपभोक्ता के लिए रखते हैं, उसके बढ़ने के साथ ही काश्तकार की फसल की कीमत भी बढ़नी चाहिए। सबसे ज्यादा दुःख इस बात का है कि भारत जब से आजाद हुआ है हर वर्ष कहीं अकाल पड़ता है तो कहीं बाढ़ आती है। पिछली एनडीए की सरकार ने इसका समाधान ढूंढने की चेष्टा की, नदियों को जोड़ने की चेष्टा की। नदियों को जोड़ने से किसान की हालत सुखद हो जाएगी। न बाढ़ आयेगी, न सूखा पड़ेगा और उस पानी से किसान को लाभप्रद कृषि मिल सकेगी।

कीमत कम देने का एक कारण रहता है कि हम जो फसल पैदा करते हैं, उसमें बदलाव लाएं। जैसे हमने आयल-सीड पैदा किया तो सरकार क्या करती है कि तेल बाहर से मंगा लेती है और हमारा बीज यहां सस्ता बिकता है, आयल सस्ता बिकता है। इसी तरह से अन्य चीजों का आयात होने के कारण भी हमें फसल अच्छी नहीं मिलती है और उसके दाम अच्छे नहीं मिलते हैं। कर्जा न चुकाने के कारण किसान तंग आ जाता है और उसे आत्महत्या करनी पड़ती है। इसका उपाय यह है कि हम तीन चीजें करें- समर्थन मूल्य बढ़ाया जाए, पूरी फसल का बीमा कराया जाए। कई जगह बीमा तहसील स्तर पर किया जा रहा है और तहसील को यूनिट मान कर किया जा रहा है जबकि हर खेत को यूनिट मान कर बीमा करना चाहिए। पूरी फसलों का बीमा करना चाहिए।

हमारी ताजा मांग यह है कि पंजाब से 5.6 एमएएफ पानी नहीं दिया जा रहा है। वह राजस्थान नहर को दिया जाए ताकि किसानों का आन्दोलन खत्म हो। किसानों को सहूलियतें मिलें। मैंने किसानों के हित की जो बातें कही हैं, सरकार उन बातों पर गौर करे।

[अनुवाद]

श्री पी.सी. थामस (मुवत्तुपुजा): महोदय, आरंभ में मैं माननीय पी.के. वासुदेवन नायर को धन्यवाद और बधाई देता हूं जो कि एक महान व्यक्तित्व हैं और केरल के मुख्यमंत्री रहे हैं तथा जिनके पास सामाजिक जीवन के साथ-साथ राजनीतिक जीवन का भी व्यापक अनुभव है। अभी उनके पास किसानों और श्रमिकों के बारे में उनकी अपनी पूर्ण भावनाओं को अभिव्यक्त करने का पूरा अवसर मिल था।

यह एक व्यापक मुद्दा है। हम छोटी सी अवधि में इस पर चर्चा नहीं कर सकते हैं। मैं अपने राज्य, केरल के प्रमुख मुद्दों में से कुछ तक ही सीमित रहना चाहता हूं। आरंभ में, कृषि के संबंध में जब भी चर्चा होती है, केरल हमेशा ही घाटे में रहता है क्योंकि केरल की प्रमुख फसलें नकदी फसलें है। हमारे यहां धान और कुछ अन्य फसल और खाद्यान्न भी होते हैं। परन्तु यह रबड़, काफी, चाय मसालों, वनिला और कई अन्य फसलों का उत्पादन करने वाला यह एक प्रमुख राज्य है, और ये फसलें वाणिज्य मंत्रालय के अन्तर्गत आती हैं। माननीय मंत्री यहां नहीं आए हैं। मंत्रालय कृषि से संबंधित किसी चर्चा में बिल्कुल ही सम्मिलित नहीं होता है। केरल एकमात्र ऐसा राज्य है जो इस संबंध में बिल्कुल ही अलाभप्रद स्थिति में है।

उदाहरणतः, रबड़ के मूल्य में तेजी से गिरावट आई है।

सभापति महोदयः थामस जी, कृपया थोड़ी देर रुक जाइए।

माननीय सदस्यगण, इस संकल्प पर चर्चा करने हेतु आबंटित समय समाप्त हो गया है। इस प्रस्ताव पर और पांच और वक्ताओं को बोलना है। यदि सभा सहमत हो, तो संकल्प पर चर्चा करने हेतु आबंटित समय में एक घंटे की वृद्धि की जा सकती है।

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावतः सभापति महोदय, इस संकल्प पर चर्चा के लिए समय बढ़ा दिया जाए।

कई माननीय सदस्यः जी हां।

सभापति महोदयः सभी माननीय सदस्य इसके लिए सहमत हैं; इसलिए एक घंटा समय बढ़ाया जाता है।

[अनुवाद]

थामस जी, कृपया अपनी बात जारी रखिए।

श्री पी.सी. थामसः महोदय, रबड़ का मूल्य पहले 50 रुपए से 60 रुपए किलो था, अब गिरकर 20 रुपए से 22 रुपए तक हो गया है। इसका कोई उपाय नहीं था क्योंकि इसके उत्पादन की लागत ही 30 रुपए से 35 रुपए तक थी और, इसलिए हमने इसपर जोर दिया और राजग सरकार ने इस संबंध में कुछ किया था और राजसहायता दी गई थी। निर्यात हेतु सब्सिडी दी गई थी और हमारे देश में हो रहे अतिरिक्त उत्पादन के आधार पर इसे दूसरे देशों में भेजा गया था, वह भी पूरी तरह सब्सिडी देते हुए। और सिर्फ यही चीज दी जा सकती। राजग सरकार ने यह साबित किया है कि इसे दिया जा सकता है। विश्व व्यापार संगठन इसके विरुद्ध नहीं है। यदि विश्व व्यापार संगठन इस प्रकार की सब्सिडी देने पर फ्रांस और कुछ अन्य देशों के विरुद्ध नहीं है, तो भारतीय कृषकों को सब्सिडी क्यों नहीं दी जा सकती है।

यदि रबड़ के लिए ऐसा किया जा सकता है, तो चाय के लिए ऐसा क्यों नहीं किया जा सकता है, जिसका मूल्य अत्यधिक कम है? बागान कामगार वास्तविक कठिनाईयों से जूझ रहे हैं। किसान, विशेषकर छोटे किसान बड़ी कठिनाई में हैं।

काली मिर्च का मूल्य घटकर 50 रुपए प्रति किलो हो गया है, जोकि पहले लगभग 200 रुपए था। किसान कैसे अपनी जीविका चलाए? इसका निर्यात किया जा रहा है। भारत ने वर्ष 2002-2003 में 21,609 क्विंटल काली मिर्च का निर्यात किया है और लगभग 178 करोड़ रुपये अर्जित किए हैं। हम सर्वश्रेष्ठ काली मिर्च का उत्पादन कर रहे हैं। यह भी नीचे गिर रहा है क्योंकि इसके उत्पादन में भी कमी आई है।

इसलिए, हमें किसानों को सब्सिडी देते हुए प्रोत्साहित करना चाहिए। ऐसा किया जा सकता है। यह साबित हो चुका है। फिर हम ऐसा क्यों नहीं करते? यद्यपि वर्तमान सरकार ने रबड़ पर दी जाने वाली सब्सिडी वापस ले ली है, मेरे विचार से इस बात पर सरकार विचार कर सकती है। मुझे उम्मीद है, कृषि मंत्री निर्यात हेतु सब्सिडी देने के मामले को वाणिज्य मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के समक्ष उठाएंगे। 'निश्चित ही, कृषि मंत्री को शामिल कर कुछ किया जा सकता है।

महोदय, कुछ वस्तुओं, विशेषकर श्रीलंका में उत्पादित कृषि वस्तुओं के आयात करने का एक दूसरा पहलु काफी चिंताजनक है। मेरा विचार है कि सरकार को इस संबंध में भी तत्काल कुछ करना चाहिए, अन्यथा चाय, काफी इत्यादि जैसे विभिन्न कृषि उत्पादों पर शून्य आयात शुल्क से भारत में ये बड़ी मात्रा में आ रहे है। इलायची के संबंध में, मसाला बोर्ड ने नई सिफारिश की है। मसाला बोर्ड ने सिफारिश की है। मैं नहीं जानता कि क्या बोर्ड आज कल ऐसी सिफारिशें कर रहे हैं। यह एक अधिकारिक

[श्री पी.सी. थामस]

दस्तावेज है और इसमें इलायची पर आयात शुल्क निर्धारित करने के प्रस्ताव का उल्लेख किया गया है। हम विश्व में सर्वश्रेष्ठ इलायची का उत्पादन कर रहे हैं और हमने निर्यात भी किया है। परन्तु ग्वाटे माला से आयात हो रहा है, जहां बड़ी मात्रा में घटिया इलायची उत्पादित की जा रही है। इलायची बोर्ड ने अब भारत सरकार से प्रस्ताव किया है। इसके अनुसार:

> "हम यह प्रस्ताव करते हैं कि इलायची पर आयात शुल्क को विद्यामान आयात मूल्य पर 70 प्रतिशत आयात शुल्क निर्धारित करने के बजाय प्रति किलोग्राम आधार पर निर्धारित किया जाए। यह सुझाव दिया जाता है कि वर्तमान मौसम के दौरान शुल्क को औसत नीलामी मूल्य के 70 प्रतिशत के बराबर निर्धारित किया जाए, जोकि 327 रुपये है।"

ऐसा नीलामी के आधार पर दिया जाता है। मान ले आज नीलामी मूल्य 500 रुपए है। यह कम होकर 100 या 200 रुपए पर आ सकता है, यह कभी-कभी 600 रुपये अथवा 700 रुपये तक बढ़ सकता है। परन्तु सामान्यत: यह कम हो जाता है। इस प्रकार सारी इलायची बर्बाद हो जाती है और हमारे उत्पादन विवाद में हैं। इसलिए, इस सिद्धांत को स्वीकार किया जा सकता है। यद्यपि मैं बताई गई मात्रा से सहमत नहीं हूं क्योंकि यह मात्रा बहुत ही कम है, परन्तु भारत में किसानों को मिलने वाले प्रचलित मूल्य के आधार पर आयात शुल्क को निर्धारित किया जाना ऐसा मुद्दा है जिस पर हमें विचार-विमर्श करना चाहिए। मैंने केवल इलायची के बारे में कहा है परन्तु अन्य उत्पादों के मामलों पर भी विचार-विमर्श किया जाना चाहिए।

हम एक संघीय देश हैं। संघवाद का उल्लेख हमारे संविधान में किया गया है, परन्तु मेरे विचार से हमें और संघवाद की मांग करनी चाहिए क्योंकि यदि एक प्राकृतिक आपदा से केरल का एक एकड़ क्षेत्र प्रभावित होता है, तो उक्त राज्य या उक्त किसान को होने वाली क्षति की धनराशि इतनी अधिक होती है क्योंकि वहां नकदी फसल उपजाई जाती है। फसलों की प्रकृति के कारण, घरों के कारण, गांव की प्रणाली के कारण राज्यों में आपस में इतना अंतर है। इसलिए, मेरे विचार से, जब हम संघवाद के बारे में सोचते हैं तो भौगोलिक विभिन्नता के आधार के अलावा प्रत्येक राज्य, प्रत्येक क्षेत्र अथवा प्रत्येक क्षेत्र की वास्तविक परिस्थितियों की विभिन्नता के आधार पर योजना एवं कार्यान्वयन पर अवश्य विचार करना चाहिए। भारत सरकार को ऐसा करना चाहिए।

फसल बीमा का उदाहरण लें। कई फसलों के लिए फसल बीमा उपलब्ध है परन्तु केरल में होने वाली कई फसलों के लिए यह उपलब्ध नहीं है। चूंकि वहां फसल बीमा उपलब्ध नहीं है, यदि रबड़ का पेड़ बर्बाद होता है, तो मिलने वाली क्षतिपूर्ति बहुत कम होती है। यदि किसानों को 20,000 रुपए या इससे भी ज्यादा की क्षति होती है, तो 100 रुपए दिए जाते हैं। इसलिए, अन्य फसलों के लिए फसल बीमा किया जाना चाहिए।

समय की कमी के कारण मैं आपका भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर): सभापति महोदय, श्री पी.के. वासुदेवन नायर ने जो संकल्प प्रस्तुत किया है, मैं उसका समर्थन करता हूं।

सभापति महोदय, हमारे देश के जो किसान खेतिहर मजदूर हैं, उनकी जो समस्यायें हैं, उनका हल न होने पर बेरोजगारी की समस्या से ग्रस्त रहते हैं और उन्हें भुखमरी का सामना भी करना पड़ता है। किसान को जो लोन मिलता है, वह उसे समय पर नहीं मिलता। इस वजह से उसकी उपज कम होती है और वह आत्महत्या कर लेता है ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आठवले जी, आप तो सरस भाषा में सुझाव दे सकते हैं।

श्री रामदास आठवले: सभापति जी, मैं सुझाव ही दे रहा हूं। किसानों की समस्याओं को हल करने के लिये हम यहां कई बार चर्चा कर चुके हैं। आज केन्द्र में यू.पी.ए. की सरकार आई है। जब उनकी सरकार थी, तब हम बड़ी-बड़ी बातें करते थे। अभी हमें थोड़ी छोटी-छोटी बातें करनी पड़ती हैं। लेकिन हमें किसानों की समस्याओं की तरफ ध्यान देना चाहिए। इस संबंध में मेरी सरकार से मांग है कि जो आत्महत्या करने वाले किसान हैं, उनके परिवारों को कम से कम पांच लाख रुपये मुआवजा सरकार की तरफ से मिलना चाहिए। इसलिए इसका प्रावधान सरकार को करने की आवश्यकता है।

सभापति जी, भारतवर्ष में सिंचाई की व्यवस्था अच्छी है। लेकिन इसके साथ ही हमारे देश में नान-इरिगेटिड लैंड भी बहुत ज्यादा है। इस नान-इरिगेटिड लैंड को इरिगेटिड करने के लिए नदियों को जोड़ने का जो प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम को गंभीरता से सरकार को अपने हाथ में लेने की आवश्यकता है।

हमने मांग की थी कि हमारे मुम्बई और कोंकण में अरेबियन-सी का सी-शोर है। वहां बारिश बहुत ज्यादा होती है। लेकिन सारा पानी समुद्र में चला जाता है। उस पानी को यदि हम रोक लेते हैं तो महाराष्ट्र में जो वैस्टर्न महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ जैसे पानी की कमी वाले एरियाज हैं, वहां इस पानी का बहुत अच्छा उपयोग हो सकता है। इसलिए मेरी भारत सरकार से मांग है कि बारिश का जो पानी सी शोर से समुद्र में चला जाता है, उस पानी को रोककर सीमा बनाने की आवश्यकता है। इसके लिए कम से कम 25 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान भारत सरकार को करना चाहिए। श्री कांतिलाल भूरिया जी हमें मुम्बई सी शोर पर इस

प्रोजैक्ट के विकास के लिए 25 हजार करोड़ रुपये की आवश्यकता है। इसलिए मेरा सुझाव है कि सरकार इस पर गंभीरता से ध्यान दे।

दूसरी तरफ किसानों को जो कर्जा मिलता है, उसका इंटरेस्ट रेट कम होना चाहिए। वह इंटरेस्ट रेट 2-3 परसेन्ट होना चाहिए तथा कर्जे के रीपेमेन्ट का समय भी बढ़ाने की आवश्यकता है। इसके अलावा जहां-जहां बाढ़ का पानी होता है, इस बाढ़ के पानी से किसानों को कोई नुकसान न हो, फसल का भी कोई नुकसान न हो। इसलिए जहां ज्यादा बाढ़ आती हैं, जहां ज्यादा बारिश होती है, जैसे कि बिहार में बहुत ज्यादा बाढ़ आती है। मेरा सरकार से निवेदन है कि ऐसी प्लानिंग की जाए कि जहां सूखे के इलाके हैं, जैसे उत्तर प्रदेश और वैस्ट बंगाल का इलाका है, इस पानी को इन प्रदेशों में ले जाए जाने की व्यवस्था सरकार को करने की आवश्यकता है।

सभापति महोदय, जो लैंडलैस लेबरर्स हैं, उनके लिए मेरा सुझाव है कि महंगाई के सूचकांक के मुताबिक आज कम से कम एक लेबर को दो सौ रुपये प्रतिदिन मिलने चाहिए। लेकिन दो सौ रुपये प्रतिदिन किसी लेबर को कोई किसान नहीं दे सकता है। इसलिए मेरा सुझाव है कि जो मिनिमम वेज है, उसमें से अगर 200 रुपये प्रति मजदूर को देने हैं तो 25 परसेन्ट पैसा भारत सरकार दे, 25 परसेन्ट पैसा राज्य सरकार दे तथा 50 परसेन्ट पैसा किसान देगा। इसके बारे में भी हमें स्कीम बनाने की आवश्यकता है। इसके अलावा जहां तक खेत मजदूर का सवाल है, यदि उन्हें गरीबी की रेखा से ऊपर उठाना है। खेत पर काम करने वाले मजदूरों को अपने पैरों पर खड़ा करना है तो सरकार के पास जो सरप्लस लैंड है, उसमें फारेस्ट डिपार्टमैन्ट की लैंड भी है और एग्रीकल्चर लैंड भी है, उस जमीन में हर लैंडलैस लेबर को कम से कम पांच एकड़ जमीन मिलनी चाहिए। इस तरह का एक प्रोग्राम सरकार को अपने हाथ में लेना चाहिए।

सभापति महोदय, कुछ वर्ष पहले महाराष्ट्र में बहुत भारी सूखा पड़ा था। जब एन.डी.ए. की सरकार थी तो श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी मेरे संसदीय क्षेत्र पंढरपुर में आये थे। वहां हम लोग दो-तीन साल में मांग कर रहे थे कि हमें 1700 करोड़ रुपया दिया जाए। अटल जी ने 50 करोड़ रुपये का अनाउंसमैन्ट कर दिया। लेकिन अभी यू.पी.ए. की सरकार आने के बाद 500 करोड़ रुपए महाराष्ट्र को दिये गये हैं। लेकिन सूखे का सामना करने के लिए भारत सरकार को पचास हजार करोड़ रुपये देने चाहिए। उसमें से 150 करोड़ रुपये हम छोड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन एक हजार करोड़ रुपये महाराष्ट्र को देने की आवश्यकता है। श्री शरद पवार जी एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं। श्री कांतिलाल भूरिया जी भी हमारे अच्छे मित्र हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि ये सब प्रावधान आपको करने की आवश्यकता है।

महाराष्ट्र में सिक शुगर इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा हैं। महाराष्ट्र राज्य शुगर की बहुत बड़ी स्टेट है। वहां शुगरकेन का उत्पादन बहुत अच्छा होता है। शुगर इंडस्ट्रीज को भी आर्थिक मदद देने के बारे में हमारी सरकार को विचार करने की आवश्यकता है। मैं समझता हूं कि इन सुझावों पर सरकार विचार करेगी और अगर हम किसानों को मजबूत नहीं करेंगे तो देश भी मजबूत नहीं होगा। इसलिए किसानों को मजबूत करना चाहिए और खेती पर काम करने वाले खेत मजदूरों को भी मजबूत करने की आवश्यकता है। आज बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। इसके लिए ग्रामीण उद्योगों को बढ़ाया जाना चाहिए। आपके पास एनसीडीसी है। उसके पास कर्जे के लिए प्रपोजल आते हैं मगर बहुत कम प्रपोजल ही मंजूर हो पाते हैं। लोगों को तकलीफ सहनी पड़ती है। मैं कहना चाहता हूं कि एनसीडीसी से सही लोन मिलना चाहिए और उसके लिए सरकार को विचार करने की आवश्यकता है। किसानों को सहायता देने की जिम्मेदारी यूपीए सरकार की है। कौमन मिनिमम प्रोग्राम में भी हमने किसानों को मदद देने के लिए आश्वस्त किया है अगर असल में वह पैसा और मदद उनको मिले, इसके लिए भी सरकार को काम करना चाहिए।

अंत में मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि इस देश के किसानों को न्याय मिलेगा। वह दिन जल्दी आना चाहिए जिस दिन एक भी किसान आत्महत्या नहीं करेगा। इस तरह की स्थिति हम पांच साल में पैदा करेंगे और एनडीए का सहयोग भी हमें इसके लिए चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ में आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

डा. रामकृष्ण कुसमरिया (खजुराहो): सभापति जी, एक बड़ा ही संवेदनशील मुद्दा माननीय नायर जी ने सदन में उठाया है जिसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं। वास्तव में किसान के लिए हम अनेक विशेषण उपयोग करते हैं, जैसे किसान को अन्नदाता कहते हैं, भगवान कहते हैं, पालनकर्त्ता कहते हैं, लेकिन वास्तव में उसके साथ न्याय नहीं होता है। मेरे ख्याल से लोक सभा में 60 प्रतिशत से ज्यादा किसान लोग चुनकर आते हैं लेकिन अपनी पार्टियों की मजबूरी में बंधकर उनके हित की बात करने में संकोच करते हैं।

मान्यवर, मैं चाहता हूं कि लोक सभा में किसानों का एक सैल बनना चाहिए जो किसानों की समस्याओं पर विचार करे। जैसे चैम्बर आफ कामर्स है और अनेक प्रकार के अपने-अपने प्रकल्प हैं, लेकिन किसानों का कोई सैल लोक सभा के भीतर नहीं है। इसलिए इसका गठन करें और ईमानदारी के साथ किसान की स्थिति पर उसमें विचार होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो आज देश में जो बेरोजगारी है और देश की आर्थिक स्थिति बिगड़ रही है, इन सारी समस्याओं का हल खुद निकल सकता है। हिन्दुस्तान की सबसे बड़ी इंडस्ट्री और रोजगार देने वाली इंडस्ट्री खेती है

[डा. रामकृष्ण कुसमरिया]

लेकिन उसके साथ न्याय नहीं हो रहा है। माननीय नायर जी ने इस मामले को उठाया कि जो किसान सबका पालन करते हैं, वह आत्महत्या करने को मजबूर हैं। उनका व्यवस्थापन होना चाहिए, उनके लिए मदद होनी चाहिए।

महोदय, किसान के सामने दो प्रकार से समस्या आती है। एक उस पर आसमानी विपत्ति आती है और दूसरी सुलतानी। आसमानी विपत्ति वह है कि ओला पड़ गया, पानी गिर गया, बाढ़ आ गई। इन सबके कारण किसान कितनी अच्छी पैदावार करे, कितनी अच्छी फसल लगाए, कितने भी अच्छे इनपुट्स लगाए, कितनी खाद लगाए, कितना पानी दे, लेकिन अगर ओला पड़ गया तो सारी फसल नष्ट हो जाएगी और उसकी सारी टैक्नोलाजी फेल हो जाएगी। इसलिए ऐसे मौके पर बाढ़, सुखाड़ और नैचुरल कैलेमिटीज से निपटने के लिए हमें दूरदर्शितापूर्ण कार्रवाई करनी चाहिए। जैसे अटल जी ने सारी नदियों को जोड़ने का प्रस्ताव रखा जिससे हम बाढ़ और सुखाड़ से बचें, मैं चाहता हूं कि आप उसको कंटीन्यू करें।

मान्यवर, सुलतानी विपत्तियों की बात मैं करूंगा। कुछ कानून ऐसे हैं जिससे हमारे किसान परेशान होते हैं। हमारे पूर्ववक्ता कह रहे थे कि बीमा तो किसानों ने कर दिया, उसका प्रीमियम भी जमा कर दिया, लेकिन फसल खराब हो गई तो एक किश्त जमा न होने के कारण उसको बीमा नहीं मिल पा रहा है। यह तो खुली लूट है। कुछ-कुछ वादा करके और सपने दिखाकर उनसे पैसा भी खींच लिया और उनको बीमा नहीं दे रहे हैं। मैं चाहूंगा कि केन्द्र सरकार और प्रदेश सरकारें बीमा कंपनियों से बात करें और किसानों को उनका पैसा वापस लौटाएं। इस तरह से आपको मालूम है कि क्रैडिट कार्ड स्कीम में एनडीए सरकार ने कर्ज पर ब्याज की दर को कम कर दिया था। उसको 9 प्रतिशत कर दिया था जबकि 14 प्रतिशत और 18 प्रतिशत है। कोआपरेटिव सैक्टर में आज भी ब्याज कम नहीं हुआ है। आज भी किसानों के क्रैडिट कार्ड नहीं बन रहे हैं।

महोदय, यह देखने वाली स्थिति है। हाल ही में रिजर्व बैंक द्वारा ब्याज दर की सीमा में कटौती करके उसे 7.30 प्रतिशत किया गया है, आप उसे लागू कीजिए। आप उसे एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं। यदि आप उसे लागू करेंगे, तो किसानों को अपने खेतों में पैदा की जाने वाली चीजें कम मूल्य में उपजाने की सुविधा मिलेगी। इससे किसानों का लागत मूल्य कम होगा और उसका भार कम होगा। यह कदम किसान के लिए लाभकारी साबित होगा। आप इसे लागू करिए।

महोदय, दूसरी बात में कहना चाहता हूं कि ग्रामीण क्षेत्रों में एन.डी.ए. सरकार ने शीतगृह बनाने का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम प्रारम्भ किया था, उसे आपने बन्द कर दिया है। उस कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में शीतगृहों का निर्माण किया जा रहा था जहां किसानों को अपनी जल्दी सड़ने-गलने वाली वस्तुओं को शीतगृह में रखने की सुविधा मिल रही थी। वे अपनी वस्तुओं को शीतगृहों में रखकर, जब उनकी वस्तुओं का अच्छा बाजार भाव मिलता, तब बेच देने की सुविधा का लाभ उठा रहे थे, लेकिन आपने उस कार्यक्रम को बन्द कर दिया। किसानों को अपनी उपज के भंडारण की व्यवस्था ग्रामों में ही मिले, इसके लिए आप उस कार्यक्रम को चालू रखिए।

महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश से तो माननीय मंत्री स्वयं परिचित हैं। मध्य प्रदेश के हिस्से की पूरी बिजली उसे नहीं दी जा रही जिससे मध्य प्रदेश का किसान बहुत परेशान है। एक तो हमारे यहां टीकमगढ़, छतरपुर आदि क्षेत्रों में बारिश नहीं हुई जिसके कारण सिंचाई के तालाबों में पानी इकट्ठा नहीं हो पाया और जब पानी इकट्ठा नहीं हो पाया, तो सिंचाई नहीं हो पा रही है और उनके अपने साधन हैं, जिनके ट्यूबवैल हैं, वहां पानी बहुत नीचा है जिसे निकालने के लिए बिजली की आवश्यकता है, लेकिन आप बिजली भी नहीं दे रहे हैं। आपने हमारे क्षेत्र की बिजली काट दी है। जन-जन को मालूम है कि बिजली ऊपर से काटी गई है। इतना बड़ा पाप आप किसानों के साथ मत करिए।

महोदय, मैं एक और बात की ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। हमारे क्षेत्र टीकमगढ़, पन्ना और दमोह में खाद की बहुत कमी है। डी.ए.पी. खाद यहां से वहां क्यों नहीं जा रही है, यह हमें पता नहीं? मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि उस क्षेत्र में खाद की सप्लाई की व्यवस्था तुरन्त कराई जाए। ये बातें बहुत छोटी-छोटी हैं। इनके ऊपर आपको विचार करना पड़ेगा। इन्हीं छोटी-छोटी बातों के कारण किसान पर भार बढ़ता है, उसकी पैदावार ठीक नहीं होती है। परिणामस्वरूप वह कर्जे में डूब जाता है।

महोदय, एक छोटी सी कहावत है: "भारतीय किसान कर्ज लेकर पैदा होता है, कर्जे में डूबा रहता है और कर्जे में ही मर जाता है।"

सरकार को चाहिए कि किसानों के कामों को करे। आपको मौका मिला है। इन्हीं शब्दों के साथ सभापति जी, मैं श्री पी.के. वासुदेवन नायर जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस मामले को सदन में उठाकर, किसान की पीड़ा को समझने और उसे कम करने का काम किया है। मुझे बोलने का अवसर देने के लिए, सभापति जी, मैं आपको भी बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

[अनुवाद]

डा. के.एस. मनोज (अलेप्पी): माननीय सभापति महोदय, सर्वप्रथम, मैं श्री पी.के. वासुदेवन नायर को इस देश में किसानों के एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर यह गैर सरकारी सदस्यों का संकल्प लाने के लिए बधाई देता हूं। इसके साथ-साथ दुखद स्थिति यह है कि जब देश के किसानों से संबंधित इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही है, अधिकांश सदस्य और मंत्रीगण सभा में अनुपस्थित हैं।

सायं 6.00 बजे

मैं किसानों की उक्त दयनीय स्थिति हेतु उत्तरदायी विभिन्न कारणों पर विस्तार पर चर्चा नहीं करूंगा। मैं उन कुछ महत्वपूर्ण कारणों के बारे में बोलूंगा जिसके कारण अनगिनत किसानों ने आत्महत्याएं की हैं।

यद्यपि श्री नायर ने पिछले सत्र के दौरान दो महीने पहले गैर-सरकारी सदस्यों का संकल्प पेश किया था किंतु यह अभी भी प्रासंगिक है क्योंकि प्रतिदिन समाचारपत्रों में किसानों द्वारा आत्महत्या करने की खबरें आ रही हैं। आत्महत्या करना अभी भी जारी है। सरकार द्वारा अनेक उपाय करने के बावजूद किसान अभी भी आत्महत्याएं कर रहे हैं। अत: हमें बार-बार इस बात पर विचार करना चाहिये कि ये किसान आत्महत्या क्यों कर रहे हैं?

इसके अनेक कारण हैं। भारत की 70-80 प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर आश्रित है और भारत एक कृषि प्रधान देश है। अत: हमें किसानों की समस्याओं को सर्वाधिक महत्व देना चाहिये। अधिकांश कृषि क्षेत्र जलवायु स्थिति, मानसून और ऐसी ही बातों पर निर्भर करते हैं। किंतु कुछ समस्याएं अभी भी विद्यमान हैं जिनमें से अत्यधिक महत्वपूर्ण बात नई-नई नीतियां हैं जैसा कि श्री नायर ने बताया है। उन्होंने इसे एल पी जी-उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण के रूप में संक्षिप्त नाम दिया है। हमारे देश भारत में एक मूल्य प्रणाली है जिसमें मानवीय मूल्यों को अधिक महत्व दिया जाता है। इसे नई नीतियों अर्थात् वैश्विक मूल्यों से बदला जा रहा है। इस प्रणाली में, वे कमजोर समूहों की समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। अत: किसानों को अनेक अधिकार से वंचित किया गया है। एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण सरकार का दृष्टिकोण है।

इससे पहले किसानों को राजसहायता दी जाती थी और अन्य सहायक उपाय किए जाते थे। उन्हें बीज, उर्वरक और कीटनाशकों के लिए राजसहायता मिलती थी। अब इन सबको वापस ले लिया गया है अत: इस नए रूख से कई समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। हम अनुसंधान कार्यकलापों पर काफी धन खर्च कर रहे हैं।

आई सी एम आर और कृषि विश्वविद्यालय अनुसंधान कार्यों पर काफी धन खर्च कर रहे हैं किंतु इन अनुसंधान कार्यों के परिणाम किसानों तक नहीं पहुंच रहे हैं। हम कृषि विविधीकरण की बात करते हैं। यहां पर कई अनुसंधानकर्त्ता हैं। किंतु कृषि विविधीकरण कार्यों के निष्कर्ष वास्तव में किसानों तक नहीं पहुंच रहे हैं। इसलिए कई समस्याएं विद्यमान है। इसके साथ-साथ किसान बाजार पर नियंत्रण नहीं रख पा रहे हैं।

आज सुबह भी माननीय वित्त मंत्री ने यह कहा है कि जब मांग होती है तो हमें विदेशों से चीजें आयात करनी पड़ती हैं। यह सही है। किंतु उत्पादन को बढ़ावा देना भी एक सही बात है। यहां ऐसा नहीं हो रहा है। हमें चीजों का आयात करने की बजाय कृषि सामग्री के उत्पादन को बढ़ावा देना होगा।

एक माननीय सदस्य ने नदियों को जोड़ने के बारे में भी कहा है। जहां तक केरल का संबंध है यह केरल की कृषि संबंधी स्थिति के लिए हानिकारक है। जब इस पर विचार किया जा रहा है तो हमें उसके क्षेत्रीय पहलू के बारे में भी सोचना चाहिए कि क्या यह उस विशेष क्षेत्र के लिए लाभकारी है अथवा नहीं?

मैं श्री वासुदेवन नायर का समर्थन करता हूं। जैसा कि उन्होंने कहा है कि हमें एक विधान लाना चाहिए। मैं इस बात पर बल देना चाहता हूं कि हमें किसानों की सहायता हेतु एक विधान लाना चाहिये। विधान में किसानों से संबंधित विभिन्न पहलुओं को शामिल किया जाना चाहिए।

सभापति महोदय: श्री शैलेन्द्र कुमार-उपस्थित नहीं हैं।

डा. चिन्ता मोहन (तिरुपति): महोदय, आज हम कृषि क्षेत्र की समस्याओं के बारे में चर्चा कर रहे हैं। मैं भी श्री वासुदेवन नायर का सभा में यह गैर-सरकारी सदस्यों का संकल्प लाने हेतु धन्यवाद देता हूं।

आज जब हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था की ओर देखते हैं तो हमें कोई अच्छी तस्वीर दिखाई नहीं पड़ती है चाहे वह वर्षा की कमी के कारण हो या फसलों की कमी के कारण। इसके अनेक कारण हैं। आज जब हम किसानों की ओर देखते हैं तो चाहे वह चावल अथवा गेहूं या किसी अन्य चीज का उत्पादन कर रहा है, वह इसे सीधे खाद्य निगम को नहीं बेच सकता है। खाद्य निगम किसानों की सहायता करना चाहता है। किंतु वह किसानों की सहायता नहीं कर सकता है क्योंकि मिलर और बिचौलिया बीच में आ जाते हैं। किसान को लाभ नहीं हो रहा है। यह लाभ बिचौलिये को हो रहा है जो मिलर है और जो किसान के हितों का शोषण करके लाभ उठा रहा है। माननीय मंत्री जो यहां बैठे है, किसानों के पास आ सकते है और उनकी उपज खरीद सकते हैं जिससे किसानों को

[डा. चिन्ता मोहन]

निश्चित रूप से काफी लाभ होगा। जब तक हम किसान की सहायता नहीं करेंगे तब तक कृषि मजदूर को भी लाभ नहीं हो सकता है। आज कृषि मजदूरों के पास काम नहीं है यदि वे काम भी करें तो भी वे 30 रुपये प्रतिदिन से अधिक नहीं कमा सकते हैं। इन 30 रुपयों से उन्हें एक दिन में एक समय से अधिक का भोजन नहीं मिलेगा। कृषि मजदूर और विशेष रूप से सूखा प्रभावित क्षेत्र के मजदूरों की यही समस्या है।

मेरा यह मानना है कि कृषि भूमि सुधार की काफी जरूरत है। हम केवल औद्योगिक सुधार कर रहे हैं। मात्र औद्योगिक सुधारों का कोई सकारात्मक परिणाम नहीं निकलेगा। चीन और जापान जैसे अन्य देशों को देखिये। उन्होंने सबसे पहले कृषि भूमि संबंधी सुधार किए और उसके बाद में औद्योगिक सुधार। हमारे देश में हम सबसे पहले औद्योगिक सुधार की ओर देख रहे हैं। कृषि भूमि सुधार की निश्चित रूप से जरूरत है। यदि इस सत्र में नहीं तो अगले सत्र में हमें कृषि सुधार संबंधी एक विधेयक को जरूर लाना चाहिए।

[हिन्दी]

सभापति महोदय: श्री चिन्ता मोहन जी, आप अपना भाषण अगले प्राइवेट मैम्बर्स रेजोल्यूशन के समय जारी रखिये।

[अनुवाद]

अब सभा सोमवार, दिनांक 13 दिसम्बर, 2004 को पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत होने तक के लिए स्थगित होती है।

सायं 6.08 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा, सोमवार, दिनांक 13 दिसम्बर, 2004/22 अग्रहायण, 1926 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अनुबंध I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	तारांकित प्रश्नों की संख्या
1.	श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख	141
2.	श्री वाई.जी. महाजन श्री काशीराम राणा	142
3.	श्री किन्जरपु येरननायडु	143
4.	श्री प्रभुनाथ सिंह श्री मोहन सिंह	144
5.	श्री चन्द्रभूषण सिंह	145
6.	श्री राम कृपाल यादव श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव	146
7.	श्री बृज किशोर त्रिपाठी श्री भुनेश्वर प्रसाद मेहता	147
8.	श्री गणेश प्रसाद सिंह श्री सुकदेव पासवान	148
9.	श्रीमती माधवराज मनोरमा	149
10.	डा. रामकृष्ण कुसमरिया	150
11.	श्री चेंगरा सुरेन्द्रन श्री पी.के. वासुदेवन नायर	151
12.	डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय श्री एस.के. खारवेनथन	152
13.	श्री सुग्रीव सिंह श्री सीताराम सिंह	153
14.	श्री बी. विनोद कुमार श्री ब्रजेश पाठक	154
15.	श्री पी.सी. थामस	155
16.	डा. एस. जगन्नाथ श्री कैलाश मेघवाल	156
17.	श्री चन्द्रकांत खैरे श्री परसुराम माझी	157
18.	श्री इकबाल अहमद सरडगी श्री प्रबोध पाण्डा	158
19.	श्री रामकृष्ण वाडिगा	159
20.	श्री सुनिल कुमार महतो श्री अधीर चौधरी	160

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	आचार्य, श्री बसुदेव	1641, 1755
2.	आदित्यनाथ, योगी	1798, 1805
3.	अडसूल, श्री आनंदराव विठोबा	1661, 1664, 1690, 1737, 1756
4.	अहीर, श्री हंसराज	1631, 1758
5.	अंगडि, श्री सुरेश	1673
6.	आठवले, श्री रामदास	1622, 1689
7.	'बचदा', श्री बची सिंह रावत	1645
8.	बंसल, श्री पवन कुमार	1683, 1753, 1785, 1796
9.	बारड़, श्री जसुभाई दानाभाई	1686, 1735, 1754, 1786, 1792
10.	बर्मन, श्री हितेन	1652
11.	बर्मन, श्री रनेन	1652
12.	बखला, श्री जोवाकिम	1655
13.	भडाना, श्री अवतार सिंह	1644
14.	भार्गव, श्री गिरधारी लाल	1657
15.	बिश्नोई, श्री कुलदीप	1646, 1725
16.	चक्रवर्ती, श्री अजय	1668
17.	चालिहा, श्री किरिप	1653
18.	चन्देल, श्री सुरेश	1624, 1704, 1739, 1802, 1813
19.	चन्द्र कुमार, प्रो.	1624, 1813,
20.	चन्द्रप्पन, श्री सी.के.	1682, 1770, 1804

1	2	3
21.	चव्हाण, श्री हरिश्चंद्र	1776
22.	चिन्ता मोहन, डा.	1711
23.	चित्तन, श्री एन.एस.वी.	1694
24.	चौधरी, श्री निखिल कुमार	1646
25.	चौहान, श्री शिवराज सिंह	1681, 1752
26.	चौधरी, श्री अधीर	1620, 1634, 1652, 1727
27.	दासगुप्त, श्री गुरूदास	1676
28.	देवरा, श्री मिलिन्द	1616
29.	देशमुख, श्री सुभाष सुरेशचंद्र	1697
30.	फर्नांडीज, श्री जार्ज	1695
31.	गदाख, श्री तुकाराम गंगाधर	1666, 1741
32.	गढ़वी, श्री पी.एस.	1656
33.	गेहलोत, श्री थावरचन्द	1798
34.	गोहेन, श्री राजेन	1745
35.	गोयल, श्री सुरेन्द्र प्रकाश	1668
36.	हसन, श्री मुनव्वर	1673
37.	हेगड़े, श्री अनंत कुमार	1628
38.	जगन्नाथ, डा. एम.	1722, 1741, 1798
39.	जालप्पा, श्री आर.एल.	1639
40.	जटिया, डा. सत्यनारायण	1639, 1647, 1792
41.	जयाप्रदा, श्रीमती	1711
42.	कलमाडी, श्री सुरेश	1799
43.	कामत, श्री गुरूदास	1692, 1757, 1811
44.	कनोडीया, श्री महेश	1613, 1787
45.	खैरे, श्री चंद्रकांत	1723
46.	खन्ना, श्री अविनाश राय	1798, 1801
47.	खारवेनथन, श्री एस.के.	1721, 1771
48.	कौशल, श्री रघुवीर सिंह	1632, 1705, 1633
49.	कृष्ण, श्री विजय	1668, 1679, 1743, 1750, 1803
50.	कुशवाहा, श्री नरेन्द्र कुमार	1639
51.	'ललन', श्री राजीव रंजन सिंह	1711, 1737
52.	माडम, श्री विक्रमभाई अर्जनभाई	1615
53.	माधवराज, श्रीमती मनोरमा	1709, 1769, 1789, 1807
54.	महाजन, श्रीमती सुमित्रा	1669, 1744, 1780
55.	महाजन, श्री वाई.जी.	1699, 1761, 1776, 1787
56.	महतो, श्री बीर सिंह	1685, 1688, 1741
57.	महतो, श्री सुनिल कुमार	1617, 1652
58.	माहेश्वरी, श्रीमती किरण	1621, 1623, 1707, 1734, 1759
59.	महतो, श्री टेक लाल	1670
60.	माझी, श्री परसुराम	1702, 1722, 1764, 1797
61.	मंडल, श्री सनत कुमार	1675, 1741, 1748, 1783, 1794
62.	मेघवाल, श्री कैलाश	1678, 1749, 1784, 1795
63.	मेहता, श्री आलोक कुमार	1673, 1746, 1809
64.	मेहता, श्री भुवनेश्वर प्रसाद	1728, 1773

1	2	3
65.	मोदी, श्री सुशील कुमार	1674, 1798
66.	मुन्शी राम, श्री	1638,
67.	मुर्मू, श्री हेमलाल	1798,
68.	नायर, श्री पी.के. वासुदेवन	1770, 1804
69.	नम्बाडन, श्री लोनाप्पन	1664
70.	नरहिरे, श्रीमती कल्पना रमेश	1620, 1701, 1772
71.	नायक, श्री अनन्त	1632, 1649, 1664
72.	निषाद, श्री महेन्द्र प्रसाद	1687, 1755
73.	नीतीश कुमार, श्री	1711
74.	ओराम, श्री जुएल	1629, 1639, 1747, 1782
75.	ओवेसी, श्री असादूद्दीन	1665, 1740, 1743; 1777
76.	पाण्डा, श्री प्रबोध	1730
77.	पाण्डेय, डा. लक्ष्मीनारायण	1637, 1717
78.	परस्ते, श्री दलपत सिंह	1639
79.	पटेल, श्री जीवाभाई ए.	1643
80.	पाठक, श्री ब्रजेश	1774, 1734
81.	पाटील, श्री बालासाहिब विखे	1651, 1663, 1730
82.	पाटिल, श्री प्रकाशबापू वी.	1653
83.	पिंगले, श्री देविदास	1638
84.	प्रधान, श्री धर्मेन्द्र	1637
85.	प्रसाद, श्री हरिकेवल	1652, 1685, 1736, 1739
86.	परन्देश्वरी, श्रीमती डी.	1652, 1731
87.	राधाकृष्णन, श्री वरकला	1646, 1659
88.	राजेन्द्रन, श्री पी.	1684, 1716
89.	रामदास, प्रो. एम.	1636, 1724, 1755, 1760
90.	रामकृष्णा, श्री बाडिगा	1698, 1772, 1791, 1800
91.	राणा, श्री काशीराम	1736
92.	राव, श्री के.एस.	1621, 1623, 1707, 1738
93.	राव, श्री रायापति सांबासिवा	1640, 1738, 1776, 1793, 1808
94.	राव, श्री डी. विट्ठल	1642, 1735, 1775, 1792
95.	राठौड़, श्री हरिभाऊ	1745
96.	रावले, श्री मोहन	1618, 1673, 1700, 1776, 1781
97.	रावत, श्री कमला प्रसाद	1677, 1792, 1798
98.	रावत, प्रो. रासा सिंह	1787, 1810
99.	रेड्डी, श्री जी. करूणाकर	1639, 1649, 1680, 1722, 1751
100.	रेड्डी, श्री एम. राजा मोहन	1648
101.	रेड्डी, श्री एस.पी.वाई.	1691, 1809
102.	रेड्डी, श्री सुरवरम सुधाकर	1660
103.	रेंगे पाटील, श्री तुकाराम गणपतराव	1612, 1652, 1742, 1778
104.	रिजीजू, श्री खीरेन	1635, 1710
105.	सरडगी, श्री इकबाल अहमद	1696, 1763, 1790, 1799

1	2	3
106.	शर्मा, डा. अरूण कुमार	1671, 1745
107.	सत्यनारायण, श्री सर्वे	1639
108.	सेन, श्रीमती मिनाती	1614, 1708, 1765
109.	सेठी, श्री अर्जुन	1747,
110.	शिवाजीराव, श्री अधलराव पाटील	1661, 1722, 1737, 1809
111.	शिवन्ना, श्री एम.	1650
112.	शिवनकर, प्रो. महादेवराव	1805
113.	सिद्दीश्वर, श्री जी.एम.	1649, 1711, 1726
114.	सिंह, श्री चन्द्रभूषण	1639, 1712
115.	सिंह, श्री चन्द्रभान	1610
116.	सिंह, श्री दुष्यंत	1652, 1693, 1712
117.	सिंह, श्री गणेश	1768
118.	सिंह, श्री गणेश प्रसाद	1715, 1768
119.	सिंह, श्री कीर्ति वर्धन	1668, 1743, 1750, 1779, 1803
120.	सिंह, श्री प्रभुनाथ	1711, 1798
121.	सिंह, श्रीमती प्रतिभा	1624, 1813
122.	सिंह, श्री सीताराम	1729
123.	सिंह, श्री सुग्रीव	1718, 1735, 1812
124.	सिंह, श्री सूरज	1651
125.	सिंह, श्री उदय	1654, 1727, 1732, 1806
126.	सोलंकी, श्री भूपेन्द्रसिंह	1672
127.	सुब्बा, श्री मणी कुमार	1626, 1745
128.	सुजाता, श्रीमती सी.एस.	1792
129.	सुमन, श्री रामजीलाल	1737
130.	सुरेन्द्रन, श्री चेंगरा	1716
131.	ठक्कर, श्रीमती जयाबहन बी.	1718, 1733
132.	थामस, श्री पी.सी.	1720, 1770
133.	ठुम्मर, श्री वी.के.	1619, 1733
134.	त्रिपाठी, श्री बृज किशोर	1714, 1767, 1788
135.	वर्मा, श्री रतिलाल कालीदास	1630, 1805
136.	वसावा, श्री मनसुखभाई डी.	1662, 1739
137.	वीरेन्द्र कुमार, श्री एम.पी.	1770
138.	विनोद कुमार, श्री बी.	1719, 1798
139.	यादव, श्री एम. अंजनकुमार	1662, 1667
140.	यादव, श्री बालेश्वर	1627, 1703, 1747, 1762
141.	यादव, श्री भाल चन्द्र	1658
142.	यादव, श्री गिरिधारी	1625
143.	यादव, श्री राम कृपाल	1713, 1766
144.	येरननायडु, श्री किन्जरपु	1675, 1706
145.	जाहेदी, श्री महबूब	1611

अनुबंध II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

वाणिज्य और उद्योग	:	147, 149, 150, 151, 153, 155, 157, 158,
कंपनी कार्य	:	154,
वित्त	:	143, 144, 145, 146, 148, 152, 159, 160,
विधि और न्याय	:	156,
ग्रामीण विकास	:	
वस्त्र	:	141, 142.

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

वाणिज्य और उद्योग	:	1612, 1614, 1617, 1618, 1625, 1642, 1645, 1655, 1656, 1659, 1661, 1666, 1674, 1675, 1677, 1682, 1693, 1694, 1695, 1696, 1698, 1699, 1703, 1709, 1712, 1715, 1717, 1719, 1720, 1730, 1743, 1744, 1745, 1748, 1749, 1752, 1753, 1761, 1765, 1768, 1771, 1772, 1776, 1791, 1793, 1799, 1800, 1806
कंपनी कार्य	:	1636, 1673, 1784, 1808
वित्त	:	1610, 1611, 1613, 1615, 1616, 1619, 1621, 1623, 1624, 1626, 1627, 1628, 1629, 1630, 1633, 1635, 1637, 1638, 1639, 1640, 1643, 1648, 1651, 1653, 1660, 1662, 1663, 1665, 1667, 1668, 1670, 1672, 1676, 1678, 1679, 1683, 1684, 1685, 1687, 1688, 1690, 1691, 1692, 1697, 1700, 1701, 1702, 1704, 1706, 1707, 1708, 1710, 1713, 1714, 1723, 1724, 1725, 1726, 1728, 1733, 1734, 1736, 1740, 1742, 1750, 1751, 1754, 1756, 1757, 1758, 1759, 1762, 1763, 1764, 1767, 1769, 1770, 1773, 1774, 1777, 1778, 1779, 1789, 1790, 1794, 1795, 1802, 1803, 1804, 1805, 1807, 1809, 1810, 1811, 1812, 1813
विधि और न्याय	:	1654, 1705, 1721, 1727, 1731, 1732, 1738, 1746, 1760, 1783, 1785, 1796, 1801
ग्रामीण विकास	:	1620, 1631, 1632, 1634, 1644, 1646, 1649, 1652, 1657, 1716, 1718, 1755, 1766, 1782, 1786, 1788, 1792, 1797
वस्त्र	:	1641, 1647, 1650, 1658, 1664, 1669, 1671, 1680, 1681, 1686, 1689, 1711, 1722, 1729, 1735, 1737, 1739, 1741, 1747, 1775, 1780, 1781, 1787, 1798.

पी.एल.एस.–48/5/8/2004 (एन०)
251

© 2004 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय
लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (ग्यारहवां संस्करण) के नियम 379 और 382
के अंतर्गत प्रकाशित और मै. श्री एन्टरप्राइजेज, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।